उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

---:o:---

खंड ४४

---:o:---

(सोमवार, १६ जनवरी, सन् १९५६ ई०

से

बुधवार, २५ जनवरी, सन् १९५६ ई० तक)

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ) उत्तर प्रदेश, भारत।

१९६१

मूल्यः बिना महसूल १२ नये पैसे, महसूल सहित १९ नये पैसे।

वार्षिक चन्दाः बिना महसूल ५ रुपये, महसूल सहित ६ रुपये।

विषय सूची

खंड ४४

बुधवार, १८ जनवरी, सन् १९५६ ई०

गुरुवार, १९ जनवरी, सन् १९५६ ई०

मंगलवार, २४ जनवरी, सन् १९५६ ई०

बुधवार, २५ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्
के
पदाधिकारी

श्री चेयरमैन

श्री चन्द्र भाल ।

श्री डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सचिव

श्री परमात्मा शरण पचौरी, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

अधीक्षक

श्री नानक शरण श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सरकार

राज्यपाल

श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी

मन्त्रि परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा गृह मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, वित्त, विद्युत, वन तथा सहकारी मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि, सहायता तथा पुनर्वास मंत्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, आबकारी, तथा रजिस्ट्रेशन मंत्री ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, नियोजन, उद्योग खाद्य व रसद तथा स्वास्थ्य मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, माल तथा परिवहन मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा स्वशासन मंत्री ।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

आचार्य जुगल किशोर, एम० ए० (आक्सन) श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री

सभा सचिव

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से)

श्री परमात्मा नन्द सिंह, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री के सभा सचिव ।

एडवोकट जनरल

श्री कन्हैया लाल मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१	अजय कुमार वसु श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२	अब्दुल शकूर नजमी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३	अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री	..	नाम निर्देशित
४	इन्द्र सिंह नयाल, श्री ..	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र
५	ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
६	उमा नाथ बली, श्री	..	नाम निर्देशित
७	एम० जे० मुकर्जी, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
८	कन्हैया लाल गुप्त, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
९	काशी नाथ पांडे श्री	..	नाम निर्देशित
१०	कुंवर गुरु नारायण, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
११	कुंवर महावीर सिंह, श्री	..	,, ,,
१२	केदार नाथ खेतान, श्री	..	,, ,,
१३	कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	..	,, ,,
१४	खुशाल सिंह, श्री	..	,, ,,
१५	गोविन्द सहाय, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
१६	चन्द्र भाल, श्री (चेयरमैन)	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
१७	जगदीश चन्द्र वर्मा, श्री	..	स्थानीय संस्थाये निर्वाचन क्षेत्र
१८	जगन्नाथ आचार्य, श्री	..	,, ,,
१९	जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	..	,, ,,
२०	ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री	..	,, ,,
२१	तारा अग्रवाल, श्रीमती	..	नाम निर्देशित
२२	तेलू राम, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
२३	दीप चन्द्र, श्री ..	..	,, ,,
२४	नरोत्तम दास टंडन, श्री	..	,, ,,
२५	निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	..	,, ,,
२६	निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
२७	प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
२८	प्रभु नारायण सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
२९	प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री	..	,, ,, ,,
३०	प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री	..	,, ,, ,,
३१	पन्ना लाल गुप्त, श्री	..	,, ,, ,,
३२	परमात्मा नन्द सिंह, श्री	..	,, ,, ,,
३३	पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
३४	प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
३५	बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
३६	बालक राम वैश्य, श्री	..	,, ,, ,,
३७	बाबू अब्दुल मजीद, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
३८	बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
३९	बीर भान भाटिया, डाक्टर	..	नाम निर्देशित
४०	बेणी प्रसाद टंडन, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४२	ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४३	ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
४४	महफूज अहमद किदवई, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४५	महमूद अस्लम खां, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४६	महादेवी वर्मा, श्रीमती	..	नाम निर्देशित
४७	राना शिव अम्बर सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
४८	राम किशोर रस्तोगी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
४९	राम नन्दन सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५०	राम नारायण पांडे, श्री	..	,, ,, ,,
५१	राम लखन, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५२	राम लगन सिंह, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५३	रुक्नुद्दीन खां, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५४	लल्लू राम द्विवेदी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५५	लालता प्रसाद सोनकर, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५६	लाल सुरेश सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
५७	विजय आफ विजयानगरम्, डाक्टर महाराज कुमार	..	नाम निर्देशित
५८	विश्व नाथ, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
५९	शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
६०	शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६१	शान्ति देवी, श्रीमती	..	,, ,,
६२	शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
६३	शिव प्रसाद सिन्हा, श्री	..	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
६४	शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
६५	श्याम सुन्दर लाल, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६६	सभापति उपाध्याय, श्री	..	नाम निर्देशित
६७	सरदार सन्तोष सिंह, श्री	..	,, ,,
६८	सावित्री श्याम, श्रीमती	..	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
६९	सैयद मुहम्मद नसीर, श्री	..	,, ,,
७०	हृदय नारायण सिंह, श्री	..	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र
७१	हयातुल्ला अन्सारी, श्री	..	नाम निर्देशित
७२	हरगोविन्द मिश्र, श्री	..	,, ,,

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१६ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, मे दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई ।

उपस्थित सदस्य (५१)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
काशी नाथ पान्डे, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डे, श्री
राम लखन, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
वेणी प्रसाद टन्डन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, वन व सहकारी मन्त्री)
श्री चरण सिंह (माल व परिवहन मन्त्री)
श्री गिरधारी लाल (आबकारी, रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प्स मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

मथुरा और वृन्दावन शहरों में बिजली के सम्बन्ध में शिकायते

१—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार के पास हाल ही में मथुरा और वृन्दावन शहरों में बिजली के देने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें आई हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

1. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (Teachers' Constituency)—(*a*) Has the Government recently received any complaints about the supply of electricity in the towns of Mathura and Vrindaban ?

(b) If so what steps did the Government take to meet such complaints ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, वन व सहकारी मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) शिकायतें दूर कर दी गई हैं।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim (Minister for Finance, Power, Forest and Co-operation)—(*a*) Yes.

(*b*) The complaints have been removed.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—ये शिकायतें क्या थीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक तो वोल्टेज की शिकायत थी, दूसरी रोस्टरिंग प्रोग्राम की शिकायत थी और इसी तरह की दो-चार शिकायतें हैं, जिनको मैं पढ़ कर यहां पर सुना सकता हूं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं उन्हें भी जानना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन—जो प्रश्न आपने किये थे उनकी सूचना देने से पहले आपको शिकायतें मालूम हो गयी होंगी, तभी आपने ये प्रश्न किये हैं। इसलिये वे शिकायतें क्या थीं, यह तो आप को मालूम होना चाहिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, सारी शिकायतें मुझे मालूम नहीं थीं। मुझसे बहुत से लोगों ने भी कहा और इस तरह के बहुत से खत भी मेरे पास भेज गये, लेकिन सरकार ने उन पर कुछ नहीं किया है।

श्री चेयरमैन—मैं समझता हूं कि मेम्बरों को भी खुद पता लगाना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, जिनका मेम्बर खुद पता लगा सकते हैं। जो सूचना वह स्वयं मालूम नहीं कर सकते हैं, वह पूछना ठीक है। प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में सरकार का जो समय लगता है, वह पब्लिक का समय है और उन के जवाब देने में पब्लिक का काफी रुपया भी खर्च होता है। जो सूचना सदस्यों को मालूम नहीं होती है, वह सरकार से पूछना उन का हक और कर्त्तव्य भी है। लेकिन जिन बातों का पता उनको स्वयं लग सकता है वह पूछना ठीक नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा है कि मुझे हक नहीं है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुये इसको छोड़ सकता हूं। लेकिन जो सूरत है, उसको देखते हुये मैंने अपने हकों के अनुसार ठीक ही पूछा है। मैं आपको और गवर्नमेंट को इस प्रश्न के लिये सटिसफाई कर सकता हूं कि इसकी बुनियाद थी। लेकिन अगर आप आज्ञा दें, तो मैं इसको छोड़ सकता हूं।

श्री चेयरमैन——मैं सदस्यों के प्रश्न करने के हक कम करने के पक्ष में कभी भी नहीं हूं। लेकिन सदस्य बहुत से ऐसे सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब उनको पहले ही से मालूम होता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——इस तरह के सवाल कई हैं। जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है, इसमें मैंने बतलाया कि एक तो वोल्टेज की शिकायत हो सकती थी और दूसरी रोस्टरिंग प्रोग्राम की शिकायत थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गयी, जिससे वे शिकायतें दूर हो गयीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——वह शिकायतें मेरे नजदीक ऐसी थीं जिसमें कम्पनी का ज्यादा कसूर नहीं था। वह तो अलीगढ़, जहां से ली जा रही थी, वहां से पावर को बढ़ाने की शिकायत थी और वह अब बढ़ा दी गयी है। दूसरी यह थी कि लोड ज्यादा था और उस जमाने में बिजली की शारटेज थी, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं दिये जाते थे और रोस्टरिंग प्रोग्राम से बिजली चलती थी। दूसरी बात यह थी कि लाइन भी कमजोर थी, जिससे यह शिकायत पैदा होती थी, लेकिन अब अपनी लाइन बन गयी है, और बिजली की भी कमी नहीं रही है, इसलिये अब शिकायत नहीं हो सकती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर खास तौर से डिसकशन चाहता हूं क्योंकि मेरी समझ में मन्त्री महोदय ने जो स्टैटमेंट दिया है, फैक्ट्स उसके खिलाफ हैं।

श्री चेयरमैन——आप कायदे के अनुसार इसके लिये नोटिस दे दें।

२——३——**श्री कन्हैया लाल गुप्त**——[स्थगित]

४——**श्री कन्हैया लाल गुप्त**——(क) क्या पिछले दो वर्षों में वृन्दावन की बिजली की कम्पनी के खराब काम के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कुछ शिकायतें बिजली के इन्सपेक्टर और बिजली के चीफ इन्जीनियर के पास भेजी गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायतों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

4. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Have some complaints been made during the last two years about the working of the Electric Supply Company at Vrindaban by the consumers to the Electrical Inspector and the Chief Engineer, Electricity ?

(*b*) If so, what action, if any, has been taken on the said complaints.

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——(क) जी हां।

(ख) शिकायतें दूर कर दी गई हैं।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—(*a*) Yes.

(*b*) The complaints have been removed.

श्री कन्हैया लाल गुप्त——मैं यह जानना चाहूंगा कि इन शिकायतों को भी किस प्रकार से दूर कर दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——बात यह है कि बहुत सारी शिकायतें तो इसी वजह से थीं कि वहां लाइन की खराबी थी, यदि आप और भी सूचना देंगे तो उनको भी दूर कर दिया जायेगा। बहरहाल, जो मेरी सूचना थी। वह सभी मैंने ठीक कर दी है। दूसरा जो

आपका मावल स्टाफ से ताल्लुक रखता है तो वह इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिये मैं इसके बारे में इस समय नहीं कहता हूं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री महोदय का यहां पर जो स्टेटमेंट है, वह भी अपने आप में फैक्ट्स के खिलाफ है, इसलिये मैं इस पर भी आधे घंटे का डिस्कशन चाहूंगा।

श्री चेयरमैन—आप लिखित रूप में जब इस प्रकार की सूचना देंगे तो उसमें सभी प्रश्नों का, जिन पर आप बहस चाहते हैं, जिक्र कर दें क्योंकि वह सब प्रश्न एक ही विषय पर है।

उत्तर प्रदेश में पावर लाइसेन्सी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियम

५—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश मे एक पावर लाइसेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और योग्यताओं के विषय में नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

(ख) क्या सरकार के पास मथुरा और वृन्दाबन के लाइसेंसियों द्वारा इन नियमों के पालन न करने के विषय में कुछ शिकायतें आई हैं ?

5. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Will the Government lay on the table a copy of rules with regard to the number and qualifications of the staff to be employed by a power licensee in Uttar Pradesh ?

(*b*) Has the Government received any complaints about the non-observance of these rules by the licensees in Mathura and Vrindaban ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह (समाज कल्याण तथा श्रम मन्त्री के सभा सचिव)—(क) ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Sri Parmatma Nand Singh (Parliamentary Secretary to the Ministry for Social Welfare and Labour)—(*a*) There are no such rules.

(*b*) The question does not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या ऐसे नियमों की आवश्यकता सरकार कभी अनुभव कर चुकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मेम्बर साहबान को जान लेना चाहिये कि ऐसी बातें सवालों के जरिये से पूछना या बताना जरूरी नहीं है। बिजली के बारे में एक ऐक्ट सन् १९१० का बना हुआ है, जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है, उसी के मातहत रूल्स बनते हैं और उन्होंने इस सबजेक्ट के कोई रूल नहीं बना रखे हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह बात ठीक है कि यू० पी० सरकार की तरफ से इस बारे में कहा गया था कि वह केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव भेज रही है कि ऐसे नियम अवश्य ही बनने चाहियें ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं खास तौर से नियमों की बात नहीं कहता, बल्कि जो शार्ट कमिंग्स यहां की गवर्नमेंट को इस ऐक्ट के मुताल्लिक मालूम हुई और जो कायदे इसके मातहत बने हैं, उनके मुताल्लिक जो मालूमात हुई उनकी बाबत हमने लिखा ही है।

बिजली कम्पनी द्वारा बिजली की न्यूनतम दरें नियत करने के सम्बन्ध में नियम

६—श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार उन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी, जिनके द्वारा प्रदेश में एक बिजली की कम्पनी को बिजली के इस्तेमाल के लिये कम से कम कितनी दरें नियत करने का अधिकार है ?

6 **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—Will the Government lay on the table a copy of rules with regard to the minimum charges for consumption of electric current which an Electric Supply Company, is entitled to levy on its consumers in Uttar Pradesh ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिजली के इस्तेमाल पर न्यूनतम दरें निर्धारित करने का अधिकार बिजली कम्पनियों को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१०, की अनुसूची के खंड ११ (ए) द्वारा प्राप्त है। इसकी एक प्रतिलिपि* मेज पर रक्खी है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The licensees are authorised to levy a minimum charge on the consumers in accordance with clause XI-A of the schedule to the Indian Electricity Act, 1910, a copy of which is placed on the table.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या यह सही ह कि जब चेरिटेबिल हास्पिटल को कनेक्शन नहीं दिया गया, उसी समय प्राइवेट लोगों को कनेक्शन दे दिये गये ?

श्री चेयरमैन—इस प्रश्न का आपके मूल प्रश्न के उत्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यदि मन्त्री महोदय चाहें तो इसका जवाब दे दें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वैसे तो इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अभी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ऐसा हुआ है। अगर ह तो मेम्बर मुझे याद दिला दें और मालूम करा दें।

सन् १९५३ ई० में वृन्दावन के एक खैराती अस्पताल को अतिरिक्त बिजली देने से मनाही

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि सन् १९५३ में वृन्दावन के एक खैराती अस्पताल को अतिरिक्त बिजली देने से इन्कार किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

7. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(*a*) Is it a fact that a charitable hospital in Vrindaban was refused additional power load in the year 1953 ?

(*b*) If so, why ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी हां।

(ख) उस समय बिजली देना प्रावैधिक रूप से (technically) संभव नहीं था।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—(*a*) Yes.

(*b*) At that time it was not technically feasible to afford the supply.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—इसी प्रश्न के लिये ही मैंने सवाल किया था।

श्री चेयरमैन—इस सम्बन्ध में नियम यह है कि पहले मूल प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है और फिर उसके बारे में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

*देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या ४८ पर

†See नत्थी 'क' on page 48

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैंने समझा था कि यह प्रश्न हो चुका है इसी लिये मैंने इसके सम्बन्ध में प्रश्न किया था। अब चूंकि मैंने पहले प्रश्न किया उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। फिर जब मन्त्री जी के पास इसकी सूचना ही नहीं है तो पूछ कर भी क्या करूं।

वृन्दावन की बिजली का अक्सर अधिक समय के लिए फेल हो जाना

८—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) क्या यह ठीक है कि पिछले दो वर्षों से वृन्दावन की बिजली अक्सर अधिक समय के लिये फेल होती रहती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

8. **Sri Kanhaiya La' Gupta**—(*a*) Is it a fact that during the last two years a large number of trippings of long duration a'e occurring in the electric supply in Vrindaban ?

(*b*) If so, what action Government has taken to stop them ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी हां।

(ख) रोस्टरिंग प्रोग्राम को बिजली कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से पालन न करने के कारण तथा वृन्दावन की पोषक लाइन (feeder) के भाराक्रांत होने के कारण बिजली की सप्लाई में विघ्न हुये। अतएव बिजली कम्पनी को रोस्टरिंग प्रोग्राम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिये आदेश दिया गया है तथा वृन्दावन की पोषक लाइन (feeder) को, जो वृन्दावन तथा मथुरा दोनों को बिजली देती थी, मथुरा के भार से मुक्त कर दिया गया है। आशा की जाती है कि अब बिजली की सप्लाई में विघ्न न पड़ेंगे।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim: (*a*) Yes.

(*b*) The tripping occurred due to non-enforcement of rostering programme by the Electric Supply undertaking strictly and the Overloading of Vrindaban feeder. The undertaking has, therefore, been asked to enforce the rostering schedule rigidly and the Vrindaban feeder, through which energy was supplied both to Vrindaban and Mathura, has now been relieved of Mathura load. It is now hoped that trippings will not occur.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—यह आदेश कब दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—क्या आप तारीख की बाबत पूछना चाहते हैं ?

श्री कन्हैया लाल गुप्त—जी हां।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त मुझे तारीख तो मालूम नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय यह सवाल पूछा गया था तो क्या सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह इस बात के लिये भी तैयार रहे कि वह इसको तारीख बतला सके ?

श्री चेयरमैन—मुझे यह फिर दोहराना पड़ता है कि जो पूरक प्रश्न सरकार से पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य यह होता है कि जो जानकारी गवर्नमेंट के पास हो, वह आप को दे दी जाय। किन्तु पूरक प्रश्नों द्वारा हर प्रकार की सूचना दिये जाने का इसरार नहीं किया जा सकता है। पूरक प्रश्नों के उत्तर में जो सूचना संभव हो सकती है वह सदस्यों को दे दी जाती है। इस किस्म का पूरक प्रश्न कि कहीं एक बिजली कम्पनी है, वह क्या कर रही है, नहीं पूछा जा सकता है। मैं इस तरह के प्रश्नों के लिये इजाजत नहीं दे सकता।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---यह मैंने नहीं कहा था कि कम्पनी क्या करती है, लेकिन बिजली की जो मुसीबत कन्ज्यूमर्स पर है और उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था है, उसी की बाबत मेरा प्रश्न है ?

श्री चेयरमैन---प्रश्नोत्तर के समय पूरक प्रश्नों द्वारा आप इस तरह की विस्तृत सूचना नहीं मांग सकते हैं। यदि आप इतने विस्तार में जानकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिये आप रेज्योल्यूशन मूव कर सकते हैं, या सेन्सर मूव कर सकते हैं। वह आपका अधिकार है। लेकिन प्रश्नों के वक्त तो जो गवर्नमेंट के पास सूचना इस समय तैयार होती है, वही दी जा सकती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---इस तरह से अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरीज का हक मेम्बरों के लिये रखा गया है, वह खत्म हो जाता है।

श्री चेयरमैन---इस तरह से आप इस पर यहां बहस नहीं कर सकते हैं। आप इस सम्बन्ध में मुझसे मेरे चेम्बर में मिल लें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---मैं समझता हूं कि चूंकि मेम्बरों की हकतलफी हो रही है, इसलिये मैं वाक आउट करता हूं।

श्री चेयरमैन---चेयर की रूलिंग के खिलाफ उठ कर चला जाना चेयर के लिये काफी एतराज की बात है, इसलिये यह मामला प्रिविलेज कमेटी में जायेगा।

सरकारी फायर स्टेशनों की पुरानी मोटरों तथा ट्रेलर पम्पों को वाटर ट्रैंकरों के रूप में परवर्तित किया जाना

९---**श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---क्या सरकार बतायगी कि वह सरकारी फायर स्टेशनों की कितनी पुरानी मोटरों तथा ट्रेलर पम्पों को वाटर ट्रकरों के रूप में परिवर्तित करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---तीन ट्रेलर पम्पों तथा तीन टाविंग मोटर गाड़ियों को ३ वाटर टैंकरों में परिवर्तित किया जा रहा है।

१०---**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार**---क्या इस प्रकार परिवर्तित कराने के निर्माण-काय के लिये किसी प्रकार के टेंडर आमन्त्रित किये गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस कार्य के लिये २७ प्रमुख तथा प्रसिद्ध फर्मों से कोटेशन आमन्त्रित किये गये थे।

११---**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार**---क्या सरकार कृपा कर सूचित करेगी कि ये विज्ञापन किन-किन समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---चूंकि कोटेशन मंगाये गये थे अतएव कोई टन्डर समाचार-पत्र द्वारा नहीं मंगाया गया।

१२---**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार**---(क) क्या सरकार कृपा कर बता[illegible] प्रकार के परिवर्तन के काम में सरकार का कुल कितना व्यय होगा ?

(ख) यह परिवर्तित टकर कितने समय तक ठीक प्रकार कार्य कर स[illegible]

आदि सं० -५५
१
ता०
१९-१२-५५

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---(क) ३६,०००६० ।

(ख) अन्दाजा है कि यह परिवर्तित टैंकर पांच वर्ष से अधिक समय तक काय कर सकेंगे ?

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—यह ३६,००० रुपया जो रखा गया है यह १ टैंकर का दाम है या तीन टैंकर का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें सवाल यह था कि परिवर्तन के काम में सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ तो उसी का यह रुपया है और यह कुल टोटल है।

१३—श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि—

(क) इसी परिमाण के नये वाटर टैंकरों को खरीदने में सरकार का क्या व्यय होगा ? और

(ख) नये टैंकर कितने समय तक ठीक कार्य कर सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) ऐसे एक नये वाटर टैंकर का मूल्य लगभग ३०,००० रु० से ३५,००० रु० के अन्तर्गत होगा।

(ख) एक नया वाटर टैंकर लगभग १० वर्ष तक कार्य कर सकता है ?

बिन्दकी व फतेहपुर में कानपुर से विद्युत् का पहुंचना

१४—श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिन्दकी व फतेहपुर में विद्युत् कानपुर से कब तक पहुंचेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आशा है कि बिन्दकी व फतेहपुर के कस्बों का विद्युतीकरण १९५६ में आरम्भ हो जायगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ में काम क्यों नहीं शुरू हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसलिये कि इस काम को सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में रखा गया था।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फतेहपुर और बिन्दकी में बिजली ले जाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिली थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं तो।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन देना

***१५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ दिसम्बर, १९५५ को उत्तर प्रदेश में जिलेवार किन-किन राजनैतिक पीड़ितों को कितनी-कितनी पेन्शन दी जा रही थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिन लोगों को सहायता दी जाती है, उनके नामों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अशोभन प्रतीत होता है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष की बाबत जानना चाहें, तो मेरे कार्यालय में देख लें।

सन् १९५५ ई० में मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश में साम्प्रदायिक झगड़े

१६—श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि १९५५ में मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक झगड़े हुये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) (१) डलमऊ, जिला रायबरेली, (२) फतेहपुर, (३) नौगवां, जिला रामपुर।

*प्रश्न संख्या १५ श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा पूछा गया।

आदि संख्या २ ता० १६-१२-५५

१७--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन उपयुक्त स्थानों में दफा १४४ और कर्फ्यू कितने-कितने दिन के लिये लगाये गये?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--डलमऊ में दफा १४४ एक महीने के लिये लगाई गई थी। फतेहपुर में दफा १४४, १४ दिन के लिये और कर्फ्यू ६ दिन के लिये लगाया गया था।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कर्फ्यू लगाने के कारण मुसलमानों का कोई मुहर्रम का जलूस नहीं निकाला गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुसलमानों का जलूस कर्फ्यू की वजह से रह गया हो, बिल्कुल न निकला हो, इसकी इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

१८--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार बतायेगी कि दफा १४४ के कारण पुलिस द्वारा जो लाठियां उक्त स्थानों पर जब्त की गयीं, उनकी रसीद नहीं दी गई है? ३ १९-१२-५५

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क और ख) लाठियां सिर्फ फतेहपुर में ली गई थीं इनके लिये रसीद देने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लाठियों की रसीद देने की पहले व्यवस्था थी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरे ख्याल में पहले भी नहीं थी।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि पहले इसकी व्यवस्था थी कि रसीदें दी जाती थीं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने बताया कि सन् १९२० से पहले की बात तो मैं कह नहीं सकता। सन् १९२० से बाद का हाल तो मुझे मालूम है।

१९--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त अवसरों पर छीनी गई लाठियों का क्या किया गया? ४ १९-१२-५५

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जब्त की गई लाठियां सरकार की हो जाती हैं और उनका भुगतान कानून के अनुसार होता है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--यह भुगतान के क्या माने हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--भुगतान से मतलब है कि सरकार जो चाहे कर ले। किसी और काम में लगा ले।

श्री पन्ना लाल गुप्त--कानून के अनुसार जो लाठियां होती है, उनकी क्या व्यवस्था है। सरकार किस तरह जब्त करती है?

श्री चेयरमैन--मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता, आप कोई दूसरा सवाल करें।

२०--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फतेहपुर शहर में १९५५ में मुहर्रम की ६ तारीख को साम्प्रदायिक दंगे के समय जलूस के साथ लगाई गई सिविल व हथियारबन्द पुलिस की क्या संख्या थी? ५ १६-१२-५५

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुहर्रम की ५ वीं तारीख को दंगा हुआ था। उस समय जलूस के साथ २ सब इन्स्पेक्टर, ५ हेड कान्स्टेबुल, २९ कान्स्टेबुल सिविल पुलिस के तथा १ हेड कान्स्टेबुल व ३ कान्स्टेबुल की एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई थी?

श्री पन्ना लाल गुप्त--जब इतने कान्स्टेबुल और सब इन्स्पेक्टर मौजूद थे तो बलवे के मौके पर कितनी गिरफ्तारियां हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गिरफ्तारियों की इन्फार्मेशन है नहीं इस वक्त मेरे पास।

आदि संख्या ६ ता० १६-१२-५५

२१--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त दंगे के समय फतेहपुर में चोगलिया के पास की दुकानें लूटी गयीं ?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) जी हां।

(ख) दो केस दर्ज किये गये जिनमें ४६ अभियुक्तों का चालान किया गया, दोनों मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--दो मुकद्दमे चल रहे है, वे किस दफा के अनुसार चल रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो कोई खास इन्फार्मेशन की बात नहीं है। मैं आजकल अगर वकालत करता होता तो फौरन बता देता कि किस दफा के मातहत मुकद्दमे चल रहे हैं। दफायें इस समय मुझे याद नहीं है।

७ १६-१२-५५

२२--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त झगड़े के लिये जिम्मेदार किन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कोई भी अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार नहीं पाया गया।

फतेहपुर जिले में कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरियों और बलवों की संख्या

८ १६-१२-५५

२३--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या सरकार बतायेगी कि १-१-५४ से ३०-८-५५ तक फतेहपुर जिले म कितने कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरियां और बलवे हुये ?

(ख) इनमें से कितने मामलों में सजा हुई है और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क और ख) मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी* नक्शे में देखी जा सकती है ?

९ १६-१२-५५

२४--**श्री पन्ना लाल गुप्त**--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश फतेहपुर ने कोई पीस कमेटी (Peace Committee) की मीटिंग सितम्बर, १९५५ में बुलाई थी ?

(ख) यदि हां, तो उसने क्या क्या काम किये और कितने प्रस्ताव पास किये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मम इब्राहीम--(क) जी हां।

(ख) सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस सिद्धांत का प्रचार किया जाय कि किसी सम्प्रदाय के व्यक्ति दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक त्योहारों के मनाने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह भी तय हुआ कि हिन्दू तथा मुस्लिम नेताओं के हस्ताक्षर से इस आशय की अपील निकाली जाय कि सब लोग एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों के मनाने में सहयोग प्रदान करें।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई सामूहिक अपील या सार्वजनिक सभा हुई ?

---

*देखिए नत्थी 'ख' पृष्ठ ४८।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जवाब में लिखा है।

श्री पन्नालाल गुप्त--मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद कोई अपील निकाली गई या सार्वजनिक सभा की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो उनका काम रहा है, जिन्होंने मीटिंग की।

श्री पन्ना लाल गुप्त--मीटिंग तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलाई थी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलाई या पब्लिक के आदमियों ने की। मीटिंग करना तो उनका काम रह जाता है कि जो मीटिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी बात को समझाने के लिये बुला ले तो यह काम उसका तो है नहीं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--सवाल २३ से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--प्रश्न २४ पर पूरक प्रश्न हो जाने के बाद प्रश्न २३ पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

वन विभाग में ड्राफ्ट्समैनों की जगह तथा वेतन सम्बन्धी मामले

*२५--श्री इन्द्रसिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वन विभाग में ड्राफ्ट्स मैनों की कुछ जगह हैं?

आदि संख्या १० ता० १९-१२-५५

25. **Sri Indra Singh Nayal** (Local Authorities Constituency) (*Absent*)—Will the Government state if there are some posts of Draftsmen in the Forest Department ?

Original No. 10 Date. 19-12-55

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, हां।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—Yes.

२६--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--क्या वन विभाग में अनुभवी और योग्य ड्राफ्ट्समेन हैं जिनको कि अनक्वालीफाइड स्केल में वेतन मिलता है ?

११ १९-१२-५५

26. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Are there experienced and deserving Draftsmen in the Forest Department who have been getting pay in the unqualified scale ?

11 19-12-55

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वन विभाग में जितने क्वालिफाईड ड्राफ्ट्समैन हैं उनको क्वालिफाइड स्कल में यानी १२०-६-१६२-ई० बी०-६-२१०-ई० बी०-१०-२५० रु० के स्केल में वेतन मिलता है और जितने भी अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैन हैं उनको अनक्वालीफाइड स्केल में यानी ८५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० रु० के स्केल में वेतन मिलता है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—In Forest Department, those who are qualified Draftsmen are getting their pay in the scale of Rs. 120—6—162—EB—6—210—EB—10—250 and the unqualified Draftsmen are getting their pay in the scale of Rs. 85—5—120—EB—8—200.

२७--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--क्या सन् १९५५ में वन विभाग ने अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैनों के लिये वही वेतन दरें पुनःस्थापित की थीं जो कि सन् १९४७ में दूसरे विभागों द्वारा दी जाती थी यानी ८५-५-१२०-ई० बी०-८-२०० ?

१२ १९-१२-५५

*प्रश्न संख्या २५ से २८ तक श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

Original No. 13 Date 19-12-45

27. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Has the Forest Department introduced in 1955 the same pay scale for unqualified Draftsmen as was given by the other departments in 1947 i.e. 85—5—120—E.B.—8—200 ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी, हां।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim--Yes.

आदि संख्या १३ ता० १९-१२-५५

२८—**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)—सरकार उन प्रवेशकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है जो कि वन विभाग में अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समनों की पुनरीक्षित वेतन-दरों पर काम कर रहे हैं और जो कि निकट भविष्य में अवकाश ग्रहण करने वाले हैं ?

12 19-12-55

28. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—What steps does the Government intend to take to remove the hardship caused to those entrants to the revised scales of pay of unqualified Draftsmen in the Forest Department who are on the verge of retirement ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वन विभाग में समस्त क्वालीफाइड और अनक्वालीफाइड ड्राफ्ट्समैनों का वेतन पुनरीक्षित वेतन दरों पर निर्धारित कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The pay of all the Qualified and unqualified Draftsmen in the Forest Department has been fixed in the revised scales of pay. Besides this, nothing has been done.

२९—३३—**श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(सिंचाई मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

३४-३५—**श्री तेलू राम** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(सिंचाई मन्त्री के इच्छानुसार स्थगित किये गये)।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चपरासियों को ज्यादा समय काम करने का ओवर टाइम एलाउंस दिया जाना

१९-

३६—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के चपरासियों को ज्यादा समय तक काम करने का कोई ओवर टाइम अलाउन्स दिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो किस हिसाब से ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सचिवालय के चपरासी भी पूर्णकालिक (wholetime) सरकारी कर्मचारी हैं। अतः उन्हें (Overtime allowance) देने का प्रश्न नहीं उठता।

३७-३८—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (अनुपस्थित)—(स्थगित)।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाने वाली धनराशि

*३९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से कितना धन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाने वाला है ?

४०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह धन केन्द्रीय सरकार द्वारा इकट्ठा दिया जायगा या अलग-अलग कार्यों के लिये अलग अलग रकमें दी जायेंगी ?

(ख) यदि अलग कार्यों को रकमें दी जायेंगी तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना धन दिया जायगा ?

४१--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा कितना धन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से मांगा गया था ?

४२--श्री प्रताप चन्द्र आजाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना धन द्वितीय पंच वर्षीय योजना पर अपने कोष से खर्च करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (३९-४२)--द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी अन्तिम रूप से बनी नहीं हैं। इस कारण उस योजना पर प्रदेश की सरकार कितना खर्च करेगी और केन्द्रीय सरकार से कितना धन किस प्रकार प्राप्त होगा, ये बातें अभी अनिर्णीत हैं।

सन् १९५४ ई० का उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५४ ई० के उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३ दिसम्बर, सन् १९५५ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का २३ वां अधिनियम बना।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--मैं घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक पर श्री राज्यपाल की अनुमति १७ दिसम्बर, १९५५ को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का १९५५ का २४ वां अधिनियम बना।

सन् १९५५ ई० का जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक

सचिव, विधान परिषद्--मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५५ ई० का जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, जो कि विधान सभा ने ११ जनवरी की बैठक में पारित किया है और यहां आज ११ बजकर २० मिनट पर आया, मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन, रूल्स १९३५ में किये गये संशोधन

श्री परमात्मा नन्द सिंह--मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७६८--टी (एम)/३०--४४६६-५५-टी, दिनांक २३ सितम्बर, १९५५, जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३६ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*प्रश्न संख्या ३९-४२ श्री एम० जे० मुकर्जी द्वारा पूछे गये।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन

श्री परमात्मा नन्द सिंह—मैं वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३२२८-टी (एम), ३०—४४५८-टी-५५; ४०५०-टी (एम)-३०-४४३४-टी—५४ तथा ४०९४-टी (एम) ३०—४४६०-टी-५५, दिनांक क्रमशः ७ अक्तूबर, तथा ११ नवम्बर, १९५५; जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री चेयरमैन—रूल्स रिवाईजिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रेस से नहीं आई है, उम्मीद है कि तीसरे पहर तक आ जायगी, तब वह उपस्थित की जायगी।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक

***श्री चरण सिंह** (माल तथा परिवहन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्रीमान्, यह चकबन्दी २१ जिलों में चल रही है, १६ जिलों में तो पहले से चल रही थी और पांच में अभी हमने नवम्बर और दिसम्बर से शुरू की है। जैसा मैंने पहले भी एक-दो बार सदन के सामने अर्ज किया होगा कि जैसे जैसे चकबन्दी का काम बढ़ता जाता है और तजुर्बा हमारे अफसरान को होता जा रहा है, तो उस तजुर्बे की रोशनी में जो खामियां हमारे कानून और कवायद में रह गई हैं, उनके संशोधन के लिये मैं तब तक विधान मंडल के सामने आता रहूंगा जब तक तो चार तहसीलों में चकबन्दी पूर्णरूप से हो न जाय। यह दूसरा संशोधन विधेयक है जिसमें सिवा एक या दो बातों को छोड़ कर बाकी जो संशोधन हैं वह छोटे-मोटे जाब्ते के मामले हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक को पढ़ कर आये होंगे और जितनी धारायें हैं वह सब उनके जेहन में होंगी। लेकिन फिर भी मैं यह जरूरी समझता हूं कि मोटे अल्फाज में हर धारा, जो कि संशो-धन विधेयक में है, किस उद्देश्य से है, उसको माननीय सदस्यों के सामने रख दूं, तो मुमकिन है कि मेरे कुछ दोस्तों को आसानी हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह धारा नम्बर दो जो है, उसकी मंशा यह है कि जो आज हमारे अधिनियम का सेक्शन तीन है, उसमें जो चकबन्दी की परिभाषा की गई है और चकबन्दी की परिभाषा के अन्दर जो लफ्ज जोत आया है, होल्डिंग आया है, उस होल्डिंग को मौजूदा एक्ट में यह लिखा है कि उसमें अमुक किस्म की जमीन शामिल नहीं होगी। उसमें दो प्रकार की जमीनों का जिक्र है कि यह होल्डिंग में शामिल चकबन्दी की गरज के लिये नहीं मानी जायेंगी। एक तो वह जमीन जिसमें एक साल पहले यानी उस तारीख से पहले, जिस तारीख में हमने वहां कन्सालिडेशन शुरू किया, उससे एक साल पहले वहां बाग लगा हुआ था, वह चकबन्दी के बाहर रहेगी। एक तो यह पहले से अपवाद है। दूसरे यह कि जिस जमीन में बहुत बड़ा कटाव हो रहा हो पानी का। यह दोनों किस्म की जमीनें मौजूदा कानून के मातहत होल्डिंग में शामिल नहीं मानी जाती। लेकिन अब तजुर्बे से मालूम हुआ है कि कुछ और भी जमीनें हैं, जो होल्डिंग में नहीं मानी जानी चाहियें। चकबन्दी के ख्याल से वह जमीनें जो जमींदारी एबालिशन और लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा १३२ के अन्दर गिनवाई गई हैं। वह ऐसी जमीनें हैं, जहां सिंघाड़ा होता है, जहां एफारेस्टेशन होता है और ऐसी खेती हो कि साल दो साल एक फसल हुई और फिर दूसरी हुई। इसके लिये लफ्ज है अंग्रेजी में शिफ्टिंग या अनडस्टेबिलइड कल्टीवेशन। यह सब जमीनें भी सिवा पशुचर, चरागाह को छोड़कर होल्डिंग में शामिल नहीं मानी जायेंगी, यानी वह जमीनें जो चरागाह के लिये शामिल हो रही हैं, वह तो शामिल होंगी और बाकी और जमीनें जो १३२ में गिनाई गई हैं, वह

---

* मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

जमीनें चकबन्दी में शामिल नहीं होंगी। पहली धारा तो यह है। दूसरी यह है कि हमारा जो मौजूदा ऐक्ट है उसका सेक्शन ५ यह कहता है कि जिस रोज गजट होगा, उसी रोज से माना जायगा ।

हम यह करने जा रहे हैं कि उस रोज से नहीं, बल्कि विज्ञप्ति में आगे की तारीख रख दी जाय। क्लाज ४ में अब तक यह था कि हम सिर्फ जो खसरा और खतौनी है. उसमें संशोधन कर सकते थे। लेकिन अब यह करने जा रहे हैं कि मैप और रख दिया जाय । यह धारा ५ है उसकी मंशा यह है, अब तक जो कानून बना हुआ है वह यह कि जहां हमारे अफसरान या राजकर्मचारी गांव में पड़ताल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यहां गलतियां कम नहीं हैं बल्कि बहुत ज्यादा है तो वहां अजसरेनौ रिकाड आफ सरवे आपरेशन कर दिया जाय और इसके लिये राजकर्मचारी सरकार के पास सिफारिश करेंगे। जहां थोड़ी गलतियां हैं, वहां सेक्शन ९ के मातहत करेक्ट कर दी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, यह मतलब हुआ कि जहां रिकार्ड आफ सरवे आपरेशन करना जरूरी हो, वहां राज कर्मचारी पड़ताल करने के बाद गवर्नमेंट के पास सिफारिश करें, तब रिकार्ड आफ सरवे आपरेशन हो सकता है। तो इसमें समय भी अधिक लगता है और खर्च भी होता है और यह तो पहले ही मालूम हो जाता है कि इस जगह पर गलतियां ज्यादा हैं और रिकार्ड आफ सरवे आपरेशन करना है तो वहां पड़ताल की जरूरत नहीं मालूम पड़ती है। इसलिये यह तरमीम करने जा रहे हैं कि यह लाजिमी नहीं है कि अफसरान पड़ताल करें और उसके बाद सिफारिश करें, तब रिकार्ड आफ सरवे आपरेशन हो, बल्कि जहां सरकार चाहे वहां कर सकती है और हमारे अफसरान का मशविरा आयेगा ही और बाकी जो है, वह सेक्शन ९ के मातहत हो जायेगा। इसमें खर्चा बचाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, धारा ६ की मंशा यह है, अब तक धारा १० ए बनी हुई है, उसमें जो खातेदार अपने खातों को तकसीम कराना चाहें तो दफा ४ की विज्ञप्ति के बाद धारा ९ के मातहत तरमीम हो जायेंगी और उसके बाद १५ दिन का मौका है दरख्वास्त देने का। वह दरख्वास्त ए० सी० ओ० के सामने देगा कि हमारा यह खाता तकसीम कर दिया जाय तो यह इम्प्रैक्टिकेबिल मालूम होता है। धारा ९ के नोटीफिकेशन के बाद यह है कि १५ दिन के अन्दर दरख्वास्त दें, लेकिन उस वक्त यह आसान नहीं है। पहले यह था कि नोटीफिकेशन के १५ दिन के पहले, अब यह करने जा रहे हैं कि नोटीफिकेशन के १५ दिन बाद कर दें या धारा १० में जब रिकार्ड का सरवे आपरेशन कम्पलीट हो जाय, उसके १५ दिन बाद या कागजात दुरुस्ती के १५ दिन बाद कर दें। खैर, यह एक टेक्नीकल अमेंडमेंट है ? धारा ७ है उसमें इन लाइसेन्स पर जहां तकसीम कराने की दरख्वास्त देगा १५ दिन के अन्दर कागजात दुरुस्ती के बाद इसी तरह से खाते को एक जगह कराना चाहता है, तो उसके लिये भी वही किया गया है। धारा ८ जो है और अब जो सेक्शन ११ है, वह फिर से रिफ्रेज हो जाता है। २-१ चीजें नई हैं, मसलन अब तक यह था कि जिस गांव में चकबन्दी हो रही है, उसमें ब्लाक्स कितने होंगे, यह धारा १५ के स्टेज में तै होता है, कि इस गांव में कितने ब्लाक्स होंगे, कितनी किस्म की जमीन है, आबपाशी की सहूलियत को देखते हुये एक फसली है या २ फसली है तो यह तै होता था कि इस गांव में कितने ब्लाक्स होंगे।

यह दफा १५ की स्टेज थी। पहले हमारे अफसरान तय कर लेते थे । यह दफा १५ में नहीं आना चाहिए। इसलिये यह अख्तियार कि कितने हार रखे जायं तो उसे दफा १५ से निकाल कर दफा ११ में कर रहे हैं। दूसरी तरमीम यह है कि हमने दफा ११ में यह रखा है किसान के खेतों की फेहरिस्त को दिखाया जाय और खेतों की रेन्टल वैल्यू लगाई जाय लेकिन सुल्तानपुर में जब चकबन्दी शुरू हुई तो रेन्टल वैल्यू सींच और बिला सींच वाली जमीन की एक ही रखी गई । तो यह बात ऐसी थी कि दोनों की वैल्यू एक नहीं हो सकती है। लिहाजा हमने उसको बदल दिया। मुजफ्फरनगर में सींच और बिला सींच वाली जमीन में इम्तियाज तो किया गया, लेकिन नहर और कुंयें की सींच की वैल्यू एक ही रखी गई। लिफ्ट और सिलों में फर्क होता है लेकिन वहां एक-सा रखा गया। मैं आप को बता दूं कि ट्यूबवेल और नहर की आबपाशी में फर्क होता है। नहर से आबपाशी कम

[श्री चरण सिंह]

पड़ती है, लेकिन उस वक्त इस तरह का कोई इम्तियाज सेटिलमेंट के वक्त में नहीं किया गया था। इसलिये वहां के काश्तकार इसे मानने को तैयार न थे और हमारे भी हिसाब से यह उनके साथ बेइन्साफी हो रही थी। लिहाजा हमने उसको बदल दिया है। दूसरी तरमीम यह थी कि अगर जिसकी रेन्टल वैल्यू बदल गई है, तो वह भी इस लिस्ट में दिखाई जाय। तीसरी बात यह है कि जमीन की कीमत भी बदल जाती है। सेटिलमेंट के वक्त अगर कहीं खेती होती थी और वहां कंकड़ खुद गये तो वह जमीन बदल गई तो वह भी इसमें दिखाई जाय। श्रीमान्, एक आध और तरमीम हैं, लेकिन जो खास-खास तरमीमें थीं, वह यही थीं। एक चीज और है, श्रीमान जी, जो फेहरिस्त तैयार हो गई उसमें वह खेत भी निकाल दिये जायं जिनकी चकबन्दी नहीं करना है। मसलन जिस खेत में बाग है उसको फेहरित में क्यों शामिल करें, उसे फेहरिस्त से निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, दफा १५ की जो एक उपधारा थी अब वह दफा ९ बन गई है। इन धाराओं का जो सिलसिला है, क्रम है, वह बदला गया। सबसे बड़ा चकबन्दी का उसूल यह है कि हैसियत के मुताबिक हो। वह रकबे के मुताबिक नहीं होना चाहिये। मिसाल के लिये अगर किसी के पास १५ बीघा जमीन है और उसको उतनी ही दी जाती है तो अगर उसको बढ़िया जमीन मिलती है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है और उतनी ही तादाद में घटिया जमीन मिलती है, तो वह घाटे में पड़ जाता है। तो इसमें वेल्यूएशन के मुताबिक जमीन दी गई है और रकबे के मुताबिक नहीं। अगर जमीन कुछ खराब हो तो रकबा ज्यादा हो और अगर जमीन अच्छी हो तो रकबा कम हो। यह बुनियादी उसूल है। यह उसूल अब दफा ९ के मातहत आता है। तो इसलिये इसको सबसे पहिला प्रिंसिपल कर दिया गया है। इसी तरह की दो एक और तरमीमें हैं। कुछ शाब्दिक तरमीमें हैं। बाकी कोई खास तरमीमें नहीं, जिनके लिये मैं माननीय मित्रों का अधिक समय लूं। धारा १० जो है यह एक ऐसा है जिसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। इसमें दो एक गल्तियां हैं। इसलिये यह सबसे बड़ी तरमीम इस विधेयक के जरिये से करना जरूरी है। एक तो धारा १० यह कहती है कि इस ऐक्ट में यह सेक्शन बढ़ा दिया जाये "१६-ए और १६-बी"। १६-ए का मंशा यह है कि जब तर्क चकबन्दी तय हो जावे, जो स्टेटमेंट और प्रिंसिपिल हैं, वह तय हो जावें, उसूलों के मुताबिक अपने गावों में चकबंदी करनी है, तो दफा ५२ में जब तक कि चकबन्दी करने का नोटिफिकेशन न हो जावे, उस वक्त में कोई किसान अपनी जमीन को बेच नहीं सकेगा। क्योंकि इससे हमारे सारे प्लान में गड़बड़ी पड़ जाती है। आमतौर से लोग करते नहीं हैं लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा हुआ है कि जब हमारे सब कागजात तैयार हो जाते हैं, तब लोग बेचने को तैयार हो जाते हैं या आपस में बदलने लगते हैं। इससे हमारे काम में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो हम यह कर रहे हैं कि दफा १० में जब स्टेटमेंट तैयार हो जावे तो तब से लेकर दफा ५२ तक कोई बैनामा या हिबानामा या तब्दीली किसी खेत की या होल्डिंग की न हो सकेगी। सेटिलमेंट आफिसर अगर इजाजत दे देता है और यह समझता है कि इससे किसी किस्म की गड़बड़ी पैदा नहीं होती है तो वह इजाजत दे सकता है। अगर उससे कोई खराबी पैदा होती है, तो वह इजाजत नहीं देगा, इसमें ५ या ६ महीने लग सकते हैं। जब स्टेटमेंट तैयार हो जायेंगे तब हमको सिर्फ प्रपोजल्स तैयार करना होगा। नक्शा चकबन्दी का केवल इतना रह जाता है। इसमें महीने से ज्यादा का अरसा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार सेटलमेंट आफिसर को कन्सोलिडेशन को दिया है और अगर वह जरूरी समझता है तो वह इजाजत नहीं देगा?

दूसरी तरमीम धारा ६ में यह की जा रही है कि लोगों ने बाज बाज जगह ऐसा कर दिया है कि वह चाहते हैं कि अमुक खेत उसके पास रह जाय और वह उसके कब्जे से न चला जाय। इसको बचाने के लिये उसने उस खेत के चारों तरफ से एक मामूली दीवार सी डाल दी और उसके ऊपर एक मामूली छप्पर भी डाल दिया। असल में उसका इरादा मकान बनाने

का तो नहीं है, लेकिन चाहता यह है कि खेत उसके कब्जे से न निकले। इस तरह से लोगों ने कुछ मकान बनाये हैं और इस स्कीम को फ्रेस्ट्रेट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वह उस मकान से हटे, लेकिन हम यह कर रहे हैं कि जुर्माना उस आदमी पर हो जायेगा। अगर कोई इस तरह का मकान बनायेगा तो वह सेटिलमेंट आफिसर की रजामन्दी से ही बनायेगा। अगर वह आफिसर समझता है कि इसको वाकई जरूरत है और उसके दूसरे मकान के पास भी है तथा कोई अल्टिरियर मोटिव नहीं है, तो वह अपनी रजामन्दी दे सकता है। लेकिन कोई खास मुहब्बत के कारण अपने खेत के ऊपर इस तरह का छप्पर डाल दे तो इसकी इजाजत नहीं दी जायेगी। अगर कोई बिना इजाजत के ऐसा करेगा तो उस पर जुर्माना होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आखिर में एक प्रिंटिंग एरर रह गयी थी, या हो सकता है कि प्रेस से न हुई हो और हमसे ही रह गयी हो। सेक्शन २० (३) में सब सेक्शन (२) का हवाला है लेकिन वह सब सेक्शन (३) होना चाहिये। धारा १२ वही है जो हमने नक्शा दुरुस्ती के लिये रखी है। पहले इसमें एनुअल रजिस्टर था, तो एनुअल रजिस्टर में नक्शा नहीं आता है। तो इसका कान्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है। अब दफा १३ में यह है कि जो कि मूल अधिनियम की धारा २८ में था कि किसी किसान की अपने खेत के अन्दर फसल खड़ी हुई है और वह खेत दूसरे के चक में चला जाय, तो इससे कब्जे की अदला-बदली हो गयी और वह खेत दूसरे के कब्जे में चला गया और हमने उसको कब्जा भी दे दिया है जिसके चक में वह खेत चला गया है। लेकिन नियम यह है कि थोड़ी बहुत सूरत में उसको अपनी फसल की कीमत दिलायी जाय। लेकिन हम यह चाहते हैं कि फसल वही काटेगा जिसने बोयी हो। लेकिन जब मय फसल के कब्जा दूसरे आदमी के पास खेत का चला गया है, तो मालिक पजेशन का चक वाला ही होगा और वही मालगुजारी भी देगा। मगर हमने काटने का हक उस आदमी को दिया है जिसने फसल बोयी है। जब हमने काटने का हक उस आदमी को दे दिया और चक बनने के बाद उसका मालिक दूसरा हो गया है, तो हमने अपने कानून में रखा है कि उस का लगान वही देगा जो फसल काटेगा और लगान भी उस वक्त देगा जब तक नये चक वाला मालिक उस खेत की फसल से महरूम हो गया है।

तो इसमें पहला लफ्ज यह था कि जो फसल इसमें खड़ी हुई है उसकी क़िस्म का भी लिहाज लगान में रहेगा। बाद में हमने देखा कि फसल जितनी पकी है वह किस क़िस्म की है, चाहे वह धान हो, ज्वार हो या बाजरा हो, या और किस क़िस्म की फसल है, यह बात ग़ैर मुतालिक़ है कि कितने समय तक के लिये वह खेत से महरूम रहा और जो लगान देना पड़े वह मियाद के लिहाज से देना पड़े, इसलिये जो यह लफ्ज था कि लगान तय करते समय फसल की किस्म का लिहाज रखा जायेगा, वह हमने निकाल दिया है और केवल मियाद वाली ही बात इसमें रखी गयी है, यह अमेंडमेंट नम्बर १३ है।

अब जो क्लाज १४ है उसमें जो धारा २९ है उसमें से कुछ लफ्ज निकाले गये हैं। इसमें धारा २९ में उपधारायें दो और तीन को बिल्कुल डिलीट किया गया है और उसकी बजाय धारा २९ (ए) रखी गयी है, जो कि आगे चलकर धारा १५ के रूप में रखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि धारा २९ (ए) इस तरह से बढ़ा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, दो क़िस्म के मुआविजे एक दूसरे से वसूल करने के तय किये गये हैं। एक तो यह है कि मान लिया जाय कि मेरा कुआं किसी दूसरे के चक में चला गया। कोशिश तो क़ानून में यही है कि चकबन्दी इस तरह से हो कि मेरा कुआं दूसरे के चक में न पड़े, लेकिन हर जगह यही सूरत नहीं हो सकती है। तो अगर मेरा कुआं दूसरे के चक में चला गया है, तो क़ानून यह कहता है कि दूसरा आदमी, जिसके चक में कि मेरा कुआं चला गया है, वह उसको क़ीमत देने का मुस्तहक़ है। इसी तरह से बागात चकबन्दी से दूर हैं, लेकिन जो फुटकर दरख्त हैं, जैसे दो जामुन के, एक बबूल का और एक शीशम का, इस तरह के दरख्त अगर दूसरे के चक में चले जाते हैं तो ऐसे दरख्तों की क़ीमत देने का मुस्तहक़ वह आदमी है, जिसके चक में कि वह चले गये हैं, तो इस तरह से भी मुआविजा हमको मिलता है।

[श्री चरण सिंह]

दूसरी बात यह है कि इस क़िस्म के चक भी हो सकते हैं कि हो सकता है किसी की लम्बी चौड़ी फसल खड़ी हो, तो उसकी क़ीमत भी तय की जा सकती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी हिदायत यह है कि जहां जरा भी झगड़े का अन्देशा हो और वहां किसी क़िस्म की फसल खड़ी हो और दूसरे के चक में जाय, मान लिया जाय कि मेरी फसल खड़ी है और ४ महीने बाकी उसके पकने में है, तो वह फसल उसी आदमी को दे दी जाय जिसने की बोया है, यह भी हो सकता है कि जिसके पास वह फसल जाय और उसकी क़ीमत १०, २० रुपया हो तो उसको पहले बोने वाले को दे दिया जाय। इस तरह से दो तरह के कम्पेनसेशन होते हैं। जो कुयें दरख्त या और कोई इम्प्रूव्ड की एवज में जो कन्सिडरेशन था, जो उसका मुआविज़ा था उसके लिये कानून में यह रखा गया है कि वह बतौर मालगुज़ारी के वसूल हो सकता है लेकिन जो फसल की क़ीमत थी अगर वह दिलवाई जाय किसी सूरत में, तो वह बतौर मालगुज़ारी के वसूल नहीं हो सकता है। अब हमने यह कर दिया है कि चाहे किसी क़िस्म का मुआविज़ा हो, जिसका कि खातेदार दूसरे को देनदार है, तो वह दूसरे से पाने का मुस्तहक़ है। इस तरह से मुआविज़ा बतौर माल-गुज़ारी के वसूल करने का वह मुस्तहक़ है। यही मोटी सी बात है और कुछ नहीं है। फिर यह भी है कि उसको तीन महीने का मौक़ा दिया जाता है और अगर न दे तो फिर उसका आधा सूद लग जाता है।

अध्यक्ष महोदय, अब यह जो धारा १६ है उसके जरिये जो अधिनियम की धारा ३३ है, उसमें थोड़ी सी तरमीमें की जा रही हैं।

(इस समय, १२ बजे, श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बरों को याद होगा कि हम ने ऐक्ट में यह रखा है कि चकबन्दी का जितना खर्चा जिस खातेदार पर पड़ता है, उसका अनुमान लगा कर आधा तो वह शुरू में वसूल कर लेंगे और आधा बाद में, जब कि चकबन्दी का आपरेशन समाप्त हो जायेगा। यही वजह है कि चकबन्दी ९० और ९५ फीसदी किसानों को अच्छी लगती है, और अगर किसानों को समझा दिया जाता है, तो ९९·२ फीसदी किसानों को अच्छी लगने लगती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सरकार का अच्छे से अच्छा काम फूटी आंख भी नहीं भाता है, जिनमें हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण जी और उनके कुछ साथी भी शामिल हैं। हमारे यहां कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ इस तरह की हैं कि जिन का उसूल ही मुखालिफत करना है। सरकार की अच्छी से अच्छी योजना की मुखालिफत करना, उन लोगों ने अपना उसूल मान लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग़रीब लोगों की जमीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है जो हेकड़ क़िस्म के लोग हैं और अब उस क़ब्ज़े को वापस नहीं करना चाहते हैं। तीसरे इस क़िस्म के लोग हैं जो बिलकुल अज्ञान हैं और उन लोगों के लिये यह चीज़ बिलकुल नई है, लेकिन वह बहुत थोड़े से लोग हैं। पहले ऐसा होता था कि जब लोग दरख्वास्त देते थे तो चक-बन्दी हुआ करती थी, लेकिन अब तो सरकार की तरफ से यह कार्य सारी तहसील में हो रहा है और सब लोगों की रजामन्दी सरकार ने फर्ज कर ली है। दुनियां में एक या दो परसेन्ट ऐसे भी आदमी हैं, जो इस काम से खुश नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में मोह एक बहुत ही अजीब चीज़ हैं। यह जो इन्सान का दिल होता है, वह किसी न किसी से लग जाता है, किसी का दीवार से लग जाता है किसी का पेड़ से लग जाता है और इन्सान का इन्सान पर तो दिल आ ही जाता है, यह तो सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से किसानों को अपने खेतों से मोह हो जाता है। जिन लोगों को जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे लोग जानते हैं कि एक बेरिक से दूसरी बेरिक जाते समय कितना कष्ट होता है, आंखों से आंसू तक आ जाते थे। इसी प्रकार से आज किसानों की भी हालत है जिनके बाप दादा के वक्त से वह खेत चला आ रहा है और बहुत दिनों से उस खेत की मेड़ पर बैठ कर खाना खाते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ते

हुये उनके दिल को कष्ट तो जरूर होता है। कुछ लोग किसानों की इस कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हैं और किसानों के बीच में एक खराब वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में इस बात का भी प्राविज़न रखा गया है कि अगर मुनासिब समझा जाये तो किश्त के रूप में थोड़ा सा रुपया लिया जाय, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। श्रीमान्, दफा १७ में कलेक्टर की जगह पर डिप्टी कलेक्टर रखा गया है। इसी तरह से दफ़ा ४८ में कलेक्टर को इस बात का हक़ है कि अगर कोई गलती रह गयी है, तो वह कागज़ात मंगा कर उसको ठीक कर सकता है। चाहे उस केस की अपील हुई हो या न हुई हो, लेकिन अगर वह वाक़ई में गलती रह गयी है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें लफ्ज केस रखा जाय। लेकिन अब तजुर्बे से मालूम हुआ बहुत से ऐसे मामले होते हैं, जिनको कि केस नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ उनको प्रोसीडिंग्स कहा जा सकता है। इसलिये केस और प्रोसीडिंग्स के बारे में यह बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आखिरी तरमीम है वह यह है कि अभी तक हमने यह तय किया है कि दफ़ा ४ में नोटिफिकेशन होने के बाद चकबन्दी का काम शुरू होगा। अब जो मौजूदा सेक्शन है, उसके लफ्ज यह हैं कि जैसे ही कब्ज़े की अदला-बदली की गई, उसके बाद नोटि-फिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन चकबन्दी जारी हो सकती है, तो वह बात गलत है क्योंकि हमें नये नक्शे तैयार करने हैं, नये खसरे और खतौनी तैयार करने हैं और बहुत से सर्वे आपरेशन भी तैयार करने हैं। तो जब यह सब काम हो जाये, उसके बाद चकबन्दी की जाय और उसके लिये नोटिफिकेशन निकाला जाये। रिकार्ड आपरेशन करने के बाद ही कन्सोलिडेशन आपरेशन शुरू की जायें, इसकी यही मन्शा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो यह प्रस्ताव है, इसको माननीय सदन स्वीकार करेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह चकबन्दी के सम्बन्ध का तीसरा संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार एक दो बातों के ऊपर रखने हैं। श्रीमन्, जो यह चकबन्दी के सम्बन्ध में इस तरह से जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मान-नीय चरण सिंह जी को गवर्नमेंट का वह राइट है, जो कि विधेयक को अमेंडमेंट करने का होना है और जिसके कारण वह ऐसा कर रहे हैं। वह उस राइट का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह---यह अधिकार गवर्नमेंट को कहां है ?

श्री कुंवर गुरु नारायण---मेरा मतलब जो अधिकार सदन का है, लेकिन चूंकि मेजा-रिटी आप की होती है, इसलिये गवर्नमेंट को भी है। इस प्रकार के जो विधेयक आते हैं, मैं तो समझता हूं कि बजाय इसके एक-एक करके पीस मील लेजिस्लेशन हम लायें गवर्नमेंट की, स्टेट-लेविल पर कोई गवर्नमेंटल कमेटी मुक़र्रर की जाय और वह चकबन्दी के सम्बन्ध में जो हमारी सारी योजनायें चल रही हैं, उसको देख करके काम्प्रिहेन्सिव तरीक़े से फिर एक लेजिस्लेशन आये, तो वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हमें दुश्वारियां मालूम हुई और हम एक अमेंडिंग विधेयक ले आये। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में एक गवर्नमेंटल कमेटी नियुक्त करे और वह अपनी जांच करके रिपोर्ट दे और फिर उसके ऊपर काम्प्रिहेन्सिव लेजिस्लेशन हमारे सामने लाया जाय। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें शक नहीं है कि इसमें कोई खास बातें ऐसी नहीं हैं, जिनके ऊपर कि अड़चन की जा सके या कोई बात कही जा सके। लेकिन इसमें दो बातें मुख्य हैं। मुमकिन है कि मैं ही उसमें ग़लत होऊं। इसका जो आखिरी हिस्सा है और जो धारा इसमें २९ (ए) अमेंड की गई है, उसको पढ़ने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गवर्नमेंट यह चाहती है कि वह धीरे-धीरे करके जो मुआविज़ा किसी दूसरे को मिलना है और जिसको वसूल करने की इस समय गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी गवर्नमेंट धीरे-धीरे करके हटा

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

रही है और इसको उन्हीं लोगों, यानी टेनेन्ट्स पर रख रही है। और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि आगे चलकर अपनी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट खींच ले। मैं आपकी आज्ञा से २९ (ए) पढ़ना चाहता हूं :—

"29-A. Where a tenure-holder from whom compensation is recoverable under this Act fails to pay the same within the period prescribed therefor, the person entitled to receive it, may in addition to any other mode of recovery open to him, apply to the Collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on this behalf as if it were an arrear of land revenue payable to Government".

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक मौक़ा आपस में टिन्योर होल्डर्स को दिया जाता है कि आपस में वसूल कर लें, तो यह तो अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपस मे तहसील वसूल न हुई और बाद को अप्लाई किया और कलेक्टर ने कह दिया कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम खत्म हो गया, तो मुश्किल होगी। मैं यह नहीं कहता कि अल्टीमेट रिस्पान्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। वह तो है। लेकिन एक रास्ता गवर्नमेंट निकालना चाहती है कि टिन्योर होल्डर्स आपस में वसूल कर लें। मै जो समझा हूं, वह यह है। यह जो मूव है, इसमे गवर्नमेंट को पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेनी चाहिए वसूलयाबी की, न कि टिन्योर होल्डर्स के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। इस विधेयक में जब कन्सालिडेशन होता है, तो उस समय सेल हुई या गिफ्ट हुई या एक्सचेन्ज हुआ किसी प्लाट का तो उसमें यह भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि उसके साथ कन्सट्रक्शन भी किसी क़िस्म का नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या गवर्नमेंट इसमें रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से देने जा रही है। कोई हमारे सामने आंकड़े नहीं है। कि कितने मकानात ऐसे लोगों ने अपनी २ जमीन पर बना लिये या कितनी गिफ्ट काश्तकारों को कर दी गई, कितने बयनामे हुए जमीनों के, अगर आंकड़े होते तो अंदाज लग सकता था कि ऐसी जरूरत होती है। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐसा कहना तो आसान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस वक्त से यह काम शुरू हुआ था, उस वक्त से आज तक पूरी २ शायद ही एक तहसील भी नहीं हो पाई है। अगर यह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से हुआ तो यह बहुत ही अनुचित बात हो जायेगी। इस विधेयक में एक जगह १५ रोज का समय दिया गया है कि वह अपना आब्जक्शन कर सकता है, पब्लिकेशन आफ दी रिकार्ड के बाद, तो वह मियाद कम है। उसको कम से कम एक महीने का मौक़ा होना चाहिए। मुझे अधिक नहीं कहना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि पीस मील लेजिस्लेशन आये। एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन आना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिये एक कमेटी बिठा दे और वह लेजिस्लेशन लाये। हर साल दो तीन अमेंडमेंट बिल आते हैं, यह बहुत मुनासिब बात नहीं मालूम होती है, मुझे इस इस सम्बन्ध में यही कहना है।

*श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस संशोधन विधेयक की अपनी एक खास अहमियत है। वैसे तो बारबार संशोधनों का आना किसी तरह से उचित नहीं है, लेकिन एक ऐसे सवाल पर जिसम कि रोज तजुर्बे हों और तजुर्बों के आधार पर परिवर्तन करने की बात हो, उसमें तो संशोधन की आवश्यकता होती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ में माननीय मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चूंकि एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी जिसकी वजह से उस बात की अहमियत को वह खुद ही समझते है कि जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में जो संशोधन विधेयक आया है, उसके नतीजे उनके सामने हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि कई संशोधन विधेयक तो ऐसे रहे जिनसे उम्मीद तो हमने बहुत लगाई, लेकिन उन

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

सब पर पानी फिर गया और माननीय मंत्री जी उस बात को जानते हैं। मैं तो अक्लमन्दाने इशारा काफी, कह कर आगे चलना चाहता हूं लेकिन इस मौक़े पर इतना जरूर याद दिला देना चाहता हूं कि सूबे के हजारों ग़रीब किसान जो सेक्शन २३३ है, उसके संशोधन की इन्तजारी में बैठे हुये हैं ...

श्री चरण सिंह--उसमें क़ानून का कोई कसूर नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--अगर क़ानून का नहीं है तो चाहे जूडीसरी का हो या और किसी का हो, बहरहाल कहीं न कहीं तो कमी है हो। तो जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है इस सम्बन्ध में दो तीन मौलिक बातें मैं कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि कि संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि गजट में जिस रोज से इस बात का प्रख्यापन हो कि इस तारीख से चकबन्दी लागू इस इलाके में होगी, उसी रोज से उस इलाक़े में चकबन्दी का काम शुरू होने की बात मानी जावेगी। पहले विधेयक में ऐसी कोई स्पैसिफिकेशन इस सम्बन्ध में नहीं थी। रिकार्ड आफ राइट के सम्बन्ध में और रिवीजन के सम्बन्ध में भी संशोधन इस विधेयक में आया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास इतना मैटीरियल है कि जहां पर नक्शा और खसरा तैयार करने का प्रश्न हो इसके सम्बन्ध में चाहे कोई बात कही जाय या नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हर गांव का सर्वे किया जाय और मिलक़ियत के सम्बन्ध में फिर से फ़ैसले हों। अगर ऐसा न होगा तो चकबन्दी के काम को चलाने में जरूर कमी रह जायेगी। जहां तक रेन्टल वैल्यू के आधार पर फिर से जमीन की नवैयत को तय करने का आधार है, वह एक खास बात है। माननीय मंत्री जी ने खुद बताया है कि सुल्तानपुर के ज़िले में इस सम्बन्ध में काफ़ी असन्तोष किसानों में रहा है। किसानों के अन्दर यह बेचैनी थी कि वैलुयेशन ठीक से नहीं हो रहा है। जमीन के भेद के अनुसार वैलुयेशन के जो तय करने की बात है, वह ठीक तरह से लाई गई है या नहीं इसको देखने की जरूरत है।

लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जहां तक खेतों की हैसियत को तय करने का सवाल है उस पर और ग़ौर होना चाहिए। तजुर्बे के आधार पर हैसियत वाली चीज पर, इस चकबन्दी की योजना का सफल होना या असफल होना मुन्हसर करता है। किसी योजना का जबरदस्ती लागू किया जाना और पहले उसको पूरे तौर से दिलों पर छा देना और तब लागू करना, यह दो अलग-अलग चीज है। हैसियत के सवाल को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज को देखना होगा कि अदल बदल में ज्यादा हैसियत वाले खेत के मालिक को कम हैसियत और कम हैसियत वाले को ज्यादा हैसियत के खेत न मिलें।

श्री चरण सिंह--वह तो पहले ही से था।

श्री प्रभु नारायण सिंह--वह था जरूर, लेकिन जैसा कि सींच और असींच जमीन का सवाल है, रेन्टल जमीन का सवाल है, रेन्टल जमीन पर था। लेकिन वह नहर वाली जमीन में भी क़रीब-क़रीब रहा और उसमें रेन्टल वैल्यू बराबर होने पर जमीन की हैसियत दोनों जगह दो होते हुए भी जमीन की हैसियत जो है, वह अपनी जगह पर एक की हैसियत ज्यादा होती है और दूसरी जगह कम होती है। इसका जो संशोधन विधेयक में ख्याल रखा गया है, वह अपनी जगह पर ठीक है और आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना के सम्बन्ध में जो खर्च की बात रखी गई है जिसके सम्बन्ध में विधेयक सदन के सामने आया था उसमें कहा गया था कि खर्च की बात जो कही जा रही है, वह किसानों पर बहुत अधिक पड़ेगी उसका कम किया जाना जरूरी है। सरकार सीधे तौर पर तो यह बात नहीं कहती, लेकिन ऐसा महसूस करती है कि मौजूदा परिस्थितियों में उसका वसूल करना मौजू नहीं मालूम होता। लेकिन उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि योजना ऐसी है जिसमें कुछ लोग तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, इसलिए अगर शुरू में ही सारा रुपया वसूल किया गया, तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार भी शायद इस बात को महसूस करती है कि खर्च का जो बोझ किसानों

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

पर पड़ेगा, वह काफ़ी होगा। इसलिये इस मौक़े पर हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वह इस बात पर गौर करें कि खर्च का बोझा किसानों पर बहुत कम पड़े। इन शब्दों के साथ जो विधेयक हमारे सामने है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन विधेयक आज सदन के सामने है मैं मोटे तरीक़े से उसका स्वागत करता हूं इसलिये कि जहां तक कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स का ताल्लुक़ है, कोई भी, जो जरा भी अर्थ शास्त्र, किसानों की भलाई या एग्रीकलचर के बारे में दिलचस्पी रखता है, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आज के जमाने में कन्सालिडेशन होना बहुत जरूरी है। सरकार ने कन्सालिडेशन का बिल पास किया, कुछ दिक़्क़तें हुई, उसी तजुर्बे की बिना पर यह जरूरी समझा कि संशोधन के रूप में कई बार बिल सदन के सामने लायें। डेमोक्रेटिक प्रणाली के अन्दर यही एक तरीक़ा होता है कि तजुर्बे के बाद जब जरूरत होती है, तो उसको सदन के सामने लाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म का बिल सदन के सामने आये, तो कोई अनुचित बात नहीं है। जो मुझे मौलिक बात कहनी है, वह यह है कि कन्सालिडशन आफ होल्डिंग्स अच्छी चीज है, मगर अच्छी चीज को कामयाब बनाने के लिये यह जरूरी है कि जिनके लिये वह चीज हो उनको उससे दिलचस्पी होना जरूरी होता है। आप के जरिये से मैं मिनिस्टर महोदय को बतलाना चाहूंगा कि अभी बिजनौर जिले के अन्दर नगीना में स्कीम लागू की गई। कुदरतन पहली दफा प्रतिक्रिया यह हुई और यह प्रतिक्रिया मैं कांग्रेसी दोस्तों की बता रहा हूं कि उन्होंने कहा और उनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि साहब यह बला यहां न रहनी चाहिये। जो फैक्ट्स हैं, आपके पास दूसरे तरीक़े से आते हैं, मैं आप को वह बताता हूं जो लोग आपस में बातचीत करते हैं। चुनान्चे वह नगीने से पोस्टपोन हुई, फिर धामपुर तहसील गई। धामपुर के लोगों ने भी उसका स्वागत नहीं किया। मैं तो आप से कहता हूं कि मेरे यहां वह काम शुरू किया जाये, चाहे जितने लोग नाराज हों, लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस काम के लिये लगों के दिल और दिमाग़ को तैयार करना जरूरी है। जिस वक्त कान्सालिडेशन धामपुर गई।

श्री चरण सिंह—गई नहीं थी।

श्री गोविन्द सहाय--मैं कह रहा हूं कि लिखा पढ़ी में नहीं गई, लेकिन हवा में गई। मुझे भी इतना क्रेडिट दीजिये, मैं भी बिजनौर से वाकिफ रहता हूं। जब धामपुर गई, तो वहां भी मालूम हुआ कि लोग इसको नहीं चाहते। ४ दिन तक सारा कन्सोलीडेशन का स्टाफ पैरालाईज रहा। फिर बिजनौर के लिये हुक्म हुआ कि वहां कन्सालीडेशन का काम शुरू किया जाय। काफी लोगों से मैंने सुना कि यह बला, अब बिजनौर आ गई। मैंने कहा कि मैं तो इसका स्वागत करता हूं, और हमारे गांव में होगी। लोगों ने कहा कि आप स्वागत करते हैं तो फिर नगीने से क्यों हटाई गई, इसमें हाफिज जी का कोई हाथ नहीं है। नगीने और धामपुर से वापिस हुई और अब बिजनौर में आई। इससे पता लगता है कि चाहे जितना अच्छा डाक्टर हो अगर मरीज का दिल दिमाग़ तैयार नहीं है तो बेहतरीन दवा भी कम असर करती है। इसलिये कन्सालीडेशन के लिये आबहवा तैयार होना चाहिये और कांग्रेस पार्टी का फर्ज था कि उस मात्रा में दिल दिमाग़ तैयार करती। यह मैं मानता हूं कि मिनिस्टर महोदय का अपने सब्जेक्ट से इमोशनल अटेचमेन्ट है, क्योंकि वह टिलर आफ दी स्वायल के लड़के हैं और जितने बिल उन्होंने पेश किये हैं, उसमें वह झलक दिखाई देती है। उन्होंने किसानों की दिक़्क़तों को महसूस किया है, इसके माने यह नहीं हैं कि दूसरे मिनिस्टरों का इमोशनल अटैचमेन्ट नहीं है। जब भी कोई बिल आता है मैं इज्जत करता हूं क्योंकि खिलाफ कहते वक्त तो सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिये कहता हूं कि कन्सा–

लीडेशन के लिये २ चीजों की जरूरत है और जो होना चाहिये, वह नहीं है। एक तो पीजेन्ट्स का दिल दिमाग तैयार होना और दूसरी तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूं, मैं ८,१० लड़कों को जानता हूं उनको कन्सालिडेशन में नौकरी मिली और उनको रेलवे में भी सर्विस मिली, वह कहने लगे कि आमदनी के ख्याल से यह काम अच्छा है, लेकिन रेलवे में मुस्तकिल नौकरी है। मिनिस्टर महोदय, यह फैक्ट है, इसलिये बता रहा हूं मैंने कहा कि क्या कन्सालिडेशन में भी आमदनी की बात है, इसमें कसूर सर्विस वालों का नहीं है। देने और लेने वाले दोनों ही जिम्मेदार हैं। यहां रिश्वत लेना और देना पाप नहीं समझा जाता है। मुझे उनकी बातों से पता चला कि इस मुहकमें में भी यह बात चलने लगी। यह सही है कि काश्तकार को अपनी जमीन प्यारी ज्यादा है और वह अपनी जमीन से जुम्बिश भर भी नहीं हिलना चाहता। काश्तकार का क्लास एक रिएक्शनरी क्लास कहलाता है उसको अपनी जमीन से मुहब्बत होती है। लेकिन आज वह इसे अच्छा मानते हुये भी पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये इन दोनों दिक्कतों को आपको देखना होगा। आपके बिल बहुत अच्छे होते हैं। और आपकी नियत भी अच्छी है, लेकिन एक बात की कमी मैं महसूस करता हूं और उसकी झलक मन्त्री महोदय के एक फिकरे से भी मिलती है कि बिल में कोई कसर नहीं है और जब इधर से जुडिशियरी की बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है। आज जुडिशियरी में आपके कानून कैसे इन्टरप्रेट होते हैं और वह उसका इन्टरप्रिटेशन उस निगाह से नहीं करते, जो आपकी मंशा होती है, इसलिये वह आपके लाज को रिपील कर देते हैं इसके अलावा जिनके हाथों से आपके कानून लगाये जाते हैं, उनको आपकी मंशा की वाकफियत नहीं होती है जिसका नतीजा यह होता है कि जिनको आप अपने लाज से फायदा पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंचता बल्कि उनका नुकसान उससे होने लगता है। आप देखें कि जमींदारी एबालिशन के बाद अफसरानों के दिल में यह आया कि यह ठीक नहीं हुआ है, वह समझते हैं, कि वह गलत हुआ है, इसलिये अफसरान ने उसे किसानों के फायदे में इस्तेमाल नहीं किया। यहां लेजिस्लेचर्स कानून बहुत पास करते हैं, और वह इसलिये पास करते हैं कि वह साबित करता है कि हमारी भी कुछ हैसियत है, लेकिन जिनके लिये वह पास होते हैं, उनके लिये वह फायदा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिये उनके दिमाग को एतमाद नहीं होता है। तो यह चीज आपको पैदा करनी होगी, आपको इस ओर ध्यान देना होगा और आपको इसके लिये बैकग्राउन्ड तैयार करना होगा। दूसरी ओर आपकी जो एक्जीक्यूटिव है, जिनको भी आपके लाज पर एतकाद नहीं है और जिसकी वजह से भी एक खतरनाक दिक्कत उठ सकती है, उसे भी आपको ठीक करना होगा। क्योंकि जिस वक्त कानून के पास करने के बाद अमल की बात आती है, तो उस समय भी उनके दिमागों में वही चीजें रहना चाहिये जिनकी वजह से वह कानून बनाये गये हैं। तभी आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स को आप कर रहे हैं, तो उसके लिये आपकी प्रारम्भिक तैयारी भी होनी चाहिये, हर आदमी जो एकानामिक में तजुर्बा रखता है, जो रीजनेबल खामियां हों, उनको रैशनल तरीके से आपके सामने उसे रखना चाहिये। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग बहुत अच्छी चीज है और जो उसकी मुखालिफत करने को कहते हैं या करते हैं, उनको आपके कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा है कि चूंकि उनका इससे इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिये वह केवल कागजों की तरफ ही न जायेंगे, और न वह अपने अफसरान की रिपोर्टों के ही ऊपर जायेंगे, बल्कि मौका है आपको रिसेप्टिबिलिटी करने का। अन्त में मैं इन चन्द सुझावों के साथ इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल चकबन्दी का जो हाउस के सामने पेश हुआ है, वह बहुत सुन्दर है, क्योंकि काम करने में जो जो दिक्कतें सरकार के सामने आती हैं, उन्हें दूर करना इस हाउस का फर्ज है। सरकार का फर्ज है कि वह हमारे सामने

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

रखे और हम उसे दूर करें। यहां जैसा कहा गया है, चकबन्दी पर, कि कानून कुछ गलत है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस वालों का फर्ज है कि वह समझाये बीमार को कि दवा कैसी है, मीठी है या कड़ुई है। तो मैं बताऊं कि मेरे जिला में चकबन्दी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहां किसान काफ़ी अर्से से यह कह रहा है कि चकबन्दी हमारे यहां शुरू कर दीजिये। अभी मंत्री महोदय हमारे यहां गये थे, उनके सामने भी यही सवाल उठाया गया था कि हमारे जिले में चकबन्दी कब शुरू करियेगा। आज किसान यह समझ गया है कि बिना चकबन्दी के उनका बड़ा नुकसान होता है। वह खेतों में अच्छी पैदावार नहीं कर सकता है। बावजूद इसके कि वह अच्छी खाद देता है और उसमें मेहनत भी करता है। आज जो यह संशोधन विधेयक है, उसमें जो चीजें मंत्री महोदय लाये हैं, वह बहुत ही सुंदर ढंग से लाई गई हैं। पहिले लगान के रेट पर कीमतें लगाई जाती थीं, मगर अब वही इस तरीक़े पर लगाई जायेंगी कि कहां पर सिंचाई है और कहां पर नहीं है। इससे किसानों की असुविधा दूर हो जायेगी। जिस तरह से मरीज को यह समझाना जरूरी होता है कि यह दवा एक रोज़ में फ़ायदा करेगी और यह दवा एक हफ्ते में फायदा करेगी, तो उसी तरह से काश्तकार के दिमाग़ में जो गड़बड़ी थी, इससे सफ़ाई हो जायेगी। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि जब हम कहीं पर रहने लगते हैं तब हमको वहां से मोह हो जाता है, वैसे ही किसान को जो जमीन थी और जिसको वह बाप दादों के समय से जोतता चला आता था, उसको छोड़ने में उसको मोह लगता है। लेकिन समय आता है कि हमको मोह छोड़ना ही पड़ता है। जमींदार को मोह छोड़ना पड़ा, तब किसान भी यह सोचता है कि जब बड़े–बड़े आदमियों ने मोह छोड़ दिया है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर किसान तीन जगह पर अभी तक खेती करता था, तो अगर वह एक जगह ताकता था और देखभाल करता था, तो दो जगहों पर उसकी खेती चौपट हो जाती थी। अगर वह एक जगह पर देखता था, तो दूसरी जगहों पर जंगली जानवर या गांव के जानवर खेती चर जाते थे, या बरबाद कर देते थे या उसको चोर लोग ही कुछ नुक़सान पहुंचा देते थे। इस तरह से पूरी मेहनत करने पर भी किसान अपनी खेती का फायदा नहीं उठा पाते थे। किसान अपना खून पसीना एक करने पर भी अपनी खेती का फायदा नहीं उठा पाता है। किसान चकबन्दी की मुखालिफत नहीं कर सकता है। चकबन्दी हो जाने से वह अपनी मेहनत का पूरा–पूरा फायदा उठायेगा और उससे अपनी आमदनी बढ़ायेगा। इसलिये यह विधेयक जो हमारे सामने है वह बहुत सुन्दर है। यह जो चीज सरकार हमारे सामने लाई है, उससे साफ पता चलता है कि सरकार किसानों के फायदे के लिये यह संशोधन लाई है। जिन लोगों के दिमाग़ साफ नहीं हैं, वह चाहे कहीं पर कितनी ही सफाई की गई हो और अगर रास्ते में उनको एक कागज का टुकड़ा भी मिल जाय, तो यही कहते हैं कि रास्ते में कांटे बिछे हुये हैं। जो यह संशोधक विधेयक सरकार हमारे सामने लाई है, उसके लिये जितना भी शुक्रिया अदा किया जाय, वह थोड़ा है। जो दिक्क़तें काश्तकार के सामने हैं, उनके लिये सहूलियत पैदा करने के लिये, उनकी परेशानियां दूर करने के लिये यह चीजें लाई गई हैं और सरकार बहुत सुन्दर कदम उठा रही है जिससे कि हमारे सूबे की आमदनी बढ़ जायगी, काश्तकार की आमदनी बढ़ जायेगी। वह बहुत खुश होगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर उसको यह कहना पड़ेगा कि सरकार ने जो काम किया है, वह बहुत अच्छा किया है। हम अपने खेत पर काफी पैदावार करते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक जो चकबन्दी के कानून के विषय में लाया गया है उसके लिये मैं माननीय माल मन्त्री को बधाई देता हूं। शुरू से अन्त तक संशोधन देखने के बाद, हर एक व्यक्ति इस बात को महसूस कर सकता है कि ये संशोधन कितने आवश्यक हैं और कितनी बुद्धिमानी के साथ जो दिक्कतें व कठिनाईयां या जो गलतियां होती रही हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया है। मैं यह मानता हूं कि किसी कानून में बारबार परिवर्तन करना बड़ा अच्छा नहीं है, परन्तु इसके साथ ही हमको यह भी सोचना है कि चकबन्दी का कानून एक ऐसा

कानून है जो कि पहले नहीं रहा है, एक नयी सी चीज है, जिसका तजुर्बा पहले नहीं था। यह भी एक मानी हुई बात है कि चकबन्दी किसानों के लिये और उनकी माली हालत को सुधारने के लिये इस किस्म की औषधि है जैसी औषधि शायद दुनिया में अब तक बन नहीं पायी है। मैं किसान होने के नाते बराबर इस संशोधन का स्वागत करता रहा हूं। जितने हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि लोगों की मनोवृत्ति तब्दील करनी चाहिये और उसके बाद ही यह कानून वहां लागू करना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि सरकार जिन जिलों को चकबन्दी के लिये लेती है, तो पहले यह देख लेती है कि चकबन्दी के लिये वहां के लोगों की मांग है और मांग के बाद ही सरकार उन जिलों को लेती है, जैसे कि गाजीपुर में। अभी अभी हमारे माल मन्त्री महोदय वहां गये थे और मीटिंग में आपने देखा होगा, कि कितने लोगों ने इस बात की इच्छा प्रकट की थी और कितने वहां के लोग उत्सुक थे कि हमारे जिले में भी चकबन्दी जल्दी से जल्दी की जाय। अनुमान यह मालूम हो जाता है कि किन-किन जिलों के लोग इसके लिये ख्वाहिशमन्द हैं और उन्हीं के जिलों में पहले यह काम शुरू किया जाता है। अब रही मनोवृत्ति बनाने की बात, यह तो सही बात है कि कोई कार्य शुरू होने से पहले या शुरू होते समय इसके लिये जनता की मनोवृत्ति अनुकूल बनानी चाहिये, जिससे कि लोगों के दिलों में जो शंकायें होती हैं वे दूर हो जांय और सही रूप में लोग उसको समझ सकें। परन्तु अकेले सरकार का ही यह काम नहीं है, बल्कि जो समाज सेवक और विधायक लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये तथा जनता में जो भ्रम पैदा होता है उसको दूर करना चाहिये। यह केवल सरकार के बस की चीज नहीं है।

कुछ बातें इसके विपरीत भी कही गयी हैं। जैसा कि माननीय कुंवर साहब ने बतलाया कि मुआविजा की जिम्मेदारी सरकार धीरे धीरे अपने ऊपर से हटा कर, किसानों के ऊपर डाल रही है। जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, और समझा है। शायद सरकार के ऊपर पहले भी जिम्मेदारी नहीं रही, वह किसानों के ऊपर ही रही है। हां, पहले मुआविजा वसूल करने में जो किसानों के सामने कठिनाई थी, इस संशोधन द्वारा सरकार ने उस कठिनाई को भी हल कर दिया है। अब किसान अपना मुआविजा सरकार से जिस तरह सरकारी मालगुजारी वसूल करती है, उसी तरह वसूल करने का अधिकारी होगा। क्योंकि सरकार के पास मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका है, उससे अधिक कारामद कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है और मेरा तो विचार है कि उससे अधिक अच्छा कोई नियम बन ही नहीं सकता। इसलिये इसमें किसी प्रकार की शिकायत करने की गुन्जायश नहीं है। यदि कोई यह कहे कि इससे भी अच्छा कोई तरीका अपनाया जा सकता है, तो उसको बतलाना चाहिये।

एक बात और कुंवर साहब की ओर से यह कही गयी है, कि इस प्रकार से बार बार संशोधन लाना ठीक नहीं है। उनका कहना यह है, कि इस प्रकार के संशोधन न लाकर यदि यह मामला किसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और वह इस पर विचार करे और विचार करके एक ही बार पूरे संशोधन लाये, तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि बार-बार संशोधन न लाना पड़े। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि यदि कमेटी बना भी दी जायेगी और वह महीनों और वर्षों तक बैठकर इस पर विचार करेगी, तब भी इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार कमेटी बिठलाने से पब्लिक का रुपया व्यर्थ खर्च होगा और सरकार का भी बहुत सा समय नष्ट होगा, इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझता हूं।

माननीय सदस्य श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने एक बात कही है जैसा कि हमारे माननीय माल मन्त्री जी ने बतलाया है कि "संशोधन में इस बात की चर्चा है कि जिन स्थानों में अधिक गलतियां मिलेंगी वहां बिना चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट के भी सरकार को अधिकार होगा कि वह चाहे तो उस ग्राम का या क्षेत्र का सर्वे नये सिरे से करा दे, तब बाद में वहां चकबन्दी हो।" पहले ऐक्ट में यह बात नहीं थी, बल्कि इसका रूप यह था कि यदि कहीं

[श्री विश्वनाथ]
अधिक गलतियां कागजों में हों, तो चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट पर सरकार वहां पर सर्वे करायेगी। परन्तु प्रभु नारायण जी का कहना है कि चकबन्दी के पूर्व सर्वत्र पहले सरकार सर्वे करा ले, तो बाद में वहां पर चकबन्दी हो। वास्तव मे सब गांवों के कागजात तो गलत है भी नहीं, और यदि थोड़ी गलतियां मिलेंगी, तो चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी से पूर्व उस स्थान के कागजात की जांच करके, जो सही नहीं होंगे उन्हें ठीक करेंगे, तब चकबन्दी के कार्य शुरू होंगे, यही व्यवस्था चकबन्दी ऐक्ट तथा संशोधन द्वारा की गई है। अतः सब जगह सर्वे कराना व्यर्थ का खर्च करना तथा अनावश्यक विलम्ब करना होगा। एक चीज श्री प्रभु नारायग जी ने और बतलाई कि किसान की भूमि के क्षेत्रफल का ख्याल न करके चकबन्दी को जा रही है। जिससे किसी का कम भी हो सकता है और किसी का अधिक भी हो सकता है, परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि चकबन्दी ऐक्ट म यह चीज है कि जिस किसान के पास जितने एकड़ या जितनी बीघे जमीन है, उसकी कीमत निश्चय हो जाने के बाद उसको जो भूमि दी जायेगी, उसी मूल्य की दी जायेगी और इसमें सिर्फ ९, १० का फर्क हो सकता है। मान लिया जाय कि किसी के पास १० बीघा जमीन है और उसको उससे अच्छी जमीन दी जायेगी, तो वह ९ बीघा तक हो सकता है, उससे खराब १० बीघा का ११ बीघा तक उसको मिल सकती है अर्थात् जिन किसानों के पास जिस किस्म की भूमि है, उनमें थोड़ी सा फर्क रखा जायेगा और इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता तथा किसी प्रकार का घाटा भी नहीं होता।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के जरिये से यह बात अच्छी हो गयी कि चकबन्दी में जो खर्चा हो गया वह एकमुश्त किसानों से वसूल करना जरूरी नहीं है, बल्कि कई किस्तों में आवश्यकता होने पर लिया जायगा। यह ठीक बात है क्योंकि इससे किसानों को काफी सुविधा अकालादि अवसरों पर हो जायेगी। इन चन्द शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जिस चीज की मैं बहुत दिनों से पपीहा की तरह से रट लगाये हुये था, और आशा लगाये हुये था, उसका अब समय आ गया है। अब माननीय मन्त्री जी गाजीपुर जिले को शीघ्र से शीघ्र लें।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधयक माननीय मन्त्री जी ने इस समय सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी की प्रसंशा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम से काम लिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात यह भी कही कि सदन में बार बार किसी विधेयक में संशोधन लाना ठीक नहीं है, मैं तो इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी विधेयक से जनता को कोई कठिनाई पड़ती है, तो उसमें बार बार संशोधन आना ठीक ही है। आप पुस्तकों में भी देखते हैं कि कई दफा संशोधन आते हैं। इसी तरह से समय समय पर माननीय मन्त्री जी को भी किसानों के हित के लिये संशोधन लाने पड़ते हैं। जिस प्रकार से कि चातक मेघ वर्षा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार से किसान इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बात हम और आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों की दशा बहुत ही खराब है और उनके पास धन का अभाव है। इस कारण वह सारा खर्च नहीं उठा सकते हैं। मैं तो इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि अगर इस के लिये सरकार आधा खर्चा उठाये तो ठीक होगा और यह एक न्याय की बात भी होगी। सरकार ने इस संशोधन विधेयक में इस बात की व्यवस्था की है कि किसानों से सारा रुपया एक दम से वसूल न किया जाय, बल्कि अगर संभव हो, तो किस्त के रूप में ही थोड़ा सा रुपया लिया जाय। यह एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे किसानों को काफी लाभ भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—हाउस को २ बज कर ३० मिनट तक के लिये स्थगित कर दीजिये।

श्री डिप्टी चेयरमैन--सदन की बैठक २ बज कर ३० मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक १२ बजकर ५५ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और २ बजकर ३० मिनट पर श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की नियम परीक्षण समिति का प्रतिवेदन

श्री चेयरमैन--पहले श्री निजामुद्दीन साहब नियम परीक्षण समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करेंगे, उसके पश्चात् इस विधेयक पर विचार जारी रहेगा ।

श्री निजामुद्दीन--श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की नियम परीक्षण समिति के प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूं ।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय इस सदन के विचाराधीन है, वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है । इसमें सन्देह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को इसका स्वागत करना चाहिये । श्री गोविन्द सहाय जी ने भी इस बात को मान लिया कि मन्त्री महोदय का दिल भी ठीक है और उनकी नियत भी ठीक है और उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि मन्त्री महोदय किसानों की सुविधाओं व असुविधाओं के प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करना चाहते हैं । इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह सब किसानों की सुविधाओं के लिये ही किया गया है । माननीय मन्त्री जी ने जिस क्षमता से इन प्रश्नों पर विचार किया है, उतना और किसी ने नहीं किया है । मैं उनके परिश्रम, उनकी विशेषज्ञता और उनकी स्पष्टता की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि जब कभी वह रेवेन्यू और भूमि के प्रश्नों पर बोलते हैं, तो सदैव ही अधिकारपूर्ण भाषण करते है और उनके भाषण से मालूम होता है कि उन्होंने इसका कितना अध्ययन किया है । वह जो कुछ कहते हैं बहुत सोच विचार कर कहते हैं और उनके मुख से यह कम सुना जाता है कि आप हमें इसका नोटिस दें या मैं इसे बाद में देख कर बतलाऊंगा । जब वे सदन में आते है, तो अपने विषय को पूर्णतः तैयार करके लाते हैं, ताकि उस पर पूरी तरह से प्रकाश पड़ सके । इससे सदस्यों को बड़ी सहायता मिलती है । मन्त्री जी के भाषण में, जो कुछ संशोधन किये गये है, उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है, इसलिये मैं चकबन्दी के लाभ और हानि का विवरण करके आप का समय नष्ट नहीं करूंगा । चकबन्दी का प्रश्न बड़ा पुराना है और यह अंग्रेजी राज्य से चला आता था । पहले कभी इस बात की चेष्टा नहीं की गई कि चकबन्दी पूरी तरह से हमारे प्रदेश में प्रचलित की जाय । कांग्रेस सरकार ने पहला कदम जमींदारी बन्द करने का उठाया । जब जमींदारी बन्द हो गई और जमीन किसानों की हो गई तब सरकार के सामने यह विचार आया कि चकबन्दी की जाय । चकबन्दी की आवश्यकतायें पड़ी, अध्यक्ष महोदय, कि देहातों में खेत ऐसे बेतुके ढंग से हैं कि एक जगह ४ बीघा है, दूसरी जगह ६ बीघा है और तीसरी जगह ८ बीघा है, तो बड़ी असुविधा होती है । यह संशोधन इसलिये किया गया कि थोड़ी सी कठिनाई जो इस अधिनियम को व्यवहार में लाने में हुई उसको दूर किया जाय । इसमें दो बातें मुख्य हैं । एक तो यह है कि चकबन्दी के दौरान में कोई किसान अपनी जमीन का इंतकाल नहीं कर सकेगा, अथवा सेल, ट्रान्सफर या मारगेज नहीं कर सकेगा । जब तक चकबन्दी रहेगी तब तक इंतकाल नहीं होगा । दूसरी कठिनाई आपने जो बताई, वह यह कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि खेत को घेर लिया, मेंड़ डाल दी और मकान बना दिया । इस पर भी प्रति-बन्ध लगाया गया है । किसानों की सुविधा के लिये इतना कर दिया गया है कि यदि किसी को आवश्यकता पड़े और यदि कोई खेत बेचना चाहे या घेर बनाना चाहें, तो वह हाकिम बन्दोबस्त की आज्ञा से ऐसा कर सकता है । आपने यह भी बतलाया कि इस संशोधन में

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

होल्डिंग्स यानी जोत को परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है। आपने यह भी कहा कि जो खेत मय फसल के जायगा उसकी फसल वही आदमी काटेगा जिसके पास है और उसको आधी रेंटल वेल्यू होगी। रेन्टल वेल्यू के आधार पर खेत की अदला बदली होगी। आपके शब्दों से ऐसा मालूम हुआ कि खर्च के सम्बन्ध में सरकार ने कड़ाई का व्यवहार नहीं किया। संशोधन विधेयक में एक धारा है कि जिसमें कहा गया है कि सरकार पहली किस्त लेगी फिर उसके बाद पीछे वसूल करेगी और उसकी वसूली उसी तरह से होगी जैसी लगान की होती है। माननीय मन्त्री जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुत सख्ती नहीं करेगी। किसानों के पास रुपया हमेशा नहीं रहता है। उनकी सुविधा के अनुसार रुपया वसूल किया जायगा। इसीलिये उन्होंने धारा ३३ में परिवर्तन किया है। माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक के उद्देश्यों को अच्छी तरह से व्याख्या की है। कोई भी सदन का सदस्य ऐसा न होगा जिसको कोई आपत्ति हो। हमें ऐसे विधेयक का स्वागत करना चाहिये। इससे किसानों की सुविधा बढ़ेगी और एक तरह से जनता में सन्तोष पैदा होगा।

मेरे मित्र कुंवर गुरु नारायण ने विधेयक का स्वागत किया है और एक बात उन्होंने यह कही है कि सरकार का इस प्रकार का पीस मील लेजिस्लेशन नहीं लाना चाहिये। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक कमेटी गवर्नमेंट लेविल पर नियुक्त की जाय, जो इस प्रश्न के हर पहलू पर विचार करे और ऐसा एक कम्प्रिहेन्सिव मेजर उपस्थित करे जिससे बार बार संशोधक विधेयकों के लाने की आवश्यकता न रहे। मैं समझता हूं कि कुंवर गुरु नारायण का इस समय यह कहना अव्यवहारिक होगा। अब गवर्नमेंट का किसी कमेटी का नियुक्त करना ठीक न होगा, क्योंकि काम बहुत आगे बढ़ चुका है और इस किस्म का कोई भी कम्प्रिहेन्सिव मेजर नहीं लाया जा सकता है, जो आगे और पीछे की बातों को फिर से ठीक कर सके। जैसे जैसे अनुभव हुये और जो कठिनाईयां उपस्थित हुयीं, उनको दूर करने के लिये संशोधक विधेयक लाये गये। श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा कि जो रिकार्ड्स बनें, वह अच्छी तरह से बनने चाहियें और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि खसरा इत्यादि जो रिकार्ड्स बनें, जिसमें जोत या खेत का इन्दराज हो, वह सब बहुत सही तौर पर होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, देहातों में आजकल लेखपालों की बहुत शिकायतें सुनी जा रही हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि लेखपाल पटवारियों से भी ज्यादा हैं। जो काम पटवारी पांच रुपये के पाने से कर देता था उसके लिये ५०,५० रुपये लेखपाल मांगता है। मैंने इस बात को लोगों को कहते हुये खुद सुना है। तो मेरा कहना यह है कि लेखपालों पर अधिक नियन्त्रण होना चाहिये और जो रिकार्ड्स तैयार किये जायं, वह इस प्रकार से तैयार किये जांय कि किसानों को किसी प्रकार से हानि न हो, श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने यह भी कहा है कि ऐसा न हो कि अदला बदली में अच्छी हैसियत के खेत किसान से निकल जांय। तो यह प्रश्न अदला बदली का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा न हो कि बलशाली मनुष्य अफसरों के ऊपर अपना असर डाल कर अच्छे अच्छे खेत लेलें और जो गरीब किसान हैं, उनको हानि पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, देहातों में ऐसा हो सकता है कि जो बलशाली हैं या धन वाले हैं या जिनकी तादाद अधिक है, वह ऐसा कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिये पूरे उपाय करना चाहिये और जो सेटिलमेंट आफिसर नियुक्त हो, उसको इस ओर पूरी सावधानी से काम करना चाहिये। खर्चे के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा है कि यह ठीक है कि रुपया किस्तों में लिया जायेगा। परन्तु भार खर्चे का किसानों पर ही होगा। चकबन्दी का जो अधिनियम बनाया जा रहा है, वह जनता के कल्याण के लिये बनाया जा रहा है। कल्याणकारी राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि जनता के लाभ के लिये कार्य करे, खर्चा अधिक होगा और किसान इसको पूरी तरह से वहन नहीं कर सकता। इसलिये कल्याणकारी राष्ट्र का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी कुछ खर्चे को वहन करे। पूरा खर्चा सरकार भी नहीं दे सकती है और किसान भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह दे सकें। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि यह किश्तों में वसूल होगा। फिर भी अन्य कर्मचारी किसानों को परेशान करेंगे। यह ऐक्ट जब व्यवहार में आवेगा, तब यह

बात मालूम होगी। इस बात का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी किसानों से रुपया वसूल करने में किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार न करें। लगान के बकाया को वसूल करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। जो लोग सरकार का लगान वसूल करते हैं, उनको बड़े अधिकार हैं।

अगर आप न दें तो आप की २५० रु० की भैंस ५० रु० में नीलाम की जा सकती है, आपका बैल नीलाम हो सकता है, आपकी गाय नीलाम हो सकती है। यह सब अधिकार होते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिये कि जिससे जनता में असन्तोष किसी प्रकार का न हो। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और सरकारी कर्मचारियों को आदेश करेंगे कि जो कुछ कार्य चकबन्दी अधिनियम के अनुसार हो वह न्याय और निष्पक्षता के साथ हो तभी जनता को लाभ हो सकेगा अन्यथा नहीं। श्री गोविन्द सहाय जी ने एक बात कही और वह यह कि लोग चकबन्दी के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु मन्त्री जी ने कहा कि ९५ प्रतिशत मनुष्य इसके पक्ष में हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा भी मालूम होता है कि ९९ प्वाइन्ट कुछ लोग इसके पक्ष में हैं। मन्त्री जी के कथन में भी थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। ऐसा न हो कि बहुत सी जगहों पर उनको गलतफहमी हो रही हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि बिजनौर और धामपुर में इसका कितना विरोध हो रहा है। गोविन्द सहाय जी के कहने के अनुसार पहले नगीने में चकबन्दी आरम्भ हुई, परन्तु वहां जब इसका विरोध किया गया, तो वहां से हटा कर धामपुर में शुरू हुई, वहां भी जब विरोध हुआ, तो बिजनौर में पहुंची। गोविन्द सहाय जी ने बताया कि वहां भी चकबन्दी लोकप्रिय नहीं हो सकी। परन्तु और जगह ऐसा नहीं है। हमारे जिले में ऐसा नहीं हुआ। वहां हमने यह नहीं सुना कि लोगों ने इसको बुरा समझा हो। जो किसान शिक्षित हैं, वह समझते हैं कि इससे हमको क्या लाभ होगा। गोविन्द सहाय जी ने एक बात कही, जिसको सुन कर थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि किसान रूढ़िवादी है, किसान समझता नहीं है, इसलिये सरकार के काम, सरकार के अधिनियम पूरा लाभ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि यदि जुडिशियरी ठीक फैसला न देगी, तब इससे क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिये कि जुडिशियरी में ऐसे लोग हैं, जो जमींदारी तबके के हैं, तो वह किस तरह का फैसला देंगे। मैं कहूंगा कि हमें इस प्रकार की शंका न होना चाहिये, हमें अपने न्यायाधीशों के ऊपर पूरा विश्वास है। अगर कोई हरिजन क्लास का मैजिस्ट्रेट है, तो हमको इस बात की आशंका नहीं है कि वह ब्राह्मणों को कड़ी सजा दे देगा। कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा काम न करेगा जो कानून के अनुसार न हो। इस प्रकार की जो उन्होंने आशंका प्रकट की है, वह सर्वथा निर्मूल है। कम्युनिस्ट देशों में अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि जज को कम्युनिस्ट आइडियालाजी के अनुसार फैसला देना चाहिये। और उसी की देखा देखी हमारे देश के भी कुछ लोग कहने लगे हैं कि जजों को कानून को एडमिनिस्टर करते समय यह देख लेना चाहिये कि लेजिस्लेचर का वातावरण क्या है। वास्तव में जज का लेजिस्लेचर के वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, स्पष्ट कानून बनाता है। उस कानून के अनुसार न्यायाधीश काम करता है। उसकी क्या रुचि है, क्या उसकी अरुचि है, यह बिल्कुल असंगत बातें हैं। उसका सदन के वातावरण या बाहर के वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसे तो कानून को कार्यान्वित करना है।

जैसा आप अधिनियम बनायेंगे उसके अनुसार काम करना उनका कर्तव्य हो जाता है, तो उसकी आशंका नहीं होनी चाहिये। हमारा जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना, आपने देखा उसको कार्यान्वित किया गया। बीसों जमींदारों के लड़के न्यायाधीश हैं और हाई कोर्टों में भी हैं, लेकिन किसी ने भी अन्याय नहीं किया या कोई ऐसी बात नहीं की, जो कानून के खिलाफ हो, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं २, १ सुझाव माननीय मन्त्री जी को इस विधेयक के सम्बन्ध में दूंगा, वह यह है जैसा मैंने पहले कहा कि रिकार्ड्स, जिनका उल्लेख विधेयक में भी है, वह ठीक तरह से बने और लेखपाल या अन्य कर्म-

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

चारी जो इस काम को करें, उन पर पूरा नियन्त्रण रखा जाय। इसकी आशंका इसलिय है कि हमारा किसान ९५ फीसदी बिना पढ़ा लिखा है, वह यह नहीं जानता कि कागज में क्या लिखा है। ऐसी हालत में सरकार पर उत्तरदायित्व है और निरक्षर देश में सरकार की जिम्मेदारी अधिक है कि वह रिकार्ड् स को ठीक कराये और खेत की अदला बदली में किसानों का हक न मारा जाय। खर्चे के बारे में मन्त्री जी ने समझाया कि हम किस तरह से लेंगे, परन्तु कोई हिस्सा सरकार अपने पास से भी दे। कोई औसत सरकार नियत करे और उसको अपने पास से दे। क्योंकि चकबन्दी ऐसी चीज है जिसमें किसानों को सुविधा की जरूरत है। अदला बदली में कम हैसियत का खेत किसी के पास न चला जाय, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। एक बात मन्त्री जी ने भी कही कि किसानों में रूढ़िवादिता ज्यादा है। इसमें सन्देह नहीं किसानों को अपनी जमींन से मोह है और २१ जिलों में योजना चल रही है और १६ जिलों में पहले से चल रही है, किन्तु ऐसा नहीं मालूम हुआ कि किसी प्रकार का विरोध या विद्रोह हुआ हो। उनकी रूढ़िवादिता २ प्रकार से दूर हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, एक तो शिक्षा से परन्तु यह लम्बा कार्य है, दूसरा यह है कि सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के कार्यकर्त्ता बतावें कि चकबन्दी क्या चीज है और सरकार की क्या नीयत है। किसान भारतवर्ष में हमेंशा से भूमि का आदर करता रहा है। वह नहीं चाहता है कि जमीन छीनी जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि मनुष्य को दीवार से भी प्रेम हो जाता है, जैसे किसी जगह पर प्लेग हो और डाक्टर कहता है कि यह जगह छोड़ दो, लेकिन उसको उस समय भी मोह होता है। कैदी को भी अपनी बेड़ियों से प्रेम हो जाता है, जैसा कि बाईरन ने कहा है "My very chains and I grew friends so much a long communion tends." बेड़ी उतारने में भी कैदी को कष्ट होता है, क्योंकि उसको उससे प्रेम हो जाता है, फिर वह वह अनुभव करता है कि बाहर जायेंगे और बालबच्चों से मिलेंगे। इस तरह से किसान को समझाना चाहिये। यह सुन कर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने इस मामले में किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की है। सरकार के अधिकारियों ने इस बात की चेष्टा की है कि वह किसानों को समझायें, साथ ही किसानों के कार्यकर्त्ता जहां जायें, वह भी किसानों को समझायें कि यह चकबन्दी आपके फायदे के लिये की जा रही है। माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि अभी कहा है कि पार्टी वाले कुछ ऐसे हैं जो किसानों को भडका रहे हैं। उन्होंने श्री गोविन्द सहाय जी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मतलब कुछ ऐसे ही लोगों से था। तो मैं बताऊं कि पार्टी में मनुष्य की दूसरी ही दृष्टि हो जाती है और वह हमेशा न्याय और निष्पक्षता से काम नहीं ले पाता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार उससे अपना मार्ग बदल दें और अपने रास्ते से हट जाय। हमको चकबन्दी कानून चलाना चाहिये और हर प्रकार से कोशिश करना चाहिये कि वह सफल हो। कानून की कसौटी क्या है? कानून की कसौटी है कि जनता सुखी और सम्पन्न हो। आपने बहुत से कानून बनाये हैं, जिनसे आज देश बहुत ही प्रगतिशील हो रहा है। मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार के कानून लायेंगे कि जिनसे किसान के खेत में ज्यादा उपज हो और उनके बाल बच्चे सुखी हों और तब वह जानेंगे कि हमारी सरकार ने जो कुछ किया है, वह हमारे फायदे में ही किया है और उसका उद्देश्य सफल हुआ है। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी का कुछ खेत गांव के पास हों, आबादी से लगा हुआ है, उसमें उसने कुंवा बनवाया है, और तरक्की की है और दूसरी जगह उसके ज्यादा खेत हैं। इसमें जो इस सम्बन्ध में धारा दी हुई है, वह कहती है कि जहां जिसकी अधिक जमीन होगी, वहीं उसको सारी जमीन मिलेगी। तो उसको कैसे प्रतिकर दिया जायगा। मुझे आशा है कि मन्त्री जी अपने उत्तर में यह बात बतावेंगे। मुझे यह आशा भी है कि सरकार अपने अफसरों को आदेश देगी कि वह जनता की उचित रूप से सेवा करे और जनता का स्वागत करें। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री एम० जे० मुकर्जी--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करने खड़ा हुआ हूं इस विधेयक के ऊपर हम सबों ने बड़े गौर से विचार किया और सभी की राय यह है कि यह बड़ा आवश्यक विधेयक है। हां, जमीन का जब सवाल उठता है तब इसमें बहुत सी मुश्किलातें और बहुत से ऐसे पेचीदे सवाल आ जाते हैं जिनकी वजह से उनको हल करना बहुत आसान होता है। यह संशोधन जिन पर हम गौर कर रहे हैं, यह सब उन्हीं बातों का नतीजा है कि जब कानून को काम में लाया गया और मुश्किलातें सामने आईं, तब इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी।

(इस समय ३ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

और हम सब इसको कह सकते हैं कि हमारे मन्त्री जी इसको बहुत सोच समझ कर सदन के सामने लाये हैं। दो एक बातें जो बहस के दौरान में कही गईं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि यह बात कही गई है कि अभी तक हमारे काश्तकारों ने इसकी भलाई को नहीं समझा है। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी वाले उन काश्तकारों के बीच में जायं और उनको इसकी भलाई के बारे में समझायें। मैं तो यह समझता हूं कि यह पार्टी का सवाल नहीं है। इसमें हम सबको, जो चकबन्दी को अच्छा समझते हैं, वह काश्तकारों के बीच में जायें और इसकी भलाई के बारे में समझायें। इसमें एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का सवाल नहीं उठना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अपने देश की सेवा पूरी तौर से नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात हमारे अफसरों के खिलाफ कही गई कि हमारे जुडीशियरी के अफसरान ठीक से काम नहीं करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत और नामुनासिब मालूम पड़ती है। हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं और हमको गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिये। मुझे पूरा इत्मीनान है जैसा कि हमारे डाक्टर साहब ने कहा है कि हमारे अफसर ऐसे नहीं हैं। वह किसी का पक्ष नहीं करते हैं। वह अपने कर्तव्य का पालन करने में निष्पक्ष रहते हैं। फिर खर्चे के बारे में कहा गया कि काश्तकार अमीर नहीं हैं। हम यह जानते हैं फिर भी हमको उनको सिखाना है कि जो कुछ उनकी भलाई के लिये किया जाता है, उसमें जो खर्च होता है, उसमें उनको भी हिस्सा लेना चाहिये। सरकार सारा खर्च नहीं उठा सकती है। जनता को भी अपना खर्च उठाने की कोशिश करनी चाहिये। जिन सवालों की तरफ हमारे डाक्टर साहब ने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उनकी तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे अफसर जो हैं, उनको इस तरह से काम करना चाहिये, जिससे गरीबों पर जुल्म न हो और उनको नुकसान न पहुंचे। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको मानेंगे और अपने अफसरों को इसको बाबत बतलायेंगे। जो दो एक बातें लेखपालों और कंसालिडेशन अफसरों को बाबत कही गई हैं, मालूम नहीं कि वह कहां तक सही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस पर भी ध्यान रक्खेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि इत्तिफाक राय से इस संशोधक विधेयक का स्वागत हुआ है। माननीय डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने और गोविन्द सहाय जी ने जो गवर्नमेंट की तरफ से किसानों की भलाई के लिये जिस लगन के साथ काम हो रहा है, उसका वर्णन किया, तो उसको सुनकर तो मेरा बोझ बढ़ जाता है, जब अपने साथियों का इतना विश्वास किसी के ऊपर हो, तो उसको खुशी भी होती है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि उसका भार और बढ़ जाना चाहिये और वह बढ़ जायेगा। दरअसल यह चकबन्दी की योजना है ही ऐसी, कि इसके सम्बन्ध में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैंने जो शुरू में अर्ज किया एक पार्टी के सम्बन्ध में उसका कोई वास्ता गोविन्द सहाय जी से नहीं है। मैं तो एक पोलिटिकल पार्टी का जिक्र कर रहा था, जो कि उसूली तौर पर गवर्नमेंट की हर योजना और हर कानून की मुखालिफत करती है। सिवाय उस पार्टी की ओर से कुछ इलाकों में विरोध होने के, सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक चकबन्दी योजना

[श्री चरण सिंह]

का इस्तकबाल किया गया है और लोग भी इसको चाहते हैं। जैसा माननीय पन्ना लाल जी और विश्वनाथ शर्मा जी ने फरमाया कि उनके जिलों में बहुत लोग इसको चाहते हैं। गाजीपुर और फतहपुर के जितने माननीय सदस्य हमारे यहां है, उन सब से जिक्र हो चुका है और वह चाहते हैं कि उनके यहां जल्द से जल्द यह योजना लागू कर दी जाय। अकेले गाजीपुर और फतेहपुर के ही लोग इसको नहीं चाहते हैं बल्कि लखीमपुर, खीरी, उरई, इटावा। गरजे मैं कितने ही जिलों के नाम गिनाऊं, शायद ही कोई जिला होगा जहां से लोगों की इस प्रकार की चिट्ठियां न आती हों कि साहब जल्द से जल्द इस चकबन्दी की योजना को हमारे यहां लागू कर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गुरु नारायण जी इस समय नहीं हैं। उन्होंने एक आपत्ति की थी कि इतने जल्दी जल्दी जो संशोधन आते हैं, ये मुनासिब नहीं है और बेहतर यह है कि एक विशेषज्ञों की समिति मुकर्रर की जाय या एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाय, तो बहुत गौरोखोज करने के बाद एक व्यापक रिपोर्ट दे और उसके अनुसार कानून बनाये जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से मेरे मित्रों ने कुंवर साहब के इस एतराज का जवाब दे दिया है। उन्होंने जो यह कहा है कि वह कमीशन एक व्यापक रिपोर्ट दे, तो इस कमीशन में कौन कौन बैठेगा और कौन इसके मेम्बर होंगे? इसके मेम्बर, होंगे हमारे डायरेक्टर आफ कन्सोलिडेशन आफिसर, असिस्टेन्ट डायरेक्टर, सेटलमेंट आफिसर कन्सोलिडेशन और हमारे रेवेन्यू विभाग के सेक्रेटरी। यही इसके विशेषज्ञ है। तो ये लोग एक कमीशन में बैठे या रोज मेरे साथ कमरे मे बैठे, इसमे अन्तर नहीं पड़ता हैं। हर महीने तो इन आफिसर्स की एक मीटिंग होती है और जो उनकी कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों को डायरेक्टर सुनता है और जो वे सुझाव देते हैं, उनके ऊपर विचार करता हैं। एक बार मैं भी उनकी मीटिंग में गया था। फिर हमारे यहां जो ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं, वह स्वयं एक उस जिले में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, जहां उन्होंने कन्सोलिडेशन कराया हैं और इस तरह उनको जाती तजुर्बा भी हैं। हमको विचार करने में एक घंटा नहीं, बल्कि कई घंटे और एक दिन नहीं बल्कि कई दिन लग जाते हैं, तब इसके बाद ही नियमों में परिवर्तन या कानून मे संशोधन सदन में पेश करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे विशेषज्ञ क्या करेंगे? इसलिये मेरी समझ में उनका यह सुझाव बिल्कुल बेकार मालूम पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम ने शुरू मे विधेयक बनाया था तो जो हमारे मौजूदा डायरेक्टर हैं, उन्हें पंजाब में भेजा गया था और वहां जाकर उन्होंने इस स्कीम का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से आफिसर्स भी पहले पंजाब में ट्रेनिंग पा चुके हैं और अब जितने भी हमारे आफिसर्स तजुर्बेकार हैं, उनके तजुर्बे से फायदा उठाना जरूरी होता है। इसलिये यह संशोधन लाये गये हैं। अब यह विचार करना है कि क्या हमारे ये आफिसर्स ६, ७ महीने तक बैठे रहें, जब तक कि चकबन्दी की स्कीम पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि इसकी कई स्टेजेज होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। दो जिलों में चौथी स्कीम पर कार्यवाही हो रही है।

एक एक तहसील में दफा २७ के मातहत रिकार्ड आपरेशन हो रहा है और जब तक वाकई कन्सोलिडेशन नहीं होता, तब तक कम्प्रीहेन्सिव रिपोर्ट कोई दे नहीं सकता है। अगर हम कमीशन के लिये बैठें और उसका इन्तजार करें कि वह रिपोर्ट दे और उसके बाद कोई कानून बनायें तो क्या जो ९, १० हजार काम करने वाले देहातों में हैं, वह बैठे रहें? पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा और फिर लाखों रुपया इसके ऊपर खर्च होगा, लोगों में एक प्रकार की ढिलाई आ जायेगी और एक बदगुमानी पैदा हो जायेगी कि अभी तो कमीशन बिठाया है और वह इस पर वर्क कर रहा है। इसलिये यह गैर जरूरी और नाकाबिले अमल है, जो कि उन्होंने सुझाव दिया हैं।

अब रही यह बात, उपाध्यक्ष महोदय, कि रोज–रोज संशोधन आते हैं, लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा कि संशोधन नहीं आयेंगे। मैं तो बार–बार यही कहता रहा हूं कि संशोधन

आयेंगे और जरूर आयेंगे, अगर हमें काम करना है तो बार-बार आयेंगे। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने से, हजारों वर्षों से जो ला आफ जुरिस्प्रुडेन्स है, उसके वही प्रिंसिपल्स हैं और उसके लिये एक ऐक्ट सन् १८७२ में बना दिया और तब से इसमें तरमीम पेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत थोड़ी सी उसमें भी तरमीम हुई है। लेकिन चकबन्दी कोई ऐसा उसूल नहीं है जिसमें संशोधन न करने पड़ें। यह तो बहुत मुश्किल आपरेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि यह चकबन्दी का काम उठाकर, तूने सही किया है या गलत किया है। कभी-कभी तो इतनी कठिनाइयां आती हैं कि मैं समझता हूं कि खामखाह में एक सिरदर्द मोल ले लिया। जमींदारी अबालिशन हो गया, शिकमियों को पूरे अधिकार दे दिये गये, बिला दस्तावेज के, लेकिन फिर भी माल-गुजारी वसूल करने में चार परसेंट खर्चा हो जाता है। इसके बाद पटवारियों की सर्विस का रिआर्गेनाइजेशन कर दिया, पंचायतों को काफी अधिकार दे दिये और इतने अधिकार दे दिये हैं जितने कि शायद किसी को नहीं दिये गये हैं, तो जब यह सब काम हो गया, तो अगर कन्सा-लिडेशन आफ होल्डिंग्स न उठाते, तो यह कोई ऐसी बात नहीं थी, जिससे यह मालूम होता कि हमने इस सूबे के लिये कुछ नहीं किया है। मेरे विचार से अगर यह न होता तब भी यह सूबा और सूबों से आगे ही रहता तो फिर मुफ्त में यह सिर दर्द क्यों मोल ले लिया है, यह मैं अपने आइडिल मूवमेंट में सोचता रहता हूं। क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि हमारे किसान सीधे हैं और बहुत जल्दी ही किसी बात को समझ लेते हैं। बहुत सी चीजें कानून में भी साफ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे अफसरान अपनी टैक्ट से ऐसे मौके पर उनको राजी कर लेते हैं और उनकी रजामन्दी से कानून को इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत ही मुश्किल काम है। अब इसमें किस तरह की मुश्किलातें आयेंगी, इसकी पहले से हमारे लैन्ड रिफार्म आफिसर, कन्सालिडेशन डाइरेक्टर, सेक्रेटरीज वगैरह कैसे कल्पना कर सकते थे या कर सकते हैं कि इस तरह की मुश्किलातें पेश आयेंगी। इसलिये किसी कानून के एक दफा बन जाने के बाद फिर उसमें तरमीम न हों, यह ना मुमकिन है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक आफिसर दिल्ली गये हुये हैं और दिल्ली स्टेट के वे बहुत बड़े आफिसर हैं, और चूंकि डेपुटेशन पर गये हुये हैं, वे यहां आना चाहते हैं तो जब मैंने पूछा कि वहां तो ठीक हो, वापस क्यों आना चाहते हो, उन्होंने कहा कि मुझे इसका शौक है, इसलिये मुझे कन्सोलिडेशन का काम दे दिया जाय। मैंने कहा कि इतना मुश्किल काम है, खामखाह में क्यों सिर दर्द मोल लेने का शौक चर्राया है। बहरहाल, उन्होंने वहां कन्सा-लिडेशन का काम शुरू किया और उसकी हाई कोर्ट में रिट दायर हो गयी, अब वह बैठे हुये हैं। वहां पर उन्होंने इसको लागू किया तो बहुत ही कठिनाई आयी। चार साल उनको यह काम शुरू किये हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कब्जा दे दिया गया है, लकिन एतराज अब सुने जा रहे हैं। कुंवर साहब इस बात को मानें या न मानें, लेकिन डेमोक्रेसी में यह नहीं होता है कि एक दफा किसी कानून को बना दिया जाय और फिर उसमें किसी प्रकार का संशोधन न हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि कुंवर साहब बहुत जरूरी मशविरा कर रहे थे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि तरमीम होनी चाहिये, संशोधन करने से ही काम ठीक से हो सकेगा। बहुत सी जगहों पर इसका विरोध किया गया, लेकिन बाद को सब ठीक हो गया।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--सबसे ज्यादा विरोध कहां पर हुआ ?

श्री चरण सिंह--सबसे ज्यादा विरोध उन्नाव जिले में हुआ था। उसी पार्टी के द्वारा हुआ, जिसका कि मैंने जिक्र किया था। श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने देखा होगा कि अब वहां पर किसान कितने खुश हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से वहां पर काफी प्रोपे-गेन्डा किया गया है, लेकिन राज्य कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया। इस समय चाहे कुंवर साहब मेरी बात को न मानें। लेकिन जब डाक्टर साहब से लौबी में

[श्री चरण सिंह]
बात करेंगे, तो मान लेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के कारण राज्य कर्मचारियों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--कम्युनिस्ट पार्टी के क्या एतराज हैं?

श्री चरण सिंह--उनके दो एतराज थे, एक तो उनका यह कहना है कि जब कन्सालिडेशन हो जायगा, तो बेरोजगारी बढ़ जायेगी। दूसरे यह कि कन्सालिडेशन हो जाने से मैनुअल लेबर कम हो जायगा, क्योंकि फिर ट्रैक्टर से काम लिया जायेगा। इस प्रकार से पैदावार अधिक हो जायेगी, तो गल्ले का भाव कम हो जायगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक पेश किया है, इस वक्त इसकी बहुत ही आवश्यकता थी, इसी कारण इसको यहां पर लाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे किसानों की हालत में काफी सुधार भी होगा।

मसलन जमींदारी अबालिशन ऐक्ट था, तो जो उसकी स्कीम थी, हमें उसको आगे फिर बढ़ाना था, कैरी फारवर्ड करना था। जैसे अधिवासी से सीरदार बनाना था। यदि कोई टेकनिकल डिफेक्ट रह गया है, तो वह बात ठीक है। पहले उसमें किसी का मोह था और अब किसी दूसरे का हो गया है तब तो कहा जा सकता है कि यह बेवकूफी का लेजिस्लेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन, अमेरिका या ४, ५ जो दूसरे बड़े-बड़े देश हैं, तो वे प्रोग्रेसिव एडवान्स्ड और एजूकेटेड हैं, वहां न एजूकेशन की कमी है और न धन की कमी है और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। तो ब्रिटेन में जितना लेजिस्लेशन हर साल होता है वह आपके उत्तर प्रदेश के मुकाबिले में, जिसकी आबादी ब्रिटेन से ज्यादा है, और जिसके प्राबलम्स भी ज्यादा हैं, तो जबकि वहां प्राबलम्स भी ज्यादा नहीं हैं, यहां से ज्यादा लेजिस्लेशन होता है। जितना एडवान्स्ड और प्राबलम रहित है, वहां इतने कानून बनते हैं, तो जबकि हमारे यहां बहुत से प्राबलम्स हैं और डेमोक्रेसी है, तो यहां कानून बनाने ही पड़ते हैं। यहां कानून के बिना कोई काम भी नहीं हो सकता है। असेम्बली में भी यह सवाल उठाया गया था, तो मैंने इसके लिये आंकड़े इकट्ठा कर लिये। मैं चाहता हूं कि वह इन आंकड़ों को लिख लें, इसके पहले कि वह कोई इस तरह की तरमीम लायें, फिर कोई इस किस्म का सवाल यहां न उठे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--आप इसकी कापी सर्कुलेट करा दीजिये।

श्री चरण सिंह--दूसरे सदस्य तो इस बात के खिलाफ नहीं हैं। मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ देता हूं। सन् १९५१ में वहां ५६ ऐक्ट बनें, जबकि हमारे यहां ३२ ऐक्ट बनें। सन् १९५२ में वहां ६४ ऐक्ट बनें, जबकि हमारे यहां ४० ऐक्ट बने। सन् १९५३ में वहां ५३ ऐक्ट बने, जबकि हमारे यहां ३२ ऐक्ट बने। सन् १९५४ में वहां ६१ ऐक्ट बनें, जबकि हमारे यहां २७ ऐक्ट बने।

श्री कुंवर गुरु नारायण--इसमें अमेंडिंग ऐक्ट कितने हैं?

श्री चरण सिंह--यह सारे अमेंडिंग ही हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे यहां उसके मुकाबले में कम ही कानून बनते हैं। कुछ सदस्यों का यह भी ख्याल है कि वकीलों को हर बात के लिये किताब खरीदनी पड़ती है, तो मेरा कहना है कि ये सब कानून वकीलों के लिये ही नहीं हैं, बल्कि जनता के लिये हैं। वकील की किताबें आप चाहते हैं कि पुरानी ही न हों और उनको खरीदनी ही न पड़े। मैं चाहता हूं कि इस तरह का आर्गूमेंट मुझे दुबारा सुनने को न मिले।

माननीय कुंवर साहब ने एक बात खातेदारों के सम्बन्ध में कही और जो इस तरह से मुआविजा वसूल करने की जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट इस तरह से वसूल करने की जिम्मेदारी

से हटती जा रही है और यह जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर छोड़ देना चाहती है। हमने इसमें लफ्ज रख दिया है "In addition to other method open to him", "In place of" तो नहीं लिखा है। तो इस तरह से हम उनके अधिकारों को बढ़ा रहे हैं।

(इस समय, ३ बजकर २४ मिनट पर, श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

इसी तरह से करके वे आपस में तय कर लें, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। मेरा कहना है कि हमने उनके अधिकार बढ़ाये हैं। पहले वह उस तरह से लगान पाते थे, अब वह उस किसान को, जिसकी फसल है, खेत उसे मिल गया है, तो उस तरह से उसके यहां भी बतौर मालगुजारी के वसूल हो जाता।

फिर उन्होंने एक बात कही कि खाते के सम्बन्ध में १५ दिन के बजाय ३० दिन का मौका मिले। तो इस तरह से इतना ही समय और बढ़ जाता है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

एक बात यह कही गई कि कायदे-कानून इस तरकीब से आपरेट किये जायें कि उन कानूनों से किसान पूरा फायदा उठा सकें। माननीय प्रभु नारायण सिंह जी ने यह बात कही थी, तो मेरा इसके लिये कहना है कि हमारे अफसरान गवर्नमेंट की पालिसी को अच्छी तरह से समझते हैं और उसी तरह से उसको तामील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक जुडिशियरी का सम्बन्ध है, वह तो बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट है और हम उसके लिये कुछ नहीं कह सकते हैं। हां, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हमें जो लीगल ऐडवाइज करते हैं, वे कहते हैं कि जो नजीर ज्युडिशियरी की है, वह सही नहीं है और हमारी मंशा के खिलाफ उन्होंने रूलिंग दे दी। अगर उस रूलिंग की बिना पर हम यहां तरमीम करने लगें, तो वह गलत बात है। हो सकता है कि ६ महीने के बाद रूलिंग बदल दें। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चला जाय। जुडीशियरी तो होगी और जुडीशियरी को इन्टरप्रिटेशन का हक होगा। जब हक है तो जुडीशियरी का होशियार से होशियार आदमी हो, उससे गलत फैसला भी हो सकता है। इसलिये हम बात-बात पर, कदम-कदम पर जैसे ही रूलिंग आये, तरमीम करना कानून में जरूरी नहीं समझते। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसानों को जो फायदा पहुंचना चाहिये था, वह नहीं पहुंचता वे उससे महरूम रह जाते हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि कन्सोलिडेशन के लिये साइकोलाजिकल प्रिपरेशन किसानों का होना चाहिये। सब जगह हमारे अफसरान भी सामझाने की कोशिश करते हैं और जो गैर सरकारी जन सेवक हैं, वे भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं भी खुद जाता हूं। एक मीटिंग सब पंचों को बुलाकर करता हूं। आगरे में खैरागढ़ में कन्सालिडेशन शुरू होने वाला था। अफसरान ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने की चेष्टा की है। मैं भी एक बड़ी मीटिंग करके आया हूं।

हरदोई और संडीला में कन्सालिडेशन शुरू होने वाला है। मैं इलाहाबाद में जुलाई में हो आया था। और फरवरी में फिर जाऊंगा। डाक्टर साहब देहातों में चलें और देखें कि किस तरह की स्कीम है। किसानों के ऊपर क्या रिऐक्शन है। वे इस बात को देखेंगे कि किसान इसके लिये कितने तैयार हैं। यह बात नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं होता है। जहां तक करप्शन की बात है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर हजारों आदमी काम कर रहे हों, और वे इन घरों के अन्दर पले हुये हों, जहां कोई भी आदमी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने गलत बयानी नहीं की। वहां एक दो आदमी तो करते ही हैं, लेकिन उनके खिलाफ तत्काल कारवाई की जाती है आमतौर से मैं कह सकता हूं कि कोई भी स्कीम किसी भी सूबे में इस तरह की अब तक अमल में नहीं आई, जिसमें करप्शन निल हो। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली निल है। मुझे स्वयं इस बात के लिये अपने देश के भविष्य पर विश्वास पैदा हो जाता है, जब मैं कन्सोलिडेशन को देखता हूं। किस ईमानदारी से अफसरान, जहां उनके ठहरने का इन्तजाम नहीं है, खाने-पीने का इन्तजाम नहीं है, काम करते हैं यह देखकर खुशी होती है कि They are wholly far far free from corruption. जिस पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके बड़े-बड़े कर्मचारियों ने इस बात को तस्लीम किया है कि यह स्कीम फ्री

[श्री चरण सिंह]

फ्राम करप्शन है। कुंवर साहब अपने जिले में जाकर देखें। डाक्टर साहब भी अपने जिले में जाकर देखें। गोविन्द सहाय जी बिलारी तहसील में जाकर देखें कि किस ईमानदारी से काम हो रहा है। सिकन्दराबाद की तहसील है, वहां जाकर देखें कितनी ईमानदारी से वहां काम हो रहा है। फिर भी यह कहना कि करप्शन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि कोई काम बिना करप्शन के हो ही नहीं सकता। हम इतना कन्डेम कर दें अपने लोगों को, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यह कहां तक ठीक है। बहुत ईमानदारी से नौजवानों ने काम किया है। गोविन्द सहाय जी यहां नहीं हैं। मैं खत लिखूंगा कि उनको जिन्होंने यह कहा था कि यहां आमदनी बहुत है, लेकिन मुस्तकिल नौकरी नहीं है, इसलिये रेलवे में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह मुहकमें की अदला-बदली कर रहे हैं। लेखपाल की बाबत भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जो तकरीर यहां कर दूंगा वह अखबारों में छप जायगी, इसलिये मैं क्या करूं। वह हमारे दोस्त जो बैठे हुये हैं, वह तो मानेंगे ही नहीं तो यह तो करप्शन की बात है। दूसरी बात आती है कि फुल और करेक्ट रिकार्ड्स तैयार किये जायं। तो रिकार्ड्स फुल और करेक्ट तो होंगे ही, जो गल्तियां हैं वह निकाली जा रही हैं। फैजाबाद सदर तहसील में ६ लाख ९४ हजार खेत हैं और गल्तियां निकली हैं सात लाख बीस हजार, तो राज्य कर्मचारी क्या करें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—क्या पटवारियों के जमाने की थीं।

श्री चरण सिंह—उसी जमाने की हैं। एक खेत में तीन-तीन गल्तियां हैं, खसरे की गल्ती, खतौनी की गल्ती और शजरे के नक्शे में गलती। तो यह गल्तियां बनी हुई हैं सिर्फ एक-एक तहसील में। तो कितना स्टूपेन्ड्स टास्क है। ले अमीनों और लेखपालों को तो कोई पावर्स ही नहीं। इसको मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेखपालों के लिये तो चकबन्दी में कोई राईट ही नहीं दिया गया। वह तो कन्सोलिडेटर्स पर ही सब कुछ होगा। डोमारिया तहसील में २४ लाख खेत हैं और ५ लाख गलतियां निकलीं। मैं तो किसानों से जाकर कहता हूं कि तुम लोग बहुत भोले हो। अगर दुनियां में कहीं और ऐसी गल्तियां होतीं तो एक-एक गल्ती पर कत्ल और बल्वे होते। तो इतनी गल्तियों को दुरुस्त करने के बाद फुल और करेक्ट रिकार्ड्स तो बनेंगे ही। जहां तक लेखपालों की बात है हमने एक छोटा सा पैम्फलेट लिखा था नाम तो उसका मुझको याद नहीं आता।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—"Then and Now" उसका नाम है

श्री चरण सिंह—पुराने पटवारियों को क्या अधिकार थे, और नये लेखपालों को क्या अधिकार हैं, इसके बारे में उसमें लिखा है। आप उसको पढ़ लें और उसके बाद अगर आप कोई सुझाव दें तो मैं रूल्स को बदल दूंगा। एक जगह के एम० एल० ए० थे वह लेख-पाल के खिलाफ बहुत चिट्ठियां लिखा करते थे। लेखपाल पर इस तरह के पांच प्रतिबन्ध हैं कि वह बेईमानी नहीं कर सकता है। हमने उनको यह मौका दिया कि आप ५ गांव ऐटरेन्डम चुन लें और तहसीलदार को मैं भिजवा दूंगा और लेखपाल ने इन्दराज में जो गल्तियां की हों, उनको जाकर देखिये कि वह ठीक हैं या नहीं। बस्ती में ५ गांव चुन लिये गये और एक छठा गांव तहसीलदार ने और चुन लिया। एम० एल० ए० ने जाकर उनको देखा और उसके बाद उन्होंने लिखा कि २४० इन्दराज हुये थे और सबके सब सही हैं। कई एक एम० एल० एज० ने असेम्बली में भी, जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, इसी तरह की शिकायत की थी। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि लेखपाल की शिकायत कीजिए, एस० डी० ओ० से भी कोई शिकायत की है या नहीं और अगर की है तो एस० डी० ओ० ने क्या ऐक्शन लिया है। उनमें से एक ने भी उस खत को एकनालेज तक नहीं किया। उनमें से एक ने कहा कि दशहरे की छुट्टी में मैं जा रहा हूं। वहां से आने के बाद बतलाऊंगा। परन्तु आज तक आकर मुझको नहीं बतलाया। तो यह तो

हाल है। किसी के खेत को कोई जबरदस्ती हड़प ही नहीं सकता। क्योंकि वह तो बन्दोबस्त के हिसाब से होगा, कीमत के हिसाब से होगा। काश्तकार से हमने शुरू में इसलिये नहीं वसूल किया कि कहेंगे कि लो एक तो खेत का खेत बदल रहे हैं और अब यह भी कर रहे हैं। अब रहा यह कि कुवां अगर किसी के खेत में हो और हमने लिखा है कि जहां जिसकी जमीन ज्यादा होगी, वहीं जगह दी जायगी। छोटा खेत है, बाड़ में कुवां है, तो माननीय डाक्टर साहब को यह आशंका है कि बड़ा खेत छोटे के पास चला जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो तो यही सकता है कि या तो छोटा खेत बड़े क पास जाय या बड़ा खेत छोटे के पास जाय या दोनों के दोनों ही कहीं चले जायं। कुवां डाक्टर साहब का नहीं है, किसान का है, फिर भी डाक्टर साहब को परेशानी हो रही है। तो इसमें कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी ही। इसीलिये हमने सेक्शन १५ में यह लिखा है कि "As far as possible"। अगर नहीं, तो छोटे के पास बड़ा जा सकता है, लेकिन होना यही चाहिये कि बड़े के पास छोटा जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन अल्फाज के साथ फिर अपने माननीय मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से उन्होंने इस स्कीम की तारीफ की है, और समर्थन किया है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--इस विधेयक के संबन्ध में चार संशोधनों की सूचना आज आई है। यदि कोई एतराज न हो, तो यह सब ले लिये जायं। सदस्यों को प्रतियां दे दी गयी है।

(सदन द्वारा कोई एतराज नहीं किया गया।)

खंड--२, ३, ४ व ५

२--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी, अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (२) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में उपखंड (२) के पश्चात् उपखंड (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

"(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि, किन्तु वह भूमि पशुचर भूमि न हो।"

३--मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (Consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "जब धारा ४ के अधीन गजट में प्रख्यापन प्रकाशित हो जाय तब जिला या स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, तदनन्तर्गत निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५ १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (३) में शब्द "अनुसार" और "वार्षिक रजिस्टर" के बीच शब्द "नक्शे या" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५ १९५४ की धारा ८ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

अभिलेखों का पुनरीक्षण अथवा पुनः सर्वेक्षण।

"१०—(१) धारा ८ की उपधारा (२) (ख) के अधीन अथवा अन्यथा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यान कर सकती है कि अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण (resurvey) या दोनों ही कार्य किये जायेंगे और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित नक्शा और खसरा तथा अधिकार अभिलेख उसी प्रकार तैयार किये जायेंगे मानों उक्त अधिनियम की धारा ४८ के अधीन तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो।

(२) विज्ञप्ति के दिनांक से वह जिला या स्थानिक क्षेत्र (local area) उस समय तक अभिलेख या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों क्रियाओं के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, समझा जायगा जब तक कि क्रियाओं को समाप्त प्रख्यापित करने वाली दूसरी विज्ञप्ति न जारी हो जाय।"

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड—६

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५ १९५४ की धारा १०—क का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १०—क की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व" के स्थान पर शब्द "धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से या जब अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया हो, तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी स्थिति हो, १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं खंड संख्या ६ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :—

खंड की अन्तिम पंक्ति में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

श्रीमान्, यह जो टेन्योर होल्डर का हक है, उसमें १५ दिन की मोहलत माननीय मंत्री जी ने रखी है। मैं समझता हूं कि १५ दिन की मोहलत बहुत नाकाफी है। देहातों का मामला है, इस लिये बहुत जगह तो लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती। ऐसी हालत में अगर तीस दिन की मोहलत कर दी जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। १५ दिन बढ़ जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ जायगा। अभी इसके मानने में गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा दुश्वारी भी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह बिल पहले यहीं इन्ट्रोडयूस हुआ है और इसके बाद यह उस सदन में जायगा।

इसलिए मौका भी है। इसको मानने के बाद यह होता है कि बजाय १५ दिन के ३० दिन की मियाद हो जाती है।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, पहली मियाद जो थी, वह सेक्शन ९ मे करेक्शन के बाद खत्म हो जाती थी। अब तो पब्लिश होने के बाद १५ दिन की मियाद और मिलती है, तो इसमें उसको सहूलियत दी जा रही है। कागजात वहीं पब्लिश होंगे, ऐसा तो है नहीं उसको लखनऊ या उन्नाव आना होगा, अफसरान वहीं रहेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--पता नहीं चलेगा।

श्री चरण सिंह--इस तरह से तो पता जिन्दगी भर भी नहीं चल सकता। गांव-गांव मे अफसरान पड़े रहते हैं, ऐलान होता है, मीटिंग्स होती हैं सबको मालूम होता है कि गांव में क्या हो रहा है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मै तो समझता था कि माननीय मन्त्री इसको मान लेंगे, क्योंकि ४ साल के अन्दर कोई एक तो संशोधन मानते। यह ऐसा संशोधन है, जो बिल्कुल इनोसेंट है और इसको मानने मे कोई आपत्ति न होनी चाहिये और न कोई प्रोग्राम ही अपसेट होता है। अब रहा जानने की बात, तो हमको और मिनिस्टर साहब को ज्यादा पता रहता है, लेजिस्लेचर में होने के नाते, लेकिन उन बेचारों को कुछ भी नहीं मालूम हो पाता है क्योंकि उनमें शिक्षा ही नहीं है, उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं है। इस वजह से मैं तो यह समझता था कि बजाय १५ दिन के ३० दिन की मियाद हो जाती तो अच्छा था। आप नहीं मानते हैं तो भी मैं तो रखूंगा ही।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ६ की अन्तिम पंक्ति मे शब्द "१५ दिन" के स्थान पर शब्द "३० दिन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया कया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--७ व ८

७--वर्तमान धारा १०-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०-ख का संशोधन

"१०-ख--किसी खाते के अधिकारी (entitled) खातेदार के लिये अपने खाते को ऐसी शर्तों पर किसी दूसरे खातेदार के खाते से सम्मिलित कर लेना (amalgamate) विधिपूर्ण होगा, जो परस्पर तय हो जायं। खातेदार ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय चकबन्दी अधिकारी के पास तदर्थ एक प्रार्थना पत्र देगा और चकबंदी अधिकारी जहां तक व्यवहार्य होगा चकबंदी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुये उसे कार्यान्वित करेगा।"

खातों का संयोजन

८--मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ११ का संशोधन

"(क) एक नक्शा, जिसमें प्रत्येक गांव में गांव की भूमि का विभाजन या वर्गीकरण (division or grouping) अलग अलग हारों (blocks) के रूप में दिखाया जायगा जो संख्या में तीन से अधिक न होंगे और जिन्हें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सीमांकित (demaɪcate) किया जायगा।

(१) गांव में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की किस्म और संख्या,

(२) सिंचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव,

(३) मिट्टी की किस्म,

(४) अन्य ऐसे तथ्य जो आवश्यक प्रतीत हों।

(ख) समस्त गाटों की सूची, चाहे वे किसी खातेदार के खाते में सम्मिलित हों या न हों, जिसमें आवश्यकतानुसार निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :--

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल,

(२) गांटों की मिट्टी का वर्गीकरण (Soil classification) जो चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से अवधारित किया गया हो,

(३) पिछले बन्दोबस्त रोस्टर (Settlement roster) या पुनरीक्षण क्रियाओं में, इनमें से जो भी अंतिम हो, मिट्टी के वर्गों के लिये स्वीकृत लगान की दरें, जैसी और जहां भी वे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से संशोधित की गयी हों,

(४) प्रत्येक गाटे का लगानी मूल्य (rental value),

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(ग) प्रत्येक खातेदार के ऐसे समस्त गाटों की सूची, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :--

(१) चकबन्दी से अपवर्जित (excluded) क्षेत्र,

(२) प्रत्येक हार (block) में चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र तथा खंड (ख) के अनुसार अवधारित उसकी मिट्टी का वर्ग (soil class) और लगानी मूल्य,

(३) नियत रीति से आंकलित लगान या मालगुजारी,

(४) उसके हिस्से का कुल क्षेत्र लगानी मूल्य और लगान,

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--९

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा :--

(क) गाटों की प्रदिष्टि (allotment) उनके लगानी मूल्य के अनुसार की जाय,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबन्दी संचालक की आज्ञा के अनुकूल उन गाटों के क्षेत्रफल में, जिनकी प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल मे किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हों।

(ख) किसी हार (block) विशेष में यथासंभव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट (earmarked) एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हो,

(ग) प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हो जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो,

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पड़ोस वाले चक दिये जायं,

(ङ) चक प्रदिष्ट करने में खातेदार के निवासगृह (residential house) का स्थल (location) या उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement), यदि कोई हो, का यथाशक्य ध्यान रखा जाय,

(च) छोटे-छोटे खातेदारों को यथाशक्य गांवों की आबादी के पास भूमि दी जाय,

(छ) कोई भी वर्तमान संहत (compact) खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो, यथाशक्य विश्रृंखलित (disturbed) या विभक्त (divided) न किया जायगा।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार--मैं खंड ९ में निम्नलिखित संशोधन पेश कर रहा हूं :--

प्रस्तावित खंड की उपधारा (१) (क) के प्रबिन्धात्मक खंड की प्रथम पंक्ति मे आये हुये शब्द "अनुकूल" के स्थान पर शब्द "बिना" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह--मन्जूर है।

श्री चेयरमैन---प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड की उपधारा (१) (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड की प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "अनुकूल" के स्थान पर शब्द "बिना" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड—१०, ११, १२, १३ व १४

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ में नयी धारा १६—क और १६-ख का बढ़ाया जाना।

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् नयी धारा १६—क तथा १६—ख के रूप मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में हस्तान्तरणों का प्रतिषेध

"१६—क—(१) धारा १६ के अधीन वक्तव्य (Statement) प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कोई भी खातेदार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की पूव प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम, १९५० में किसी बात के होते हुये भी अपने गाटे अथवा खाते के किसी अंश को, जो चकबन्दी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय, दान या विनिमय के रूप में हस्तान्तरित न करेगा।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) में उल्लिखित अनुज्ञा प्रदान करेगा सिवाय या उस दशा के जब कुछ कारणों के आधार पर जो लिखित रूप मे रखे जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित हस्तान्तरण से चकबन्दी योजना के विफल हो जाने की आशंका है।

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में भूमि के कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्रतिषेध।

१६—ख—(१) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि—व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १४२ में किसी बात के होते हुये भी कोई भी खातेदार बिना बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के अपने उस समय तक कृषि, उद्यानकरण (horticulture) या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन (pisciculture) तथा कुक्कुट पालन भी हैं, से सम्बद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे (enclosure) के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।"

उ०प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (३)" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा २७ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "उक्त" और शब्द "अभिलेखों" के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में शब्द "तैयार किये गये" और शब्द "अधिकार अभिलेख" के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं।

१३--धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द "फसल के प्रका का ध्यान रखते हुये" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा २९ मेः--

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) का निम्नलिखित वाक्य निकाल दिय जाय.--

"उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिनसे कब्जा संक्रामित किया गया हो, ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा मे उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप मे (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

(२) उपधारायें (२) तथा (३) निकाल दी जायं।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १०, ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड-१५

१५--मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् नयी उपधारा २९-क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नई धारा २९-क का रखा जाना।

"२९-क--(१) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होनी हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति (person entitled) वसूली के लिये उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि (amount due on his behalf) सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर उस दिनांक से तीन महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो, तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा न की गयी हो, ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायगा।"

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मै खंड १५ में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि--

प्रस्तावित धारा २९-क(१) की पंक्ति ४ और ५ में आये हुये शब्द "उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ" निकाल दिये जायं।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

यह जो मेरा संशोधन है उसके सम्बन्ध मे मैंने फर्स्ट रीडिंग के वक्त भी रिकवरी कम्पेनसेशन क मुताल्लिक कहा था। मैं यह समझता हूं कि इसको निकाल दिया जाय, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी मुआविजा की रकम को वसूल करने की है, उससे वह कही हट न जाय। मुझे डर लगता है कि कही आगे चल कर इसका इन्टरप्रिटेशन कुछ और न समझा जाय और कही गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जिम्मेदारी से अलग होने का सवाल न पैदा हो जाय। मेरी समझ मे नहीं आता कि जब हर चीज मे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो वह इससे क्यों अलग होना चाहती है। इसलिये मैं इसको रखना चाहता हूं जिससे इस धारा का दुरुपयोग न हो सके और सरकार इसके वसूल करने की जिम्मेदारी अपने सिर ही रखे।

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि इन ऐडीशन का शब्द इसमे है, इन सब्सटीट्यूशन क शब्द इसमें नहीं है, तो फिर कुंवर साहब को क्यो परेशानी है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १५ की प्रस्तावित धारा २९-क (१) की पंक्ति ४ और ५ में आये हुये शब्द "उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ साथ" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १५ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड-१६, १७, १८ व १९

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"३३--(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का व्यय (Cost) अवधारित करेगा और उसे उन व्यक्तियों में बांट देगा (distribute) जिन पर चकबन्दी आज्ञा का प्रभाव पड़ता हो।

व्यय (costs)

(२) यदि राज्य सरकार निर्णय करे तो वह आज्ञा दे सकती है कि चकबन्दी व्यय की प्रथम किस्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से, अग्रिम वसूल की जाय।

(३) इस धारा के अधीन व्यय रूप में देय धनराशि मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "सहायक संचालक (चकबन्दी)" तथा "सहायक चकबन्दी संचालक" के स्थान पर "उप-संचालक चकबन्दी" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४८ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनरीक्षण करने का चकबंदी संचालक का अधिकार।

"४८--चकबन्दी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो, कि मध्यस्थ (Arbitrator) से भिन्न उस अधिकारी ने, जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान(substantial) अनियमिततापूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे।"

१९--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ५२ का संशोधन।

चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति

"५२--धारा २७ के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि गांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रहेगा।"

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है खंड १६, १७, १८ और १९ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह अवाश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम १९५६ कहलायेगा,

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक को, जैसा कि अब सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि माननीय कुंवर गुरु नारायण जी की शिकायत है क उनके संशोधन स्वीकार नहीं किये जाते, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो संशोधन अब इधर से आने वाले होंगे, उनको मैं उनके जरिये से यहां पेश करा दिया करूंगा, ताकि वह स्वीकार किये जा सकें। दूसरी बात यह है कि जहां-जहां उन्नाव जिले में चकबन्दी हो

[श्री चरण सिंह]
रहो है, वहां ५० गांवों में घूम कर आवें और उसके बाद उनको जो दिक्कतें मालूम हों, उनको वह यहां रखें, तब मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि ९० फीसदी प्रस्ताव उनके मान लूंगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक को, जैसा कि अब संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त तक जो काम यहां आये हैं, वह सिर्फ दो बिल--जौनसार बावर और मोलेसेज हैं और वह शायद आज ही यहां रखे गये हैं। इसलिये मैं यह सजेस्ट करूंगा कि कल नान आफिशल बिल्स ले लिये जायं और परसों यह बिल्स ले लिये जायेंगे। एक दिन एक हो जायेगा और दूसरे दिन दूसरा हो जायेगा। अब इसके बाद सवाल यह है कि इसके बाद हमको बैठना है या नहीं बैठना है। तारीख १९ को नान-आफिशल डे भी होगा। इसके बाद जो रूल्स अभी बंटे हैं और पहले से रक्खे हुये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट रक्खी हुई है बहस के लिये। २० तारीख को तातील है। गुरूनानक की बर्थ डे है। २१ और २२ शनिवार और इतवार हैं। इस तरह से तीन दिन खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को भी काम है। बहरहाल हाउस की जो राय हो, मैं हाउस के ऊपर छोड़ता हूं। सवाल यह है कि १९ के बाद खत्म कर दें या बैठें।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं समझता हूं कि कल नान-आफिशियल डे ले लिया जाये। उसमें कई हमारे रेजोल्यूशन्स हैं। लेकिन मुमकिन है कि वह खत्म हो जायें, तो एक रेजोल्यूशन और है, जो आगे आने वाला है। जैसे अबालिशन आफ कैपिटलिज्म है उसको भी ले लिया जाये।

श्री चेयरमैन--इसमें दिक्कत यह है कि कल असरकारी विधेयकों का दिन है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिल्स का तो दिन है। मुझे इसमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन मुझको यह मालूम हुआ है कि जो हमारे भाई प्रताप चन्द्र आजाद हैं, उनके भी तीन चार बिल्स हैं। अभी उनके आने की कोई सर्टेन्टी भी नहीं है। मालूम यह हुआ है कि कल रेजोल्यूशन ही होंगे या बिल होंगे। कुंवर साहब के भी बिल्स हैं। जैसा हाउस चाहे, वैसा रख दिया जाये।

श्री चेयरमैन--जिन लोगों के रेजोल्यूशन्स हैं, उनको भी खबर नहीं दी जा सकती है। उनको एतराज हो सकता है कि उनको खबर नहीं दी गई।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--दो रेजोल्यूशन पहिले से चल रहे हैं। एक और है, कुंवर महावीर सिंह का। वह इस वक्त नहीं हैं। उनको खबर कर दी जायेगी।

श्री चेयरमैन--एक श्रीमती सावित्री श्याम जी का संकल्प है और दूसरा श्री कुंवर महाबीर सिंह जी का है। दोनों ने आपस में तै कर लिया है कि श्री महाबीर सिंह जी का पहिले ले लिया जाये। इसमें और सदस्यों को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जैसा हाउस मुनासिब समझे, वही किया जायेगा।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मेरी राय यह है कि कल आफिशियल बिल ले लिये जायें।

श्री कुंवर गुरु नारायण---मोलेसेज बिल तो अभी आया ही नहीं है। उसको देखने का मौका भी अभी नहीं मिला है। अब चाहे रिजोल्यूशन ले लिये जायं, चाहे विधेयक ले लिया जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री चेयरमैन---मुझे न रेजोल्यूशन से कोई उन्सियत है न बिल से। आप ही लोग तै करें कि पहिले क्या लिया जाये।

अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना चाहें, तो कल वह आप कर सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे ख्याल में मेम्बर्स ने उसको पढ़ा भी नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---अगर मेम्बर्स पढ़ते नहीं हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो प्रस्ताव स्टैन्ड करते हैं उनके नीचे एक और प्रस्ताव रख दिया जाय और इन दोनों साहबान में से एक नहीं रहे तो दूसरे का प्रस्ताव ले लिया जा सकता है।

श्री चेयरमैन---मैं सदन का मत जनरल मन यही समझता हूं कि कल संकल्प लिये जाय। लेकिन इसकी जिम्मेदारी चेयर पर नहीं है, बल्कि हाउस पर है।

अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३ बजकर ५५ मिनट पर मंगलवार, १७ जनवरी, सन् १९५६ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ,
दिनांक १६ जनवरी, १९५६

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये प्रश्न ६ का उत्तर पृष्ठ ५)

Copy of Clause XI-A of the Schedule to the Indian Electricity Act, 1910

"**XI-A. Minimum Charges.**—A licensee may charge a consumer a minimum charge for energy of such amount and determined in such manner as may be specified by his licence and such minimum charge shall be payable notwithstanding that no energy has been used by the consumer during the period for which such minimum charge is made."

नत्थी "ख"

(देखिये प्रश्न ८ का उत्तर पृष्ठ १०)

जिला फतहपुर में १ जनवरी, १९५४ से ३० अगस्त, १९५५ तक होने वाले अपराधों का विवरण

अपराध	रिपोर्ट की गई	चालान हुये	सजा हुई	छूटे	जेर तजवीज	फाइनल रिपोर्ट लगी
कत्ल	७०	५८	२३	७	२८	१२
डकैती	९	९	१	२	६	...
राहजनी	७	६	१	...	२	४
चोरी	८६८	२७२	१५०	८४	३८	५९६
बलवा	७४	४३	१५	११	१७	३१

पी० एस० यू० पी०—१७० एल० सी०—१९५६—७९० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१७ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक कौंसिल हाल, विधान भावन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई ।

उपस्थित सदस्य (५६)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
काशी नाथ पान्डे, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्व नाथ, श्री
वेणी प्रसाद टण्डन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, वन तथा सहकारी मन्त्री)।
श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशुपालन तथा पुनर्वासन मन्त्री)।
श्री चरण सिंह (माल तथा परिवहन मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—(स्थगित)।

जिला फतेहपुर में बिन्दकी तहसील की नई इमारत का बनना

आदि सं० १६ तारीख २०-१२-५५

२—पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला फतेहपुर में बिन्दकी तहसील की नई इमारत कब बनेगी ?

श्री चरण सिंह (माल तथा परिवहन मंत्री)—तहसील बिंदकी की नई इमारत का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है।

श्री पन्ना लाल गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह इमारत कब तक बन जायेगी और इसके बनने में कितना समय लगेगा ?

श्री चरण सिंह—इस साल के अन्दर-अन्दर।

गत बाढ़ में जौनपुर के बस-स्टेशन से माल के बह जाने के कारण नुक्सान

उ अधि सं० १९५ धार का सं　　१७ २०-१२-५५

३—श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र) *(अनुपस्थित)—(क) क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में जौनपुर के बस-स्टेशन से कितना माल टायर, ट्यूब इत्यादि बह गया और उससे सरकार को कितना नुक्सान हुआ?

(ख) इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे ?

श्री चरण सिंह—(क) टायर, ट्यूब इत्यादि जिनका विवरण संलग्न †सूची में दिया गया है, बाढ़ में बह गया। इसके फलस्वरूप सरकार को ४,७०२ रु० ५ आ० ३ पा० का नुक्सान हुआ।

(ख) बाढ़ के आकस्मिक आ जाने के कारण तथा इसकी भीषणता देखते हुए कोई रोडवेज कर्मचारी उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सके।

४-५—श्री राम नारायण पांडे (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—(सदस्य के इच्छानुसार चौथे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।)

उ० अधि सं० १९५ धारा का संश

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह द्वारा तालकटोरा वर्कशाप, लखनऊ, को मरम्मत के लिये दिये गये इंजन

२७ २०-१२-५५

६—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—क्या यह ठीक है कि ३० अक्टूबर, १९५० को राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने सरकारी वर्कशाप, तालकटोरा, लखनऊ को एक डायमन्ड २० पी० एच० पी० क्रूड आयल इंजन, एक सेन्ट्रीफ्यूगल वाटर पम्प और एक आटोमाइजर आफ इंजन मरम्मत कराने के लिये दिये ?

उ० अधि सं० १९५ धारा का संशो

*प्रश्न संख्या ३ श्री कुंवर गुरु नारायण द्वारा पूछा गया।

†देखिये नत्थी "क" पृष्ठ ९८ पर।

6. **Sri Kunwar Guru Narain**—(Legislative Assembly Constituency) Is it a fact that on October 30, 1950, Raja Jagannath Buksh Singh gave a Diamond 20 P. H. P. Crude Oil Engine, a Centrifugal water pump and an Automiser of the engine to the Government Workshop at Talkatora, Lucknow, for repairs ?

Original No. 27 *date* 20-12-1955

श्री हुकुम सिंह (कृषि, पशु पालन तथा पुनर्वासिन मंत्री)—सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जावेगा।

Sri Hukum Singh—(Minister for Agriculture, Animal Husbandry and Relief and Rehabilitation)—Information is being collected and a reply will be given later.

७—**श्री कुंवर गुरु नारायण** (क) क्या यह ठीक है कि पूरे पांच वर्ष के पश्चात् भी उपर्युक्त इंजन, वाटर पम्प और आटोमइजर की अभी तक मरम्मत नहीं हुई है ?

२८ २०-१२-५५

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

7. **Sri Kunwar Guru Narain**—(*a*) Is it a fact that even after full five years the said engine, water pump and the Automiser have not been repaired ?

28 20-12-55

(*b*) If so, why ?

श्री हुकुम सिंह—(क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जावेगा।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जावेगा।

Sri Hukum Singh—(*a*) Information is being collected and a reply will be given later.

(*b*) Information is being collected and a reply will be given later.

८—**श्री कुंवर गुरु नारायण**—क्या सरकार इन मशीनों के मालिक को उनके इस समय में न मिलने के कारण हुई हानि के प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

२९ २०-१२-५५

8. **Sri Kunwar Guru Narain**—Does the Government propose to compensate the owner of these machines for the loss he has suffered during the period on account of their non-availability ?

29 20-12-55

श्री हुकुम सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जावेगा।

Sri Hukum Singh—Information is being collected and a reply will be given later.

९—**श्री कुंवर गुरु नारायण**—सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जोकि मरम्मत कराने में देरी करने के लिये उत्तरदायी है ?

३० २०-१२-५५

9. **Sri Kunwar Guru Narain**—What steps has the Government taken against those who are responsible for the delay in repairs ?

30 20-12-55

श्री हुकुम सिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जावेगा।

Sri Hukum Singh—Information is being collected and a reply will be given later.

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि ये उत्तर यहां कब तक आ जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--दूसरी नोटिस की जरूरत नहीं है। मैं इसको परस्यू कर रहा हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--लेकिन उत्तर कब तक आ जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--बहुत पुराना मामला है। ६-७ साल पुरानी बात है, इसलिये देर लग रही है। लेकिन जो कायदा है उसके अनुसार आप नोटिस दे दीजिये।

श्री चेयरमैन--आप इनके जवाब यहां भेज दीजियेगा।

लखनऊ जिले में १९५४-५५ में काश्तकारों को कृषि भूमि की उन्नति के लिये तकावी का दिया जाना

आदि सं० २३ तारीख २०-१२-५५

१०--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र) (*अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ जिले में १९५४-५५ में काश्तकारों को कितना कर्जा तकावी के रूप में कृषि भूमि की उन्नति के लिये दिया गया ?

Original No. 23 *date* 20-12-55

10. **Sri Shiv Prasad Sinha** (Graduates Constituency) (*absent*)—Will the Government be pleased to state the amount of Taqavi Loans granted to agriculturists for the improvement of agricultural lands in 1954-55 in Lucknow District.

श्री चरण सिंह--वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में जिला लखनऊ में ३३,०५५ रुपया काश्तकारों को कर्जा तकावी के रूप में कृषि भूमि की उन्नति के लिये दिया गया।

Sri Charan Singh—A sum of Rs. 33,055 was advanced to agriculturists for the improvement of agricultural lands during the financial year 1954-55 in the Lucknow District.

२४ २०-१२-५५

११--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ व्यक्तियों ने लखनऊ जिले में तकावी में मिले रुपये को अपनी कृषि भूमि की उन्नति में नहीं उपयोग किया ?

11. **Sri Shiv Prasad Sinha** (*absent*)—Is the Government aware that some persons in Lucknow District have not invested their Taqavi Loans on the improvements of their agricultural lands ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

Sri Charan Singh—No.

२५ २०-१२-५५

१२--**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उन व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनको कि लखनऊ के जिले में तकावी के रूप में १०,००० रुपये से अधिक कर्जा दिया गया और जिन्होंने अब तक न तो कुछ सूद ही दिया और न मूल धन ही दिया ?

---

* प्रश्न संख्या १० से १३ तक--श्री कुंवर गुरु नारायण द्वारा पूछे गये।

12. **Sri Shiv Prasad Sinha** (*absent*)—Will the Government be please to state the names of persons who were advanced over Rs. 10,000 as Taqavi in Lucknow District and have not paid either any interest or the principal so far?

25
20-12-55

श्री चरण सिंह—लखनऊ जिले में सर्वश्री निहाल चन्द कलरा तथा जै चन्द सपरा को समय-समय पर कुल मिलाकर १०,००० रुपया से अधिक तकावी दी गई और इन लोगों ने अब तक न कोई सूद ही दिया है और न मूल धन। इन व्यक्तियों ने देय तकावी का भुगतान इसलिये नहीं किया है कि इनकी मालगुजारी तथा देय तकावी की वसूली तब तक के लिये स्थगित कर दी गई है जब तक कि उनकी मालगुजारी के निर्धारण के मामले पर निर्णय न हो जाए।

Sri Charan Singh—Sarvasri Nihal Chand Kalra and Jai Chand Sapra were advanced over Rs. 10,000 as Taqavi, from time to time and have not paid either any interest or the principal so far. The payment of Taqavi dues has not been made by these persons as the realization of their land revenue and Taqavi dues has been postponed pending decision on the question of fixation of their revenue.

१३—**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (अनुपस्थित)—ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

आदि संख्या
२६
ता०
२०-१२-५५

13. **Sri Shiv Prasad Sinha** (*absent*)—What measures do the Government propose to take against such persons?

26
20-12-55

श्री चरण सिंह—इन व्यक्तियों की मालगुजारी के मामलों पर परगना अधिकारी ने अपना निर्णय दे दिया है और अब सरकार द्वारा आज्ञा जारी होने पर इन व्यक्तियों से देय तकावी की वसूली के लिये नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायगी।

Sri Charan Singh—The case of these persons for fixation of revenue has now been disposed of by the Sub-Divisional Officer and necessary steps will be taken to realize the dues from them in accordance with rules after final orders of Government are passed in the case.

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश मोलेसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मैं सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश मोलेसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा की ९ जनवरी, १९५६ की बैठक में पारित हुआ और यहां १६ जनवरी, १९५६ को प्राप्त हुआ।

संकल्प कि राज्य में जमींदारी विनाश के पश्चात् पूंजीवाद का अन्त करने के लिये उत्पादन, विनिमय और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण किया जाय

श्री कुंवर महाबीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, उस रोज मैंने अपने प्रस्ताव को आपकी इजाजत से इस सदन में पेश कर दिया था और आपकी इजाजत से मैं इस प्रस्ताव को आज फिर रख रहा हूं, जो कि इस प्रकार है:

[श्री कुंवर महाबीर सिंह]

"इस परिषद् का यह मत है कि राज्य मे जमीन्दारी बिनाश के पश्चात् पूंजीवाद का उसके समस्त स्वरूपों में अन्त किया जाना समाज की भलाई के लिये अत्यन्त आवश्यक है और सरकार से सिफारिश करती है कि वह उत्पादन, विनियम और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करन के लिये आवश्यक कार्यवाही करे।"

श्रीमन्, यह प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नही है। इसमे कोई शक नही कि इस हाउस के लिये और भारत के अपर हाउसेज के लिये तो यह एक नया अवसर है और शायद पहला अवसर है, जब कि इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के सामने आया हो। लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मे कुछ थोड़े से शब्दो के आंशिक परिवर्तन के साथ सन् १९४६ मे १३ अगस्त को असेम्बली के सामने पेश किया गया था। उस समय के माननीय शिक्षा मंत्री, जो भाग्यवश आज हमारे यहां के मुख्य मंत्री हैं, माननीय सम्पूर्णानन्द जी, उन्होंने इसको पेश किया था और उस समय की असेम्बली ने इसको एकमत से स्वीकार किया था। मैंने इस प्रस्ताव को सन् १९५३ में भेजा, लेकिन कोई न कोई ऐसा संयोग हुआ या अभाग्यवश कोई न कोई ऐसी बात हो गयी जिस के कारण यह प्रस्ताव स्थगित होता गया। इसी बीच मे कांग्रेस ने अपने अवादी सेशन मे इस प्रस्ताव को तो नही लेकिन इसके अन्तर्गत जो सिद्धान्त है, उसको स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना मकसद और लक्ष्य सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी मान लिया। यहां नहीं, इसी दरमियान मे हमारी केन्द्रीय पार्लियामेन्ट मे एक सरकारी प्रस्ताव (एक आफिशियल रेजोल्यूशन) पेश हुआ और उसमें अपना लक्ष्य समाजवाद स्वीकार किया और केन्द्रीय सरकार ने उसको मान लिया। अतः मैं कह सकता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव का तथ्य है या प्रस्ताव का मकसद है, वह आज सबको स्वीकार है।

मेरा प्रस्ताव दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो पूंजीवादी प्रथा का अन्त और दूसरा उत्पादक, विनियम और वितरण के साधनों का समाजीकरण। जमीन्दारी और सामन्तशाही हमारे प्रदेश में और हमारे देश में समाप्त हो गयी और अब इस बात की बहुत ही आवश्यकता है कि पूंजीवादी प्रथा के जो रहे सहे चिन्ह हमारे देश में हैं, वह भी समाप्त हो जायं और उनको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाय। पूंजीवादी प्रथा, चन्द शब्दों में अगर हम कह सकें, तो यह कह सकते हैं कि यह वह प्रथा है, जिसमें सरप्लस वैल्यू (surplus value) का फायदा रुपया लगाने वाले उठायें यानी जिसमें दूसरों के कैपिटल से खुद फायदा उठाया जाय, या यों कहें कि दूसरों की जिसमानी, शारीरिक और मानसिक परिश्रम का पूरा फायदा उसको न मिल करके कैपिटल लगाने वालों को, जो अपना धन लगा करके व्यवसाय करते हैं, उन्हें प्राप्त हो। आज, श्रीमन्, पूंजीवादी प्रथा को कोई भी अच्छा कहने के लिये तैयार नहीं, चाहे हृदय मे वह इस प्रथा का पूर्णरूपेण समर्थक हो, चाहे वह चाहता हो कि देश में वह प्रथा रह जाय, लेकिन आज उसकी मारेल कैरेज नहीं है उसको हिम्मत नहीं है कि वह कहीं भी या किसी भी दशा मे पूंजीवादी प्रथा का समर्थन कर सके। कुंवर गुरु नारायण साहब चाहे इस प्रथा के जितने भी समर्थक हों मन ही मन में हों लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही सभी लोग यह देखेंगे कि वह भी इस प्रथा की, इस सदन में, मुखालिफत करेंगे और मै समझता हूं कि वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन भी करेंगे।

श्री चरण सिंह——तकाजा करेंगे, समर्थन नहीं।

श्री कुंवर महाबीर सिंह——तकाजा करना तो आपकी कृपा से बन्द हो गया, अब तो वह समर्थन करेंगे। मेरा विश्वास है, श्रीमन्, कि दुनिया में शायद किसी प्रथा ने इतना नुकसान व अहित पहुंचाया हो जितना कि इस प्रथा ने। दुनिया में शायद ही किसी प्रथा ने इतना उत्पात पैदा किया हो। यदि आप इसके इतिहास को देखें और इन दो महायुद्धों के इतिहास को देखें जिन्होंने संसार की सारी नस्ल को खत्म करने की चुनौती दी। दुनिया को नेस्त नाबूत करने

का प्रयत्न किया तो आप देखेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के मंच पर जितना कुफ्र इसने बरपा किया, जितना अनिष्ट इससे हुआ किसी भी प्रथा से नहीं हुआ। संसार के दो महायुद्धों का कारण जिसमें मानव का इतना बड़ा नर संघार हुआ जिसमें हैवानियत से भी गिरी हुई बर्बतापूर्ण नीचता देखी गयी वह पूंजी पतियों के ही भीतरी षड़यन्त्र की कृपा थी। ये दोनों महायुद्ध इसी पूंजीवादी प्रथा के नतीजे थे। यही नहीं, बल्कि आज जो भी लड़ाइयों की तैयारियां हो रही हैं, जो कोल्ड वार आज संसार में चलाने की बातें हो रही हैं, वह भी दूसरे रूपों में इसी प्रथा का ही एक प्रदर्शन है।

श्रीमन्, साम्राज्यवाद जैसी भयंकर प्रथा जिसकी खिलाफत आज सभी करते हैं और बड़े बड़े देश रूस और अमरीका दूसरे रूपों में, दूसरे तरीकों से इसका आज भी प्रतिपादन कर रहे हैं, जब स्टीम का प्रयोग आरम्भ हुआ, स्टीम मशीन्स आईं तो इनके द्वारा कुछ देशों ने अपनी पैदावार बढ़ाई, तो उस पैदावार बढ़ाने का नतीजा यह हुआ कि उनके दूसरे देशों की आवश्यकता हुई जहां कि वे अपना बाजार कायम कर सकें और जहां अपने सामान को भेजकर बेच सकें। इस तरह से उसे दूसरे देशों और प्रदेशों को कब्जे में करने की आवश्यकता हुई और इस प्रकार से इम्पैरिलिज्म का जन्म हुआ। इन योरुपीय देशों ने नयी-नयी बाजार पाने के लिये (spheres of influence) यानी प्रभाव क्षेत्र कायम किये, नये-नये कालोनी बसाई एशिया और अफ्रीका के काले और लाल लोगों को परतन्त्र करके या तो खत्म कर दिया या दासता की बेड़िया में जकड़ दिया। श्रीमन्, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस तरह से अफ्रीका और ऐशिया को चूस-चूस कर योरोपीय देशों ने अपने को वैभवशाली और सम्पन्न बना लिया। फैसिज्म और नाजिज्म इसी का नतीजा है। पूंजीवादी प्रथा ने दूसरे देशों पर इसी तरह से आधिपत्य किया और उसके अन्तर्गत मामलों में हस्तक्षेप करते-करते अपना अधिकार कर लिया जिससे कि बहुत से देश तबाही के रास्ते पर आ गये।

श्रीमन्, पूंजीवादी प्रथा ने छोटे-छोटे उद्योग धंधों को जो कि उन देशों में थे, उनको सदैव के लिये खत्म कर दिया और बड़ी-बड़ी मिलों ने उनका स्थान ले लिया, उनका उत्पादन ले लिया और लोगों में बेकारी हुई और इस तरह से छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हमेशा के लिये नष्ट हो गये। तमाम उद्योग जैसे-जैसे मिलों के हाथ में आता गया, वैसे-वैसे जितने छोटे-छोटे रोजगार थे खत्म हुये और उद्योगों का केन्द्रीयकरण होना (सेन्ट्रलाइजेशन आफ इन्डस्ट्री) शुरू हो गया। कुछ लोगों ने जिनके हाथ में रुपया था, पूंजी थी, उन्होंने देश के अन्तर्गत मामलों में भी हस्तक्षेप किया और ऐसे तरीके अख्तियार किये जिससे श्रीमन्, नतीजा यह हुआ कि मोनोपाली आफ ट्रेड यानी एकाधिकार का जन्म हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले जो थोड़ा बहुत कम्पटीशन होता भी था और किसी तरीके से कुछ छोटे-छोटे पूंजी वाले लोगों को मिल भी जाता था, वह भी खत्म हो गया। जैसे-जैसे पूंजीवाद प्रगति करता गया छोटे व्यापारी खत्म हो गये। सारा व्यापार चंद लोगों के हाथ में हो गया। ज्वाइंट स्टाक कंपनीज और इसी तरीके की कम्पनीज ने जिनको बहुत कुछ (मोनोपाली) एकाधिकार का अधिकार हो गया जन्म ले लिया। धीरे-धीरे ऐसे ऐसे व्यापार भी पूंजीवालों ने अपने हाथ में ले लिये जो बहुत छोटे व्यापारी बनाते थे। टाटा और बिरला ने साबुन, तेल और खिलौने जो छोटी-छोटी चीजें हैं जिनका उत्पादन छोटी इकाइयां करती थीं अपने हाथ में ले लिया। इसी तरीके से हर तरीके का व्यापार और जो जरूरत की चीजें थीं, बड़ी बड़ी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां बनाने लगीं। सारा व्यापार उनके हाथों में केन्द्रित हो गया। अगर हिन्दुस्तान के आर्थिक इतिहास को देखें तो पता लगेगा कि हिन्दोस्तान में आज सम्मिलित व्यावसायिक संगठनों और ट्रस्टों की संख्या पहले से दस गुनी हो गयी है। व्यक्तिगत उद्योगों का स्थान लिमिटेड उद्योग-धन्धे लेते जा रहे हैं। उत्पादन अधिकाधिक एकाधिकार के चंगुल में इकट्ठा होता जा रहा है जिनका संचालन चन्द व्यक्तियों के हाथों में सीमित हो गया है। एकाधिकारों की उत्पत्ति जीवन संघर्ष को और अधिक कटु बना देती है।

[श्री कुवर महाबीर सिंह]
पहले जहां पूंजीपति प्रतियोगिता के लिये आपस मे लड़के प्रतियोगिता करते थे अब संयुक्त मोर्चा लेते है।

श्रीमन्, यही नहीं पूंजीपति आज अपना हाथ आर्थिक जगत मे ही सीमित नही रख रहे। अब तो उनका मजबूत पंजा जीवन के दूसरे क्षेत्रो मे अपना प्रभाव डाल रहा है और वह जीवन के हर क्षेत्र मे अपना पूर्ण प्रभाव कर लेना चाहते हे, प्रचार के मुख्य साधनो मे उनका कब्जा हो चुका है। हिन्दोस्तान के सब बड़े-बड़े प्रेस-अखबार उनके है। वह उनकी गाते है उनके दिल की बात करते है। बिड़ला के हाथ मे हिन्दोस्तान टाइम्स, डालमिया के हाथ मे टाइम्स आफ इंडिया इत्यादि-इत्यादि। बिरला, टाटा या डालमिया ये सब एक ही कोटि मे आते है। मुझ को व्यक्ति से मतलब नहीं है। मे तो पूंजीवादी प्रथा मे पूंजीपतियों के तर्ज-तरीके और रवैये की बात कर रहा हूं। जितने भी अखबार है जितने भी प्रचार और साधन है उन सब पर धीरे-धीरे इनका अधिकार होता चला जा रहा है। वे केवल आर्थिक जीवन में ही नहीं बल्कि हर चीज मे, हर स्फीयर मे छा जाना चाहते है।

धार्मिक क्षेत्र को देखें एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। राम राज्य परिषद् और दूसरी प्रतिक्रियावादी संस्थाये जिसमें, बड़े बड़े मिल मालिकों का हाथ है, उनका खूब प्रचार करती है। सन्यासियों व साधुओं की एक बड़ी संख्या उनका काम करने लगी है। वे प्रचार का साधन बन गये है। धर्म के नाम पर जो है उससे सन्तुष्ट रहना सिखाया जा रहा है। जैसा उस जन्म में किया वैसा इस जन्म मे भोग रहे है। किसी का दोष नहीं, भाग्य का दोष है यह हर एक के दिल में बैठाया जा रहा है। इसके माने यह हुये जो अमीर होते जा रहे है जो दूसरो के मेहनत से अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज न लगाई जाये। उनके जुल्म, अत्याचार सब मूक रह कर सह लिये जायें। अपने अधिकारों और हकों की मांग न की जाये यह इनकी चाल है यह इनका बारीक कार्य करने का तरीका है।

श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--What about Government

श्री कुंवर महाबीर सिंह--हर स्फीयर मे कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म हमारे देश में छाता चला जा रहा है। श्रीमन्, नेशनल वैल्थ पूंजीवादी प्रथा में बढ़ाई ही नही जा सकती। उसमें बढ़ाने की बात सोची ही नहीं जा सकती। नेशनल वैल्थ या देश की पूंजी तभी बढ़ाई जा सकती है जब पूंजीवादी प्रथा का अंत हो। श्रीमन्, हम देखने है कि पूंजीपतियों ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नेशनल वेल्थ बढ़े। उन्होंने उत्पादन (प्रोडक्शन) को बढ़ाया। लेकिन इसलिये नहीं बढ़ाया कि नेशनल वैल्थ बढ़े, बल्कि इसलिये बढ़ाया कि ज्यादा मुनाफा मिले। देश की मालियत बढ़े यह दृष्टिकोण उनका न कभी था और न रहेगा। आज देश के उत्पादन को बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रश्न है। यहां की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करने के लिये उत्पादन बढ़ाने चाहिये। हमारे नेता पुकार-पुकार कर यही बात कह रहे हैं। लेकिन पूंजीपति सौदा करना चाहते है। वह कहते है हमे लूट की स्वतन्त्रता दो, मनमानी ढंग से कमाने की स्वतन्त्रता दो तो हम अपनी पूंजी लगा कर देश का उत्पादन बढ़ायें। प्राइवेट सेक्टर बन्द सा कर रक्खा है ? क्या यह इस बात का द्योतक नहीं कि पूंजीपति अपना भला देखता है, देश का नहीं।

इस प्रथा का दोष तो यह है कि जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज की पैदावार कभी नहीं होगी और जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसकी पैदावार होगी। इस प्रथा के अन्तर्गत मांग को देख कर लोग चलते है। डिमान्ड और सप्लाई उनका सिद्धान्त है। उससे नियंत्रित (कन्ट्रोल) हो कर सारी व्यवस्था चलती है। जबरन मांग को बढ़ाया जात है। सप्लाई को हर तरीके से कम किया जाता है। जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस चीज की मांग है वह नष्ट करके कम कर दी जाती है। मसलन् श्रीमान् को याद होगा कि

अमरीका में गल्ले की पैदावार बहुत ज्यादा हुई। उस समय सारा संसार गल्ले की कमी से पीड़ित था। अगर वह गल्ला दूसरे देशों को भेज दिया जाता तो वहां के गरीब अपना पेट पाल सकते थे, लेकिन इसलिये कि विदेशों में उसके ऊंचे दाम न मिलेंगे अमरीका ने लाखों टन अपना अन्न समुद्र के सुपुर्द कर दिया या कोयले की जगह अन्न को जलाया गया। इसी तरह से रूई की बात है। रूई भी बहुत ज्यादा पैदा हुई और रूई की मांग थी। लाखों-करोड़ों आदमियों को वस्त्र का अभाव था लेकिन किया क्या गया ? इस रूई को भी आग के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह से रूई की मांग बढ़ाई गई, इसलिये कि पैसा ज्यादा मिलेगा ? तो मुनाफे की नियत ही पूंजीवादी प्रथा को चलाने वाली होती है। पूंजीवादी प्रथा की यह खास चीज है। पूंजीवादी प्रथा देश में गरीबी पैदा करती है और क्रय-शक्ति (पर्चेजिंग पावर) को घटाती है। उनका तो मकसद यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया मिलों के मालिकों की जेब में जाय, इसलिये उनका दृष्टिकोण कभी भी यह नहीं हो सकता है कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़े। इस प्रथा में हम यह भी देखते हैं कि मजदूरों को उनके हक नहीं दिये जाते हैं। उनको जो कुछ मिलना चाहिये वह उनको प्राप्त नहीं होता है। छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खत्म होते जाते हैं, बड़े-बड़े शुरू होते जाते हैं। जब छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खत्म होंगे और बड़ी-बड़ी मिलें लगेंगी तो उसका नतीजा यह होगा कि कम आदमियों को काम करने को मिलेगा। छोटे-छोटे उद्योग-धंधों में अधिक आदमियों की आवश्यकता होती है, लेकिन मिलों में इतने आदमियों की जरूरत नहीं रह जाती है। आज तो साबुन और तेल तक बड़े-बड़े मिल मालिक बना रहे हैं। साबुन, तेल ऐसी चीज हैं जो गृह-उद्योग में सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है, लेकिन आज बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां उसको बना रही हैं। वह बड़े-बड़े साधनों द्वारा एडवरटिजमेन्ट करती हैं। सनलाइट कम्पनी को ही लीजिये। कितना ज्यादा एडवरटिजमेन्ट उसका होता है। गृह उद्योगों का बना हुआ साबुन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह छोटी पूंजी वाले लोग जो इसको बनाते हैं इसका प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है जब कि फैक्ट्रियों वाले इसके प्रचार में बहुत अधिक रुपया खर्च कर देते हैं। आपने सिनेमाओं में देखा होगा कि तरह-तरह की स्लाइडें दिखाई जाती हैं। इस तरह पर, यदि यही हाल रहा और पूंजीवादी प्रथा पर कड़ा नियंत्रण न किया गया तो सारे छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खत्म हो जायेंगे और नतीजा यह होगा कि फिर क्रय-शक्ति (पर्चेजिंग पावर) में कमी हो जायगी और जब यह कमी हो जायगी तो देश में आर्थिक संकट आ जायगा। आर्थिक संकट का इतिहास आज का नहीं है बल्कि जब से पूंजीवादी प्रथा का जन्म हुआ तब से आर्थिक संकट आते चले जाते हैं। सन् १९३२ ई० में हमने देखा कि कितना बड़ा आर्थिक संकट आया, किस तरह से लाखों आदमी बेकार हो गये और बड़े-बड़े समृद्धिशाली देश परेशान हो गये उससे निकलना कठिन हो गया। दूसरा महायुद्ध ही उस आर्थिक संकट से संसार को बचा सका। पूंजीवादी प्रथा में यह आर्थिक संकट आते ही रहते हैं और इन आर्थिक संकटों से बचने के लिये उनके पास कोई उपाय नहीं होता। इसलिये मेरा कहना यह है कि मिल मालिकों का दृष्टिकोण देश की भलाई करना नहीं होता है, बल्कि वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं। वे दूसरों की तरफ नहीं देखते हैं। तो आर्थिक संकट आते हैं और उनको खत्म करने के लिये लड़ाई अनिवार्य हो जाती है। इस तरह से इस पूंजीवादी प्रथा में आर्थिक संकट को खत्म करने का उपाय केवल लड़ाई ही हो सकता है। यदि देश को समृद्धिशाली बनाना है, यदि संसार को समुन्नतशील बनाना है और मानवता को मानवता का आभास कराना है तो हमको पूंजीवादी प्रथा को खत्म करना ही होगा और हमारे देश में तो इसको खत्म होना ही चाहिये।

अभी, श्रीमन्, मैंने यह अर्ज किया कि पूंजीवादी प्रथा में बहुत से दोष हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना ही कह सकता हूं कि आज शायद एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसका समर्थन करे और यह कहे कि पूंजीवादी प्रथा अच्छी है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इसे कैसे नष्ट किया जाय। यहां मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि कुछ

[श्री कुंवर महाबीर सिंह]

गलतफहमी है जिसकी वजह से कुछ लोग समाजवादी प्रथा के खिलाफ हो जाते हैं। जनता को इस तरह से भड़काया जाता है कि वह गलतफहमी में पड़ जाती है। पर्सनल प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) और प्राइवेट प्रापर्टी (निजी सम्पत्ति) की जो भिन्नता है उसके माने लोग नहीं जानते हैं। इनके भेद को न समझ कर वह भड़काने में पड़ जाते हैं। श्रीमन्, कोई भी समाजवादी व्यवस्था यह कभी नहीं चाहेगी कि पर्सनल प्रापर्टी यानी व्यक्तिगत सम्पत्ति खत्म कर दी जाय। रूस को देख लीजिए जो समाजवादी व्यवस्था में बहुत आगे बढ़ा हुआ है वहां भी पर्सनल प्रापर्टी खत्म नहीं हुई, किसी समाजवादी देश में पर्सनल प्रापर्टी खत्म नहीं हुई और न मेरे इस प्रस्ताव का ही मकसद प्राइवेट प्रापर्टी खत्म करने का है। प्राइवेट प्रापर्टी और पर्सनल प्रापर्टी दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। प्राइवेट प्रापर्टी वह कैपिटल है जिसे उपार्जन में लगाया जाता है और जो उपार्जन में नहीं लगाया जा सके वह है पर्सनल संपत्ति। नमूने के लिए ले लीजिए मेरे पास ५ लाख रुपये हैं यह मेरी पर्सनल प्रापर्टी है। इसको कोई समाजवादी प्रथा खत्म करने नहीं आ रही है, अगर किसी के पास अच्छा सुन्दर घर है वह खत्म नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह पर्सनल प्रापर्टी है। लेकिन, श्रीमन्, प्राइवेट प्रापर्टी को हम खत्म कर देंगे। अगर यह ५ लाख रुपया सिरहाने रखा रहता है, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस वक्त यह किसी को कर्ज में दिया जाता है या उसे व्यापार में लगाया जाता है, जिससे धनोपार्जन हो या कैपिटल पैदा हो, तो श्रीमन्, वह प्राइवेट प्रापर्टी हो जाती है। जिस वक्त वह प्राइवेट प्रापर्टी हो जायगी तो हमारा हस्तक्षेप उस पर हो जायगा क्योंकि उस वक्त उस पैसे का ताल्लुक उसी से न रह कर दूसरों से हो जाता है, उसका दूसरों के जीवन से सम्बन्ध हो जाता है। इसलिए सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में धीरे-धीरे निजी सम्पत्ति या प्राइवेट प्रापर्टी खत्म कर दी जायेगी। इसलिए मैंने अर्ज किया कि इन दो शब्दों से बड़ा भारी कन्फ्यूजन होता रहता है और आज समाजवादी प्रथा के खिलाफ जो कुछ आवाज उठाई जा रही है वह इस भेद को ठीक न समझने के कारण ही उठाई जा रही है।

श्रीमन्, हामरा ढंग शांतिमय होगा। हमने जमींदारी को खत्म किया, लेकिन रूस की तरह जमींदारों को नहीं खत्म किया। आज हमारे बड़े-बड़े जमींदार इस हाउस के सदस्य हैं और वह रहेंगे। हमको इस बात का गर्व है। हमको व्यक्तियों से कोई भी द्वेष नहीं है, हमें तो इस प्रथा को खत्म करना है। हमने जिस तरीके से जमींदारी को खत्म किया और जमींदारों को खत्म नहीं किया, सामंत शाही को खत्म किया और राजाओं को व सामंतों को खत्म नहीं किया। इसी प्रकार हम पूंजीपतियों को नहीं बल्कि पूंजीवादी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। यह सब काम हमने शांतिमय तरीके से किया। यह हमारा उज्जवल इतिहास है। जब कभी संसार में इतिहास लिखा जायगा तब भारत को इस बात के लिए निश्चय ही श्रेय मिलेगा और जिस प्रकार वह पुराने जमाने में संसार का गुरु व पथ-प्रदर्शक समझा जाता रहा है, उसी प्रकार भविष्य में भी समझा जायगा।

यह हमारे राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी जी की दुनिया को देन है। संसार आज चाहे अपने स्वार्थ व लोलुपता वश उस रास्ते को अख्तियार न करे लेकिन समय आयेगा और वह आ रहा है, जब उस रास्ते पर संसार चलेगा। हमें साध्य के लिये अच्छे साधन इस्तेमाल करने चाहिये। अगर साधन गलत हुये तो साध्य या लक्ष्य कभी पूरा न होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जगत के इतिहास और संग्राम को देखें उसका सारा का सारा निचोड़ इसी में निहित है। हमको साध्य के लिये साधन ठीक इस्तेमाल करना चाहिये। अगर हमारा लक्ष्य सुन्दर है तो, श्रीमन्, गांधी जी का कहना है कि उसको पाने के लिये तरीका भी सुन्दर होना चाहिये। हमने जमीन्दारी खत्म की और जो साधन अपनाया उसका संसार तारीफ कर रहा है। हमने सामन्तशाही खत्म की बिना रक्तपात के, आप रूस को देखें आज भी वह उस इतिहास को दोहराने के लिये तैयार नहीं जो १९१८ से २५ तक उसने किया और जिससे बहुत दिन बाद उस वातावरण से वह खुद मुक्त हो सका। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि समाजवादी प्रथा को लाने के लिये कोई भी हिंसात्मक तरीका नहीं अख्तियार किया जायेगा।

आप देखे हमने अपने प्रस्ताव में शब्द नेशनलाइजेशन नहीं रखा है बल्कि सोशलाइजेशन रखा है। इन दोनों शब्दों मे भेद है कुंवर गुरु नारायण साहब इसको समझे क्योंकि उनका अमेन्डमेन्ट जो है उससे पता चलता है कि उन्होंने इस भेद को नहीं समझा है। हमारा अभिप्राय हर उत्पादन का नेशनलाइजेशन करने का नहीं है। नेशनलाइजेशन केन्द्रीयकरण की तरफ ले जाता है। नेशनलाइजेशन मे स्टेट द्वारा या राज्य द्वारा ही उत्पादन, विनियम और वितरण होता है। स्टेट द्वारा ही सारी व्यवस्था संचालित व नियंत्रित होती है लेकिन समाजीकरण से हम विकेन्द्रीयकरण की तरफ जाते हैं इससे नीचे की इकाइयों को विकसित होने का मौका मिलता है, समाजीकरण का केन्द्र समाज होता है। उसको हम नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन कह सकते है जहां सारी व्यवस्था, सारा संचालन कोआपरेटिव बेसिस यानी सहयोगी समितियों और इकाइयों मे कोआपरेटिव कामनवेल्थ से हो। नेशनलाइजेशन और सोसलाइजेशन का फर्क है। हमारे प्रस्ताव मे सोशलाइजेशन की तरफ ज्यादा जोर दिया गया है। श्रीमन्, आप कांग्रेस का इतिहास देखे उसमे सदैव इस बात पर जोर दिया है कि नेशनलाइजेशन की तरफ न जाया जाय बल्कि सोशलाइजेशन की तरफ जाया जाये और इसीलिये उसने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य कोआपरेटिव कामनवेल्थ और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी रखा। इस भेद को इस जगह पर इसलिये साफ कर दिया गया है। रूस ने अपनी व्यवस्था मे राष्ट्रीयकरण ही रक्खा, परन्तु समय ने उसे भी मजबूर कर दिया कि वह समाजीकरण करे और इधर उसने कुछ किया भी है। समाजीकरण शब्द व्यापक है उसमे राष्ट्रीयकरण भी आ जाता है। समाजीकरण शब्द प्रस्ताव मे रखने से वह सभी व्यवस्था आ जाती है, उसमें सहयोगी और सामूहिक कोआपरेटिव और कलेक्टिव नियंत्रित व्यवस्था दोनों की गुंजायश है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, बन व सहकारी मंत्री)—आज कोई रूसी तो यहां आया नहीं है।

श्री कुंवर महाबीर सिंह—लेकिन रूसियों के साथी है, वह उन तक खबर पहुंचा देंगे। हमारा लक्ष्य सर्वभूत हिताय है। हमारा ध्येय ग्रेटेस्ट गुड आफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर नही है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक फायदा नही बल्कि सबका अधिकतम फायदा हो दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि सर्वोदय हमारा लक्ष्य है। इन सिद्धांतों को मैने श्रीमन् के सामने इसलिए रखा है कि मेरे मूल प्रस्ताव में संशोधन रखने वालों को बहुत कुछ इससे जवाब मिल सकेगा और हमारी जो आर्थिक नीति है उसके बुनियादी नियम साफ हो सकेंगे। हमारे बेसिक आबजेक्टिव्स या बुनियादी सिद्धान्त निम्नलिखित कहे जा सकते है :—

(१) नेशनल वेल्थ को बढ़ाना या मेग्जिमम प्रोडक्शन करना हम चाहते है कि हमारी नेशनल वेल्थ का अधिक से अधिक विस्तार बढ़े। (२) हमारा मकसद पूर्ण रोजगार यानी बेकारी पूर्ण रूप से दूर हो। (३) हमारी व्यवस्था मे पूरा आर्थिक और सामाजिक न्याय हो। (४) सोशलाइजेशन आफ आल दि मीन्स आफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऐन्ड इक्सचेन्ज।

श्रीमन्, मै अब ज्यादा समय आपका न लूंगा। मै थोड़ी सी टिप्पणी इन पर कर दूं जिससे कुछ सफाई हो जाय। नेशनल वेल्थ का मैग्जिमम प्रोडक्शन हो। यह खेती और दूसरे उद्योगों के विकास से संबंध रखता है। आप सभी जानते है कि हमारे देश में पैदावार की बहुत कमी है इसलिए हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैदावार को बढ़ाना होना चाहिये। खेती के लिए हमें पूरा इंतजाम करना होगा। (१) जमीन की इकाई को पूरा-पूरा इस्तेमाल हो, (२) जमीन का लाभदायक इकाइयों मे बंटवारा हो। मै समझता हूं कि इस सदन में कई बार इस बंटवारे पर बहस हो चुकी है और सदन के सभी लोगों ने इस बात को माना है और सभी की इस पर एक ही राय है कि जमीन का बंटवारा केवल लाभदायक इकाइयों मे हों इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते है कि जमीन का फिर से बंटवारा होना चाहिये। अगर जमीन का बंटवारा फिर से किया जाय तो शायद आधा एकड़ जमीन भी एक

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

आदमी को नहीं मिल पायेगी। इसलिए यह कहना कि भूमि का फिर से वितरण हो, सही नहीं है। हां, एक पोलिटिकल स्टेन्ट की बात जरूर कही जा सकती है लेकिन बात यहां फैक्टस को पकड़ने की है, इसलिये बंटवारा तो लाभदायक इकाइयों से ही हो सकता है, उद्योग-धन्धों को तो बढ़ाये बिला देश का कल्याण नहीं। बढ़ती हुई जन-संख्या बढ़े हुये ही उद्योग-धन्धों में लग सकती है। अब समय आ गया है कि हमें छोटे और बड़े उद्योगों के क्षेत्रों का बंटवारा कर देना चाहिये। जरूरी है कि छोटे बड़े उद्योग-धंधों के स्फयर्स का डिमार्केशन हो।

हमको यह साफ कर देना पड़ेगा कि कौन-कौन सी हमारी ऐसी इन्डस्ट्रीज है जिनका म नेशनलाइजेशन चाहते हैं और कौन-कौन सी ऐसी है जिनका हम सोशलाइजेशन चाहते हैं। हम उनका विकेन्द्रीय करण चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस पर हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिये और बहुत जल्द इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। वह उद्योग-धंधे जिनका सम्बन्ध हमारी ऐसी चीजों से पैदा करने से है जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है यानी वह वस्तुयें जो हमारे भोजन, कपड़ा और रहने से सम्बन्ध रखती है। उनका तो उत्पादन छोटे छोटे उद्योग-धंधों में होना चाहिये। हमारे खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजे हैं या और रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं उनके उत्पादन का विकेन्द्रीय-करण होना चाहिये। इनको सबको छोटी छोटी यूनिट्स में पैदा करने की जरूरत है। इससे बहुत से लोगों को व्यापार मिल जायेगा और अनइम्पलायमेंट (बेरोजगारी) का सवाल भी हल हो जायेगा। हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योग इन आवश्यकीय रोजमर्रा की वस्तुओं का उत्पादन पहले भी करते रहे हैं। उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। अच्छा हो कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे कोआपरेटिव सोसाईटीज के सहयोगी समितियों के जरिये किये जायं। व्यक्तिगत उत्पादन का जितना भी तरीका रहेगा चाहे हम उन पर कितना भी नियंत्रण क्यों न रक्खें वह पूंजीवाद की तरफ जायेंगे, इसलिये इनको कोआपरेटिव ढंग से ही करने में भलाई है। कुछ चीजों के बड़े बड़े उद्योग होंगे लोहा ही स्पात, बिजली इत्यादि इन बेसिक इन्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, दोनों तरफ के उद्योगों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये ताकि वह एक दूसरे के पूरक हों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी न हों मैंने, श्रीमान के सामने एक खाका रखने की कोशिश की है। मैं इन शब्दों के साथ आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से इस्तुदुआ करूंगा कि जैसा कि मेरा प्रस्ताव है उसको वैसे ही पास करने की कृपा करेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :—

संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "उसके समस्त स्वरूपों में" के स्थान पर शब्द "जिनके क्षेत्रों में सम्भव हो" रख दिये जायें।

चौथी पंक्ति में शब्द "विनियम और वितरण" के स्थान पर शब्द "उसकी सामर्थ्य में यथा संभव बिना अन्तर डाले हुए और मिश्रित अर्थ व्यवस्था की शीघ्र स्थापना के लिये" रख दिये जायं।

श्रीमान, जो प्रस्ताव कि अभी हमारे माननीय मित्र श्री महावीर सिंह जी ने रक्खा है मैं जहां तक कि उन उसूलों का ताल्लुक है जिन उसूलों से प्रेरित होकर उन्होंने रक्खा है मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह हमारे देश का एक बड़ा भारी दुर्भाग्य समझिए या कुछ और समझिये कि हम बजाय इसके कि हम अपने देश की परिस्थिति पर विचार करें, अपने देश की हालत पर विचार करें, हम पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि हमको कौन सा सिस्टम पसन्द है, चाहे हम सोशलिज्म चाहते हैं या कम्युनिज्म चाहते हों। हम बगैर देश की स्थिति देखे हुए यह तय कर लेते है, कि हमको सोशलिस्ट पैटर्न पसन्द है या कम्युनिस्ट पैटर्न पसन्द है उसके बाद उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं यह एक हमारे देश का दुर्भाग्य समझिए या कुछ और समझिए।

हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में पूंजीवादी प्रथा का हर स्वरूप में नाश हो जायें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि आज हमारे देश में दौलत कैसे बढ़े, कैसे उपज बढ़े और किस तरह अपने देश में से हम अधिक से अधिक दौलत पैदा कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। जहां तक कैपिटलिज्म का मतलब मैं समझा हूं वह तो यह समझा हूं कि चाहे आज कोई भी सिस्टम हमारे यहां हो लेकिन एक्स-प्लवायटेशन नहीं होना चाहिये। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का एक्सप्लवायटेशन नहीं होना चाहिये, यही एक खास मतलब मैं इसका समझा हूं। सोसाइटी से एक्सप्लवायटेशन को नाश करना है। हम अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बना ही रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय महाबीर सिंह लाये हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इस वजह से कि आज हमारे देश में क्या परिस्थिति है। हमारे यहां जितनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। रोड का राष्ट्रीयचरण हो चुका है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और इसके साथ ही साथ एविएशन का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी रह गये हैं, जैसे टेक्सटाइल, सुगर या आटोमिक मिनिरल्स। तो इनमें से कितनों में ही स्टेट मानोपाली है और कितनी ही जगहों पर स्टेट कंट्रोल्ड है। जो दृष्टिकोण हमारे सिस्टम का होना चाहिए और जिसको हम चलाना चाहते हैं तथा जिसको हमारी सरकार चला रही है, वह तो यह है कि हमें अपने देश मे मिक्स्ड एकोनामी चलानी पड़ेगी। जहां हम समझते हैं कि हमें नेशनलाइजेशन से फायदा होगा वहां नेशनलाइजेशन करेंगे, जहां हम समझते हैं कि समाजीकरण से फायदा होगा, वहां पर समाजीकरण करेंगे और जहां हम समझते हैं कि स्माल काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा और यही कारण है कि जो हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना बन रही है उसमें काफी प्राइवेट सेक्टर के बारे में सरकार ने प्राविजन किया है और उसको प्रोत्साहन देना चाहती है। एक दम से एक साइकोलाजिकल एटमासफियर पैदा करना दूसरी बात है लेकिन वास्तविकता को देखते हुए हमें आज वही करना पड़ेगा जिससे हमारा देश एक समृद्धशाली देश बन सके। इसके लिये जो कुछ करना चाहते हैं वह तरीका हम बनायें। मुझे याद है कि सन् ४६ या ४७ में हमारी पार्लियामेंट में यह बहुत जोरों की मांग रही कि इंडस्ट्रीज को सरकार नेशनलाइज कर दे लेकिन उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि आप चाहते हैं कि सभी चीजों का नेशन-लाइजेशन कर दिया जाय और सभी प्राइवेट सेक्टर्स को खतम कर दिया जाय, लेकिन पहले हमारे यहां ऐसी इंडस्ट्रीज हों, ऐसी व्यवस्था हो, तभी हमें ऐसा सोचना होगा। जब हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है तो इस तरह से बेकार बात करना ठीक नहीं है। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैं यह समझता हूं कि नेशनलाइजेशन हो या सोशलाइजेशन हो, लेकिन जो हमारा मतलब है वह यह है कि जो धन है वह चन्द आदमियों के हाथों में रहने के बजाय स्टेट के हाथों में आये और सोशलाइजेशन हो कर सोसाइटी के हाथ में आये जिससे नेशन बिल्डिंग के प्रोग्राम में उस धन को अच्छी तरह से लगा सकें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह देखना है कि हमारी सरकर क्या कर रही है। सरकार को जहां-जहां जरूरत महसूस हुई हैं उसने नेशनलाइजेशन किया और जहां पर कंट्रोल करने की जरूरत हुई है वहां पर सरकार ने अपना नियंत्रण किया है।

आज हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान तैयार हो रहा है और उसमें हम अपनी ये भी नीति रख रहे हैं कि जब हम ज्यादा धन इकट्ठा कर सकेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम मदद देना चाहते हैं। इसलिये हमारे सामने जो लक्ष्य होना चाहिये, जो उद्देश्य होना चाहिये, वह यह होना चाहिये कि हम किस प्रकार से अपने देश के धन को बढ़ा सकें। हमारे सामने यह लक्ष्य होना चाहिये कि चाहे वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी से हो या जिस प्रकार से भी हो, हमको तो यह करना ही है कि जो हमारी रोज की इस्तेमाल की चीजें है वह कम से कम दामों में जनता के हाथों में दे या फिर जनता की क्रय शक्ति इतनी ऊंची हो जाय

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कि वह इन चीजों को आसानी के साथ हासिल कर सके। फिर यह तो मानी हुई बात है कि जिस प्रथा को अब हमें चलाना है उसका लक्ष्य बिल्कुल हमारे सामने है और अब जो लेजिस्लेशन आ रहा है उसमें हम इंडिविजुअल टैक्सेशन लगाने जा रहे हैं, सरकार जमीन पर, दौलत पर सीलिंग फिक्स करने जा रही है और उसके साथ ही साथ डेथ ड्यूटी लगाई जा चुकी है तथा इसी प्रकार के और भी कई कर सरकार लगाने जा रही है जिसके लगाने के बाद यह कहना कि कोई आदमी बहुत अमीर हो जायगा या किसी के पास बहुत सा धन इकट्ठा हो जायगा, संभव नहीं है। अब जिस प्रकार कि प्रणाली को अपनाया गया है उसमें कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता। जैसा कि इन्कम टैक्स की फीगर से मालूम होता है, लगभग ८ करोड़ आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी आय ४ हजार रुपया सालाना है। अभी थोड़े ही दिन हुए जब कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि शायद एक लाख या उससे अधिक आमदनी रखने वाले लोगों की आय अब एक हजार या १२ सौ रह गई है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई चीज मेंडेटरी तरीके से पेश करना या इस तरह से प्रस्ताव रखना यह कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जब हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को मान चुके हैं और उसको करने ही जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो भी कदम उठाती है वह इसी तरह का उठा रही है। तो ऐसी हालत में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि हमको किन्हीं अंशों तक या किसी हद तक प्राइवेट सेक्टर को भी मदद देना पड़ेगी जिससे कि हमारे देश का धन बढ़े, तो इस प्रकार के प्रस्ताव पेश कर देने से कोई खास बात नहीं हो जायगी। मैं तो समझता हूं कि आज सरकार एक मिक्स्ड एकोनामी की पालिसी पर चल रही है और वह उसकी सही पालिसी है और मैं आशा करता हूं कि इस पालिसी पर चल कर हम देश की दौलत को बढ़ा सकते हैं। ऐसी हालत में महज यह कह देने से कि हम फौरन ही जितनी सब चीजें हैं, उनका समाजीकरण कर दें या राष्ट्रीयकरण कर दें उससे काम नहीं चलता है। हमको तो पहिले रियलिस्टिक होना चाहिये। जहां तक महावीर सिंह जी के प्रस्ताव का संबंध है, मैं हृदय से उसके सिद्धान्तों से सहमत हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रोपेगेंडा के लिये तो ठीक है और अगर प्रोपेगेंडा के लिये आप इस चीज को पेश करते तब तो वह दूसरी बात थी लेकिन जो वास्तविक बात है कि आज हमारी सरकार जिस पालिसी पर चल रही है वह सही है कि जहां हम उचित समझेंगे वहां राष्ट्रीयकरण करेंगे और जहां उचित समझेंगे वहां पर प्राइवेट सेक्टर को मदद दी जायेगी। जहां पर इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कि हमें प्राइवेट सेक्टर को मदद करनी है तो वहां पर हम ऐसी चीजों को पूरा प्रोत्साहन देंगे। मैंने जो अपना अमेंडमेंट रखा है, उसका केवल तात्पर्य यही था और मैं तो यह जानता हूं कि लोग भले ही कहें और अक्सर नारे लगाते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि स्टेट की जो मशीन होती है वह तो सोललैस मैकेनिज्म है और प्राइवेट सेक्टर में जो कार्य होता है, वहां पर तो जनता की अगर कोई तकलीफें होती हैं, वहां पर सरकार का एक इंटरवैनिंग रोल होगा। लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां पर कोई गुंजाइश नहीं है और उससे जनता को बहुत ही कठिनाई होती है। यूगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन वहां पर भी एक ऐसी स्टेट आई जब उसको अपनी पालिसी को बदलना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देना पड़ा। मैं समझता हूं कि जो नीति गवर्नमेंट अपना रही है वह बिल्कुल ठीक तरीका है। इसी के आधार पर सरकार काफी अच्छा कदम उठा सकती है। मैं तो समझता हूं कि इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मूल प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :——

"संकल्प के अन्त में शब्द करे" के बाद का विराम हटा दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित वाक्य और बढ़ा दिया जाय:——

"और इस हेतु भूमि का पुनः बटवारा किया जाय और वह इस प्रकार कि पचास एकड़ से अधिक भूमि एक परिवार के पास न रहे। साथ ही बड़े-बड़े उद्योग-धंधे, बिजली, बड़े-बड़े उद्योग, जैसे शक्कर की फैक्टरियों, कपड़े की मिलों और कागजादि बनाने की मिलों का सर्व प्रथम राष्ट्रीयकरण किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को इसलिये पेश किया है, क्योंकि मूल प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने देश और प्रदेश में जो पूंजीवाद व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाय और साथ ही साथ उत्पादन, विनियम और वितरण के साधनों का समाजीकरण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय। मैं इस सम्बन्ध मे यह अर्ज करना चाहता हूं कि पूंजीवाद को हम दो प्रकार से समाप्त कर सकते हैं।

[इस समय १२ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया]

एक तो यह है कि जब तक हम भूमि का ठीक से बंटवारा नहीं करते है तब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती है। गांव में जो ८० फीसदी जनता है, मैं समझता हूं कि जब तक आप उसकी हालत को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप सोशलिस्टिक पैटर्न को नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे है उन पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है, इसलिये तब तक हम उन बड़े-बड़े उद्योग-धंधों का नेशनलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूं कि देश में पूंजीवाद व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती है।

हमारा जो प्रदेश है और हमार जो देश है, उसमें किसानों की संख्या अधिक है, ८० फीसदी यहां किसान हैं, तो जब तक हम ८० फीसदी रहने वालों की समस्या हल नहीं कर सकते है, तब तक हम सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर नहीं पहुंच सकते हैं। एक ओर हमने जमींदारी को समाप्त किया है, तो इसमें शक नहीं कि जमींदारी को समाप्त करने के बाद हमारे प्रदेश के काश्तकारों को बड़ा रिलीफ मिला और हमारे प्रदेश के काश्तकारों को बहुत सा फायदा हुआ तथा हमारे प्रदेश के अन्दर जो बहुत सी बुराइयां थीं, किसानों के सामने जो अड़चनें थीं, उनके सामने जो मुश्किलात थीं, वे दूर हुईं। लेकिन एक छोटी सी जमींदारी अब भी बाकी है और वह यह कि एक ओर हम देखते हैं कि छोटे-छोटे काश्तकार हैं और एक तरफ हम यह देखते हैं कि बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जिनके पास हजारों बीघे जमीन हैं। एक तरफ हम ऐसे काश्तकारों को देखते है कि जिनके पास १०-२० बीघे भी ऐसी जमीन नहीं हैं और वे अपने परिवार का निर्वाह किसी तरह से भी नहीं कर सकते हैं और बहुत से काश्तकार गांवों के अन्दर ऐसे भी पाये जायेंगे जिनके पास केवल एक, दो बीघे जमीन हैं और इसीलिये आज विनोबा जी ने भू-दान यज्ञ जारी किया। जो भू-दान यज्ञ की स्थापना हुई, मैं यह समझता हूं कि उसका उद्देश्य भी यही था कि जो लैन्ड लेस लेबर हैं, देहातों के अन्दर जो भूमिहीन काश्तकार हैं, या जिनके पास थोड़ी सी भूमि है, उनको किसी तरह से भूमि दी जाय। किन्तु मैं यह समझता हूं कि इससे ही सारा मसला हल नहीं होगा। गांधी जी की भी यही धारणा थी कि किसी भी प्रकार से कानून के जरिये से जमींदारी खत्म न हो, बल्कि जमींदारों में ही ऐसी सद्बुद्धि आ जायें और ऐसी सद्भावना आ जाये कि वे काश्तकारों से कह दें कि हम अब जमींदार नहीं रहे और वे अपनी सम्पत्ति काश्तकारों को दे दें, लेकिन जमींदारों को ऐसी बुद्धि नहीं आई और नतीजा यह हुआ कि कानून बनाना पड़ा और उसको बनाकर ही जमींदारी खत्म करनी पड़ी। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि भू-दान यज्ञ बड़ी अच्छी चीज है और बहुत कुछ समस्या हल कर रही है, लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि जब तक भूमि के बंटवारा करने के लिये कोई कानून नहीं बन जायेगा, तब तक भूमि का ठीक तरह से बंटवारा नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। मुझे यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई कि अभी थोड़े दिन पहले समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि सेकेन्ड फाइव इयर प्लान, जो प्लानिंग

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

कमीशन का है, जो उन्होंने देश के लिये इस तरह से प्रबन्ध रखा है कि उससे सभी को लाभ होगा। भूमि के सम्बन्ध मे भी उन्होंने कुछ अपनी नीति बनाई है, क्या नीति बनाई है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया है, परन्तु उन्होंने एक नीति अपनाई है और देश की समस्या के लिये सेकेन्ड फाइव इयर प्लान मे भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में वह कुछ योजना रखना चाहते हैं। इसी तरह से मुझे यह मालूम हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में बहुत सोच विचार किया है। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी मालूम हुआ कि हमारे भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी स्पष्टतः कुछ इसी तरह के आदेश दिये हैं और भूमि के सम्बन्ध मे उन्होंने कुछ जानकारी प्राप्त की है, उसके सम्बन्ध में क्या हो सकता है, भूमि का बटवारा किस प्रकार से संभव हो सकता है, लैन्ड के सम्बन्ध मे क्या योजना बनाई जा सकती है, इन सब बातों के सम्बन्ध में उन्होंने जानकारी हासिल की है।

मै यह समझता हूं कि जब तक ८० प्रतिशत जनता की समस्या हल नहीं होगी और जब तक उनके अन्दर सोशलिस्ट पैटर्न की सच्ची धारणा नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि हम कितना ही नेशनलाइजेशन करें, कितना ही सोशलाइजेशन करें, कितना ही विकेन्द्रीय-करण करें, किन्तु मैं समझता हूं कि वह सारी समस्यायें हल नहीं होंगी। मुझे याद है कि माननीय मन्त्री जी ने एक सवाल के जवाब मे कहा था कि ५० एकड़ से अधिक की भूमि के काश्तकार तो हमारे वहां बहुत कम हैं। उन्होंने आंकड़ों को देते हुये यह बताया था कि एक हजार से कम काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास ५० एकड़ से अधिक भूमि है और उन्होंने यह भी बताया था कि अगर यह भूमि बांट भी दी जाय तो भी हमारी स्टेट की समस्या का हल नहीं होगा। यह ठीक भी है कि हमारी सारी समस्यायें हल नहीं हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कुछ समस्या हल हो जायगी और कम से कम अगर इतनी भूमि का वितरण हो तो मैं समझता हूं कि १०, २० हजार ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं हैं या जिनके पास नाम मात्र की भूमि है, उनको कुछ रिलीफ तो अवश्य मिल जायगा। इस वजह से मेरा अपना विचार है कि पूंजीवाद प्रथा की समाप्ति के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश के अन्दर जो भूमि है उसका नये ढंग से बंटवारा करें। दूसरी बात जो पूंजीवाद को समाप्त करने के लिये आवश्यक है वह यह कि बड़े-बड़े जो उद्योग-धंधे हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाय। एक आदमी की जो सम्पत्ति है उसको बहुत से आदमियों में बांटा जाय या उसको स्टेट की प्रापर्टी माना जाय और इसके सम्बन्ध में सेकेन्ड फाइव इयर प्लान जो निकली है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो बड़ी बड़ी मिलें या फैक्ट्रीज हों उनमें मजदूरों का हिस्सा होगा और उसमें मजदूरों की भी पूंजी मानी जायगी। तो यह बिल्कुल यकीन है कि सरकार का ध्यान इस ओर है कि भूमि का पुनः बंटवारा किया जाय और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को नेशनलाइज किया जाय और उनमें मजदूरों का हिस्सा और पूंजी कायम की जाय। इसकी ओर सरकार का ध्यान है तो जब तक बड़े-बड़े उद्योग-धंधे जैसे शक्कर के कारखाने, बिजली के कारखाने, कपड़े के कारखाने ऐसे जो बड़े कन्सर्न हैं उनको अगर नेशनलाईज न किया गया तो समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसलिये अगर इनको नेशनलाइज किया जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी पापुलेशन को फायदा हो सकता है बजाय इसके कि वह एक आदमी की पूंजी हो, फैक्ट्री हो। मैं तो यह समझता हूं कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधों का सबसे बेहतर इलाज यह है कि उनका नेशनलाइजेशन किया जाय इसलिये कि आप कितना ही उन पर सरकारी कन्ट्रोल रखें, मजदूरों का हिस्सा कायम रखें, लेकिन फिर भी समस्या सुधरती नहीं है, इसलिये कि आज जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं उनका रवैया यह रहता है कि उनके दो हिसाब होते हैं, दो लेजर्स होते हैं, दो कैश बुक होती है। मुझे मालूम है कि हमारे इलाके में एक शक्कर मिल है उसमें कई सालों से घाटा दिखा रहे हैं, इसलिये कि मजदूरों को बोनस न देना पड़े। इस प्रकार से जब एक व्यक्ति की सम्पत्ति या फैक्ट्री होती है तो कितना ही गवर्नमेंट कन्ट्रोल रखें किन्तु उन सारी चीजों की देख-रेख नहीं रख सकती है।

कितना रुपया आया, कितना रुपया खर्च हुआ, कितनी आमदनी हुई और कितना फायदा हुआ इस चीज को ठीक तरह से जांचना मुश्किल है। फिर मैं समझता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक है, बिजली है, हमारे प्रदेश में बिजली बहुत अधिक संख्या मे पैदा होती है। थोड़े समय मे हर शहर में ही नहीं बल्कि शायद गांव गांव में बिजली हो जाय तो फिर कोई वजह नहीं कि जिस इन्डस्ट्री को सरकार इतने बड़े पैमाने पर लगा रही है वह इन्डस्ट्री प्राइवेट आदमियों के हाथ मे रहे। मुझे यह मालूम है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जितना भी इलेक्ट्रिक कम्पनीज हैं वे सब विदेशियों के हाथ में हैं। उनका जो शेयर है वह भी विदेशी आदमियों के हाथ में है। उनकी आमदनी जो है वह भी विदेश मे जाती है। जब प्रदेश के अन्दर इतने बड़े पैमाने पर बिजली बन रहा है तो कोई सबब नहीं मालूम होता कि ये कम्पनीज क्यों कायम है। शक्कर की फैक्टरीज की जो हालत है वह भी मैं समझता हूं। जहां जहां फैक्टरीज है वहां सोसाइटीज के पास काफी रुपया है लेकिन किसी भी किसान का जो रुपया काटा गया है उसका वितरण नहीं हुआ है। कोआपरेटिव बेसिस पर शक्कर की फैक्टरीज कायम की जाय। आज जो गन्ना डालने मे किसानों को दिक्कत होती है, जो रुपया मिलने मे किसानों को दिक्कत होती है वह सब आपको मालूम है। आपने बिल बना दिया, कन्ट्रोल के लिये ऐक्ट बना दिया लेकिन इसके बाद मे भी जो फैक्टरीज के अन्दर गड़बड़ी है, जो किसानों को रुपया मिलने मे दिक्कत है वह दो परसेंट भी कम नहीं हुई है। हर साल दिक्कतें बढ़ती जाती है। कन्ट्रोल करना प्राइवेट कन्सर्न पर इससे पूंजीवादी प्रथा खत्म नहीं हो सकती या सोशलिस्ट पैटर्न नहीं लाया जा सकता। उसके लिये तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि जितने बड़े-बड़े धंधे है उनको नेशनलाइज किया जाय, सोशलाइज किया जाय। तभी मै समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर सोशलिस्ट पैटर्न कायम हो सकता है। पूंजीवाद का अन्त तो फिर भी नहीं हो सकता लेकिन अन्त की ओर कदम बढ़ सकता है। मैंने संशोधन के द्वारा दो बातों पर जोर दिया। आशा है कि मूवर महोदय और हाउस इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेगा।

*श्री गोविंद सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--डिप्टी चेयरमैन महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है उसका विरोध करने का अवसर तो किसी को है नहीं क्यों कि पूंजीवाद का सिस्टम नहीं रहना चाहिये। इस नतीजे पर जो पूंजीवाद अर्थशास्त्र के पंडित है या जो स्वयं पूंजीवादी है वे भी स्वयं इस नतीजे पर पहुंचे है कि अब पुराने जमाने का पूंजीवाद नहीं चल सकता है। उन्होंने भी सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के उसूल का जहां तक ताल्लुक है उसको कबूल कर लिया है। जब बड़े-बड़े शहरों में मीटिंग्स होती है वहां स्पीचेज होती हैं, उनमे इस बात पर प्रकाश डाला जाता है। अभी पदमपत सिंघानिया की स्पीच कानपुर में हुई उन्होंने भी इस चीज पर प्रकाश डाला। कहने का मतलब यह है कि मुल्क ने आज यह सिद्धांत कबूल कर लिया है कि पुराने जमाने की पूंजीपति व्यवस्था नहीं रह सकती।

अब सिर्फ सवाल यह नहीं है कि उसूली तरीके से कोई पूंजीवाद के खिलाफ है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आया सिर्फ नारा लगा कर या इस सदन में प्रस्ताव लाकर समाज वाद कायम किया जा सकता है। यह इतनी आसान चीज नहीं है। इसके पीछे एक हिस्टारिकल, एक कल्चरल बैकग्राउन्ड है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर कोई आदमी अमीर होता है तो वह पूंजीपति है और कोई आदमी मजदूर या गरीब है तो वह फितरतन सोशलिस्ट है। पूंजीवाद की जो जबरदस्त चीज है वह उसकी जिन्दगी का उसूल है और उसके मुताबिक जो फिलासफी है पूंजीवाद की उसे मजदूर भी उसी मात्रा में कुबूल करता है, जिस मात्रा में पूंजीपति करता है। जब तक समाज का यह ख्याल है कि अमीरी गरीबी का सम्बन्ध समाज से नहीं है खुदा से है, ऐसे सभी लोग पूंजीवादी फिलासफी की मदद करते हैं। तो आज हम पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की फिलासफी पर

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

बातचीत कर सकते हैं। दुनिया की तारीख भी यह बतलाती है कि हर कोशिश पूंजीवाद को कायम रखने में विफल हुई। जैसे कि पहली जंग हुई इम्पीरियलिज्म कायम करने की गर्ज से, जिसका नतीजा यह हुआ कि सोशलिज्म एक मुल्क यानी रशा में कायम हुआ। सेकेन्ड बार हुई फासिज्म और नाजिज्म को कायम रखने के लिये। जिसका नतीजा यह हुआ कि चायना में कम्युनिज्म कायम हुआ, योरुप में पूर्वी मुल्कों में कम्युनिज्म आया और लैटिन अमेरिका के कन्ट्रीज के अन्दर राष्ट्रीयता आई। यह इस बात को बतलाता है कि सोशलिस्ट विचारों की धारा दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। हिन्दुस्तान ने इसको कुबूल किया है और हमारे इर्द-गिर्द के मुल्क भी कबूल करते जा रहे हैं, और जो नही करते हैं उनमें विस्फोट हो रहा है, एसिसनेशन्स हो रहे हैं, फौज और पब्लिक की संस्थाओं में लड़ाई हो रही है और फौजी हुकूमतें बनती जा रही हैं। मैं इस बात पर ज्यादा नहीं जाना चाहता।

आज पूंजीवाद की मुखालिफत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि जो मुखालिफत करने वाले थे वह स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि पूंजीवादी निजाम में तब्दीली की जरूरत है। पूंजीवादी निजाम इस सदन में प्रस्ताव पास कर देने से या नारा लगा देने से नहीं खत्म किया जा सकता। उसको खत्म करने के लिये और समाजवाद को कायम करने के लिये सिस्टेमेटिक एफर्ट्स की जरूरत है। ख्यालाती दुनिया में इनक्लाब करना होगा, लोगों के दिलों दिमाग में यह बात पैदा करनी होगी कि अमीरी और गरीबी की जिम्मेदारी सोसाइटी पर है। एक ऐसा समाज बन सकता है जिसके अन्दर प्लानिंग के जरिये से जिन्दगी के हर शोबे में तरक्की लाई जा सकती है, जिससे बेकारी मिटाई जा सकती है। तो समाजवाद को लाना एक आईडियालाजिकल ऐस्पेक्ट है। यह कोशिश हर इन्सान की तरफ से होना चाहिये चाहे वह कांग्रेस में हो या कांग्रेस के बाहर हो। लेकिन आज हालत क्या है जब से सोशलाइजेशन जिसे सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी कहते हैं लेकिन मैं उसमें कोई भेद नहीं करता, पास हुआ है तब से ख्यालाती दुनिया के अन्दर समाजवाद बढ़ने के बजाय जातिवाद ज्यादा बढ़ा है। सोशलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन फिर्कापरस्ती का तरीका है। कुछ लोग सोशलिज्म का नाम लेते रहते हैं लेकिन बढ़ते जाते हैं नाजिज्म और फासिज्म की तरफ। मुझे भी कांग्रेस के अन्दर २०-२५ साल तक काम करने का गर्व है, क्या आज कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि कांग्रेस ने जो मुल्क को नेशनलिज्म दिया था वह पिछले ५-७ साल के अन्दर दरहम बरहम हो गया और दिमागी सिकुड़न मुल्क में बढ़ गई। अगर यह वाकया है तो मैं कहूंगा कि आडियालाजिकल रिवोल्यूशन, समाज और ख्यालात के ढंग से सोचने की तबियत पैदा करने के लिये आपने कोई काम नहीं किया। आज यह देखा जाता है कि अमुक आदमी कायस्थ की परवाह करता है। कोई कहता है कि अमुक आदमी ठाकुर की परवाह करता है। आज कुनबा परस्ती का असर मुल्क की सियासत पर जितना पड़ रहा है उतना कभी नहीं पड़ा था; इसलिये मैं कहूंगा कि जो मेम्बर महोदय हैं क्या उन्होंने कभी इस बात को सोचा कि सोशलिज्म लाने की टेकनिक क्या है? इसकी कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है। पहली कोशिश आइडियालाजिकल होना चाहिये, मुझे खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को लाये, मुझे इस बात की भी खुशी है कि सदन इसका समर्थन करेगा। डिप्टी चेयरमैन महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसको लाने के लिये कम्युनल एटीच्यूड के खिलाफ जेहाद करना होगा, क्योंकि वह लोगों के दिल दिमाग पर हमला करता है और सोचने को ताकत को कम करता है, दूसरी चीज यह होनी चाहिये कि जो कैपिटलिज्म के इन्स्टेट्यूशन्स पनपे हैं उनको सोशलिस्ट पैटर्न के मुताबिक बदलें और उसमें काम करने वालों में सोशलिस्ट नजरिया पैदा करें। जब तक शिक्षा, न्याय और ऐडमिनिस्ट्रेशन की वेहिकिल को नहीं अपनायेंगे तब तक कोई फायदा न होगा। शिक्षा के द्वारा लोगों के दिल दिमाग को समाजवाद की तरफ ले जांय और हमारा न्याय लोगों में ईमानदार बना रहने की तरबियत दे और हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से काम करे जिससे हर आदमी महसूस करे कि यह गरीबों का राज्य है आम आदमियों का राज्य है।

अगर आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन वही रहा जिसमें ऊंच-नीच है, छोटे-बड़े साहब हैं, चपरासी और साहब का आउटलुक है, जो ऐसे इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं जो अनइक्वीलिटी पर बने हुये हैं और जब तक सामाजिक असमानता है, आप समाजवाद कैसे लायेंगे? इसलिये जो सोशलिस्टिक थिंकर्स हैं उन्होंने साफ कहा है :—

If you replace private landlordism by State landlordism without changing the complex of the State machinery, it will be a mere replacement of one type of disorganised landlordism by more organised ruthless type of landlordism that is known as bureaucratic capitalism.

अगर हम सिर्फ इतना करे कि जमींदारों को खत्म कर के खुद स्टेट जमींदार बन जाय और सारी मशीनरी का स्ट्रक्चर वैसा ही रहे तो यह ब्यूरोक्रेटिक लैंडलार्डिज्म से भी ज्यादा खराब है और खतरनाक हो सकता है। इसलिये जिन मुल्कों में सोशलिज्म लाई गई है, उन्होंने अपनी स्टेट की मशीनरी को बदलने की कोशिश की है। अगर नेशनलिज्म में सरकार महज कल-कारखानों पर कब्जा कर लेती है और खुद चलाने लगे और उससे मुल्क की तरक्की हो जाय तो मैं साफ कहता हूं कि जब तक मशीनरी नहीं बदली जायेगी कोई फायदा न होगा। आज प्राइवेट कैंपिटलिस्ट चुनौती देकर कहते हैं कि हम जितनी जल्दी कल कारखाना चला सकते हैं उतनी जल्दी सरकारी मशीनरी नहीं चला सकती है। नेशनालिज्म उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक लोगों को सरकार के माल से मुहब्बत न हो। सोशलिज्म का दूसरा उसूल यह है कि लोगों के दिल में सरकारी माल और सम्पत्ति से मुहब्बत हो। लोग अपनी रेल को यह समझें कि यह हमारी सम्पत्ति है, मुल्क की दौलत है और इसको नुकसान पहुचाना, चोरी करना अपना नुकसान करना है। जब तक सरकारी माल से मोहब्बत न हो सोशलाइजेशन नहीं हो सकता है। आज मुल्क की हालत यह है और लोग यह कहते हैं कि सरकारी माल है यानी वह किसी का माल नहीं है। जितना चाहो लूटो। जिसका नतीजा यह है कि लोग इन्कम टैक्स और दूसरे मामलों में तरह-तरह का जाल करते हैं। जाली खाते बनाते हैं, यह सब हमारे समाज में बहुत जोरों से प्रचलित है। इसलिये जब तक सरकारी माल से लोगों को प्यार न होगा तब तक सोशलिज्म नहीं चल सकता है। यह तभी हो सकता है जब कि हमें यह यकीन हो न जाय कि है। यह सरकार जो काम कर रही है, वह अपने लिये नहीं कर रही है बल्कि हमारे लिये कर रही अगर कैंपिटलिज्म पैटर्न को लिक्यूडेट करके सोशलिज्म के नाम पर महज सरकार ही कब्जा कर लेगी तो वह और भी खतरनाक साबित होगा। हिटलर और फासिस्ट भी जानते थे कि बगैर सोशलिज्म का नाम लिये हम मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकते हैं इसलिये उन्होंने भी सोशलिज्म और नेशनलाइजेशन के नाम पर लोगों को खींच कर अपना राज्य चलाया और उसका जो नतीजा हुआ वह भी किसी से छुपा नहीं है। वही चीज ठीक आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि दोनों का बहुत शोर है इसलिये मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी यह पालिसी हम को फासिज्म की ओर न ले जाय। इसलिये हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम को उठाना चाहिये। यह सिर्फ नारों का ही सवाल नहीं है। साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि इस तरह के ख्यालात जो मुल्क में आ रहे हैं उससे कैंपिटलिज्म दूर नहीं होगा बल्कि ऐसे ख्यालों से हमारी मुसीबत और बढ़ सकती है। इसलिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सोशलिज्म का जो ख्याल हमारे यहां चल रहा है, वह बहुत सोच समझ कर नहीं लाया गया है। इसलिये कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक नारा सोशलिस्टिक पैटर्न का लगा दिया और लोग वही नारा लेकर चल दिये और मेरा यह भी ख्याल है कि अगर आज वह कैंपिटलिज्म पैटर्न का नारा लगा दें तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई माई का लाल है जो उसकी मुखालिफत कर सके। सभी लोग कैंपिटलिस्ट पैटर्न का नारा देने लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह के नारे से सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा नहीं चलाया जा सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपका

[श्री गोविन्द सहाय]

नारा सोशलिस्टिक पैटर्न लाने का है तो आपको उसके सारे उसूल को मानना होगा। पहले आप उन सारे उसूलों को मन्जूर कीजिये। अगर आपने इस ख्याल से अपनाया है कि यह नारा बहुत खूबसूरत है तो इसका मतलब यह कि आप इसमें फंस रहे हैं और इसका नतीजा बहुत खराब होगा। मैं आप को बता दूं कि कैपिटलिज्म आज दुनिया से खत्म हो रहा है और लोगों का ऐसा ख्याल है कि अगर ६, ७ साल के अन्दर जंग न होगी तो आज जहां कैपिटलिज्म है वहां वह क्राइसेस पैदा करेगा। मतलब यह कि एक तरफ रुपया बढ़ेगा, माल की पैदावार बढ़ेगी और दूसरी तरफ खरीदने की ताकत खत्म होगी, बेकारी बढ़ेगी। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने अभी हाल में कहा है कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान के बाद, जितनी पहले बेकारी थी उसमें दो मिलयन ज्यादा बेकारी आदमियों की हुई है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि सेकेन्ड फाइव इयर प्लान के बाद भी अनइम्प्लायमेन्ट कम हो सकेगा या नहीं। हमारे यहां सोशल डेवलपमेंट के प्लान्स हैं।

The First Five-Year Plan was a developmental plan, the Second Five-Year Plan should be a structural plan.

सोशलिज्म के लाने की बात कांग्रेस के रहनुमा और खास कर पंडित जवाहर लाल नेहरू करते हैं। सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जो एक ऐबनार्मल हालत को दूर करेगी। लेकिन एक आदमी के ऊपर कुछ नहीं होगा। जब गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे, सारा समाज इस बात की कोशिश करे तो सारे मुल्क के लोगों का फर्ज हो जाता है कि इस ख्याल को पापुलर बनायें। आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है लेकिन जब तक कोई गवर्नमेंट इसको पापुलराइज नहीं करती है, उसकी मशीनरी इस बात की कोशिश नहीं करती है कि वह लोगों के दिलों को बदले तब तक इस नारे से कोई फायदा नहीं होगा। कोई काम महज नारा लगाने से नहीं होता है। हमारे यहां इसको लाने के लिये एक पंचसाला योजना से काम नहीं चलेगा। कम से कम ३, ४, ५ पंचसाला योजना के बाद इसके लिये कुछ बैक ग्राउन्ड तैयार होगा। रूस में इसकी बुनियाद डालने में २२ साल लग गये थे। सन् १९३९ में इसके लिये वहां पर कुछ बैकग्राउन्ड तैयार हो पाया था जब कि वहां का वातावरण इसके लिये बिल्कुल उपयुक्त था। वहां की सरकार इसके लिये लोगों के दिल-दिमाग तैयार करती थी, वहां की पार्टी इसके लिये लोगों को ट्रेनिंग देती थी तब भी वहां पर इतना समय उसकी नींव डालने में लग गया था। हमारे यहां तो पार्टी सिस्टम है। अगर आपको सोशलिज्म के बारे में कहने का हक है तो मुझको उसके खिलाफ बोलने का भी हक है यही नहीं मुझको उसको कन्डेम करने का भी हक है। जब तक ऐसी हालत में हम उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों के दिल-दिमाग नहीं बदल देते हैं तब तक इसके लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे यहां अभी तक कोई हालात लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये नहीं है, न तो पार्टी की तरफ से है और न गवर्नमेंट की तरफ से है। कोई कोशिश हमारी तरफ से नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि सोशलिस्ट समाज लाने के लिये जरूरी है कि जो हमारी मशीनरी है, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उनको सोशलिज्म के बारे में जानना चाहिये। अभी हमारे यहां तो सेक्रेटरी भी शायद इसके बारे में न जानते हों और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि शायद मिनिस्टर लोग भी इसकी बाबत न जानते होंगे और यहीं नहीं हम जो अपोजीशन के हैं, उनसे भी पूछ लीजिये वह भी सोशलिज्म को नहीं समझते होंगे। जब हम सोशलिज्म को कबूल करें तो हमको लोगों को सोशलिज्म का बैक ग्राउन्ड बतलाना बहुत जरूरी है। मैं अपना एक जाती किस्सा आपको बतलाता हूं। अभी कुछ दिन पहिले मैंने एक कैडेट से सोश-लिज्म के बारे में टाक देने के लिये कहा तो जो अफसर थे उन्होंने कहा कि सोशलिज्म के बारे में क्या टाक दी जा सकती है। मैंने उनसे कहा कि सेक्रेटेरियट में किसी से पूछ कर आओ और वे यहां किसी से पूछने के लिये आये। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पूछ आये हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद सेक्रेटरी या अन्डर सेक्रेटरी से पूछ आये हैं। जब वह उनसे

पूछने गये तो सेक्रेटरी ने कहा कि नो, नो, दिस इज पालिटिक्स। इस प्रकार की बात आप नहीं पूछ सकते हैं। उनको इस तरह से पता नहीं चल सका कि किस तरह से सोशलिज्म दुनिया में चल रहा है। वे समझते हैं कि अभी हम पुरानी बातों पर ही कायम हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किससे पूछने गये तो उन्होंने कहा कि वे एजुकेशन मिनिस्ट्री में किसीसे पूछने गये थे। मैंने कहा कि अगर आप एजूकेशन मिनिस्टर से पूछते तो अच्छा था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर भी उसको नहीं बतला पाते। जब तक हम अपने सर्विस वालों को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दें तब तक वे किसी भी इज्म को लागू करने के लिये कैसे तैयार हो सकते हैं। आपने अपने यहां जमींदारी को खत्म कर दिया है, लेकिन ज्यादातर जमींदारों के ही लड़के डिप्टी कलेक्टर हैं। अगर आपने उनके नजरिये को नहीं बदला और बदले हुये समाज की उनको ट्रेनिंग नहीं दी तो वे आप के इस कानून का सही इन्टरप्रिटेशन नहीं करेंगे। आज हिन्दुस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हम लफ्जों के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं। चाहे हमें १० क्या २० साल सोशलिज्म को लाने में लग जायें क्योंकि उसका रास्ता स्लो और स्टडी होता है। सोशलिज्म लाने से पहले जो जरूरी होता है वह यह होता है कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिये। क्योंकि एक नेशनल गवर्नमेंट ही नेशनल रुझानात पैदा कर सकती है और एक पार्टी गवर्नमेंट पार्टी रुझानात ही पैदा करती है। पार्टी सरकार के जरिये से आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में सोशलिस्टिक रुझानात नहीं आये हैं। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, उन्होंने भी अपने यहां सोशलिस्टिक रुझानात लाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके।

ब्रिटेन को हम एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री कह सकते हैं, और वहां पर इसकी कोशिश हुई है और वहां पर लेबर गवर्नमेंट बनी भी है लेकिन एक इलेक्शन के बाद वे फिर नहीं आ सके। ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट ताकत में आई और वेलफेयर स्टेट कायम हुई उसके बाद फिर चर्चिल आये और उसने अपनी हुकूमत चलाई। तो अभी इस मुल्क में सोशलिज्म लाने की बात होती है और मैं तो अभी नहीं कहता कि कौन सा इज्म आयेगा, यह तो तवारीख ही बतायेगी और इस बात का फैसला करेगी कि हमारा यह तरीका ठीक है या नहीं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि मुल्क का नेशनल आउट लुक ऐसा हो, जिसमें आसानी से रेशनालाइजेशन हो सके। जब तक आप कौम की आवाज को सुदृढ़ नहीं बना लेते हैं, तब तक केवल काउन्टर रेवोल्यूशन से सोशलिज्म लाना कोई खेल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में समाजवाद हो और कैपिटलिज्म का खात्मा हो, लेकिन इलेक्शन के दौरान में सभी पार्टीज कैपिटलिस्ट आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो बड़े दानी हैं, बड़े सखी हैं, हमें इतने रुपये दे दीजिये वैसे तो कैपिटलिस्ट आदमी बहुत बुरा है, लेकिन जब रुपये का सवाल आता है तब यह समझा जाता है कि कौन एक–एक रुपया करके इकट्ठा करे, चलो किसी पूंजीपति को पकड़ लें क्योंकि हम सोशलिज्म कायम करना चाहते हैं। लेकिन कान्सीडरेशन आफ वैल्थ जो है, उसको हम देना चाहते हैं इसलिये कि हम समझते हैं कि कौन एक-एक रुपया मांगे, किसी एक मिल ओनर से अप्रोच करते हैं। जहां इस तरह की विचार धारा हो कि मेहनत किसी एक इन्डीविजुअल को करना पड़ता है और दौलत चन्द इने–गिने लोगों के ही पास रह जाती है, जो मेहनत करता है उसका कोई सवाल नहीं है। मेरी तो इस प्रस्ताव पर बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे ख्यालात साफ हैं, चूंकि रिजोल्यूशन आया इसलिये मैंने यह समझा कि इसका जो एक खतरनाक रिजल्ट है, जिसका कि मुझे डर है उसको मैं सामने रख दूं। आज मुल्क में जो सोशलिज्म का नाम लिया जा रहा है कहीं ऐसा न हो जाय कि इसके बजाय कोई दूसरा ही इज्म यहां पर आ जाय। इसका कारण यह है कि आप किसी फ्रन्ट पर किसी तरह से कन्सैन्ट्रेट नहीं करते हैं। मुल्क किसी एक आदमी पर नहीं रह सकता है, आज तो पंडित नेहरू हैं जो कि एक सुन्दर राष्ट्र को बनाये हुये हैं आप पाकिस्तान का ही किस्सा ले लीजिये, वहां के पहले दो लीडर थे जिन्होंने उसको ठीक तरह से रखा लेकिन उनके जाने के बाद ही एक छीना झपटी हो गयी है और इसका कारण यही है

[श्री गोविन्द सहाय]

कि उन्होंने कन्सीडरेशन फार नेशनल रेशनालाइजेशन का विचार नहीं किया। आज मुल्क में स्लोगन बाजी होती है कि मुल्क में सोशलिज्म आयेगा, या नेशनलाइज्म आयेगा लेकिन जब काउन्टर रेवोल्यूशन आती है तो स्टेट में बहुत सी खराबियां आ जाती हैं इसलिये कि इसमें फायदा थोड़े से लोगों का रह जाता है। इसलिये इन्तिहा कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि बेलिहाज पार्टी के ऐसे प्रस्तावों को अमल में लाने की कोशिश न करें बल्कि इस बात की कोशिश करें कि मुल्क में सोशलिज्म लाने के लिये कौन सा प्रोसीजर ठीक

अगर हमने

जेशन को पूरे तरीके से इस्टेंडर्डाइज नहीं किया, अगर आपने अपनी शिक्षा को, अपने आर्गेनाइजेशन को इसके अनुकूल नहीं बदला और सोशलिज्म के नाम पर इरेशनल सोशलिज्म की तरफ बढ़ते गये तो फिर मुकाबला करना बड़ा कठिन हो जायेगा। जो प्रस्ताव कुंवर महावीर सिंह जी ने पेश किया है यह उससे भी नहीं दूर होगा। बता नहीं सकता कि वह क्यों इसको खुश नसीब प्रस्ताव कहते थे, क्यों इतना दबाव वह डाल रहे थे कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको पेश करने से एक इन्कलाब पैदा हो जायेगा। पता नहीं कौन से इन्कलाब की बात हो जाती अगर उन्होंने इसको बहुत पहले पेश किया होता। मेरा तो ख्याल है कि यह इन्कन्सिस्टेन्ट है। माना कि सोशलिज्म को हम मन्जूर करते हैं, कोई कहता है कि इसको सोशलिज्म न कहिये, बल्कि सोशलिस्टिक पैटर्न कहिये, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सोशलिज्म का एक प्रोग्राम है चाहे वह कहीं का है लेकिन केवल सिद्धांतों में फर्क हो सकता है। आज कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न का ऐलान किया है और मैं इसके लिये कांग्रेस को मुबारकबाद देता हूं, मगर यह सिद्धान्त की बात है और कोई बात नहीं है इसमें कोई गैर मामूली बात आप नहीं करने जा रहे हैं मगर इसको करने के बाद जिन चीजों को लागू करने की जरूरत हो जाती है, जिस किस्म की आर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत हो जाती है अगर आपने यह नहीं किया तो तवारीख यह कहेगी कि आपने सोशलिज्म को आपने फासिज्म में बदल दिया।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सोशलिज्म के नाम पर फेसिज्म, राष्ट्रीयता के नाम पर समाजवादिता और विशालता के नाम पर तंगनजरी बढ़ती जा रही है। मैं आप को यकीन दिला सकता हूं कि आज जो आदमी सोशलिज्म पर विश्वास रखता है वही अपनी पार्टी के नाम पर सोशलिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि मुल्क में सोशलिज्म न कायम किया जाय, बल्कि मुझे तो शिकायत इस बात की है कि जो कदम आप उठा रहे हैं वह ठीक नहीं है, इससे गरीबी बढ़ रही है। अगर सोशलिस्टिक कंट्री में पूंजीवाद ज्यादा बढ़ गया तो उसमें खराबी पैदा हो जाती है। सोशलिज्म में इन तीन चीजों का खात्मा बहुत ही जरूरी है। एक तो डेस्टिट्यूट, दूसरे बेगरी और तीसरे प्रोस्टिट्यूट। अगर पूंजीवाद ज्यादा बढ़ता है तो गरीब लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी और जब लोगों को पेट भरने के लिये खाना नहीं मिलेगा तो अपनी इज्जत और असमत को बाजार में बेंच कर अपना पेट भरना शुरू करेंगे, जिससे सोसाइटी की हालत खराब हो जायेगी और देश की उन्नति नहीं हो सकेगी।

श्री डिप्टी चेयरमैन--आप का समय खत्म हो गया है, इसलिये अब आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री गोविन्द सहाय--जनाब, मैं लाल रोशनी देख रहा हूं लेकिन मुझे इस वक्त लाल रोशनी का डर इस वजह से नहीं है क्योंकि इस वक्त तो मैं उधर के प्रस्ताव के पक्ष में ही बोल रहा हूं, लेकिन आपका जो हुकुम है उसके मुताबिक बहुत जल्द ही अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे मुल्क की बुनियाद मजबूत हो और मुल्क में अमीरों की संख्या ज्यादा न बढ़ने पाये। मैं सरकार

का ध्यान इस प्रस्ताव की तरफ दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उसको इस प्रश्न पर बहुत ही गम्भीरता से सोचना चाहिये।

*श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने है उसमें पूंजीवाद की व्यवस्था का प्रश्न है, और इसको खत्म करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रस्ताव का इस सदन में सभी ओर से समर्थन किया गया है। हमको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि हम पूंजीवाद व्यवस्था को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। माननीय श्री गोविन्द सहाय जी ने यह बात कही कि वे सोशलिज्म और सोशलिस्टिक पैटर्न में कोई अन्तर नहीं समझते हैं, तो इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि यह तो एक इन्टरप्रिटेशन की बात है। जिस प्रकार से गोविन्द सहाय जी उस का विश्लेषण करते हैं कि उस तरह से और लोग नहीं कर सकते हैं। जिस समय आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह रेजोल्यूशन आया था तो उस मौके पर यह बात पेश हुई थी। तो मौलाना आजाद ने कहा था कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही थी, जो कार्यक्रम लेकर चल रही थी, वही हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न का तरीका है। यह बात साफ रहती और कांक्रीट रहती तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि साफ शब्दों में और गोल-मोल तरीके से बात करने में एक बहुत बड़ा अन्तर हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार के रेजोल्यूशन को देखते हैं, तो उसमें यह बात साफ तौर से कही गई है कि उत्पादन, वितरण और विनियम के मुख्य साधनों का समाजीकरण होना चाहिये। लेकिन जब मैं मूवर महोदय की बात सुन रहा था, तो उस मौके पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सी चीजों में जो सोशलिस्ट सोसाइटी का कन्सेप्शन है, वह शायद अपने विचार उस सम्बन्ध में कुछ मुख्तलिफ रखते हैं। मैं उन लोगों में से हूं, जो समाजवाद के अच्छे आचार्य होते हैं, जिन्होंने इसके लिये मार्ग खोला है, जिन्होंने इसके प्रदर्शन करने के लिये अपनी लेखनी उठाई है और जिन समाजवाद के शास्त्रियों का मूल स्त्रोत समाजवाद की कल्पना को लेकर, उसके आदर्शों और भावनाओं को लेकर बना है और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन हो, तो उसका यह ढंग नहीं है। आज यह कहना कि देश-देश में फर्क होने के कारण, परिवर्तनों के कारण, हमारा समाजवाद उसी तरह से स्थापित होगा, तो मैं उसे नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि जो समाज का मूल्य होगा, तो जहां तक समाजवाद में इस बात का ताल्लुक है, वह संसार में करीब-करीब सभी जगह बराबरी का है। ऐसी हालत में जो हम पर्सनल और प्राइवेट प्रापर्टी की बात करते हैं, तो इस तरह से चाहे किसी की करोड़ों की सम्पत्ति ले ली जाय और वह पूंजी के

में उन कापिटल का इन्वेस्टमेंट न हो, तो मैं कह

हो सकेगी। समाजवाद के समाज की स्थापना के सम्बन्ध में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से समाजवाद की व्यवस्था की बात करते हैं, तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि उनको कांक्रीट तरीके से अर्थात् साफ-साफ तरीके से समाजवाद की परिभाषा कर देनी चाहिये। पहली मंजिल में समाजवाद की क्या परिभाषा होगी, उसको साफ तौर से उन्हें कहना चाहिये, दूसरी मंजिल में उसका क्या तरीका होगा, यह बात भी सामने आनी चाहिये। इसलिये जब हम इस तरह की बात कहते हैं और यह देखते हैं कि जो भी संस्थाय हमारे सामने आई हैं और जिस तरह के कन्सेप्शन से हम इस बात को मान रहे हैं, तो हमें उस चीज में साफ रहना चाहिये और कांक्रीट तरीके से इस बात को रखना चाहिये, जिस किसी भी व्यवस्था में आप काम करना चाहते हैं। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि समाजवाद के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति दूसरे की कमाई पर नहीं रह सकता है और किसी भी व्यक्ति के पास इससे ज्यादा सम्पत्ति नहीं रह सकती है कि वह उस सम्पत्ति से हायर्ड लेबर रख सके या मजदूरों को रख सके। उसके पास उतनी ही सम्पत्ति होगी कि वह किसी तरह

*सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

से भी मजदूर न रख सके। चाहे अब आप इसे प्राइवेट कहिये या पर्सनल प्रापर्टी कहिये। जब आप अगले ५ सालों में समाजवाद की सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें इस चीज का स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिये कि आप को अगले ५ सालों में यह करना है और दूसरे ५ सालों में यह करना है।

उद्योगीकरण करने के सम्बन्ध में भी और दूसरे कामों में भी आप का साफ-साफ तरीके से विश्लेषण होना चाहिये और जिन आदर्शों और सिद्धांतों को आप अपना रहे हैं, जिनको आप व्यवहारिक रूप देने जा रहे हैं, वह चीज भी सामने आनी चाहिये और आप को उन आदर्शों की मंशा को स्पष्ट करना चाहिये कि अगले ५ सालों के अन्दर जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं, उनका राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण होगा। हमें इस बात को साफ तौर से कहना होगा। जो गांव के अन्दर आज खेती-बारी और उत्पादन के साधन हैं, आपको वह भी देखना है।

उस उत्पादन के साधन में पांच आदमियों के परिवार में जितनी खेती की जा सकती है बिना मशीन लगाये हुये उसको दुगुनी या तिगुनी समाजवाद की पहली मंजिल में नहीं रख पायेंगे। दूसरी मंजिल पर किसी आदमी के पास इतनी जमीन न होगी कि वह मजदूर लगाकर कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। आपको समाजवाद का विश्लेषण करना होगा। समाजवाद का विश्लेषण लम्बे लम्बे नारे लगाने से नहीं होगा। आज भी ढोल पीटा जाता है कि हमने जमींदारी खत्म कर दी है। लेकिन जो देहातों के रहने वाले हैं वे जानते हैं कि क्या जमींदारों का प्रभाव जो समाज के अन्दर है वह खत्म हुआ। आज गांव के अन्दर वेस्टेड इन्टरेस्ट उसी तरीके से इन्टैक्ट है। जमीन के सिलसिले में कई किस्म का बटवारा किया गया। असामी बनाये गये, अधिवासी बनाये गये, सीरदार बनाये गये, भूमिधर बनाये गये। जमीन को इस तरीके से बांट दिया। जमींदारी खात्मा का एक मतलब यह था कि एक खास हद के बाद एक आदमी जमीन न रख पायेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज जमींदारी अबालिशन की बात बड़े जोरों से कही जाती है। हमें इस बात को साफ करना पड़ेगा कि जो मुआविजा देने की बात है वह अपनी जगह पर कहां तक ठीक है। मुआविजा देने के सिलसिले में समाज को बांधे रखना यह कहां तक ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था गलत है। जब हम इस बात को मानते हैं। जब हम समाज की असमानता को मिटाना चाहते हैं तो फिर मुआविजे का सवाल ही नहीं उठता। इस बात को साफ तौर से कहना पड़ेगा। इस बात को कहा जाता है कि जब मुल्क के लोगों के कैपिटल इन्वैस्टमेंट को लेते हैं तो मुआवजा क्यों न दिया जाय। लेकिन हमको केवल एक नेशन का लिविंग स्टैन्डर्ड बढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिये। अमंग दि नेशन लिविंग स्टैन्डर्ड बढाने की बात करनी चाहिये। आज यह चैलेन्ज है। आज जो मानवता की बात करते हैं, आज उनके सामने यह चैलेन्ज है। लिविंग स्टैन्डर्ड का जो दायरा बढ़ रहा है उसमें हमें पिछड़े हुये लोगों की मदद करनी होगी। बिना मुआविजा दिये राष्ट्रीयकरण करने की बात करनी होगी। एक साफ राय बनानी पड़ेगी। यह कहा जाता है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन समाजवाद की जगह हम एक नये वर्ग को जन्म दे रहे हैं। आज कांग्रेस की हुकूमत के अन्दर एक नया वर्ग जन्म ले रहा है। चाहे वह इंजीनियर्स के रूप में हो या और किसी रूप में हो। उसमें पोलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं।

जब हम एक नये वेस्टेड इन्टरेस्ट को स्वरूप देना चाहते हैं तो ऐसी हालत में जब सोशलिस्ट पैटर्न की बात की जाती है तो हमारे ऐसे लोग बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। हम ऐसी बातें नहीं जानते हैं कि कोई समाजवादी ढांचा भी होगा। मेरा कहना यह है कि अगर कोई बात लीजिये तो यह सोच कर लीजिये कि उसके अन्दर जो स्प्रिट हो, जो मेटीरियल हो, वह सोशलिज्म का होना चाहिये। ढांचे की बात बन्द करना चाहिये। इस चीज पर सोचते हुये हमें इस बात का विश्लेषण करना है और यदि हम कान्क्रीट हो कर इस

तरह पर विश्लेषण नहीं करेंगे तो समाजवाद, समाजवाद न होकर केवल एक नारा रह जायगा और फिर उसको प्रतिष्ठित करने की बात न रह जायगी। इस प्रस्ताव पर गौर करते हुये जहां हम राष्ट्रीयकरण की बात सोचते है, जब मुल्क में हम पंचवर्षीय योजना चलाते हैं, जब यह सवाल है कि हमारे गांवों के अन्दर लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग अच्छा हो तो फिर उसके लिये इस बात की जरूरत है कि हम समाजवाद की स्प्रिट को कायम करें न कि सोशलिस्ट पैटर्न को बात करें। अभी बैंकों और इन्श्योरेन्स कम्पनियों को नेशनलाइज करने की बात थी। उसमें तो किसी स्पेसिफिक बात की आवश्यकता न थी। आज बैंकों के लिये सभी जानते हैं कि ५० करोड़ रुपये का मुनाफा केवल इन्कम टैक्स में दिखाया जाता है। इस तरह से एक अरब का सालाना मुनाफा बैंकों के कैपिटलिस्ट का हो जाता है। तो पंचवर्षीय योजना में एक आम जनता पर टैक्सेजन रखने की बात होती है, तमाम अवाम पर टैक्सेजन की बात होती है, लेकिन क्या कभी यह सोचा गया है कि ग्रेजुएटेड टैक्स की प्रथा लागू होना चाहिये। प्रोग्रेसिव टैक्सेजन की पालिसी की बात थी। आज इस बात के सिद्धान्त को नहीं माना जाता है कि जिनके पास खाने-पीने के बाद काफी बचत होती है उनको भी समानता के स्तर पर लाया जाय। डेथ ड्यूटी की बात की जाती है, लेकिन उन किसानों की बात जिनके पास कुछ नहीं है, उनका लगान छोड़ दिया जाय इसकी बात कभी नहीं की जाती है। तो जो सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं वह समझें कि किस क्लास को उनको खत्म करना है और किस क्लास को उन्हें जिन्दा रखना है। हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा कि हमने जमींदारों को नहीं खत्म किया, हमने रजवाड़ों को नहीं खत्म किया लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ आपने उनके प्रभाव को भी नहीं खत्म किया। आज भी समाज में ऐसे ही लोग प्रभावशाली हैं। आज भी समाज में पूंजीपतियों का प्रभाव है। सरकार में भी पूंजीपतियों का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। गन्ने के ही सवाल को लीजिये। आपने ही किसानों के करोड़ों रुपये की लूट कराई और मिल मालिकों के घरों में भेजा। आपने गन्ने का दाम गिराया, लेकिन चीनी का दाम नहीं गिराया। मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस में पूंजीपतियों का प्रभाव है और गवर्नमेंट पर भी उसका असर पड़ रहा है। समाजवाद के आचार्य मार्क्स और एंजिल्स ने जो सिद्धान्त समाजवाद के बताये हैं उनका प्रतिपादन नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में हम देख रहे हैं कि आज गवर्नमेंट पर भी पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रस्तावक महोदय, इस सिलसिले में परेशान भी होते हैं कि कहीं प्रस्ताव टल न जाय। तो मुझे कहना है कि ऐसे लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि केवल प्रस्ताव से काम नहीं चलता, बल्कि जिस पार्टी को वह बिलांग करते हैं उसमें कांक्रीट तरीके से इस चीज को रखें कि यह काम होने के पांच साल बाद फिर यह काम होना चाहिए और फिर पांच साल के अन्दर यह काम होना चाहिए। जनता को अगर अपनी तरफ प्रभावित करना है जो इस समाज को बदलने के लिए व्यग्र है, जो सामाजिक अन्याय के अन्दर, आर्थिक अन्याय के अन्दर जिनकी जिन्दगी सैकड़ों साल से चली आ रही है, इस हालत में यदि उसे बरगलाने की बात है तब तो ऐसा नारा लगाइये, लेकिन यदि सचमुच सोशलिज्म लाने की बात है तो कांग्रेस को आप मजबूर करें, हुकूमत को मजबूर करें कि वह अपना नक्शा साफ करे।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से और उनके मित्रों से इस बात को चाहूंगा कि कम से कम जो सर्विसेज पर्सनल हैं उनका कैडर बिल्डिंग सोशलिज्म और डेमाक्रेसी के सिद्धान्त पर हो। आप कानून पास करते हैं और कानून पास करने के बाद सारा कानून का मंशा खत्म कर दिया जाता है केवल सर्विस पर्सनल की वजह से। जो समाजवाद की बात करते हैं उनको समझना चाहिए कि इस ब्योरोक्रेसी के जरिए से समाजवाद नहीं आ सकता। ब्योरोक्रेसी को समाजवाद के मूल्यों से प्रतिष्ठित करना होगा और ऐसा करने से पहले आप को अपने आप को समाजवाद के मूल्यों से भूषित करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आप सर्विस पर्सनल के मूल्यों को भी नहीं बदल सकेंगे। इसलिए मैं शुद्ध और साफ तौर से कहना चाहता हूं यह प्रस्ताव अपनी जगह पर साफ तौर से सही है,

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस का सवाल है, इसके ब्यौरे का सवाल है, इन चन्द शब्दों के साथ जो प्रस्ताव हमारे सामने हैं, जिन शब्दों में वह हमारे सामने है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन--दो बज कर पांच मिनट तक के लिए यह सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक १ बजकर ५ मिनट पर अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजकर ५ मिनट पर श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेयरमैन साहब, जो मजनून हमारे जेरे बहस है मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं। सभी हिस्से के मेम्बरान ने इसका समर्थन किया और इसके दो ख्यालात नहीं हो सकते कि सोशलिज्म का आना हमारे देश में आवश्यक है। हमारी जनता की बेहतरी के लिये इसकी जरूरत है। हमने अभी जो दो भाषण सुने, सोशलिज्म थ्योरी और प्रैक्टिश पर, उससे हमको मालूम हुआ कि किस जोर के साथ लोगों ने अपने ख्याल को अदा किया कि सारे जमाने में एक ही रात में इसको कर दिया जाय क्योंकि कांग्रेस इस काम को नहीं कर सकी। इसलिए जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी रखा है वह फिजूल सा रखा है। इसको कहते हुए हमारे भाई गोविन्द सहाय जी ने यह भी कहा कि हमारे कर्मचारियों का दिमाग नहीं बदला, उनके दिल-दिमाग में सोशलिज्म का ख्याल नहीं आया और तब तक हम सरकारी तौर पर कुछ भी बेहतरी और बहबूदी जनता की नहीं कर सकते हैं। हां, इसमें भी समय लगेगा उनको मालूम होना चाहिये कि जब कोई चीज शुरू की जाती है तो वह एक रात में खत्म नहीं हो सकती है, वक्त लगेगा। इसलिये इस वक्त जमाने को देखते हुये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पंडित नेहरू जी ने बडे अच्छे वक्त पर इस बात का एलान किया कि कांग्रेस का अकीदा है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी करेंगे। इसके माने यह है कि हर एक इस वक्त समझता है। यह सिर्फ गरीबों पर ही नहीं आता है सिर्फ रुपये-पैसे के लेन-देन पर ही नहीं आता है यह सवाल हर एक इन्सान जिसका एक दूसरे से ताल्लुक है उस पर आता है। आप मुझे माफ करेंगे अगर मैं कहूं कि राबर्ट के जमाने से खाली सोशलिज्म शुरू नहीं हुई उससे पहले क्राइस्ट ने बड़े जोर के साथ इस बात का एलान किया था कि ऊंट के लिये सुई की नोक से गुजर जाना आसान है लेकिन अमीर आदमी खुदा की बादशाहत में जा सके, यह मुश्किल है। दो हजार वर्ष पहले इस बात का एलान किया था। क्राइस्ट ने अपनी सारी जिन्दगी में रह के इस बात को दिखाया कि अगर जनता के साथ भलाई करना है, उनके साथ हिल-मिल कर रहना है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है।

यह तो सोशलिज्म और ब्रदरहुड के रिश्ते पर मुबनी है और खुदा हमारा सब का बाप है, सारी बातें मेटिरियलिस्टक प्वाइन्ट आफ व्यू से हमें देखना चाहिये, जहां से हमारी खराबियां पैदा होती है। अगर हम इस बात का ख्याल रखे कि जहां कहीं भी और जो कुछ भी खुदा ने बनाया है, वह हम सब के लिये है, जिनके साथ हमें रहना पड़ता है, उनके साथ हमारा ब्रदरहुड का रिलेशन रहना चाहिये। अगर इन्सान इन्सान को इस निगाह से देखता है कि जो हमारे पास है वह केवल हमारे लिये ही है, तो वह खुदा की निगाह में भी गुनहगार होता है और उसी को आप कैपिटलिज्म कह सकते हैं। हमारा ध्येय तो यह होना चाहिये कि इन्सान-इन्सान को समझे, हमारे पास जो कुछ है वह केवल हमारे लिये ही नहीं बल्कि दूसरों के लिये भी है। रुपया होना बुरा नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल कोआपरेटिव बेसिस पर अगर हो, तो वह अच्छा रहेगा और वही सोशलिज्म का एक असली उसूल है। सोशलिज्म के सारे उसूल कोआपरेशन पर बेस करते हैं। अगर हम उनको भुला दे, तो हम सोशलिज्म की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते। जो कुछ बनने की बात है, उस पर हम लोगों को चलना चाहिये और तभी हम तरक्की कर सकते हैं। यह नहीं कि अगर कोई कहीं शिकायत है या कोई गुंजाइश है, तो स्ट्राइक करा

दें। हमारे यहां की सोशलिज्म मे यह खराबी पाई जाती हैं इसीलिये बहुत सोच-समझ कर यह तय किया गया है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी मानेंगे। इसलिये कि खुदा ने हम को दुनिया में जो भेजा है, तो इसलिये कि हम दुनियां में सब के लिये है। लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं, तो हजारों खराबियां हमारे अन्दर पैदा हो जाती हैं। हमने जो सोशलिस्टिक पैटर्न माना है उसका मतलब यह नहीं है कि हम सबमें बिल्कुल बराबरी पैदा करेंगे और आप सोचें कि यह हो भी तो नहीं सकता है क्योंकि जब खुदा ने तमाम अंगुलियां बराबर नहीं बनाई हैं तो हम सबको कैसे बराबर कर सकते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि दुनियां के माल का जो बंटवारा हो वह सही हो और ज्यादा फर्क न रहे और जो थोड़ा फर्क रहेगा उसे हम मिटा नहीं सकते। इस चीज को ध्यान में रखते हुये खुदा ने जो हमको दिया है उसका हम अगर उसी हिसाब से लेने में, बांटने में अगर सफल हो सके तो हमको यह समझना चाहिये कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गये। जो प्रस्ताव इस समय हमारे सामने है वह बहुत अच्छा है। कैपिटलिज्म से हमारे यहां बहुत ज्यादा बुराइयां आई है, उसे हमें दूर करना चाहिये। जैसा हमारे साथी गोविन्द सहाय जी ने बहुत जोर से कहा कि हमारी सारी खराबियां कैपिटलिज्म की वजह से आई हैं और जर, जन और जमीन ऐसी हैं कि इन्हीं ने तमाम दुनियां का नाश किया है। मैं कहता हूं कि अगर खुदा ने अक्ल दी है तो इन्हीं चीजों से दुनियां बढ़ाई जा सकती हैं। इसलिए अगर हम इनको तलाक दे दें तो भी हमारा काम नहीं चल सकता है। मैं तो यह भी कहता हूं कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म चाहे जैसे भी हों लेकिन इसका बानी मुबानी इन्सानी जिन्दगी है और हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। अब मैं इतना ही कह कर अपनी स्पीच को खत्म करता हूं। अब केवल इतना ही कहूंगा कि जिस धीरज के साथ हमारी सरकार ने काम उठाया है और चल रही है वह बहुत ही अच्छी है और इससे जल्द कदम उठाने में कोई फायदा न होगा।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उसके विषय मे मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज तक जितने प्रस्ताव कुंवर महावीर सिंह जी ने उपस्थित किये हुये है मैंने उनका कभी विरोध नहीं किया है। परन्तु खेद का विषय है कि मैं आज कुछ विरोध में कहना चाहता हूं। हमारे यहां का यह सिद्धान्त है कि देश में कितने ही अधिक लोग संपत्तिशाली हों, उतना ही वह देश अच्छा माना जाता है। संपत्तिशालियों का विरोध नहीं होना चाहिये। देश में अधिक संपत्तिशाली हों, यह अच्छी बात है, यह नहीं कि देश में कोई संपत्तिशाली ही न हो। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस समय जो कुंवर गुरु नारायण जी ने संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उससे सहमत हूं। गोविंद सहाय जी ने कहा कि केवल प्रस्ताव पास कर देने से ही काम नहीं चलता है, जब तक कि लोगों के विचार ऐसे न बना दिये जायें कि जो कुछ हमारे पास है वह समाज के लिये है। जब तक यह लोगों के विचार नहीं होते हैं कि जो भी संपत्ति हमारे पास हैं वह सब लोगों के लिये हैं। जब तक यह बात लोगों के ध्यान में नहीं आती है तब तक केवल, प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होता है। इससे कोई लाभ नहीं है। हमारे यहां यह लिखा हुआ है कि जिस देश में धनी न हों, वैद्य न हों, राजा, नदी तथा विद्वान न हो उस देश में बास नहीं करना चाहिये। जब कांग्रेस का आंदोलन चला था उस वक्त अगर पूंजीपति न होते तो कांग्रेस को सहायता न मिलती। यद्यपि वह सहायता गुप्त थी, परन्तु थी तो सहायता। दरिद्रों से शारीरिक सहायता तो मिल सकती, परन्तु धन की सहायता तो धनियों से ही मिल सकती है। दरिद्र धन की सहायता कहां से देगा। एक समय की कथा है कि एक राजा लड़ाई में हार गया। तब उसके मंत्री ने अपना सब धन उस राजा को दे दिया कि तुम इस धन से फिर से सेना इकट्ठी करके लड़ो। कहते हैं कि उस राजा ने उस धन से सहायता पा करके फिर से लड़ाई की और अपना देश वापस जीत लिया। यह कहा जाता है कि बहुत से देशों में आज समाजवाद चल रहा है। तो यह प्रेरणा हमने दूसरे देशों से ली है। यह हमारे देश की नहीं है। हमारे शास्त्रों में

[श्री भगवती उपाध्याय]

पूंजी का विनाश नहीं लिखा हुआ है। पूंजी की वृद्धि ही के लिये कहा गया है। अब जो पूंजीपतियों के नाश के लिये कहते हैं तो पूंजीपति के माने क्या है ? जिसके पास एक लाख रुपया हो या १० लाख हो या एक करोड़ हो, किसको पूंजीपति कहेंगे इसकी कोई परिभाषा नहीं बतलाई जा सकती है। एक बात और है कि जब पूंजीवाद नहीं रहेगा तो लोग परिश्रमी नहीं रह जायेंगे। लोग यही कहेंगे कि खाने-कपड़े भर के लिये कमा लो। जब कोई पूंजी जमा ही नहीं करने पायेगा तब कोई क्यों परिश्रम करने लगा। हमारे यहां पहिले था कि "मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्" पराया धन लोष्ठ (ढेला) के समान होता है और पराई स्त्री माता के समान होती है। अब यह कहा जा रहा है कि पराया धन छीन लो ताकि कोई पूंजीपति ही न रहे। मैं तो चाहता हूं कि देश में जितने ही अधिक पूंजीपति बनें उतना ही अच्छा है। यह तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सब लोग समान हो जावें। अन्तर तो रहेगा ही। वैषम्य तो रहेगा ही वह निश्चित है। यह शास्त्रों का सिद्धान्त है। अगर कोई पूर्णरूपेण समाजवाद स्थापित करना चाहे तो यह असम्भव है। यह हो ही नहीं सकता है। जिन देशों में आज साम्यवाद है, उन देशों में भी सही मानों में समझिये कि साम्यवाद नहीं है। अभी जो रूस के प्रधान मंत्री यहां आये थे, क्या वे किसी मजदूर के बराबर थे, लेकिन नहीं वहां भी सभी बराबर नहीं हैं।

अभी मुझसे पूर्व एक वक्ता ने कहा था कि हमारे पूंजीपति जिनकी मिलें हैं वे उन चीजों का उत्पादन नहीं करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायः यही देखा जाता है कि जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हीं का उत्पादन किया जाता है। यह कहना कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है उनका उत्पादन होता है, यह असंगत है। उत्पादन तो इन्हीं चीजों का होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। गुण और दोष सभी में होते हैं। ये दोनों चीज पूंजीवाद और समाजवाद में भी हैं। अगर पूंजीवाद में कोई दोष आ गया है, उनके हटाने के लिये कोई प्रस्ताव रखा जाता तो वह अच्छा होता। यह भी कहा गया कि हम पूंजीपतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं। कार्य के ही द्वारा किसी का विरोध प्रकट होता है। पूंजीवाद का विनाश करना पूंजीपतियों के नाश करने में आता है। यह भी कहा गया कि जमींदारी का विनाश किया गया लेकिन जमींदारी का विनाश नहीं किया गया। किसी कार्य के द्वारा ही विरोध या हितैषिता प्रकट होती है। लोकतंत्र में जहां बहुत से गुण हैं वहां बहुत से दोष भी हैं। इसी तरह से समाजवाद में भी गुण हैं और साथ ही दोष भी हैं। लोकतंत्र में बहुत से गुणों के होते हुये भी यदि जन सहयोग नहीं है तो यह सफल नहीं हो सकता और यदि कोई बुरा वाद है और उसमें जन सहयोग है तो वह अच्छा भी हो सकता है। यह तो सही है कि जिन मुल्क में अनपढ़ जनता ज्यादा हो और पढ़े लिखे कम हों तो वहां पर किस का मत सही होगा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हमारे यहां कहा जाता है कि अमुक का नाश हो और अमुक का नाश होना चाहिए। कहा जाता है कि जमींदारियां समाप्त हो गयी हैं और अब जातियों का भी नाश होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जातियों का भी तत्व है। अगर कोई क्षत्री युद्ध में जाये तो वह कभी भी हार नहीं सकता। व्यापार को ही ले लीजिये। जिन लोगों की व्यापार में विशेषता है, अगर व्यापार करना छोड़ दें तो व्यापार चल नहीं सकता है। मैंने स्वयं देखा है कि जब मैं बद्रीनारायण गया था तो उस समय अन्न पर नियंत्रण था और रास्ते में अन्न ढेरों पड़ा हुआ था जो कि बारिश से भीग रहा था और इस तरह से सड़ भी गया था। वह सरकारी गल्ला था और इस तरह से लाखों मन अनाज सड़ गया। अगर वह अनाज किसी पूंजीपति का होता तो वह कभी भी इस तरह से सड़ने नहीं देता। हमारे यहां एक श्लोक है :

"अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका:"

इसका अर्थ यह है कि बिना नायक के भी काम नहीं चलता है और बहुत से नायक होने पर भी काम खराब हो जाता है। हमें देखना यह है कि कितने नायक होने चाहिए।

अभी। बिरला में क्या दोष है उसका उन्होंने वर्णन नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि जितना वह काम कर रहे हैं, उतना हम नहीं कर रहे हैं। आज उसका शिक्षा विभाग उन्नत से उन्नत है, उसका धार्मिक विभाग उन्नत से उन्नत है और हर प्रकार से वह गरीबों की सहायता कर रहे हैं, अगर उनकी सम्पत्ति नहीं रहेगी तो फिर इस तरह से वह गरीबों को कहां से मदद कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि जितने पूंजीपति हैं उनको पूंजी हमको समाप्त नहीं करनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि किसी को कुछ न मिला हो लेकिन दोष क्या है कि वे समृद्धिशाली हैं लेकिन मैं समझता हूं कि पूंजीपति अधिक से अधिक हो जायं तो कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु-कर नहीं होना चाहिये, लेकिन विधान बनाया गया है कि मृत्यु-कर हो, मृत्यु-कर को हमारे यहां असत्य समझा जाता है, लेकिन असत्य को सत्य समझ लिया। यदि मृत्यु-कर न लगा करके यह कर देते कि जिसके पास जितनी सम्पत्ति है उसको दूसरे तरीके से ले लेते तो ठीक था लेकिन मृत्यु-कर रखना बिल्कुल असंगत है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजीवाद का नाश करना है और उसके लिये एक विचार हमने प्रकट कर दिया है कि कानून बना दिया जाय। अभी महावीर सिंह जी ने कहा कि बहुत से माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे लेकिन अभी तक तो दो ही तीन आदमियों ने समर्थन किया है और उनमें भी एक-दो ने तो पूरे तौर से समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी कोई न कोई इसके दोष दिखाये हैं, यह बात सत्य है कि किसी ने भी खुल कर इसका विरोध नहीं किया है लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्होंने इसका समर्थन किया या इसका अनुमोदन किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका उद्देश्य है इसमें जो दोष दिखाये गये हैं उनका निराकरण करने के लिये कोई और प्रस्ताव लाये यह प्रस्ताव मेरी समझ से ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगन्नाथ आचार्य (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर महावीर सिंह जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, वह समय के अनुरूप है और समय की मांग है कि इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया जाना चाहिये। यह हर्ष का विषय है कि सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है केवल एक आध ही ऐसे हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह हमारी प्राचीन परम्परा तथा प्राचीन संस्कृति के अनुरूप नहीं है, लेकिन प्राचीन युग में जब किसी राजतंत्र में या गणतंत्र में यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ का जो प्रादुर्भाव हुआ उसी का दूसरा नाम सम्पत्ति दान हम कह सकते हैं, इसमें जो सम्पत्ति अर्पित की जाती थी उसमें कहा जाता था, "इन्द्राय इदम् न मम" अर्थात् यह इन्द्र का है, मेरा नहीं, आखिर इन्द्र कौन होता था, वह गणतंत्र का मुखिया होता था। इसलिये आज के युग में यह होना चाहिये।

(इस समय, २ बज कर ३० मिनट पर, श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जैसा कि महावीर सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि "राष्ट्रीय इदमीन मम" अर्थात् यह राष्ट्र का है मेरा नहीं। इसी प्रकार से श्री एम० जे० मुकर्जी ने ईसा मसीह का उदाहरण दिया, मैं तो कहता हूं कि आप अपने पुराने ग्रन्थों को देखिये, आप महाभारत को ही देखिये उसमें लिखा हुआ है :--

> "तपो न कल्को ध्ययनेन कल्कः, स्वभाविको वेदवेधिर्न कल्कः ।
> प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः, तान्येव भावोप हतानिकल्कः ॥"

अर्थात् तप, धन और अध्ययन का अर्जित करना बुरा नहीं है उसी तरह से दूसरे के धन का हरण करना बुरा नहीं है। लेकिन बुरा क्या है? बुरा यह है कि उसके हरण करने में हमारा उद्देश्य क्या है। यानी जो हम दूसरे की सम्पत्ति का हरण करना चाहते हैं वह हम

[श्री जगन्नाथ आचार्य]

समाज के हित के लिये करना चाहते हैं या स्वयं के लिये करते हैं । तो जब हम अपने लिये नहीं करते हैं समाज के लिये करते हैं तो उसके लिये महाभारत में भी कहा गया है और इसके अलावा भागवत में भी इसके प्रमाण मिलते है :—

"यावद् भ्रियेत जठरं तावत्सत्यंहि देहिनाम् ।
अधिकंयो भिमन्येतमस्तेनो दन्डमर्हति ॥"

जितनी सम्पति से अपना पेट भर जाय उसी पर अपना अधिकार करना चाहिये, अधिक मांगने पर उस को दंड देना चाहिये। यह तो हमारा प्राचीन उदाहरण है। इसी प्रकार से हजारों प्राचीन उदाहरण मिलते हैं । माननीय उपाध्याय जी तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, वे तो इस अर्थ-व्यवस्था के अनेक उदाहरण दे सकते हैं । इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि समाज में जो कुछ किया जाय वह जनता के उपयोग के लिये किया जाय, यही प्राचीन आदर्श है । सम्पत्ति और पूंजीवाद के लिये बहुत कुछ कहा गया, तो उसके लिये यही कहना चाहता हूं कि सम्पत्ति में और पूंजी में महान अन्तर है । सम्पत्ति में मूलधन के रूप में जब संतान उत्पन्न होने लगती है तो पूंजीवाद व्यवस्था पैदा हो जाती है । सम्पत्ति जब अपने उपयोग के बजाय, कुछ ऐसे ढंग से उपयोग होने लगती है जिससे उसके संतान उत्पन्न होने लगती है तो धन के जमा होने से पूंजी हो जाती है । जिस धन की सहायता से दूसरे धन का उत्पादन होता है उसे पूंजी कहते हैं । सामाजिक अर्थशास्त्र तथा पूंजीवादी अर्थशास्त्र में महान अन्तर है । ठीक समय से सुखदाई व उपयोगी वस्तु बने उसका उचित समय व पात्र में वितरण हो यह सामाजिक अर्थशास्त्र बताता है । इसके विपरीत पूंजीवादी अर्थ शास्त्र यह बताता है कि कैसे समाज के एक विशष वर्ग के हाथ में सम्पत्ति केंद्रित होती रही और दूसरा वर्ग कर्ज व गरीबी में दबा रहा । तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो दोनों में महान अन्तर मालूम पड़ता है ।

अब हम को यह देखना है कि इस युग में पूंजीवाद व्यवस्था कहां तक उचित है । अंग्रेजों के अतिरिक्त हमारे देश में और लोगों का भी विदेशी राज्य रहा है, लेकिन हमको अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का खास मतलब शोषण करना था । महात्मा जी का कहना था कि विदेशी सत्ता को ही देश से खत्म कर देना सच्चा स्वराज्य नहीं है, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना ही सच्चा स्वराज्य है । शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने के लिये हमारा कदम आगे बढ़ा है और वह दिन आने में देर नहीं है कि हम अपने देश में शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकें । हमारी सरकार इस ओर काफ़ी कोशिश कर रही है । समाजवाद जिसका जिक्र यहां पर किया गया है वह श्रम से बनता है, श्रमिकों से आप नाजायज फायदा उठा कर पूंजीवाद को पनपाते हैं । यहां पर मजूर और हुजूर के नाम लिये गये, तो उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हुजूर वाला युग समाप्त हो रहा है । प्राचीन पूंजीवादी हुजूर जोंक की तरह हैं जिनका स्वाभाविक धर्म हो है खून चूसना, बिना खून चूसे जोंक जिन्दा रह ही नहीं सकती । इसी तरह समाज का भी खून आज चूसा जा रहा है । अब इस प्रथा को एक दम मिटा देने का समय आ गया है । महात्मा जी ने तो हमेशा ही कहा है कि सब मनुष्यों में विवेक बुद्धि होती है इसी लिए वह पशु से इस अर्थ में भिन्न होता है । अतः हमारा यह स्वतः धर्म होता है कि हम शोषक पूंजीवादी प्रथा को समाप्त करें ।

पूंजीवादी व्यक्ति का स्वाभाविक धर्म जोक की तरह दूसरे का खून चूसना हो जाता है । तो खून चूसने के लिये हम जोंक को जिन्दा नहीं रहने दे सकते, परन्तु मनुष्य के बारे में तो हम एसा कर नहीं सकते पशु तथा मनुष्य में बड़ा अन्तर है । यदि मनुष्य की बुद्धि अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में रत है तो हमें उसका सुधार करना है तथा उस व्यक्ति को खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु उसकी योग्यता बनाये हुए उसकी बुद्धि तथा योग्यता का उपयोग समाज के हित में करना अभीष्ट है । हम मनुष्य को पशु की श्रेणी में नहीं मानते है क्योंकि उसके पास बुद्धि है उसमें बुद्धि के योग से मनुष्य का कल्याण होना चाहिये । उस व्यक्ति का योग अपने ही हित में नहीं बल्कि सारे समाज के उपयोग

मे और उसके उत्पादन मे । । यों देखा जाय तो आज बड़ी विकट समस्या है और इस समस्या में दो बड़े राष्ट्र––रूस और अमेरिका––बंटे हुये है । कहीं पर पूंजीवाद की मुट्ठी मे गवर्नमेंट है और कहीं पर गवर्नमेंट की मुट्ठी मे पूंजी है । हमें इस तरह से अपनी व्यवस्था करनी है कि जो भी सम्पत्ति है वह समाज के हित मे लगे । यदि राज्य भी सभी चीजे अपने हाथ मे ले लेता है, तो वह भी पूंजीवाद के शासन की व्यवस्था है, तो राज्य के सम्बन्ध मे भी इस तरह की बात आ सकती है । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शोषण विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिये और

कि हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ

है । हम धीरे–धीरे चल रहे हैं और हमें इसमें दोड़ना नहीं है । हम इस सम्बन्ध मे एक के बाद दूसरी क्रान्ति करते हुये आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से जो हमारा महान् ध्येय है हम उसे अवश्य प्राप्त करेंगे । हमारा जो उद्देश्य है उसको और बल देने के लिये तथा आगे बढ़ने के लिये ही यह प्रस्ताव रखा गया है । इन शब्दों के साथ मैं श्री महावीर सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)––माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री महावीर सिंह जी के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करता हूं । एक तरह से यह उनका प्रस्ताव नहीं है बल्कि समय की मांग है । यह इस युग की ऐसी आवश्यकता है, जिसको आप बहुत दिनों तक पीछे

वन प्राफशन

तो उसका कारण यह है कि सारे व्यवसाय के क्षेत्र उसमे मिले होते हैं और वह चारों तरफ से उनको चलाता है । यह अलग बात है कि सरकार की तरफ से उन पर अनेक प्रकार के टैक्सेज लगा दिये गये हैं लेकिन वह काम करने के तरीके जानता है और उसकी जो जानकारी है उसी तरह से वह अपने साधन जुटाता है और अलग अलग रूप से, भिन्न भिन्न लोगों के नाम करके भी वह अपने व्यवसाय को जारी रखता है । प्रश्न यह नहीं है कि उसका रूप क्या हो ? आज की पूंजीवादी व्यवस्था ने इन्सानियत को खत्म कर दिया है और यदि यही व्यवस्था किसी दूसरे रूप से भी रहेगी, तो इन्सानियत पनप नहीं सकती है । मैं इस व्यवस्था को वेस्टर्न एकोनामिक प्लानिंग कहता हूं और यह पश्चिमी सभ्यता पर आधारित है । हिन्दू संस्कृति, जिसका नाम लिया गया उस पर तो यह आधारित है नहीं । वहां तो धन को इतना नीचा समझा गया है कि राजा–महाराजा धन को ठोकर मार कर जंगल मे चले गये । इस व्यवस्था में जो दुर्गुण है वह यह कि इन्सान का मूल्य नहीं रह गया, पैसे का मूल्य हो गया है, पैसे का जोर अधिक है । एक सीधा दुर्गुण इसका यह भी है कि उपभोक्ता और उत्पादक का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है । पैदा करने वाले का सम्बन्ध खाने वाले से नहीं है । पैसा यदि मदद करता है तो या तो ऐक्सप्लाइटर की मदद करता है या चोर और डाकू की मदद करता है । जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका यह दोष है । यदि इन्सान का उद्देश्य धन प्राप्त करना ही हो तो यह इन्सानियत की बात तो कही नहीं जा सकती । आज की व्यवस्था मे हम देखते हैं कि १० प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो काम लेते हैं और ९० प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो उनके नीचे काम करते हैं । जो नीचे काम करते है वे अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं । उनकी मजबूरियां है जिनसे वे काम करते है । मजबूरियां पेट की हों लेकिन वे इन्सानियत को नहीं पनपा सकती हैं । आज की दुनिया में हम देखते है कि रिक्शा चलाने वाला एक इन्सान है और दूसरा बैठने वाला भी इन्सान है । एक का काम शैतान का है दूसरे का हैवान का है । जो रिक्शा खींचता है वह क्या इस निगाह से खींचता है कि रिक्शे पर बैठने वाले को समय पर कचहरी जाना है । वह दो आने के लिये रिक्शा खींचता है । लेकिन उसके हृदय में छिपा हुआ है कि यदि कोई मौका आये तो वह ऊपर बैठे और जो बैठता है वह खींचे । आज की पूंजीवादी व्यवस्था की यह हालत है । आज ऐटम बम को क्या आवश्यकता है । बड़े बड़े मुल्क के लोग जो ये चीजें बनाते है वह इसलिये

[श्री तेलू राम]

कि संसार को डरा सके। क्या वह पूंजीवादी व्यवस्था की उपज नहीं है। दरअसल एक युग ऐसा आयेगा जहां सरकार के कानून उधर ले जायेंगे जहां मानवता पनपती है। सब चीजें संस्कार के रूप में आ जायेंगी। चोरी करना पाप है यह सब मानते हैं। आज के युग में जब मानवता पनपेगी तो लोग मानेंगे कि जोड़ना पाप है और उसके कारण आज मानवता दबी जा रही है। इंसान का कोई मूल्य नहीं रह गया है। तो जब यह पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया से ज्यों ज्यों क्षीण होगा उतना उतना मानव इंसानियत की ओर बढ़ेगा और पनपेगा और जितना-जितनी यह व्यवस्था मजबूत होती जायगी उतना उतना इंसान एक जानवर की तरह होता जायगा और केवल एक खाने पीने वाला ही जीव रह जायगा। वह पनप नहीं सकता है। युगों के अनुसार उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है। इस दिशा में सरकार और बड़े-बड़े नेता उसकी सहयता करते हैं और वह असली रूप में आते हैं।

आज की व्यवस्था में हम देखते हैं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज लार्ज स्केल इन्डस्ट्री के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। भेड़ और बकरी दोनों को एक मैदान में छोड़ दिया जाय तो वे कैसे शेर का मुकाबिला कर सकते हैं। लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज के मुकाबिले में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कैसे खड़ी हो सकती है, कैसे पनप सकती है। भेड़ और शेर दोनों कैसे एक साथ पनप सकते हैं, जी तो सकते हैं, सांस तो आ ही जायगी, लेकिन भेड़ पनप नहीं सकती है। इसलिये आज की पूंजीवादी व्यवस्था में विनिमय और वितरण डिसेन्ट्रलाइजेशन से होता है। आज सारा संसार एक बार प्लानिंग में व्यस्त है। सारा संसार आज वस्तुएं चाहता है और फिर उनका केन्द्रीकरण चाहता है। वह अपनी फौजी शक्तियों को बढ़ा कर दूसरे पर अधिकार करना चहता है इसलिये यदि विकेन्द्रीकरण असली रूप में हो तभी वस्तु का निर्माण ठीक हो सकता है। कुछ सदस्यों ने हाथ की उंगलियों की मिसाल दी। हाथ की उंगलियों जैसी समानता आ जाती तो ठीक भी मानी जा सकती है। छोटे-बड़े के रहने की बात मैं मानता हूं, लेकिन आज की जो डिसपैरिटी है वह न दिमाग कबूल करता है और न मन कबूल करता है। एक ओर टाटा को एक सेकेन्ड में २४ रुपये का मुनाफा होता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महीने में शायद ही २४ रुपया प्राप्त होता हो। तो यह व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है। हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में इतने साधन हैं कि कोई चाहे कितना ही बढ़ता चला जाय और दूसरी ओर जो गरीब है उसकी गरीबी बढ़ती ही चली जायगी। तो इस व्यवस्था के खिलाफ आपको बहुत सोच समझ कर कोई न कोई निराकरण करना ही होगा। यदि इस संसार को आगे चलना है, यदि इस भारत की संस्कृति जहां यह रहा है कि सर्व भूति हिते रतः और यह नहीं रहा है कि ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर की रक्षा करना है तो फिर कुछ निराकरण करना ही होगा और इस परिवर्तन को यहां तक लाना होगा कि जैसे चुराना पाप है उसी तरह होर्डिंग इज सिन करना होगा। तो जब तक यह व्यवस्था नहीं आती और पूंजीवादी व्यवस्था रहती है तब तक यह मानवता को गिरानेवाली होगी और ऐसी व्यवस्था में मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकता।

मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं, और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कोई न कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी चीजों का वितरण और विनिमय ठीक रूप से हो जैसा कि मैंने इस प्रस्ताव के बहस के दरमियान कहा था कि वन मैन वन प्रोफेशन, एक आदमी को एक व्यवसाय करने का ही मौका हो। एक आदमी को बहुत सारे व्यवसाय करने का मौका होता है और बहुतों को बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है वह बड़े महत्व का प्रस्ताव है और इस पर अब तक जो भाषण हो चुके हैं बड़ी योग्यता पूर्ण हुए हैं। मैं समझता हूं कि सदन इस योग्यता पर गर्व कर सकता है। आज के भाषणों को सुनकर मेरी धारणा यह हुई कि कौंसिल की उपयोगिता के बारे में कोई संदेह किसी को नहीं हो सकता। जिस योग्यता के साथ, जिस क्षमता के साथ सदस्यों

ने अपने मत का प्रतिपादन किया है उससे मुझको बड़ा संतोष हुआ और आज गोविन्द सहाय जी ने भी अपने विचार बड़े संयम के साथ प्रकट किए हैं।

कुंवर गुरु नारायण--इनका रुख बदला हुआ है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--इन विचारों से सब को प्रसन्नता हुई होगी। इसमें सन्देह नहीं कि प्रस्ताव समयानुकूल है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आर्कषित करना इसका मन्तव्य है। महावीर सिंह जी ने एक तरह से यह अच्छा ही किया कि ऐसे प्रश्न की ओर, जिस पर कि सरकार ही नहीं, बल्कि सारा देश विचार कर रहा है और भविष्य में भी विचार करेगा, हम सब का ध्यान आर्कषित किया। महाबीर सिंह जी ने पूंजीवाद के बहुत से दोष बतलाए। पूंजीवाद के दोष अनेक हैं। बहुत सी पुस्तकों में लिखे हुए हैं। पूंजीवाद में से ही साम्राज्यवाद की उत्पत्ति हुई है जिसके कारण संसार में शोषण हुआ, स्वतंत्रता का अपहरण हुआ और अनेक देशों में समाज को घोर कष्ट हुआ है।

(इस समय, २ बज कर ५५ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

पूंजीवाद और साम्राज्यवाद उन्नीसवीं शताब्दी तक दोनों साथ-साथ रहे। परन्तु दोनों ही के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों ही के अन्त की लोग इच्छा करने लगे। महाबीर सिंह जी ने पूंजीवाद के दोषों का निराकरण किया और सही तौर से किया कि पूंजीवाद से यह हानि संसार को हुई है। परन्तु उन्होंने समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में भेद किया, परन्तु इस भेद का विश्लेषण नहीं किया, और मैं नहीं समझा कि राष्ट्रीयकरण के बिना समाजीकरण कैसे हो सकता है। एक बात उन्होंने और कही जो बड़ी भ्रमात्मक हो सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति में हमको अन्तर करना चाहिए। पर्सनल प्रापर्टी से उन्होंने कहा कि आपत्ति नहीं, अगर कोई आदमी ५० लाख रुपया अपने तकिये के नीचे रखता है तो मुझे आपत्ति नहीं, परन्तु दूसरी प्रकार की सम्पत्ति से मुझे आपत्ति है। मैं समझता हूं कि यह बात भ्रम पैदा करेगी। यह सही नहीं है। जो मनुष्य ५० लाख रुपया तकिये के नीचे रख कर सोये वह समाज के विरुद्ध अपराध करता है और अपराध को रोकना राष्ट्र का कर्त्तव्य है। राष्ट्र कभी भी इस प्रकार के काम को प्रोत्साहन नहीं दे सकता और यह बात समाजवाद के सिद्धान्त के भी विरुद्ध है। यह अन्तर पर्सनल और दूसरी प्रकार की प्रापर्टी में नहीं किया जा सकता। विकेन्द्रीयकरण पर उन्होंने बड़ा जोर दिया, परन्तु उसकी व्यवस्था नहीं बताई कि व्यवहार में किस प्रकार से लाई जायेगी और किस प्रकार से गरीब आदमियों का शोषण बन्द होगा। उसका निराकरण नहीं किया, कुंवर साहब ने कहा कि हमारी सरकार समाजवाद की तरफ बड़ी प्रगतिशील हो रही है। सरकार ऐसे कार्य कर रही है, जिससे समाजवाद की स्थापना होगी। उन्होंने कई उदाहरण दिये, मैं उनको दोहरा कर आपका समय नहीं लूंगा। उन्होंने संक्षेप में यह कहा कि हमारी सरकार की मिक्स्ड एकोनामी (मिश्रित अर्थ व्यवस्था) है उसके आधार पर सरकार चलती है, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की जो असमानता है उसको दूर करना चाहती है और जो सामाजिक त्रुटियां हैं उनको भी दूर करना चाहती है। उसके बाद गोविन्द सहाय जी ने अपना भाषण दिया। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आज समक्ष की बातें कहीं और यह बताया कि समाजवाद के विरुद्ध कुछ भी कहना असम्भव है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाजीकरण होगा। वास्तव में सही बात है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आप ने विश्लेषण भी किया कि समाजवाद क्या है और महत्वपूर्ण बात यह कही कि हम लोग कहते सभी हैं कि वह सामाजिक प्रवृत्तियां बढ़नी चाहिये लेकिन केवल कहने से ही काम नहीं चलेगा। हमारा वास्तविक जीवन में व्यवहार क्या है, यह उन्होंने बताया और कहा कि २-३ बातों की आवश्यकता है जो दुखदाई प्रतीत होती हैं और जो समाजीकरण के मार्ग में बाधा डालेगी और उन्होंने बताया कि जातिवाद बढ़ रहा है, जितनी चेष्टा जातिवाद को रोकने की की जाती है उतना ही बढ़ता जाता है। अध्यक्ष महोदय,

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

जातिवाद पहले दूसरे कामों में लाया जाता था, जैसे विचार और खानपान आदि में परन्तु अब जातिवाद ने हमारे शासन में और राजनैतिक संस्थाओं में प्रवेश किया है। अगर यही प्रगति रही तो परिणाम भयंकर होगा। इसलिये इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना हमारे लिये परम आवश्यक है। केवल सरकार का ही यह कर्तव्य नहीं है, हम सबका भी कर्तव्य है कि जातिवाद को रोकने की चेष्टा करें। आज उसने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि जिसमे हमारे पार्लियामेन्ट्री शासन को बड़ी हानि पहुंचने की सम्भावना है। मेरा विचार यह है कि जाति इस देश की पुरानी संस्था है और इसका प्रभाव इतना है कि उसको एक दम मिटाना बहुत कठिन है। परन्तु इसके दोषों और बुराइयों को जहां तक हो सके दूर करने की पूरा प्रयत्न करना चाहिये। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि सरकार और समाज दोनों में सामंजस्य, जिसमें सोशलिज्म के लिए पूरी गुंजायश हो सके, किया जाय। यह बात भी उन्होंने ठीक कही कि समाज पे यह क्वालिटी नहीं है और जब तक यह क्वालिटी न आयेगी और वह न बदलेगी तबतक इन सिद्धान्तों का प्रचार किसी देश मे नही हो सकता। अधिकारियों के बारे मे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जिससे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक मौलिक विचार इस पर होना चाहिये और ऐसा वातावरण बनना चाहिये, जिसमें यह दूर हो सके। श्री महावीर सिंह ने भी कुछ विरोधात्मक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद का पूरी तौर से नाश हो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर एक लाख रुपया की थैली किसी के तकिये के नीचे रखी है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, गोया पर्सनल प्रापर्टीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यह दोनों विरोधात्मक बातें हैं। आजाद साहब ने यह कहा कि नेशनलाइजेशन अथवा राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, उनका इस संबंध में एक प्रस्ताव भी है।

(इस समय, ३ बजकर ४ मिनट पर, श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

वह कहते है कि केन्द्रीयकरण होना चाहिये और यह भी कहते है विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भूमि का वितरण होना चाहिये। जमींदारी हमारे यहां समाप्त हो चुकी है, परन्तु वह इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह चाहते है कि जो फार्म्स या बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनका भी वितरण होना चाहिये। श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने सही के साथ गलत बातें भी मिला दी हैं। शोषण बन्द नहीं हुआ है और पूंजीवादियों का प्रभाव सरकार पर बहुत ज्यादा है और वह एक दिन में नहीं उठाया जा सकता। एक इतिहासकार ने लिखा है कि 'Money is an unfailing source of power in politics'. अर्थात राजनीतिक मामलों में रुपये का प्रभाव निश्चय रहता है। जैसे भारतवर्ष में सन्यासियों का प्रभाव रुक नहीं सकता है। चाहे आप भिक्षा बन्द कर दें, चाहे कुछ कर दे परन्तु जहां ये संन्यासी लोग जाते हैं श्रद्धा से उनके सामने सर झुक ही जाता है, यही कारण था कि महात्मा गांधी का सारे विश्व में आदर था। महात्मा गांधी अपने वेष-भूषा से अपने रहन सहन से भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और इसी कारण उनका सर्वत्र सम्मान था। प्रभु नारायण जी ने दूसरी गलत बात जो कही वह यह है। प्रभाव तो पड़ता ही है। उनके कहने का ढंग इतना अच्छा था कि प्रभाव पड़ जाता है। सरकार पूंजीपतियों को एकदम से कैसे हटा सकती है। राजनीति मे व्यावहारिकता का ध्यान रखना पड़ता है। आपने यह कहा कि यह जो जमींदारी का उन्मूलन हुआ है उससे क्या लाभ हुआ। सरकार ने गलती की जो जमींदारों को मुआविजा दिया। सरकार ने जो मुआविजा दिया है उसका वर्णन कुंअर गुरु नारायण ने कई मर्तबा यहां पर किया है। अगर किसी की एक लाख की संपत्ति थी तो उसको २० हजार दिया गया है और वह भी ४० साल में दिया जायेगा। आपने कहा कि जो मुआविजा दिया गया है वह ठीक नहीं है, अब ऐसा करना कितना हितकर होता देश के लिये और समाज के लिये। यह विचार

करने की बात है। किताबों की बातें दूसरी होती हैं। उन्हें कार्यान्वित करना दूसरी बात है। संसार का शासन पुस्तकों के सिद्धान्तों पर ही नहीं चलता है। उनमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। यदि प्रभु नारायण जी को देश का राजा बना दिया जाये तो फौज का खर्च वह भी कम नहीं कर सकते हैं। जब अंग्रेजों का राज्य था तब सब कहा करते थे कि सेना के ऊपर बहुत खर्च किया जाता है। लेकिन वह सेना का खर्च अब भी कम नहीं हुआ है। अगर प्रभु नारायण जी शासन में आ जायें तो जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को वह भी अलग नहीं कर सकते हैं यद्यपि अभी वह इस बात को कहते हैं। डाक्टर काटजू जैसे कानून वेत्ता भी पहिले कहा करते थे कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग होना चाहिये, परन्तु शासन में जब वह गये तब वह भी कहने लगे कि यह बहुत कठिन है और इससे हानि होगी। शासन का भार जिनके ऊपर है उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पंडित जवाहरलाल जी के सन १९३० और १९३६ के भाषण पढ़ें। सन् १९३६ में जब वह कांग्रेस के प्रेसीडेंट हुये थे तब उन्होंने लखनऊ में कहा था कि कांग्रेस का ध्येय है कि यहां पर सोशलिस्ट स्टेट स्थापित की जाये। उनका कहना था कि जैसे ही स्वराज्य होगा इस देश को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया जायेगा। परन्तु वह आज तक इसे सोशलिस्ट स्टेट नहीं कर सके। वह यह भी अब नहीं कहते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट बनाई जायेगी। उन्होंने यही कहा है कि सोशलिस्ट पैटर्न पर काम किया जायगा। अब उनके ऊपर देश के शासन का भार है। उस समय उनको आन्दोलन करना था। आन्दोलन करना आसान होता है।

यह तो सर्वमान्य बात है और इसमें दलील और बहस की आवश्यकता नहीं है कि आन्दोलन आसान कार्य है और समाज को बनाना एक कठिन कार्य है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि प्रभु नारायण सिंह जी ने सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया और जब यह कहा कि मुआविजा नहीं देना चाहिए तो यह अन्याय की बात कही है। करों के बारे में उन्होंने कहा कि ग्रेजुएटेड टैक्स होना चाहिए। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कितने ग्रेजुएटेड टैक्सेज हैं। अभी श्री देशमुख ने कहा है कि जिस व्यक्ति की २ लाख रुपये की आमदनी है उसका १ लाख ४९ हजार रुपये टैक्स में ही चला जायेगा। जो लोग टैक्स देते हैं वे जानते हैं कि कितना टैक्स उन को देना पड़ता है। अगर यह ग्रेजुएटेड टैक्स नहीं है तो क्या है? अब जो टैक्सेजन की स्कीम आयी है उसके बारे में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा है कि अब टोटल वेल्थ (सम्पूर्ण सम्पत्ति) पर टैक्स (कर) लगाया जायेगा। डेथ ड्यूटी तो लग ही गयी है। प्रोग्रेसिव टैक्सेजन बराबर होता जा रहा है और यह बढ़ता ही जायेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

आप ने एक बात और यह कही कि जब तक यह ब्योरोक्रेसी रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता और तब तक यह समाजीकरण भी नहीं हो सकता है और समाजवाद भी नहीं चलेगा। आपने यह भी कहा है कि ब्योरोक्रेसी को बदलना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ी अतिशयोक्ति है। ब्योरोक्रेसी जो है तो परमानेन्ट सिविल सर्विस स्टेट में अपना काम करती है और यह परमानेन्ट सिविल सर्विस का काम नहीं है कि वे देश के लिये नीति निर्धारित करें। देश के लिये नीति राजनीतिज्ञ अथवा मंत्री निर्धारित करते हैं और उस पर ही परमानेन्ट सिविल सर्विस चला करती है। आज की जो परमानेन्ट सिविल सर्विस है वह भी जो काम मिनिस्टर लोग निर्दिष्ट करते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अगर वे उन के आदेशों को कार्यान्वित नहीं करते हैं तो वे इसके योग्य नहीं हैं और उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्रियों द्वारा निर्धारित की हुई नीति के विरुद्ध काम करता हो। अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई है क्योंकि पार्लियामेन्टरी शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि परमानेन्ट सिविल सर्विस का राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो। जो ब्योरोक्रेसी के बारे में आपने कहा तो वह ब्योरोक्रेसी कहां से आई? इंगलैंड की ब्योरोक्रेसी के बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन वे भी

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

इसका ध्यान रखते थे और जब कोई अंग्रेज कलेक्टर देहातों में जाता था तो वह ८-८ दिन तक देहातों में रहता था और वहां के लोगों से उनके कष्ट पूछता था। लेकिन जो लोग उस समय इन्डियन सिविल सर्विस में थे उनके बारे में कहा जाता था कि 'दे आर नाइदर इंडियन, नार सिविल, नार सर्वेन्ट'। यहां जो अधिकारी हैं उनमें से बहुत से मध्यम श्रेणी के लोग आज उच्च पदों पर हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये हमारी जनता का किसी प्रकार अहित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि श्री प्रभु नारायण सिंह जी ऐसे उदाहरण पेश करेंगे जिनके द्वारा बतलायेंगे कि ये-ये आदमी हैं जो मंत्रियों की नीति का पालन नहीं करते हैं। उनके साथ उचित कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन एक जनरल दोषारोपण करना और ब्योरोक्रेसी के विरुद्ध कहना, ठीक नहीं है। कौन प्रभु नारायण सिंह जी को रोकता है हमारे वित्त मंत्री जी की तीव्र आलोचना करने से। इस सदन में अगर आप कोई नीति निर्दिष्ट करते हैं तो आप खड़े होकर सब कुछ कह सकते हैं कि यह नीति अनिष्टकारी है या इसमें यह दोष है। एक जिम्मेदार सरकार का अर्थ ही यही है कि जो आपकी ब्योरोक्रेसी है वह पीछे रह जाती है और मंत्री लोग आगे आते हैं। इसलिये ब्योरोक्रेसी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना उपयुक्त नहीं है। आपको विधान में भी यह अधिकार दिया गया है कि आप सरकार की नीति की आलोचना करें कि आपने जो कार्य किया है, वह गलत किया है। मैं देखता हूं कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जोकि आज प्लानिंग में काम कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। जो कैंडिटस आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद में हैं उनको कैसे तालीम दी जा रही है। वे अपने हाथ में फावड़ा लिये काम करते हैं, उनका सारा दृष्टिकोण बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस प्रकार से कार्यक्रम रखा हुआ है पढ़ाने का, उसका भी यही प्रभाव होगा कि उनकी जो प्रवृत्तियां थीं वह सब दूर होती जा रही हैं। दृष्टिकोण बदलने की चेष्टा हो रही है लेकिन सब धीरे-धीरे होगा। आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस देश में सरकारी नौकरी का बड़ा सम्मान रहता है और मुगल साम्राज्य में भी जो आदमी योग्य होता था वह यही चाहता था कि किसी तरह से मनसबदार के पद पर पहुंच जाये, वैसे ही आजकल भी हैं। हम किसी तरह से सरकारी अधिकारी बन जायं। बड़े बड़े आदमियों के लड़के होते हैं जिनको न खाने की कमी है, न पैसे की कमी है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाय। हम आशा करते थे कि जब अंग्रेजी राज्य नहीं रहेगा तब नौकरी की इच्छा कम हो जायेगी परन्तु अब तो पहले से दसगुनी अधिक बढ़ गयी है। कोई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डिवीजनर हो और यह न चाहता हो कि मैं आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में न जाऊं, फिर भी उनकी प्रवृत्तियां तो बदल रही हैं। आज कल के अधिकारी इस तरह के नहीं हैं जैसे कि पहले थे, इसलिये अधिकारी वर्ग को इतनी तीव्र आलोचना करना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती।

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्पत्ति का प्रश्न जो कुंवर महावीर सिंह जी ने उठाया कि उत्पादन, वितरण और विनिमय पर स्टेट का पूरा नियंत्रण हो यह प्रस्ताव का दूसरा पहलू है। अब सम्पत्ति का प्रश्न तो बहुत पुराना है और अगर आप सम्पत्ति का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें भी बड़े-बड़े परिवर्तन हुये हैं। पहले समाज में सम्पत्ति का बड़ा भारी सम्मान था, परन्तु धीरे-धीरे मनुष्य का दृष्टिकोण इस ओर से बदला और जब १७ वीं शताब्दी में राष्ट्रीय व्यवस्था हुई तो फिलास्फर लाक ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि मनुष्य को सम्पत्ति रखने का अधिकार है। उसके बाद बेन्थम आया। उसने लिखा कि ग्रेटेस्ट हैपीनेस आफ ग्रेटेस्ट नम्बर अर्थात् राष्ट्र का कर्त्तव्य अधिकाधिक मनुष्यों को सुख देना है। फिर फ्रांस की राज क्रान्ति आई और उसके साथ-साथ नये-नये विचार आये और यूरोप में राजतंत्र का ह्रास हुआ। १९ वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स आये और उनकी व्यवस्था का प्रभाव बहुत पड़ा। उसकी पुस्तक 'दास कैपिटल' बाइबिल के दर्जे की समझी जाने लगी। आजकल भी हजारों और करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों को मानते हैं और उन्हें कार्यान्वित करना चाहते हैं।

संकल्प कि राज्य में जमींदारी-विनाश के पश्चात् पूंजीवाद के अन्त करने
के लिये उत्पादन, विनियम और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण किया जाय

अब इस २० वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी की दशा दूसरी हो गयी। उसने दूसरा रूप धारण कर लिया है। डेमोक्रेसी का यह उद्देश्य हो गया है कि सब लोग बराबर हों। आज कल की डेमोक्रेसी में एक नई बात और आ गयी है वह यह कि इकोनामिक डेमोक्रेसी हो। अब जनतन्त्र में आर्थिक दशा की ओर भी ध्यान समाजवादी डेमोक्रेसी में अब सोशलिज्म भी आ गया है। सन् १९३६ में जब पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा लक्ष्य सोशलिज्म को ... इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये कांग्रेस ने कार्य भी किया है। अवाडी के कांग्रेस अधिवेशन में भी इस दशा की ओर ध्यान दिलाया गया कि हमको देश में समाजवादी ढांचा बनाना है। समाजवाद के यही अर्थ है कि हर मनुष्य को भोजन मिले, कपड़ा मिले, और शिक्षा आदि की ठीक प्रकार से सुविधा मिले तथा समाज में समानता का प्रचार हो। आमदनी में असमानता न हो। हर एक को हर प्रकार की सुविधा हो। अब एक बात यह सोचने की है कि हमारी सरकार ने इस ओर क्या किया है और वह कितना आगे बढ़ी है। हमारी सरकार ने सोशलिस्टिक पैटर्न को स्वीकार किया है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों को यह भय हुआ कि अब सब चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा और बड़े-बड़े उद्योग खत्म कर दिये जायेंगे। लेकिन जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सब लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकार निजी उद्योगों पर कोई हमला नहीं करेगी और जहां तक हो सकेगा बीच का मार्ग अपनायेगी। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही रहने दिया जायगा। सरकार प्राइवेट सेक्टर को खत्म नहीं करेगी। उस समय से यही नीति चली आ रही है। लेकिन इसके

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेशन से आ रहा था, तो जिस टांगे पर मैं बैठा था, उससे मैंने पूछा कि कहो राज्य कैसा है और तुम्हारी आमदनी कैसी है तो उसने जवाब दिया कि दो सेर का तो गेहूं मिल रहा है, तीन सेर का बाजरा मिल रहा है, हमको तो अपना पेट पालना मुश्किल हो गया है। जब से मोटर बस चलने लगी है हम लोगों की आमदनी बहुत ही घट गयी है। इसके साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि पहले लखनऊ में दो हजार के करीब तांगे थे, लेकिन अब सिर्फ ७११ ही रह गये हैं। हजारों आदमी इससे बेकार हो गये हैं। इस तरह का नेशनलाइजेशन ठीक नहीं है इससे हानि होती है। आप को इस समाज की सारी बातों को देख कर व्यवस्था करनी है। ट्रांस्पोर्ट से लेकर बड़ी-बड़ी मिलों पर अधिकार कर लिया जाय यह कहना तो आसान है परन्तु व्यावहारिक रूप देने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिये जो बुद्धिमान राज्य करने वाले हैं, वे इन प्रश्नों पर अवश्य विचार करेंगे और देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल अपनी नीति बनायेंगे। जब आप शासन करते हैं, तो किसी देश के बारे में आप को सोचना पड़ता है कि उसमें क्या बातें हैं, कैसा उसका इतिहास रहा है तथा उनकी विचार धारायें क्या हैं? इन सब बातों पर विचार करने के बाद आप देश की नीति निर्धारित कर सकेंगे। आप किसी पुस्तक को लेकर, कार्ल मार्क्स की किताब को लेकर या राबर्ट ओवन की किताब को देखकर अपनी नीति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उससे हानि होने की सम्भावना है। तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि यह हमें समाजवाद की ओर ले जाये और उन दोषों को दूर करे जो पूंजीवाद से पैदा होती हैं। जमींदारी उन्मूलन हो गया और उसका जनता ने स्वागत किया, जमींदारों ने भी किसी प्रकार की उसमें अड़चन नहीं डाली। सरकार ने और भी कितने ही काम किये हैं, जो बराबर अभी तक हो रहे हैं, परन्तु उसमें शक नहीं है कि सरकार जिस तरह से चल रही है, वह बड़ी धीमी चाल है। जैसे आय की असमानता की बात समाज में है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है और सरकार को भी उसके लिये शीघ्र ही कुछ न कुछ करना चाहिये। सेक्रेटरी ४ हजार रुपये तनख्वाह

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

पाता है, चपरासी ९० रुपये पाता है, मगर प्राइमरी स्कूल का टीचर ५० रुपये ही पाता है, तो इस तरह की असमानता को दूर करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार बहुत जल्द, जैसा कि संकेत किया गया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा, इस असमानता को दूर करने के लिये। यह कहा गया कि वेतन कम करने से यह नहीं होगा बल्कि टैक्सेज लगाने से दूर होगा, तो मेरा कहना है कि चाहे किसी तरह से किया जाय मगर असमानता अवश्य दूर हो। मेरे पास अक्सर यहां के चपरासी आते हैं और कहते हैं कि उनके लड़कों ने हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट पास किया है, लेकिन उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे गरीब लोगों के लिये जीविका का प्रबन्ध होना चाहिये। आज गरीबों की दशा बड़ी खराब है। उसको सुधारना सरकार का कर्त्तव्य है और यह बात भी समाजवादी व्यवस्था में आ जाती है।

दूसरी चीज है जिस पर कि राज नारायण जी बड़ा भारी आक्रमण कर रहे हैं, तो उस पर भी आप को अवश्य विचार करना चाहिये क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। मैं भी इतिहास और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, राज नारायण जी के भाषण को कल वहां पर खड़े होकर सुन रहा था और यह जानना चाहता था कि लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब वह मंत्रियों की बात करते थे, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की बात करते थे और उनके वेतन की बात करते थे, तो लोगों को उनकी आलोचना सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। भविष्य में क्या होने वाला है, इसे हमें देखना चाहिये और उसी के अनुसार हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। जब हम उस बात को नहीं कर सकते हैं, तो भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हमें उस पर अवश्य विचार करना चाहिये। अगर आपको सोशलिस्टिक स्टेट बनानी है और सोशलिस्टिक पेटर्न अपनाना है, तो इसके लिये पूर्णरूपेण कटिबद्ध हो जाना चाहिये। आपको वेतनों में कमी करनी चाहिये, भूमि का सुप्रबंध करना चाहिये और समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में समानता का प्रचार करना चाहिये।

अगर आप समाजवाद वास्तव में चाहते हैं और ईमानदारी के साथ इसको करना चाहते हैं तो समाज में समानता लाइये। अगर आप अब भी स्वार्थपरता के साथ काम करेंगे तो वातावरण ठीक नहीं हो सकता। समाजवादी प्रगति करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाय। दृष्टिकोण बदला है परन्तु और अधिक बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्र को हानि होने की संभावना है। नगरों की सम्पत्ति का एक बड़ा भारी प्रश्न है। प्लानिंग कमीशन ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि खेती बढ़ेगी। खेती में असमानता है। किसी के पास २ बीघा है किसी के पास २० बीघा है, किसी के पास १०० बीघा है। अनएकोनामिक होल्डिंग बहुत लोगों के पास है। इसका भी आपको प्रबन्ध करना है। भूमि वितरण की समस्या देश के सम्मुख है। इसी प्रकार मकानों की समस्या है। इस जमींदारी पर भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अभी तक यह पर्याप्त नहीं है। असमानता को दूर करना समाजवाद की ओर चलना है। प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि सीलिंग करेंगे। नगर सम्पत्ति का नियंत्रण होना चाहिए यह भी समाजवाद में आता है। शहरों में लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रापर्टी है उसका नियंत्रण करने से जनता में संतोष पैदा होगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि सामाजिक ढांचा बदलने की आवश्यकता है। सामाजिक ढांचा बदल रहा है। बहुत सी बातें जो २० वर्ष पहले थी वे अब नहीं हैं। क्या कोई कह सकता था कि लड़कियों का लड़कों के बराबर हक हो जायगा। आपके सामने ही कानून बन गया। क्या कोई कह सकता था कि ऐसा प्रस्ताव रखा जायगा कि लेजिटिमेट और इल्लेजिटिमेट लड़कों को बराबर भाग मिले लेकिन एक बुद्धिमान सज्जन की प्रेरणा से प्रस्ताव वापस ले लिया गया। समाज का ढांचा बदलने में हमको मदद करनी चाहिए। उसके लिये तैयार होकर वातावरण को बदलना चाहिए। वातावरण

सरकार के व्यवहार से भी बदल जायगा। सरकार जिस तरह से आचरण करेगी वैसी ही स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी। हमारा सबका यही ध्येय है कि समाजवाद की ओर हम प्रगतिशील हों; इसकी आधुनिक काल में आवश्यकता है। कल्याणकारी राज्य का यही लक्ष्य होना चाहिये। दीन जनों के हित के लिये हमें सब कुछ करना चाहिये। हमें सरकारी अधिकारियों के पास कष्ट पड़ने पर जाना पड़ता है। दूसरों के दुख दर्द का हाल बताना पड़ता है। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। विधान मंडल के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है; इसी तरह समाजवाद का प्रचार होगा। शिक्षा से वातावरण बदलेगा। व्यवहार से असमानता की भावनायें दूर होंगी। फिर हमें समाजवादी सिद्धान्तों को पूर्णतया लागू करने में कोई कठिनाई न होगी। मुझे हर्ष है कि श्री महावीर सिंह जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस के सामने जो

वह अपने विचार प्रगट करें। आज जहां सवाल है तो सरकार उसके लिये अपना कदम उठा चुकी है और अब इस हाउस की राय से उसको और मजबूत कदम उठाने के लिये सहारा मिलेगा। इसके पहले कि आज हम इस व्यवस्था पर कुछ अपनी राय प्रगट करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी हाउस ने जब कि यहां ताल्लुकेदारों और जमींदारों का बोलबाला था उस समय भी सरकार ने इनकम्बर्ड स्टेट बिल पास करके इस पूंजीवादी व्यवस्था का नाश किया था और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया कि हम लोग इस आगे के रास्ते पर चलें। इसके बाद उन्होंने जो चीज की, तो वह जमींदारी उन्मूलन के बाद मुआविजे की बात है। इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के बाद तो यह हालत हुई कि अभी तक उन कर्जों का कुछ मामूली सा हिस्सा मिला है। तो आज जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह जैसा जगन्नाथ जी ने कहा कि हम जो कदम उठाते हैं वह मजबूती से उठाते हैं जल्दी-जल्दी नहीं चलना चाहते हैं, इसलिये कि कहीं ऐसा न हो कि फिसल कर गिर जाये।

श्री गोविंद सहाय——सेहत कमजोर है।

श्री पन्ना लाल गुप्त——सेहत तो कमजोर नहीं है, क्योंकि जो सामने आता है वह हट जाता है। सेहत तो हम लोगों की बड़ी मजबूत है और इसी पर हम कायम हैं कि हम बड़ी मजबूती के साथ कदम रखते हैं और फिर पीछे नहीं हटाते हैं। आज जो हम मजबूत कदम उठाने जा रहे हैं वह भी एक आनेवाले ही समाज का कदम है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि टाटा, डालमिया जो काम करते हैं, पूंजीपति की हैसियत से वह बहुत अच्छा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ वह करते हैं वह उन गरीबों के पैसे से करते हैं जिनका उन्होंने शोषण किया है। अगर वह धर्मादा का ही पैसा दे दें तो उनके पास पूंजी ही न रह जाय। आज उनका गंगा स्नान भी गरीब आदमियों के पैसे से होता है, आज उन का दान पुण्य भी गरीबों के पैसे पर होता है, उनका मंदिर भी धर्मादे से होता है उनके पंडितों की पूजा का जो पैसा दिया जाता है वह भी धर्मादा खाते से ही दिया जाता है। अगर यह कहा जाय कि वह उपकार करते हैं तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कहा गया वह सम्पत्ति दूसरों की है। अगर वह सम्पत्ति दूसरों की होती, तो राष्ट्र के नाम कुछ दे देते। जहां पूज्य बापू जी की हत्या हुई वह बंगला भी जब उन से मांगा गया तो उन्होंने नहीं दिया, तब और वह क्या देंगे। मैं कहूंगा कि जितने भी पूंजीपति हैं वह कुछ अपने पास से नहीं देते। जो पैसा देते है धर्मादा खाते से देते हैं। सरकार ने जो नीति अपनाई थी गल्ला मद्दा होने पर

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

कि कुछ गल्ला तेज हो जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके, उस नीति से भी बेचारे किसानों को राहत नहीं मिली। राहत मिली उन पूंजीपतियों को जिन के पास पैसा था और गल्ला स्टोर कर लिया था और उनके भाग्य से कहिए या गरीबों के अभाग्य से कहिए बारिश हुई और बाढ़ आ गई। व्यापारियों ने अपना गल्ला अपनी कोठियों में बन्द रखा और आज हालत यह है कि जो चार सेर पांच सेर गल्ला था वह दो सेर पौने दो सेर का बिक रहा है। यह पूंजीपति व्यवस्था हमारे गरीबों का हनन कर रही है। अगर हम देखें तो जैसा कि भाई महावीर सिंह जी ने कहा, आज पूंजीपति देश की सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने पर तुले हुये है। अखबार आज उन के हाथ में है। जो चाहते हैं लिखते हैं, गलत चीजें छापते हैं। आज डालमियां के पास कई पेपर्स हैं, बिड़ला के पास भी कई हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--आप की तारीफ बहुत करते हैं आपसे उनको मुहब्बत है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--नहीं, हमसे मुहब्बत नहीं है, मगर डर से ऐसा करते हैं, मुहब्बत कभी-कभी सोशलिस्ट वालों से कर लेते हैं मगर हमसे नहीं करते। अपना काम देखते हैं, जहां से उन का काम निकलता है वहीं वह मुहब्बत करते हैं। आज अखबारों की भी हालत वैसी ही है। हर जगह पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है। जो छोटे-मोटे अखबार जनतन्त्रात्मक पार्टियों की तरफ से निकलते हैं उनकी बाजार में मांग नहीं है। जिन अखबारों की बाजार में मांग है, जो पुराने हैं तथा जिन को सब लोग जानते हैं उन पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है और जो हमारे सम्पादक लोग हैं वह भी मजबूर हो कर उन्हीं की नीति का अनुसरण करते हैं और मजबूर हो कर उसी तरह के लेख भी वह लिखने लगे हैं और इस तरह से पूंजीपतियों ने एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ अपनी बाहुयें पसार दी हैं। ऐसी स्थिति में छोटे-छोटे जितने व्यापार थे उन सभी का केन्द्रीयकरण हो गया है। आज जो बेचारे तेली तेल पेर कर अपनी जिन्दगी बसर करते थे आज बड़े-बड़े आदमियों ने मिल लगा कर उनका काम छीन लिया है। चावल कूट कर बिधवा औरतें अपने घर में रह कर इज्जत से जिन्दगी बसर करती थीं आज राइस मिल्स ने उनका काम अपने हाथ में ले लिया है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--और सेफ्टीरेजर।

श्री पन्ना लाल गुप्त--डाक्टर साहब कहते हैं सेफ्टीरेजर निकाल दिया है। सो वह काम तो हम लोगों ने ही छीन लिया है। तो आज इस तरह से सारा काम पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार छिनते जा रहे हैं और गरीब तबाह होता जा रहा है। यह हालत है। जब जमीन्दारी खत्म हुई तो जमीन्दारों ने अपने आप को काम पर लगाया और मेहनत कर के गुजर बसर करने लगे। अब यह जरूरी चीज है कि पूंजीवादी व्यवस्था खत्म कर के जो बेकार २, ३ हाथ मोटे गद्दे पर बैठने वाले और दूसरों की मेहनत पर अपना पैसा बढ़ाते हैं, आराम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे सारी मुल्क की पूंजी उनके पास इकट्ठा हो जाय उनको मौक़ा न दिया जाय। आप देखें कि जब वह कर्जा किसी आदमी को देते हैं तो क़र्ज लेने वाले की हालत यह होती है कि उसका अगला जो कुनबा है उस तक को कर्ज देने वाला मोल ले लेता है। उससे ब्याज ले कर उसको तबाह करते रहते हैं। यह व्यवस्था बहुत खराब है। अगर इस व्यवस्था को बदलने के लिये सरकार ने कोई क़दम न उठाया तो यह भी हो सकता है कि ग़रीब आदमियों को कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़े या दूसरे ढंग से उसका मुक़ाबिला करे। आज आप देखें बिनोवा जी ने वह क़दम उठाया और सारे देश की पैदल यात्रा कर के उन्होंने जमीन दान में मांगी और अब उन्होंने सम्पत्ति भी मांगना शुरू कर दिया। यह एक इशारा है। हम सबको समझना चाहिये, यह एक इशारा है कि खुशी से दे दो नहीं तो आपने

देखा जमींदारी विनाश हुआ उस समय प्रभु नारायण जी भी हमारे साथ थे और हम सब कहते थे कि जमींदारी खत्म होगी लेकिन उस वक्त भी जमींदार लोग हमारी मज़ाक उड़ाते थे लेकिन आखिर में एक दिन आया कि जमीन्दारी टूटी और वह व्यवस्था खत्म हुई। इस तरह से संत विनोबा जी चल रहे हैं कि आया सम्पत्ति दान दो नहीं तो एक रोज़ वह भी आयेगा कि मजबूर हो कर सरकार को क़ानून बनाना पड़ेगा और पूंजी दान में ले ली जायेगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--श्री प्रभु नारायण जी कहते हैं कि वहां भी बेईमानी होती है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--वह ऐसी पार्टी में चले गये जहां बेईमानी होती है। गांधी जी ने ऐसी भेष भूषा बनाई थी जैसा कि हमारे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि वह हमारे देश को रिप्रेजेन्ट करते थे उसी तरह से आज संत विनोबा जी भी घूम रहे हैं। आज हमारे सामने यह एक चेतावनी के रूप में है। अभी मौक़ा है सोच लें। जैसे जमींन्दारों ने सोच कर अपना काम किया अपने, बाल बच्चों को दूसरे कामों पर लगा दिया तो वह आज परेशान नहीं है और जो आराम में बैठ गये वह परेशान हुये। जैसे एक आदमी के यहां आग दरवाजे पर लगी तो उसने कहा कि अभी बहुत दूर है, फिर उसके कमरे में आग पहुंची तो भी कहा कि बहुत दूर है लेकिन जब पैर जलने लगा तो कहने लगा कि अब साले को जलने दो कौन उठे। तो ऐसे आदमी तबाह हुये। जो लोग चेत गये वह बच गये इस तरह से यह चेतावनी है महावीर सिंह जी के प्रस्ताव से और विनोबा जी के घूमने से। मेरे ख्याल में हमारे भाई चेतेंगे और समय की मांग को देखते हुए वह समय के साथ चलेंगे। अब रहा, जहां तक यह कहा गया है कि जमीन का बंटवारा होना चाहिये तो यह सही है। यह जरूर होना चाहिये क्योंकि किसी के पास ५० एकड़, किसी के पास २० एकड़ और किसी के पास दो बीघे जमीन है और मैंने पहाड़ पर देखा है कि वहां दो मुट्ठी भर के लोगों के खेत हैं। दो मुट्ठी से मेरा मतलब यह है कि जिस खेत में दो मुट्ठी बीज बोया जा सके। तो इतने छोटे-छोटे खेत हैं, यह नहीं होना चाहिये। वहां भी मैं देखता हूं कि एक तरफ तो ६, ६, ७, ७ सौ या हजार बीघे जमीन के लोगों के फार्म हैं और दूसरी तरफ दो-दो मुट्ठी के खेत हैं। फिर आप देखें कि एक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं, रहने का कहीं ठिकाना नहीं है और दूसरी तरफ हजारों बंगले लोगों के पास हैं और ऐश उड़ा रहे हैं। यह सब असमानता ही तो है। इसको मिटना ही पड़ेगा। जो हम आगे कदम उठाने जा रहे हैं तो वह हमारी सरकार और हमारा बहुत ही ठोस क़दम होगा। हम किसी काम को जल्दी में नहीं करते जैसा कि दूसरे लोग जल्दबाजी में कदम उठा कर फिर पीछे हट जाते हैं। हम तो धीरे-धीरे कदम उठाने के आदी हैं। खरगोश बहुत जल्दी-जल्दी चलता है और ठंडी हवा पा कर सो जाता है तो वह क़दम हम नहीं उठाना चाहते। हम तो कछुवे की चाल चलना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि यह सब समय बतायेगा कि किस का क़दम सही था और कौन देश के लिए कितना कर सकता था। अन्त में मैं श्री कुंवर महा-वीर सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रस्ताव के सामने रख कर हमको, आपको और सारे देश को एक रास्ता दिखाया है और अगर अब भी लोग न समझेंगे तो आगे चलकर हमको और सरकार को इसी हाउस में कोई क़ानून जरूर पास करना पड़ेगा।

***श्री हयातुल्ला अन्सारी** (नाम निर्देशित)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जिस तरह से हाउस में बहस हुई है उससे ऐसा मालूम होता है कि इस सबजेक्ट पर बोलने के लिए मुझको भी जरा दूर से चलना पड़ेगा। जहां से ह्यूमन हिस्ट्री मिलती है तो वह हमें बताती है कि ग़रीब-ग़रीब न रहें, सबको खाना, कपड़ा, रहने को मकान और दवा दारू का इंतजाम हो और उसका जिम्मेदार किसी न किसी शक्ल में समाज ही है। हिस्ट्री जो हमें मिलती है वह यह कि परशिया में एक आदमी मज़दक पैदा हुआ जिसने बताया कि औरत, पैसा और जमीन किसी की मिलकियत नहीं हो सकती है। औरत उस जमाने में एक जायदाद समझी

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

जाती थी। कुछ लोगों ने उसकी थ्योरी को मान लिया और उसको चलाना चाहा। उस जमाने में कुछ राजा महाराजा भी थे, उन्होंने भी उसको माना लेकिन वह चीज़ चल न सकी। फिर मुसलमानों का ज़माना आया उसमें भी बहुत से फिलासफर पैदा हुये, जिन्होंने यह रास्ता निकालना चाहा कि सब लोग बराबर के हो जायं और कोई खाने कपड़े का मोहताज न रहे, किसी तरह से ग़रीबी खत्म होनी चाहिये। उन्होंने कुछ थोड़े बहुत क़ानून भी बनाये और उसको मजहबी ढंग से भी लाने की कोशिश की। कुछ दिन तक तो वह इसको चला सके लेकिन आगे चल न सका और वह उसूल फिर गिर गया। पये वाले तो कई मर्तबा खत्म कर दिये गये लेकिन रुपया पैदा करने की ताक़त को कोई खतम न कर सका। उसके लिये कोई ज़रिया नहीं निकाला जा सका। बहुत से शायर हुये हैं, बहुत से फिलासफर हुये हैं, जिन्होंने ऐसे मुल्क का तखयुल किया है, जहां कोई ग़रीब नहीं होगा, कोई किसी को सतायेगा नहीं। यह सब ख्यालात शायरी में तो आते रहे, फिलासफी में आते रहे, लेकिन कभी सामने नहीं आये। कुछ लोगों ने इसको मजहबी रंग भी देना चाहा, कुछ लोगों ने कहा कि आगे एक शख्स ऐसा पैदा होगा, जो इस तरह की चीजें बन्द कर देगा। लेकिन यह सब बातें इमेजिनेशन ही में रहीं। जैसे पहले लोग इमेजिन किया करते थे कि हवाई जहाज होगा और उसकी सब बातें कह गये कि वह इस तरह से उड़ेगा लेकिन हवाई जहाज तभी बना जब बिजली बनी। पहले हवाई जहाज महज एक तख्युल की ही चीज थी। वैसे ही लोग इस तरह की स्कीमें सोचा तो करते थे लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था। पहले पहल रास्ता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ही निकाला। जैसे पहले रहन-सहन का ढंग नहीं बदलता था वैसे ही पहले कोई रास्ता नहीं मिलता था। जैसे पहले सवारी के लिये घोड़ा ही इस्तेमाल किया जाता था चाहे वह अच्छा घोड़ा हो या कोई खराब घोड़ा हो। जैसे मकान बनाने के लिये पहले हाथ ही इस्तेमाल किये जाते थे चाहे वह बड़ा मकान हो चाहे छोटा हो। वैसे ही पहले इसके लिये कोई खास रास्ता नहीं निकाला गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इसके लिये कुछ सोचा गया। एक शख्स ने भाप से कुछ हरकत पैदा होते देखा और उसने सोचा कि इससे कुछ काम क्यों न लिया जाये। फिर क्या था इसके लिये कारखाने बनाये जाने लगे। उन कारखानों में १२, १२ और १४, १४ साल के लड़के काम करते थे। उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था। इससे यह हुआ कि ज्यादा लोगों का काम थोड़े से लड़के कर लेते थे। इन लोगों से १८, १८ घंटे काम लिया जाता था। वह लोग घर भी नहीं जा पाते थे। इन कारखानों के पास बड़े—बड़े शहर बस गये। रफ्ता—रफ्ता मजदूरों को महसूस हुआ कि हम बहुत काम करते हैं और हमको बहुत कम पैसा मिलता है। इससे उनमें एकता पैदा होने लगी, वह और मुत्तहिद होने लगे। अब वह डिमांड करने लगे कि हमारे काम के घंटे कम किये जायें और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय। अगर उनके काम के घंटे कम किये जाते तो मिल मालिक को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती और इस तरह से मिल मालिक को नुक़सान होता। इसी तरह से अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती तो भी मालिकों का नुक़सान होता और उनको अधिक पैसा देना पड़ता।

इसी जमाने में एक फिलासफ़र पैदा हुआ जो कि इस ज़माने का सबसे बड़ा फिलासफर था। उसका नाम कार्लमार्क्स था। उसने कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो के ऊपर एक छोटी सी किताब लिखी है। उसमें उसने बयान किया है। इसमें उसने दो बातें साफ कही हैं। एक तो क्लास स्ट्रगल है, जो हर एक जगह मौजूद है और इसमें दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ मिल मालिक हैं और दूसरी तरफ मजदूर हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मजदूर चाहते हैं कि कम वक्त काम पर लगे और पैसा ज्यादा मिले और यह जाहिर है कि कोई भी मिल मालिक ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा अगर वक्त कम लगेगा तो काम भी कम होगा और वह पैसा ज्यादा देगा तो मिल मालिक को ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन मजदूर समझता है कि यह उस से मांगना उसका हक है। वह समझता है कि अगर कोई मैटिरियल ८ आने में तैयार होता है तो उसमें से सिर्फ २ आने मजदूर को मिलते हैं और

६ आने मिल मालिक के पास चले जाते हैं तो मजदूर कहता है कि यह ६ आने चोरी के हैं। इस तरह से उनकी खून की कमाई मिल मालिक के पास चली जाती है। साथ ही साथ इस सिलसिले में कार्ल मार्क्स ने यह ख्याल पेश किया कि यह काम अकेले इन्डस्ट्री में भी नहीं है, बल्कि और अखलाक में भी है। मिल मालिक लोगों से किताबें लिखवाते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को सिखाते हैं ताकि वे उनके गुलाम बने रहें ओर कोई रिवोल्यूशन न करें। मजहबी तबके भी उनके साथ चले जाते हैं और इस तरह से वे बातें करते हैं और फतवा देते हैं जिससे मजदूर आन्दोलन न करें। हुकूमत भी उनके साथ चली जाती है और वह मिल मालिकों के इशारे पर चलती है। तो इस तरह से एक क्लास बन जाता है जो कि क्लास सरमायेदारों का है। कहने का मतलब यह है कि एक मजदूर क्लास है और दूसरा सरमायेदारों का क्लास है। इस तरह से मिल मालिकों ने मोरेल पर जोर देकर मजदूर आन्दोलन को बढ़ने से रोकने के लिये कोशिश की। इस तरह से कार्लमार्क्स ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। उसने कहा कि यह सरमायेदारों की दुनिया जरूर एक दिन खत्म होगी और इस तरह से खत्म होगी जिस तरह से बड़े-बड़े इम्पायर खत्म हुये हैं या जिस तरह से छकड़े की दुनियां खत्म हो कर इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है। इस तरह से उसने एक फिलासफी बनाई है। हिस्ट्री भी इस तरह से नहीं चलती है कि एक बादशाह आता है और मरता है बल्कि हिस्ट्री आइडियाज पर चलती है और उसका नाम ह्यूमन हिस्ट्री है। इसमें भी फर्क होता है। इसकी तस्वीर सन् १८४८ के फ्रेन्च के रिवोल्यूशन से हुई है। वह रिवोल्यूशन जरूर हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। यह इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन था जो कि मजदूरों ने नहीं किया था, इसलिये आगे नहीं चल सका। इसके बारे में कार्लमार्क्स ने कहा था कि अकेले मजदूरों का इकट्ठा होना काफी नहीं है, इसमें फौज और पुलिस वालों का भी इकट्ठा होना जरूरी है। क्योंकि इनको तनख्वाह तो कम मिलती है और इनकी जिन्दगी से काम लिया जाता है और इनकी जिन्दगी से सरमायेदारों की भी मदद होती है।

उस जमाने में एक और बड़े मजे की बात हुई है और उसका भी जिक्र कर देना जरूरी है। जब यह कहा गया कि गरीबी मिट जानी चाहिए तो एक फिलासफर ने "फिलासफी आफ पावर्टी" लिखी। उसने कहा कि गरीबी जरूर दूर होनी चाहिए और हकीकत में यह एक दिमागी कमी है जिसको दूर नहीं किया गया। इसके बाद एन्जिल्स ने भी कहा है। इस साइन्स ने जो सबसे पहले काम किया है वह रूस में किया है। वहां के एक बहुत बड़े इम्पायर को मजदूरों ने उलट दिया। लेकिन मजदूरों के साथ फौज भी शामिल हो गयी, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। फौज इसलिये खिलाफ हो गयी थी क्योंकि वह ग्रेट वार में लड़ रही थी, उसमें राजे महाराजे लड़ रहे थे और गरीबों को कटाया जा रहा था। तो इन लोगों ने कहा कि हम क्यों कटें। तो फौज भी मिल गयी, पुलिस भी मिल गयी और उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्युशन हुआ, लेकिन उसके कुछ रिपर्कशन्स भी हुये, मुसलसल लोग मारे गये, मार काट हुई, कत्ल हुये और यह सिलसिला जारी रहा और बहुत जमाने तक जारी रहा, बड़े-बड़े प्राब्लेम उठे, चूंकि नया एक्सपेरीमेंट था इस रेवोल्यूशन का इसलिये नयी नयी चीजें सामने आती रहीं। फिर इत्तिफाक से उनके अन्दर दो हस्तियां पैदा हुई जो कि बहुत बड़ी पर्सनलिटी दुनिया में हुई हैं, लेनिन और स्टालिन सबसे पहले लेनिन ने इस मसले को बिल्कुल साफ कर दिया उसने अपनी पार्टी को उन लोगों से, जो कि गरजमन्द थे अलग रखा और इस तरह से एक बड़ा इन्कलाब पैदा किया और सही तरीके से अपनी पार्टी की रहनुमाई की। फिर उसके बाद स्टालिन का जमाना गुजरा जिसमें कि उसको...

श्री डिप्टी चेयरमैन—आप संकल्प के ऊपर ही बोलिये क्योंकि आप इरेलीवेंट बातें कह रहे हैं। मुझे बार—बार टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप न बोलें, बल्कि यह है कि आप संकल्प के अन्दर ही अपने को सीमित रखें।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--तो इस तरीके से स्टालिन ने उसको प्रेक्टिकल रूप दे दिया। चूंकि यह चीज सामने आयी कि कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये और सोशलिज्म को लाने के लिये हुकूमत को क्या करना चाहिये इसलिये मैंने कहा कि हुकूमत को कैसे सोशलिज्म लाने के लिये काम करना चाहिये और कैसे उसको कायम किया जा सकता है। इसके बाद जो स्टेज हिन्दुस्तान में पैदा हुई वह एक अजीबोगरीब पैदा हुई, जो भी रिवोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, यह हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं है बल्कि सारी दुनिया में रेवोल्यूशन ला रही है और इसके पीछे सोशलिज्म लाने के लिये और कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये जो सबसे बड़ी ताकत रही है, वह रही है क्लास स्ट्रगल। इसके लिये मजदूरों को इकट्ठा किया गया इसलिये कि कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिये, तो जो कुछ पहले हिस्ट्री थी, लोग तमन्नायें लेकर उठे कि ऐसी सोसाइटी बनायें जो कि क्लासलेस सोसाइटी हो और कार्ल मार्क्स ने इसको अपनी किताब में पूरे तौर से दिया है कि क्लास स्ट्रगल क्या है, लेकिन गांधी जी ने एक बहुत ही दूर की चीज लाकर रखी और वह इससे भी कुछ आगे जाती है और उसमें बहुत गहरा इन्कलाब पैदा करती है। उसका असर हिन्दुस्तान में ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि सारी दुनिया में पड़ रहा है और वह है नान वायलेन्स। गांधी जी ने कहा है कि मारेल जो है वह ट्रुथ है। जो चीज रेवोल्यूशन लाती है, वह है नान वायलेन्स सच्चाई के साथ। एक जगह गांधी जी ने लिखा है कि इससे एक शख्स बड़ी से बड़ी इम्पायर को भी हिला सकता है। इसका मतलब यह है कि गरीब-गरीब न रहें, जाति-पांति बाकी न रहे और जो अक्लियतों में हैं उनको भी पूरा हक मिले और साथ ही साथ जो एक्सप्लायटेशन की सूरतें हैं वह सारी की सारी खत्म हों और इस तरह से जो रेवोल्यूशन किया जाता है वह जब डेवलप होता है तब नान वायलेन्स ट्रुथ पैदा होता है और वह अपनी तस्वीर देता है आइन्दा के लिये। तो आज सब को देखना है जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस रेवोल्यूशन को इस लाइट में देखें तो बात साफ हो जाती है कि इसमें अबालिशन आफ कैपिटलिज्म को देख रहे हैं और उसमें कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम इसको क्लास स्ट्रगल की नजर से देखते हैं तो इसको वही गवर्नमेंट खत्म कर सकती है जो कि एक क्लास की गवर्नमेंट हो। मगर यहां तो एक क्लास की गवर्नमेंट नहीं है, यहां एक नेशन की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि पूरे नेशन को रिप्रेजेन्ट करती है।

अगर आप महात्मा जी के बताये हुये उसूलों को देखें तो आप के सामने पूरी तस्वीर सामने आ जायगी। इसके बारे में मैं एक दो बातें कह देना चाहता हूं। उस वक्त हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न था कि कैपिटलिस्ट की व्यवस्था को खत्म किया जाय या अभी रहने दिया जाय। चूंकि हमारी सरकार को अपने ऊपर कांफिडेन्स था उसके हाथ में पावर थी इसलिये उसने उसको उस वक्त रहने दिया और उसको इस बात का यकीन था कि जिस तरह से उसने जमींदारी खत्म की है उसी तरह से जब वह चाहेगी इसको भी खत्म कर सकती है। महात्मा गांधी ने जो वसूल बताये हैं, उस तरह से तहरीक करने से न फौज की जरूरत पड़ती है और न पुलिस की जरूरत पड़ती है, बल्कि हम सच्चाई के जरिये से अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ख्याल किया कि अगर हम इस वक्त किसी तरह की कोई तहरीक उठाते हैं तो इसमें काफी वक्त लग जायगा। गान्धी जी ने भी इस बात को बतलाया है कि डेमोक्रेसी एक मोहमिल चीज है और डेमोक्रेसी पार्टी पर चलती है और पार्टी एक स्लोगन बना लेती है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी में नेशनल वेल्थ पर जोर दिया गया। अगर हमारे मुल्क में नेशनल वेल्थ बढ़ेगी तो १५ साल के बाद हमारे मुल्क की हालत बदल जायगी। सरकार ने नेशनल वेल्थ को बढ़ाने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनायीं, बड़े-बड़े कारखाने चलाये और सीमेन्ट फैक्टरियां खोलीं, जिससे सरकार के पास पैसा आये। डेमोक्रेसी में सरकार का पैसा मास का पैसा होता है। आज जो नक्शा तरक्की करने का हमारे सामने है, वह बहुत बड़े पैमाने पर है। इस वक्त मैं एक मिसाल चीन की देना चाहता हूं। इस वक्त यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि हमने यह बात चीन से सीखी है या चीन ने हमसे सीखी है, खैर, इस वक्त मैं यह माने लेता हूं कि चीन ने हम से सीखा है। चीन की गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर

दिया है कि नेशनल वेल्थ बढ़नी चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम भी इसी तरह से यहां कैपिटलिज्म के लिये लड़ाई लड़ें, तो हमें कुछ सालों के बाद क्या मिलेगा, वही प्रतिशत, तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि इसके बजाय हम दूसरा रास्ता अख्तियार करें। इस तरह से एक यह प्रस्ताव आधा ठीक है और आधा ठीक नहीं है। हमें नेशनल वेल्थ बढ़ानी है और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करनी है। यह बात पहले भी थी जब कि कांग्रेस का अजमेर में सेशन हुआ था, मगर उस समय क्लासलेस सोसाइटी कायम करने की बात थी, इसका भी मतलब वही है, वह जरा टेढ़ा था, यह सीधा है। तो जब हम इस तरह से आज नेशनल वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिये हमारे यहां अस्पताल कायम हो रहे हैं, बड़े-बड़े डैम्स बन रहे हैं और बहुत से डेवलपमेंट के काम करके गवर्नमेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है। यदि हम इसी तरह से आगे बढ़ते जायें तो हमें काफी फायदा होगा और हमारी नेशनल वेल्थ बहुत बढ़ जायेगी। इस वक्त इस तरह के प्रस्ताव की ताईद करना बेकार है। अगर इससे हमें फायदा होता हो तो मैं जरूर इसकी ताईद करता, मगर हमने अपने यहां के नक्शे को तो समझा ही नहीं है। इस तरह से तो कन्फिलिक्ट पैदा हो जायेगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं, मगर इसकी स्प्रिट की तारीफ करता हूं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने पेश है, मैं उसकी भावना का स्वागत करता हूं। असल में समाजवादी व्यवस्था में बड़ा मतभेद रहा है और इसका क्या रूप है, यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिये कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में समाजवाद की जगह समाजवादी ढांचा शब्द का प्रयोग किया है। देश में काफी लोगों का विचार है कि समाजवाद की भावना पश्चिम से ली गई है, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर शुरू से ही समाजवाद की भावना रही है। पश्चिम का समाजवाद और हिन्दुस्तान का समाजवाद कितनी ही बातों में भिन्न है। हमारे समाजवाद के अन्दर व्यक्ति को समाज की ईकाई माना है तथा उस इकाई को स्वीकार किया है। पश्चिम के समाजवाद ने समाज को ही आधार माना है और उसके व्यक्ति के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना मुनासिब था, उतना नहीं दिया। यही वजह है कि उन्होंने व्यक्ति के स्थान पर समाज को उतना महत्व दिया और वहां पर क्लासवाद जैसी चीज है, जब कि हमारे यहां इसे दूसरे प्रकार से दूर करने की बात थी। यहां पर अन्याय को दूर करने के लिये अहिंसा की बात थी। व्यक्ति अन्याय का विरोध करेगा तो अहिंसा से करेगा और जब समाज के अन्दर वही बात होगी, तो उसका उसी तरह से विरोध किया जायेगा। यह मौलिक अन्तर है, और भी दूसरे अन्तर हैं। पाश्चात्य समाजवाद का दर्शन भौतिक है, तो हमारा दर्शन जो है, वह अति भौतिक है, वह फिजिकल है, तो हम एदस्ट्रा फिजिकल हैं। इस प्रश्न के अन्दर हमारी विचार धारा और मौलिक भावनाओं में अन्तर पड़ेगा।

हमारे गांव जिसके अंदर एक बूढ़ा होता था उसको गांव के चौधरी का बच्चा भी बाबा कहता था। बड़े से बड़ा आदमी जो खाता था, गरीब से गरीब आदमी वही खाता था। खाने पीने और पहिनने में कोई अंतर नहीं था। गांव के अंदर ऐसी प्रथा थी कि गांव का बड़ा आदमी जब तक न खायगा जब तक गांव का कोई आदमी भूखा रहेगा। गांव का अन्न उसके पास इकट्ठा होता था किन्तु वह गांव के गरीब से गरीब आदमी के काम आता था। यह किसी कानून के द्वारा नहीं होता था। हमारे विचार दर्शन के अंदर अति भौतिकता का जो स्थान है यह उसकी वजह से था। अकबर ने कहा था :——

> भूलता जाता है योरुप आसमानी बाप को,
> बस खुदा समझा है उसने वर्क को और भाप को।
> वर्क गिर जाएगी एक दिन और उड़ जायेगी भाप,
> देखना अकबर बचाए रखना अपने आप को ।।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

तो वह ठीक चेतावनी दी थी। किन्तु उस चेतावनी के बाद भी वहां कोई प्रकाश नहीं है। वहां असंतोष है। मैं समाजवाद की बात कह रहा था। हमारे यहां के समाजवाद के अंदर जो नैतिकता थी एक बहुत बड़ा आदर्श था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि प्रस्ताव के अंदर राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण में कोई अंतर नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव को जो पेश कर रहे हैं वे शिक्षा के विषय में राष्ट्रीयकरण और प्रेस के विषय में राष्ट्रीय-करण के पक्ष में हैं। गोविंद सहाय जी से चर्चा हुई। वे पक्ष में तो हैं लेकिन शिक्षा के विषय में राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—जो संकल्प है आप उस पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—समाजवाद के अंदर मैं कह रहा था कि मुख्य चीज यह है कि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो अंतर है उसका नाश हो। गांधी जी ने समाजवाद की कल्पना की। उन्होंने कहा था कि जो काते वह पहने। यही समाजवाद का आदर्श है। समाजवाद की तभी प्रगति हो सकती है जब उपभोक्ता और उत्पादक में कोई बिचौला न हो। खाने-पीने और पहिनने की जो आवश्यकतायें हैं उनमें उत्पादक और उप-भोक्ता एक हो जाय। आज बिरादरी के झगड़े हैं। लेकिन इतने नहीं हैं जितने उत्पादक और उपभोक्ता के हैं। दुनियां के अंदर समाज के जो नये झगड़े चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरा उत्पादक और उपभोक्ता को है। एटम बम न छोड़ने का यदि फैसला होगा तो वह इसलिये नहीं होगा कि एटम बम छोड़ने से शांति को खतरा है। शान्ति को खतरा है या शान्ति स्थापित हो जायगी, किन्तु एटम बम जिनके पास है वह इसलिये उसको न छोड़ेंगे कि उपभोक्ताओं का नाश होगा। उनका माल कैसे बिकेगा। इतने आदमी मर जायेंगे तो उनका बनाया माल कौन खरीदेगा, उनकी बनाई मशीनें कौन खरीदेगा। तो एटम बम अगर न छोड़ा जायगा तो इस कारण न छोड़ा जायगा। जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियां हैं उनका नाश करना है। इसी तरह से गांधी जी ने जब खादी की बात की तो वह बिचौलियों के नाश की बात थी। जब मैं कहता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये तो उसका मतलब यह है कि गुरू और शिष्य के बीच स्टेट को नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये आज जो बड़े से बड़े समाजीकरण के महारथी हैं वह भी मानते हैं कि शिक्षा के बारे में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं है। समाजीकरण में और राष्ट्रीयकरण में जो भेद है वह स्पष्ट नहीं है और यदि है तो बहुत कम है। कभी वह जमाना था जब फौज सामन्तों की हुआ करती थी, फिर वह जमाना आया कि राजा की होने लगी और अब वह जमाना आया कि राष्ट्र की होती है। इसी तरह से कभी पूंजी व्यक्तिगत थी, जमाना आया कि पूंजी राजा की हो गई और आज जमाना है कि वह चाहे या न चाहे पूंजी समाज की है, वह राष्ट्र की सम्पत्ति होगी किन्तु इसमें कुछ खतरे हैं। अभी किन्हीं साहब ने यह कहा था कि जमीन के जो छोटे-छोटे मालिक हैं, उनसे जो लगान लिया जाता है वह उत्पादक वस्तु पर ही लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे लोग कहते हैं कि छोटी काश्त वालों से मालगुजारी न ली जाय। अगर वह राष्ट्र की सम्पत्ति है तो राष्ट्र को पूरा हक़ है कि वह अपनी छोटी से छोटी इकाई पर मुआविजा ले, किन्तु जो व्यक्तिगत सम्पत्ति है उसके अन्दर जो मुनासिब देखे कि खाने पीने के बाद क्या बचता है उस पर टैक्स लिया जाय। यह बात कि छोटी होल्डिंग्स पर मालगुजारी सरकार लेती है किन्तु ३, ४ हजार की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, इसको हमें समझना होगा। जब हम कहते हैं कि भूमि राष्ट्र की है तो यह उसका परिणाम है, जो यह मानते हैं कि व्यक्तिगत है तो यह माना जायगा कि छोटी होल्डिंग्स से कोई टैक्स न लिया जाय लेकिन जब यह मानते हैं कि वह राष्ट्र की है तो उससे क्यों न लिया जाय। उत्पादन, विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों को समाजीकरण करने की बात कही गई है। यह लिखा तो गया है बहुत आसानी के साथ किन्तु ऐसा करना बड़ा कठिन है। चर्खा आज कल एक ऐसा बना है जिसके अन्दर एक व्यक्ति इतनी आमदनी कर सकता है कि कपड़े के विषय में वह स्वावलम्बी बन जाय। मैंने पहले

कहा था, महोदय, कि भारतीय दर्शन के अन्दर जो व्यक्ति की इम्पार्टेंस है, पश्चिम के अन्दर वह नहीं है। सारा भारतीय दर्शन शास्त्र, अर्थ शास्त्र और राजनीति शास्त्र यह मानता है, गीता भी यह मानती है कि हर एक आदमी को स्वावलम्बी होना मुनासिब है। स्वावलम्बन की कल्पना अर्थ शास्त्र में आई ही इस लिए है कि हम दर्शन के अन्दर यह मानते हैं कि हमारे समाज के अन्दर व्यक्ति एक मौलिक इकाई है।

(इस समय ४ बजकर ३० मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन पुनः ग्रहण किया।)

राष्ट्र की जो शक्ति है उसको नापने का पैमाना यह है कि जिस राष्ट्र के नागरिक बुराई का जितनी तीव्रता के साथ विरोध कर सकते हैं, अकेला नागरिक मिल कर नहीं और जिस राष्ट्र का अकेला नागरिक जितनी तीव्रता के साथ बुराई का विरोध कर सकता है वह राष्ट्र उतना ही शक्ति सम्पन्न है। यदि हम इस पैमाने को मानते हैं तो हमें आर्थिक ढांचा ऐसा बनाना होगा जिसके अन्दर एक व्यक्ति में लड़ने की शक्ति अधिक आ जाय और वह आयेगी केवल उत्पत्ति के विकेन्द्रीय करण से। इस लिए ऐसे प्रस्ताव को मानने वाले अगर इस चीज से सहमत हैं कि बड़े से बड़े यन्त्र उद्योग के स्थान पर कम से कम खाने और पहनने के लिए छोटे–छोटे व्यवसाय जारी किए जायें तभी यह सम्भव है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण के अन्दर समाजीकरण हो जाय, नहीं तो यह सम्भव नहीं है।

श्री चेयरमैन––अब साढ़े चार बज गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी उत्तर दिया जायगा और प्रस्तावक भी जवाब देंगे। ५ बजे हम उठ जायेंगे। इस लिए आप अधिक समय न लें।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार––मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक सिद्धान्त है और वह यह है कि गरीब आदमी के लिए एक पैसे की जितनी कीमत है अमीर आदमी के लिए उतनी नहीं है। एक पैसे से गरीब आदमी को जो सुख मिलता है, वह सुख एक पैसे से उस आदमी को नहीं मिलता जो अमीर है। मान लीजिये एक आदमी अमीर है उसको अगर आप दस रुपया बढ़ा देते हैं तो उसको उतना सुख न मिलेगा जितना कि एक गरीब आदमी को दस रुपया बढ़ा देने से मिल जायगा। इस दृष्टि से हमें अगर सुख की बृद्धि करना है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के अन्दर इस प्रकार से उत्पत्ति करें, जिससे गरीब आदमी के उत्पत्ति के साधन बढ़ें और अमीर के यदि कुछ कम भी हो जायें, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। उसको दुःख नहीं होगा। इस लिए मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव के अन्दर आपने जो पद्धति रखी है, उसको सोचते समय यह मुनासिब ही है कि आप देखें कि समाजवाद के अन्दर व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकता है, व्यक्ति की जो मौलिक इम्पार्टेंस है वह समाज के अन्दर कम न हो जाय पाश्चात्य जो समाजवाद की कल्पना है उसके अन्दर उसकी कमी है। यहां पर व्यक्ति को महत्व देकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चेयरमैन––माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री कुंवर महावीर सिंह––अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव में आये हैं, मैं थोड़ा सा उन पर कहना चाहता हूं। माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने अपना अमेन्डमेन्ट रखा है, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ आज की परिस्थिति में वह ठीक हो सकता है, लेकिन वह हमारा ध्येय नहीं हो सकता है। जो मेरा प्रस्ताव है उसका क्षेत्र काफी विस्तृत है और माननीय गुरु नारायण जी उसको सीमित करना चाहते हैं। सब कुछ का समावेश हो सकता है, लेकिन अंश में सब का समावेश नहीं हो सकता। जहां तक उनका अमेन्डमेंट है, वह चाहते हैं कि अंश में सब का समावेश हो। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि उनका अमेन्डमेन्ट उपयुक्त नहीं

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

है। आज कांग्रेस मानती है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था हो, लेकिन वह हमारा अन्तिम ध्येय और लक्ष्य नहीं हो सकता। वह एक तरीका है। जिस स्टेटमेन्ट का हवाला उन्होंने दिया है, वह साफ प्रगट करता है कि हम इस दौरान से इस वक्त गुजर रहे हैं। सब चीजें एक साथ नहीं लाई जा सकती हैं इसलिये मिश्रित एकोनामी मान रहे हैं। अगर हम इस अमेन्डमेन्ट को मान लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को कमजोर करते हैं।

जहां तक श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी के अमेन्डमेन्ट का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि वह भी इसी परेशानी में मुब्तिला हैं। उनके सामने भी वही अड़चन है, वह भी प्रस्ताव सीमित व संकुचित करना चाहते हैं। जितनी चीजों का उल्लेख उन्होंने किया है, वह सब इसमें आ सकती हैं। इसमें समय के अनुसार और चेन्जेज हो सकते हैं। जैसा कि अमेन्डमेन्ट में कहा गया है कि भूमि का पुनः बंटवारा किया जाय और ५० एकड़ से अधिक भूमि किसी परिवार के पास न रहे। लेकिन उन्होंने यह बात बरेली के लिये ठीक समझी होगी, पर बुन्देलखन्ड के लिये नहीं सोचा होगा कि वहां क्या हो ? अगर मेरठ के लिये ५० एकड़ काफी है तो बुन्देलखन्ड के लिये १६० एकड़ होना चाहिये जहां कि जमीन उपजाऊ नहीं है। इसी तरह से उन्होंने उद्योग धंधों, बिजली, शक्कर फैक्ट्री के लिये कहा है कि प्रथम राष्ट्रीय करण किया जाय, परन्तु बहुत सी चीजें उन्होंने छोड़ दी हैं। सरकार तो बहुत सी चीजों को लेने जा रही है। इस तरह से आप प्रस्ताव को सीमित क्यों करते हैं। हमारे मूल प्रस्ताव में सब का समावेश है। अभी हमारे एक नये सोशलिस्ट सदस्य माननीय प्रभुनारायण साहब ने बड़ी उम्दा स्पीच दी, मैं उनको बधाई देता हूं। उनमें नया जोश आ गया है। लेकिन अपनी चीजों को वह इतना उलट फेर कर गये हैं कि समझ में नहीं आता कि जो कह रहे हैं वह उसमें स्थिर है या नहीं। आज से पहले जब वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री नरेन्द्र देव जी के नेतृत्व में थे, तब तो वह कम्पेंसेशन के सिद्धांत को मानते थे, मगर आज वह उसे बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ऐसी हालत में मेरी तो राय है कि इस हाउस को अभी और ठहर जाना चाहिये क्योंकि आज की उनकी राय भी मुकम्मल नहीं मानी जा सकती। माननीय सभापति उपाध्याय जी का भी कुछ दृष्टिकोण और ही है। वह इस समय यहां मौजूद भी नहीं है। उन्होंने खासकर दो चीजें उठाई हैं। पहली कि समाजवादी प्रथा में इन्सेंटिव नहीं रह जाता है और दूसरी चीज कि समाजवादी व्यवस्था में जब किसी की कोई चीज नहीं है तो कोई परवाह नहीं करता। यह कुछ हद तक उन्होंने सही ही कहा है। उनकी मुखतलिफ राय रही है। इन्सेन्टिवस बहुत से हैं। कोई नेता है उसे आप ले लीजिये। वह पैसा, आराम और यहां तक कि अपनी फेमली तक की परवाह नहीं करता है राजनीति ही उसको इन्सेन्टिव देता है। हम नयी सोसाइटी और समाज की रचना कर रहे हैं। हमें नयी प्रेरणा से नये इन्सेन्टिव की रचना करनी पड़ेगी और वह हो भी रहा है। यह केवल भावना का परिवर्तन है। हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे और हमारी भावनायें गुलामी की चली आ रही हैं। लेकिन अब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है, इसलिये अब हम अपने बच्चों की शिक्षा को उसी नये दृष्टिकोण से दे रहे हैं।

डाक्टर साहब ने अपने भाषण में बहुत सी बातें बतलायी हैं परन्तु उन्होंने हर चीज का खंडन ही किया है मंडन नहीं किया। वह एक बहुत बड़े शिक्षक रहे हैं मुझे बहुत आशा थी कि वे इस खास प्रश्न पर हमारे सामने कुछ अच्छी-अच्छी बातें और सुझाव रखेंगे जिन पर हम चल सकें। लेकिन उन्होंने बजाय कुछ शिक्षा हम लोगों को देने के एक पोलिटिकल स्टन्ट के तौर पर भाषण दिया जो उनको शोभा नहीं देता। अन्त में अब मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रस्ताव बहुत ही उपयुक्त सामायिक, और सारगर्भित है इसलिये मुझे आशा है कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा। साथ ही मुझे यह भी आशा है कि जिन सदस्यों ने अपने-अपने संशोधन दिये हैं वह लोग उनको भी वापस ले लेंगे।

श्री चेयरमैन——पहला संशोधन कुंवर गुरु नारायण का है, उसको मैं पहले मत के लिये उपस्थित करता हूं :——

प्रश्न यह है कि संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "उसके समस्त स्वरूपों में" के स्थान पर शब्द "जिनके क्षेत्रों में सम्भव हो" रख दिये जायं ।

चौथी पंक्ति में शब्द "विनिमय और वितरण" के स्थान पर शब्द "उसकी सामर्थ्य से यथासम्भव बिना अन्तर डाले हुये और मिश्रित अर्थ व्यवस्था की शीघ्र स्थापना के लिये" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में शब्द "करे" के बाद का विराम हटा दिया जाय, और उसके पश्चात् निम्नलिखित वाक्य और बढ़ा दिया जाय :

"और इस हेतु भूमि का पुनः बंटवारा किया जाय और वह इस प्रकार कि पचास एकड़ से अधिक भूमि एक परिवार के पास न रहे । साथ ही बड़े-बड़े उद्योग धन्धे, बिजली, बड़े-बड़े उद्योग, जैसे शक्कर की फैक्टिरियों, कपड़े की मिलों और कागजादि बनाने की मिलों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री चेयरमैन—अब जो मूल संकल्प है, वह मैं रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि "इस परिषद् का यह मत है कि राज्य में जमींदारी-विनाश के पश्चात् पूंजीवाद का उसके समस्त स्वरूपों में अन्त किया जाना समाज की भलाई के लिये अत्यन्त आवश्यक है और सरकार से सिफारिश करती है कि वह उत्पादन, विनियम और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो दो बिल थे, उनमें से जौनसार भाबर वाला बिल कल ले लिया जायेगा । मुलेसेज वाला बिल फिर ले लिया जायेगा ।

श्री चेयरमैन—कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन की बैठक, ४ बजकर ५० मिनट पर दिनांक १८ जनवरी, सन् १९५६ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव, विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ जनवरी, सन् १९५६ ई०

नत्थी "क"

(देखिये प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ५० पर)

(देखिये प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पृष्ठ ५० पर)

सूची

	रु०	आ०	पा०
१—टिकट व इन्टेक टिकट बुक आदि जो भीगने से बेकार हो गये हैं, परन्तु सुरक्षित हैं ...	६१३	४	०
२—३ टायर ३२ × ६ ...	७९२	०	०
३—१ टायर ३ × ६ ...	५०	०	०
४—१ टायर यू/एस ८२५–२०	१०	०	०
५—२२ ट्यूब	२२०	०	०
६—३८ गैलन मोटर का तेल	१७३	४	०
७—३० १/४ गैलन गियर का तेल	१५८	०	०
८—३८ गैलन फ्लशिंग का तेल	१५२	११	०
९—१/२ गैलन फिनोलीन	१	२	०
१०—१९४ सीमेंट के बोरे	१,०४२	१२	०
११—१३ सीमेंट के खाली बोरे	२	०	०
१२—१ खाकी जीन की पैन्ट	४	९	०
१३—१२ तेल की कुप्पियां	९	१४	३
१४—१ इगनेशन पाइन्ट, आई० एच० फोर्ड ...	१	१४	६
१५—१ इगनेशन पाइन्ट, आर० एच० फोर्ड ...	२	१५	०
१६—२ बेल्ट जनरेटर बोर्ड	८	१	०
१७—८ खाली बोरे ४५ गैलन वाले	१२८	०	०
१८—१/४ वेगन कोयला	१६५	०	०
१९—लेखन सामग्री	२९६	१४	६
२०—बिजली की सामिग्री, तार बल्ब आदि ...	५२०	०	०
२१—मेज, कुर्सी आदि	१५०	०	०
२२—३ एच० पी० एयर कम्प्रेशर की रिवाइंडिंग मरम्मत ...	२००	०	०
कुल योग ...	४,७०२	५	३

पी० एस० यू० पी०—१७१ एल० सी०—१९५६—७९० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

१८ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५४)

अजय कुमार बसु, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
विश्वनाथ, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थेः—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, वन, विद्युत व सहकारी मन्त्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री)।
श्री गिरधारी लाल (आबकारी तथा रजिस्ट्रेशन मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश के बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन का पुर्नानिर्माण

*१—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में विधेयक कब पुरः स्थापित करने जा रही है ?

1—**Sri Kanhaiya Lal Gupta (Teachers' Constituency** (*absent*): Will the Government be pleased to state when they are going to introduce the Bill regarding reconstitution of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री)--बिल का प्रालेख शासन के विचाराधीन हैं। आशा है शीघ्र हीं सदन के समक्ष रखा जा सकेगा।

Sir Har Govind Singh (Minister for Education and Harijan Sahayak) : The draft Bill is under examination of the Government. It is expected to be placed before the House soon.

श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रालेख कितने दिनों से उसके विचराधीन है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--यह प्रालेख मेरा ख्याल है कि ७-८ महीने से सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह प्रालेख कभी स्टेंडिंग कमेटी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं, स्टेंडिंग कमेटी के विचारार्थ नही रखा गया हैं।

*२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)--क्या सरकार का विचार शिक्षा की स्थायी समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयक पर उसके राज्य विधान मण्डल के किसी सदन में पुरः स्थापित होने से पहिले विचार करने के लिये अवसर देने का है ?

2—**Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—Do the Government intend to give the members of the Standing Committee on Education a chance to discuss the proposed Bill before it is introduced in a Ho[use] of the State Legislature ?

श्री हर गोविन्द सिंह--शासन के लिये यह सम्भव न हो कि वह शिक्षा समिति के सदस्यों को राज्य विधान मण्डल में पुरः स्थापित करने के पूर्व अन्तिम रूप मे प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दे।

Sri Har Govind Singh—It may not be possible for the Government to give the members of the Standing Committee on Education a chance to discuss the draft Bill in its final shape before introduction in the Legislature.

प्रश्न संख्या १--५ श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गय।

३—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टर-मीडियेट एजुकेशन के वर्तमान सदस्यों के चुनाव कब होने वाले हैं ?

3—Sri Kanhaiya Lal Gupta (*absent*)—When the next elections of the members of present Board of High School and Intermediate Education is due to be held ?

श्री हर गोविन्द सिंह—इस सम्बन्ध मे अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Sri Har Govind Singh—No decision has so far been arrived at in the matter.

४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल की अवधि कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है और कितने-कितने समय के लिये ?

4—Sri Kanhaiya Lal Gupta (*absent*)—How many times has the life of the present Board been extended by Government and for how much duration ?

श्री हर गोविन्द सिंह—एक बार एक वर्ष के लिये ।

Sri Har Govind Singh—Once, for a period of one year.

५—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार का विचार इस कालावधि को और बढ़ाने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

5—Sri Kanhaiya Lal Gupta (*absent*)—(*a*) Do the Government intend giving it any more extensions ?

(*b*) If so, why ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Sri Har Govind Singh—(*a*) No such intention yet.

(*b*) The question dose not arise.

अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों को राजकीय सहायता

६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि इस समय राज्य सरकार द्वारा किन-किन अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह (श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री के सभा सचिव)—पिछले वर्ष में जिन अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों को सरकारी सहायता दी गई उनका विवरण † संलग्न तालिका मे दिया गया है ।

इस वर्ष सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है और आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है । जो संस्थायें उपयुक्त होंगी उनको वर्ष खत्म होने के पहले ही उचित सहायता दे दी जायगी ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो जांच-पड़ताल की जा रही है, उसके लिये कोई समिति नियुक्त की गयी है या विभाग स्वयं कर रहा है ?

---

† देखिये नत्थी "क" पृष्ठ १५१ पर ।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—जिला अधिकारियों से इनके बारे में सूचना मांगी गयी है और इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। इसके लिये कोई कमेटी नियुक्त नहीं हुई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष (सन् १९५५) में स्थापित किये गये अनाथालय और विधवा आश्रम

७—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन अनाथालय तथा विधवा आश्रम कहां-कहां इस वर्ष स्थापित किये गये हैं ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह—समाज कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष कोई भी अनाथालय या विधवा आश्रम नहीं स्थापित किया गया।

८-११—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—[स्थगित]।

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं के लिये सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

*१२—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल क्लासेज के लिये स्वीकृत सब पुस्तकें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उसकी ओर से छपाई जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार १९५४-५५ और १९५५-५६ में मुद्रित की गई प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक पुस्तक की एक सूची देने की कृपा करेगी जिसमें कि पुस्तकों के नाम, उनके लेखकों के नाम, उनका मूल्य और उनकी प्रतियों की संख्या दी हो ?

12—**Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*)—(*a*) Is it a fact that all the books prescribed for Primary and Junior High School classes in Uttar Pradesh are published by or on behalf of the Government of Uttar Pradesh ?

(*b*) If so, will the Government give classwise list of the names of the books, the names of the authors and the price of each book and the total number of each of the books published during the year 1954-55 and 1955-66 ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी नहीं, केवल प्राइमरी कक्षाओं की पुस्तकें और जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की कुछ पुस्तकें राजकीय प्रकाशन हैं। इनका प्रकाशन शासन की ओर से अधिकृत प्रकाशकों द्वारा किया जाता है।

(ख) शासन की ओर से प्राइमरी कक्षाओं के लिये प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूची† माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

Sri Har Govind Singh—(*a*) No. Only the books for Primary classes and some of the books of Junior High School classes are Government publications and these are published by authorised publishers and printers on behalf of the Government.

(*b*) The required list *in respect of the text-books published on behalf of the Government for Primary classes is placed on the table.

---

* प्रश्न-संख्या १२ श्री हृदय नारायण सिंह ने पूछा।

† देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ १५३ पर।

*See appendix 'A' On page 154

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुस्तकें विभाग द्वारा प्रकाशित करायी जाती हैं, वह विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखायी जाती हैं या बाहर के लोगों के द्वारा लिखायी जाती हैं और इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है या नहीं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—प्राइमरी स्कूलों के लिये जो पुस्तकें निर्धारित हैं वे विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखायी जाती हैं ।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या इसके लिये उन्हें कोई पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—हां, शायद दिया जाता है । मैं इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं कह सकता कि दिया जाता है या नहीं ।

१३—१६—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)—[स्थगित]।

हायर सेकेन्डरी स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजों की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारण के सम्बन्ध में नियम

*१७—**श्री कन्हैया लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार सदन की मेज पर उन नियमों की प्रतिलिपि रखने की कृपा करेगी कि जिनके द्वारा हायर सेकेन्डरी स्कूल और इन्टर-मीडियेट कालेजों में प्रत्येक कक्षा में अधिकाधिक विद्यार्थियों की संख्या नियत की गई है ?

(ख) क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि कुछ संस्थाओं द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार उन नियमों के पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

17—Sri Kanhaiya Lal Gupta—(*a*) Will the Government lay on the table a copy of rules fixing the maximum number of Scholars for each class in a Higher Secondary School or Intermediate College in Uttar Pradesh ?

(*b*) Have the Government received complaints that these rules are not being followed by some institutions ?

(*c*) If so, what steps does the Government intend to take to enforce their observance ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) सम्बन्धित उद्धरण की प्रतिलिपि † सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sri Har Govind Singh—(*a*) A copy of relevant extract † is laid on the member's table.

(*b*) No.

(*c*) The question does not arise.

---

* प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देते समय सदस्य ने सदन में प्रवेश किया ।

†देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ १५५ पर।

†See नत्थी 'ग' On page 155

हायर सेकेन्डरी स्कूल के किसी भी अध्यापक द्वारा प्रति सप्ताह नियमानुसार पढ़ाने के घंटों की अधिकाधिक संख्या

१८--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या सरकार उन नियमों की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनमें कि एक हायर सेकेन्डरी स्कूल के एक अध्यापक से एक सप्ताह में अधिकाधिक कितने घंटे पढ़ाने की आशा की जाती है ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन नियमों का पालन स्कूलों में नहीं होता है ?

(ग) सरकार ने उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो कि इन नियमों का पालन नहीं करती हैं ?

18—Sri Kanhaiya Lal Gupta—(a) Will the Government lay on the table a copy of rules prescribing the number of maximum periods a teacher is expected to teach in a week in a Higher Secondary School ?

(b) Are the Government aware that these rules are not being observed in the School ?

(c) If so, what action has the Government taken against the institutions which do not follow these rules ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) प्रतिलिपि* सदस्य महोदय को मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Har Govind Singh—(a) A *copy is laid on the member's table.

(b) No.

(c) The question does not arise.

१९--श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--[स्थगित]।

२०--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--[स्थगित]।

पिछले पांच वर्षों में सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या

आदि संख्या ७ तारीख २१-१२-५५

२१--श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के कितने विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये सरकारी खर्चे पर गये ?

श्री हर गोविन्द सिंह--कोई नहीं।

जिला फतेहपुर में उन गांवों की संख्या जहां पीने के पानी के कुयें नहीं हैं

३० २१-१२-५५

२२--श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में कितने गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के कुयें नहीं हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--फतेहपुर जिले में ऐसा केवल एक ही गांव है जिसका नाम गौरीओरा है, इस गांव में कुआं खुदवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ १५६ पर।

*See नत्थी "घ" On page 156.

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि चन्दन नक में भी कुंआ नहीं है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इसकी तो मुझे सूचना नहीं है। अगर ऐसे गांव और हैं तो माननीय सदस्य उनकी एक सूची दे दें।

जिला बोर्ड फतेहपुर के शिक्षा कार्यालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

२३--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, फतेहपुर के शिक्षा कार्यालय के विरुद्ध सरकार के पास भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं ?

आदि क्या ३१ ता० २१-१२-५५

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतें किस सम्बन्ध में थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) जी हां, कुछ गुमनाम शिकायतें आई थीं।

(ख) ये शिकायतें घूसखोरी के सम्बन्ध में थीं। इन पर जांच की गई और निराधार होने के कारण इन्हें पुंजित किया गया।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिव शंकर मास्टर की शिकायत डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के खिलाफ भ्रष्टाचार की आई थी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--नाम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास तो सब गुमनाम शिकायतें आई हैं ?

श्री पन्ना लाल गुप्त--सरकार ने बताया है कि गुमनाम की शिकायतें हैं तो क्या शिव शंकर के नाम की शिकायत डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के खिलाफ आई थी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--मेरे पास जो शिकायतें आई हैं वह सब गुमनाम हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्हीं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वहां शिक्षा विभाग का क्लर्क मुअत्तल किया गया ?

श्री चेयरमैन--मेरी राय में तो प्रश्न अनुचित है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग के सालाना इन्तजाम में, जिनमें कि भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, वह रजिस्टर विभाग से गायब कर दिया गया है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इतने विवरण के साथ तो मुझे पता नहीं है कि किस जिले से रजिस्टर गायब हो गया है या किस जिले में क्या हो गया। अगर आप लिख कर सवाल पूछें तो मैं बता सकता हूं। सप्लीमेंटरी प्रश्न का जवाब देना मुश्किल है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--सरकार ने जो इनक्वायरी कराई, वह किसके द्वारा कराई ?

श्री हर गोविन्द सिंह--अपने आफिसरों के द्वारा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह आफिसर किस ग्रेड के थे ?

श्री हर गोविन्द सिंह--शायद डिप्टी डाइरेक्टर रहे होंगे।

श्री पन्ना लाल गुप्त--अगर कोई शिकायत लिख करके दे दी जाय तो क्या सरकार दोबारा इनक्वायरी कराने के लिये तैयार है ?

श्री चेयरमैन--यह तो 'सजेशन फार ऐक्शन' है।

आदि संख्या ३२ ता० २१-१२-५५ २४--श्री पन्ना लाल गुप्त--(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड फतेहपुर के डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के खिलाफ वहां जाने के पूर्व किसी प्रकार की शिकायतों पर जांच हो रही थी ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) जी हां।

(ख) उनका परीक्षण-काल बढ़ाया गया और मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

मर्चेन्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, चितबड़ा गांव, बलिया के निष्कासित प्रधानाध्यापक, श्री श्याम बदन सिंह की पुनर्नियुक्ति

३३ २१-१२-५५ २५--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या यह सच है कि मर्चेन्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, चितबड़ा गांव, बलिया के निष्कासित प्रधानाध्यापक श्री श्याम बदन सिंह अपने पद पर पुनः नियुक्त हो गये हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी हां।

३४ २१-१२-५५ २६--श्री हृदय नारायण सिंह--क्या उन्हें अपना बकाया वेतन मिल गया है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं।

३५ २१-१२-५५ २७--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) यदि मिल गया है, तो कितना ?

(ख) यदि नहीं मिला है, तो क्यों ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) मामला मन्डलीय मध्यस्थ बोर्ड को निर्णय के लिये सौंप दिया गया था।

३६ २१-१२-५५ २८--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या उन्होंने इसके लिये इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास आवेदन-पत्र दिया था ?

(ख) यदि दिया था, तो इन्स्पेक्टर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) जी हां।

(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने उसे मंडलीय मध्यस्थ बोर्ड को निर्णय के हेतु भेज दिया।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि मध्यस्थ बोर्ड का निर्णय हो गया है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जिस समय यह उत्तर मेरे पास आया था उस वक्त तक यह नहीं हुआ था, मुमकिन है कि अब आ गया हो।

राज्य में उन हाई स्कूलों व इन्टरमीडियेट कालेजों के नाम जिनको गत तीन वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के कारण चेतावनी दी गई

३७ २१-१२-५५ २९--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के किन हाई स्कूल्स तथा इन्टरमीडियेट कालिजों को बोर्ड की परीक्षाओं में नकल होने के सम्बन्ध में चेतावनी दी जा चुकी है ?

(ख) उपर्युक्त स्कूलों व कालिजों को किन-किन तिथियों मे चेतावनी दी गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह——(क) तथा (ख) सूचना संलग्न तालिका* में प्रस्तुत है।

३०——**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**——(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों का परीक्षाओं के समय पर कितने अध्यापकों पर हाई स्कूल तथा इन्टर के परीक्षार्थियों द्वारा आक्रमण किये गये ?

आदि संख्या ३८ ता० २१-१२-५५

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन आक्रमणकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हर गोविन्द सिंह——(क) ७५।

(ख) बोर्ड ने आक्रमणकारी परीक्षार्थियों की उस वर्ष की परीक्षा को रद्द किया तथा आगामी परीक्षाओं से विभिन्न वर्षों के लिये वंचित कर दिया।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो ७५ अध्यापकों पर आक्रमण किया गया है, तो क्या उन आक्रमणकारियों को पुलिस के सुपुर्द किया गया ?

श्री हर गोविन्द सिंह——वह काग्नीजिबिल अफेन्स नहीं होता है, इसलिये उसको पुलिस के सुपुर्द नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद——क्या यह ठीक है कि जो वार्निंग दी गयी है उसमें तीन साल तक बरेली का कोई हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कालेज नहीं आता है।

श्री हर गोविन्द सिंह——अगर आपको सूचना नहीं है, तो नहीं आता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——क्या सरकार इस काग्नीजिबिल अफेन्स पर विचार कर रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह——इस पर विचार किया गया है लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——क्या माननीय मंत्री जी इन दिक्कतों पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह——यहां पर उन दिक्कतों पर प्रकाश डालना ठीक नहीं है। अगर माननीय सदस्य मेरे कमरे में आ जायें, तो उनको मालूम हो जायगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अगले वर्ष कोई आक्रमण न होने पाये, सरकार ने इसके लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री हर गोविन्द सिंह——कार्यवाही यह जरूर की गयी है कि होम डिपार्टमेन्ट इसमें दिलचस्पी ले रहा है और मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वे मुकद्दमे ३२३ के हैं, इसलिये वे काग्नीजिबिल अफेन्स नहीं हैं।

श्री हृदय नारायण सिंह——क्या माननीय मंत्री जी को गत वर्ष ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ जगहों पर पुलिस अधिकारियों को सूचना मिलने पर भी वे मौके पर नहीं पहुंचे, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ?

श्री हर गोविन्द सिंह——जिन स्थानों से पुलिस की सहायता मांगी गयी थी, वहां पर उनको सहायता दी गयी थी। हमारी नोटिस में कोई केस ऐसा नहीं आया है कि किसी जगह पर पुलिस की सहायता मांगने पर पुलिस न गयी हो।

---

*देखिये नत्थी 'ङ' पृष्ठ १५७ पर।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बरेली में इक्जामिनेशन के सुपरिन्टेडेंट ने माननीय मंत्री के पास एक मेमोरेन्डम भेजा था, जिसमें उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि पुलिस की सहायता मांगने पर भी पुलिस नहीं पहुंची।

श्री हर गोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिस समय नकल हो रही थी, उस समय पुलिस को इन्फार्म नहीं किया गया था।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि अब नकल करने का एक तरीका लाउड स्पीकर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? सरकार इसको रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, लाउड स्पीकर की अब मनाही कर दी गयी है और अब इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी पड़ती है।

श्री हृदय नारायण सिंह—क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को इस बात की ताकीद कर दी गयी है कि अगर कहीं पर इस प्रकार की सम्भावना हो, तो उसके प्रति कार्यवाही करें?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, उसके लिये तो ताकीद कर दी गयी है।

सन् १९५५-५६ ई० में बेसिक रीडरों को छापने वाले प्रेस व प्रकाशकों के नाम

३१—**श्री शिव प्रसाद सिन्हा** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार उन प्रेसों और प्रकाशकों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनको कि इस वर्ष का बेसिक रीडरों के छापने का वितरण किया गया है?

31. **Sri Shiv Prasad Sinha** (Graduates Consituency) : Will the Government be pleased to state the names of Presses and publishers to whom allotment of Printing of Basic Readers has been made for this year ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जिन मुद्रकों तथा प्रकाशकों को बेसिक रीडरों की छपाई का काम सन १९५५-५६ में दिया गया है उनकी *सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

Sri Har Govind Singh : A †list of printers and publishers to whom allotment for printing of Basic Readers has been made during 1955-56 is placed on the table of the honourable member.

श्री शिव प्रसाद सिन्हा—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि बेसिक रीडर्स प्रिन्टिंग के अलाटमेंट के बारे में गवर्नमेंट का कोई क्राइटेरिया या पालिसी है?

श्री हर गोविन्द सिंह—वह ब्लैक लिस्टर्स न हों और उन्होंने कोई ऐसा काम न किया हो, जो आपत्तिजनक हो।

श्री शिव प्रसाद सिन्हा—क्या गवर्नमेंट वह बतलायेगी कि जब इस तरह की बात है तो हो सकता है कि कुछ इनएक्सपीरियेन्स प्रेस वाले ब्लैक मार्केट करें?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, बहुत से ऐसा कर सकते हैं जो कि नीचे दर्जे के हों। लेकिन मैंने बतलाया है कि इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई प्रेस वाले ऐसा करते हैं, तो उनमें वे नहीं आ सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि ला जर्नल प्रेस को जो अलाटमेंट किया गया है, तो कितनी किताबें उन्होंने छापी हैं?

श्री हर गोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है कि सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया गया था, कुछ नई किताबें थीं और उसका जो मैन्युसक्रिप्ट था, वह एक ही था, इसलिये वह ४, ५ बड़े-

*देखिये नत्थी 'च' पृष्ठ १५९ पर।

†*See* Appendix "B" on page 161.

बड़े प्रेसों को जो यहां हैं, दिया गया और वह इसलिये कि किताबें जल्दी से छप जायें और जब पहले छाप लें, तो दूसरों को सैम्पुल दिया जा सके।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार ने इस बात का सन्तोष कर लिया है कि प्रेस वाले नोटिफिकेशन की सारी शर्तों को मानकर ही काम करते हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जरूरी है कि प्रकाशक खुद अपने यहां के प्रेस में छापें ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह जरूरी नहीं है, हमारी जो सैम्पुल की किताबें हैं, उनको वह चाहे खुद छापें या किसी दूसरे से छपवायें। प्रकाशक के लिये यह भी जरूरी नहीं है कि उनका खुद का प्रेस हो। प्रकाशक किसी दूसरी जगह से भी छपवा सकता है।

३२—**श्री शिव प्रसाद सिन्हा**—(क) क्या यह ठीक है कि बेसिक रीडरों के इन प्रकाशकों में से कुछ के पास निजी प्रेस नहीं है ? (आदि संख्या ४२ तारीख २१-१२-५५)

(ख) क्या यह भी ठीक है कि इनमें से कुछ प्रकाशकों को पाठ्य-पुस्तकों के छापने का पूर्व अनुभव नहीं है ?

32.—Sri Shiv Prasad Sinha (*a*): Is it a fact that some of these Publishers of Basic Readers have no presses of their own ?

(*b*) Is it also a fact that some of these publishers have no previous experience of publishing text-books ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां, किन्तु प्रकाशकों के पास अपना प्रेस होना आवश्यक नहीं है।

(ख) जी हां, परन्तु उनको दूसरी पुस्तकें छापने का अनुभव है।

Sri Har Govind Singh: (*a*) Yes, but it is not necessary for a publisher to own a press.

(*b*) Yes, but these publishers have experience of publishing other books.

जून, सन् १९४८ में एस० एम० इन्टर कालेज, चन्दौसी के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अध्यापकों द्वारा शिकायतें

३३—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह ठीक है कि जून सन् १९४८ में एस० एम० इन्टर कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों द्वारा इस संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र सरकार के पास आया था ? (४९ २१-१२-५५)

श्री हर गोविन्द सिंह—जी नहीं।

३४—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच कमेटी नियुक्त की गई थी ? (५० २१-१२-५५)

श्री हर गोविन्द सिंह—जी नहीं।

३५—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उपर्युक्त जांच कमेटी ने क्या सिफारिशें की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (५१ २१-१२-५५)

श्री हर गोविन्द सिंह—प्रश्न ही नहीं उठता।

आदि संख्या ५२ ता० २१-१२-५५

३६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या यह ठीक है कि एस० एम० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चन्दौसी के अध्यापकों द्वारा भी स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में इसी प्रकार की शिकायतें सरकार को १८ मई, सन् १९५० को प्राप्त हुई थीं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां।

५३ २१-१२-५५

३७—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—यदि हां, तो सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह — (१) श्री राम प्रसाद शर्मा, ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड चाहते थे, उनको ग्रेड दिया गया।

(२) श्री राम चन्द्र ने स्कूल छोड़ दिया था।

(३) श्री माधोराम चतुर्वेदी को प्राविडेंट फन्ड दिया गया।

(४) श्री राम राय केवल बी० एस-सी० थे और डिग्री कालेज में जाना चाहते थे, उनको स्कूल में ही रखा गया।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—जिन अध्यापकों को शिकायतें आई हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—चूंकि वह कालेज से सम्बन्धित है, इसलिये वे शिकायतें वाइस-चांसलर के पास भेज दी गई हैं।

५४ २१-१२-५५

३८—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ से अब तक एस० एम० हाई स्कूल, चन्दौसी के कितने अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आ चुके हैं, जिसमें प्रबन्ध के अनुचित व्यवहार की शिकायतें हैं ?

श्री हर गोविन्द सिंह—१३ अध्यापकों के।

३९—४१—श्री पन्ना लाल गुप्त—(स्थगित)।

४२—४४—श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)— (स्थगित)।

इन्टरमीडिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओं के कोर्स की अवधि में परिवर्तन

४५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं के कोर्स (Course) की अवधि को दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो कब से ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) तथा (ख) ऐसा कोई विचार नहीं है, परन्तु सेकेन्डरी शिक्षा कमीशन तथा भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित एक सुझाव जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की अवधि तीन वर्ष तथा डिग्री कोर्स तीन वर्ष रखने का सुझाव दिया गया है, शासन के विचाराधीन है।

४६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार बी० ए० की परीक्षाओं के लिये दो वर्ष से तीन वर्ष का कोर्स करने का भी विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो कब से ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) तथा (ख) प्रश्न ४५ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस सुझाव पर कोई समिति विचार कर रही है या माननीय मंत्री जी का विभाग विचार कर रहा है ?

श्री हर गोविंद सिंह--इसमें कोई समिति विचार नहीं कर रही है। इसके लिये जो बोर्ड है, तो इसी १४, १५ तारीख को उस बोर्ड के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुये कहा कि यदि गवर्नमेंट आफ इंडिया इसका कुल खर्चा बर्दाश्त करे, तभी हम इस स्कीम को रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिये इसको रखना असम्भव है। हमारे यहां ९०० हाई स्कूल्स हैं और उनमें एक दर्जा बढ़ाना है और जो यूनीवर्सिटीज हैं, उनमें भी एक दर्जा बढ़ाना होगा और हमारे जितने इन्टरमीडियेट क्लासेज हैं, उनमें एक दर्जा घटाना होगा, तो इस किस्म का सवाल जो है और हमारे यहां हाई स्कूल की जो ९०० या १,००० के क़रीब संख्या है, तो उसमें एक दर्जा बढ़ाना होगा और इसके लिये स्टाफ, इक्वीपमेंट और एकोमोडेशन की जरूरत होगी तथा इसमें क़रीब ३ करोड़ का रेकरिंग और नान-रेकरिंग खर्चा बढ़ेगा, तो जब गवर्नमेंट आफ इन्डिया इसके लिये पूर्ण रूप से सहायता देगी, तभी हम इस पर विचार कर सकते हैं, वरना हमारे लिये यह असम्भव है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षा का अपना प्लान बनाया है उसमें इस स्कीम को कोई स्थान दिया गया है या नहीं।

श्री हर गोविन्द सिंह--जी नहीं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डाल सकेंगे कि यह ख्याल किया जा रहा है कि इस स्कीम के लागू होने में हजारों आदमी आउट आफ इम्प्लायमेंट हो जायेंगे। क्या यह ठीक है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इस पर तो विचार ही नहीं किया।

श्री हृदय नारायण सिंह--जुलाई सन् ५६ से क्या इस स्कीम के लागू होने की संभावना नहीं है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--मैं जितना स्पष्ट उत्तर दे सकता था, दे दिया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--केन्द्रीय सरकार अगर रुपया दे दे, तो क्या यह ठीक नहीं है कि यू० पी० सरकार दूसरे पहलुओं पर विचार करे। चूंकि सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन ने यह स्कीम रखी है और जहां तक मेरा ख्याल है यू० पी० की यूनिवर्सिटीज को छोड़कर सब यूनिवर्सिटीज और बोर्ड तैयार हैं ?

श्री हर गोविंद सिंह--रुपया जब आ जाय या वे वायदा कर लें उसके बाद क्या स्थिति होगी उस पर कोई विचार किया नहीं गया है।

श्री शांति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया देने का वायदा करे, तो क्या यह स्कीम सन् ५६ से लागू नहीं की जा सकती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--ये सब ऐसे सवाल हैं कि मैं क्या जवाब दूं।

यू० पी० नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए एक सदस्य का निर्वाचन

श्री परमात्मानन्द सिंह--Sir, I move that the U. P. Legislative Council do elect on such date and in such manner as the Chairman may direct one member to serve on the U. P. Nurses and Midwives Council.

श्री चेयरमैन--The question is that the U. P. Legislative Council do elect on such date and in such manner as the Chairman may direct one member to serve on tue U. P. Nurses and Midwives' Council.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री चेयरमैन--१९ तारीख को १२ बजे तक इसके लिये नामिनेशन्स आ जाने चाहिये।

सन् १९५५ ई० का जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त, बन, विद्युत व सहकारी मंत्री)--Sir, I move that the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Bill, 1955, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be taken into consideration.

जनाब वाला, यह तो मेम्बरान को मालूम है कि इस स्टेट में जमींदारी एबालिशन का एक क़ानून पास हुआ और उस क़ानून में सिर्फ जमींदारी ही ऐबालिशन नहीं की गयी, बल्कि जमींदारी के मंसूख होने के बाद जो रेन्टल टेन्योर वहां हो गया और उसके मुतल्लिक दूसरी बातें हो गईं, वह भी उस क़ानून के अन्दर रख कर जारी की गई थीं। वह जमींदारी ऐबालिशन जो उसके जरिये से हुआ, वह दो एक जगह लागू नहीं किया गया, पूरी स्टेट में नहीं हुआ और उनमें से एक जगह जौनसार-बावर परगना है, जो कहीं देहरादून की तरफ है।

यह एक सवाल हो सकता है कि उस वक्त इस परगने को, जमींदारी एबालिशन में क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं उस वक्त वहां की जमींदारी भी मंसूख कर दी गई। तो उसकी वजह यह थी कि हालात, वहां की जमींदारी और वहां की काश्तकारी के, बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ थे। वह हालात, जो पहाड़ों या प्लेन्स में है, उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ थे और बिल्कुल इस क़िस्म का ला जो यहां बनाया गया था, वहां के लिये काम नहीं दे सकता था, इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इस टुकड़े को रोक लिया जाय और इसके हालात के मुताबिक नया क़ानून बना कर वहां की जमींदारी को मंसूख किया जाय। मैं आज इस वक्त इस प्रस्ताव के सिलसिले में इस ऐवान के सामने जो अर्ज करूंगा, वह दो बातों के मुताल्लिक होगा। एक तो यह बात कि मैंने कहा कि हालात मुख्तलिफ थे, मैं कुछ बातें दिखलाऊंगा कि वह क्या मुख्तलिफ हालात थीं और उसके बाद मेम्बर साहबान को यह पूरी तौर पर मालूम हो जायगा कि वाक़ई इस जगह के वास्ते कुछ बदले हुये क़ानून की जरूरत थी या नहीं और यह बात कहां तक ठीक थी कि उसको उस वक्त जमींदारी एबालिशन में शामिल नहीं किया गया।

दूसरी बात यह है कि यह जो बिल है, जिसको मैंने लेजिस्लेशन के लिये सदन के सामने .... है, उसमें क्या है? तो पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां के हालात क्या हैं और वह कैसी जगह है, जिसके मुताल्लिक यह क़ानून बन रहा है। यहां पर मुमकिन है कि जो पहाड़ के आदमी हों, वह अच्छी तरह से समझते हों, लेकिन मैंने तो किताबों में लिखा हुआ एक लफ्ज देखा है, उसको मैंने कभी सुना भी नहीं। तो पहाड़ों पर रहने वाले साहबान मुमकिन है, उसको सही तौर पर प्रोनाउन्स करें, बहरहाल वह लफ्ज है "खड", वह एक यूनिट का नाम है उसका कोई फिक्सड एरिया नहीं है। वह एक टुकड़ा है, जो 'खड' कहलाता है। यह जो परगना है, जौनसार-बावर, इसमें खड ३९ हैं और ३५७ गांव हैं। खड तो ऐसे हैं कि उनकी बाउन्ड्रीज डिफाइंड हैं, मोतयन हैं और कोई भी समझ सकता है कि फलां, फलां बाउन्ड्री है, लेकिन वहां के हैं, उनकी बाउन्ड्रीज डिफाइन्ड नहीं है। मगर कुछ लोग वैसे ही अपनी आंखों से समझते हैं कि इस गांव का रक़बा इस जगह से है, लेकिन as far as papers and other records are concerned, the villages are not defined मैंने अर्ज किया कि ३५७ गांव हैं और ३९ खड हैं। एक बात यह भी अर्ज करदूं कि वहां पर बन्दोबस्त हुआ था सन् १८७३ ई० में, पिछली सदी के अन्दर उस वक्त से इस वक्त के हालात में जितना फर्क़ हो सकता है, वह खुद एक आदमी अपने दिमाग़ से सोच सकता है। एक वहां पर खड है, उसका नाम है "हरिपुर व्यास"। उसकी निस्बत यह ख्याल किया जा सकता है कि वहां की कन्डीशन

*मंत्री ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

प्लेन्स की कंडीशन्स से कुछ न कुछ मिलती जुलती है, लेकिन बाक़ी जो और खंड हैं, उनकी हालत प्लेन्स से बिल्कुल जुदागाना है। तो यह जो हरिपुर ब्यास है, वहां पर लैंड टेन्योर भी किस हद तक इस किस्म का है, जिस क़िस्म का हमारे यहां ज़मींदारी एबालिशन से पहले था। उसमें कोई ६ गांव हैं और गवर्नमेन्ट इस्टेट जितनी उसमें हैं, उसको छोड़ कर बाक़ी वह सब के सब खंड जो हैं, वह ज़मींदारों के हैं। उसमें ६ तो बड़े ज़मींदार हैं और कुछ छोटे हैं। रेवेन्यू वहां का कुल दो सौ रुपया है और रेकार्डेड रेंट जो सन् ३९ का है, वह ३०९२ रु० सालाना है। [illegible] दखल और बनाते हैं। सन् १९४० में उनको बेदखली से कुछ वक्त तक के लिए महफूज़ करने के लिए एक रेगुलेशन पास किया गया था, जिससे उनको कुछ हिफाजत इस बात की दी गई कि वह वैसे ही बेदखल जल्द न हो सकें। फिर सन् १९५२ में एक ऐक्ट बना, "जौनसार-बावर सिक्योरिटी आफ टेन्योर ऐन्ड लैन्ड रिकार्ड्स ऐक्ट", जो उनको बेदखल होने से बचाता था जैसे कि पहले हो जाया करते थे। तो यह एक खंड ऐसा था जहां कहीं खतौनी का कागज है और कहीं नहीं है। बाकी ३८ ज़मीन्दार हैं और वहां पर एक कागज़ है "दस्तूरुलअमल" उसमें काश्तकार लिखा हुआ है, वह २ तरीक़े के हैं एक—मौरूसी, मौरूसी वह हैं जो ब्राह्मण और हाई कास्ट के हैं और दूसरे गैर मौरूसी। मौरूसी अपनी काश्त को ट्रान्सफर कर सकते हैं और गैरमौरूसी को कोई हक़ नहीं है। तीसरे और हैं उनको खिदमती कहते हैं। बजाय लगान के, उनसे बेगार ली जाती है, मैं सही कहता हूं या नहीं, बहरहाल उनसे खिदमत ली जाती है। लैन्ड रेवेन्यू लेने का एक तरीक़ा है हमारे यहां, अगर हमारे पास एक ज़मीन है और सरकार ने उस पर लैन्ड रेवेन्यू असेस किया तो वह खंड का होता है, जैसा हमारे यहां होता है वैसा वहां नहीं किया गया है। इसमें यह बात नहीं है अगर उसमें २५ ज़मीन्दार हैं, तो उसमें हर एक की निस्बत यह मुक़र्रर हो कि इतना लैन्ड रेवेन्यू "ए" का है और इतना "बी" का है और इतना "सी" का है, यह बात नहीं है, बल्कि अल्फाज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि सही है कि या नहीं, वहां सियाना कोई शख्स होता है, मैं ठीक तो नहीं समझता हूं, लेकिन हमारे यहां सियाने को चालाक आदमी कहते हैं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—सियाना "हेड मैन" को कहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह सियाना, जो और ज़मींदार है, उनसे लगान वह वसूल करता है, गालिबन ऐसी हालत हैं, वहां सब आदमियों से इस तरह से अलग अलग वह सियाना वसूल करता था। यह एक उसूल वहां लैन्ड रेवेन्यू के असेस का था। एक बात और है। आपके यहां असेस इस बात पर किया जाता है कि रेन्टल वैल्यू क्या है और अगर काइन्ड में होता था, तो उसको भी इन टर्म्स आफ मनी in terms of money करके असेसमेन्ट कर दिया जाता था। लेकिन वहां यह नहीं है। लगान का सिर्फ ज़मीन से ही ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वहां जो मवेशी वगैरह होते हैं, this fact is also taken into consideration कि इतने खेत हैं और इतने बैल हैं या जो और जानवर खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं, वह कितने हैं, यह भी उसमें शामिल होता है और शायद शामिल इसलिए होता है कि वहां जो गवर्नमेन्ट फारेस्ट्स हैं, उनको उसमें हक़ है अपने लिए कुछ लेने का और इसके अलावा उसमें अपने जानवर भी वह चरा सकते होंगे। उस सब के हिसाब से वहां लोगों की लैन्ड रेवेन्यू फिक्स की जाती है। इस तरह का कुछ सिस्टम वहां का है। मैं उसके मुताल्लिक पूरी तरह वाक़फियत नहीं रखता। पहले तो वहां के लोगों को कोई शिकायत नहीं होती थी, लेकिन रिसेन्ट टाइम्स में लोगों को इसके मुताल्लिक़ कुछ शिकायतें होने लगीं, तब हमारे यहां सन् ४९ का रेगुलेशन जारी किया गया और उसके ज़रिये से उनकी कुछ पावर्स को करटेल किया गया। फिर सन् ५२ में सिक्योरिटी आफ टेन्योर ऐन्ड लैन्ड रेकार्ड्स ऐक्ट बनाया गया। वहां के जो ज़मींदार हैं, उनकी भी यहां जैसी दो हालतें हैं। एक तो ज़मीन को काट कर के काश्त करते हैं औ दूसरे ज़मींदार अपनी ज़मीन को दूसरों से काश्त कराते हैं। यह लोग जो हैं, जिनकी ज़मीन अपनी है, खुदकाश्त हैं, वह कुल ज़मीन मिलाकर ३४,७३७ एकड़ है, इसके अलावा रेन्ट पेइंग का जो रक़बा है, वह ३,५६२ एकड़ है और सर्विस टेन्योर जो है, वह ज़मीन ३,५६२ एकड़ है। तो इस तरह से ३९,६१३ एकड़ कुल रक़बा है। फिर आप

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

देखे कि हमारे यहां जिस तरह से काग़ज़ात मुरत्तब होते है, वह तरीक़ा वहां नहीं है। इस वक्त उसका ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आगे अगर लोग जानना चाहते होंगे, तो मैं बता दूंगा। बस इतना मैं कहता हूं कि वहां कोई नेट रेगुलेटेड तरीक़ा काग़ज़ात बनाने का नहीं था और जो भी था वह रिलाएबुल नहीं था कि उनके जरिये से अगर कोई सही इन्फारमेशन लेना चाहे, तो वह नहीं मिल सकतो था, क्योंकि उनका मेथड आफ प्रिपरेशन काग़ज़ात का जो था या जो उसके प्रिपेयर करने वाले थे, उन पर रिलाएन्स नहीं किया जा सकता था। फिर बन्दोबस्त करने से जो बातें एक मोक़े के ऊपर किसी एरिया में हो जाती है, हमारे यहां जैसा कि हमने देखा है, उस वक्त वहां पर उस क़िस्म के नतीजे मुरत्तब नहीं होते। वहां पर किसी ने कभी इंप्रूवमेंट करने के लिये कोई ऐसा स्टेप भी नहीं लिया है, जो यहां पर होता रहा है।

अभी वहां पर जमींदारी है। अब जमींदारी को अगर मंसूख करना है, तो यह सवाल उठता है कि आया जैसा हाल वहां का है, वैसा ही छोड़ दिया जाये, या जमींदारी मंसूख किया जाये। अगर मंसूख करना है तो २, ४ सेक्शन रखकर उस जमींदारी को मंसूख कर दिया जाये या वहां के काश्तकारों को वही हक़ दिये जायें जो यहां पर हैं, जिससे कि उनको अपनी जमीन के साथ लगाव हो। तो यह बात गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझी कि उनको वैसी ही हलात में छोड़ दिया जाये, जिस हालत में वह है। गवर्नमेंट ने उस वक्त उस जमींदारी के एबालिशन के लिये क़ानून नहीं रक्खा और अब उसको लाई हैं।

अब पहली कड़ी इस सिलसिले में है जो इस क़ानून के बनने के बाद चलेगी, तो अगर आप उसको देखें, तो उसमें एक सेक्शन ३ है, उसमें यह है कि पहले सेटिलमेंट होगा। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन छपेगा कि उस एरिया के अन्दर बन्दोबस्त होगा, इसको तो सब समझते ही हैं। जब यह बन्दोबस्त खत्म हो जायेगा, तब फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटि-फिकेशन छपेगा कि अब बन्दोबस्त खत्म हो गया है। इस बन्दोबस्त के होने के बाद उस क़िस्म के हालात मुरत्तब हो जायेंगे, रिकार्ड्स मिल जायेंगे, जिस क़िस्म के कि होने चाहियें और वह फुल नोट्स मिल जायेंगे। तब जमींदारी एबालिशन की बात होगी। पहला काम जो होने वाला है, वह यह है कि वहां बन्दोबस्त हो। जब वह खत्म हो जायेगा, तब यह होगा कि अब जमींदारी एबालिशन किया जायेगा। इस बिल में जैसा कि मैंने आपके सामने रक्खा है उसको अगर आप पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि यह सेलेक्ट कमेटी में भी गया था और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लेकर यह नीचे के हाउस में (असेम्बली में) पास किया गया। उसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया, पहला हिस्सा छोड़कर यह बतलाता है कि जो बन्दोबस्त के मुताल्लिक़ होना चाहिये, जैसे कि अपाइंटमेंट वगैरह जो कि इसके मुताल्लिक़ होने चाहियें, उनके मुताल्लिक़ दफ़ात इस चैप्टर में दिये हुये हैं। उसमें सब बातें है, पढ़ने से मालूम हो जायेगा। अब चैप्टर ३ जो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि रिक्वीजीशन के बारे में क्या है? उसकी बाबत जैसा मैंने अर्ज़ किया था बन्दोबस्त के खत्म होने के बाद फिर जमींदारी एबालिशन के बारे में काम शुरू होगा। इसको करने के बाद इंटरमीडियरी के पास नोटिस भेजा जायेगा। इन्टरमीडियरी के पास नोटिस पहुंचने के बाद जो नतीजे निकलेंगे, वह यह है कि उसका हक बाकी नहीं रहा और यह सब इसके चैप्टर ३ के अन्दर दिया हुआ है। जमींदारी मन्सूख हो गया, तो जमींदारी में एक जाहिर बात है कि उसको निकाल कर हम उनको मुआविजा भी देना चाहते हैं। मुआविजा का यह मामला है कि जिनकी जमींदारी खत्म की जायेगी, उनको मुआविजा दिया जाय। इस मुआविजे को देने के लिये यह कहा गया है कि लगान जितना किसी का वसूल होता होगा, उस लगान का १६ गुना मुआविजा उसको मिलेगा। इस-का पेमेन्ट जो होगा, वह इन्स्टालमेंट में भी होगा और लम्पसम में भी होगा। यह सब मुआविजा के बारे में दिया हुआ है। वहां पर सेटलमेंट हो चुका है और जमींदारी को मन्सूख करना है। इसमें एक बात और है, और वह यह है कि हमारे यहां के जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में तो यह है कि तमाम लैंड, जिसमें जमींदारियां थीं, वह बिना इस लिहाज के कि जमींदार की खुदकाश्त है, वह सब जमींदारियां सरकार में वेस्ट हो गयी है। लेकिन इस बिल के अन्दर

सिर्फ यह है कि मसलन, मैं एक जमींदार हूं और मेरी जमीन को एक काश्तकार जोतता है, तो उस जमीन में जो मेरा इन्टरेस्ट एज-ए जमींदार था, वह सरकार में वेस्ट हो जायगा। मगर जो जमीन मैं खुद जोतता हूं, वह सरकार में वेस्ट नहीं होगी। That is confined only to the exclusion of the intermediary from the two इस तरह से जो जमींदार और काश्तकार के बीच में खास चीज है, वह निकल जायेगी। इस कानून से वह इन्टरमीडियरी इस तरह से निकाला गया है। अब जमींदारी मन्सूख होने के बाद जो जमीन है, वह तीन किस्म की है। कुछ तो गवर्नमेंट फारेस्ट हैं, कुछ जमीन जमींदारों की है और उस पर वे काश्त करते हैं और कुछ पर दूसरे काश्त करते हैं, कुछ जमीन ऐसी भी है, जो ग्रेजिंग में आती है। इनका इन्तजाम क्या होगा ? जो इस तरीके से निकलेगी जिसमें कोई पार्टिक्युलर काश्त नहीं हो रही होगी, तो उसके लिये भी वही इन्तजाम होगा, जैसा कि इस तरह की जमीन के लिये हमारे यहां के जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में प्राविजन किया गया है। वह इस बिल के चैप्टर ४ में दिया हुआ है। इसमें वह दफायें हैं, जो इस काम के लिये जरूरी हैं और वे सब इसके अन्दर रखी गयी हैं।

इसके बाद चैप्टर ५ है। इसमें एक नेचुरल सवाल उठता है, जैसा कि हमारे यहां उठा कि जो काश्त करने वालों की जमीन होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी ? क्या उनका किया जायेगा और क्या उनके राइट्स होंगे ? यह सब चैप्टर ५ में है। इसमें लिखा है लैंड टेन्योर और लैंड रेवेन्यू। लैंड टेन्योर क्या होगा ? इसमें लिखा है कि एक भूमिधर होगा, एक सीरदार होगा और एक असामी होगा। वह तरीका इसके अन्दर सेक्शन ३० में दिया हुआ है। भूमिधर क्या है, सीरदार क्या है और असामी क्या है, इसके लिये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इन लफ्जों के माने यहां पर बयान करूं। क्योंकि ये इतने आम हो गये है कि लोगों के दिमागों के अन्दर इनके माने आ चुके हैं और इनको ज्यादा तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं है। यह लैंड टैन्योर तो खत्म हो जायेगा, उसके बाद कुछ माकूल बातें हो सकती है, जैसे कि इसमें कम्पेनसेशन होगा, उसके लिये स्टाफ भी चाहिये, कम्पेनसेशन कमिश्नर भी होगा और दूसरे आफिसर भी होंगे, यह सब चीजें इस किस्म की उस चैप्टर में दी हुई हैं। आगे इसमें रूल बनाने की बाबत भी दिया हुआ है कि सरकार किन-किन बातों की बाबत रूल बना सकती है। इसलिये यह बिल जो है, वह एक ऐसे एरिया के मुताल्लिक है, जिसमें जमीन्दारा अभी तक था और जिसमें चन्द दिक्कतों की वजह से अभी तक जमीन्दारा मन्सूख न हो सका, अब उसको मन्सूख किया जा रहा है और वह सभी बातें की जा रही हैं, जो कि इसमें दी हुई हैं।

एक बात और है। कुछ बातें इसमें ऐसी हैं, जिनको कि छोड़ दिया गया है, इस तरीके से होने पर जिस तरीके से कि जमीन्दारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म ऐक्ट में था, तो इन दफात का इसके अन्दर हवाला दिया हुआ है कि फलां बातें ऐसी होंगी, जैसा कि इस कानून के अन्दर लिखा हुआ है यह सभी बातें उसमें हैं और मेम्बरान ने उसको पढ़कर मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से समझा होगा। इसलिये अब मुझे ज्यादा अर्ज करना जरूरी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको विचार करके मंजूर फरमायेगा। बिल इस काबिल है कि इसको पास किया जायगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जौनसार बावर जमीन्दारी विनाश और लैंड रिफार्म बिल, जोकि माननीय मंत्री जी ने अभी इस भवन के सम्मुख रखा है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जब हम अपने प्रदेश में जमीन्दारी विनाश का कानून बना चुके हैं और कोई हिस्सा आइसोलेटेड तरीके से पड़ा रहे और उसमें यह कानून लागू न किया जाय, तो यह अनुचित सी बात है।

(इस समय ११ बज कर ५५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, वह तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपनी जगह पर यह समझता हूं कि गवर्नमेंट बजाय इसके कि एक इस छोटे से एरिया के सम्बन्ध में कानून बनाने की कोशिश में अपना वक्त जाया करे, ज्यादा अच्छा तो यह होता कि वह पहले इस एरिया को, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव एरिया है और बहुत ही अशिक्षित लोग जहां पर हैं, जहां के रिवाज अजीब अजीब तरीके से हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करती। आज वहां की हालत क्या है? बहुत थोड़े मे लोग जो वहां पर हैं, उनका मारेल बहुत गिरा हुआ है, वहां पर एजुकेशन बहुत ही कम है, बल्कि शिक्षा वहां पर नाम मात्र की है और शायद पिछले दो-तीन वर्षों से वहां पर कोई एक ग्रेजुएट हुआ हो। वहां की जो सोसाइटी है, वहां के जो कस्टम्स है, वह बहुत ही दूषित हे। अगर एक भाई वहां पर शादी करता है और वह पांच भाई है, तो वह पांचों भाइयों की स्त्री होती है। इसके बाद वहां की बर्थ रेट दिन प्रति दिन गिरती चली जाती है और स्वाभाविक भी है कि जहां का मारेल गिरा हुआ होगा, जहां का समाज इतना दूषित हो गया हो, वहां इस प्रकार की बातें होगी और ऐसी हालत मे वहां की एकोनामिक हालत का गिरना भी स्वाभाविक है। इसके लिये तो पहले वहां की दशा को सुधारना, उनकी एकोनामिक हालत को इम्प्रूव करना, एजुकेशन का अच्छा प्रबन्ध करना और छोटी छोटी काटेज इन्डस्ट्री इत्यादि का वहां पर प्रबन्ध करना, बहुत आवश्यक है।

सब से पहले हमें वहां की सभ्यता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं तो वहां के लिये यह भी कहने को तैयार हूं कि वहां पर किसी प्रकार की जमींदारी नहीं है और वहां पर मैं किसी को जमींदार मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एक तो वहां पर पीजेन्ट प्रोप्राइटर है, जिनके पास १·१ एकड़ जमीन है और दूसरे काश्तकार हैं, जिनके पास १·६ एकड़ जमीन है। यह लोग जमीन का लगान एक रुपया ८ आने ५ पा० प्रति एकड़ देते हैं। हमारे सामने अब एक बात यह भी है कि सरकार यह चाहती है कि वहां पर भी जमींदारी एबालिशन की व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाय, तो इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है। मैं तो समझता हूं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आजकल मे देखता हूं कि जमींदारी अबालिशन का स्लोगन एक बहुत ही पापुलर स्लोगन हो गया है, और यह समझा जाता है कि ऐसा करने से हम किसी एरिया को काफी फायदा पहुंचा सकते है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इससे किसी एरिया को कोई फायदा हो या न हो, लेकिन तमाम सूबे के अन्दर एक प्रकार की लहर पैदा हो जाती है कि सरकार उस जगह की जमींदारी खत्म कर रही है। जमींदारी खात्मा का खास उद्देश्य यह है कि जो जमीन जोतता है, वही जमीन का मालिक हो। यहां पर लोग ऐबसेन्टी लैन्ड लार्डिज्म के बहुत से आर्गूमेन्ट्स देते है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। वहां पर बहुत थोड़े से ऐसे आदमी है, जिनके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन है। वह लोग खुद ही जमीन को जोतते है और किसी दूसरे के पास उनकी जमीन नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पर ऐबसेन्टी लैन्ड लार्डिज्म का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

सब से जरूरी बात जो मैं वहां के लिए समझता हूं, वह यह है कि वहां की सभ्यता को सुधारा जाय। मैं समझता हूं कि वहां पर इस प्रकार के लेजिस्लेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और न इसका वहां पर कोई अच्छा नतीजा ही होगा। इस कानून से वहां पर कोई खास फायदा भी नहीं होगा। मैं तो समझता हूं अभी वहां पर इस प्रकार से एबालिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी हमारे यहां की होल्डिंग्ज हैं, उनका १/४ और १/५ हिस्सा भी तो वहां के लोगों के पास नहीं है। इसलिये इस प्रकार के कानून की कोई जरूरत नहीं है। इस अवसर पर मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उसने वहां पर कितने अस्पताल खोले हैं, कितने इंस्टीटयूशन्स वहां खोले है, वहां पढ़ाई का क्या प्रबन्ध किया है और क्या वहां पर मेडिकल के सलिटीज हैं, जो कि एक सिविलाइज्ड नेशन की गवर्नमेंट के लिये जरूरी है,

तो जो हमारी आवश्यकतायें हैं, उसके सम्बन्ध में वहां गवर्नमेंट ने क्या किया है, वह हमें मालूम होना चाहिये। दो–चार वर्ष पहले वहां क्या बातें थी और २–४ वर्ष के बाद, अब वहां क्या फर्क हुआ है, यह हमें बतला दिया जाये और यह भी हमें मालूम होना चाहिये कि वहां की सोसाइटी में क्या अन्तर हो गया है, जिससे हमे इस बात से सन्तोष हो जाये कि हमारी गवर्नमेंट इस तरफ [illegible] है। आज आवश्यकता तो यह है कि वहां पर छोटी–छोटी काटेज इन्डस्ट्रीज [illegible] कान्सेसन्स पैदा करे, न कि इस प्रकार के विधेयकों को इस भवन में लाकर अपना और भवन का समय नष्ट करे और फिजूल की बातें करे। यह चीज तो गवर्नमेंट ५–१० वर्ष के बाद भी कर सकती है।

मैंने पहले भी कहा था कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है कि वहां जमींदारी एबालिशन हो, लेकिन वहां किसी प्रकार की जमींदारी है, यह मैं नहीं मानता हूं। लेकिन इस विधेयक को पास करने से पहले, मैं यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां कुछ ऐसी चीजें करें, जिससे कि वहां सिविलाइजेशन हो और इसके लिये उन्हें वहां दूसरे काम करने चाहियें। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो मुझे कहना था वह यही था कि इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि वहां के लोग आसामी, भूमिधर और सीरदार को समझेंगे ही नहीं। मैं आपसे क्या बतलाऊं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्लेन्स में, यहां के लिये जितना कम्प्लिकेटेड कानून बनाया गया है, तो किसानों की क्या हस्ती है कि वे उसे समझें, जमींदारों की भी उसे समझने की हस्ती नहीं है। मेरे पास अक्सर छोटे–छोटे काश्तकार आते रहते हैं और मुझसे उसके बारे में पूछते हैं, तो कह देता हूं कि मैं उसे भूल गया और तुम किसी वकील के पास इसके लिये जाओ। वह वकील के पास जाता है, लेकिन वकील भी उसमें बिल्कुल जीरो है। फिर उनको बतलाया जाता है कि वह लैन्ड रिफार्म के दफ्तर में चले जायें, वहां उनको उस बात का पता चल जायेगा। यह तो आपके कानून की हालत है, और उस पर तुर्रा यह कि एक कानून बनाया जाय और उस पर हर साल अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट आयें, चाहे वह कानून कन्सालिडेशन का हो या जमींदारी एबालिशन का हो, लेकिन तीन–चार अमेंडमेंट साल भर में जरूर आयेंगे। माल मंत्री के पास तो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और अब दूसरा डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट का हो गया है, इसलिये वे साल भर में तीन–चार अमेंडमेंट्स जरूर ले आते हैं। मेरा कहना है कि ऐसा कानून, जिसको कि यहां के लोग नहीं समझ पाते हैं और आप उस एरिया में इसे अप्लाई करने जा रहे हैं, जहां कि लोग इसे बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, तो इससे क्या फायदा है और वहां के लोग इस पर क्या अमल करेंगे।

एक चीज इसमें जरूर की गई है और वह यह कि लोअर हाउस में जब इसके रेन्ट की बात थी, तो १ रुपया ८ आना ५ पाई पहले था, उसमें अब ९ आने कम करेंगे। यही थोड़ा सा रिलीफ है। गवर्नमेंट को ऐसे कानून को पास करने के बजाय, ऐसे काम करने चाहियें, जिससे वहां के बैकवर्ड एरिया में कुछ रिफार्म हो सके और वहां अपने को लोग सुधार सकें, उनकी शिक्षा और एकोनामिक हालत दुरुस्त हो सके। मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में इतना ही कहना था।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय सदर साहब, जो विधेयक इस सदन के सामने पेश है, उसके सम्बन्ध में माननीय गुरु नारायण जी की जो स्पीचेज हुई, उससे ऐसा लगता है कि जो जमींदारी व्यवस्था के प्रति उनका सदियों का मोह है, उसके समाप्त हो जाने के बाद भी नहीं छूटा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था लेकिन इसके आने में देर हुई है। इस मौके पर चंद धाराओं के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उसके सम्बन्ध में इसलिये भी दिलाना चाहता हूं कि जो पिछला तजर्बा है, उन तजुर्बों का ध्यान इस

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

बिल के पास करने के मौक़े पर रखना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि उन पर थोड़ा बहुत विचार किया जाता तो उन तजुर्बों के आधार पर कुछ सुधार किया जा सकता है।

पहली बात तो मुझे यह कहनी है और मैं उसका स्वागत करता हूं कि पिछले जमींदारी एबालीशन ऐक्ट से इस बिल में काफी तरक्क़ी हुई है। वह इस माने में कि इस बिल के मुताबिक उन लोगों को टेनेन्ट माना गया है जो कि सर्विस टेन्योर के नाम से हैं। सर्विस टेन्योर को टेनेन्ट की शक्ल में इस बिल के अन्दर माना गया है। आपका पुराना जमींदारी एबालीशन ऐक्ट सब-टेनेन्ट के रूप में नहीं माना गया था। इस बिल में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान जाना चाहिए। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इस बिल का जो सेक्शन १५ है, उसके मुताबिक सरकार ने इस बात का हक लिया है कि कुछ इलाकों में एक समय में और कुछ इलाकों में दूसरे समय में इस क़ानून को लागू किया जायगा। जौनसार बावर के इलाक़े में मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ इलाकों में इसको लागू किया जायगा, वहां पर जमींदारी एबालीशन का नोटिफिकेशन अलग अलग समय में होगा। वह इस वजह से कि वहां पर इस समय लैंड रिकार्ड्स मौजूद नहीं हैं। लैंड रिकार्ड्स तैयार करने के सिलसिले में एक खास हिस्से में कार्यवाही हो, तब उसके बाद दूसरे हिस्से में हो। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यदि इस तरह का सिलसिला क़ायम किया गया, तो जो हक़ सरकार देना चाहती है, वह हक़ लोगों को न मिल पायेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी के सामने मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि जो पिछला तजुर्बा है, उसमें यह बात साफ है कि जब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का सवाल आया और जब ऐक्ट लागू हुआ, उसके बाद हजारों-लाखों किसानों की बेदखली सूबे में हुई है। सरकार का मंशा यह था कि सब-टेनेन्ट्स बेदखल न हों, लेकिन बावजूद इसके ऐसा हुआ। सब-टेनेन्ट्स बेदखल हुए। वह इस वजह से कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वे हावी हो गये। जो सरकार की ब्यूराक्रेसी है, जिसकी चर्चा और तारीफ इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य करते हैं, मैं उस ब्यूरोक्रेसी के लिये कहता हूं कि आपका जो सब-टेनेन्ट्स का क़ानून पास हुआ था, विधान मंडल के जरिये, अगर उस परपज़ को किसी ने डिफीट किया, तो वह ब्यूरोक्रेसी ने किया है।

उस तजुर्बे के आधार पर मैं उस बात को कह सकता हूं कि एक इलाके में एक समय में रिकार्ड आफ राइट तैयार करने की बात कहना और दूसरे इलाके में दूसरे समय रिकार्ड आफ राइट तयार करने की बात करने का मतलब यह है कि जो टेनेन्ट इन्टरमीडियरी हैं और लैन्ड पर काबिज हैं वे तब तक बेदखल हो जायेंगे, जब तक कि रिकार्ड आफ राइट तैयार करने के आपरेशन्स शुरू हों। इसलिये मैं इस बात की मांग करना चाहता हूं कि रेकार्ड आफ राइट के आपरेशन्स का काम एक ही समय में उस पूरे इलाक़े में शुरू किया जाय और अगर एक ही समय में न शुरू किया जायगा, तो दूसरे इलाक़े के जो इन्टरमीडियरीज हैं, वह टेनेन्ट्स को बेदखल कर देंगे और फिर सबूत नहीं मिलेगा कि टेनेन्ट्स इंटरमीडियरी की लैन्ड पर काबिज था। यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसको लेकर यह विधेयक हमारे सामने आ रहा है कि इन्टरमीडियरीज खत्म हों। इसी मकसद को लेकर जमींदारी एबालिशन बिल बनाया गया और अब वहां इसके एक्सटेन्शन का सवाल है, जहां वह लागू नहीं है। अपनी जगह पर तो इसके लागू करने का जितना मतलब निकलना चाहिये, उतना नहीं निकलता है। यह सभी जानते हैं कि वह इलाके कितने पिछड़े हुये हैं। मंत्री जी ने भी इस सदन को बताया और उनसे ही यह भी जानकारी हुई कि वहां कोई रिकार्ड्स लैन्ड के सम्बन्ध में नहीं हैं, केवल एक आध खंड को छोड़ कर, अक्सरियत स्थानों में किसी तरह का रिकार्ड आफ राइट नहीं है, तो ऐसी हालत में मुख्तलिफ समय में मुख्तलिफ जगह पर इसको लागू करने का मतलब यह होगा कि टेनेन्ट्स इन्टरमीडियरी को बेदखल कर देंगे।

इसके साथ-साथ दो-एक बातें मैं और कहना चाहता हूं। इस विधेयक के जरिये भी टेनेन्ट्स को तीन हिस्सों में, यानी भूमिधरी, सीरदारी और असामी में बांटने की बात हुई है।

मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ मानों में इस बिल में इम्प्रूवमेंट हुआ है । जमाने की मांग तो यह है कि किसानों को एक वर्ग का होना चाहिये । एक ही तरह की नवैयत किसानों की होनी चाहिये । भूमिधर, सीरदार और असामी के क्लासेज़ नहीं होने चाहिये । अगर आपको कुछ फर्क रखना ही है तो केवल दो क्लासेज रखिये, एक भूमिधर या सीरदार का और दूसरा आसामी का, जिनमें बेवा, नाबालिग, इडियट आते हैं । तो इस तरह से किसानों की एक नवैयत होनी चाहिये । हमारे यहां इसकी आवश्यकता है और इसको सारे प्रदेश और जौनसार बावर के इलाके में लागू होना चाहिये । इसके साथ-साथ एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर भी आसामियों को जो अख्तियारात दिये गये हैं, वह उसी तरह के हैं, जैसे पुराने विधेयक में हैं और वह पोजीशन यह है कि अगर एक बेवा के पास एक हजार एकड़ है, तो वह उसकी बेदखली करा सकती है या रख सकती है । इसी तरह से कोई औरत सेपरेटेड है, तो उसको भी हज़ार-पांच सौ एकड़ रखने का हक़ है और वह दफ़ा २०२ ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार बेदखल करा सकती है । इस दफ़ा के अनुसार बहुत सी बेदखलियां हुई हैं । सब-टेनेन्ट्स को परेशान करने के लिये बेदखली शामिल हुई है । अगर हम इस दफ़ा में कोई सीमा निर्धारित कर देते कि ३० या ४० या ५० एकड़ से अधिक की बेदखली न होगी, तो सब-टेनेन्ट्स परेशान न होते । आज २०२ की बेदखली के हज़ारों मुक़द्दमें दाखिल हैं । इस बात को देखते हुये मैं समझता हूं कि आसामी की बेदखली की लिमिटेशन कुछ निश्चित कर दी जाय । यानी किसी बेवा के लिए ४० एकड़ ज़मीन, ५० एकड़ या ३० एकड़ जो भी आप मुनासिब समझें, उसके लिए यह करदें कि बेवा की ३० एकड़ तक की ज़मीन पर सबटेनेन्ट असामी रहेगा । यानी ३० एकड़ तक में बेवा को अपने टेनेन्ट को बेदखल करने का अधिकार रहेगा और ३० एकड़ के बाद बेदखल करने का अधिकार न रहेगा और यह प्राविज़न ज़मींदारी एबालेशन ऐक्ट के सेक्शन १५७ में, चाहे वह बेवा हो, चाहे नाबालिग हो और चाहे डाइवोर्स्ड औरत हो, सबके सम्बन्ध में लागू होना चाहिए कि ३० एकड़ से ऊपर बेदखल नहीं कर पायेगा । दफ़ा २०२ में मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सिलसिले में जब तक यह सुझाव इस बिल में न माना जाय, तब तक मैं समझता हूं कि यह बिल अपने स्थान पर अधूरा रहेगा । मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जायगा । इस सिलसिले में श्रीमन्, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि मैं मंशा की बात इस मौक़े पर नहीं कहना चाहता । मंशा की बात तो मैं जानता हूं कि जब कोई क़ानून आता है तो कैबिनेट की मंशा, सरकार की मंशा तो अच्छी होती है, उस काम को करने की होती है लेकिन उसके साथ ही साथ यह ज़रूरी होता है कि जब कोई क़ानून बने, तो उस क़ानून की प्रतिष्ठा भी हो, उस क़ानून की मर्यादा की रक्षा भी हो । यदि कोई क़ानून बनाने पर उसकी प्रतिष्ठा न हो, उसको आप मनवा न सकें, तो ऐसी हालत में उस क़ानून का बनाना ही बेकार हो जाता है । ऐसी हालत में इस क़ानून को बनाने के बाद इस बात की सख्त ज़रूरत है कि जो सर्विसेज़ के लोग उस इलाक़े में जाकर लैंड रेकार्ड का आपरेशन्स करें, लैंड रेकार्ड को बनायें, वह ऐसे तरीक़े से बनायें, जिस से सही माने में जो टेनेन्ट इन्टरमीडियरीज़ की ज़मीन पर हैं, वह टेनेन्ट दर्ज किए जाएं । मैं सारे प्रदेश की बात कह रहा हूं एक-दो इलाक़े की बात नहीं कह रहा हूं । ब्यूरोक्रेसी एक वर्ग में आने के कारण, जो ज़मींदार क्लास है, उसमें आने के कारण, उसने खुले आम दोस्ती बरती है, इन्टरमीडियरीज के पक्ष में, सब-टेनेन्ट्स के खिलाफ । यदि सरकार इस बात को देखना चाहे, तो वह हर जगह देख सकती है । मैंने एक-दो जगह नहीं, बल्कि सभी जगहों में देखा कि सब-टेनेन्ट के खिलाफ टेनेन्ट इन चीफ की मदद की गई, पुलिस की तरफ से मदद हुई, एस० डी० एम० की तरफ से मदद हुई और यह सब कुछ प्रदेश के कांशस इलाके में, जहां की जनता संगठित है, वहां पर हुआ, तो ऐसे पिछड़े इलाक़े में तो बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पिछड़े इलाक़े में टेनेन्ट्स को राइट्स दिलाने का जो फैसला सरकार ने किया है, वहां पर सरकार को यह देखना चाहिए कि लैंड रेकार्ड्स आपरेशन ऐसे अफ़सरों के ज़रिए से हों जो सरकार और लेजिस्लेशन की मंशा को समझते हों ।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

अमेन्डमेन्ट्स की बात अक्सर सरकार के सामने आती है, जैसा कि कुंवर साहब और कई दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा। मैं कुंवर साहब और माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि अमेन्डमेन्ट्स जरूर सदन के सामने आयें, उनमें से कितने पूरे हुए यह शायद न माननीय कुंवर साहब को मालूम है और न माननीय सदस्यों को मालूम है।

एक अमेन्डमेन्ट जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हुआ कि १३५६ फसली में जिन किसान का इन्दराज है, उसको क़ब्ज़ा वापस मिलेगा दफ़ा ३२२ के मुताबिक, लेकिन जुडीशियरी ने उस दफ़ा को उलट दिया और जो हक किसान को मिलने वाला था, वह नहीं मिला और सरकार की तरफ से और लेजिस्लेशन के अन्दर कोई उस पर विचार नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं आपको बताऊं सब-टेनेन्ट्स ने लाखों रुपये मुकद्दमा दायर करने में खर्च किया और इनको निचले कोर्ट से फैसला मिला लेकिन जुडिशियरी में वह उलट दिया गया। जिस वक्त अमेन्डमेन्ट आया था, उस वक्त माननीय मंत्री जी ने मंशा साफ जाहिर कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद जुडीशियरी ने उलट दिया और सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि जो सजेशन्स दिये गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये, इस विधेयक को इम्प्रूव करने की कोशिश की जायेगी और टेनेन्ट्स को इन्टरमीडियरीज़ के मुकाबिले में राहत देने की कोशिश की जायेगी।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं बहुत जरूरी विधेयक है और जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि इस विधेयक पर बहस करना भवन का वक्त खराब करना है, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। पिछले वक्त एक बिल पेश करते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि जौनसार बावर के इलाक़े में जमीन के रिकार्ड्स ८० फ़ीसदी अवेलेबुल नहीं हैं। उन्होंने बताया था कि किसान की सिक्योरिटी का कोई मेजर नहीं है। जब चाहे क्षेत्रपति या जमींदार बेदखल कर सकता है। २ साल पहले इस बात की चेष्टा की गई थी और उस क़ानून के जरिये से यह किया गया था कि वहां पर बेदखली रोकी जाय, लेकिन उस वक्त भी माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक टेम्पोरेरी मेजर है और इससे एक वातावरण बनाया जा रहा है कि २ साल बाद इस प्रदेश में जमींदारी अबालिशन और भूमि-व्यवस्था का क़ानून लागू होने वाला है, यह उन्होंने बताया था। इसीलिए यह जो विधेयक यहां पर पेश हुआ है उस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि इस विधेयक का मकसद यह है कि जो जमींदारी का क़ानून पास हुआ था, उस जमींदारी क़ानून के मातहत इस क़ानून को बनाया जाय।

यह जो है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। वहां पर किसी प्रकार का क़ानून लाने की जरूरत न थी। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे यहां जो जमींदारी एबालीशन हुआ वह उस बिना पर हुआ कि यहां पहले जो जमींदारी का क़ानून था, उसके मातहत कुछ थोड़े से क़ानून और क़ायदे बने हुए थे कि इतना लगान दिया जा सकता था, या किन हालतों में काश्तकार बेदखल कराया जा सकता था। लेकिन जहां पर किसी प्रकार का कोई क़ानून ही नहीं बना हुआ था कि जब मन चाहे बेदखल करा दीजिये, या जितना चाहिये लगान ले लीजिये, जहां पर इस प्रकार का क़ानून हो, वहां पर जमींदारी अबालिशन से पहले और क़ानून लाना चाहिये था। जो जमींदारी अबालीशन क़ानून आपने पास किया है उसके शेड्यूल्ड में बहुत से क्षेत्र आपने ऐसे दिखाये हैं, जैसे रामपुर, बनारस, मिर्जापुर, जौनसार बावर, कुमायूं और बुन्देलखंड के क्षेत्र हैं, जहां पर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बाद में लागू किया जायगा। मैं बताऊं कि इस तरह के १०–१५ क्षेत्र हमारे प्रान्त में हैं, जहां पर जमींदारी एबालीशन ऐक्ट अभी तक लागू नहीं हो सका है और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां पर लागू भी नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पहाड़ी इलाक़े जो हैं उनमें हमारा जमींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू भी नहीं हो सकता है, क्योंकि न कोई इस प्रकार के क़ानून ही है और न वहां जमीन की स्थिति ऐसी है, जैसी हमारे प्लेन्स की है। लेकिन रामपुर, बनारस, जौनसार बावर के जो क्षेत्र हैं, वह ऐसे क्षेत्र हैं जहां जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के लागू करने की और भूमि–सुधार की व्यवस्था है,

वहां आसानी से लागू हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां बहुत पहले बन्दोबस्त हुआ था। उन्होंने यह भी बताया था कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट वहीं लागू हो सकता है, जहां के रेकार्ड्स मुकम्मल हों, और बन्दोबस्त हो गया हो। मैंने इस विधेयक को ध्यान से देखा है और मैं कह सकता हूं कि बहुत सी थोड़ी बातों को छोड़ कर बाकी यह सारा विधेयक हमारे यहां के जमींदारी अबालिशन ऐक्ट से मिलता है। रामपुर में ठेकेदारी सिस्टम जब खत्म होगा, तब वहां के लिए भी एक ऐक्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह से बनारस और मिर्जापुर के लिए भी आपको अलग अलग ऐक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप देखें कि इस तरह से सारे सारे हमारे प्रान्त में कई जमींदारी एबालीशन ऐक्ट्स लागू हो जायेंगे। फिर इससे बेहतर तो यही है कि इस बात की कोशिश की जाये कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो है, उसी में थोड़ा-बहुत अमेंडमेंट करके, उसी को सारे प्रदेश में लागू कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि उससे काश्तकारों को भी ज्यादा फायदा होगा और गवर्नमेंट भी बहुत सी परेशानियों से बच जायेगी।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि जैसा कि कुंवर साहब ने कहा है कि वहां पर जमींदार हैं ही नहीं। मैं भी माने लेता हूं कि वहां पर जमींदार हैं ही नहीं। जब वहां हैं ही नहीं, तब मुआविजे का भी सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--वहां पर जमींदारी एबालीशन का भी सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--तो फिर कोई मुआविजे का भी सवाल नहीं है। इसमें १६ गुना मुआविजा रक्खा गया है। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में ८ गुना रक्खा गया था। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में जो मुआविजा रक्खा गया था, तो उस वक्त ऐसी हालत थी, बहुत सी बातें ऐसी थीं कि मजबूर हो करके मानी गई थीं और यह मुआविजे की बात भी मजबूर हो करके मानी गई थी। उस वक्त एक आपने सिद्धान्त बनाया था कि छोटे जमींदारों को ज्यादा मुआविजा दिया जायेगा, उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी दिया जायेगा और बड़े जमींदारों को कम मुआविजा दिया जायेगा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी नहीं दिया जायेगा। लेकिन यह जो बिल बनाया है, उसमें इस प्रकार का कोई सिद्धान्त नहीं है। इसमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी नहीं है। मुआविजा जो आपने रखा है वह छोटे और बड़े जमींदारों के लिये, सब के लिये बराबर रक्खा है। जिसकी २०० रुपये मालगुजारी है, उसका भी मुआविजा आपने १६ गुना रक्खा है और जिसकी २,००० रु० मालगुजारी है, उनके लिये भी मुआविजा आपने १६ गुना रक्खा है। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट तो आपका एक सिद्धान्त के ऊपर मुन्हसर है, तो मैं समझता हूं कि वही सिद्धान्त यहां के लिये भी मुनासिब होता।

फिर दूसरी बात यह है कि अगर मुआविजे की रकम इस तरह से बढ़ती गई तो इससे गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान होगा। पहिले आपने ८ गुना रक्खा, फिर १० गुना रक्खा फिर १६ गुना रक्खा, यह जो बढ़ोतरी है, यह उस राह में आपकी बाधक है, जो कि आप स्टेट को सोशलिस्टिक पैटर्न पर ले जाना चाहते हैं। इससे आप जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां और बिजिनेस नेशनलाइज या सोशलाइज करने जा रहे हैं, वह भी नहीं साबित करता है। प्रतिकर या मुआविजे का सवाल वहां उठना चाहिये, जहां पर कोई चीज खरीदी गई हो। जमींदारी जो यहां की थी और जो एबालिश की गई है, वह तो अधिकतर खरीदी हुई भी थी, लेकिन जौनसार बावर की तो मैं समझता हूं कि वहां पर किसी प्रकार की खरीद व फरोख्त नहीं हुई। वहां पर तो जैसे कहीं पर खड़े हुये पेड़ मिल जाते हैं, वैसे ही मिल गई थी। मैं तो समझता हूं कि जो काश्तकार जिस जमीन पर खेती कर रहा है, उसको वहीं पर सीरदार या भूमिधर बना देना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रतिकर या मुआविजे का सवाल उठाना ही नहीं चाहिये। इससे स्टेट, अगली पंच वर्षीय योजना में जो रुपया खर्च करने जा रही है, उसमें कमी आ जायेगी और स्टेट बिल्डिंग में कमी आ जायेगी। इन दो सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में सदन के सामने दो विचार धारायें प्रस्तुत की गयी हैं। एक विचार धारा तो माननीय मंत्री महोदय की है, यानी सरकार की है। सरकार चाहती है, जौनसार बावर क्षेत्र में यह क़ानून लागू किया जाय। दूसरी विचार धारा हमारे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी की है। उन्होंने विधेयक को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया है, और यह सम्मति प्रकट की कि इस जौनसार बावर के क्षेत्र में, जो कि अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, इस प्रकार के प्रगतिशील क़ानून लाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह सभ्य न हो जाय। ये विचारधारायें एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में भूमि की उत्तम व्यवस्था के लिये किसानों की रक्षा और उन्नति के लिये यह क़ानून पास किया जाय। कुंवर साहब ने यह कहा कि ऐसे क़ानून की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ज़मींदार भी नहीं है और न लैंड टैन्योर का सिस्टम इतना ही पेचीदा है, क्योंकि वहां पर अगर किसी के पास अधिक से अधिक ज़मीन है, तो वह एक एकड़ या डेढ़ एकड़ है। आपने विधेयक पर कोई विचार हमारे सामने नहीं रखे। ऐसी विरोधी विचार धाराओं में कोई अन्तिम राय क़ायम करना एक कठिन सी बात है। कुंवर साहब खुद एक बड़े ज़मींदार रहे हैं और भूमि सम्बन्धी विषयों को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका ऐसा कहना कि यह विधेयक बिल्कुल निरर्थक है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

पिछली बार एक विधेयक इस सदन के सामने आया था और तब माननीय चरण सिंह जी ने विस्तार से बतलाया था कि जौनसार बावर का क्षेत्र कैसा है। उससे पहले बहुत से माननीय सदस्य यह भी नहीं जानते थे कि यह जौनसार बावर का क्षेत्र कहां पर है। चरण सिंह जी ने बतलाया था कि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर अभी तक पोलियन्डरी सिस्टम है अर्थात् एक स्त्री के कई पति होते हैं। शिक्षा के बारे में उन्होंने बतलाया कि उस सारे क्षेत्र में केवल एक हाई स्कूल है जिससे पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वह कितना पीछे है। इसमें संदेह नहीं जैसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है और अभी वहां सभ्यता का विकास होने में समय लगेगा। कैसी वहां पर भूमि व्यवस्था है, उसके अनुसार ज़मींदारों की खुदकाश्त में ३ हजार ७ सौ एकड़ है, ३ हजार ५ सौ एकड़ के क़रीब ऐसी है जिसको उठाया हुआ है और सिर्फ १३ या १४ सौ एकड़ ऐसे लोगों के हाथ में है, जो कि खुदकाश्त करने वाले लोगों की खिदमत करते हैं। परन्तु साथ ही मंत्री महोदय ने यह भी बतलाया कि वहां पर किसी भी चीज़ के रिकार्ड नहीं हैं और जो भी रिकार्ड्स हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसा मालूम होता है, आपके कहने से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत वहां चरितार्थ होती है। जिसका जोर है, वह जहां चाहे क़ब्ज़ा कर लेता है। यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ सही और असम्भव सही, लेकिन बीसवीं सदी में ऐसा ठीक नहीं है कि वहां पर सही रिकार्ड्स ही न हों। यह सारी ज़मीन हमारे गणतंत्र की है और इसमें पूरा और सही रिकार्ड होना चाहिए। मुझे कुछ आश्चर्य होता है कि अंग्रेज़ी सरकार ने इस प्रकार के रिकार्डर्स वहां पर क्यों तैयार नहीं कराये। अंग्रेज़ी सरकार ने बड़े-बड़े कार्य कराये थे, उसने बहुत कुछ अबुलफज़ल की आइने अकबरी से मालूमात हासिल की थी। इस त्रुटि को पूरा करना मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार का कर्त्तव्य है। कुंवर साहब की यह दलील समझ में नहीं आई कि जो प्रिमिटिव क्षेत्र है, उसको इसी दशा में रहने दिया जाय। उस ज़मीन को, खेत को या जोत को उसी दशा में क्यों रहने दिया जाय, यह तो उनके हित के विरुद्ध भी होगा और हमारे राज्य के हितों के विरुद्ध भी होगा। इससे जो वहां किसान लोग हैं, उनकी रक्षा भी नहीं हो सकेगी। जो ग़रीब आदमी हैं, जो दूसरों का खेत जोतते हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से होगी। ज़मीन्दारी एबालिशन ऐक्ट इसलिये पास हुआ था कि जनता का कल्याण हो। उसका उद्देश्य यह नहीं था कि केवल ज़मींदारी का नाश हो, उसका उद्देश्य था कि किसानों की भलाई हो, किसान उस ज़मीन का मालिक हो, जिसको कि वह जोतता है और उस पर उसका क़ब्ज़ा बना रहे, उसको निकाले जाने का डर न हो और जनता में एक नयी स्फूर्ति का संचार हो, किसान में आत्म-सम्मान पैदा हो और वह

यह समझे कि देहातों की व्यवस्था में मैं भी कोई चीज हूं। इसलिये ऐसा क्षेत्र, जो कि प्रिमिटिव हो, जहां खेती के कोई क़ानून न हों, जहां के रिकार्ड विश्वसनीय न हों, जहां यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन खेत किसका है, उस क्षेत्र में तो व्यवस्था करना और भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार की ही व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

कुंवर साहब ने तो उसमें कोई त्रुटियां नहीं बतलाईं, लेकिन प्रभु नारायण सिंह जी ने दो-एक बातों का वर्णन किया। पहली बात तो यह है कि वहां का पहले सर्वे होना चाहिये, सेटेलमेंट (बन्दोबस्त) होना चाहिये, खेतों के विषय में मालूम होना चाहिये कि कौन किसका है, तब पता चल जायगा कि क्या हालत है। समाज प्रगतिशील है, आज संसार में सभ्यता बढ़ रही है, तो सभ्यता के प्रसार होने से यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस क्षेत्र की व्यवस्था करें। प्रभु नारायण सिंह जी ने दो-चार बातें बताई हैं, मैं समझता हूं कि सरकार ने इस विधेयक में नियम बनाने की बहुत सी शक्ति ली है जैसे-जैसे उनको अनुभव होगा उस क्षेत्र का, वैसे सरकार ऐसे नियम बनायेगी, जिससे किसी के साथ अन्याय न होगा, किसी की हक़तलफी न होगी। उन्होंने कहा है कि सब-टेनेन्ट्स के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट से, सम्भव है हुआ होगा, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है, परन्तु जो क़ानून हम बनाते हैं वह इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि जनता के हितों की रक्षा हो। मुझे पूर्ण आशा है कि जो कुछ इस सदन में कहा गया है और जो कल कहा गया था, उस पर सरकार पूर्णतः विचार करेगी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के विरुद्ध जो ऐसा बड़ा भारी दोषारोपण किया गया है हमारा मंत्रि मंडल उस पर विचार करेगा कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है, जैसी कि प्रभु नारायण सिंह जी ने बताई है। मुझे यह सुन कर बहुत ही दुख हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी है। इस सदन में यह कहा गया कि आजकल के अधिकारी उचित रूप से कार्य नहीं करते और क़ानून की अवहेलना करते हैं, क्योंकि अधिकांश अधिकारी ज़मींदार वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। हमारे अधिकारियों के ऊपर जो यह आरोप लगाया जा रहा है यह बहुत ही बड़ा आरोप है और इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सरकार को इस आरोप को दूर करने का उपाय करना चाहिये और इसकी जांच करवानी चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो इससे जनता की बहुत हानि होगी और इसका दोष मंत्रिमंडल के माथे आयेगा। जनता यह ख्याल करेगी कि हमारी सरकार का नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर नहीं है। कुंवर साहब ने और श्री प्रभु नारायण जी ने इस बात को कहा कि आजकल भूमि सम्बन्धी क़ानून इतना पेचीदा होता जाता है कि जिसकी वजह से बहुत सी खराबियां पैदा हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज कल के बहुत से वकील भी इसको नहीं समझ सकते हैं। क़ानून के साथ ही साथ बहुत से नियम भी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क़ानून के विषय में कहा जाता है--"Man hath bowels, the law hath not" एक विद्वान ने यह भी कहा है कि--"The law should be simple, clear and intelligible." क़ानून संक्षेप में होना चाहिये, सादा होना चाहिये और स्पष्ट होना चाहिये। मैं भी तीन वर्षों से देख रहा हूं कि भूमि सम्बन्धी क़ानून दिन पर दिन पेचीदा होता जाता है और कोई मनुष्य इसको जानने की कोशिश भी नहीं करता है। आजकल के जो वकील हैं, वे भी इसको ठीक से नहीं जानते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। जनता इतने ज्यादा क़ानूनों से परेशान हो गयी है। क़ानून ऐसा होना चाहिये जिससे जनता यह समझ सके कि इससे हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। सरकार को ऐसा क़ानून बनाना चाहिये, जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिये यह विधेयक बना है उसके लिये यह एक नई चीज है, और अब वहां पर लोगों को इस बात को जान कर संतोष होगा कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिय यह विधेयक लाया गया है।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जिसको कि बाद में माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे। ५वें पृष्ठ में १४ सेक्शन में रिवीजन की बात आती है वह इस प्रकार है:—

"14. The Board may call for the record of any case in which no appeal lies to the Board if the officer by whom the case was decided appears to have exercised jurisdiction not vested in him by law or to have failed to exercise the jurisdiction illegally or with substantial irregularity, and may pass such orders in the case as it thinks fit-"

इस रिवीजन के अधिकार का क्या अर्थ है ? आपने फर्स्ट अपील और सेकन्ड अपील की व्यवस्था की है और जब कोई ऐसा आफिसर होगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ेगा और अगर उसका कोई गैर कानूनी काम है, तो उसके लिये जरूर अपील होनी चाहिये, फिर इसमें रिवीजन की क्या बात है: जब इस तरह की इल्लीगल बात हो, तभी अपील का अधिकार होना चाहिये। तो जो इसमें रिवीजन की बात रखी गई है, वह स्पष्ट नहीं है, मैं आशा करता हूं कि उस पर माननीय मन्त्री जी अवश्य प्रकाश डालेंगे। ऐसे गैर कानूनी कामों के लिये रिवीजन काफी नहीं होता।

इस विधेयक में जो और बहुत सी धारायें हैं, वे उचित ही हैं। श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा था कि किसानों का वर्गीकरण नहीं होना चाहिये। इसमें थोड़ी बहुत अन्याय की शंका है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी जमींदारी अबालिशन हुआ है, इसलिये इस तरह का वर्गीकरण है। भविष्य में एक समय आयेगा, जबकि इस तरह की बात नहीं होगी। जब हमारे प्रदेश में सभी की इस तरह से भूमि हो जायेगी और अपना राज्य होगा तो यह वर्गीकरण निरर्थक हो जायगा। सभी स्टेट के किसान हैं और उनमें कोई अन्तर होना जरूरी नहीं है। जब सभी लैन्ड स्टेट की हो गई है, तो इस तरह का भेद करना आवश्यक नहीं है। लेकिन चूंकि हमने यहां जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास किया है और उसमें इस तरह की बात थी, इसलिये उसी के आधार पर यह किया गया है। अभी इसे दूर करना सरकार के लिये संभव नहीं था। भारतवर्ष में भूमि के सम्बन्ध में हमेशा बड़ी पेचीदगियां रही हैं और हर प्रदेश में जो इस तरह से लैन्ड टैन्योर रहा है, उसको हटाना आसान नहीं है। इस समय तो जो कुछ किया गया है, वह हमारे यू० पी० जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार ही किया गया है। मैं इतना ही कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब यह विधेयक काम में लाया जाय तो इन बातों पर अवश्य विचार किया जाय। विधेयक को इसी उद्देश्य से हम किसी स्थान में लागू करते हैं कि उससे जनता का भला हो। सरकार को इस बात का अवश्य विचार करना चाहिये कि किसी भी विधेयक से जनता का जितना हित हो सके, वह होना चाहिये और यदि उसके सम्बन्ध में कोई रुकावट आती हो, तो उसको दूर करना उसका कर्तव्य है। हमारी सरकार का यह भी कर्तव्य है कि उस क्षेत्र में जो कि पिछड़ा हुआ है, जहां कि जनता असभ्य है, वहां कानून ठीक तरह से लागू होना चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानों पर कानून की अवहेलना होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। जिन अधिकारियों को यह काम सुपुर्द किया जाय, वह ऐसे तरीकों से काम न करें कि वहां के लोग असभ्य हैं, इसलिये उनसे अनुचित लाभ उठाया जाय। हमारे अधिकारी या जो दूसरे लोग हों, उनको इस तरह के आदेश दिये जायें कि किसी के साथ भी अन्याय व अत्याचार न हो और जितना जिसका हक है, उसी के अनुसार कागजों में लिखा-पढ़ी की जाय।

श्री डिप्टी चेयरमैन—सदन की बैठक २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजकर ५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल जौनसार बावर का हमारे सामने है, उसका स्वागत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बिल की आवश्यकताओं के विषय में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और मैं जानता हूं कि जब जमींदारी को हमने इस प्रान्त से हटा दिया तो यह जरूरी था कि सारे सूबे में यह लागू होता। इस जौनसार बावर बिल की बाबत जब यह पहले हमारे सामने आया था, तो माल मन्त्री ने बहुत कुछ बताया था कि वहां की हालत कैसी खराब है। अब भी वहां की हालत ऐसी है कि मामूली तौर से जमींदारी एबालिशन बिल लागू नहीं हो सकता था। पहले जौनसार बावर के बारे में अलग बिल लाये फिर उसके संशोधन के लिये यह बिल हमारे सामने है। वहां की हालत इतनी खराब है कि यह जरूरी है कि जमीन की व्यवस्था के लिये इस संशोधन को लाया जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह हमारे वक्त की बरबादी नहीं है बल्कि इस पर सोचना हमारा फर्ज था और यह पहले ही आता तो अच्छा होता। अब इस पर गौर करें और जैसा भी संशोधन हमारे सामने रखा गया है उसको कबूल करें। मैं ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक जमीन की व्यवस्था ठीक न होगी, लोगों की हालत अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि जमीन की व्यवस्था के लिये जो कुछ हम कर सकते हैं, उसको जहां तक हो सके, करें। जो बातें प्रभु नारायण जी ने कहीं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं, जो कुछ ठीक मालूम पड़ती हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संशोधन को कबूल करने के बाद जब वह वहां जारी हो जाय, तो फिर गौर करें और आवश्यकता हो तो फिर एक संशोधन बिल लायें, जिससे वह खराबी भी दूर हो जाय। मैं जौनसार बावर गया हूं। मैंने देखा है कि वहां के लोगों की हालत ऐसी है कि वहां की खराबियों को बयान करना मुश्किल है। वहां के लोग यह नहीं समझते हैं कि उनके पास कितनी चीजें हैं, कितनी जमीनें हैं। वहां ऐसे अफसरान मुकर्रर करने चाहिये, जो मिशनरी तबियत के हों। जो उनकी हालत को ठीक करने के लिये तैयार हों। वे केवल सरकारी तौर से अपना फर्ज अदा न करें। सोशल सर्विस के तौर पर उनको काम करना पड़ेगा। ऐसे अफसरान यदि न जायेंगे, तो जौनसार बावर की हालत अच्छी न होगी। मेरा ख्याल है कि इस बिल के पास करने से, जमीन का सुधार करने से उनकी हालत अच्छी हो सकती है। सरकार इस पर गौर करे और वहां रेगुलर सोशल सर्विस का इन्तजाम करे। उनकी देखभाल का इंतजाम किया जाय, ताकि उनकी हालत अच्छी हो।

श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इसके लिये सरकार को बधाई पेश करता हूं। दरअसल यह जिस इलाके में बिल लागू हो रहा है वह इतना पिछड़ा हुआ है और वहां के लोग इसके इतने जरूरतमन्द हैं कि इसको जिन शब्दों में भी कहा जाय, वह थोड़ा है। अभी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने वहां की प्रथा के बारे में कहा कि वहां एक एक पत्नी के पांच पांच पति का प्रथा है। शिक्षा का तो वहां नाम भी नहीं है। इन सब चीजों पर यदि ध्यान दिया जाय, तो इसका कारण यही मिलता है कि वहां रुपये-पैसे की हालत बहुत गिरी हुई है। इस आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण ही शायद वह इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। उनके पास चूंकि धन का अभाव रहा है, इसके कारण ही वहां शायद ऐसी प्रथायें हैं। शिक्षा का तो बिल्कुल ही अभाव है। सोचने से इधर ध्यान जाता है कि अंग्रेजों ने इस इलाके की उन्नति क्यों नहीं की? गो, वह शक्ल में इन्सान हैं लेकिन जानवर का काम उनसे लिया जाता है। शायद अंग्रेजों की यह प्रवृत्ति रही है कि अच्छा है वह शिक्षित न हों, क्योंकि पहाड़ी इलाके पर उनसे बोझा ढुलाने का काम लिया जाता रहा होगा। इस सरकार की कैसे यह नियत हो सकती है कि वह इलाका जो पिछड़ा हुआ है उसकी उन्नति न की जाय और वह उस हालत में न आ जाय जिस हालत में आज प्रदेश के अन्य लोग रहते हैं। मन्त्री महोदय ने बताया कि दो कठिनाइयां थीं जिनके कारण यह बिल पहले नहीं आ सका, वरना तो यह बिल जमींदारी एबालिशन के पहले आ जाता, तो अच्छा था। कुंवर साहब ने कहा कि इस बिल की

[श्री तेलू राम]

आवश्यकता ही नहीं है। मेरा कहना है कि यदि ऐसे बिलों की आवश्यकता नहीं है तो इन हाउसेज की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे बिल ही तो हैं जो ऐसे हाउसेज का जस्टीफिकेशन करते हैं। इस बिल से जो भलाई की गई है, उसकी चर्चा करना, उन सब बातों को दोहराना है जो माननीय मन्त्री जी न कही हैं, लेकिन दो एक बातों की चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूं। जमींदारी एबालिशन में जो सम्पत्ति ग्राम सभाओं को मिली उसका दुरुपयोग हुआ। इस बिल में भी ऐसी चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राम सभाओं के प्रधान के अधिकार में जो सम्पत्ति रही है, उसका दुरुपयोग हुआ और जो पेड़ या भूमि, भूमिहीन को मिलनी चाहिये थी, वह उनको नहीं मिली और जिनके अधिकार में यह सम्पत्ति थी, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उस तजुर्बे के आधार पर हम यहां पर कोई सुधार का प्राविजन रख सकते थे, लेकिन वह इस बिल में नहीं रखा गया। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह ताईद करता हूं कि धारा २१ में जो मुआविजा देने की बात कही गई है, वह १६ गुना को रखी गई है। यह चीज गले से नहीं उतरती है। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ें, हमको चाहिये तो यह कि हम ऐसे कदम उठावें, जो हमको सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर ले जाने वाले हों। पहले हमने आठ गुना मुआविजा दिया और फिर २० गुना रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिला कर २८ गुना तक किया। यहां अगर मुआविजा देने का ग्रेडेशन हो जाता तो अधिक अच्छा होता। यहां पर मुआविजा वालों में, दो रुपये वाला भी होगा और हजार रुपये वाला भी होगा। इन दोनों को एक स्थान पर कर दिया गया है जो बात कि गले से नहीं उतरती। बहरहाल, अगर रेकार्ड्स में काम करने की सुविधा के अनुसार कुछ करना था, तो दो बातें कर सकते थे और वह फिर भी हो सकती है, नियमों में हो या और कहीं हो। मालगुजारी की दो धारायें कर दी जायें। जो एक सौ रुपया या उससे ऊंचे वाली मालगुजारी के हों, उनको १६ गुना और जो उससे ऊपर के हों उनको १२ गुना या १० गुना या ८ गुना होना चाहिये। इस प्रकार दो धारायें तो हो ही सकती हैं बड़े और छोटे की, जैसा कि हमने जमींदारी एबालिशन में किया है, उनके ग्रेडेशन को लेकर एक से बीस तक वैरी (vary) किया है। मेरी यह प्रार्थना है कि यहां पर उस सिद्धांत की रक्षा के लिये, उस डिस्पैरिटी की रक्षा के लिये कोई न कोई ऐसी बात इस बिल में होनी चाहिये, जो छोटे बड़े में कुछ अन्तर कर सके। चूंकि डिस्पैरिटी कम करने का तरीका यही नहीं है कि हम छोटों को ऊपर बढ़ायें, बल्कि एक तरीका यह भी है कि बड़ों को नीचे ले आयें। यह बात जरूर है कि बीच का अन्तर कम होने से मानसिक संतुलन होता है। इसलिये इस मुआविजे को १६ गुना और जो १०० से ऊपर के मालगुजार हैं उनको आठ गुना या दसगुना कर दिया जाय। कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन की बात दूसरी है।

दूसरी प्रार्थना मेरी यह है और मेरा सुझाव यह है कि धारा १० में यह लिखा हुआ है कि वहां पर जो लगान को अदा करने की प्रथा है, वह काइन्ड में है। एक तरह से काइन्ड म क्या वहां के अधिकारियों का इतना बुरा आतंक है, पैदा करने वालों पर कि जिस मात्रा में जो चाहते हैं, उसको ले लेते हैं। वहां के लोग इतना डरे हुये हैं कि प्लेन्स के आदमियों को देखकर वहां के साधारण मर्द, औरतें और बच्चे भाग जाते हैं, यानी वह यहां के लोगों के पास खड़े हो कर बात भी नहीं कर सकते। ऐसी शक्ल में वहां पर धारा दस में वह मालगुजारी दुगने से अधिक न होगी, कर दिया जाय।

तीसरी जो मेरे मित्र ने बात कही, वह बड़ी जरूरी है, लेकिन डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने उसमें तरमीम की है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त अच्छे से अच्छे कानून

अधिकारी लोगों के हाथ में जाते हैं, सब नहीं, पर उनमें से अधिकतर ऐसे हैं, जो उनको कुरूप कर देते हैं और कानून का दुरुपयोग होता है। मैं मिसाल के तौर पर कह सकता हूं कि एक नाई का खेत ४ बीघा पुख्ता, दो तीन अफसरों द्वारा ठीक होता रहा, यानी सब ने तय कर दिया कि वह नाई बारह तेरह वर्षों से उस पर काश्त कर रहा है, लेकिन जब चौथे अफसर के पास पहुंचा, तो कहा गया कि चूंकि कागजात में उसके नाम इन्दराज नहीं है, इसलिये उस नाई को कोई हक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कानून के लागू हो जाने से ही मन्तव्य पूरा नहीं हो सकता, बल्कि जिन हाथों के जरिये से कानून अमल में लाया जाता है, उनकी जहनियत का दुरुस्त होना भी, उनकी जहनियत और नियत का कानून का मंशा के मुताबिक होना भी, निहायत जरूरी है। कहा गया कि रेकार्ड में चूंकि दर्ज नहीं है, इसलिये नाई को कोई हक नहीं है, लेकिन कानून जो बना है उसमें सरकार ने यह तय किया है कि मौके पर जाकर तुम देखो और यदि कनविंस्ड हो जाओ तो कागज में इन्दराज कर दो। चूंकि हम जानते हैं कि सर्विसेज में ज्यादा तर वेस्टेड इन्टरेस्ट के अधिकारी हैं, जो आज क्रान्तिकारी कानूनों को लागू कर रहे हैं, इसलिये उनमें सफलता नहीं मिल रही है, जितनी कि हम उम्मीद करते हैं। क्रान्तिकारी कानून लागू करने से, इसमें कोई शक नहीं एक लख्त दिमाग क्रान्तिकारी नहीं होता। तो भी इस तरह के क्रान्तिकारी कानून लागू करने के लिये, जब तक हाथ और दिमाग क्रान्तिकारी न होंगे, तब तक ऐसे कानूनों से जो लाभ सरकार जनता को पहुंचाना चाहती है वह नहीं पहुंचा सकती।

कानून में सारी चीजें खुली हुई हैं कि एक के बाद दूसरी अपील हो सकती है, लेकिन जो जनता इन्सानों से भी डरती है वह यह जानती ही नहीं है कि कहां अपील होगी, कौन सी अदालत में जाना होगा, तो जब उसको इसका ज्ञान ही नहीं है और अगर ज्ञान हो भी, तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह अपने हितों की रक्षा कर सकें, हमारा कानून अच्छा है, लेकिन जब गलत हाथों में जाता है, तो उसका जितना लाभ होना चाहिये, वह नहीं हो पाता और गरीब जनता परेशान होती है। क्योंकि इससे जिसका नुकसान होने वाला है, वह इतना अकलमन्द है कि वह अपना नुकसान होने ही नहीं देता और कुरबानी गरीब लोगों की होती है, जिनको असली मानों में फायदा पहुंचाना चाहिये। यह हमारे अनुभव की बात है। कानून का दुरुपयोग हुआ है, इसमें शंका नहीं है। उनकी आवाज ऊपर तक आ नहीं पाती है, इसलिये मालूम होता है कि शोर कम होता है। शोर इसलिये नहीं हो पाता है कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, प्रेस नहीं है, पैसा नहीं है और वह सहन कर बैठ जाते हैं। इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं कि कानून लागू करने वाले खुद सच्चे ईमानदार हों। एक बात जो मुआविजा की है कि उसके सिद्धांत की रक्षा के लिये उसके दो रूप होने चाहिये--एक तो यह कि बड़ों को कम मिले और छोटों को ज्यादा मिले।

दूसरी बात जो धारा १० में मालगुजारी की बात, उसको दुगुने से ज्यादा न होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे वहां के लोगों की अवस्था सुधरेगी, अगर माननीय मन्त्री जी ने और सरकार ने, जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा कि जो अफसर वहां जाय, वह समझ ले कि उनको उनके हितों का ध्यान रखना है और अपनी ड्यूटी को भी ध्यान में रखना है, जिसके लिये यह कानून बनाया गया है, ऐसा किया गया तभी उनके हितों की रक्षा हो सकती है। जब वह उनके रिप्रेजेन्टेटिव होकर काम करेंगे, तभी उनको फायदा होगा, जिनके लिये यह कानून बनाया गया है।

***डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप** (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का स्वागत करता हूं। श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने अपनी तकरीर में

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

एक बात पैदा कर दी कि आया वह तबका, वह एरिया, जहां के रहने वाले लोग असभ्य हैं, या पढ़े लिखे कम हैं या जिनका मारेल गिरा हुआ है, वहां पर यह बिल लागू हो या न हो और वहां पर मारेल स्टैन्डर्ड उठाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि यह बिल उस जगह पर लागू करना मुनासिब है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि यह वजह तो ज्यादातर इस बात की है कि बिल को वहां पर लागू होना चाहिये। मैं सिर्फ दो, तीन बातों की तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि दफा १४ में अंग्रेजी के ट्रान्सलेशन में कुछ गलती मालूम होती है और वह यह है कि :

"Section 14. The Board may call for the record of any case in which no appeal lies to the Board if the Officer by whom the case was decided appears to have exercised jurisdiction not vested in him by law or to have failed to exercise the jurisdiction illegally or with substantial irregularity, "

मैं समझता हूं कि यहां पर कुछ अल्फाज छूट गये हैं। यह दफा ११५ जाब्ता दीवानी से लिया गया है, जिसमें तीन वजह दिखाई गई हैं, जिनमें अपील एलाऊ होती है। वह यह हैं: --

"Section 115 (Cr.P.C.) When the subordinate Court appears—

(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or

(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity."

इसको ऐसा ही रखने में कोई हर्ज नहीं मालूम होता है, मगर यह तीनों क्लाज आने चाहिये। हिन्दी में यह गलती नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि तर्जुमा करने में यह गलती रह गई है, लिहाजा इसे सही करने की जरूरत है। क्लाज २४ के एक्सप्लेनेशन में यह लिखा हुआ है :--

"Section 24 (*Explanation*) : Whether a person is or is not a tenant shall not be deemed to raise a question of title within the meaning of this clause".

मैं समझता हूं कि एक टेनेन्ट के लिये यह बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन आफ टाइटिल को दूर किया जाय। मैं तो यह कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज में जो एतमाद हो सकता है, वह कलेक्टर या कमीश्नर में नहीं हो सकता है। इसलिये आखिरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इसमें एमाउन्ट आफ कम्पेन्सेशन का आखिरी फैसला कलेक्टर का रखा गया है, जो नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर यहां डिस्ट्रिक्ट जज को ही रख दिया जाय तो अच्छा होगा। इन अल्फाज के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव उपस्थित है, उसका मैं इसलिये समर्थन करता हूं कि सरकार ने अपने विधान में एक नियम बनाया है कि जमींदारी विनाश होना चाहिये। परन्तु मेरा ख्याल तो कह है कि जमींदारी

जिन कारणों से समाप्त की जा रही है वे बने रहेंगे। जमींदारी विनाश का मूल कारण यह होता है कि जमींदारों के अत्याचार खत्म हों, परन्तु हम देखते हैं कि जो लोग जमींदारों की जगह पर लगान वसूल करने के लिये रखे जाते हैं, वही जमींदार हो जाते हैं और उनका अत्याचार चलने लगता है। तो फिर जमींदारी विनाश से क्या लाभ होगा। गुरु नारायण जी ने जैसा कहा है कि इस क्षेत्र में जमींदारी विनाश का अभी समय नहीं है, अर्थात् जो व्यवस्था आप वहां लाने जा रहे हैं, उसके समझने लायक वहां के लोग अभी नहीं हैं। अतः कुछ दिनों तक वहां के निवासियों को शिक्षा दे कर अगर जमींदारी विनाश वहां की जाय, तो अच्छा रहेगा। सरकार समझती होगी कि वह लोग काफी समझदार हैं, इसीलिये वह कर रही होगी। इस प्रान्त में लोग पढ़े लिखे कम हैं, इसलिये यह कठिनाई होगी। अंग्रेजों के समय में उन्होंने क्यों नहीं किया, सुनते हैं कि खेती के कोई कागजात ही वहां नहीं थे। ऐसी अवस्था में सरकार को यह चाहिये कि खेती की व्यवस्था गुप्त रूप से करे। गुप्त रूप से जांच करें नहीं तो जैसा प्रभु नारायण जी ने कहा है कि अगर वहां के जमींदारों को मालूम हो जायेगा कि यहां पर व्यवस्था होने जा रही है, तो वह गड़बड़ करेंगे और गलत इन्दराज करा लेंगे। यह जांच कर लीजिये कि किसके पास कौन सा खेत है।

दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों ने क्यों नहीं किया तो मेरी समझ में यह बात आई कि अंग्रेजों को तो अपनी मालगुजारी जमींदारों से वसूल करने से मतलब था, वहां पर खेत की व्यवस्था क्या है, इससे उसका कोई तात्पर्य नहीं था। चूंकि वहां पर कागजात नहीं थे और अंग्रेजों को मालगुजारी मिलती जाती थी, इसलिये उन्होंने उसकी व्यवस्था करने का कोई कष्ट नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि वह कागजात बनाने पड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर भूमि व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो जमींदार हैं उनके पास कागजात हैं या नहीं, यह भी नहीं मालूम है। कौन किसके अधिकार में है, किससे कितना टैक्स लिया जाता है, इसके आधार पर भी कागजात तैयार किये जा सकते हैं। इन सब बातों की तरफ ध्यान देते हुये यद्यपि व्यवस्था करने में बहुत समय लगेगा, परन्तु सबसे अधिक इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वहां के रहने वालों को शिक्षित बनाया जाये। इस वक्त तक जब कागजात नहीं थे, तो आपस में झगड़े होते थे या नहीं, अगर होते थे तो उनका निपटारा कौन करता था। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है उस ओर माननीय मन्त्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बिल जो इस वक्त सदन के सामने है, इसके मुताल्लिक जो बहस हुई, उससे एक नतीजा तो यह निकला कि सब इसको चाहते हैं कि यह कानून हो। कुछ बातों के मुताल्लिक ऐसा कहा गया कि फलां बात जो इसमें है, वह न होती बल्कि इस तरह से होती, तो मैं कुछ उन बातों के मुताल्लिक अर्ज करता हूं। कुंवर साहब ने तो इस सिलसिले में यह फरमाया कि इस कानून के बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बल्कि वहां पर तो डेवलपमेंट होना चाहिये था। मैं उनसे जनाब के जरिये यह अर्ज करता हूं कि डेवलपमेंट होने के लिये यह काम भी जरूरी है कि यहां जो जमींदारी मन्सूख हुआ, उसकी वजह यह तो नहीं थी जैसा कि कई मर्तबा यहां पर कहा गया कि जमींदारों के खिलाफ यह शिकायत रही है कि उन्होंने काश्तकारों के साथ बुरा बर्ताव किया है। लेकिन जमींदारी इसलिये मन्सूख नहीं की गई कि और जमींदारी मन्सूख करना जरूरी इसलिये भी नहीं थी बल्कि इसलिये थी कि एक बड़ी जमात इस स्टेट के अन्दर, जिसकी तादाद ६०, ६३ फीसदी है, वह अपनी जिन्दगी गुजारने में एक मातहती का ख्याल अपने दिमाग में रखती हो और अपनी बहुत सी जरूरतों को, अपनी मंशा को, अपनी राय के मुआफिक पूरा करने में इस वजह से मजबूर हो और उसको वह आजादी हासिल न हो जो आजादी किसी दूसरे आदमी को इस स्टेट के अन्दर बिलखसूस हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हासिल हो, तो आदमियों के दिमागों को इसके लिये तैयार करना कि

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

वे अपने नफे की बातें सोचें और उनके नफे की जो बातें की जायं, उनसे पूरी तरह से फायदा उठायें, ऐसी सूरतेहाल को पूरा करना जरूरी है। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का इस किस्म पर मातहत हो, जिस किस्म की मातहती एक जमींदार और किसान के दरमियान में थी और अब भी बहुत सी जगहों में कायम है, जहां पर जमींदारी एबालिशन नहीं हुआ, तो कुंवर साहब इस जमींदारी मन्सूख को एक कड़ी नहीं समझते हैं, उस डेवलपमेंट की, जो उस एरिया में वहां के रहने वालों की हालत बेहतर करने के लिये जरूरी है। जहां तक सरकार का उस एरिया में डेवलपमेंट करने या न करने का ताल्लुक है, जिस किस्म के डेवलपमेंट के बारे में कुंवर साहब ने सोचा है, उसके मुताल्लिक भी यह बात है कि वहां भी इस किस्म का डेवलपमेंट किया गया है। आप कह रहे थे कि वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गयी होती; वहां कुछ तालीम का इन्तजाम किया गया होता और मुख्तलिफ बातें इस तरह की वहां पर की जातीं तो अच्छा था। चूंकि कुंवर साहब को मालूम नहीं है कि उस रकबे में क्या क्या किया गया है, इस लिये उन्हें ख्याल है कि वह रकबा अभी तक नेगलेक्टेड है, इसलिये यह जमींदारी मन्सूख का बिल पहले लाने की क्या जरूरत है। जब से कुंवर साहब ने यह फरमाया, तो मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की और अगर मुझे इस वक्त बोलने के लिये खड़ा न होना पड़ता तो वह सब मालूमात हासिल हो जाती। लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट की मालूमात मेरे पास आ गयी है, जिसका जिक्र कुंवर साहब ने किया है कि वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई गयी है या नहीं ? जो भी वहां मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई गयी है, उसकी एक बड़ी फेहरिस्त है कि कितनी डिस्पेंसरीज खोली गयी हैं और कितने शफाखाने मरीजों के लिये खोले गये हैं। मैं उनको इस लिये नहीं पढ़ना चाहता हूं कि समय सर्फ होगा, लेकिन इतना जनाब के जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी साहबान चाहें, वह इस लिस्ट को मुझसे लेकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि सरकार ने वहां पर क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज दी हैं। इसको देखने के बाद उन्हें अन्दाजा हो सकता है कि कितना काम मेडिकल रिलीफ पहुंचाने के लिये हो चुका है। ६ तो डिस्पेंसरीज इसमें लिखी हुई हैं और इसके अलावा एक बड़े शफाखाने का भी इसमें जिक्र है। तो यह बात नहीं है कि वहां डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है और जहां इस किस्म के काम करने की जरूरत थी, लिहाजा इसको भी किया गया और इसके लिये यह कानून लाया गया।

दूसरी बात जो इसके मुताल्लिक मैं कहूं, वह यह है कि मुआविजे की बाबत अभी मैं एक तकरीर सुन रहा था और शायद यही बात दूसरी तरफ से भी कही गयी, मुआविजा के मुताल्लिक कि हर एक को एक सा मुआविजा क्यों दिया जाता है, यह तो गलत है। कोई छोटा है कोई बड़ा है अपनी आमदनी के लिहाज से तो जो बड़ा है उसको कम मिलना चाहिये और जो छोटा है उसको ज्यादा मिलना चाहिये, जो मैं समझा हूं, वह यह है। मैं यह कहता हूं कि यह बात गलत फहमी पर मबनी है। अगर किसी कानून के अन्दर ऐसा किया जाय तो वह कानून एक दिन के लिये भी ठहर नहीं सकता है। यह बात अपने विधान के भी खिलाफ होती है, उस को किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। आप यह समझें कि फर्ज कीजिये कि राजा साहब बलरामपुर हैं, जो कि इस स्टेट में सबसे बड़े राजा हैं और उनकी किसी गांव में कोई एक बीघा जमीन है और दूसरा कोई दस रुपये का मालगुजार है या इतनी मालगुजारी का जमींदार है और बलरामपुर का रहने वाला है, उस गांव में उसकी भी जमीन एक बीघा है, तो इन दोनों जमीनों की कीमत क्या होगी, कोई यह बतला दे। उसको कोई इस लिहाज से खरीदेगा कि वह जमीन जो राजा बलरामपुर की है लिहाजा उसकी कीमत ज्यादा है और जो दूसरा आदमी है उसकी जमीन की कीमत कम है। बिला लिहाज इस बात के कि वह किसकी मिल्कियत है, किससे ताल्लुक उस जमीन का है, जमीन की कीमत तो हमेशा एक ही होगी। हम जो जमींदारों को मुआविजा दे

रहे हैं वह उसको जमीन की कीमत दे रहे हैं, उसको थोड़ा किया जाय या बहुत किया जाय, लेकिन अगर इसमें हम यह फर्क निकालें कि जो 'ए' की जमीन है उसको जमीन किस हिसाब से और 'बी' की जमीन किस हिसाब से हो, यह इन्साफन गलत है और यह बात कानूनन गलत होगी। अगर ऐसा कानून लगावें भी तो वह ठहर नहीं सकता है।

जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसकी निस्बत भी गलतफहमी दिमागों में मालूम होती है। उसमें भी सिर्फ एक ही मुआविजा दिया गया है, जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी गयी है वह अलग है, लेकिन मुआविजे के मुतालिक कोई एतराज नहीं हो सकता है। अगर हम किसी की हालत देख करके उसको अपनी तरफ से इम्दाद देते हैं तो उसमें हम इस बात का लिहाज कर सकते हैं कि एक आदमी की अच्छी हालत है, उसको कम दें और एक आदमी की बुरी हालत है, उसको ज्यादा दें। लेकिन यहां तो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट प्रोवाइड नहीं की गयी है। इसलिये जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि एक फर्क बड़ा भारी इसमें मौजूद है, और वह यह है कि यहां जमींदारों की मिल्कियत को मन्सूख नहीं किया जा रहा है, जिसके पास खुद काश्त है, जितना रकबा मैंने पढ़कर सुनाया था, उतना रकबा तो ऐसा है कि जो जमींदार हैं, वह खुद उस पर काश्त करते हैं, उनकी मिल्कियत हम लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस मिल्कियत को लिया जा रहा है जो जमीन कि मेरी है और दूसरे से मैं उसको जुतवा रहा हूं, तो उसकी तादाद बहुत थोड़ी सी है। वहां पर कोई रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देने न देने का सवाल नहीं है। लिहाजा हम मुआविजा जमीन का देंगे और उसमें इस तरह का फर्क कर दें, यह बात गलत है। हमें उसको सही तरीके से समझना चाहिये।

एक बात और आई और वह है दफा १४ की : डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने यह एतराज किया था कि इसमें जो अपील का सेक्शन है, वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको कुछ गलतफहमी हो गई है। इसके अन्दर यह बात है कि जो अपील होगी, वह पहले असिस्टेन्ट सेटलमेंट आफिसर सुनेगा, फिर उसके खिलाफ अपील डेवलपमेंट आफिसर सुनेगा, सेटलमेंट आफिसर के खिलाफ अपील कमिश्नर सुनेगा। तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसमें अपील के लिये एक सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। यह कोई नयी चीज नहीं है। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उसको हमेशा कानून ने इस बात का अख्तियार दिया है कि अगर उसको किसी जरिये से यह मालूम हो जाय कि उसके मातहत जो कोर्ट्स हैं उन्होंने कोई कानूनी गलती की है, तो उसको अख्तियार होता है कि वह उसके लिये कोई मुनासिब कार्यवाही करे। उसी बिना पर यह दफा रखी गयी है और यह चीज बिल में भी है। अंग्रेजी के बिल में एक लाइन रह गयी है, लेकिन हिन्दी के बिल में लिखा हुआ है। बिल तो हिन्दी में ही पास होता है और उसमें यह बात लिखी हुई है। अंग्रेजी में जो लाइन रह गयी है, वह यह है।

" . . or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with substantial material irregularity ."

यह सब बातें इसके अन्दर मौजूद हैं। इसके अन्दर जो अपील की स्कीम है, वह ऐसी स्कीम नहीं है जिसको इस नजर से देखा जाय। इस कानून में इस बात का ध्यान में रखा गया है कि लोगों के साथ इन्साफ हो और इन्साफ हासिल करने में उनको किसी बात की रुकावट न हो। काश्तकारों के बारे में भी कहा गया कि वह कई तरह के

[श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम]
होने हैं। उसके बारे में यह कहा गया कि काश्तकार सिर्फ एक ही तरह का होना चाहिये।

(इस समय २ बजकर ४५ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

काश्तकारों को जो नाम दिये गये हैं वह पहले वाले ऐक्ट में भी हैं और इस ऐक्ट में भी हैं। भूमिधर, सीरदार और आसामी काश्तकारों के नाम हैं। एक काश्तकार को यह राइट है कि वह रुपये के जरिये से भूमिधरी का हक हासिल कर सकता है, किसी भी काश्तकार को इस बात के लिये कोई रुकावट नहीं है। जितना रुपया मुकर्रर है, उसको देने के बाद हर काश्तकार भूमिधरी का हक हासिल कर सकता है। अब रह गयी यह बात कि जमीन से जो फायदा उठाया जाता है, उसमें किसी को कोई रुकावट नहीं है। इसकी सूरत में यह समझूंगा कि क्लासेज का ख्याल इस किस्म से पैदा हो गया है। जिसको बिना पर कान्फ्लिक्ट हो, तो मेरा कहना है कि क्लास एक जमींदार का भी था, एक काश्तकार का भी था, जमींदार छोटे भी थे और बड़े भी थे, तो क्या जो छोटे जमींदार थे, उनको जमींदार नहीं कहा जाता था, वह तो कैटेगिरी का बात थी। दरख्त छोटा भी है, बड़ा भी है, आदमी छोटा भी है और बड़ा भी है। मुझसे कुछ आदमी कद में छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं, मुझ से ज्यादा अक्ल वाले भी हैं और कम अक्ल वाले भी हैं, तो इन सब का क्या इलाज है? इस तरह से तो दुनिया में किसी बात को नहीं कहा जा सकता है। हां, जहां तक अपार्चुनिटी का सवाल है, वह सब को बराबर देने की बात है और वह सब को दी गई है, उसके अन्दर कोई फर्क नहीं है। इसलिये यह कहना कि जो तीन क्लासेज अभी तक रह गये हैं, वह न हों। यह मेरे नजदीक कोई सही बात नहीं है, बल्कि गलत है और जिस प्रकार से यह कानून में रखा गया है, उसी तरह से होना चाहिये।

अब कोई बात माकूल किस्म की शायद कहने से रही नहीं है, जिसका कि जवाब देना बाकी हो, अगर कोई है, तो मैं देख लेता हूं। मेरे पास तो अब कोई बात नहीं है। जो कुछ इसके मुताल्लिक मैंने अर्ज किया है, तो मैं समझता हूं कि चूंकि हर सेक्शन के लोगों ने इसका वेलकम किया है, लिहाजा अब इसको पास कर लेना चाहिये।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २—२६

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के समस्त अथवा किन्हीं कृत्यों के सम्पादन का विशेष रूप से अधिकार दिया हो,

(ख) "कमिश्नर" का तात्पर्य मेरठ डिवीजन के कमिश्नर से है और इसके अन्तर्गत मेरठ डिवीजन का अतिरिक्त कमिश्नर भी है;

(ग) "प्रचलित बन्दोबस्त" का तात्पर्य मालगुजारी के उस बन्दोबस्त से है, जो इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगना में प्रवृत्त हो ;

(घ) "काश्तकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा लगान देय हो अथवा किसी व्यक्त अथवा उपलक्षित (express or implied) संविदा (contract) के अभाव में देय होता ।

स्पष्टीकरण—जिस व्यक्ति के पास सेवा भौमिक अधिकार (service tenure) के आधार पर कोई भूमि हो वह ऐसा व्यक्ति है, जिसके द्वारा उस भूमि के लिये, जिस पर उसका इस प्रकार कब्जा है, लगान देय है ।

(ङ) "मध्यवर्ती" (intermediary) का किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के जमींदार से तात्पर्य है यदि वह भूमि किसी काश्तकार की काश्त में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत धारा ३४ में निर्दिष्ट किसी भूमि का जमीन्दार नहीं है;

(च) "खाग" का तात्पर्य किसी खाते के कोई उपखंड (Sub-Division) से है ;

(छ) "खात" का तात्पर्य गांवों के एक ऐसे समूह से है, जिसे मालगुजारी के निर्धारण के लिये प्रचलित बन्दोबस्त में एक एकक (unit) माना गया हो और बन्दोबस्त अभिलेखों (settlement records) में इसी रूप में दर्ज किया गया हो ;

(ज) "विधि (law)" के अन्तगत कोई ऐसा अध्यादेश, आज्ञा, उपविधि, नियम, विनियम, विज्ञप्ति, रीति या रिवाज (ordinance, order, by-law rule, regulation, notification, custom or usage) है, जिसका इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उक्त परगनों में विधि के रूप में प्रभाव हो ;

(झ) "परगना" का तात्पर्य देहरादून जिले के जोनसार बावर परगना से है ;

(ञ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है

(ठ) शब्द और पद "प्रतिकर अधिकारी", "भूमि", "पट्टा", "विधिक प्रतिनिधि", "स्वामी", "गांव" और "गांव सभा" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) में प्रयुक्त हुये है, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ;

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ ।

(ड) शब्द और पद "बाग", "खाता", "लगान" और "सायर" का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "grove". "holding", "rent" और "sayar" का है, और

[श्री चेयरमैन]

(ढ) शब्द और पद "मालगुजारी", "बोर्ड" और "तहसीलदार", का, जिनकी परिभाषा यहां नहीं की गयी है, किन्तु जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में प्रयुक्त हुये हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त ऐक्ट में क्रमशः "revenue" "Board" और "Tahsildar" का है ; और

(ण) "जमींदार" का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त भूमि के या उसके किसी भाग के स्वामी से है।

अध्याय २

बन्दोबस्त

बन्दोबस्त के सम्बन्ध में विज्ञप्ति।

३--राज्य सरकार इस अध्याय के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त परगना या उसका कोई स्थानीय क्षेत्र, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय, बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाया जाता है और तत्पश्चात् उसे बन्दोबस्त के अन्तर्गत रखा जायगा और तब तक वह इसी रूप में रहेगा जब तक कि राज्य सरकार यह घोषित करते हुये कोई दूसरी विज्ञप्ति न जारी करे कि बन्दोबस्त बन्द कर दिया गया है।

बन्दोवस्त अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार।

४--राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यथास्थिति उक्त परगने के अथवा उसमें स्थित किसी स्थानीय क्षेत्र के बन्दोबस्त के अवधायक (incharge) के रूप में, एक अधिकारी का, जिसे आगे बन्दोबस्त अधिकारी (Settlement Officer) कहा गया है, तथा उतने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (Assistant Settlement Officer) जितने आवश्यक समझे जांय, नियुक्त कर सकती है।

अभिलेखों का तैयार किया जाना तथा उनका निरीक्षण।

५--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र को बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत लाये जाने की घोषणा की जाय, तो बन्दोबस्त अधिकारी या यदि बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे निर्देश दे तो सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे क्षेत्र के प्रत्येक गांव का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में अभिलेख तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे :--

(क) प्रत्येक खाते का क्षेत्रफल,

(ख) खाते के जमींदार का नाम,

(ग) खाते के काश्तकार का नाम,

(घ) खाते में सम्मिलित भूमि धारा ३४ में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत आती है या नहीं,

(ङ) प्रत्येक खाते के अन्तर्गत प्रत्येक गाटे की भूमि का वर्ग, और

(च) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९५३।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अभिलेखों के तैयार करने के लिये अधिकारी जौनसारबावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों के आधार पर कार्यवाही करेगा (shall proceed on) और आधुनिकतम (up-to-date) करने के निमित्त उनमें ऐसे परिष्कार अथवा शुद्धियां (correction) करेगा जो आवश्यक हों।

जमींदारों से सम्बद्ध विवरणों का रजिस्टर।

६—धारा ५ में उल्लिखित अभिलेख तैयार हो जाने पर, बन्दोबस्त अधिकारी ऐसा रजिस्टर तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक जमींदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिये जायंगे :—

(१) नाम,

(२) जमींदार के स्वामित्व में खाते का कुल क्षेत्रफल,

(३) उन खातों का क्षेत्रफल जो काश्तकार के कब्जे में हों, और

(४) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

प्रत्येक जमींदार की मालगुजारी का निर्धारण।

७—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक खाते के सम्बन्ध में निर्धारित मालगुजारी को उस खाते के जमींदारों में उनके स्वामित्व में रहने वाले क्षेत्रफल और उसकी किस्म का ध्यान रखते हुये नियत रीति से विभाजित करेगा।

मालगुजारी निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तावों का प्रकाशन।

८—धारा ७ के अधीन मालगुजारी का विभाजन हो जाने पर, बन्दोबस्त अधिकारी प्रस्तावों को नियत रीति से प्रकाशित करेगा और आपत्तियों पर, जो प्रस्तुत की जांय, विचार करके उन प्रस्तावों को आपत्तियों, यदि कोई हों, तथा ऐसी आज्ञाओं के सहित, जो उसने उनके सम्बन्ध में दी हों, कमिश्नर को प्रस्तुत करेगा जो उनका अनुमोदन या परिष्कार (approve or modify) करेगा और वह दिनांक भी निश्चित करेगा जब से वे प्रस्ताव कार्यान्वित किये जायं।

प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी की घोषणा।

९—बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि, जैसी कि धारा ८ के अधीन अनुमोदित या परिष्कृत हुई हो, नियत रीति से घोषित करेगा और किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी धनराशि प्रत्येक जमींदार द्वारा राज्य सरकार को देय होगी।

लगान का नगदी में परिवर्तन।

१०—(१) यदि किसी खाते के सम्बन्ध में कोई लगान न दिया जाता हो, किन्तु उसके लिये देय हो या यदि लगान जिन्सी (in kind) या खड़ी फसल के किसी अनुमान या कूत के आधार पर या बोयी गयी फसल के साथ बदलने वाली दरों के आधार पर या अंशतः इनमें से किसी एक और अंशतः किसी दूसरे प्रकार से अथवा ऐसे ही अन्य प्रकारों से दिया जाता हो या यदि लगान के बदले किसी प्रकार की सेवा की जाती हो तो बन्दोबस्त अधिकारी देय लगान का या सम्बद्ध काश्तकार (tenant) द्वारा की जाने वाली सेवा के नकदी मूल्य (cash value) का निर्धारण नियत रीति से करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्धारित लगान उस खाते की, जिसमें वह खाता स्थित हो, मालगुजारी के अनुपात (incidence) के अनुसार खाते (holding) पर निर्धारण योग्य मालगुजारी के तिगुने से अधिक न होगा।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान की सूचना सम्बद्ध खातों (holdings) के जमींदारों तथा काश्तकारों को नियत रीति से देगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निर्धारित लगान उस दिनांक से देय होगा, जो कमिश्नर ने धारा ८ के अधीन प्रत्येक जमींदार द्वारा देय मालगुजारी सम्बन्धी प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये निश्चित किया हो।

प्रथम अपील

११—(१) इस अध्याय के अधीन :—

(क) सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से बन्दोबस्त अधिकारी को, और

[श्री चेयरमैन]

(ख) बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से कमिश्नर को अपील की जा सकेगी।

(२) इस अध्याय के प्रयोजनो के लिये शब्द "आज्ञा" मे ऐसी घोषणा सम्मिलित है, जो किसी जमींदार द्वारा देय मालगुजारी के सम्बन्ध मे धारा ९ के अधीन की जाय।

द्वितीय अपील

१२—बन्दोबस्त अधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा दी गयी आज्ञा से केवल निम्नलिखित दशाओ मे बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील (Second Appeal) की जा सकेगी—

(क) जब मूल आज्ञा अपील में परिवर्तित अथवा रद्द कर दी जाय, अथवा उलट दी जाय (varied, cancelled or reversed) या

(ख) किसी निम्नलिखित कारण के आधार पर, अर्थात्—

(१) निर्णय के किसी विशिष्ट (specified) विधि के प्रतिकूल होने की दशा मे;

(२) निर्णय से विधि के किसी महत्वपूर्ण विषय (material issue of Law) का निर्धारण न हो सकने की दशा मे; और

(३) इस अधिनियम द्वारा नियत प्रक्रिया मे ऐसी कोई सारवान (substantial) भूल या दोष (error or defect) रह जाने की दशा मे, जिसके फलस्वरूप मुकदमे का गुणानुसार (upon the merits) निर्णय करने मे कोई भूल या दोष रह गया हो।

बन्दोबस्त सम्बन्ध विज्ञप्ति।

बन्दोबस्त अधिकारि की नियु तथा उ अधिकार

अभिलेखो का तैयार किया जाना तथा उनका निरीक्षण।

यू०पी०ऐक्ट सं०४,१९०१ की धाराओं २१४—२१७ और २२० के उपबन्धों का लागू होना।

१३—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धाराओं २१४, २१५, २१६, २१७ और २२० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर उसी रूप में लागू होंगे, जिस रूप में वे उक्त ऐक्ट के अधीन किसी अपील पर लागू होते हैं।

पुनरीक्षण

१४—बोर्ड किसी ऐसे मुकदमे के अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें बोर्ड को अपील न प्रस्तुत की जा सकती हो, यदि यह प्रतीत होता है कि उस अधिकारी ने, जिसके द्वारा उक्त मुकदमा निर्णीत हुआ हो, ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नही था या इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया है अथवा उसने अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से (substantial irregularity) कार्य किया है। ऐसे मुकदमें में बोर्ड ऐसी आज्ञा दे सकता है जैसी कि वह उचित समझे।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन तथा उसके परिणाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, १९५३।

मध्यवर्तियों के अधिकार आगम और स्वत्वों का अर्जन।

१५—(१) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध मे धारा ३ में निर्दिष्ट द्वितीय विज्ञप्ति के जारी होने पर यथाशीघ्र राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषणा कर सकेगी कि उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उक्त क्षेत्र की निर्दिष्ट की जाने वाली भूमि में समस्त मध्यवर्तियो के अधिकार, आगम तथा स्वत्व निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक के प्रारम्भ से (जिसे आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा) समाप्त हो जायेंगे और उस दशा

को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, सब भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायेंगे।

(२) यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो उसके लिये उपधारा (१) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति को समय-समय पर केवल ऐसे खात या खातों के सम्बन्ध में जारी करना वैध होगा जो निर्दिष्ट किये जायं और उपधारा (१) के सब उपबन्ध ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति पर और उसके विषय में लागू होंगे।

धारा १५ के अधीन अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने के परिणा

१६--धारा १५ के अधीन गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract) लेख्य या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी और इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर विज्ञप्ति से सम्बद्ध भूमि के (जिसे आगे विज्ञप्त भूमि कहा गया है) विषय में निर्दिष्ट दिनांक के प्रारम्भ से आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्--

(क) विज्ञप्त भूमि में मध्यवर्ती के सब अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त होकर और समस्त भारों से मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य में निहित हो जायेंगे;

(ख) समस्त विज्ञप्त भूमि के सम्बन्ध में, जो निश्चित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार के रूप में किसी व्यक्ति के पास हो, यह समझा जायगा कि राज्य सरकार ने उसका बन्दोबस्त उक्त व्यक्ति के साथ कर दिया है और वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उस भूमि के सीरदार के रूप में उस पर कब्जा करने या कब्जा रखने का अधिकारी होगा;

(ग) (१) विज्ञप्त भूमि के सम्बन्ध में निर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये काश्तकार द्वारा देय सभी लगान, जो सम्बद्ध मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व को अर्जित न किये जाने की दशा में उस मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को और यदि इस खंड के विपरीत कुछ दिया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त नहीं होगा;

(२) यदि निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को धारा २१ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा;

(घ) मध्यवर्ती मालगुजारी की उस समस्त बकाया का देनदार रहेगा, जो निर्दिष्ट दिनांक से पहले की किसी भी अवधि के लिये उससे प्राप्य (due) हो और वसूली के किसी अन्य

[श्री चेयरमैन]

ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को धारा २१ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा :

(ङ) इस प्रकार अर्जित किये गये किसी मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व किसी दीवानी या माल न्यायालय की किसी डिग्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन में कुर्क किया या बेचा नहीं जा सकेगा और निर्दिष्ट दिनांक पर वर्तमान कोई भी कुर्की अथवा उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निष्प्रभाव हो जायेगी;

(च) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो विज्ञप्त भूमि पर भारित अथवा उस भूमि के किसी बन्धक द्वारा सुरक्षित है, कोई दावा या दायित्व (claim or liability) जो निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में दी हुई रीति से भिन्न किसी रीति से ऐसी भूमि या काश्तकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) न होगा;

(छ) इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :—

(१) किसी विज्ञप्त भूमि में समाविष्ट (comprised) किन्हीं खानों को चलाते रहने का अधिकार, जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा नियमित होगा, और ।

(२) निर्दिष्ट दिनांक से पहले के लगान या अन्य देयों (dues) की बकाया की वसूली का अधिकार । ये बकाये इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री या लगान का बकाया न देने के कारण बेदखली की कोई आज्ञा वादऋणी (j.dgment debtor) को उसके खाते से बेदखल करके निष्पादित नहीं की जायगी, और

(ज) ऐसे समस्त वाद (suits) और कार्यवाहियां, जो नियत की जायं और जो निर्दिष्ट दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन हों तथा ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में निर्दिष्ट दिनांक से पहले दी गयी किसी डिक्री या आज्ञा से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायेंगी (shall be stayed) ।

राज्य में निहित भूमिगत स्वत्वों का कलेक्टर द्वारा अवधान में ले लिया जाना।

१७—धारा १५ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा, कि वह—

(क) कोई विज्ञप्त भूमि तथा ऐसे सभी स्वत्व अपने अवधान (charge) में ले ले, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये तथा ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर अथवा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अर्जित किसी भूमि में प्रवेश करे और उसका पर्यवलोकन (survey) या उसकी पैमाइश करे अथवा कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे,

(ग) किसी व्यक्ति को यह आज्ञा दे कि वह व्यक्ति किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उक्त किसी भूमि या उसके भाग से सम्बद्ध बही, हिसाब (account) या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे और उस प्राधिकारी को अन्य ऐसी सूचना भी दे जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, और

(घ) यदि आज्ञानुसार बही, हिसाब और अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा अन्य लेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

मध्यवर्ती को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार।

१८—प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके अधिकार, आगम और स्वत्व धारा १५ के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर दिया जायगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९५३।

उ० प्र० अधिनियम सं० ६, १९५३ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परिकल्पना (presumption).

१९—जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, १९५२ के, जैसा कि वह धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन परिष्कृत हुआ है, उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अभिलेखों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये उनमें उस गांव के, जिससे उक्त अभिलेखों का सम्बन्ध है, प्रत्येक मध्यवर्ती और काश्तकार के अधिकार, आगम और स्वत्व का सही उल्लेख है।

प्रतिकर विवरण-पत्र।

२०—(१) मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने के निमित्त प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान करने के प्रयोजनों के लिये प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी :—

(क) मध्यवर्ती का या मध्यवर्तियों के नाम,

(ख) विज्ञप्त भूमि से मध्यवर्ती की लगानी आय (rental income), और

[श्री चेयरमैन]

(ग) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(२) लगानी आय में काश्तकार द्वारा देय लगान——

(क) नगदी के रूप में, अथवा

(ख) यदि लगान नगदी के रूप में देय न हो तो देय लगान का नगदी मूल्य (cash value) जैसा कि वह धारा १० के अधीन नगदी में परिवर्तित (commuted) करके निर्धारित किया गया हो, सम्मिलित होगा।

मध्यवर्ती को प्रतिकर।

२१——धारा १८ के अधीन मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की धनराशि धारा १९ में निर्दिष्ट लगानी आय (rental value) के सोलह गुने के बराबर होगी।

विवरण-पत्र का प्रारम्भिक प्रकाशन।

२२——धारा २० के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर विवरण-पत्र नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को भी भेजी जायगी।

आपत्तियों का प्रस्तुत किया जाना।

२३——स्वत्व रखने वाला कोई व्यक्ति या राज्य सरकार विवरण-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसे विवरण-पत्र के सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी के समक्ष नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपत्तियों का निपटारा।

२४——(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी उपधारा (२) में व्यवस्था की गयी है, प्रतिकर अधिकारी धारा २३ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करके नियत रीति से आपत्तियों का निपटारा करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्ति,

(क) यह हो कि सम्बद्ध भूमि विज्ञप्त भूमि नहीं है, तो प्रतिकर अधिकारी इस आशय का विचारणीय विषय (issue) निश्चित करेगा और उसे परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर (Assistant Collector in charge of the Sub-divsion) का निपटारे के लिये भेज देगा ;

(ख) के अन्तर्गत आगम (title) का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो (involved) और ऐसा प्रश्न पहले किसी सक्षम न्यायालय (Competent Court) द्वारा निर्णीत (determined) न हुआ हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस प्रश्न को निर्णयार्थ जिला जज को भेज देगा।

स्पष्टीकरण——इस बात से कि कोई व्यक्ति काश्तकार है या नहीं, यह नहीं समझा जायगा कि इस खंड के आशय के अन्तर्गत आगम का कोई प्रश्न उठाता है।

(३) जिला जज उस प्रश्न का, जो उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उसे भेजा जाय, नियत रीति से निर्णय करेगा और उसका तत्सम्बन्धी निर्णय अंतिम होगा।

कलेक्टर के समक्ष अपील।

२५——किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो धारा २४ के अधीन आपत्ति का, जहां तक उसका सम्बन्ध प्रतिकर की धनराशि से हो, निर्णय करने वाले प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved)

हो, कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। कलेक्टर ऐसी अपील का नियत रीति में निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

विवरण-पत्र का अन्तिम रूप से प्रकाशन।

२६--(१) यदि धारा २२ के अनुसार प्रकाशित प्रतिकर विवरण-पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो, या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और उसका अंतिम रूप से निपटारा हो चुका हो, तो विवरण-पत्र, यदि आवश्यक हो तो संशोधित, परिवर्तित (altered) या परिष्कृत किया जायगा। प्रतिकर अधिकारी विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ विवरण-पत्र अंतिम (final) होगा।

(३) अंतिम विवरण-पत्र की एक प्रति सम्बद्ध मध्यवर्ती को निःशुल्क दी जायगी।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ से २६ तक इस विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

प्रतिकर का भुगतान।

२७--(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गई है, धारा २६ में अभिदिष्ट (referred) अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में उल्लिखित प्रतिकर नगदी के रूप में एकमुश्त या १० से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जो भी नियत किया जाय, दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस मध्यवर्ती को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में दर्ज हो और यदि प्रतिकर पाने से पूर्व ही मध्यवर्ती की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ६९ और ७० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर पर लागू होंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड संख्या २७ में निम्न-लिखित संशोधन करना चाहता हूं :--

खंड (१) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "या १० से अनधिक वार्षिक किस्तों में जो भी नियत किया जाय", निकाल दिये जायें।

श्रीमान्, यह जो मेरा संशोधन है, वह खंड २७ के सम्बन्ध में है, और मैं उस धारा को आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। मेरे पास अंग्रेजी का बिल है, इसलिये मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ता हूं--

"Section 27 (1) : Except as provided in sub-section 3 the compensation mentioned in the final compensation statement referred to in section 26 shall be paid in cash in one lump sum or in annual instalments not exceeding ten as may be prescribed."

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसमें मेरा ऐसा ख्याल है कि जो जमीनें हैं और जिनका कम्पेन्सेशन देना होगा, तो उनकी रेन्टल वेल्यू डेढ़ या दो रुपये से ज्यादा नहीं है और अगर १६ गुना उसका देना होगा तो ३२ रुपये होगा या ४० रुपये कहीं कहीं तक होगा और ज्यादा से ज्यादा ५० रुपये होगा। तो ५० रुपये को भी १० इन्स्टालमेंट में दिया जाय, गवर्नमेंट की यह बात मेरी समझ में से ठीक नहीं है। जिसको मिलना है और जैसा कि हमारे यहां प्लैन्स में जो पास हुआ है, उसमें ५० रुपये कैश उन जमींदारों को दिया गया है, जिनकी जमींदारी खत्म हुई है, तो उनको इस तरह से नहीं मिलना चाहिये। इसमें तो ज्यादा रकम का सवाल ही नहीं है। कम्पेन्सेशन जो २० या २५ रुपये देने हैं, वह उनको दे दिया जाय और उनको इन्स्टालमेंट में न दिया जाय, क्योंकि डेढ़ या दो रुपये इन्स्टालमेंट में मिलने से वह तो उसे चाट में ही खत्म कर देगा। एक साथ २५ रुपये मिलने से वह एक गरम कोट खरीद सकता है या इसी तरह की दूसरी चीजें खरीद सकता है। जिसको वह दो-चार वर्ष चला भी सकेगा। यह आप मेहरबानी करके इन्स्टालमेंट्स में न दें बल्कि लम्प सम में दे दें। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें कोई बड़ी रकम का खर्च भी नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—करता तो यही, जो कुंवर साहब फरमा रहे हैं लेकिन अगर हम न रखते, तो उस वक्त कुंवर साहब जो तकरीर करते, वह क्या होती, मैं बताऊं। कुंवर साहब की तकरीर होती कि साहब यहां तो चालीस वर्ष की किस्त रख दी गई है और इस बिल में कुछ और रखा गया है। यह डिस्टिंक्शन करना मैं नहीं चाहता। बाकी यह कि उनको रकम दी जाय। जिनकी अधिक है, उनको किस्त में दी जाय। यह हमारा इरादा है। जिसको दे सकते हैं, उसको देंगे। किसी वजह से जिसकी बिना पर ऐसा करना जरूरी मालूम हो, तो कर दिया जायगा। अमल में वही होगा जो आप फरमा रहे हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं उम्मीद किये हुये था कि मन्त्री जी, मजबूती के साथ कुछ कहेंगे या कोई रीजनेबिल आर्गूमेंट हमारे सामने उपस्थित करेंगे। जिससे हमारे माननीय मन्त्री की बात कुछ वेट रखती। मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि आपके ऊपर फैसला छोड़ दूं। ३२, ३४ रुपये देने में कौन बड़ा भारी फर्क हो जायगा। यह तो हमारी मंशा है। हमको देना है, इससे काम नहीं चलेगा। ५० रुपये तक आप दे ही चुके हैं। किन्हीं केसेज में देंगे और किन्हीं केसेज में नहीं देंगे, तो इससे हार्ट बर्निंग पैदा होगी। यह भी आपकी दलील सही नहीं रह जाती है। मैं तो समझता हूं इसमें कोई जिद्द की बात नहीं है और माननीय मन्त्री जी को स्वीकार करना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं भी जिद नहीं करता हूं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड संख्या २७ में खंड (१) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "या दस से अनधिक वार्षिक किस्तों में, जो भी नियत किया जाय" निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २७ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८—४३

प्रतिकर पर ब्याज।

२८—धारा २६ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण-पत्र में उल्लिखित प्रतिकर निश्चित् दिनांक (appointed date) से प्राप्य (due) होगा और उस प्रतिकर पर राज्य सरकार निश्चित दिनांक से —

(१) नकदी के रूप में एकमुश्त दी जाने वाली धनराशि की दशा में धारा २६ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र के अंतिम प्रकाशन के दिनांक तक, और

(२) वार्षिक किस्तों में दी जाने वाली धनराशि की दशा में, पहली किस्त के भुगतान के दिनांक तक और उसके पश्चात् ऐसी धनराशि पर जो अंतिम किस्त की अदायगी के दिनांक तक समय-समय पर बाकी रहे,

२॥ प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष ब्याज देगी।

अध्याय ४

भूमि का प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियन्त्रण।

२९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी गांव सभा को गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी निश्चित दिनांक से राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से, ऐसी भूमियों और वस्तुओं के (इसमें वन तथा बिना जोती हुयी ऐसी भूमि भी सम्मिलित है जो किसी जमींदार के स्वामित्व में हो।) जो नियत की जायं, सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, परिरक्षण और नियन्त्रण का भार सौंपा जा सकेगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९५१ की ११८ से १२८ तक की धाराओं का लागू होना।

३०—यदि किसी गांव सभा को धारा २९ के अधीन, किसी क्षेत्र में स्थित भूमियों और वस्तुओं के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध परिरक्षण और नियन्त्रण का भार सौंपा गया हो तो उक्त परगना पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ११८ की उपधारा (२) तथा धारा ११९ से लेकर धारा १२८ तक के उपबन्ध और धारा १२८ के अधीन निर्मित तत्सम्बन्धी नियमों के उपबन्ध लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे अनुकूलन (adaptation) परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद (exception) कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों। ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायगी।

अध्याय ५

भौमिक अधिकार (land tenure) तथा मालगुजारी

भौमिक अधिकार के वर्ग।

३१—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों (tenure-holders) के निम्नलिखित वर्ग (classes) होंगे, अर्थात्

(क) भूमिधर,

(ख) सीरदार, और

(ग) असामी,

भूमिधर।

३२—(१) इस अध्याय के प्रवृत्त होने के दिनांक से विज्ञप्त भूमि से भिन्न भूमि का प्रत्येक जमींदार, किसी विधि में, किसी बात के रहते हुये भी, उक्त भूमि का भूमिधर कहलायेगा और माना जायगा।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन भूमिधर माना जाता हो और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर ले, वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम के द्वारा, या अधीन, उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हो।

सीरदार।

३३--प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को--

(क) जो धारा १६ के अधीन मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये जाने के फलस्वरूप सीरदार बन जाय,

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन और अनुसार खाली भूमि का सीरदार बनाया जाय, और

(ग) जो इस अधिनियम के अधीन और अनुसार किसी अन्य प्रकार से सीरदार के अधिकार प्राप्त कर ले,

वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा यह इसके अधीन सीरदार को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

असामी।

३४--(१) इस अध्याय के प्रवृत्त होने के दिनांक से निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग को भूमि का प्रत्येक काश्तकार किसी विधि में किसी बात के रहते हुये भी उक्त भूमि का असामी कहलायेगा और माना जायगा--

(क) बाग, भूमि,

(ख) पशुचर भूमि (pasture land) या ऐसी भूमि जो जलमग्न हो और जो कोई उपज पैदा करने के काम में आती हो या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो,

(ग) भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर दी हो कि वह अस्थिर (shifting) या स्थायी (unstable) काश्त के भू-खंड (tract) का भाग है या उसमें टौंगिया रीति से वृक्ष लगाने का विचार है या वह एतदर्थ अलग कर दी गयी है, और

(घ) भूमि, जो किसी ऐसे जमींदार या किन्हीं ऐसे जमींदारों से ली गयी हो, जिनमें से सभी सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की, जैसा कि वह उक्त परगना पर लागू होता है, धारा १५७ के (क)-से (छ) तक के खंडों में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक वर्ग के हों।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) के अधीन असामी माना जाय और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार खाली भूमि असामी के रूप में उठा दी जाय या जो किसी अन्य प्रकार से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सभी दायित्वों का भागी होगा, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन असामी को दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

३५--यदि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी की मृत्यु हो जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी अवक्रमण, उत्तराधिकार और दाय (devolution, succession and inheritance) के विषय में उस पर लागू होने वाली विधि से उसी प्रकार नियमित होते रहेंगे, मानो यह अधिनियम पारित हो नहीं हुआ है।

उत्तराधिकार

३६--(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३४ से १३९ तक (उस दशा को छोड़कर जहां उनके उपबन्धों का सम्बन्ध किस्तों के भुगतान से है) १४१ से १४६ तक, १५२ से १६८ तक, १७६ से १९५ तक, १९७ से २११ तक, २१२क, २१२ख, २१२ग, २१३ से २३० तक और अध्याय १० की धारायें २४१ से २९४ तक के उपबन्ध और उक्त अधिनियम की धारा २३० और २९४ के अधीन निर्मित विषयों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*) उक्त परगना पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१, के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का लागू होना।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

३७--(१) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के जैसा कि वह १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्ध तथा उसके अधीन निर्मित्त नियम या विनियम (rules or regulations) अथवा उसके अधीन जारी की गयी आज्ञायें आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त परगना पर लागू होंगी, किन्तु राज्य सरकार, सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, का उक्त परगाना पर लागू होना।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

अध्याय ६

प्रकीर्ण

३८--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार प्रतिकर अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

प्रतिकर अधिकारियों की नियुक्ति।

(२) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त किये गये प्रतिकर कमिश्नर तथा सम्बद्ध क्षेत्र (region) के सहायक प्रतिकर कमिश्नर उक्त परगने के लिये क्रमशः प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर होंगे।

३९--(१) प्रतिकर कमिश्नर और सहायक प्रतिकर कमिश्नर प्रतिकर अधिकारी के कार्यों के निरीक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

अधिकार और कर्तव्य।

(२) प्रतिकर अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों या उस पर आरोपित किये गये हों।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९५१ के अध्याय १२ की कतिपय धाराओं के उपबन्धों का परगना पर लागू होना।

४०—(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा ३२१ से ३३६ तक, ३३८ और ३४१ से ३४४ तक के उपबन्ध तथा उक्त अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन निर्मित नियमों क उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उक्त परगना पर लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद कर सकती है, जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो और जो उसके मतानुसार आवश्यक प्रतीत हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन या अपवाद के सम्बन्ध मे किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस अध्याय के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

धारा ३६, ३७ या ४० के अधीन र्नमित आज्ञायें राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेंगी।

४१—धारा ३६, ३७ या ४० के अधीन जारी की गयी कोई आज्ञा, जारी हाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रखी जायगी और वह उन परिष्कारों के अधीन रहेगी, जिन्हें विधान मंडल उस सत्र मे करे जिसमे वह आज्ञा इस प्रकार रखी गयी हो।

निर्वर्तन।

४२—यदि इस अधिनियम के अध्याय १ के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व उक्त परगना में भौमिक अधिकार विषयक कोई विधि (law) प्रवृत्त हों, तो ऐसी विधि का वह अंश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, उस दिनांक से और उस सीमा तक जिस तक यह अधिनियम धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन और अनुसार प्रवृत्त हो, निर्वर्तित (repeal) हो जायगा और इस प्रकार निर्वर्तित विधि पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निर्वर्तित कोई विधायन (enactment) था।

नियम बनाने का अधिकार।

४३—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:

(क) गांव के निरीक्षण तथा धारा ५ के अधीन अभिलेखों (records) की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(ख) धारा ६ के अधीन रजिस्टरों की तैयारी से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(ग) वह रीति जिससे धारा ८ के अधीन आपत्ति प्रस्तुत की जायगी और उसका निपटारा किया जायगा,

(घ) धारा १५ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के निहित होने से पूर्व की कार्यवाहियां,

(ङ) धारा १६ के अधीन स्थगित वादों तथा कार्यवाहियों (p.oceedings) का निपटारा,

(च) धारा १७ के अधीन भूमियों तथा स्वत्वों के अवधान में लाये जाने से सम्बद्ध विषय,

(छ) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा २० के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र तैयार किया जायगा,

(ज) वह रीति तथा आकार (form) जिनके अन्तर्गत धारा २३ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी,

(झ) वह प्रक्रिया जिसका धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन न्यायालय अथवा प्राधिकारी के अधिकार में प्रतिकर की धनराशि दे देने में अनुशरण किया जायगा।

(ञ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार भी है :

(क) ऐसी कालावधि (lim.its of time) नियत करना, जिसके भीतर नियत की गयी अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार देकर या न देकर, नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं,

(ख) ऐसे मामलों में, जिनके विषय में इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र वाद या दूसरी कार्यवाहियों में अनुशरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुशरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) ऐसे मामलों में जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(ङ) ऐसे मामलों में, जिनके लिये इस अधिनियम में एतदर्थ कोई विशेष उपबन्ध नहीं बनाया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क :

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों (applications) अपीलों और कार्यवाहियों (proceedings) पर इंडियन, लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, के उपबन्धों का लागू किया जाना ;

(छ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation) ; तथा

(ज) एक प्राधिकारी या अधिकारी से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी को कार्यवाहियों का संक्रमण (transfer)।

(४) इस अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल अपने उस सत्र में करें, जिनमें वे इस प्रकार रक्खे जायं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २८ से ४३ तक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड—१

देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना में राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित करने तथा वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के जौनसार-बावर परगना में राज्य और कृषक के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार (rights), आगम (title) और स्वत्व (interest) अर्जित किये जायं और वहां भौमिक सुधारों की व्यवस्था की जाय :—

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त जौनसार-बावर परगना में होगा।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रचलित हो जायगा। शेष अध्याय ऐसे दिनांक या दिनांकों से प्रचलित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एतदर्थ निश्चित करे। इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न अध्यायों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा खंड १ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I move that the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Bill, 1955, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be passed.

श्री कुंवर गुरु नारायण—यों तो थर्ड रीडिंग के अवसर पर कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब यह विधेयक इस भवन के सम्मुख रखा गया था तो उस समय मैंने यह कहा था कि जहां तक उसूल का ताल्लुक है कि जमींदारी विनाश विधेयक होना चाहिये तो उसमें तो कोई भी डिफरेन्स आफ ओपीनियन नहीं है, लेकिन मैंने यह आपत्ति की थी कि किसी चीज को लाने से पहले यह देखा जाता है कि वहां की जमीन, वहां के लोग, वहां की परिस्थिति ऐसी है कि आप उस चीज को वहां पर सही तौर पर कामयाब कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से इस विधेयक की जौनसार बावर में उतनी आज आवश्यकता नहीं है जितनी कि आवश्यकता वहां पर सुधार की है, हर चीज के डेवलपमेंट की है। तो जितनी तकरीरें इस सदन में हुईं, सबने यह अन्दाजा कर लिया कि मैं चाहता हूं कि जमींदारी वहां पर खत्म न की जाय। मैं तो वहां के जमींदारों को मिसनोमर समझता हूं। आप जिन जमींदारों को जमींदारी कहते हैं मैं उसको जमींदारी नहीं मानता हूं। मंत्री जी ने भी बताया था कि वहां इतनी कम जमीन है कि वहां पर यह कहना कि आप वहां पर बहुत भारी रिवोल्यूशनरी चेन्ज कर देंगे, तो वह तो बात होने की है नहीं, इसीलिये मैंने कहा था कि इस विधेयक को बाद में लाते। इंसान खेती करता है और जो बंजर में खेती करता है तो उसको फरटाइल बनाने के पहले वह साधन इकट्ठा करता है फिर उसको उपजाऊ बनाता है, लेकिन जहां पैदावार हो ही नहीं सकती है, वहां पर रुपया पैसा खर्च करने से क्या लाभ ? वहां पर रुपया पैसा खर्च करना तो व्यर्थ है।

एक बात यह कही गयी कि वहां पर बंटवारा नहीं है और न रिकार्ड्स हैं। मुझे जहां तक याद है, मैं समझता हूं कि पिछली बार मन्त्री जी ने कहा था कि वहां रिकार्ड्स बनवाये जा रहे हैं। अब आपके रिकार्ड्स कम्पलीट हो गये होंगे, तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर दो सौ, तीन सौ आदमी ऐसे हैं, जिनके पास आप समझते हैं कि जमीन रहनी चाहिये, तो आप अपने इक्जीक्यूटिव आर्डर से इजेक्टमेंट रोक सकते थे। यह कोई आपके लिये कठिन नहीं था। लेकिन यह जमींदारी एबालिशन विधेयक जो आपने रखा, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मुमकिन है, मेरा विचार गलत हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज नहीं तो तीन, चार, पांच वर्ष के अन्दर आपको फिर एक कम्प्रेहेन्सिव लेजिस्लेशन लाना होगा और फिर जो क्लासेज आपने किसानों में पैदा कर दिये हैं, उनकी मांग होगी कि आपने यह मतभेद क्यों किया और फिर आपको एक क्लास बनाना होगा। मुमकिन है आज वह व्यवस्था न हो, लेकिन मेरा अनुमान है कि आगे चल कर इस बात की डिमांड होगी कि हमारे यह डिफरेन्सेज मिटें और तब आप विधेयक लायेंगे, तो जहां गवर्नमेंट ने इतने समय तक इन्तेजार किया, मैं समझता हूं कि तीन-चार वर्ष में कोई ऐसी बड़ी आपत्ति न उत्पन्न हो जाती उस स्थान पर, जहां पर सिविलाइजेशन का विकास न हो, जिसके लिये यह विधेयक आप लाये। मेरा जो मतलब था वह बिल्कुल ही दूसरा था और मेरे मित्र प्रभुनारायण सिंह जी ने उसको बिलकुल ही गलत समझा, लेकिन मैं समझता हूं कि जान-बूझकर बहुत सी बातें हम लोग ऐसी करते हैं, जिनको हम जानते हैं कि ठीक है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चूंकि कहना पड़ता है, इसलिये कहते हैं। उनको कुछ न कुछ सोशलिस्ट विचारधारा के अनुसार कहना था, इसलिये कह दिया। हमको उन्होंने कहा कि जमींदारी का मोह नहीं गया। मैं पूछता हूं कि मैंने जब कहा कि जमींदारी का नाश न किया जाय, मैं तो कहता हूं कि आईसोलेटेड हिस्सा अलग नहीं रह सकता। मैंने स्वयं ऐडमिट कर लिया था, इसलिये उनको इस बात के कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि चूंकि आगे चलकर आपको विधेयक को बदलना होगा, इसलिये अभी ४-५ वर्ष और रुक जाते, तब तक आप वहां दूसरी विकास योजनायें चलाते, जो नया बिल आता, उसमें इसको इन्क्लूड कर देते, तो ज्यादा अच्छा होता। यही मुझे इस सम्बन्ध में कहना था। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात यह और कहनी है कि जो आपने मुआविजे की बात रखी है मैंने अभी माननीय मन्त्री जी से भी कहा था। मैं समझता

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

हूं कि माननीय मन्त्री जो दिल से महसूस कर रहे थे कि बात सही है, लेकिन किसी कारण-वश वह भी मजबूर थे, क्या करते।

श्री चेयरमैन——प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का जोनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन——अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३ बजकर ५ मिनट पर दूसरे दिन १९ जनवरी, सन् १९५६ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
१८ जनवरी, सन् १९५६ ई०।

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पृष्ठ १०१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम संस्था	जिला	स्वीकृत धनराशि
			रु०
१	किशोरी अनाथालय, गोवर्धन ..	मथुरा ..	५००
२	सिंचो कृष्ण सिंह ट्रस्ट ...	मथुरा ...	५००
३	जिला बोर्ड अनाथालय ..	उरई ...	१,०००
४	हिन्दू आरफेनेज ..	बुलन्दशहर ..	१,५००
५	कुमायूं आर्य अनाथालय ...	अल्मोड़ा ...	५००
६	दयानन्द अनाथालय, जमुना ब्रिज ...	आगरा ...	२,०००
७	सेन्ट जोसेफ आरफेनेज ...	आगरा ...	१,०००
८	विधवा आश्रम ..	आगरा ...	५००
९	सेन्ट बोर्सेट्स होम (विधवाओं तथा अनाथों के लिये)	आगरा ...	५००
१०	बुन्देलखंड आरफेनेज ..	बांदा ...	५००
११	बुन्देलखंड अनाथालय ..	बांदा ..	२५०
१२	हिन्दू अनाथालय ...	कानपुर ..	२,५००
१३	यतीमखाना इस्लामिया ...	कानपुर ..	१,५००
१४	दीन हितकारी सभा ...	झांसी ..	१,०००
१५	श्रीमद् दयानन्द अनाथालय ...	बस्ती ..	१,०००
१६	काशी अनाथालय एसोसियेशन लोहारबीर	बनारस ..	२,०००
१७	भिंगाराज अनाथालय ..	बनारस ...	५००
१८	काशी सेवा समिति ..	बनारस ...	१,५००
१९	सेवा समिति आरफेनेज ..	मुजफ्फरनगर ..	५००
२०	श्रीमद् दयानन्द आरफेनेज ..	शाहजहांपुर ..	५००
२१	मेकडोनेल आरफेनेज, बलरामपुर ..	गोंडा ..	२५०
२२	महिला कल्याणकेंद्र नगलाशर्की ...	बदायूं ...	१,५००
२३	अन्तीय अनाथालय, महोबा ...	हमीरपुर ..	१,०००
२४	मदरसा नाबीना, नगीना ...	बिजनौर ..	२५०
२५	अनवरे मुस्तफई आरफेनेज ..	सहारनपुर ...	५००
२६	अखिल भारत महिला आश्रम, लक्ष्मी चौक	देहरादून ..	१,०००
२७	श्री श्रद्धानन्द अनाथालय, वनिता आश्रम	देहरादून ...	१,५००
२८	वैश्य आरफेनेज ..	मेरठ ...	२,०००
२९	मुस्लिम आरफेनेज ..	मेरठ ..	५००
३०	सेन्ट एन्थोनीस कान्वेंट आरफेनेज ...	नैनीताल ...	५००
३१	हमीदिया आरफेनेज ..	गोरखपुर ..	२५०
३२	राय बहादुर दुर्गाप्रसाद पुवर हाउस एन्ड आरफेनेज	गोरखपुर ..	५००

क्रम-संख्या	नाम संस्था		जिला	स्वीकृत धनराशि
				रु०
३३	हिन्दू अबला आश्रम	..	गोरखपुर	५००
३४	अन्जुमन इस्लामिया	..	गोरखपुर	५००
३५	विल्ड्रेन इन्स्टीट्यूट, स्वराज्य भवन		इलाहाबाद	५,०००
३६	हिन्दू आरफेनेज	..	इलाहाबाद	२,०००
३७	आर्य समाज आरफेनेज	..	बरेली	२,०००
३८	मुस्लिम आरफेनेज, बरेली	..	बरेली	५००
३९	श्रीराम इन्डस्ट्रियल आरफेनेज	..	लखनऊ	५००
४०	अन्जुमन इस्लाहुल मुसलमीन, लखनऊ		लखनऊ	१,०००
४१	आल इंडिया शिया यतीमखाना,	..	लखनऊ	५००
४२	सेवा सदन	...	लखनऊ	२,०००
४३	दयानन्द आरफेनेज	..	लखनऊ	५००
४४	किंग पुवर हाउस	...	लखनऊ	५००
४५	दयानन्द रक्षा मन्डल	...	लखनऊ	५००
४६	हिन्दू महिला आश्रम	...	लखनऊ	२,०००
४७	चिल्ड्रेन्स होम	...	लखनऊ	२,५००
			योग	५०,०००

नत्थी 'ख'

देखये प्रश्न १२ का उत्तर पृष्ठ ०२ र

तालिका

क्रम-संख्या	पुस्तक का नाम	सम्पादक अथवा लेखक का नाम	मूल्य	कक्षा	१९५४-५५ में मुद्रित की गई संख्या		१९५५--५६ में मुद्रित की गई संख्या	
					हिन्दी	उर्दू	हिन्दी	उर्दू
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	बेसिक रीडर तथा अंक गणित भाग १ हिन्दी तथा उर्दू में	सम्पादक, शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश	१० आना	१	१२,००,०००	१२,०००	२,००,०००	१६,०००
२	बेसिक रीडर भाग २ हिन्दी तथा उर्दू में	,,	८ आना ९ पा०	२	७,१०,०००	१५,०००	४,५०,०००	१५,०००
३	,, ३ ,, ,,	,,	१० आना ६ पा०	३	७,५०,०००	१५,०००	३,७०,०००	१०,०००
४	,, ४ ,, ,	,,	८ आना ६ पा०	४	४,५०,०००	११,०००	३,५०,०००	१०,०००
५	,, ५ ,, ,,	,,	९ आना	५	३,७५,०००	१२,०००	२,९५,०००	१०,०००
६	बेसिक अंकगणित भाग २ हिन्दी तथा उर्दू में	,,	८ आना	२	२,४०,०००	५,०००	२,२०,०००	५,०००
७	,, ३ ,, ,,	,,	९ आना	३	२,६६,०००	५,०००	२,३०,०००	५,०००
८	,, ४ ,, ,,	,,	८ आना	४	३,७०,०००	५,०००	१,००,०००	५,०००
९	,, ५ ,, ,,	,,	१० आना	५	३,००,०००	४,०००	२,५०,०००	५,०००
१०	कृषि और सरल विज्ञान भाग १ केवल हिन्दी में	,,	६ आना	३	३,७५,०००	शून्य	३,००,०००	शून्य
११	,, ,, २ ,,	,,	७ आना	४	३,००,०००	,,	२,००,०००	,,
१२	,, ,, ३ ,,	,,	८ आना ६ पा०	५	२,५०,०००	,,	२,२५,०००	,,

APPENDIX A

(See *answer to question no.* 12 *on page* 102)

STATEMENT

Serial no.	Name of the book	Name of the author or editor	Price	Class	Total number of books printed in 1954 55		Total number of books printed in 1955-56	
					Hindi	Urdu	Hindi	Urdu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rs. a. p.					
1	Basic Reader and Arithmetic, Part I	Editor (Hindi and Urdu version) Director of Education U. P,	0 10 0	I	12,00,000	12,000	2,00,000	16,000
2	Basic Reader and Arithmetic, Part II	" "	0 8 9	II	7,10,000	15,000	4,50,000	15,000
3	Basic Reader and Arithmetic, Part III	" "	0 10 6	III	7,50,000	15,000	3,70,000	10,000
4	Basic Reader and Arithmetic, Part IV	" "	0 8 6	IV	4,50,000	11,000	3,50,000	10,000
5	Basic Reader and Arithmetic, Part V	" "	0 9 0	IV	3,75,000	12,000	2,95 000	10,000
6	Basic Arithmetic, Part II	" "	0 8 0	II	2,40,000	5,000	2,20,000	5,000
7	Basic Arithmetic, Part III		0 9 0	III	2,66,000	5,000	2,30,000	5,000
8	Basic Arithmetic, Part IV		0 8 0	IV	3,70,000	5,000	1,00,000	5,000
9	Basic Arithmetic, Part V		0 10 0	V	3,00,000	4,000	2,5 ,000	5,000
10	Krishi Our Saral Vigyan, Part I	Hindi Version only	0 6 0	III	3,75,000	Nil	3,00,000	Nil
11	Krishi Our Saral Vigyan, Part II	"	0 7 9	IV	3,00,000	Nil	2,00,000	Nil
12	Krishi Our Saral Vigyan, Part III	"	0 8 6	V	2,50,000	Nil	2,25,000	Nil

नत्थी 'ग'

(देखिये प्रश्न १७ का उत्तर पृष्ठ १०३ पर)

Extract of paragraph 96 (c) of the U. P. Educational code, referred to in the answer to Council question no. 17 (*a*).

96 (*c*) The Head of the institution will limit the admissions into any class or section of a class to the number of Scholars for which there is accommodation in the class room subject to a maximum of [illegible] scholars in each section of classes IX and X, and 50 scholars in each section of classes XI and XII.

नत्थी 'घ'

(देखिये प्रश्न १८ का उत्तर पृष्ठ १०४ पर।)

Copy of Rule 3 (*d*) under regulation 3 in Chapter VII of the Calender of Board of High school and Intermediate Educational 1953-54, referred to in answer to Council question no. 18 (*a*)

"3 (*d*) The strength of the tutional staff should be such that no teacher is required normally to do teaching work for not more than 30 periods out of 42 working periods per week."

नत्थी 'ङ'

(देखिये प्रश्न २९ का उत्तर पृष्ठ १०७ पर)

तालिका, जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या २९ (क) तथा (ख) के उत्तर में किया गया है

हाई स्कूल परीक्षा

क्रम-सं०	विद्यालयों का नाम	चेतावनी	चेतावनी भेजने की तिथि
१	२	३	४
	राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं	केन्द्र व्यवस्थापक को इस आशय की चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में अधिक सतर्क रहें ताकि इस प्रकार की कोई घटना न होने पाये	१९-११-५४
२	म्युनिसिपल महिला हायर सेकेन्डरी स्कूल, बदायूं	,,	,,
३	हर सहाय जगदम्बा सहाय हायर सेकन्डरी स्कूल, कानपुर	,,	,,
४	श्री कुर्मी क्षत्रिय हायर सेकेन्डरी स्कूल, इटावा	,,	,,
५	डी० ए० वी० कालेज, गाजीपुर	,,	,,
६	हिन्दू इन्टर कालेज, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर	,,	,,
७	शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुबन, आजमगढ़	,,	,,
८	राष्ट्रीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, भरौली आजमगढ़	,,	,,
९	एम० एस० विद्यामन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, इलाहाबाद	,,	२९-९-५५

इन्टरमीडियेट परीक्षा

क्रम-सं०	विद्यालयों का नाम	चेतावनी	चेतावनी भेजने की तिथि
१०	एस० एम० इन्टर कालेज, खतौली, मुजफ्फरनगर	केन्द्र व्यवस्थापक को इस आशय की चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में अधिक सतर्क रहें ताकि इस प्रकार की कोई घटना पुनः न होने पाये।	२४-२-५५

क्रम-सं०	विद्यालयों का नाम	चेतावनी	चेतावनी भेजने की तिथि
१			
११	के० एल० डी० ए० वी० इन्टर कालेज, रुड़की	केन्द्र व्यवस्थापक को इस आशय की चेतावनी दी गई कि वे भविष्य में अधिक सतर्क रहें ताकि इस प्रकार की कोई घटना पुनः न होने पाये	१६-५-५५
१२	म्युनिसिपल इन्टर कालेज, वृन्दावन		२२-२-५५
१३	एस० पी० कालेज, शाहगंज, जौनपुर		२२-२-५५
१४	डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ		२५-२-५५
१५	श्री गणेश इन्टर कालेज, कासगंज, एटा		८-९-५५

नत्थी 'च'

(देखिये प्रश्न ३१ का उत्तर पृष्ठ १०८ पर)

सन् १९५५–५६ के सत्र के बेसिक रीडरों के मुद्रक एवं प्रकाशकों की सूची ।

बेसिक रीडर, भाग १

(१) मेसर्स इलाहाबाद ला जनरल ऐन्ड कम्पनी लिमिटेड, मुद्रक एवं प्रकाशक, इलाहाबाद

(२) ,, जी० आर० भार्गव एेंड संस, मुद्रक एवं प्रकाशक, चन्दौसी, मुरादाबाद।
(३) ,, भारत प्रकाशन मन्दिर, प्रकाशक, अलीगढ़।
(४) ,, गंगा फाइन आर्ट प्रेस, मुद्रक एवं प्रकाशक, लखनऊ ।

बेसिक रीडर, भाग २

(१) मेसर्स इलाहाबाद ला जनरल ऐन्ड कम्पनी लिमिटेड, मुद्रक एवं प्रकाशक, इलाहाबाद।
(२) दी प्रचारक पुस्तकालय, मुद्रक एवं प्रकाशक, ज्ञानवापी, बनारस
(३) यूनिवर्सल प्रेस, मुद्रक एवं प्रकाशक, इलाहाबाद।
(४) आर्ट प्रिंटर्स मुद्रक, इलाहाबाद।
(५) राम प्रसाद ऐन्ड सन्स, प्रकाशक अस्पताल रोड, इलाहाबाद ।
(६) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, मुद्रक एवं प्रकाशक, इलाहाबाद।
(७) श्रीराम मेहरा ऐन्ड कम्पनी, प्रकाशक, आगरा ।

बेसिक रीडर, भाग ३

(१) मेसर्स जाब प्रेस लिमिटेड, मुद्रक, दी माल, कानपुर।
(२) ,, न्यू आर्ट प्रेस, मुद्रक, इलाहाबाद।
(३) ,, श्री भारतीय प्रकाशन, प्रकाशक, १० अमीनाबाद, लखनऊ ।
(४) ,, नव भारत प्रेस, मुद्रक नादान महल रोड, लखनऊ ।
(५) ,, कल्याण प्रेस, मुद्रक एवं प्रकाशक, जौनपुर ।
(६) ,, गंगा प्रेस, मुद्रक, अशरफ टोला, हरदोई।
(७) ,, ब्रज कौशल प्रेस, मुद्रक, १३–ए म्योर रोड, इलाहाबाद।

बेसिक रीडर, भाग ४

(१) मेसर्स राजा राम कुमार बुक डिपो, मुद्रक एवं प्रकाशक, लखनऊ।
(२) ,, संसार प्रेस, मुद्रक, बनारस ।
(३) ,, सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, प्रकाशक, ९ हेमिल्टन रोड, इलाहाबाद
(४) ,, नील कमल प्रकाशन, प्रकाशक, ७२, हजरतगंज, लखनऊ ।
(५) ,, सूर्य प्रकाशन भवन, प्रकाशक, लखनऊ ।
(६) ,, राम दयाल अग्रवाल, प्रकाशक, २१६, कटरा, इलाहाबाद।
(७) ,, नूतन प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, १५ रावत पाड़ा, आगरा।
(८) ,, दि अरुण प्रेस, मुद्रक, पी० बी० नं० २७, मुरादाबाद।
(९) ,, रस्तोगी, ऐन्ड कम्पनी, मुद्रक एवं प्रकाशक, नीयर तहसील, मेरठ।
(१०) ,, सिंघल प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, बुलन्दशहर।
(११) ,, पुस्तक भवन, प्रकाशक, अशरफ टोला, हरदोई ।

बेसिक रीडर, भाग ५

(१) मेसर्स प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ ।
(२) ,, राम चरन लाल अग्रवाल, प्रकाशक, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ ।
(३) ,, किताब घर, मुद्रक, एवं प्रकाशक, अलीगढ़ ।
(४) ,, शारदा प्रेस, मुद्रक, न्यू कटरा, इलाहाबाद ।
(५) ,, हिन्दी भवन, प्रकाशक, काल्पी ।
(६) ,, स्वाधीन प्रेस, मुद्रक एवं प्रकाशक, मानिक चौक, झांसी
(७) ,, एम० गुलाब सिंह, ऐन्ड संस, मुद्रक एवं प्रकाशक, इलाहाबाद ।
(८) ,, एजूकेशनल इम्पोरियम, प्रकाशक, हीवेट रोड, लखनऊ ।
(९) ,, भूगोल कार्यालय, प्रकाशक, ककरहाघाट, इलाहाबाद ।
(१०) ,, ला पब्लिशिंग हाउस प्रकाशक एवं मुद्रक, ३२ शिवचरन लाल रोड, इलाहाबाद ।
(११) ,, महेशानन्द ऐन्ड सन्स, प्रकाशक, अशोक नगर, लखनऊ ।
(१२) ,, राम जी दास गुप्ता ऐन्ड सन्स, प्रकाशक, छत्ता बाजार, मथुरा ।
(१३) ,, शिशु कार्यालय, प्रकाशक, शिशु भवन, इलाहाबाद ।

APPENDIX B

(See *answer to question no.* 31 *on page* 108)

List of the Printers and Publishers of Basic Readers for the year 1955-56

Basic Reader Part I

1. Messrs. Allahabad Law Journal and Co. Ltd., Printer and Publisher, Allahabad.

,, G. R. Bhargava and Sons, Printer and Publishsher, Chandausi, Moradabad.

,, Bharat Prakashan Mandir, Publisher, Aligarh.

4. ,, Ganga Fine Art Press, Printer and Publisher, 36 Gautam Budh Marg, Lucknow.

Basic Reader Part II

Messrs. Allahabad Law Journal and Co. Ltd., Printer and Publisher, Allahabad.

,, Hindi Pracharak Pustakalya, Printer and Publisher, Gyanwapi, Banaras.

3. ,, Universal Press, Printer and Publisher Allahabad.
4. ,, Art Printers, Printer and Publisher, Allahabad.
5. ,, Ram Prasad and Sons, Publisher, Hospital Road, Agra.
6. ,, Indian Press Ltd., Publisher and Printer, Allahabad.

,, Sri Ram Mehra and Co. Publisher, Agra.

Basic Reader Part III

1. Messrs. Job Press Ltd., Printer the Mall, Kanpur.
2. ,, New Thougt Press, Printer, 168 Chowk, Allahabad.
3. ,, Sri Bharti Prakashan, Publishers, 10 Aminabad Park, Lucknow.
4. ,, Nava Bharat Press, Printers, Nadan Mahal Road, Lucknow.
5. ,, Kalyan Press, Printers and Publishers, Jaunpur.
6. ,, Ganga Press, Printer, Ashraf Tola, Hardoi.
7. ,, Brij Kaushal Press, Printer, 13-A Muir Road, Allahabad.

Basic Reader Part IV

,, Messrs. (Raja) Ram Kumar Book Depot, Publisher and Printer, Lucknow.

2. ,, Sansar Press Ltd., Printer, Banaras.
3. ,, Saraswati Publishing House, Publisher, 9 Hamilton Road, Allahabad.
4. ,, Meel Kamal Prakashan, Publishers, 72 Hazratganj, Lucknow.
5. ,, Surya Prakashan Bhawan, Publisher, Lucknow.

6. Messrs. Ram Dayal Agarwal, Publisher, 216 Katra, Allahabad.
7. ,, Nutan Printing Press, Printer, 15 Rawat Para, Agra.
8. ,, The Arun Press, Printer, P. B. no. 27, Moradabad.
9. ,, Rastogi and Co., Publisher and Printer, Near Tahsil, Meerut.
10. ,, Singhal Printing Press, Printer Bulandshahr.
11. ,, Pustak Bhawan, Publisher, Ashraftola, Hardoi

Basic Reader Part V

1. Messrs Prem Printing Press, Printer, Aminuddaula Park, Lucknow.
2. ,, Ram Charan Lal Agarwal, Publisher, Aminabad Park, Lucknow.
3. Kitab Ghar, Printer and Publisher, Aligarh.
4. Sharda Press, Printer, New Katra, Allahabad-2.
5. Hindi Bhawan, Publisher, Kalpi.
6. Swadhin Press, Printer, Manik Chowk, Jhansi.
7. M. Gulab Singh and Sons, Printer and Publisher, Hewett Road, Allahabad.
8. Educational Emporium, Publisher, Hewett Road, Lucknow.
9. Bhugol Karyalaya, Publisher, Kakrahaghat, Allahabad.
10. Law Pulishing House, Publisher and Printer, 33 Sheocharan Lal Road, Allahabad.
11. Maheshanand and Sons, Publisher, Ashok Nagar, Lucknow.
12. Ramji Dass Gupta and Sons, Publisher, Chhata Bazar, Mathura.
13. Shishu Karyalaya, Publisher, Shishu Office, Allahabad.

पी० एस० यू० पी०--१५ एल० ए०--१९५६--७९० (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

गुरुवार, १९ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५३)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राना शिव अम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पांडे, श्री
राम लखन, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत, बन तथा सहकारी मंत्री)
श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

कबाल टाउन्स के प्रबन्धकों के वेतन-क्रम और भत्ते का कुल व्यय

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कबाल टाउन्स (Kabal Towns) में जो प्रबन्धक (Administrators) नियुक्त किये गये हैं उनमें से प्रत्येक के प्रबन्धकों पर, जब से वे बोर्ड सुपर्सीड किये गये थे, अब तक वेतन और भत्ता आदि सब मिलाकर प्रत्येक वर्ष क्या व्यय हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर (न्याय तथा स्वशासन मंत्री)—जो सूचना अब तक प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर जुलाई, १९५३ ई० से नवम्बर, १९५५ ई० तक प्रत्येक वर्ष अलग-अलग व्यय निम्न प्रकार है। इसमें कहीं-कहीं से छुट्टी का वेतन (Leave salary), पेंशन सम्बन्धी अंशदान (Pensionery Contribution) तथा सफर भत्ते (T.A.) के बारे में पूरी-पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये वह इसमें शामिल नहीं है।

शहर का नाम	जुलाई सन् १९५३ से मार्च, १९५४ तक			१९५४-५५			अप्रैल, १९५५ से नवम्बर, १९५५ तक		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—कानपुर	१६,७२४	१	०	२३,९४४	११	०	१५,३३६	१२	०
२—आगरा	१९,९८४	१०	०	२५,२४७	२	११	१९,९३२	८	०
३—इलाहाबाद	११,३०७	११	०	१७,६००	४	०	१३,९२१	७	५
४—बनारस	२३,६०८	१०	०	२८,५१४	११	०	१७,९१३	६	०
५—लखनऊ	१९,४२८	१५	३	२५,७७५	२	९	१७,७०३	११	०

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वे कब तक कायम रहेंगे ? क्या वे इलेक्शन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जायेंगे या इलेक्शन के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोई प्राविजन है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह जाहिर है कि जब इलेक्शन हो जायेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं रहेंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कब तक कबाल टाउन्स में इलेक्शन होने की सम्भावना है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरा ख्याल है कि जैसे ही कारपोरेशन बिल पास हो जायेगा और उस सिलसिले में जो जरूरी कार्यवाही है, मसलन एलेक्टोरल रोल्स और कांस्टीटचुन्सी का बनाना, तो उसके बाद ही चुनाव करा देंगे।

५ एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की संख्या जहां कान्सट्रक्शन वर्क्स के लिये इंजीनियर्स नहीं हैं।

२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में एक लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाली कौन-कौन सी नगरपालिकायें हैं जहां कन्सट्रक्शन वर्क्स (Construction works) के लिये इंजीनियर नहीं हैं?

श्री सैयद अली जहीर—प्रदेश में बरेली, सहारनपुर, रामपुर, झांसी तथा गोरखपुर ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां construction works के लिये इंजीनियर नहीं हैं?

३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नगरपालिकाओं में Construction works की देखभाल किन व्यक्तियों के जिम्मे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इन नगरपालिकाओं में construction works की देखभाल इक्जीक्यूटिव आफिसर तथा ओवरसियर के जिम्मे है।

४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त नगरपालिकाओं को इंजीनियर्स रखने के लिये सरकार द्वारा कोई आदेश दिया गया है?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नगरपालिकाओं ने क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर—(क) इनमें से केवल बरेली नगरपालिका को सरकार द्वारा इंजीनियर नियुक्त करने के लिये आदेश दिये गये हैं।

(ख) बरेली नगरपालिका ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की थी, इसलिये इस नगरपालिका को जिलाधीश द्वारा पुनः आदेश दिये गये हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि बरेली नगरपालिका को इंजीनियर नियुक्त करने का आदेश सब से पहले कब दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर—मार्च, सन् १९५५ में।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि मार्च, सन् १९५५ से अभी तक बरेली नगरपालिका ने इंजीनियर नहीं नियुक्त किया, तो इसके सम्बन्ध म सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री सैयद अली जहीर—उनको दोबारा लिखा गया है कि क्यों नहीं रखा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में नगरपालिका की तरफ से कोई उत्तर आया है कि वे इन्जीनियर नियुक्त करने जा रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी थोड़े दिन हुये उन्हें दोबारा लिखा गया था।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इसके लिये कोई डेट मुकर्रर की हुई है कि उस समय तक नगरपालिका अपने यहां इंजीनियर्स को नियुक्त कर ले?

श्री सैयद अली जहीर—मेरा विचार है कि इसमें कोई तारीख तो नहीं है, लेकिन उनको यह लिखा गया है कि वह जल्द से जल्द अपने यहां इंजीनियर्स मुकर्रर कर लें।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अगर वह इसी प्रकार से सरकार के आदेश की अवहेलना साल, डेढ़ साल से कर रहे हैं, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

श्री चेयरमैन--यह प्रश्न तो कल्पनात्मक (Hypothetical) है, इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक बरेली नगरपालिका में जब कोई इन्जीनियर नहीं है, तो वहां कन्स्ट्रक्शन की देखभाल कौन टेक्निकल आदमी करता है क्योंकि वहां जो एक्जीक्यूटिव आफिसर है, वह केवल बी० ए०, एल-एल० बी० है और टेक्निकल आदमी नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं समझता हूं कि वहां ओवरसियर जो होगा, वह उसकी निगरानी करेगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बरेली नगर-पालिका में कोई ओवरसियर भी नहीं है ?

श्री चेयरमैन--यह क्या सुपरसीडेड बोर्ड है या निर्वाचित म्युनिसिपल बोर्ड है ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--यह निर्वाचित म्युनिसिपल बोर्ड है।

श्री चेयरमैन--म्युनिसिपल बोर्ड की हर प्रकार की कार्यवाही की जिम्मेदारी सरकार को नहीं है और फिर मूल प्रश्न से भी इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन उपर्युक्त नगरपालिकाओं ने अब तक इन्जीनियर्स नहीं रखे हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--नगरपालिकाओं में इन्जीनियर नियुक्त करने का प्रश्न स्वयं नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है, जब तक कि सरकार ने नियुक्ति के लिये विशेष आदेश न दिया हो। चूंकि बरेली नगरपालिका के अतिरिक्त इन शेष चार नगरपालिकाओं को कोई विशेष आदेश नहीं दिये गये थे इस कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

६-७--**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(स्थगित)।

नगरपालिका, बिन्दकी के सेक्रेटरी पर लगाये गए चार्जेज पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

८--**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, बिन्दकी के सेक्रेटरी के ऊपर जो १७ अगस्त, १९५५ को सरकार ने चार्ज लगाया था, उस पर सेक्रेटरी का जवाब आ गया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर--(क) आरोप अध्यक्ष नगरपालिका, बिन्दकी ने लगाये थे और उनका जवाब सेक्रेटरी ने ३१-८-१९५४ को दे दिया था।

(ख) आख्याओं और सम्बन्धित पत्रों के प्राप्त होने पर सरकार ने विषय पर पूर्णरूप से जांच करने के बाद, अध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों को हटा देने के आदेश प्रसारित कर दिये।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदेश देने के पहले आडिट रिपोर्ट को देख लिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आदेश उस समय के बाद हुये जब कि एक सेनिटरी इन्सपेक्टर मुकर्रर कर लिया गया था ?

श्री चेयरमैन——इस प्रश्न को आप और स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब लखनऊ के एक कर्मचारी का रिश्तेदार सेनिटरी इन्सपेक्टर मुकर्रर कर दिया गया, उसके बाद आदेश हुये ?

श्री चेयरमैन——इस प्रश्न में आक्षेप किया गया है, इसलिये इस प्रकार का प्रश्न पूछना वाजिब नहीं है।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार यह बतायेगी कि सेक्रेटरी महोदय ने जो वाउचरों में तब्दीलियां की थीं, उनको देख लिया था ?

श्री सैयद अली जहीर——मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या क्या चीजें देख करके आदेश जारी हुये। बहरहाल, दफ्तर से जो उचित कार्यवाही हो सकती थी, वह कर ली गयी थी।

नगरपालिका बिन्दकी को जब्त करने के सम्बन्ध में भेजे गये प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

९——श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, बिन्दकी को जब्त करने के लिये विधान मन्डल के सदस्यों तथा बिन्दकी के नागरिकों की तरफ से जो प्रार्थना-पत्र आये थे, उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर——सरकार प्रार्थना-पत्र पर आई हुई जिलाधीश की आख्या पर विचार कर रही है। यह भी आशा है कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद के लिये जो दावे न्यायालयों में चल रहे हैं, उनके निर्णय के बाद सम्भवतः यह झगड़े स्वतः दूर हो जावेंगे।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश की आख्या के साथ साथ एस० डी० एम० ने जो जांच की थी, उसकी रिपोर्ट आयी है ?

श्री सैयद अली जहीर——मेरे पास वह फाइल नहीं है, जिसमें यह रिपोर्ट है, इसलिये मैं नहीं कह सकता हूं कि उसके साथ है या नहीं है। मुमकिन है कि आयी हों।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मामला न्यायालयों द्वारा निर्णय हो जाने पर म्युनिसिपल बोर्ड की हालत ठीक हो जायगी ?

श्री चेयरमैन——यह तो कल्पनात्मक सवाल है।

श्री पन्ना लाल गुप्त——मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसका निर्णय हो जाने के बाद उसकी हालत कैसे ठीक हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर——जवाब में दिया गया है कि आशा है कि हो जायगी।

श्री पन्ना लाल गुप्त——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह आशा किस चीज पर कायम है ?

श्री सैयद अली जहीर——वह तो हक की बात है, जब अदालत से तय हो जायगा, तो मैं समझता हूं कि सब ठीक हो जायगा। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि अदालत से तय हो जाने पर सब बातें ठीक हो जाती हैं, इसी तरह से यह भी ठीक हो जायगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रार्थना-पत्र में जो गबन और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, वह भी इससे ठीक हो जायंगी ?

श्री चेयरमैन--अगर मंत्री महोदय चाहें तो इसका जवाब दें दे, यों तो इस प्रश्न द्वारा एक रूप में राय मांगी गई है।

श्री सैयद अली जहीर--मैंने तो पहले ही कहा है कि उस पर विचार हो रहा है।

कोड़ा जहानाबाद जिला फतेहपुर को टाउन एरिया बनाया जाना

१०--श्री पन्ना लाल गुप्त --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कोड़ा, जहानाबाद, जिला फतेहपुर को कब से टाउन एरिया बनाने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--कोड़ा जहानाबाद, जिला फतेहपुर को टाउन एरिया घोषित करने की सरकारी विज्ञप्ति ७ जनवरी, १९५६ को निर्गम हो चुकी है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस पर अमल-दरामद कब से किया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर ----इसकी जो जरूरी स्टेज हैं, जब वह पूरी हो जायेंगी, तो अमल हो जायेगा। जब गजट हो गया है, तो इस पर अमल जरूर होगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभाओं के जो मेम्बर्स और सभापति चुने गये हैं, वे कब तक कायम रहेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--जब तक वहां टाउन एरियाज नहीं बन जायेंगे।

चुनार, जिला मिर्जापुर में जलकल की योजना का कार्यान्वित होना

आदि सं० २ ता० १२-१२-५५

११--श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चुनार, जिला मिर्जापुर में जलकल की योजना को उसने स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो वह कब से कार्यान्वित होगी ?

श्री सैयद अली जहीर--(क) योजना को स्वीकार करने से पहले इसका detailed project बनाना आवश्यक है। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसका project बनाया जा रहा है। इसके बन जाने के पश्चात् ही इसको स्वीकार करने तथा कार्यान्वित करने का प्रश्न उठेगा।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रोजेक्ट कितने दिनों से बन रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--नवम्बर, सन् १९५४ में यह रुपया जमा हुआ था, उसी वक्त से मेरा ख्याल है कि बन रहा होगा।

सन् १९५३-१९५४ और १९५५ ई० में नियुक्त जिला नैनीताल की गांव पंचायतों के सचिवों के नाम, उनका निवास-स्थान व योग्यतायें

४ २-१२-५५

१२--श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार कृपा करके सन् १९५३, १९५४ और १९५५ में जिला नैनीताल में गांव पंचायतों में नियुक्त हुये सचिवों के नाम, उनके रहने के स्थान और उनकी योग्यताओं का एक ब्यौरा सदन की मेज पर रखेगी ?

12—**Sri Indra Singh Nayal** (Local Authorities Constituency)—Will the Government lay on the table a statement showing the names and places of residence and qualifications of the Secretaries of Gaon Panchayats recruited in the Naini Tal District in—

(*a*) 1953,
(*b*) 1954,
(*c*) 1955 ?

श्री सैयद अली जहीर--जिला नैनीताल में सन् १९५३, १९५४ और १९५५ में नियुक्त किए गए पंचायत मंत्रियों के नामों, निवास-स्थानों तथा उनकी योग्यताओं की सूची* मेज पर रखी जाती है।

Sri Syed Ali Zaheer—A statement† showing the names, places of residence, and the qualifications of Secretaries of Gaon Panchayats recruited in the Naini Tal District in the years 1953, 1954 and 1955 is laid on the table.

१५ अगस्त सन् १९५५ को हाकिम परगना मोठ जिला झांसी का चेयरमैन नोटीफाइड एरिया कमेटी समथर से यू० पी० डेवलपमेंट लोन के लिये प्राप्त रकम की जानकारी

१३—श्री लल्लू राम द्विवेदी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)— — आदि संख्या ५ तारीख २२-१२-५५

(क) क्या सरकार बतायेगी कि १५ अगस्त, सन् १९५५ को हाकिम परगना मौठ, जिला झांसी ने चेयरमैन, नोटीफाइड एरिया कमेटी, समथर से यू० पी० डेवलपमेंट लोन के वास्ते कितने रुपये प्राप्त किये ?

(ख) यह रुपया किसकी आज्ञानुसार प्राप्त किया गया ?

१४—श्री लल्लू राम द्विवेदी—क्या यह ठीक है कि उपर्युक्त रकम को हाकिम परगना ने बिना नोटीफाइड एरिया कमेटी की मंजूरी के चेयरमैन से प्राप्त किया ? — २२-१२-५५

(ख) यदि हां, तो उक्त हाकिम परगना ने ऐसा क्यों किया ?

१५—श्री लल्लू राम द्विवेदी (अनुपस्थित) (क)—क्या यह ठीक है कि नोटीफाइड एरिया कमेटी, समथर ने १६ अगस्त, १९५५ को उपर्युक्त रकम को डेवलपमेंट लोन में न लगाने का एक प्रस्ताव द्वारा निश्चय किया ? — ७ २२-१२-५५

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव की एक प्रति लिपि मेज पर रक्खेगी ?

१६—श्री लल्लू राम द्विवेदी—(क) क्या यह ठीक है कि नोटीफाइड एरिया कमेटी, समथर ने १६ अगस्त, १९५५ को हाकिम परगना के विरुद्ध एक और प्रस्ताव किया ? — ८ २२-१२-५५

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खेगी ?

(ग) सरकार ने उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की ?

१७—श्री लल्लू राम द्विवेदी—(अनुपस्थित) — ९ २२-१२-५५

(क) क्या अतिरिक्त जिलाधीश, झांसी व चेयरमैन, नोटीफाइड एरिया कमेटी, समथर में इस सम्बन्ध में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन पत्रों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

---

* देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ २०४ पर ।

† नत्थी 'क' on page 204

प्रश्न संख्या १३ से २१ तक श्री पन्ना लाल गुप्त द्वारा पूछे गए ।

१३-१७--श्री सैयद अली जहीर--सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर बाद में दिया जायेगा।

श्री पन्ना लाल गुप्त--सरकार को सूचना एकत्रित करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरा ख्याल है कि जब दोबारा कौंसिल मीट करेगी. तब तक उसका जवाब आ जायेगा।

श्री पन्नालाल गुप्त--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसकी फिर से इत्तिला देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जो कौंसिल के रूल्स है, उसी के हिसाब से यह होगा।

महोबा म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा में मीठे पानी के कुओं की कमी

आदि संख्या १० तारीख २२-१२-५५

१८--श्री लल्लूराम द्विवेदी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि महोबा म्युनिसिपलबोर्ड की सीमा के अन्दर मीठे पानी के कुओं की बहुत कमी है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

महोबा म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा नलकूप योजना के लिये कर्ज मांगा जाना

११ २२-१२-५५

१९--श्री लल्लू राम द्विवेदी (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि महोबा म्युनिसिपल बोर्ड ने नलकूप योजना के लिये सरकार से कुछ कर्ज मांगा था और सन् १९४९ में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उसका स्टीमेट (Estimate) तैयार किया गया था ?

१

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

परन्तु १९४९-५० में केवल एक rough forecast of cost तैयार किया गया था, detailed estimate नहीं बनाये गये थे।

१२ २२-१२-५५

२०--श्री लल्लू राम द्विवेदी (अनुपस्थित)--क्या यह भी ठीक है कि उपर्युक्त नलकूप योजना को तैयार कराने के लिये महोबा म्युनिसिपल बोर्ड ने सन् १९५३ ई० में लगभग ८,००० रु० फीस जमा की थी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

१९५३ में बोर्ड ने Drainage scheme बनानें के लिये ६,७५७ रु० जमा किये थे परन्तु scheme में कुछ परिवर्तन होने के कारण फीस के रुपये केवल १,३७६ ही पड़े। अतएव Chief Engineer ने बोर्ड को यह सुझाव दिया था कि बाकी ५,३८१ रुपये वह Water Supply Scheme बनाने की फीस के मद में जमा कर सकता है। बोर्ड ने इसकी अनुमति नवम्बर १९५४ में दी। Water Supply Scheme के detailed project बनाने की कुल फीस ८,४९८ रु० होती है और बाकी ३,११७ रुपये बोर्ड ने मई १९५५ में जमा किये हैं। अभी पानी के source के संबंध में कुछ निश्चय न होने के कारण स्कीम का बनना रुका हुआ है।

२

१३ २२-१२-५५

२१--श्री लल्लू राम द्विवेदी (अनुपस्थित)--उपर्युक्त योजना के चालू किये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार के चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग, हाल ही में महोबा में inspection करने गये हैं और पानी का source निश्चित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् Project तैयार किया जायगा। स्कीम के लिये धन का निश्चय न मिलना भारत सरकार से ऋण उपलब्ध होने पर ही निश्चित किया जा सकता है।

रामपुर में ३ जनवरी, १९५५ से ३० सितम्बर सन् १९५५ ई० तक नाजायज शराब, अफीम और कोकीन बेचने के अपराध में पकड़े हुए व्यक्तियों की संख्या

आदि सं० १९ तारीख २२-१२-५५

२२--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर में जनवरी, १९५५ से ३० सितम्बर, १९५५ तक किन-किन मुहल्लों में कितने-कितने व्यक्ति नाजायज शराब, अफीम और कोकीन बेचते हुये पकड़े गये ?

श्री परमात्मानन्द सिंह (श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री के सभासचिव)--ऐसे मुहल्लों के नाम तथा व्यक्तियों की संख्या की सूची* संलग्न है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ४, ५ महीनों में जो इतनी अधिक संख्या में नाजायज शराब पकड़ी गई है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--उसका कारण यह हो सकता है कि पहले की अपेक्षा जांच इत्यादि की व्यवस्था अब अच्छी हो गई है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नाजायज शराब को रोकने के सम्बन्ध में कोई स्कीम सरकार के पास है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जो साधारण नियम हैं, वे ही सुव्यवस्थित रूप से लागू किये जाने पर हालात ठीक हो जायेंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी ६० से ज्यादा स्थानों में नाजायज शराब के पकड़े जाने को भी साधारण अवस्था में ख्याल करते हैं ?

श्री चेयरमैन--यह तो आप राय मांग रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर में राय नहीं मांगी जा सकती है।

उन गांव सभाओं की संख्या जिनके प्रधान निर्विरोध चुने गये तथा चुनाव का खर्चा

२३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष देश में कितनी गांव सभाओं के प्रधान निर्विरोध चुने गये ?

श्री सैयद अली जहीर--२९,११८ गांव सभाओं के प्रधान निर्विरोध चुने गये। अभी बाढ़ पीड़ित पांच जिलों--गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया व बलिया में चुनाव होना बाकी है।

२४--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष गांव सभाओं के चुनावों में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

---

*देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ २०८ पर।

श्री सैयद अली जहीर—चुनाव कार्य अभी चल रहा है, इसलिये खर्चे की निश्चित रकम बतलाना सम्भव नहीं। चुनाव विभाग को अब तक लगभग २,७०,००० रु० दिया जा चुका है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन चुनावों के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें आई है। उस सम्बन्ध में क्या कोई आदेश निकाला गया है कि उसकी जांच हो ?

श्री सैयद अली जहीर—गांव सभाओं के चुनावों में जो शिकायतें आई है, उसका एक ही मुख्य रास्ता है। यह पहले से निर्धारित है कि पेटीशन दायर करके उसकी जांच करा ली जाय। पहले पेटीशन दायर करने की फीस २५ रुपये थी। फीस ज्यादा होने के कारण बहुत से लोग दरख्वास्त नहीं दे सकते थे। उसको कम कर दिया गया है।

लखनऊ शहर में सार्वजनिक पार्कों की संख्या व उनका रख-रखाव

२५—**श्री राम किशोर रस्तोगी** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर लखनऊ में सार्वजनिक पार्कों की संख्या कितनी है ?

श्री सैयद अली जहीर—८४।

२६—**श्री राम किशोर रस्तोगी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका द्वारा इन पार्कों में से कितनों की देखरेख होती है और कितनों की नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—नगरपालिका द्वारा ३७ पार्कों की देखरेख भली-भांति होती है, किन्तु ४७ पार्कों की नियमित रूप से नहीं होती।

२७—**श्री राम किशोर रस्तोगी**—(अ) क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगरपालिका ने इन पार्कों के नजदीक कूड़ाघर बना रखें हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—(अ) जी हां, केवल ६ पार्कों के नजदीक।

(ब) नगरपालिका ने जिन बस्तियों में कूड़ा-घर पार्कों के नजदीक बनाये हैं, उनमें कोई ऐसा और उचित स्थान नहीं मिल सका जहां कूड़ा-घर बनाया जा सकता और न बनाने से सफाई ठीक से नहीं होती।

२८—**श्री राम किशोर रस्तोगी**—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पार्कों में से कितनों में बच्चों के खेलने के लिये साधन एकत्रित हैं ?

(ख) क्या शेष पार्कों में भी ऐसे साधन एकत्रित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर—(क) ५ पार्कों में।

(ख) जी नहीं, किन्तु ३ और पार्कों में ऐसे साधन एकत्रित करने का प्रश्न नगरपालिका के विचाराधीन है।

श्री राम किशोर रस्तोगी—क्या सरकार को ज्ञात है कि दयानिधान पार्क की हालत बड़ी बदतर है ? उसमें दिन में चौपाये चरते है।

श्री सैयद अली जहीर—मैंने बताया कि ३७ पार्कों की देखरेख भली भांति होती है, किन्तु ४७ पार्क ऐसे हैं जिनकी नियमित रूप से देखभाल नहीं होती है। यह भी उन पार्कों में से हो सकता है जिनकी देखभाल नियमित रूप से नहीं होती है।

२९—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(स्थगित)।

रुड़की तहसील में मुन्सफी की अदालत का न होना

३०——**श्री तेलू राम** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——क्या यह ठीक है कि जिला सहारनपुर में रुड़की तहसील में मुन्सफी की अदालत नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर——जी हां ।

३१——**श्री तेलू राम**——क्या सरकार को ज्ञात है कि रुड़की तहसील से मुन्सफी के मुकद्दमे जो सहारनपुर जाते हैं, उनकी संख्या जिले में आधे से अधिक है ?

श्री सैयद अली जहीर——यह सही नहीं है कि सहारनपुर जिले के आधे से अधिक मुकद्दमे रुड़की तहसील के होते हैं ।

श्री तेलू राम——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुड़की के मुन्सिफी के केसेज जो सहारनपुर में ट्राई होते हैं, उनकी पर्सेन्टेज क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर——Regular as well as small cause court cas s relating to Roorkee Tahsil come to 23% and 24% respectively.

श्री तेलू राम——क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रुड़की जिला सहारनपुर में सबसे बड़ी तहसील है तो क्या सरकार वहां मुन्सिफी की अदालत कायम करने की कृपा करेगी ?

श्री चेयरमैन——यह तो कार्यविशेष के लिये सुझाव है ।

श्री सैयद अली जहीर——उस पर निर्णय नहीं हुआ । गौर हो रहा है ।

३२——**श्री तेलू राम**——(क) क्या सरकार रुड़की में एक मुन्सफी अदालत खोलने का इरादा रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर——यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । किन्तु अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस विषय में सरकार का क्या और कब तक निर्णय होगा ।

दिनांक १६ जनवरी, सन् १९५६ ई० को श्री कन्हैया लाल गुप्त का चेयर की व्यवस्था के पश्चात् विरोध स्वरूप सदन से उठकर बाहर चले जाने पर श्री चेयरमैन द्वारा दी गई व्यवस्था का पुनर्वीक्षण

श्री चेयरमैन——माननीय सदस्यों को याद होगा कि १६ जनवरी को एक माननीय सदस्य चेयर के निर्णय (ruling) के विरोध में यह कह कर सदन के बाहर चले गये थे कि मेम्बरों की हकतलफी हो रही है, इसलिये वे वाकआउट करते हैं । इस पर चेयरमैन ने कहा था कि चेयर के निर्णय (ruling) के विरोध में सदन से बाहर चले जाना ठीक नहीं है और इस घटना को सदन की विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

मैंने इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि पहिले में इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट निर्णय (ruling) दे दूं और अभी इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सामने न भेजूं ।

मैंने यह मार्ग इसलिये अपनाया है कि पिछले कुछ महीनों के अन्दर इस प्रकार की तीन घटनायें हुई और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के मन में कुछ भ्रम प्रतीत होता है, जिसका निवारण किया जाना आवश्यक है । संसदीय पद्धति (Parliamentary Practice) का यह मूल सिद्धान्त है कि चेयर की रूलिंग पर आपत्ति नहीं की जा सकती, वरन् उसे सहर्ष अन्तिम निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है । सभापति भी एक आदमी होने के नाते गलती

कर सकता है, किन्तु सभापति सदन की सत्ता और मर्यादा का चिन्ह स्वरूप माना जाता है। किसी सदस्य का कोई भी व्यवहार जो कि चेयर की मान मर्यादा को आघात पहुंचाता हो, सदन का अपमान करना है।

मैंने इस बात को कई बार कहा है कि यदि किसी सदस्य को किसी प्रकार की कठिनाई या आपत्ति हो, उस पर विचार करने के लिये सदस्य मुझसे कभी भी चेम्बर में मिल सकते हैं। उस दिन भी मैंने माननीय सदस्य को सुझाव दिया था कि वे मुझ से मेरे चेम्बर में मिल लें। परिषद् के हाल में चेयर के किसी निर्णय (ruling) पर न तो बहस ही हो सकती है और न वह निर्णय किसी विरोध के कारण बदली ही जा सकती है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि कौंसिल के सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना वे सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे और चेयर का मान व आदर करेंगे उतनी ही सहायता सदन की प्रतिष्ठा ऊंची रखने में मिलेगी। हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिये कि विधान परिषद की जो ऊंची मर्यादा पिछले बहुत वर्षों में हमने स्थापित की है, उसे बनाये रखें और भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने दें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है, तो क्या मुझे आप अवसर देंगे ?

श्री चेयरमैन---आप इसके बारे में मुझसे पहले मिल लें और यदि आप कोई मोशन मूव करना चाहते हैं तो आप किसी वक्त 'मूव' कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मेम्बर मोशन मूव कर सकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---जो बात, अध्यक्ष महोदय, आपने कही है, चूंकि वह मुझसे सम्बन्धित है, इसलिये मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि दो चार सेन्टेन्सेज में एक दो बातें कह दूं, जो उसी के मुतालिक हैं।

श्री चेयरमैन---आप डिसकशन नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप या तो कोई निजी स्पष्टीकरण (personal explanation) दे सकते हैं या इस इस निर्णय के सम्बन्ध में किसी शंका का समाधान कर सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---एक तो बात चूंकि सदन के सम्मुख आई है, इसलिये मैं बहुत अदब के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आपने अभी जो यह कहा कि उस दिन मुझे इस बात का अवसर दिया गया कि मैं आपसे आपके चेम्बर में मिल लूं, मैंने वह बात आपकी सुन न पाई थी। जब मैं सदन के बाहर गया तो सदन के सदस्यों ने भी यह बात कही और फिर मैंने सदन की प्रोसीडिंग्स भी मंगा कर देखी। वह उन प्रोसीडिंग्स में कहीं है नहीं। यह बात नहीं कि आपने कहा नहीं, लेकिन मुमकिन है कि यह बात प्रोसीडिंग्स के नोट करने वालों ने भी न सुनी हो। तो केवल मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बात प्रोसीडिंग्स में भी नहीं मिली है। अतः आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपने जो फैसला दिया था कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय, तो मैं.....

श्री चेयरमैन---इसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त---इसलिये मैं आपसे प्रार्थना ही कर रहा था कि यह मामला विकार समिति को सौंप दिया जाता, तो वह मेरे हक में एक ज्यादा न्याय की बात होती।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक

श्री परमात्मानन्द सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखते हुए मुझे कुछ थोड़े ही शब्दों मे इसकी पृष्ठ-भूमि के विषय मे निवेदन करना है। कदाचित हमारे सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि पिछले द्वितीय महायुद्ध के समय जब कि पेट्रोल इत्यादि और पावर अल्कोहल की कमी हुई तो उस समय जो चीनी बनाते समय उसका छाट निकलता है, जिसके लिए मुलैसेज शब्द प्रयोग किया जाता है, उससे पावर अल्कोहल पैदा होने लगा, जो पेट्रोल मे मिला कर प्रयोग में आने लगा। किसी चीज को आवश्यकता पड़ने पर यह स्वाभाविक होता है कि उसका मूल्य इत्यादि बढ़ने लगता है, उसके वितरण और उसकी प्राप्ति में कुछ कठिनाई होने लगती है। इस कारण उस समय की सरकार को ऐसा प्रतिबन्ध लगाना पड़ा, जिसके अनुसार जो मुलैसेज होता है, वह सुचारू रूप से डिस्टिलरीज को या उन कारखानों को मिलता रहे, जहां कि पावर अल्कोहल तैयार किया जाता है। प्रथमतः यह डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अनुसार किया गया, फिर बाद को जब यह सरकार आई तो सन् १९४७ ई० में एक बिल यहां से पास हुआ, उसके अनुसार इसका प्रबन्ध था कि जो कारखाने पावर अल्कोहल बनाने वाले हैं उनको मुलैसेज उचित रूप से, उपयुक्त मात्रा में और संयमित मूल्य पर मिल सके। इस कानून के अनुसार सरकार की तरफ से कुछ दाम तय किए गए कि इतना मूल्य चीनी मिलों को मिलेगा। अगर उससे अधिक मूल्य होता है, तो वह एक हद तक सरकार के फंड में आयेगा, सरकार के पास आयेगा और जो रुपया इससे प्राप्त होता था वह सरकार की ओर से यू० पी० शुगर और पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ओर डेवलपमेंट फंड में खर्च किया जाता रहा है और अब भी खर्च किया जाता है। इसका नैतिक आधार तो जहां एक यह था कि पावर अल्कोहल बनाने वाले कारखानों को उपयुक्त मात्रा में, समय पर एक रेगुलेटेड तरीके से मुलैसेज मिलते रहें, वहां दूसरा आधार कदाचित् यह भी था कि बाई मोलास जो एक प्रोडेक्ट चीनी बनाने में पैदा होती है, उससे जो बहुत ज्यादा मुनाफा हो, वह धनी मालिकों को न मिले, यह गरीबों और मजदूरों के इस्तेमाल मे आ सके। यह क्रम अब तक चल रहा है।

एक बात, जो और मित्रों ने ख्याल किया होगा, वह यह है कि सन् १९४७ का यह ऐक्ट जिस वक्त पास हुआ था, उस समय हमारा संविधान नहीं बना था। संविधान जो तैयार हुआ तो जैसे दफा १९ है और ३०४ है। जो दफायें कुछ नागरिक अधिकारों का जिक्र करती हैं और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करती हैं, संविधान के इन नियमों के हो जाने के बाद कदाचित् किन्हीं क्षेत्रों में इस बात का संदेह पैदा किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, कदाचित् अदालत में भी कोई ऐसा मुकद्दमा चला है कि इस तरह का जो व्यक्तिगत व्यापार है, उस पर गवर्नमेंट को प्रतिबन्ध लगाकर उसके मुनाफे को अपने कब्जे में ले लेने का अधिकार है या न होगा। ऐसा संदेह पैदा हो गया है जिसे साफ करने को आवश्यकता है। ताकि आइन्दा कार्य में बाधा न पड़े। दूसरे दोष, जो १९४७ के ऐक्ट के बारे में कहा गया, जो सरकार के कानों में आई, मसलन अब तक एक सलाहकार कमेटी सरकार नियुक्त करती थी, जो सलाह देती थी, अब इसके बजाय सरकार यह मुनासिब समझती है कि एक स्थायी बोर्ड बनाया जाय। दफा ३, ४ में है, उससे सरकारी अधिकारी कार्य करते थे, अब उनके अधिकारों में कुछ कमी हो जायेगी। हमारे सरकारी अधिकारियों के बारे में यह शिकायत कभी कभी की जाती है कि वह मनमानी तरीके से अधिकार को बरतते हैं। अब इसमें एक निश्चित क्रम निर्धारित कर दिया गया है, उसके अनुसार कार्य होगा ओर किसी अधिकारी को आरबीट्रेरी हुक्म निकालने का अवसर न रहेगा। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जो कार्य हुआ वह संतोषजनक रहा और जो आमदनी हुई उससे गरीबों का काम होता रहा और वह लेबर के काम आती रही। इसका जारी रखना आवश्यक है और दूसरी तरफ उसको वैधानिक तरीके से भी संभालना

[श्री परमात्मा नन्द सिंह]

जरूरी है जिससे कोई अवैधानिकता न आये और कार्य की प्रगति में रुकावट न हो। अतएव थोड़ा सा रूपान्तर करके यह बिल आज सदन के सामने रखा गया है। दफा १९ और दफा ३०४ में संविधान मे सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह खास व्यवसायों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, अतएव यह प्रतिबन्ध लगाया है, जिससे कार्य सुचारु रूप से हो सके। इन चन्द शब्दों के साथ मे सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुलैसेज कन्ट्रोल संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख है, उसका मै हृदय से स्वागत करता हूं। सन् १९४७ में सरकार ने एक क़ानून इस आशय का बनाया था कि जो मुलैसेज है उस पर कन्ट्रोल होना चाहिये। शुगर फैक्ट्रीज में जो शीरा पैदा होता है उससे अब तक अल्कोहल बनाई जाती थी और अब यह समझा जाता है कि उससे पावर अल्कोहल, जो पैट्रोल का सब्सीटच्यूट है, बन सकता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि मुलैसेज का कन्ट्रोल किया जाय, ताकि इससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। जो पहले विधेयक था उसमें और इसमे दो तीन बातों का अन्तर किया गया है। पहले विधेयक मे ऐडवाइजरी कमेटीज बनाई गई थी और उन ऐडवाइजरी कमेटीज की जगह पर मौजूदा विधेयक में स्टैटच्यूटरी बोर्ड की व्यवस्था की गयी है। इस स्टैटच्यूटरी बोर्ड का कार्य भी उन ऐडवाइजरी कमेटीज के मुकाबिले में अधिक होगा और होना भी चाहिये। इस प्रकार के स्टैटच्यूटरी बोर्ड के बनाने की आवश्यकता भी थी, जो तमाम इस संबंध में कार्यवाही किया करे।

इसके साथ-साथ इसमें एक खास बात जो रखी गई है वह यह कि शीरे की कीमत मुकर्रर की जायगी और साथ ही इसके लिये एक फार्मूला भी बनाया गया है जिससे उसकी कीमत अपने आप ही तय हो जाया करेगी। यह फार्मूला गन्ना की कीमत के आधार पर होगा, जिससे उसकी कीमत तय की जायगी। इसमें एक खास बात यह है कि कन्ट्रोलर को यह अधिकार नहीं था कि वह केसेज को कम्पाउन्ड कर सके। इसमें अब कन्ट्रोलर को यह अधिकार दिया गया है और अब वह कैसेज को कम्पाउन्ड कर सकेगा। अब वह इसके मातहत ५,००० रुपये तक फाइन या सजा कर सकेगा। जहां तक इस धारा का ताल्लुक है, उसका सही इस्तेमाल हो सकता है और गलत भी। मेरा ख्याल है कि यह जो ५,००० रुपये का प्राविजन रखा गया है, वह कुछ कम होना चाहिये। जहां तक इसके कोर्ट में जाने का ताल्लुक है, वह तो प्राविजन ठीक है, लेकिन उसमें जो कन्ट्रोल बोर्ड बनाया गया है उसमें दस मेम्बर होंगे, जिनको राज्य सरकार नामजद करेगी। इसमें तीन मेम्बर शुगर फैक्ट्रीज के और तीन मेम्बर डिस्टिलरीज को रिप्रजेन्ट करेंगे। बाकी जो रह गये वह ऐसे मेम्बर होंगे जो किसी भी शुगर फैक्ट्रीज या डिस्टिलरीज से अटैच्ड न होंगे, तो यह भी बहुत अच्छा कर दिया गया है, इसलिये कि अगर कुछ और अधिक रिप्रेजेन्टेटिव्स शुगर फैक्ट्रीज और डिस्टिलरीज के मिल जायंगे, तो सारा का सारा बोर्ड उन्हीं का हो जायगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकी मेम्बर्स बाहर से हो हों। इसके साथ-साथ इस बोर्ड में लेजिस्लेटर्स की कोई व्यवस्था न हो। मैं स्वयं भी यह पसंद करता हूं कि हर जगह पर विधायकों का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि लेजिस्लेटर्स के जो मेम्बर्स हैं, अगर उनमें से दो मेम्बर्स असेम्बली के और एक मेम्बर इस सदन का जाये, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो काम होता है, इस संबंध में वहां पर उसकी भी जानकारी यहां के सदस्यों को हो जायेगी। इस बोर्ड का कार्यकाल जो दो साल रक्खा गया है, वह मैं समझता हूं कि अगर ३ साल रक्खा जाता, तो ज्यादा अच्छा था। मैं आशा करता हूं कि जो यह विधेयक बनाया जायेगा इससे प्रोसेस रेगुलेट होगा सप्लाई का। मैं यह भी आशा करता हूं कि कंट्रोलर जो मुकर्रर किया गया है, वह सही-सही तरीके से अपना काम करेगा। इस विधेयक के पास होने से सरकार और प्रदेश का काफी फायदा होगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विधेयक का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत इंप्रूव्ड बनाया गया है, पहिले के मुकाबिले में। बहुत सी बातें इसमें ऐसी रक्खी गई हैं कि जिनके न होने की वजह से जो पुराना विधेयक था, उसमें बहुत सी कमियां थीं। सरकार ने जहां इसके उद्देश्य और कारण दिये हैं, वहां लिख दिया है कि पुराने विधेयक के कारण सरकार जिस तरह से कंट्रोल करना चाहती थी उस तरह से नहीं कर पाती थी। इसमें दो रायें होने का सवाल नहीं है कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी रक्खी गई जो शीरे के कंट्रोल के संबंध में आसानी मुहैया कर देगा। मैं तो दो चार बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक शीरे के कन्ट्रोल का सम्बन्ध है एक यह बात रक्खी गई है कि इसमें खान्डसारी शुगर के लिये नहीं रक्खी गई है यह एक अच्छी बात है, क्योंकि खांडसारी का काम स्माल इंडस्ट्रीज में होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ में सरकार का ध्यान दो एक बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहिली बात तो यह है कि इस विधेयक में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है और न पुराने में था कि शीरे का स्टाक जहां पर जमा होता है, उसको ठीक ढंग से रक्खे जाने का, सफाई के साथ रक्खे जाने का कोई प्रबंध नहीं है। न पहिले था न इसमें है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके अन्दर जानवर सड़ते हैं और मर जाते हैं। पिछले चार छै रोज का वाकया है कि बरेली में एक शुगर मिल के अन्दर, जहां पर कि यह शीरा जमा होता है, उसके अन्दर एक आदमी न मालूम कब का सड़ा मरा हुआ मिला है। उसमें दो सुअर भी मरे और सड़े हुये पाये गये। यह चीजें स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकर हैं। जब तक इस विधेयक के अन्दर यह प्राविजन नहीं है कि शीरे का स्टाक जहां पर इकट्ठा करने का प्रबंध है, उसको ठीक प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि के आधार पर नहीं रक्खा जायगा, तब तक यह बहुत ही हानिकारक होगा। इन शुगर फैक्टरियों के लिये इस बात को हिदायत होनी चाहिए कि वह इसको इस प्रकार से सुरक्षित रखें, जिससे इसके अन्दर जानवर न सड़ने पायें और अगर ऐसा होता है तो उन्हें, जो शुगर फैक्टरियों के मालिक हैं, सजा मिलनी चाहिए।

दूसरी बात इसके सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शीरा सस्ता रखने के लिये और उसको ज्यादा तादाद में मुहैया करने का यह कारण है कि जो लोग शराब बनाते हैं उनको शीरा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। मैं समझता हूं कि हमारा यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम मदिरा के लिये शीरा को सस्ता करें। जैसा कि अभी मालूम हो रहा है कि अगली पंचवर्षीय योजना में यह कोशिश की जा रही है कि हमारे प्रदेश में पूरा मद्यनिषेध हो जायेगा, तो इसका भी ख्याल रखना है। शीरे से बहुत सी ऐसी चीजें बन सकती हैं जैसा कि अभी थोड़े दिन हुये मैंने अखबार में पढ़ा था कि दक्षिण में जो शीरे की फैक्टरियां हैं वे बहुत अच्छे तरीके से अल्कोहल और दूसरी मोटरों को चलाने वाली चीजें बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारी प्रदेशीय सरकार है, उसको इस सम्बन्ध में जरूर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि उसको इसके बारे में सलाह भी लेनी चाहिए। शीरे का केवल मदिरा के लिए ही इस्तेमाल न हो, बल्कि जो इतना ज्यादा शीरा बनता है उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जब शराब बन्दी होगी तो फिर वह सब शीरा खराब चला जायगा और इससे कोई काम नहीं बनेगा। इसलिये जो टेक्निशियन्स हैं वे इसको दूसरी इन्डस्ट्री खोलें जिससे हमारे प्रदेश को फायदा पहुंचे।

इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि शीरा कन्ट्रोल की जो व्यवस्था इसमें की गयी है तो इस प्रकार की एक व्यवस्था वार टाइम में भी की गयी थी और उस समय शीरे की बहुत जरूरत थी। चूंकि उस समय सप्लाई कम थी और मांग ज्यादा थी, तो इसका एक बड़ा जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हुआ, जिसने एक हजार रुपये का परमिट ले लिया था, उसने ४, ५ हजार पैदा कर लिये। इसका कारण यह है कि जो शीरा की देखरेख करने वाले हैं कि कितना एक फैक्ट्री के अन्दर निकलता है, वे इस तरह के टेक्निकल आदमी नहीं होते हैं जो यह जानें कि कितना इस फैक्टरी में निकलना चाहिए। वे इस बात का अन्दाजा ही नहीं

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

कर सकते हैं कि एक फैक्टरी में कितना शीरा निकलता है। अगर कोई दूसरी इन्डस्ट्री खुल जाय और शीरे की मांग ज्यादा हो, तो फिर इसके कन्ट्रोल से ब्लैक मार्केट शुरू हो जायगा। इसलिये यह देखरेख जरूर होनी चाहिए कि कितने गन्ने से कितना शीरा पैदा होता है। इसके लिये मैं फिर कहता हूं कि टेक्निशियन्स रखे जाने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि इसके लिये आर्डिनरी इन्सपेक्टर्स रखे जाते हैं और वे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। वे टेक्निशियन्स होने चाहिए और फैक्टरी से एटैंड्ड होने चाहिए, ताकि वे ठीक तरह से अन्दाजा लगा सकें और सरकार को बतला सकें कि इतना शीरा यहां पैदा हुआ है। अगर ऐसा किया गया तो ब्लैक-मार्केट भी नहीं हो सकता है। यही दो तीन सुझाव मुझे देने थे और जो इस बिल में प्राविजन किया गया है कि एक बोर्ड बनाया जाय, तो वह समय के अनुकूल है और जरूर बनना चाहिए।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—माननीय चेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो मुलैसेज अमेंडमेंट बिल रखा गया है, उसके बारे में मैं चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। मुलैसेज का जो टेक्निकल फार्म है उसको पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि यह चीज क्या है और इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं और दूसरे मुल्कों में इससे क्या किया जाता है। हमारे यहां जो गन्ना होता है, उससे शुगर फैक्टरी वाले जूस निकाल लेते हैं और उसको सर्टेन प्रोसेस करके वोक्यूम पेन्स में ले जाते हैं और लो प्रेशर में रख कर उससे क्रिस्टल पैदा किये जाते हैं ताकि शूगर का जो कन्टेन्ट है वह कम न होने पाये, उसके बाद वह मोलैसेज फार्म में बदल जाता है जिसको कि राब कहते हैं फिर उसको सेन्ट्रीफ्यूगल मशीनों के अन्दर डाला जाता है जिसमें वह अलाहिदा किया जाता है। अब उसमें से जो मोलैसेज अलाहिदा किया जाता है, उसकी कितनी ही क्वालिटी होती है, पहली तो फर्स्ट ग्रेड मोलैसेज होती है, दूसरी सेकेन्ड ग्रेड और तीसरी थर्ड ग्रेड मोलैसेज होती है, जिसको फाइनल मोलैसेज भी कहते हैं।

मैं पहले फर्स्ट ग्रेड मोलैसेज के बारे में कहना चाहता हूं, इसके अन्दर ५० के करीब प्योरिटी होती है, जिसको कि शूगर फैक्टरी वाले शक्कर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दूसरी बार ४२ के करीब की रह जाती है और फिर थर्ड क्लास मोलैसेज जो होती है उसमें सिर्फ २० या २२ के करीब प्योरिटी रह जाती है। मेरे ख्याल में इस बिल में इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है कि कितनी प्योरिटी का मुलैसेज बेचा जायेगा। पहले तो इसमें था कि ७५ विग्स को मोलैसेज को बेचा जायेगा, लेकिन कौन बेचेगा, इससे न तो मिल-मालिकों का फायदा होता है और न गवर्नमेंट और पब्लिक को ही पता लगेगा कि यह क्या चीज है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो इस बिल के अन्दर प्योरिटी का लफ्ज जरूर होना चाहिये। जब तक इसमें यह नहीं लिखा होगा कि कितनी प्योरिटी का मोलैसेज डिस्टिलिरी में जायेगा और कितना कहां जायेगा, तब तक इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हायर प्योरिटी का मोलैसेज खरीदेंगे उनके लिये तो ठीक है क्योंकि उससे वह अच्छी किस्म की स्प्रिट बना सकेंगे, लेकिन जिनको लो प्योरिटी की मिलेगी वह इससे न तो अच्छी स्प्रिट ही बना सकेंगे और न दूसरी चीजें ही अच्छी बना सकेंगे। हमारे देश में जो यह मुलैसेज होता है वह बहुत ही लो क्वालिटी का होता है जिसको कि तम्बाकू में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो सिगरेट और बीड़ी से काम निकल जाता है, लेकिन जो पहले जमाने के लोग होते थे वह तम्बाकू में शीरा मिलाकर उसको पीने के लायक बनाते थे। परन्तु दूसरे देशों में वह इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह लोग इससे स्प्रिट बनाते हैं, जोकि अच्छी क़िस्म की मोलैसेज होती है। लेकिन जो खराब किस्म की मुलैसेज होती है, उसमें से वह कार्बोनिक ऐसिड गैस पैदा करते हैं, उसके बाद जो बाकी रह जाता है उसको वह डिस्टिलरी में दे देते है, और डिस्टिलरी से जो उसका बचा खुचा रह जाता है उसका खेतों में खाद के इस्तेमाल के लिये नाइट्रिक ऐसिड बनाने के लिये दे दिया जाता है। नाइट्रिक ऐसिड गांव के अन्दर खेतों में डाली जाती है, ताकि नाइट्रोजन बने। यह मुलैसेज का पहला इस्तेमाल है।

दूसरा इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि तारकोल और मुलैसेज मिला कर सड़कें बनायी जाती हैं। इस तरह से सड़कें बहुत ही अच्छी और मजबूत हो जाती है। मगर मैं देखता हूं कि हमारे मुल्क में इस तरह से इस का इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरा इसका इस्तेमाल इस प्रकार से होता है कि इसको जानवरों के खाने में मिला दिया जाता है। इसको भूसे के साथ मिलाकर जानवरों को दिया जाता है। जो जानवर इसको खाता है वह बहुत ही ताकतवर हो जाता है और काफी दूध भी देता है। अब एक न्यू मैथड निकाला गया है कि इसके अन्दर ग्लूकोज होती है। वह २० या २२ प्योरिटी की आती है अमेरिका, हवाई और क्यूबा के अन्दर मुलैसेज से शूगर निकालने के लिये नयी मशीनें लगायी गयी हैं जिनके जरिये से २ परसेन्ट शूगर निकाली जाती है और जो बाकी रह जाती है वह दूसरे कामों में आ जाती है। हिन्दुस्तान के अन्दर अगर पूरी तरह से प्रोहिबिशन हो जाय तो मुझे नहीं मालूम कि इस मुलैसेज का क्या होगा। एक साहब फरमा रहे हैं कि इससे पावर अल्कोहल बन सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इतना पावर अल्कोहल कैसे बना सकते हैं ? सन् १९५३ में आपके हिन्दुस्तान के अन्दर १२ करोड़ १६ लाख मन पावर अल्कोहल था। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इसके इस्तेमाल की कोई दूसरी सूरत होनी चाहिये। मेरी राय में मुलैसेज के इस्तेमाल का कोई न कोई तरीका जरूर निकालना चाहिए। मैं इसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे सूबे की सरकार या सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी फैक्टरी बनाये जिसमें मुलैसेज से शूगर निकाली जाय। मैं समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और मुल्क में जो मुलैसेज है, उसका भी बराबर प्रोडक्शन होता जायगा। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसमें से शक्कर निकाली जा सकती है ? हमारे देश में देशी तरीके से भी शक्कर निकाली जाती है जिसको खांडसारी कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा मुलैसेज पैदा होती है और वह काफी अच्छी भी होती है। सरकार को मुलैसेज की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि उसको फायदा हो सके। पावर अल्कोहल का इस्तेमाल हमारे यहां १५ फीसदी मोटर में होता है और उसकी इतनी तादाद उसके लिये निकल जाती है। इसलिये गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लान्ट रखना चाहिये जिससे कि इसके बारे में अच्छी तरह से काम हो सके। गवर्नमेंट ने इसके लिये एक बोर्ड क़ायम किया है और उस बोर्ड के अन्दर १० मेम्बर रखे गये हैं, एक कन्ट्रोलर रखा गया है और एक सेक्रेटरी भी रखा गया है। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो १० मेम्बर रखे गये हैं, उसमें से तीन मेम्बर शूगर फैक्टरी के हैं, चार मेम्बर उसी इन्डस्ट्री के होने चाहिये और दो मेम्बर लेजिस्लेचर से हों तथा उनमें से एक आदमी एक्सपर्ट होना चाहिये जो कि उस चीज को अच्छी तरह से समझता हो और वह उसकी सब बातें जानता हो। इस तरह से जानकारी रखने वाला, वहां दूसरे को भी वह चीज समझा सकेगा। उसे ग्रेडिंग की जानकारी अवश्य होनी चाहिये। मेरे ख्याल में जो सुझाव मैं गवर्नमेंट को देना चाहता हूं, वह यह है कि उसे टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरी संस्था से ऐसे कैमिस्ट को रखना चाहिये जो कि तजुर्बेकार हो ताकि उसके रहने से गवर्नमेंट को भी कोई नुक़सान न हो और मुलैसेज बेचने वाले को भी कोई नुक़सान न हो। मेरा गवर्नमेंट को यही सुझाव है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि इस बिल के अन्दर, प्रिंसिपल ऐक्ट के सेक्शन १२ में जो 'पिट' शब्द रखा गया है, उसका क्या मतलब है, वह मैं समझा नहीं। एक गड्ढा यदि मुलैसेज के वास्ते कच्चा खोद देंगे, तो वह मिट्टी के अन्दर घुस जायगा। जो पिट्स बनते हैं, वे पक्के भी होते हैं और शायद उनकी यह शिकायत है कि मुलैसेज इन पिट्स के अन्दर से भी निकल जाता है। इसमें दूसरी बात क्या हो सकती है, यह मुझे मालूम नहीं। मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि ये पिट्स किस चीज के होने चाहिये ? सीमेंट कांक्रीट के होने चाहिये या लोहे के होने चाहिये या कच्चे होने चाहिये। इससे न गवर्नमेंट को फायदा होगा और न मालिकों को फायदा होगा। मेरे ख्याल में पिट्स की एक गहराई मुक़र्रर होनी चाहिये और वह ४ फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। पानी के अन्दर से तो, जो इस तरह का पानी का लेविल है, वह बरसात में तोड़ देता है और उस तरह से वह अन्दर जा सकता है। यह सब मेरे तजब

[श्री सरदार सन्तोष सिंह]

की बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कई मामले और भी ऐसे हैं जिनको कि गवर्नमें को जरूर हल करना चाहिये, नहीं तो गवर्नमेंट को उससे खुद नुक़सान पहुंचेगा और खरीद वाले को भी नुक़सान पहुंचेगा। इसलिये जो सुझाव मैंने आपके जरिये हाउस के सामने र हैं, आप उन पर गौर करें। यह बिल बहुत मौजूं है, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा औ मिल मालिकों को भी फायदा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो बिल है उसका मैं स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज यह संशोधन बिल जिस तरीक़े से और जिस समझदारी के साथ यहां लाया गया है, वह बहुत ही सुन्दर है क्योंकि इसके पहले शीरे पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी, आज इस बिल के जरिये उसको अलग कर दिया गया है। इसके माने यह होंगे कि आज जो हमारा गृह उद्योग धंधा है, और जो खंडसारी शक्कर छोटे छोटे गरीब किसान बनाते हैं, उनको फायदा होगा। जैसा कि सरदार साहब ने बताया कि खंडसारी में शूगर की मात्रा अधिक रह जाती है, यह ठीक ही है क्योंकि जितना काम हाथ से होगा उसमें मात्रा अधिक होगी ही। खंडसारी का जो शीरा है शराब के कारखाने वाले उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तम्बाकू के दूकानदार भी उसको ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि तम्बाकू में शीरा मिलाने से तेजी आ जाती है। आज यह क्योंकि कंट्रोल से अलग कर दिया है, तो उनको चार पैसे ज्यादा मिल जायेंगे। लेकिन आज जो यह तजवीज है कि शीरे से शराब निकालने वाले जो कारखाने हैं, उनको दिया जाय, यह कितने रोज चलने वाली बात है। हमारी जो सेकेन्ड फाइव इयर प्लान है, उसमें जो स्कीम है कि जब शराबबंदी करने जा रहे हैं, तो शराबबंदी के बाद क्या हश्र होगा ? कहां उसकी खपत होगी ? अल्कोहल जो निकाला जाता है, उसमें जरूर खपत होती है। लेकिन पैट्रोल में ज्यादा नहीं मिल सकता है। क्योंकि पैट्रोल की खपत कम होती जा रही है। जितनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं वे सब डीजिल आयल इस्तेमाल कर रही हैं। जितने ज्यादा डीज़िल आइल इंजन आते जाते हैं, पैट्रोल की खपत कम होती जाती है। आज जो पैट्रोल से मोटरें चलती हैं, उनमें इतना ज्यादा लास है कि वे डीजिल आइल के मुक़ाबिले में काम नहीं कर सकती हैं। जब कि पैट्रोल की मोटर में एक मील में दो आना खर्च पड़ता है डीजिल आइल में २ पैसे खर्च पड़ता है। बिजिनेस में कोई आदमी पैट्रोल से मोटर चलाकर जिन्दा नहीं रह सकता है। एक तरफ हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शराब को बंद करने जा रहे हैं। दूसरे डीजिल आइल की वजह से पैट्रोल की खपत कम हो रही है तो हमें शीरे का इलाज करना होगा।

आज दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शराब के कारखानों में जो शीरा दिया जाता है उस शीरे को बुरी तरह से बाहर फेंक देते हैं। वह बदबू करता है। सारी आसपास की आबोहवा को खराब कर देता है। कानपुर से लखनऊ के बीच में उन्नाव के पास जो शराब का कारखाना है वहां इस तरह से बदबू फैलती है कि एक मील इधर से और एक मील उधर से नाक दबाकर जाना पड़ता है। सरकार को इसका इंतजाम करना है कि आदमियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। यह बहुत ही जरूरी है कि आबोहवा साफ और स्वच्छ मिले। इस तरह से वहां के आस-पास के लोग परेशान होते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है जैसा सरदार साहब ने बताया कि कितने करोड़ का शीरा हमारे यहां बेकार हो जाता है और उसकी खपत हम कहां करें। मैं तो कहूंगा कि सरकार को इस पर जरा गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये कि हम किस चीज में इसका उपयोग कर सकते हैं और उसके लिये एक कमेटी उन आदमियों की, जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, जिनका इसमें तजुर्बा हो, सरकार मुकर्रर कराये और देखे कि इसकी खपत कहां की जा सकती है। अब तक तो तम्बाकू का ही सवाल था। उसमें उसकी कुछ खपत हो सकती थी, लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने सिगरेट, बीड़ी से काम चलाना शुरू कर दिया है और इस तरह से शीरे में जो तम्बाकू की खपत होती थी, वह भी बन्द हो गई। पहले इलाहाबाद में जो कच्चा शीरा होता था, हलवाई उसकी जलेबी बनाया

करते थे, लेकिन अब जब से चीनी काफी मिल जाती है तब से वह लोग भी शीरे को इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस तरह से वहां अब शीरे का इस्तेमाल बन्द हो गया है क्योंकि इसका भी स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। जो आज शीरे की खपत का कोई नया तरीका नहीं मिल रहा है।

प्रताप चन्द्र जी ने कहा कि शीरे के रख-रखाव में भी बड़ी लापरवाही की जाती है और जिसका परिणाम यह निकलता है कि कई बार उसमें सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जानवर पाये गये हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से आदमियों की जान जोखिम में पड़ गई है। सरकार को चाहिये कि वह देखे कि इसका दोषारोपण किस पर किया जाय। सरदार साहब ने बताया कि सड़कों के तारकोल के साथ शीरे का इस्तेमाल हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे कि उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। हमारे पूर्वज जब बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाते थे तो चूने में गुड़ और उर्द की दाल डाल कर पिसवाते थे। उसके इस्तेमाल से इमारतें ऐसी मालूम देती थीं, जैसे कि अभी कल की बनी हों, लेकिन जब से सीमेंट का पलस्तर लगने लगा तब से इमारतों को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि इसको लगे हुये १०-२० साल हो गये और वह गंगा जी की बालू की तरह से खिसक रही है। तो मेरा कहना है कि सरकार को अपनी पुरानी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिये और हमारा जो पुराना विज्ञान था, उसकी ओर भी हमको ध्यान देना चाहिये। जब हम नई-नई मशीनरी लगा रहे हैं, तो काटेज इन्डस्ट्रीज की ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिये और शीरे की कैसे खपत हो, इस पर विचार करना चाहिये।

(इस समय १२ बजकर १५ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अगर इस पर ध्यान न दिया गया, तो जब हम शराब को बन्द कर देंगे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आवेगा। लिहाजा समय है कि हम इस पर अभी से गौर करें। एक कमेटी बैठाई जाय और वह इस बात पर विचार करे कि शीरे के इस्तेमाल के लिए नई-नई चीजें और नए-नए ढंग सोचे और उसकी आजमाइश करें, जिससे आगे चल कर जब हमारे यहां शराब और अल्कोहल वगैरह न चले, तो हम इस चीज को अच्छी प्रकार से, सुचारु रूप से कार्य में ला सकें, इसका उपयोग कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***श्री हृदय नारायण सिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस विधेयक पर विचार करते हैं तो जो पहला सवाल बहुत ही स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि क्यों नहीं डिमान्ड और सप्लाई के जो फोर्सेज हैं, उनको स्वाभाविक रूप से काम करने दिया जाता है और जो मुलैसेज हैं, वह डिस्टिलरीज के पास नेचुरल रूप में पहुंच सकें। कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि जो देश की इन्डस्ट्रीज हैं, उनको भी खास प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे। जैसे कि शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए भी यह प्रबन्ध किया गया है कि जहां पर वह है, कुछ शुगरकेन वगैरह का कल्टीवेशन वह करा सकें। तो यदि यह आशा हो कि मुलैसेज डिस्टिलरीज के पास या जो फैक्ट्रीज उनका प्रयोग करती हैं, वहां पर न पहुंच पायें, तो सरकार उनके लिए इन्तजाम करे। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए। मुलैसेज एक इम्पार्टेन्ट गुड्स है और उनका जो उपयोग होता है, उससे बहुत आवश्यक चीजें पैदा होती हैं। वह लैबोरेट्रीज में और अन्य स्थानों में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए सरकार जो इसके बारे में विधेयक सदन के सम्मुख लाई है वह स्वागत के योग्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जो इन्डस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज या मिल्स हैं, उनकी सब से बड़ी कमी यह है कि वहां पर कोई रिसर्च या एक्सपेरीमेन्टेशन के लिए गुन्जाइश नहीं है। जो हमारे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वह केवल अपने क्षणिक लाभ को ही सामने रखते हैं। जैसे एक किस्सा है, एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, जिससे उस व्यक्ति को एक सोने का अंडा रोज मिलता

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

था। उस व्यक्ति को यह धैर्य नहीं हुआ कि एक अंडा रोज लिया करे, उसने एक दिन मुर्गी का पेट चीर डाला जिससे जितने अंडे उसके पेट में जमा हैं, वह सब मिल जायें। हमारे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का भी यही दृष्टिकोण है। उनकी पालिसी लोंग रेंज नहीं होती। फारेन इन्डस्ट्रीज में रिसर्च के लिए लेबोरेट्रीज होती हैं, उनमें काफी ऊंचे वेतन पर आदमी नियुक्त होते हैं, जिनका यह कार्य होता है कि वह अनुसंधान करके यह बतायें कि किस प्रकार से कम मूल्य पर चीजें पैदा की जायें और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। जो कन्ज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं, उनको अच्छी चीज कम कीमत पर कैसे दी जाये। ऐसा कोई प्रबन्ध हमारे यहां फैक्ट्रीज में नहीं होता। जबकि सरकार यह बिल बना रही है, तो इसमें इस तरह का कोई प्राविजन जरूर होना चाहिए, परन्तु हम इसमें ऐसा कोई भी प्राविजन नहीं पाते। मैं यह सुझाव करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। जब इस प्रकार का रेगुलेशन सरकार बनाती है, तो इसमें इस किस्म का कोई प्राविजन जरूर रखे कि कोई डिपार्टमेन्ट रिसर्च का हो।

अभी श्री पन्ना लाल जी ने, सरदार संतोष सिंह जी ने, तथा कुछ अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वह यह हैं कि मुलैसेज भविष्य में कोई कठिन समस्या उत्पन्न कर देंगे। उनका किस प्रकार से कन्जम्सन हो, इसके लिए सरकार को अभी से तैयार होना चाहिए। जो बोर्ड मुलैसेज का बन रहा है, उसको अधिकार देना चाहिए या उसके बाहर भी सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध कर सके कि इसके ऊपर थोड़ा काम हो, थोड़ी रिसर्च हो, खोज हो और यह बतलाया जाय कि मुलैसेज का कैसे प्रयोग हो सकता है।

मैं समझता हूं कि फर्टलाइजर के बारे में सोचा जा सकता है कि प्रयोग हो सकता है या नहीं। श्री नील रतन दर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हेड आफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने, इस पर काम किया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि इसका प्रयोग फर्टिलाइजर पर हो सकता है। इससे मैं समझता हूं कि काफी फायदा हो सकता है। फारेन मार्केट भी तलाश की जा सकती है। हमारे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का यह दोष है कि वह दूसरे देशों में ठीक प्रकार से प्रोपेगेन्डा नहीं करते। कपड़े के बारे में आपने देखा कि प्रोपेगेन्डा हुआ और उसका फल अमेरिका और ब्रिटेन में दिखाई दिया। इन सब बातों पर सरकार को विचार करना आवश्यक है। जो बिल हमारे सामने हैं, उसमें २, ३ प्राविजन हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। एक पृष्ठ २ धारा ३ सब—क्लाज ४ का प्राविजों है :

"Provided further that the Government may for any reason which may appear to it to be sufficient remove any such member at any time."

मुलैसेज बोर्ड के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, १० सरकार द्वारा नामजद होंगे। एक कन्ट्रोलर, एक असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर भी सदस्य होगा। नामजद मेम्बरों के लिये तो यह होता है कि अगर असंतोष है, तो वह निकाले जा सकते हैं, मगर असिस्टेन्ट एक्साइज कमिश्नर और कन्ट्रोलर पर असंतोष हो, तो वह नहीं निकाले जा सकते हैं क्योंकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त किये जाते हैं और वह सर्विस रूल्स के अनुसार ही निकाले जा सकते हैं। इसलिये अगर उनके बीच में भी नामजद रखा जाता, तो अच्छा होता। Any such nominatad member at a time. अगर नामिनेटेड कर देते हैं, तो उनको भी हटा सकते हैं।

दूसरी बात पैरा ५ के अन्तर्गत सेक्शन ५ (१) है, उसमें यह है :—

"5 (1)..............and other purposes or for securing their equitable distribution and availability at fair prices...."

सरकार कोई विज्ञप्ति निकाल कर इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। अगर राय मुलैसेज बोर्ड से ले, तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि उसका भी यही कार्य है। यदि

in consultation with the Molasses Board कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होता। संभव है कि वह कोई ऐसा सुझाव दे दे, जो व्यापार के हित मे न हो, तो ठीक होगा।

श्री प्रताप चन्द्र जी ने आपत्ति उठाई स्टोरेज के बारे मे, मै समझता हूं कि सरकार की ओर से इन्तजाम किया गया है। ४५-२ (बी) के अन्दर यह है कि सरकार आर्डर पास कर सकती है। धारा ९ और १३-ए के अन्तर्गत यह है :—

"The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9 a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of composition for the offence which may have been committed,. . . .

मैं समझता हूं कि इस प्राविजन से करप्शन की काफी गुन्जायश है।

जो कंट्रोलर है वह खुद इस बात का निर्णय करेगा कि आफेन्स किया गया है या नहीं। इसमें शब्द 'रिजनेबली ससपेक्टेड' दिया हुआ है। इसलिए एक आदमी के हाथ में ससपेक्ट करने की पावर देना मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसमें यह भी सम्भावना रहती है कि कभी-कभी द्वेष के कारण वह समझ सकता है और ससपेक्ट करके कह सकता है कि वह ५,००० रुपया जमा करे। इसलिए इसमें खतरा है कि वह यह भी कह सकता है कि बजाए ५,००० रुपये के कुछ और इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन के तौर पर वह जमा करे इसमें इस चीज की काफी गुन्जायश हो जायगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इस तरह की चीजें हुआ करती हैं और उस चीज का जिक्र यहां भी कभी-कभी हुआ करता है और मेम्बर्स लोग सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि द्वेष के कारण या किसी और कारण से वह उनको कठिनाई में डाल सकता है। इसलिए अच्छा तो यह था कि उसे कोर्ट आफ ला डिसाइड करती। लेकिन जब वह नहीं रखा जा रहा है, तो इसे मुलैसेज बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाय कि वह डिसाइड करे क्योंकि उसमे बहुत से लोग होंगे और गलत कार्य की सम्भावना कम हो जायगी। मतलब यह कि अगर अफेन्स ससपेक्टेड हो, तो मुलैसेज बोर्ड उस पर अपना निर्णय करके उससे जुर्माने के तौर पर या कम्पाउन्ड के तौर पर ले। अगर ऐसा कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा होगा। यह थोड़ी सी बाते मेरे दिमाग में पैदा हुई और मैंने उन्हें आपके सामने रख दिया है।

हां, एक बात और है जिसको सरदार संतोष सिंह जी ने कहा है और वह ठीक भी है कि अगर ग्रेडिंग मुलैसेज का न होगा, तो इसमें बहुत सी धांधलियां होने की गुंजायश रहेगी कि किस प्रकार का मुलैसेज सेलेबुल है और किस प्रकार का नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उनके सुझाव पर विचार करे और कोई कदम ऐसा उठाये कि जिससे जो इसमें धांधलियां होने वाली हैं, वह रोकी जा सकें। इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै सदन का आभारी हूं कि सदन ने चारों तरफ से इस बिल का स्वागत किया और इसकी आवश्यकता बतलाई। जो कुछ बातें यहां सुझाव के रूप में कही गई हैं, उनमें से चन्द बातों के विषय मे मैं दो चार शब्दों में आपके द्वारा निवेदन करूंगा। कुंवर गुरु नारायण जी ने जो अपनी राय दी थी कि और जो मेम्बर्स लिये जाने वाले है वह किस प्रकार के हों और आजाद साहब के भी कुछ सुझाव है। कुंवर साहब ने अपने सुझावों के विषय में संशोधन भी रक्खे है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विषय में कुछ खास सरकार के हाथ बांधने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जिस वक्त ऐसे मेम्बर्स किसी खास जगह के लिये मनोनीत किये जाते है, तो उनकी उपयोगिता को देखकर ही वहां पर नामजद किये जाते हैं। दूसरा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि इसमें कुछ मेम्बर्स लेजिस्लेटर्स के भी होने चाहियें, ऐसा नियम बना दिया जाये। लेजिस्लेटर्स के मेम्बर्स बहुत सी जगहों में जाते हैं, जहां यह आवश्यक समझा जाता है कि उनका जाना निहायत जरूरी है। इसमें सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नियम निर्धारित

[श्री परमात्मा नन्द सिंह]

करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पर यहां उनकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी, तो वहां भेज जा सकते हैं क्योंकि उसके लिये कोई निषेधात्मक प्रतिबन्ध नहीं है।

स्टैटयूटरी बोर्ड के विषय में कुंवर साहब का सुझाव था कि उसका जीवन दो वर्ष के बजाय ३ वर्ष का कर दिया जाये। इसके विषय में यह कहना चाहता हूं कि जब कोई बोर्ड या कमटी पहिले पहल कायम होती है, तो उसको थोड़े ही समय क लिये कायम किया जाना चाहिये ताकि उस समय के अन्दर यह देखा जा सके कि वह कैसा काम करता है। अगर वह बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बदलने का जल्द अवसर मिल सके। अगर तजुर्बे के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि बोर्ड का जीवन अधिक समय के लिये होना चाहिये तो उसके लिये संशोधन बाद में लाया जा सकता है। एक व्यक्ति को निकालना अधिक ही व्यक्तियों को निकालना व्यक्तिगत प्रश्न है। जिसको करने में अनेक विचार और कठिनाइयां आ सकती हैं। इस समय बोर्ड का जीवन केवल दो ही वर्ष के लिये रखना उचित जान पड़ता है,

माननीय आजाद साहब ने जो जिक्र किया कि मुलैसेज को रखने के लिये उसका प्रबन्ध करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये, तो हमारा जो इस वक्त कानून है, उसमें दफा ५ (२) (बी) में यह प्रबंध है कि उस कारखाने को रेगुलेट किया जा सकता है, इसके अलावा जो कानून बना हुआ है, यू० पी० मुलैसेज रूल उसमें दफा १० में यह प्रबन्ध है कि स्टोर के ऊपर भी कुछ व्यवस्था रक्खें। अगर कहीं पर ऐसा न हो, तो वहां पर कार्यवाही होनी चाहिये थी या होगी। जो भाई आजाद ने बतलाया कि इसका कोई प्रबन्ध नहीं है, तो वह उसमें है। श्री आजाद ने और हमारे भाई पन्ना लाल जी ने और माननीय श्री सन्तोष सिंह जी ने सरकार के सामने इस बात का सुझाव रक्खा कि मुलैसेज को केवल स्प्रिट ही बनाने के लिये नहीं बल्कि और काम में भी लाया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त तक जो जो मुलैसेज की डेफीनेशन थी, उसमें कुछ परसेंटेज मुलैसेज का होता था उसी के ऊपर यह कन्ट्रोल था। अब नई डेफीनीशन में हैवी डार्क कलर दिया जायेगा, वही इसके डेफीनेशन में वर्धन करना होगा। इस संशोधन से मुलैसेज के प्रयोग क्षेत्र में विस्तार होगा।

रहा यह कि जो कानून भवन के सामने हैं, उसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं है और उसके अन्दर इसकी व्यवस्था की जाय कि इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, इसके लिये रिसर्च की जाय, तो इसके लिये और कानून हैं, दूसरे डिपार्टमेंट हैं तथा माननीय सदस्यों ने सदन में जो सुझाव दिये हैं, मैं उन सब सुझावों को गवर्नमेंट के सामने और सम्बन्धित विभागों के सामने पहुंचा दूंगा ताकि इस पर विचार किया जा सके।

माननीय पन्ना लाल जी ने यह जिक्र किया है कि इस कानून की विशेषता इसलिये नहीं रह जायेगी, क्योंकि इस समय क्रमशः डीजेल के इंजिन और मोटरें बनती जा रही हैं जिससे पेट्रोल की आवश्यकता कम हो जायगी। यह तो प्रसन्नता की बात होगी कि सस्ते तेल से चलने वाली गाड़ियां बनती जायं, परन्तु मोटर तथा अन्य इंजिनों का प्रयोग भी इतना बढ़ रहा है कि पेट्रोल की आवश्यकता न रह जाय ऐसा निकट भविष्य में तो संभव नहीं है। वर्तमान अवस्था में कन्ट्रोल रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ मादक द्रव्यों का निषेध कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार इस तरह की चीजें बना रही है। मादक द्रव्य का निषेध एक दम तो लागू भी नहीं है मादक द्रव्य बनाने में मुलैसेस का प्रयोग नहीं के बराबर है जहां तक कि मेरी इत्तिला है। इससे पावर अल्कोहल और मैथलेटेड स्प्रिट बनती है जो कि यातायात चलाने के काम आती है और इससे खाने की कोई चीज नहीं बनती है।

माननीय हृदय नारायण सिंह ने इस बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने रिसर्च के बारे में कहा है, जिसको कि मैं अभी बयान कर चुका हूं कि इस विषय पर और भी विभाग विचार कर सकते हैं कि यह किस-किस काम में आ सकती है। उनका आक्षेप है कि जो कम्पाउन्ड करने का अधिकार कन्ट्रोलर को दिया गया है, वह उसे न देकर बोर्ड को देना चाहिये

और इसमें बोर्ड की राय होनी चाहिये। बोर्ड के बारे में यह है कि जैसा कि सर सिंह जी ने भी कहा है कि उसका काम ग्रेडिंग देखना है और जो इस चीज को पैदा हैं, उनके भी तीन नुमायन्दे इसमें रहेंगे। बोर्ड के सुपुर्द जो कार्य नहीं किया बाद में किया जा सकता है। लेकिन बहुत से मुल्कों का तजुर्बा है और हमारे तजुर्बा है कि एक्जीक्यूटिव कार्यों के लिये एक अधिकारी का होना अधिक अच किसी कमेटी के। अभी तक हम समझते हैं कि कन्ट्रोलर एक ऊंचा अधिका इस प्रकार के अधिकार देना कोई खतरनाक बात नहीं होगी और अगर कोई ए कोई भी अधिकारी होगा, वह इस पद से हटाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ में को धन्यवाद देते हुये अपने प्रस्ताव को दोहराता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ३ का संशोधन।

श्री डिप्टी चेयरमैन––प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री डिप्टी चेयरमैन––सदन के कार्यक्रम के विषय में नेता सदन के क्या विचार हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, बन तथा सहकारी मंत्री)––मेरी गुजारिश तो जनाब के जरिये हाउस से यह है कि इस समय बहुत थोड़ा सा काम रह गया है जो बाकी है, इसलिये अब फिर तीन बजे से शुरू किया जाय तो अच्छा हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण––मुझे तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जो काम बाकी है, वह तो दो घंटे में समाप्त हो जायेगा और अगर आप लोग ज्यादा न बोलेंगे तो उससे भी पहले खत्म हो जायेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––हम ज्यादा कभी नहीं बोलते और न बोलेंगे ही।

श्री डिप्टी चेयरमैन––सदन की बैठक ३ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १२ बजकर ४५ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और ३ बजे श्री चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश मुलैसेज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक

खंड २

२––यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल कहा गया है) की धारा २ के खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित जाय––

––नियम

"(c) 'Molasses' means the heavy, dark coloured visc produced in the final stage of manufacture of vacuum pan, from sugarcane or *gur* when the such or in any form or admixture contains suga

श्री चेयरमैन––प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--३

३--मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"3. (1) There shall be established by the Government a Molasses Board for Uttar Pradesh.

Molasses Board

(2) The Molasses Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Molasses Board shall consist of--

(*a*) the Controller who shall be *ex officio* chairman :

(*b*) ten members to be appointed by the Government of whom three shall be representative of sugar factories and three of distilleries;

(*c*) the Assistant Excise Commissioner (Molasses) who shall be *ex officio* Secretary of the Board.

(4) The term of office of the members referred to in clause (*b*) shall be two years :

Provided that the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be the remainder of his predecessor's term of office :

Provided further that the Government may for any reason which may appear to it to be sufficient remove any such member at any time."

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

"खंड ३ के प्रस्तावित उपखंड ३ (बी) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :-- .

"Provided the persons nominated by the Government are men with either technical qualifications or possess adeduate knowledge in the manufacture of either sugar or molasses, but completely unconnected with any sugar factory or distillery."

श्रीमान्, जहां तक मेरे इस संशोधन का ताल्लुक़ है, वह उस धारा से सम्बन्धित है जो इस विधेयक में दी हुई है और जिसमें बोर्ड का कांस्टीट्यूशन दिया हुआ है। इसम १० मेम्बर ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट नामजद करेगी। उन दस मेम्बरों में से तीन मेम्बर ऐसे होंगे जोकि शुगर फैक्टरी के प्रतिनिधि होंगे और तीन मेम्बर डिस्टलरीज के प्रतिनिधि होंगे। खासतौर से सरकार ने यह बात इसलिये रखी है कि बोर्ड में ऐसे लोग होने चाहिये जिनको टेक्निकल ज्ञान हो और जो शुगर फैक्टरीज और डिस्टलरीज में जो काम होता हो, उसको अच्छी तरह से जानते हों। मैंने इस संशोधन को इस अभिप्राय से रखा है कि उनको टेक्निकल ज्ञान तो जरूर होना चाहिये, लेकिन जिन लोगों को सरकार नामजद करे उनका उस फैक्ट्री से किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो जैसे कि उनके उसमें शेयर वगैरह न होने चाहिये। अगर उनके उसमें शेयर होंगे तो संभव है कि उसमें उनका थोड़ा-बहुत इन्टरेस्ट हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग होने चाहिये जिनका उस फैक्टरी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न हो। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि वह जिस काम के लिये रखे जायेंगे उसे काफी अच्छी तरह

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर साहब न रखा है, मैं समझता हूं कि निहायत जरूरी है। इस विधेयक के अनुसार जो बोर्ड बनाया जायगा, उस बोड का चेयरमैन एक्साइज़ कमिश्नर या कंट्रोलर होगा। इसके अलावा जो लोग इसम एक्सपर्ट हैं, वे भी इसमें रख जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि बोर्ड में ऐसे लोग हों जो इसमें एक्सपर्ट हों और उसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि वे लोग ऐसे हों जिनका सम्बन्ध शुगर फैक्टरी से न हो, क्योंकि अगर उनका उस फैक्टरी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध होगा तो शायद वे ठीक से फैसला न कर सकेंगे इसलिये मैं इस संशोधन को जरूरी समझता हूं कि इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो ठीक ढंग से मश्विरा दे सकें और बोर्ड का काम ठीक ढंग से हो सके। इस वजह से मैं यह समझता हैं कि यह संशोधन ऐसा है जिस पर माननीय मंत्री जो विचार कर सकते हैं और अगर मुनासिब समझें तो इसको स्वीकार भी कर सकते हैं।

श्री सरदार सन्तोष सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, कुंवर गुरु नारायण जी ने जो संशोधन हाउस के सामने रखा है, यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब बोर्ड बन जायगा तो उस बोर्ड के अन्दर तीन आदमी डिस्टलरीज के होंगे और तीन शुगर फैक्टरीज़ के होंगे, उसम शुगर फैक्टरीज वाले अपने एक्सपर्ट्स आदमियों को भेजेंगे और इस तरह से वे गवर्नमेंट के आदमियों को मुगालते में डाल सकते है। मेरा कहना है कि उन एक्सपर्ट्स का मुकाबला करने के लिये, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपर्ट्स जान चाहियें जिससे वे उनकी बातों का जवाब दे सकें। मेरे ख्याल से कन्ट्रोलर या डिप्टी कन्ट्रोलर जो होंगे वे ऐसे क्वालिफाइड नहीं होंगे जैसे क्वालिफाइड आदमी फैक्ट्रीज के होंगे। इसलिये मेरे ख्याल में वे ही आदमी रखें जाय, जसा कि आजाद साहब और कुंवर साहब ने बतलाया है और जिनके होने से गवर्नमेंट का काम अच्छी तरह से चल सकता है और वे वहां ठीक तरह से उनको जवाब भी दे सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह संशोधन आपको मान लेना चाहिये। जो तीन-चार आदमी रखे जायें, वे टेक्नोलोजिकल इंस्टीटयूट के आदमी हों, तो अच्छा होगा। मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

*__श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम__--जनाब वाला, यह जो अमेंडमट है उसकी निस्बत तो मेरा ख्याल ऐसा है कि जो कांस्टीटयूशन बोर्ड का इसमें दिया हुआ है, वह उन शर्तों को पूरा करता है। एक बात तो इस अमेंडमेंट में रखी गई है कि वह कोई टेक्निकल क्वा-लिफिकेशन्स का आदमी हो, इसका मतलब यही हो सकता है कि जो इस तरह का काम है, उसके लिये वह अच्छा टेक्निशियन हो, उससे उसको वाकफियत हो और वह उससे ताल्लुक़ रखता हो। दूसरा इसमें यह रखा गया है कि उसको शुगर और मुलैसेज के मैन्युफैक्चर के बाबत अच्छी नालेज हो। तो जो आदमी रखे जायेंगे, वह नालेज उनको भी हो सकती है और इसमें इसकी गुंजाइश है। जो क्लाज ३ है उसके (बी) में लिखा हुआ है :--

"Ten members to be appointed by the Government of whom three shall be representative of sugar factories and three of distilleries;"

ये जो ६ आदमी इसमें आयेंगे वे इस किस्म के होंगे जिस किस्म के आदमियों के लिये गवर्नमेंट ने इसमें सजेस्ट किया है।

तीसरी बात इसमें आगे जो है वह यह है :

"But completely unconnected with any sugar factory or distillery."

तो इसमें एतराज नहीं है कि वह आदमी इस क़िस्म के हों और बाकी जो आदमी नामिनेट होंगे, उनकी निस्बत गवर्नमेंट नामिनेशन करने में यह ख्याल रख सकती है कि वहां इस किस्म से कनेक्शन रखने वाले आदमी मैजारिटी में न होने पायें, जिस वजह से उस काम में किसी किस्म की खराबियां पैदा हों। इसलिये वहां ऐसे आदमी जाने चाहियें जो कि उससे ताल्लुक़ न रखते हों, तो यह बात वैसे ही कन्सीडर करने की है। इसलिये मेरे नजदीक यह अमडमट कोई ज़रूरी नहीं है, मकसद उसका इसी तरह से पूरा हो सकता है। पार्टली इसमें यह प्रोवाइडेड है ही।

* मंत्री जी ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अमेन्डमेंट जरूरी इसलिए है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को न नामिनेट करे जो कि डिस्टलरी या शुगर फैक्ट्रीज से कनेक्टेड हों, लेकिन नामिनेशन भी हो सकता है, तो इस समय जब क़ानून बन रहा है तो क्यों न स्पेसिफिक कर दें कि छः आदमी ये होंगे। अगर नहीं करते हैं तो सारा परपज़ डिफ़ीट हो जाता है। अगर हम सब शुगर फैक्ट्रीज और डिस्टिलरीज़ में उन्हीं के रख देंगे, जिनका शेयर होगा, तो जो उद्देश्य है वह खत्म हो जाता है। अगर गवर्नमेन्ट किसी वक्त गलत निर्णय ले तो क़ानून में इसकी गुन्जायश ही नहीं रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसको स्पैसिफिक होना चाहिये और गवर्नमेन्ट को इसको मंजूर करना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, कुंवर साहब मेरे नजदीक़ समझने के नहीं जो फरमा रहे हैं। इसमें दस मेम्बर हैं। दस में से छः वे हैं जिनका कुछ ताल्लुक़ डिस्टिलरीज और फैक्ट्रीज से होगा, मेजारिटी उनकी वैसे ही है। गवर्नमेंट अगर आज नामिनेट करे, तो नेचुरली अब उसमें और दूसरे आदमियों को रखने की गुन्जायश ही न हो, यह तो है हो। जो मकसद है, वह मेरा तो पूरा हो जाता है। जो ट्रेन्ड है लाज़ के बनाने का, हम उसके खिलाफ जाते हैं, अगर ऐसा किया जाता है। कुंवर साहब इस चीज को जरूर समझेंगे कि जो अनकनेक्टेड आदमी हैं, उन्हीं के लेने के लिये यह गुंजायश निकाली है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ३ में प्रस्तावित उपखंड ३-बी के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय--

"Provided the persons nominated by the Government are men with either technical qualifications or possess adequate knowledge in the manufacture of either sugar or molasses, but completely unconnected with any sugar factory distillery."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं खंड संख्या ३ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं--

"प्रस्तावित उपखंड ३ (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड ३ (बी) (१) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

Clause 3. "Three members, two from the Assembly and one from the Council to be chosen by the Government:

Provided the members thus nominated cease to be members if they vacate their seats in the legislature."

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक़ है, तो पहले तो हमने एक्सपर्ट्स की मांग की थी। वह तो पूरी हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि लेजिस्लेटर्स को कुछ हद तक फायदा होगा और वे कम से कम फर्स्ट हैंड नालेज प्राप्त कर सकेंगे कि किस प्रकार से ये टेक्निकल मामलात डील किये जाते हैं और कैसे सवाल इस बोर्ड के सामने आते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह आवश्यक है। यह कोई कंट्रेडिक्टरी तो है नहीं उस अमेंडमेंट से, जिसमें ऐक्सपर्ट्स को रखने का प्राविजन गवर्नमेंट ने किया है। इससे कोई नुक़सान नहीं होगा। बल्कि इससे फायदा होगा अगर लेजिस्लेटर्स का रिप्रिजेंटेशन दें, तो असेम्बली और एक कौंसिल से, जिसका मैंने प्राविजन किया है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन कुंवर साहब ने रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं और इसलिये कि मैं यह समझता हूं कि लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स को हर जगह पर रख देना, जहां उनकी जरूरत हो या न हो, मुनासिब नहीं मालूम

होता है । यह जो मुलैसेज बोर्ड बनेगा, उसका मकसद यह है कि उसमें ज्यादातर ऐसे लोग रखे जायं जो मुलैसेज के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे सकें । यह बोर्ड कानून बनाने के लिये नहीं है और न यूनिवर्सिटी का ही बोर्ड है जहां पर लेजिस्लेचर के मेम्बर्स जाकर कुछ कन्ट्रीब्यूट कर दंग । खामख्वाह केवल इसलिये लेजिस्लेचर के मेम्बर्स को रख देना कि उसमें लेजिस्लेचर का रिप्रजन्टेशन नहीं है, यह कुछ ठीक नहीं मालूम होता है । लेजिस्लेचर के मेम्बर्स को इतना चीप नहीं समझना चाहिय कि हर बोर्ड में लेजिस्लेचर की नुमायन्दगी जरूर होनी चाहिये । ऐसे बोर्ड में जहां लेजिस्लेचर का कोई वास्ता नहीं है और जहां न वह कुछ सलाह मशविरा दे सकते हैं, वहां उनके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर इसमें यह होता कि जो इसके जानकार है, उनकी नुमाइन्दगी दे दी जाती, तो वह दूसरी बात थी । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री सरदार सन्तोष सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन बोर्ड के मेम्बर्स के बारे में यहां रखा गया है, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है । मेरा जो सुझाव था, वह यह था कि टेक्निकल आदमी होने चाहिये । टेक्निकल आदमी सारे प्रदेश के अन्दर बहुत से हैं । हमारे टेक्निकल इन्सटीट्यूट में बहुत से आदमी हैं, बहुत से केमिस्ट पड़े हुये हैं और बहुत ऐसे हैं जो जावा, सुमात्रा, हवाई से लौट कर आये हैं । गवर्नमेंट उनको जानती है और नामजद कर सकती है । हमारे यहां कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जो वहां जा सके और सलाह दे सके ।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——आप तो हैं ।

श्री सरदार सन्तोष सिंह——मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं । गवर्नमेंट को तो एक्सपर्ट आदमी चाहिये और यहां शायद कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो यह संशोधन रखा गया गया है, उसके सम्बन्ध में मै अपने विचार रखना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि यह संशोधन उपयुक्त है और इसे स्वीकार करना चाहिये । पहले ऐक्ट में जो सन् ४७ का था, उसमें एक एडवाइजरी कमेटी थी और अब मुस्तकिल तौर पर एक बोर्ड बनने जा रहा है और उसको काफी अख्तियारात दिये गये हैं । यह कहना कि उसमें टेक्निकल आदमी ही रहेंगे, यह उचित नहीं मालूम होता है । उसमें टेक्निकल आदमी भी रहेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर का भी रिप्रेजेन्टिव जरूर होना चाहिये क्योंकि उसका सम्बन्ध सरकार से भी रहेगा । इसलिये भी यह जरूरी है कि जो अधिकार बोर्ड को दिये गये हैं उनका ठीक से उपयोग हो और इस बात के लिये यह आवश्यक कि कोई वहां लेजिस्लेचर का रिप्रेजेंटेटिव हो । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता

श्री पन्ना लाल गुप्त——अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर साहब ने रखा है वह बहुत ही मुनासिब है और मैं उसका समर्थन करता हूं । जहां उस बोर्ड में एक्सपर्ट रखने की बात है, वहां इस हाउस में और असेम्बली में बहुत से मेम्बर्स हैं, जो इस मामले में काफी एक्सपर्ट हैं और इस बात को जानते हैं । हमारे बहुत से सदस्य शुगर मिल के मालिक हैं । हमारे सरदार साहब बहुत काफी इस मामले में एक्सपर्ट मालूम होते हैं क्योंकि उन्होंने इस विषय में अपनी ओपीनियन अच्छे प्रकार से जाहिर की है । हमारे मुकर्जी साहब और दूसरे भी बहुत से सदस्य इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं । उनको रखने से यह होगा कि सरकार की जो मंशा है और हाउस ने जिस मंशा को लेकर बिल बनाया गया है, उसकी वह देख-रेख कर सकेंगे । क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि हाउस जिस मंशा से जो चीज बनाता है, उसका पूरे तौर से सरकारी अधिकारी ठीक-ठीक प्रतिपादन नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपने मनमाने ढंग से उसका मतलब लगाते हैं, क्योंकि हाउस में वह नहीं रहते इसलिए गवर्नमेंट की मंशा को वह जान नहीं पाते, हाउस की मंशा को वह जान नहीं पाते, इसलिए तोड़-मरोड़ कर, जैसी उनकी इच्छा होती है, वह रास्ता निकाल लेते हैं । अगर हाउस के मेंम्बर उसमें रहेंगे, तो वह सरकार और

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

हाउस की ओपीनियन को वहां अच्छी तरह से रख सकेंगे और जिस नीति से सरकार इस कानून का संशोधन किया है, उसका अच्छी तरह से पालन करा सकेंगे। अगर वहां एक्सपर्ट्स रख दिए जायेंगे, तो वह अपनी राय देंगे, मगर सरकार और हाउस की क्या मंशा है, इसका उन को कुछ अनुभव न होगा। इसलिए हर हालत में हाउस के मेम्बर होने चाहिए। मगर इसके लिए कोई बाइन्डिंग तो है नहीं, इसको तो गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को रखेगी, जो एक्सपर्ट है, और हाउस जो चुनता है वह भी समझ कर चुनता है और सरकारी अधिकारी जो अपनी समझ के मुताबिक रास्ता निकालते हैं, वह ऐसा नहीं कर सकेंगे, वह कमेटी में एक तरह से कंट्रोल में काम करेंगे। लिहाजा कुंवर साहब ने बड़ी दूरन्देशी के साथ इस संशोधन को रखा है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाय क्योंकि कुंवर साहब के बहुत से संशोधन गिर जाते हैं, कभी-कभी छोटा-मोटा संशोधन मान ही लेना चाहिए।

श्री केदार नाथ खेतान (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुलैसेज कंट्रोल का जो बिल हाउस में आया है, इससे मिल वालों को बड़ा नुकसान है। लेकिन मैं समझता हूं कि भले ही नुकसान क्यों न हो, जिसमें हमारी पब्लिक का फायदा है, वह चीज अच्छी होती है। मैं भी इसे सपोर्ट करता हूं। लेकिन अभी कुंवर साहब ने जो संशोधन पेश कियाहै, मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूं इस लिए कि तीन मेम्बर मिल वालों केहैं, तीन डिस्टिलरीज वालों के और चार मेम्बर गवर्नमेंट चुनेगी। लेकिन वह ऐसे मेम्बर होने चाहिए जो बिजनेस मैन से ताल्लुक रखते हों। क्योंकि वह मुलैसेज बिकेगी। मुलैसेज इतना होता है कि उसको रोका नहीं जा सकता है, दूसरे काम में लाया नहीं जा सकता है। अगर उसमें बिजिनेसमेन न होंगे, तो मार्केट के भाव के बारे में कोई राय नहीं आ सकेगी। इसलिये मेरी राय है कि ४ आदमी जो सरकार रखेगी वह बिजिनेसमेन होने चाहिये। उनको मालूम होगा कि मुलैसेज का क्या भाव है। कभी मार्केट में २ रुपये का भाव होता है और कभी ६ आने का भाव हो जाता है। मान लीजिये १० व्यापारी मिल गये, उन्होंने तै कर लिया कि कुछ राय दे देंगे और बाद में बांट लेंगे। अगर असल भाव के जानने वाले आदमी न होंगे, तो सही राय नहीं आ सकेगी। इसलिये मेरी राय यह है कि बिजिनेसमेन होने चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम----यह जो चीज जनाब वाला, इस वक्त जेरे बहस है, वह सेक्शन ३ मूल ऐक्ट में इस तरह है :

"The Government may from time to time constitute one or more advisory committee consisting of such number of persons as it may deem fit on such terms and condihons as may be prescribed and may consult such advisory committee on any matter concerning molasses."

यह मैंने इसलिये पढ़ा कि इस काम के लिये जिस किस्म की कमेटी की जरूरत महसूस होती है, वह इसमें क्लियर है। मुलैसेज के मुताल्लिक जो राय दे सकती है उनकी एडवाइजरी कमेटी बनेगी और वह मशविरा सरकार को देगी, तो उसमें वही लोग होंगे जो जानने वाले होंगे। अब इस वक्त मोर डिगनीफाइड बोर्ड कायम किया जा रहा है, यह एक डिपार्टमेन्टल बोर्ड होगा और मंशा यह है कि गवर्नमेन्ट को पूरी तरह से मशविरा मिल सके। इसलिये अलग से ४ आदमी और रखने का विचार है। जैसा कि हमारे दोस्त खेतान साहब कह रहे थे और उन्होंने माकूल बात कही कि वे लोग ऐसे होने चाहिये जो बिजिनेस से वाकिफ हों, जो सही राय दे सकते हों। जहां पर जरूरत होती है गवर्नमेंट कमेटीज में मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर्स को नामिनेट करती है, लेकिन इसमें इस किस्म की बात नहीं है। और इसमें मेम्बर्स के जाने की जरूरत

भी नहीं है। यह बात कि कोई आदमी या यहां के मेम्बर में शायद ऐसा हो कि वह इससे वाकिफ हो, तो यह तो एक एक्सेप्शनल चीज होगी और इसलिये इतना बड़ा खतरा लिया जाय कि उसे कानून में प्रोवाइड कर दिया जाय कि यहां के मेम्बर्स उसमें जरूर रखे जायं, तो यह खतरा लेना ठीक नहीं है। जैसे हमारे भाई खेतान साहब हैं, यहां मेम्बर होते हुये भी और इस मसले में जानकारी रखते हुये, उनका नाम नामजद किया जा सकता है, लेकिन दूसरे मेम्बर्स जो इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं, उनको उसमें रख कर कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। मेरी राय में कानून के अन्दर ऐसी चीज प्रोवाइड करना जेहन के बाहर की बात है। फिर आप देखें कि मेम्बरों के लिये इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि इस हाउस या उस हाउस के मेम्बर्स नामिनेट नहीं किये जा सकते हैं। अगर कोई इस लायक है कि उसको पूरी वाकफियत है और सरकार समझती है कि उससे लाभ पहुंचने वाला है, तो इसमें चार जगहें जो बचती हैं, उसके लिये दोनों हाउसेज में से वह किसी को नामजद कर सकती है, इसके लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमन्, इस बात का निर्णय करना कि कौन सा बोर्ड इस हाउस के मेम्बरों के लिए मौजूं है और कौन सा बोर्ड मौजूं नहीं है, यह बात तो ऐसी है जिसमें हर आदमी अपनी व्यक्तिगत राय रख सकता है। स्टेटयूटरी बोर्ड को आपने काफी अधिकार दिये हैं। लेजिस्लेचर के असोशियेट करने की इसलिए भी जरूरत है कि जब हाउस के मेम्बर्स को जानकारी रहेगी तो उससे हाउस को काफी लाभ पहुंच सकता है और उसकी वर्किंग का भी पता चल सकता है। उसमें अगर कोई खराबी पैदा होती है, तो वह मेम्बर्स यहां हाउस में उसे दुरुस्त करा सकते हैं। अगर यहां के मेम्बर्स नहीं रहते हैं, केवल एक्सपर्ट्स ही रहते हैं, तो वह केवल गवर्नमेंट की ही बाडी रह जायगी और वह जैसा चाहेगी करवाती रहेगी। इसके अलावा उसमें मेम्बर्स के रखने की इसलिए और भी जरूरत होगी कि वह जनमत मालूम कर सकते हैं। आखिर वह जनता के नुमायन्दे हैं, चाहे वह पढ़े-लिखे नहीं सही, फिर भी वह जनता को रिप्रेजेन्ट तो करते हैं और वह उस नाते से अपने ख्याल जाहिर कर सकते हैं। फिर आप देखें कि सरकार न कितने ही बोर्ड्स बना रखे हैं और करीब-करीब सभी में लेजिस्लेटर्स रखे गये हैं, तो इसमें न रहने का सेन्स ही कुछ नहीं मालूम होता है। अगर केवल ऐडवायजरी बाडी का मामला होता तब तो कोई बात न थी, जैसा कि अब तक होता था कि अरेस्ट्स की पावर उसे न न थी। कम्पाउन्ड की पावर्स कन्ट्रोलर को दी गई है, बोर्ड को नहीं दी गई है। केवल टेक्निकल मामले बोर्ड के लोग देखेंगे। इसलिए मैं इनको रखने को कहता हूं कि अगर कहीं न्याय का हनन होने लगेगा, तो कम से कम यह लोग उसको रोक-थाम कर सकते हैं। अब इसलिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस बोर्ड में जिसमें आपने इतने ज्यादा अधिकार दे रक्खे हैं तो कम से कम हमारे विधान मंडल के सदस्यों को भी स्थान दें। मैं, श्रीमान्, स्वयं इस बात को समझता हूं कि और मेरी भी यह राय है, हर एक जगहों में, छोटी मोटी जगहों में, यह जरूरी नहीं है कि विधान मंडलों के सदस्य रक्खे जायें, लेकिन ऐसे स्थानों में जहां आप इतनी ज्यादा पावर दे रहे हैं, तो उनके देखने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम विधान मंडलों के सदस्यों को भी रक्खें। हमने देखा है कि जिलों में जो कमेटियां बनी हुई हैं और वहां पर जो लोकल एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० हैं, तो अगर वह कमेटियां केवल गवर्नमेंटल बेसिस पर बनी होती तो दूसरी बात होती। उससे जनता में असंतोष पैदा होता, लेकिन चूंकि वहां पर जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, इसलिये वह पब्लिक की राय को रख सकते है और वहां पर सरकारी अफसर भी बहुत सोच समझ कर कदम रखते हैं कि यहां पर तो लेजिस्लेचर के मेम्बर्स भी मौजूद हैं। वह भी मेम्बर्स की मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो जनता के लिये असंतोष का विषय हो जावे। जो आफिशल मेंटेलिटी होती है और जो बाहर काम करने वाले होते हैं, उनकी मेंटेलिटी में फर्क होता है। लेकिन जब दोनों मिलकर बैठते हैं तब उनमें एक प्रकार का संतुलन हो जाता है। इसीलिये मैंने यह समझा कि इस बोर्ड में विधान मंडल के भी सदस्य रक्खे जायें। मैं तो अब भी यही समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है और इसमें लेजिस्लेचर के मेम्बर्स रक्खे जायं।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड संख्या ३ में प्रस्तावित उपखंड ३–बी के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखंड ३–बी (१) के रूप में बढ़ा दिया जाये :

"Three members, two from the Assembly and one from the Council to be chosen by the Government.

Provided the members thus nominated cease to be members if they vacate their seats in the legislature."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं खंड संख्या ३ में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

"खंड संख्या ३ की प्रस्तावित उपखंड ४ की पंक्ति २ में शब्द 'two' के स्थान पर शब्द 'three' रख दिया जाये।

यह जो बोर्ड का टर्म रक्खा गया है, वह दो साल का है। मैंने इसमें यह मांग की है कि वह तीन साल का कर दिया जाये। दो साल का समय बहुत कम होता है और खासकर टेक्निकल बाड़ीज में जब काम करना होता है, तब ज्यादा समय मिलने पर ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है। यह गवर्नमेंट की भी नीति है कि ज्यादातर बोडर्स का समय तीन साल या कहीं–कहीं तो और भी अधिक ५–५ साल तक का होता है। यहां पर यह दो साल का टर्म बहुत कम है। मैं समझता हूं कि यह बढ़ा दिया जाये।

श्री प्रताप चन्द आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रक्खा गया है, मैं यह समझता हूं कि यह बिलकुल नामुनासिब है। इसलिये कि जैसा कुंवर साहब ने बतलाया कि बहुत से बोर्ड्स ३–३ साल के और बहुत से तो और भी अधिक यानी ५–५ साल के लिये बने हैं। यह हो सकता है, लेकिन यह बात उन बोर्डों के मुताल्लिक हो सकती है जो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखते हैं। जैसे शिक्षा के बोडर्स या म्युनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बोडर्स। यह एक दूसरी चीज है। यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है, यह दूसरे किस्म का बोर्ड है। यह शीरे के मुताल्लिक हर साल कीमतें मुकर्रर करेगा और इसके संबंध में हो सकता है कि कुछ व्यवस्था करता रहे। ऐसी हालत में होना तो यह चाहिये था कि यह बोर्ड सालाना बनता। एक बोर्ड एक ही साल कायम रहता, दूसरा दूसरे साल बनाया जाता। इसी तरह से हर साल बदलता रहता। लेकिन इसमें खैर दो साल रखा है, इसलिये कि इसमें केवल भाव मुक़र्रर करने का काम है और जो लोग आयेंगे फैक्टरी इत्यादि से, मेरा ख्याल है कि वे सब एक्सपर्ट होंगे। एक एक्सपर्ट को तीन साल रखें तो यह ठीक नहीं है। आजकल का जमाना ऐसा है कि हर एक्सपर्ट एक नया सुझाव लेकर आता है। इसलिये मुनासिब है कि एक एक्सपर्ट के बाद दूसरा एक्सपर्ट हर दूसरे साल आना चाहिए और जो आदमी क्रिएटिव माइन्ड लेकर आता है, उसको मौक़ा देना चाहिए। एक आदमी जो आपने आज रखा है, वह पुराने तरीक़ों को ही जानता है और जिसको आप कल रखेंगे वह जरूर नये तरीक़ों को जानता होगा। एक आदमी ने अगर इस साल कुछ पास किया है, तो हो सकता है जिसने दूसरे साल पास किया हो उसने ज्यादा नालेज गेन किया हो। इसलिये मैं समझता हूं कि बोर्ड की जो अवधि है, वह एक साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दो साल होनी चाहिए और इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इसलिये मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब चेयरमैन साहब, बात तो कोई बड़ी नहीं है कि दो साल हो या तीन साल। लेकिन जो बोर्ड हैं हमारे यहां गवर्नमेंट में और डिपार्टमेंट्स में, उनमें चाहे किसी भी केटगरी के बोर्ड बने हों, लेकिन उनकी मियाद दो साल की ही रखी गयी है और उन्हीं लाइन्स पर यह बोर्ड भी दो साल के लिये रखा गया है। मेरे पास एक नोट है,

उसमें भी यह बात लिखी हुई है। मसलन शुगर केन बोर्ड है, उसकी भी मियाद दो साल की है और शुगर केन से इसका ताल्लुक भी है। जब उसमें भी दो साल रखा गया है, तो महज इतनी सी बात के लिये यहां पर अमेंडमेंट करें और फिर इस बिल को असेम्बली में भेजा जाय, तो यह इतनी जरूरी बात नहीं है। इसलिये मुनासिब यही है जबकि असेम्बली से भी दो साल ही मंजूर हुआ है, इसलिये दो साल ही रखना चाहिए।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरहाल, मुनासिब यही है कि तीन साल का टर्म होना चाहिए। लेकिन अभी जो आजाद साहब कह रहे थे कि जो नये आदमी आते हैं वे क्रियेटिव माइन्ड लेकर आते हैं, तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन दो-तीन साल में कोई क्रियेटिव माइंड में फर्क नहीं होता है। अगर आप यही एनालाजी लेजिस्लेचर के मेम्बरों के सम्बन्ध में भी लगाते तो अच्छा होता। क्योंकि बहुत से लेजिस्लचर के मेम्बर्स जो यहां पर आये हैं वे कुछ नहीं कर पाये, तो इसके अनुसार हमें दूसरों को स्थान देना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं है। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह था कि तीन वर्ष की अवधि कम से कम किसी बोर्ड की होनी चाहिए ताकि आसानी के साथ वे कुछ कार्य कर सकें। क्योंकि साल-डेढ़ साल तो उन्हें प्रोब्लेम को समझने में लग जाता है, तब वहां की वर्किंग को वे समझ सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि तीन वर्ष होना चाहिए, मैं यह भी जानता हूं कि यह स्वीकार नहीं होगा, फिर भी मैं इसे प्रेस करता हूं और मंत्री जी को यह अस्वीकार करना ही है।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित उपखंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४-८

४--मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ में नई धारा ३-ए का रखा जाना।

"3-A. The Molasses Board shall—

Functions of the Board.

(a) advise on matters concerning the grading and marketing of molasses, the price at which molasses are to be sold and generally on their allocation for distilleries and other purposes; and

(b) perform such other functions as may be prescribed."

५--मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान निम्नलिखित रख दिया जाय :--

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

Powers control supply and distribution, etc of molasses.

"5. (1) If the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining supplies of molasses for distillation and other purposes or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, it may, by order, provide for supply and distribution thereof and trade and commerce therein.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), an order made thereunder may provide :

(*a*) for controlling the price at which and the manner in which molasses may be bought or sold for any purpose and different price may be provided for different purposes;

(*b*) for regulating by licences, permits or otherwise the storage, supply, transport, distribution, disposal, acquisition use or consumption of molasses;

(*c*) for requiring any person or owner or occupier of a sugar factory to sell their molasses, held in stock or produced or to be produced in the factory to the State Government to the exclusion complete or partial, of others or to such persons or class of person's and in such circumstances and upon such terms as may be specified in the order;

(*d*) for the taking of samples and grading and testing of molasses;

(*e*) for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transactions relating to molasses, which in the opinion of the authority making the order, are, or, if unregulated, are likely to be, detrimental to the public interest;

(*f*) for collecting any information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the aforesaid matters ;

(*g*) for requiring occupiers of sugar factories and persons engaged in the production, supply or distribution of or trade and commerce in, molasses, to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto, as may be specified in the order; and

(*h*) for any incidental and supplementary matters, including in particular the grant or issue of licences, permits or other documents their term and conditions and the charging of fees therefor.

(3) Where molasses have in pursuance of an order under clause (*c*) of sub section (2) of section 5, been sold to the State Government the State Government shall pay therefor the price which shall be—

(In this formula X is the price per maund of sugarcane fixed by the Government in annas. The result obtained will be the price of molasses per maund in pies).

(4) An order made under this section shall—

(a) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in the official *Gazette* ; and

(b) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual—

(i) by post under postal certificate or by delivering or tendering it to that individual, or

(ii) if it cannot be so delivered or tendered by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighbourhood.

(5) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or any instrument having affect by virtue of any enactment other than this Act"

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की ६ से ८ तक की धाराओं का निकाल दिया जाना।

६—मूल अधिनियम की धारायें ६ से ८ तक निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा ९ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द " with fine " और शब्द "and" के बीच मे शब्द "or both" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १२ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (बी) के शब्द " box " और " receptacle " के बीच म शब्द " pit " रख दिया जाय तथा अंत का फुलस्टाप हटा कर अंत के शब्द " molasses " के पश्चात् शब्द "and any books, accounts, documents or statements relating to transactions is such molasses" बढ़ा दिय जायं,

(ख) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (सी) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(c) detain, search and arrest any person whom he has reason to believe to be guilty of any offence punishable under this Act;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिये जायं--

"(3) A police officer not below the rank of an officer in charge of a police station or an officer of the Excise Department or Revenue Department not below such rank as the State Government may prescribe may investigate into any offence punishable under this Act, committed within the limits of the area in which such officer exercise jurisdiction.

(4) Any such officer may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case under the provisions of Chapter XIV of the Code of Criminal Procedure, 1898."

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ४, ५, ६, ७ और ८ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ में एक नयी धारा १३-ए का रखा जाना।

९--मूल अधिनियम में धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १३-ए के रूप में रख दिया जाय--

"13-A. Power of the Controller to compound offences. The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees by way of composition for the offence which may have been committed, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may release the same on payment of the value thereof as estimated by him.

On the payment of such sum of money or such value, or both, as the case may be, to the Controller, the acused person, if in custody, shalle be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property."

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, खंड संख्या ९ में मैं निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :--

प्रस्तावित उपखंड १३-ए की पंक्ति ४ में शब्द "five thousand" के स्थान पर शब्द "three thousand" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह जो विधेयक है, वह ओरिजिनल ऐक्ट से विशेषकर इस बात पर डिफर करता है कि उसमें कन्ट्रोलर को कोई अधिकार नहीं था कि वह आफेन्सेज को कम्पाउन्ड कर सके और चूंकि इसमें कन्ट्रोलर को अधिकार दिया गया है, बोर्ड को अधिकार नहीं है, तो जहां तक उसूल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यह जो प्राविजन किया गया, इससे तात्पर्य यह है कि हम ज्यादा लिटिगेशन न करें और जो मामले हों उनको हम आसानी के साथ तय कर लें तथा अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी के साथ करें, लेकिन जहां तक हम उसूल को मानते हैं, हम यह भी महसूस करते हैं कि ऐसा भी मौका हो सकता है, जो बहुत से छोटे-छोटे आफेन्सेज हुये उसने उसको अधिकार देना कि वह ५ हजार तक का जुर्माना कर सकता है, ज्यादा है और इसे ३ हजार होना चाहिये और इस तरह से हम फिर आशा कर सकते हैं कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय शायद नहीं हो सकेगा, क्योंकि कन्ट्रोलर को फिर बहुत ही जुडीशियली अपने डिसक्रेशन को इस्तेमाल करना होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि बजाय ५ हजार के ३ हजार अगर कर दिया जाय, तो बहुत ही अच्छा हो ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी प्रस्तुत किया गया है, मैं तो उसके सख्त विरुद्ध हूं । इसलिये कि जुर्माना तो इस सम्बन्ध में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा रखा जाय । क्योंकि इसमें ब्लैक मार्केटिंग होने की सम्भावना है । मैंने जैसा कि बिल के प्रथम वाचन के समय में बतलाया था कि किसी जमाने में मुलैसेज का परमिट मिला करता था और उसमें एक हजार तक का मुलैसेज का परमिट वार टाइम में पांच-पांच हजार में आसानी के साथ बिक सकता था और इस तरह से एक-एक परमिट ५, ५ हजार तक बेचा गया और उस जमाने में इस क़दर मुलैसेज के परमिट लेने की होड़ लगी रहती थी कि हर आदमी इस बात की कोशिश करता था, रिश्वत देकर या किसी तरह से कि एक-दो परमिट उसको मिल जायं और इस तरह से परमिट लेकर के वह दूसरे आदमी के हाथ एक-एक हजार का परमिट ३-४ हजार में बेच देते थे । इस तरह से उस जमाने में बहुत से केसेज ब्लैक मार्केटिंग के पकड़े गये । इसलिये अगर जुर्माना कम रखा जायेगा, तो उसमें आदमी यह सोचता है कि चलो अगर एक चीज ५ हजार में बिकी है, तो ३ हजार अगर जुर्माने के दे दिये, तो फिर भी २ हजार का फायदा होता है । इसलिये यह ख्याल करना कि इसमें जुर्माना कम रखा जाय, ठीक नहीं है । मैं तो समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पनिशमेंट इतनी होना चाहिये, चाहे वह कन्ट्रोलर के हाथ में हो या बोर्ड के हाथ में हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सजा इतनी होनी चाहिये कि जिससे आदमी को मौक़ा न मिल सके, जिससे उसके दिमाग़ में यह ख्याल पैदा हो कि जुर्माना देने के बाद भी मेरा फायदा हो सकता है, बल्कि उसके दिमाग

तो फिर मेरी

हजार रुपये की

रक़म रखी गयी है, वह बहुत ही मुनासिब है और इसका होना बहुत ही जरूरी भी है । मैं इस रक़म को बहुत ही मुनासिब समझता हूं, इसलिये मैं इस संशोधन की मुखालिफत करता हूं ।

***श्री इन्द्र सिंह नयाल**--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर साहब ने सदन के सामने रखा है वह बिलकुल गलत ख्याल से रखा है । यह जो बिल में रखा गया है इसका किसी सजा से ताल्लुक़ नहीं है, यह तो मुआविजे से ताल्लुक़ रखता है कि किस हद तक राजीनामा हो सकता है । कंट्रोलर के लिये एक सीमा बांध दी गयी है कि वह इस हद तक किसी व्यक्ति से राजीनामा कर सकता है और वह रक़म पांच हजार रुपये तक की है । मैं तो समझता हूं कि इसमें तो कोई जुर्माने का सवाल ही नहीं है, यह तो एक राजीनामा है जिसकी सीमा बांधी गयी है । इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि कंट्रोलर पांच हजार रुपये तक

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

राजीनामा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इसके अलावा वह एक रुपये या १० रुपये में भी राजीनामा कर सकता है।

(इस समय, ३ बजकर ५० मिनट पर, श्री डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

पांच हजार की जो रक़म रखी गयी, वह इस ख्याल से रखी गयी है कि अगर कोई आदमी एक लाख रुपया पैदा कर लेता है तो वह ३० हजार रुपया भी दे सकता है, इस चीज को रोकने के लिये यह सीमा बांध दी गयी है। मैं समझता हूं कि जो रक़म इसमें रखी गयी है, वह बहुत ही ठीक है और इसका होना निहायत जरूरी भी है। इसलिये जो तरमीम कुंवर साहब ने रखी है मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि शायद कुंवर साहब ने इस क्लाज को पढ़ा नहीं है, अगर उन्होंने पढ़ा होता, तो शायद वे भी इसको राजीनामा ही समझते। ऐसी हालत में जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है, वह बिलकुल निराधार है और मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं।

(इस समय, ३ बजकर ५३ मिनट पर, श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री हृदय नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर साहब न रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैंने श्री प्रताप चन्द्र जी के और श्री इन्द्र सिंह जी के भाषण को सुना है। उनके भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कुंवर साहब ने जो संशोधन रखा है, वह अनुचित नहीं है। श्री इन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह सजा नहीं है बल्कि एक प्रकार का राजीनामा है। जब दो व्यक्तियों में राजीनामा होता है तो दोनों को कुछ न कुछ प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर तीन हजार रुपया रखा जाय, तो कोई अनुचित बात न होगी। तीन हजार रुपया दे कर कोई व्यक्ति बच सकता है। किसी कोर्ट में जाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं इसीलिये यह अधिकार कंट्रोलर को दिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस में तीन हजार रुपया कर देना चाहिये। यदि ५ हजार जुर्माने की रकम रहती है, तो उसमें काफी गुंजाइश इस बात की रहती है की किसी व्यक्ति पर कन्ट्रोलर ५ हजार जुर्माना न करके २ हजार ही जुर्माना कर सकता है और उससे यह कह सकता है कि मैंने तुम पर ५ हजार रुपया जुर्माना नहीं किया है, इसलिये तुम किसी तरह से २ हजार रुपये मेरे यहां पहुंचा दो, इस तरह से ज्यादा रक़म में करप्शन की काफी गुंजाइश रहती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जुर्माने की रक़म ३ हजार ही हो। जो सीरियस आफन्सेज होंगे, वे तो कोर्ट आफ ला में जायेंगे और वहां इस तरह से किसी को भी सजा या जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य तो साधारण आफेन्स के लिये ही है। यदि इसमें ज्यादा जुर्माने की रक़म रखी जाती है, तो उसका फैसला कोर्ट आफ जस्टिस में हो। यही दो-तीन कारण हैं और जो कुंवर साहब ने ३ हजार की रक़म के लिये प्रस्ताव किया है वह काफी युक्ति संगत है और आशा है कि सदन इस को मान लेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, ३ हजार और ५ हजार की जो बात है, उसमें यह देखना चाहिये कि किस लिहाज से यह रखा गया है और यह किस चीज का जुर्म है। यह तो किसी चीज की सजा है और वैसे यह पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि इस ला के अन्दर जो पनिशमेंट प्रोवाइड है, उसको सजा से बचाने के लिये इसको रखा गया है। जो इसके आफेन्स हैं, मसलन जो असली ऐक्ट की दफा है, उसके खिलाफ कोई करता तो उस पर कार्यवाही होती और उसमें उसको सजा होती। सजा एक साल की रखी गई है और सिर्फ एक साल की सजा ही नहीं है बल्कि यह भी है कि जितना स्टाक उसका होगा वह फोरफिट हो जायेगा, चाहे जितना भी उसका मुलैसेज मौजूद हो, तो जो स्टाक है वह कितना है और कितनी उसकी मिलिकयत है. उसके बजाय और इस साल भर की सजा के बजाय, एक काम यह है जो किया जाय और जो इसमें रखा गया है। उसकी सजा में आफन्स को कम्पाउन्ड कर लिया जाय।

दूसरी बात यह भी लिहाज में रखनी है कि आदमी जो जुर्म करे, मसलन चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, तो उसको देखकर ही अदालत सजा देती है और हर चोरी या डाके में उतनी ही सजा अदालत किसी आदमी को नहीं देती। मसलन तीन साल ज्यादा से ज्यादा है तो किसी को साल भर की, किसी को डेढ़ साल की और किसी को दो साल की सजा देती है, लेकिन वह सजा तीन साल से ज्यादा नहीं होती। कन्ट्रोलर को जिस बात का अख्तियार दिया जा रहा है, तो वह उस केस को देखेगा और वह जिस हद तक होगा उसी हिसाब से जुर्माना करेगा। उसमें पांच हजार तक ज्यादा से ज्यादा है और नाट एक्सीडिंग फाइव थाउजेन्ड लिखा गया है और कम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह ५ हजार तक कर सकता है। किसी केस में वह एक हजार भी कर सकता है, किसी में दो हजार, किसी में तीन हजार और ज्यादा से ज्यादा ५ हजार तक वह जुर्माना कर सकता है। इसमें सजा की जो बात है, तो कहा गया है कि वह सख्त रखा गया है तो उसको नम्र करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से इसमें पूरी लचक है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रोशनी में हम लोग यहां पर बैठते हैं और क़ानून बनाते हैं तो हमें इस बात को देखना ही पड़ता है और क़ानून बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना ही पड़ता है कि जब उनके ऊपर अमल होगा और जो लोग उन पर अमल करने वाले हैं, वे किस रोशनी पर अमल करेंगे। आज जो हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न है, वह यह कि हम बहुत नोबेलेस्ट इन्टेन्शन से अपने क़ानून बनाते हैं और बनाकर भेजते हैं, लेकिन जब ऐक्चुअल वर्किंग में क़ानून जाता है तो वहां पर हर तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन सुनने में आता है। इसलिये मैं इस राय से इत्तिफाक नहीं करता कि जिस रोशनी में यह रक्खा गया है इसको उसी रोशनी में देखना चाहिए। हम तो दोनों रोशनियों में देखते हैं यहां की और वहां की रोशनी में भी। यह तो क़ानून बन रहा है, लेकिन यह एब्यूज काफी हद तक हो सकता है। बहुत ही अच्छे इन्टेन्शन से यह रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोलर के हाथ में अधिकार दे दिया गया है। बोर्ड के हाथ में अधिकार नहीं दिया गया है। इससे बेचारे छोटे-छोटे आदमियों को नुक़सान होगा। जो बड़े आदमी हैं वे शायद ब्लैक मार्केटिंग से या और तरह से कुछ फायदा उठा लें, लेकिन छोटे आदमी पिस जायेंगे। इस तरह से काफी एब्यूज इस धारा का हो सकता है। चूंकि इसका हम ऐक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में पांच हजार रुपये पर जुर्माना करने का अधिकार देना मुनासिब नहीं है। जो लिमिट रखी है उसको कुछ कम कर दीजिये। शायद कुछ गुंजायश हो और बचत निकल सके। मैं तो समझता हूं कि यह जरूरी है। पांच हजार के बजाय ३ हजार करने से सहूलियत होगी और अच्छा होगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ९ में प्रस्तावित उप-खंड १३-ए की पंक्ति ४ में शब्द 'five thousand' के स्थान पर शब्द 'three thousand' रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ९ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०--१३

१०--मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द "person" तथा "from" के बीच में शब्द "or class of persons" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ में एक नयी धारा १५-ए का रखा जाना।

११—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५-ए के रूप में रख दिया जाय :—

"15-A. (i) No suit, shall lie in any civil court against the Government or any officer or person for damages for any act in good faith done, or ordered to be done, in pursuance of this Act or any Rules or Orders made thereunder.

Bar to certain suits.

(2) No civil court shall try any suit which may lawfully be brought against the Government in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, unless the suit is instituted within six months after the date of the act complained of."

यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the matters relating to the establishment of the Molasses Board;

(b) the manner and the procedure for the conduct of business and the discharge of functions by the Molasses Board;

(c) the procedure relating to the removal of members of Molasses Board; and

(d) matters which are to be and may be prescribed."

कार्यों तथा कार्यवाहियों का वैध होना।

१३—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई बात, जिसके अन्तर्गत प्रदत्त आज्ञा, किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdiction) सम्मिलित है, जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुए मूल अधिनियम के अधीन वैध (validly) अथवा उपयुक्त रूप से कृत अथवा अकृत (done or omitted) होता तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि वह कार्य अथवा बात मूल अधिनियम के अधीन वैध तथा उपयुक्त रूप से की गयी, प्रदत्त अथवा प्रयुक्त हुई है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले मूल अधिनियम के अधीन किये गये किसी काम अथवा की गयी किसी बात की वैधता के सम्बन्ध में इस आधार पर कि मूल अधिनियम का कोई उपबंध विधितः वैध (valid in law) नहीं था आपत्ति करने वाले सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां समाप्त तथा विसर्जित (abated and dismissed) हो जायंगी।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड सं० १०, ११, १२ और १३ विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० मुलैसेज कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना आवश्यक है यू० पी० ऐक्ट २३, १९४७।

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--Sir, I move that the Uttar Pradesh Molasses Control (Amendment) Bill, 1955, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be passed.

श्री प्रताप चन्द्र आजाद --माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोलेसेज विधेयक पास हो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस संबंध में मैं दो-चार बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो सरकार द्वारा बोर्ड बनाया गया है उसमें तीन आदमी फैक्ट्रीज के और ३ आदमी डिस्टिलरीज के रक्खे गये हैं। चार मेम्बर जो बाकी रह जाते है, उसके संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन हो सके, वे आदमी एक्सपर्ट्स रक्खे जायें और बिजिनेसमन रक्खे जायं और इस प्रकार के लोग रक्खे जायें जो मोलैसेज के कारोबार से वाकिफ हों।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहिले अर्ज किया था कि इस बोर्ड में कोई ऐसा क्लियर प्राविजन नहीं है कि जो मुलैसेज जहां इकट्ठा होता है, उस जगह पर सरकार का कोई नियंत्रण है। किन्तु फिर भी इसके अन्दर कोई धारा, जैसी कि उस समय पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी ने पढ़ कर सुनाई, जिसके जरिये से अगर सरकार चाहे तो डाइरेक्ट देख-रेख नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्डाइरेक्ट देख-रेख हो सकती है, उन मन्डों की जहां पर मोलैसेज इकट्ठा किया जाता है और इसके लिये सरकार को फौरन कदम उठाना चाहिये क्योंकि जिस प्रकार से मन्ड गन्दे रहते हैं, वह तो वही जानता है जिसने उसे देखा हो। उसमें मक्खी, मच्छड़ और दूसरे कीड़े मरे पड़े रहते हैं। उनके रखने में कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। तो इस प्रकार से मैं यह समझता हूं कि सरकार को रूल्स बनाते समय इस बात का कोई प्राविजन अवश्य रखना चाहिये जिससे उन मन्डों की हालत अच्छी हो और जनता के स्वास्थ्य पर असर न पड सके। मुझे आशा है कि सरकार कोई न कोई प्राविजन अवश्य रखेगी।

श्री हृदय नारायण सिंह --माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पुनः उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जो आज सबेरे इस भवन में मुलैसेज के एक एक्सपर्ट ने दिया था। वह भाषण सरदार सन्तोष सिंह जी का है। शुगर फैक्ट्रियों से उनका सम्बन्ध है और शुगर फैक्ट्रीज ही मुलैसेज तैयार करती है। उन्होंने कहा है कि मुलैसेज का ग्रेडिंग बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूं कि लड़ाई के जमाने में पेट्रोल डिपो में किस तरह से यह बचा गया और डिपो वालों को ३००-४०० रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। यदि गवर्नमेंट मुलैसेज का ग्रेडिंग नहीं करती है, तो बड़ी धांधली होगी। सरकार तो यह चाहती है कि जो बिल बने, उसमें कोई लूपहोल न रह जाय। यदि इसी तरह से वह इस चीज को इसमें भी नहीं छोड़ती है, तो बहुत अच्छा है। अभी तक इसमें यह है कि एक कन्ट्रोलर ही देखभाल रखेगा, अगर उसके सहायकों को भी इसमें रख दिया जाता, तो अधिक उचित होता। थर्ड रीडिंग के अवसर पर मैं पुनः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सरदार सन्तोष सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह एक अर्ज किया था कि बिल उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि प्योरिटी मुलैसेज की मुकर्रर न की जाय। अब बिल पास हो चुका है, इसलिये मैं ज्यादा न कहूंगा लेकिन मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मुलैसेज में कितनी प्योरिटी है जो बेचने के काबिल है। मुलैसेज तीन ग्रेड के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। खरीदनेवाले तो यह जानते नहीं हैं कि मुलैसेज कैसे हैं, लेकिन जो बेचने वाले है, वह तो अपना रद्दी से रद्दी माल बेचेंगे। तो इस वास्ते गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई न कोई बोर्ड मुकर्रर कर दे।

मुलैसेज के पिट्स की गहराई ४ फुट हो, इसका ख्याल रखना चाहिये। इसके बाद अगर कोई भी आदमी गिर जायगा, तो वह मरेगा नहीं और दूसरे यह बात होगी कि गवर्नमेंट को फैक्ट्री वाले धोखा नहीं दे सकेंगे। बरसात के महीनों के अन्दर मुमकिन है फैक्ट्री वाले मुलैसेज को इधर-उधर कर दे और कह दें कि जमीन में पास हो गई क्योंकि पानी का लेवल ऊंचा हो जाने से मुलैसेज हमेशा घुल जाता है या और बातें भी हो जाती हैं। इसलिए पिट्स ४ फिट गहरे बनाये जायें और सीमेन्ट, कंक्रीट के हों या लोहे के प्लेटों के हों। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों का रूल्स के बनाते वक्त जरूर ध्यान रखें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल---अध्यक्ष महोदय, मुलैसेज का ज्यादा प्रयोग अल्कोहल बनाने में होता है। इसलिए मुलैसेज पर सरकार ने इस ऐक्ट के द्वारा जो अपना पूर्ण नियन्त्रण किया है, वह एक बहुत ही आवश्यक चीज हमारे प्रदेश के लिए है। यह एक तरफ तो इल्लिसिट डिस्ट्रीलेशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ यह साधन किसी भी वक्त देश के लिए एक जरूरी पदार्थ सिद्ध हो सकता है। इसलिए उसका सरकार के हाथ में रहना बहुत ही आवश्यक है। इल्लिसिट डिस्ट्रीलेशन को रोकने के लिये मुलैसेज जैसा कि सरदार साहब कहते हैं, इस सरकार के हाथ में रहना बहुत जरूरी है। फैक्टरी वाले किसी भी वक्त यह कह सकते हैं कि वह तो खड्ड में जज्ब हो गया, इसलिये सरकार ने उसका जो नियंत्रण किया है वह बहुत अच्छी बात है। यदि प्रदेश में कभी पैट्रोल की कमी हुई, तो भी यह मौजूदा बिल बहुत कारामद होगा। गवर्नमेंट रोडवेज जो खुला है, इसके लिये पेट्रोल और अल्कोहल की बड़ी आवश्यकता है, दुनिया में किसी वक्त कोई भी परिस्थिति हो सकती है, किसी भी वक्त जो पेट्रोल हमारे देश में आता है, उसका आना बन्द हो सकता है। पैट्रोल की हमारे यहां वैसे भी बहुत कमी है। बम्बई में कुछ डिस्ट्रीलरी खुली हैं, वह बाहर से आये हुये पैट्रोल में केवल शुद्धि करने के लिये ही है। हमारे देश में कोई ऐसे साधन नहीं हैं, जिनसे पैट्रोल पैदा हो सके। अगर पैट्रोल की कमी हो जायेगी, तो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा। ट्रांन्सपोर्ट डिपार्टमेंट का जो सारा कारोबार है, वह एक घंटे में समाप्त हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्र के बचाव के लिये पैट्रोल एक मुख्य सामग्री है। इस स्थिति में जो बिल पास हुआ है कि स्टेट किसी वक्त मुलैसेज पर कब्जा कर सकती है, नियत दामों पर ले सकती है, यह जरूरी है। इससे यह न हो सकेगा कि मुलैसेज की कमी को देखकर फैक्टरी वाले कहें कि हम इसका मूल्य बहुत ज्यादा लेंगे। इसलिये इसे स्टेट अपने हाथ में ले, यह आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि कल हमारे विधान परिषद् ने पास किया है कि सप्लाइज के जितने साधन हैं, वह स्टेट अपने हाथ में ले, तो यह भी ऐसी चीज है जो स्टेट के अधीन पूर्णतः रहने चाहिये। यह अच्छी बात है। इस ऐक्ट का स्वागत होना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो, जनाब वाला, आपके जरिये सिर्फ सरदार संतोष सिंह साहब को बताना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने कही है, वह नोट कर ली गई हैं और मुनासिब वक्त पर उन पर गौर कर लिया जायेगा।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों का विधेयक, १९५५

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभासचिवों के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों का विधेयक, १९५५ को मेज पर रखता हूं। यह विधान सभा की १८ जनवरी, १९५६ की बैठक में पारित किया गया और आज ४ बजे यहां आया।

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं अभी मेज पर रखे गये बिल के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि कल २० तारीख है और तातील भी है, उसके बाद २१, २२ शनिश्चर और इतवार है जिनमें सिटिंग्स न होंगी, उसके बाद २३ तारीख आती है। २३ तारीख को और छोड़ दिया जाय, इस तरह से मेम्बरान को ४ दिन का मौका इस बिल पर विचार करने का मिलेगा। इसलिये मैं अपनी तरफ से यह अर्ज कर रहा हूं कि २४ तारीख को इस हाउस में इस बिल को डिसकस किया जाय। २४, २५ को यह चलेगा और कोशिश की जायेगी जल्द खत्म करने की, लिहाजा २४ तारीख को शुरू किया जाय।

श्री चेयरमैन—क्या सदन को मंजूर है?

श्री कुंवर गुरु नारायण—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यू० पी० नर्सेज व मिडवाइफ कौंसिल के लिये एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री चेयरमैन—एक सूचना मुझे सदन को देना है। यू० पी० नर्सेज व मिडवाइफ कौन्सिल के लिये सदन को एक सदस्य का चुनाव करना था जिसके लिये नाम निर्देशन का समय आज १२ बजे तक का निश्चित किया गया था। निश्चित समय के अन्दर केवल श्रीमती सावित्री श्याम का नाम श्री जगन्नाथ आचार्य द्वारा प्रस्तावित व श्री ज्योति प्रसाद गुप्त द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसलिये मैं श्रीमती सावित्री श्याम को यू० पी० नर्सेज व मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये निर्वाचित घोषित करता हूं।

श्री चेयरमैन—कौंसिल २४ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ४ बजकर १७ मिनट पर २४ जनवरी, सन् १९५६ ई० को दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।)

परमात्मा शरण पचौरी,

लखनऊ:
१९ जनवरी, सन् १९५६ ई०।

सचिव,
विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या १२ पृष्ठ १६६ पर)

सन् १९५३

क्रम-संख्या	नाम	पूर्ण पता	योग्यता	नियुक्ति तिथि
१	श्री जगदीश चन्द्र पांडे ...	मौजा हथरसिया, पो० आ० सनेती, जिला अल्मोड़ा ...	हाई स्कूल ...	७-३-५३
२	श्री बुद्धिवल्लभ भट्ट ...	मौजा गौजाजाली, उत्तर, तहसील हलद्वानी, नैनीताल ...	मिडिल तथा राजनैतिक पीड़ित	१८-४-५३
३	श्री दिवान सिंह रावत ...	मौजा फतेहपुर, पो० हलद्वानी, जिला नैनीताल ...	बी० ए० ...	७-५-५३
४	श्री राम दत्त भट्ट ...	मौजा अलचौना, पो० भीमताल, जिला नैनीताल ...	८वां श्रेणी ...	२९-८-५३
५	श्री भैरवदत्त सुयाल ...	ग्राम सुयालवाड़ी, पो० सुयालवाड़ी, जिला नैनीताल ...	मिडिल ...	२९-८-५३
६	श्री दान सिंह मनराल ...	स्टैनले बिल्डिंग, नैनीताल, जिला नैनीताल ...	हाई स्कूल ...	२७-१०-५३
७	श्री लीलाधर तिवाड़ी ...	केन्द्र सुयालवाड़ी, पो० सुयालवाड़ी, जिला नैनीताल ...	हाई स्कूल ...	१६-१२-५३
८	श्री चन्द्रमणी ...	मौजा बहराकोट, पो० पाटकोट, जिला नैनीताल ...	हाई स्कूल ...	२२-१२-५३
९	श्री रमेशचन्द्र लोहनी ..	मौजा कान्डे (थलाड़), पो० ताकुला, जिला अल्मोड़ा ...	९ वीं श्रेणी ...	२७-१२-५३

सन् १९५४

१०	श्री नरोत्तम प्रसाद जोशी	मौजा भटोठी, पो० मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	५–३–५४
११	श्री प्रह्लाद सिंह	मौजा कालादेव, पट्टी बिसुंग, जिला अल्मोड़ा	हाई स्कूल	५–३–५४
१२	श्री त्रिपुरा दत्त काण्डपाल	ग्राम कान्डे, पो० ताकुला, जिला अल्मोड़ा	मिडिल	८–३–५४
१३	श्री लाखन सिंह वर्मा	मौजा महुवा डाबरा, पो० जसपुर, जिला नैनीताल	मिडिल	१७–४–५४
१४	श्री लीलाधर भट्ट	मौजा गंगोलीहाट, पो० गंगोली हाट, जिला अल्मोड़ा	हाई स्कूल	२७–५–५४
१५	श्री हजारी सिंह	कसबा जसपुर, तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल	मिडिल	२०–५–५४
१६	श्री हरी प्रसाद आर्य	मौजा महरगांव, तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल	मिडिल	२२–९–५४
१७	श्री धनपद वाल्मीकि	तल्लीताल, नैनीताल	हाई स्कूल	२३–८–५४
१८	श्री शंकर लाल आर्य	ग्राम गेठिया, पो० गेठिया, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	१९–९–५४
१९	श्री भीमसिंह नागरकोटी	ग्राम डोटियालगांव, पो० ताकुला, जिला नैनीताल	मिडिल	१६–१०–५४
२०	श्री पूरन चन्द्र जोशी	ग्राम विनायक, पो० भीमताल, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	१६–१०–५४
२१	श्री दलीपसिंह राजपूत	ग्राम पुरनपुर, पो० आ० रायपुर, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	९–११–५४
२२	श्री गोपाल दत्त उप्रेती	ग्राम खनतौली, पो० सानी उडयार, जिला अल्मोड़ा	हाई स्कूल	२१–११–५४

क्रम-संख्या	नाम	पूर्ण पता	योग्यता	नियुक्ति-तिथि
२३	श्री प्रयाग दत्त जोशी	ग्राम विनायक, पो० भीमताल, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	२१-११-५४
२४	श्री नन्वा बल्लभ	मौजा गिनती गांव, पो० कोटबाग, जिला नैनीताल	मिडिल	२५-११-५४
२५	श्री गणेश दत्त	ग्राम बारगल, पो० गरमपानी, जिला नैनीताल	मिडिल	२२-११-५४
२६	श्री भैरवदत्त किमाडी	मौजा श्याम खेत, पो० भुवाली, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	२४-११-५४
२७	श्री बालादत्त शर्मा	मौजा किचार, पट्टी तल्ला चौकोट, जिला अल्मोड़ा	मिडिल	१-१२-५४
२८	श्री मोहन लाल साह	मौजा रामगढ़, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	९-१२-५४
		सन् १९५५		
२९	श्री भुवनचन्द्र पन्त	मौजा बना, पो० मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल	मिडिल	११-१-५५
३०	श्री धन सिंह	केलाखेड़ा केन्द्र, तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	१४-१-५५
३१	श्री बिशन दत्त	केन्द्र कुंवरपुर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल	मिडिल	१७-२-५५
३२	श्री हीरासिंह	ग्राम बल्दियाखान, पो० ज्योलीकोट, जिला नैनीताल	मिडिल	१३-३-५५
३३	श्री तारादत्त	तल्लीताल, नैनीताल	हाई स्कूल	१३-४-५५

३४	श्री जय बल्लभ जोशी	तल्लीताल, नैनीताल	मिडिल	४–५–५५
३५	श्री दामोदर पन्त	ग्राम गराऊं, पट्टी मल्ला बड़ाउं, पो० कान्डे, जिला अल्मोड़ा	९ वीं श्रेणी	१४–५–५५
३६	श्री बन्शीधर	मौजा पांडे गांव, पो० कोटाबाग, जिला नैनीताल	मिडिल	२२–६–५५
३७	श्री राम सिंह	प्रेम रेस्टोरेन्ट, नैनीताल	हाई स्कूल	१७–६–५५
३८	श्री मोहन सिंह	सिरमौली केन्द्र, पो० मुक्तेश्वर	हाई स्कूल	२८–५–५५
३९	श्री विपिन चन्द्र	मौजा सुरमाने, पो० मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल	९ वीं श्रेणी	२८–६–५५
४०	श्री शिवदत्त	ग्राम कुंण, पो० गरमपानी, जिला नैनीताल	मिडिल	२२–६–५५
४१	श्री दामोदर	मौजा जाख (तेवाड़ीखोला), पो० लमगढ़ा, जिला अल्मोड़ा	मिडिल	३१–७–५५
४२	श्री राम स्वरूप पाल	बाजपुर, जिला नैनीताल	इन्टरमीडियेट	९–७–५५
४३	श्री सतीश चन्द्र पन्त	मौजा बिठोरिया, नं० २, पो० हल्द्वानी, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	११–८–५५
४४	श्री भीमसिंह	मौजा कालाआगर, पट्टी चोगढ, जिला नैनीताल	हाई स्कूल	११–८–५५

नत्थी 'ख'

(देखिए प्रश्न २२ का उत्तर पृष्ठ १७१ पर)

मुहल्लों तथा पकड़े गये व्यक्तियों की सूची

क्रम-संख्या	मुहल्लों के नाम		अवैध मदिरा	[illegible]	कोकीन
१	बजरिया जबर खां	...	२	...	...
२	नालापार	...	५	...	...
३	शमवाद गेट	...	८	...	..
४	कुन्डा	...	२	...	...
५	पनवारिया	...	१	...	...
६	मजार ताक शाह	...	१	...	...
७	छमिथा कलां	...	२	...	..
८	घर हसन खां	...	१	...	...
९	घर सुकेरउद्दीन खां	...	१	...	...
१०	पक्का बाग	...	१	...	...
११	कटरा जलालुद्दीन	...	२	...	...
१२	मसजिद अंगूरी बाग	...	१	...	...
१३	घर पीपल वाला	...	२	...	...
१४	बावन पुरी दरवाजा	...	१	...	...
१५	तलाव निहालुद्दीन	...	६	...	...
१६	चोपन	...	६	...	१
१७	घर इनायात खां	...	९	...	...
१८	बिलासपुर गेट	...	३	...	...

क्रम-संख्या	मुहल्लों का नाम		अवैध मदिरा	अफीम	कोकीन
१९	गुगरांई [illegible]	...	१	...	...
२०	घर [illegible]	.	१	...	१
२१	खनकन	..	२	...	...
२२	घर मिरवाज खां		१	...	...
२३	सिविल लाइन्स	...	१	...	...
२४	बाजार नसरुल्ला खां	...	..	१	...
२५	घर मुनव्वर खां	...	१	...	...
२६	हकियानी	...	१	...	...
२७	छुप शाह मियां	...	...	१	...
२८	कतवाली	...	१	...	...
२९	बजरिया मिल्ला जरीफ	..	२	...	...
३०	घर मंगू खां	...	१	...	...
		योग	६१		

पी० एस० यू० पी०—१६ एल० सी०—१९५६—७९५ (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

मंगलवार, २४ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे श्री चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (५१)

अजय कुमार बसु, श्री
अब्दुल शकूर, नजमी श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
उमा नाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
काशी नाथ पान्डेय, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डेय, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवकुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव प्रसाद सिन्हा, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हृदय नारायण सिंह, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, बन तथा सहकारी मन्त्री श्री सैयद अली जहीर (स्वशासन तथा न्याय मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

श्री चेयरमैन—प्रश्न सब स्थगित हैं।

१–२—श्री तेलू राम (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—[स्थगित]

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक

सचिव, विधान परिषद्—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५५ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का १९५६ का प्रथम अधिनियम बना।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक

श्री सैयद अली जहीर—(न्याय तथा स्वशासन मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh State Lagislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Bill, 1955 as passed by the U.P. Legislative Assembly, be taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़ी तकरीर इस सिलसिले में मुझे नहीं करनी है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि जो एलाउन्स पहले रूल्स के मातहत मिलते थे, वह जो हमारे संविधान की दफा १६४ (५) (६) हैं, उसमें इसकी जरूरत है कि कानून के जरिये से इसको तय कर दिया जाय। अभी तक कुछ रूल्स बने हुये थे। पुराने कानून में जो सन् ५० के रूल्स लागू किये गये थे उन्हीं रूल्स के मातहत ये सब वेतन और भत्ते दिये जाते थे। अब कुछ तरमीमात इसमें करके और डिप्टी मिनिस्टर, जो बाद मे बने हैं और जो पहले नहीं थे, उनके वेतन और भत्तों को शामिल करके और बाकी थोड़े से तरमीमात करके यह कानून हाउस के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें एक दफा इस बात की रखी जा रही है कि अभी तक जो वेतन और भत्ते वगैरह पुराने रूल्स के मातहत दिये जाते थे, वे भी जायज किये जायं और यह लिखा गया है कि अभी तक जो कुछ अदा हुआ है, वह कानून के मुआफिक समझा जायेगा। बाकी जो तरमीमात हैं, वे ये हैं कि जो मेम्बर लोग यहां आते रहते हैं, उनको रहने के लिये जो मकानात दिये गये हैं और जिन में वे आयन्दा भी रहेंगे उनका किराया उनसे नहीं लिया जायेगा। इसी तरह से उन का रेल का भत्ता बढ़ाया गया है। ये कुछ फैसिलिटीज उनको दी गयी हैं और जो भी जरूरी बातें थीं वे इस कानून के जरिये से की गयी हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर एतराज किया जा सके या यह कहा जा सके कि यह किसी तरह से नामुनासिब है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस कानून पर विचार करेगा और इसको मन्जूर करेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं उस प्रस्ताव में, जो अभी माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में किया है :—

" The Uttar Pradesh State Lagislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members (Salaries and Allow-

ances and Miscellaneous Provisions) Bill, 1955 be referred to a Select Committee of the Council which should present its report by the 15th of March, 1956. "

श्रीमन्, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है वह एक अपना महत्व रखता है। इस विधेयक के आने से काफी कन्ट्रोवर्सी पैदा हो गयी और केवल विधान मंडल में ही नहीं बल्कि विधान मंडल के बाहर भी। मैं समझता हूं कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें चाहे जितनी भी अच्छी हमारी इन्टेन्शन हो, लेकिन फिर भी हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है तो इसमें कुछ सहूलियतें दी गयीं हैं, पहले एक समय था, जिस समय कि एक पब्लिक सर्विस जो हुआ करती थी, उसमें काफी त्याग और सैक्रिफाइस हुआ करती थी और यह नहीं समझा जाता था कि जो कुछ भी सैक्रीफाइस होगी, उसका किसी तरह से रिम्युनरेशन दिया जायेगा, यह गांधियन आइडियालाजी थी। जिस समय कांग्रेस का स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था, उस समय ऐसा विचार था कि जो लोग भी पब्लिक सर्विस के लिये आयें उनको किसी प्रकार का भत्ता या किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलना चाहिये, लेकिन जिस समय कांग्रेस ने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का वर्क करना स्वीकार किया तो एक स्कूल आफ थाट, एक विचारधारा यह भी थी और जिसका नेतृत्व सत्यमूर्ति जी करते थे, उनका ऐसा विचार था कि पोलिटिकल कार्य या पब्लिक सर्विस के लिये कार्य करने के लिये जो भी आवें, उनको ऐबव वान्ट रखना चाहिये और उनको ऐसा रखना चाहिये जिससे कि उनको अपनी हैसियत और अपने परिवार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की फिक्र न रहे। यह गांधी जी के समय में ही स्वीकार कर लिया गया था और उसके अनुसार कुछ वेतन वगैरह लेजिस्लेचर्स इत्यादि को दिया गया। बहरहाल जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है वह हमें कहीं भी नहीं ले जाता।

इस तरह से दो दृष्टिकोण हुये, एक तो अगर हम पब्लिक सर्विस करते हैं, तो उसके लिये किसी प्रकार का मुआविजा नहीं चाहते हैं और एक दृष्टिकोण यह है कि जो पब्लिक सर्विस करते हैं, उनको एबव वान्ट रखना चाहिये और उनको पूरा समय देना चाहिये जिससे कि वह अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन यह जो विधेयक है, यह न तो इसी स्कूल आफ थाट को बिलांग करता है कि जो लोग पब्लिक सर्विस करते हैं, उनको कुछ भी न दिया जाय और उनको सेवा के भाव से कार्य करना चाहिय और न इस स्कूल आफ थाट में आता है कि जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनको ऐबव वान्ट रखना चाहते हैं, या उनको इस प्रकार की सुविधायें दी जांय जिससे कि उनकी जरूरियात पूरी तरह से रफा हों। तो यह किसी तरफ का भी नहीं है और ऐसी हालत में यह एक विचार करने का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि कोई इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम इस विधेयक को आज ही फौरन स्वीकार कर लें। हमने जो संशोधन रखा ह, उसके अनुसार हम यह चाहते हैं कि एक कमेटी इस सदन की बनाई जावे और वह कमेटी बैठकर अच्छी तरह से इस पर विचार करे कि हम किस विचारधारा को ले करके आगे चलना चाहते हैं। यह तो मैं मन्जूर करूंगा कि हमें मेम्बरान को सहूलियतें देना है न कि लेजिस्लेचर्स को एबव वान्ट करना है। कौन कौन सी जरूरतें हैं, उनको हमें रखना चाहिये। यह न हो कि जो थोड़ी बहुत डिमान्ड हो, तो उसमें आपने पीसमील तरीके से कार्य कर दिया और जो जरूरी डिमान्ड होनी हों, वह फिर रखें और इसके बाद कोई दूसरा विधेयक आप इस सदन में ले आवें। इसलिये मेरा तो निवेदन यह है कि इसको जल्दी न करके कोई हर्ज नहीं हो जायेगा। अगर महीने—दो महीने के लिये भी यह विधेयक विचार के लिये रुक जाये, तो इससे कोई ऐसी हानि मेम्बर्स की नहीं होने वाली है। जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है तो इसमें कई ऐसी बातें हैं, जो बहुत ही विवाद की हैं। मसलन यह कि मेम्बर्स को मेडिकल फैसिलिटी दी गयी है कि पब्लिक एक्सपेन्सेज पर उनका ट्रीटमेंट हो, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं और मुझे इस बात का ताज्जुब भी है कि सरकार ने इस बात

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

को स्वीकार किस तरह से कर लिया है। हमें यह देखना है कि एक मेम्बर और एक मिनिस्टर के काम में कितना अन्तर है। मिनिस्टर एक होल टाइम वर्कर होता है और उसको मिनिस्टर हो जाने के बाद अपने सारे कामों को छोड़ देना पड़ता है और वह किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक एक मेम्बर का ताल्लुक है वह दूसरा काम भी कर सकता है। मसलन अगर कोई मेम्बर डाक्टर है, तो वह अपना डाक्टरी का पेशा कर सकता है या कोई वकील है, तो वह अपनी वकालत का भी पेशा कर सकता है और इस तरह से अपनी आमदनी को दूसरी तरह से बढ़ा सकता है। इस पेशे के साथ ही साथ वह मेम्बरी भी कर सकता है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। मैं तो समझता हूं कि एक मेम्बर को इस प्रकार की सहूलियतें देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं इस बात को अच्छा समझता हूं और न मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की सहूलियतें विधान मंडल के सदस्यों को दी जायं। यह जो विधेयक इस समय हमारे सामने है इसमें पार्लियामेंन्टरी सेक्रेटरीज के किराये के रूम, भत्ते और डिप्टी मिनिस्टर के भत्ते का प्रबन्ध किया गया है कि उनको १०० रुपया दिया जायगा, मैं इस को बिलकुल ही गलत समझता हूं और मैं इस चीज को इसमें रखने के बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर एक सदस्य को वह सारी फैसिलिटीज मिलती है जो एक फर्स्ट क्लास आफिसर को मिलती हैं, तो फिर आप उसको यह और ज्यादा भत्ता क्यों दे रहे हैं ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंन्टरी सेक्रेटरीज दोनों के रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों में से भी एक को रखिये। मैं तो समझता हूं कि अगर आप दोनों में से एक को ही रखेंगे, तब भी आप का काम चल सकता है। जहां तक इन के कार्य का सवाल है, मैं तो समझता हूं कि इससे कोई खास फायदा नहीं होता है। मै यह चाहता हूं कि सरकार कैबिनेट की एक कमेटी बनाये और वह इस बात की जांच करे कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंन्टरी सेक्रेटरीज क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा इसमें डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर के लिये भी प्राविजन किया गया है। उनको १० परसेंट आफ दी सेलेरी के हिसाब से किराया दिया जाना चाहिये, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनका कोई खास काम नहीं होता है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर उन पोस्टों को एबालिश ही कर दिया जाय तो अच्छा होगा। उनकी जगह पर आप विधान मंडल के सदस्यों को पेनल में रखकर ट्रेन्ड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर रखना ही है तो इन दोनों पोस्टों को आनरेरी पोस्ट रखिये। इस तरह से मैं समझता हूं कि जनता का काफी रुपया भी बचेगा और काम में भी किसी प्रकार कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि विधान मंडल के सदस्यों को अपने आप को ट्रेन्ड करने का मौका देना चाहिये क्योंकि इस तरह ये एक इनडिफरेन्स होगा। मै यह समझता हूं कि इस अवसर पर आप यह फैसला करते कि मेम्बरों की तनख्वाह २०० के बजाय २५० हो, तो यह ज्यादा अच्छा होता। इस प्रकार का प्राविजन हमने जो विधेयक में रखा है कि मेम्बरों को भत्ता पाने का अधिकार है, चाहे वह अपने घर में ही बैठा हो और इस बात के लिये उसे आप को कोई सबूत देने की भी आवश्यकता नहीं है तो यह उचित नहीं है। बहरहाल इस प्रकार का जो अधिकार है भत्ता ड्रा करने का उसका नतीजा यह होगा कि जो दिलचस्पी उन लोगों को लेनी चाहिये, वह दिलचस्पी उन कामों में वे नहीं ले सकेंगे।

एक चीज जो इसमें और रखी गयी है, वह फ्री क्वार्टर्स के सम्बन्ध में रखी गयी है। मैं नहीं समझता कि क्यों इसका आग्रह माननीय सदस्यों की ओर से ही हुआ जब कि उनको अब तक केवल नामिनल रेन्ट ही रहने के लिये देना पड़ता था और इसके साथ ही उसका परिणाम यह हो सकता है कि हम लोग अपने क्वार्टर्स को सब-लेट भी कर सकते हैं और इस तरह जो जो भी बातें अब तक की गई हैं, उनके सम्बन्ध में शिकायतें जनता के पास और गवर्नमेंट

के सामने आई हैं। यह जो कन्सेशन है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसको उस तरह से करे बजाय इसके कि हमारे भाइयों की तरफ से एक डिमान्ड पेश हुई और उसके ऊपर कन्सीड कर लिया, यह उचित नहीं है और इसके लिये बेहतर यह होगा कि सेलेक्ट कमेटी को यह चीज रेफर कर दी जाय और उस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय और विचार करने के बाद जो निर्णय होगा, उसके ऊपर हम अमल करें, यह ज्यादा अच्छा है। इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं है और महीने—दो महीने बाद यह हो जाय तो इसमें कोई आपत्ति गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिये। जब हमने इतने वर्षों तक इसी तरह से अपने कार्य का संचालन किया है, तो इसको एक-दो महीने के बाद कर लेने में बड़ी भारी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि इस तरह के जो भी अधिकार मेम्बरों को दिये जा रहे हैं, उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से पहले विचार कर लेना चाहिये क्योंकि पब्लिक के सामने ये चीजें जाती हैं और हमें देखना पड़ता है कि उसका रिएक्शन क्या होता है। उससे फायदा थोड़ा होता है, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है और इस तरह से जनता में अकारण ही असन्तोष पैदा हो सकता है। अगर इन बातों पर सेलेक्ट कमेटी विचार करके गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट रखे, बजाये इसके कि यह विधेयक आज ही पास कर दिया जाय, दो महीने के बाद पास किया जाय, तो इसमें बड़ी भारी आपत्ति नहीं होगी और बहुत से दोष दूर हो जावेंगे। आज जब हमारा सदन इस वर्ष के आखीर में बैठकर समाप्त हो जाना चाहता है, तो इस विधेयक के लिये इतनी जल्दी नहीं है कि इसे आज ही पास कर लिया जाय। मैं तो यह निवेदन करूंगा और इस बात की आशा करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को रेफर करेंगे, जिससे कि वहां अच्छी तरह से इस पर विचार हो जाय और इसके बाद वे इस विधेयक को ला सकते हैं और इसके ऊपर तब इस सदन में और दूसरे सदन में भी विचार हो सकता है। इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी चर्चायें हुयीं, बाहर अखबारों में और जनता में भी इस बिल के सम्बन्ध में कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। मगर आज जब मैंने यह बिल देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बिल के अन्दर कौन सी ऐसी धारायें थीं, जिनके सम्बन्ध में इतनी बातें फैलाई गई। इस बिल के अन्दर मैं यह देखता हूं कि तीन मोटी बातें हैं, जिन पर कि यह बिल आधारित किया गया है। एक बात तो यह है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज साहबान को जो वेतन मिलता था, वह वेतन सरकारी आदेशानुसार दिया जाता था और ऐक्ट में इसका कोई प्राविजन नहीं था। इसलिये जो सरकार के आदेश के अनुसार दिया जाता था उसका ऐक्ट में प्रावीजन करने के लिये यह बिल बनाया गया। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की तनख्वाह बढ़ाने और उनके इमाल्यूमेंट्स बढ़ाने का सवाल नहीं होता है। सवाल यह है कि पहले जो चीज सरकार की आज्ञा के अनुसार दी जाती थी, अब इस वेतन को ऐक्ट के अनुसार दिया जायेगा।

दूसरी चीज जो इस बिल में है, वह यह कि डिप्टी प्रेसीडेन्ट या डिप्टी स्पीकर के इमाल्यूमेन्ट्स और सहूलियतें वही रखी जायं जो डिप्टी मिनिस्टर साहबान की हैं। इसके सम्बन्ध में मुझे यह याद पड़ता है कि शायद स्पीकर साहबान की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, उसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। कुछ अखबारों में निकला था शायद उस कान्फ्रेन्स की राय थी और केन्द्रीय सरकार को भी आब्जेक्शन नहीं था कि डिप्टी स्पीकर साहबान के भत्ते और सहूलियतें वही होनी चाहिये जो डिप्टी मिनिस्टर साहबान की हैं। इसको कान्फ्रेन्स ने स्वीकार किया था। शायद कान्फ्रेन्स की रिकमेन्डेशन के आधार पर यह बिल बनाया गया है।

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

तीसरी चीज जो इस बिल के अन्दर है वह यह है कि जो डिप्टी मिनिस्टर साहबान हैं या मिनिस्टर साहबान या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज या मेम्बर साहबान है उनको मेडिकल हेल्प मुफ्त दी जायगी। मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर हम दूसरे देशों पर गौर करें और उनके ऐक्ट्स को देखें, तो वहां पर जो मन्त्री हैं, उप मन्त्री हैं, यही नहीं कि उनको मेडिकल हेल्प ही मिले, बल्कि बहुत से खर्चे होते हैं, जो सरकार के जिम्मे होते हैं। मैं यह समझता हूं कि ये जो तीन मोटी-मोटी बातें इस बिल के अन्दर रखी गई हैं, उनमें कोई चीज ऐसी नहीं मालूम होती कि जिसके जरिये से एक बड़ा भारी खर्च हो रहा हो। मिसाल के तौर पर इसमें रखा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर साहबान हैं उनको फर्निश्ड हाउस मिलेगा। अगर उनको फर्निश्ड हाउस नहीं मिल सका, तो उनको १०० रु० का भत्ता मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप फर्निश्ड बंगले का अंदाजा लगायें तो मेरा विचार है कि किसी भी बंगले का खर्चा ३०० रु० माहवार से कम नहीं होता है। अगर उसके लिये १०० रु० रख दिये तो मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर एतराज किया जा सके। १०० रु० में लखनऊ में एक बड़ा भारी बंगला नहीं मिल सकता है। इस बिल के सम्बन्ध में मैंने अखबारों में मजमून पढ़ा तो मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा शोर और चर्चा की गयी है। इसका कारण है कि इस हाउस में या उस हाउस में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे इलेक्शन के सम्बन्ध में लोगों को कुछ मैटीरियल मिल सके और वे प्रोपेगेन्डा कर सकते क्योंकि मुद्दत से तमाम विकास की योजनायें बन रही थीं और तमाम नियोजन की चीजें हो रही थी। इत्तिफाक से यह बिल मिल गया जिससे उनको यह मौका मिला कि वे इलेक्शन जो नजदीक आ रहा है उसके लिये प्रोपेगेन्डा कर सकें। तो मैं समझता हूं कि सारी बातें जो इस बिल के सम्बन्ध में कही जाती हैं उनको इलेक्शन स्टंट कहा जा सकता है और कोई ऐसी बात नहीं है जिस की बिना पर विधेयक पर टीका-टिप्पणी की जाय।

हां, दो-एक बातें जरूर ऐसी हैं, जिनके सम्बन्ध में कुंवर साहब ने कहा। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि यहां जो मेम्बर साहबान रहते हैं उनके जो रहने के मकान है, उनको फ्री किया जा रहा है, यह मुनासिब नहीं है। तो यह किसी हद तक ठीक हो सकता है क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां तक और स्टेट के मेम्बर्स या पार्लियामेंट के मेम्बर्स है, वह भी अगर मकानों में रहते हैं, तो उनको नामिनल किराया देना पड़ता है। मकान के अलावा पानी, एलेक्ट्रिक का तो देना ही पड़ता है। इस तरह से चाहे मकानों का किराया ले लिया जाय, चाहे एलेक्ट्रिक और पानी का ले लिया जाय, तो मेरा कहना यह है कि कि घुमा फिरा कर एक ही बात होती है, चाहे इधर से ले लिया जाय चाहे उधर से ले लिया जाय।

बहरहाल, एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मेम्बरों की जनसेवा का सम्बन्ध है, उसका हवाला देते हुये कुंवर साहब ने कहा कि न तो यह बिल पब्लिक सेवा के आधार पर बनाया गया है और न उसके वास्ते कुछ मिलता है। तो मैं समझता हूं कि मेम्बर साहबान को जो भत्ता मिलता है वह मेरे ख्याल से इसलिये नहीं मिलता है कि वह पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। वह तो इसलिये मिलता है कि वह अपनी गुजरअवकात थोड़ा बहुत कर सकें। जहां तक मेरा विचार है और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिये कि कोई भी माननीय सदस्य जब तक सही तौर पर पूरा अपना समय न दे सके और जब तक कि उनका वेतन ५०० रु० का न हो उस वक्त तक उनके सामने दो मसले रहते हैं--एक तो यह कि न तो वह यहां का काम ठीक से अंजाम दे सकते हैं और न वहां का दे सकते हैं। जो वकील हैं उनको अपनी वकालत करनी रहती है और जो व्यवसाय करते हैं, उनको अपने व्यवसाय की चिन्ता रहती है और जो दूसरे पेशे करते हैं उनको फिक्र रहती है। तो ऐसी हालत में यह नामुमकिन है कि वह अपनी गुजर कर सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में सदस्यों को इस काम के लिये उपयोगी बनाना है कि वह पूरे समय पब्लिक का काम करें तो मैं समझता हूं कि कम से कम उनको इतना अवश्य देना चाहिये जिससे वह अपना सारा समय देकर पब्लिक की सेवा

अपनी अपनी कान्स्टीटुयेन्सी में पब्लिक की सेवा कर सकें और वहां की जनता की खिदमत कर सकें। तो मैं समझता हूं कि यह सब से पहली चीज होनी चाहिये और सबसे पहला ध्येय मेम्बरों के सामने यही होना चाहिये कि वह जिस कान्स्टीटुयेन्सी से चुन कर आये हैं, वहां के लोगों की किस प्रकार वह खिदमत कर सकते हैं।

खैर, यह तो बाद को बात है। बहरहाल, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे प्रदेश की इकोनामी एफेक्ट होती हो। जहां तक इकोनामी की बात कुंवर साहब ने कही, मुझे कोई बात इस विधेयक में ऐसी नहीं दिखलाई पड़ती जिससे हमारे मुल्क की इकोनामी पर कोई खराब असर पड़ने वाला हो। जहां हम बड़े-बड़े डिपार्टमेंट खोलते हैं, बड़े बड़े आफिसर्स रखते हैं, वहां हमने अगर डिप्टी मिनिस्टर्स के मकानों का किराया दे दिया, तो इससे हमारे प्रदेश की इकोनामी नहीं एफेक्ट हो सकती है। अगर हमने डिप्टी मिनिस्टर या उसके परिवार के लिए किसी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिये कह दिया, तो उससे भी हमारे प्रदेश की इकोनामी एफेक्ट होने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले जो चीजें सरकारी आदेश से होती थीं, वह अब ऐक्ट बनाकर की जायेंगी। ऐसी हालत में मैं यह नहीं समझता कि इस बिल में कोई ऐसी चीज है जिसके लिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। अगर इसमें कोई नया मसला होता, तब तो इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता, लेकिन इसमें सब के सब मसले पुराने हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार का यह बिल है, मैं समझता हूं कि वही ठीक है।

***श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने विधान मंडल के सदस्यों, मन्त्रियों, उप मन्त्रियों, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और विधान मंडल के अधिकारियों के सम्बन्ध में, उनके विशेष आशायश के सम्बन्ध में प्रस्तुत है, उस पर बहुत ही उसूली तौर से गौर करने की जरूरत है। कुछ ऐसा उसूली सवाल माननीय प्रताप चन्द्र जी आजाद ने उठाया है, जिस पर इस सदन को गौर करना है। बहुत सी इस तरह की बातें कही जाती हैं और बराबर इस बात की दलील दी जाती है कि विधान मंडल के सदस्यों और मन्त्रियों को आज इतनी बड़ी आशायश होना चाहिये जिससे वह अपने कार्य का ठीक तौर से संचालन कर सकें। जिस समय कि सैलरीज वगैरह का सवाल आता है और उसके साथ ही साथ जिस मौके पर आशायश लेने की बात होती है, उस मौके पर यह बात अकसर कही जाती है और इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों का भी हवाला दिया जाता है। जहां पर यह उसूली सवाल उठाया जाता है, वहीं पर दूसरे उसूली सवालों पर जिन्हें गौर करना चाहिये, गौर नहीं किया जाता और उनके सम्बन्ध में श्रीमन्, यह दलील पेश की जाती है कि यदि कोई उसूली सवाल उठाया जाता है, तो उस उसूली सवाल को केवल एलेक्शन स्टन्ट की बात कह कर और केवल नारेबाजी की बातें कह कर, टालने की कोशिश की जाती है। इस विधेयक के जरिये से एक बहुत बड़ा उसूली सवाल हमारे

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

सामने है कि आज जब कि विधान मंडल के सदस्यों, मन्त्रियों, उप मन्त्रियों, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज और विधान मंडल के अधिकारियों के सम्बन्ध में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था का प्रश्न है, यह सोचना जरूरी है या नहीं कि जब तक हम प्रदेश की सारी जनता की दवादारू का इन्तजाम मुफ्त नहीं कर लेते तब तक हमें इस बात का हक है या नहीं कि हम मुफ्त दवादारू का इन्तजाम अपने लिये करें। मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि मैं नैतिक तौर से, उसूली तौर से इस बात को गलत समझता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक प्रदेश की दो-तिहाई जनता, जिसके लिये आज तक दवादारू का इन्तजाम नहीं हो पाया है और इस हालत में जब हम विधान मंडल में बैठें, हमारी तनख्वाहें निश्चित हों और इसके साथ ही साथ हमारे मन्त्रियों को भी तन्ख्वाहें निश्चित हों, उस मौके पर हम अपने लिये दवादारू कि मुफ्त इन्तजाम करें, यह बड़े दुख की बात है। जो हमारे गांवों की हालत है वह हमें माननीय सदस्यों और माननीय मन्त्रियों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांवों मे दो-तिहाई जनता ऐसी है जिसे गांवों में हैजा फैल जाने पर एक बूंद, दो बूंद अमृतधारा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हैजे और प्लेग की बीमारी में एक एक बूंद अमृतधारा के न मिलने की वजह से उनकी जिन्दगी खत्म हो जाती है। ऐसे देश में जब हम इस विधेयक पर गौर कर रहे हैं और उसूल तै करते हैं, तो सोचना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिये। आज जब इतनी सहूलियतें हमारे मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स को हैं कि कम से कम उनको एक बंधी हुई रकम महीने भर बाद मिल जाती है और आने जाने में जो खर्च होता है, उसके लिये सरकार की ओर से उनको कार दी जाती है। जनता के पैसे पर उनको कार और बंगला दिया जाता है। १२ सौ रु० महीने की तन्ख्वाह है, उस पर परिवार के लिये दवादारू का मुफ्त इन्तजाम होना चाहिये, तो यह मेरी समझ में नहीं आता और इस बात पर यह कहना कि एवलेक्शन स्टंट है, उचित नहीं है। बल्कि एक आदर्श की बात है कि जब देश की जनता के लिये मुफ्त दवा दारू का इन्तजाम नहीं है, तो १२ सौ रु० महीना पाने वाले लोगों के लिये मुफ्त दवा दारू का इन्तजाम हो या न हो। यदि इस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि काम अधिक करना पड़ता है, ठीक है। १२ सौ रुपया महीना इस बात की तनख्वाह नहीं है बल्कि मिनिस्टर एक इतिहास और समाज का बदलने वाला होता है, उसको तनख्वाह में जो पैसा दिया जाता है, उससे नहीं नापा जा सकता है। अगर मिनिस्टर की हैसियत इस प्रकार से नापी जाय, तो वह तरीका ठीक तरीका नहीं होगा। राजनैतिक पार्टियां जो शासन की बागडोर संभालती हैं और समाज और इतिहास बदलने वाली होने के कारण उनके लिये पैसे का विचार नहीं होता है, तो इस नुक्तेनिगाह से इस सवाल को देखा जाना चाहिये। यदि इस तरह से नहीं देखा जाता है और केवल कहा जाता है कि हमको अधिक आशायश मिलना चाहिये, तो मैं यह कहूंगा कि फरायज की तरफ अधिक ध्यान दीजिये। यदि फरायज की ओर अधिक ध्यान दीजियेगा तो नतीजा यह होगा कि जनता की तरफ से आप को प्रशंसा मिलेगी।

ऐसी हालत में दूसरे मुल्कों की बात की जाय तो उनके मिनिस्टरों को भी देखा जाय कि किस प्रकार से लोकतन्त्र के अन्दर वह व्यवहार करते हैं। यह मौका इस समय इस बात का नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि किन किन स्थानों में जमहूरियत के अन्दर जमहूरियत का खून किया गया है। मैं यह इस मौके पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब यह विधेयक हमारे सामने है और जब अधिक आशायश मांगने की बात है, तो इस समय में फर्ज की ओर अधिक ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज प्रदेश में करीब-करीब २७ डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स है। हमारे कुंवर गुरू नारायण जी ने ध्यान दिलाया कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज का काम क्या है और उनके काम में क्या फर्क है? क्या यह है कि आज हम इस बात को देखें कि सरकारी पार्टी के अन्दर जो अलग-अलग गुट बने हुये हैं, उनको खुश करने के लिये डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज बढ़ाये जायं या इस बात को देखें कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लिया-

मेंट्री सेक्रेटरीज के बढ़ने से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एफीसियेन्सी आती है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि लाल फीता और नौकरशाही का जो तरीका रहा है, वह वही रहा और डिप्टी मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उसको रोक नहीं सके। डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बढ़ने से यह कहा जा सकता है कि नौकरशाही की जो उनवानियां रोकने के लिये यह किया गया था तो वह नहीं सकीं। ऐसी हालत में डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अधिक बढ़ाये जाने से मैं ऐसा समझता हूं कि वह केवल सरकारी पार्टी में अलग-अलग गुट बने हुये हैं, उन गुटों को एक जगह इकट्ठा रखने की बात है और इसी लिये आज उनकी आशायश बढ़ाये जाने की बात की जा रही है। आज जो उनकी आशायश बढ़ाये जाने की बात है उसी बात को देखते हुये आज मुझे कहना पड़ता है कि माननीय आजाद जी ने जो यह कहना है कि १०० रुपये कम्पेन्सेट्री एलाउन्स ज्यादा नहीं है क्योंकि बंगला लेने और उनकी सजावट कराने में ज्यादा खर्च होगा। उनकी इस बात से मुझे पता चलता है कि माननीय आजाद जी ने शायद इस विधेयक को पढ़ा नहीं है कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज के सम्बन्ध में इस विधेयक के अन्दर क्या गुन्जायश रखी गई है। डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज को बंगले मिलेंगे, उनके रहने की व्यवस्था रहेगी और सरकार उसको सुसज्जित करायेगी, केवल १०० रुपया देने की ही बात तो नहीं है। जब सरकार अपनी आशायश के लिये, मन्त्रिमंडल अपनी आशायश का एक बहाना लेकर कोई विधेयक लाता है, तो उसमें दस बातें और इकट्ठा की जाती हैं और वह चीज इस विधेयक में की गई है। इसमें काफी गुन्जायश दीख पड़ रही है। जो आशायश इन बंगलों में की गई है उनको सुसज्जित कराया जायेगा। मैं समझता हूं कि उनमें कहीं अधिक खर्च होगा। डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के सम्बन्ध में जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। इस विधेयक में मिनिस्टर्स के परिवार के सम्बन्ध में जो मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था है, उसको आप देखें कि केवल मन्त्रि मंडल की बात न रह कर उनके पूरे परिवार का मुफ्त इंतजाम किया जा रहा है और उस परिवार के अन्दर रिश्तेदार लोग भी आ सकते हैं और उनके परिवार में एक बहुत बड़ा कुंबा आ सकता है। शब्द परिवार को बहुत गोल रखा गया है। आप सोचें कि जब तक यह मन्त्रिमंडल तमाम जनता की दवादारू का प्रबन्ध न कर ले, तब तक अपने लिये या अपने परिवार के लिये मुफ्त प्रबन्ध करना क्या उसके लिये उचित है? इसके साथ-साथ आप देखें कि पहले जब विधेयक विधान सभा में आया, उस समय विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में उसके अन्दर कुछ था, उनके लिये कई सहूलियतें उसके अन्दर थीं, लेकिन जब विधान सभा में इसके ऊपर बड़ा विरोध होने लगा और यहां तक कि सरकारी पार्टी के लोगों ने इसका पूरा तौर से विरोध शुरू कर दिया, तो इस रिजेन्टमेंट को देखकर के सदस्यों के लिये भी कुछ गुन्जायश कर दी गई।

श्री चेयरमैन--दूसरे सदन की कार्यवाही की चर्चा इस सदन में नहीं की जा सकती।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मेरे कहने का मतलब यह है कि जब विधेयक पहली बार गजट हुआ, उस समय सदस्यों के लिये दवादारू का कोई प्रबन्ध नहीं था। अगर सरकार को यह ख्याल पहले सदस्यों के प्रति था, तो उसमें गुन्जायश क्यों नहीं की गई। अगर उसे बहुत ख्याल था कि सदस्य लोग अच्छा काम कर सकें, तब तो उसे पहले ही कर देना चाहिये था। और इसलिये जब पहिली मर्तबा सरकार ने उसे उपस्थित किया, तो उसमें यह नहीं था कि विधान मंडल के सदस्यों के लिये भी फरायज हों। दूसरी बात जो यह है कि इसमें विधान मंडल के सदस्यों को इस बात की सहूलियत दी जा रही है कि विधान मंडल की बैठक चलते हुये मेम्बर चाहे यहां रहें या न रहें और अगर उस समय वह कहीं जाते हैं, तो १० रोज का खर्चा उनको दिया जा सकता है या १०० रुपये तक उनको दिया जायेगा। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग एलेक्शन की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एलेक्शन

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

जीतने के लिये ही यह बात रक्खी है। यह इसलिये है कि विधान मंडल की बैठक चलती रहे और उस समय भी सरकारी पार्टी वाले सदस्य एलेक्शन जीतने के लिये सरकारी भत्ते पर अपने क्षेत्रों में जाकर अपने एलेक्शन का प्रोपेगेन्डा कर सकते हैं और भत्ता भी सरकार से वसूल कर सकते हैं। इसीलिये यह सुविधा दी जा रही है। इससे वह अपने एलेक्शन का प्रोपेगेन्डा भी कर सकते हैं और सरकार से पैसा भी वसूल कर सकते हैं। इसके लिये हमने साफ कह दिया है कि जब तक हम यहां पर मौजूद न होंगे तब तक हम वह पैसा यहां से नहीं लेंगे। अगर हम यहां पर काम करने के लिये नहीं मौजूद रहते हैं, तो हमको पैसा लेने का कोई हक नहीं है। ऐसी हालत में सारी बातें साफ हैं। सरकारी पार्टी ने अगले एलेक्शन जीतने के लिये ही यह सब किया है। उसी के लिये यह सब तैयारियां की जा रही हैं। सरकारी पार्टी ने अपना इनफ्लूयेन्स बढ़ाने के लिये ही यह किया है। ऐसी हालत में जो यह रक्खा गया है कि विधान मंडल के चलते हुये मेम्बर अपनी यात्रा में जा सकता है और यहां से भत्ता ले सकता है, तो मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। अगर यह बात होती कि सरकार उनसे जनता का काम लेना चाहती थी, तो मेम्बर्स के लिये यह कहा जा सकता था कि वह १० दिनों के अन्दर १० जिलों का दौरा कर ले और उसको १० दिन का भत्ता दिया जायेगा। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वह इन १० दिन के अन्दर अपने क्षेत्र ही में जा सकता है, तो इसके माने ही यह हैं कि वह सरकारी खर्चे पर अपने क्षेत्र में अपने एलेक्शन के लिये प्रोपेगेन्डा कर सकता है। श्रीमान्, सरकारी पक्ष के लोग यह कहते हैं कि यह सिद्धांत की बात है। मैं कहता हूं कि अगर सिद्धांत की बात है, तो १० दिनों के अन्दर १० जिलों का दौरा करें, तो १० रोज का टी० ए० दिया जाये। यहां पर १० रोज का टी० ए० दिया जायेगा जब कि वह अपने क्षेत्र का दौरा करेगा। गुन्जायश इसमें यह रक्खी गई है कि १० रोज के अन्दर विधान मंडल के सदस्य अपने निर्वाचित क्षेत्र का दौरा करें और वहां पर काम कर सकते हैं, यह बात गलत है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी पार्टी ने अपने एलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में इस तरह की गुन्जायश की है, इसलिये भी इस बिल का विरोध करना निहायत जरूरी हो गया है। इसके साथ–साथ जो विधेयक पहले गजट में शाया हुआ था उसमें यह बात नहीं थी कि विधान मंडल के सदस्यों को रहने के लिये मुफ्त में निवास स्थान दिया जायेगा। आज तक का जो इतिहास है और जो भी कन्वेंशन रहा है वह इस तरह का रहा है कि विधान मंडल के सदस्यों को निःशुल्क स्थान नहीं मिला। लेकिन जब यह विधेयक विधान सभा के सामने पेश किया गया, तो विधान मंडल के सदस्यों ने इस का विरोध किया और इस तरह से मन्त्रियों पर एक आक्षेप लग रहा था, जिसको दूर करने के लिये यह किया गया कि विधान मंडल के सदस्यों को निवास स्थान निःशुल्क मिलेगा। यह दूसरा संशोधन इस विधेयक में बाद में यहां किया गया है। ऐसी हालत में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो विधेयक हमारे सामने है, इसको देखते हुये हम कह सकते हैं कि इस विधेयक का औचित्य किसी तरह से उसूली तरीके पर साबित नहीं किया जा सकता।

जहां तक डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के वेतन का सम्बन्ध है और उसकी बढ़ोत्तरी की बात है और साथ ही उनके स्टेटस को बढ़ाने की बात है, तो श्रीमान्, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां तक विधान मंडल के सदस्यों का प्रश्न है, ये विधान मंडल के सदस्यों से बहुत सी बातों में ऊपर हैं। ऐसी हालत में हम उन के सम्बन्ध में इस अवसर पर कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि उनका जो स्टेटस है, वह विधान मंडल के सदस्यों और सरकार से ऊपर है। उनका जो स्टेटस है, उसकी रक्षा होनी चाहिये, अगर इसमें यह बात होती, तो इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती है। लेकिन, और जो गुन्जायश इस बात की विधेयक के अन्दर की गयी है, उस सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं कि जो विधेयक हमारे सदन के सामने प्रस्तुत है वह इस हाउस की सलेक्ट कमेटी के सामने जरूर जाना चाहिये, जिसका प्रस्ताव कुंवर गुरु नारायण जी ने किया। सरकार ने खुद देख

लिया है कि विधान मंडल में इस विधेयक का कितना विरोध हुआ है। नीचे के हाउस में इसका काफ़ी विरोध हुआ है और इसके साथ ही साथ इस हाउस के बाहर भी इनका बहुत विरोध हो रहा है और साथ ही पूरे प्रदेश में इस विधेयक के सम्बन्ध मे यही राय हो रही है कि यह विधेयक पास नहीं होना चाहिये। ऐसी हालत में इस बात को ध्यान में रखते हुये यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जरूर जाना चाहिये और उसमें जाने पर जो कानूनी कमियां हैं, उन्हीं को दूर किया जाय और कानूनी कमियों के नाम पर नये आशायः नहीं लिये जाने चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं और जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मोशन है उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सावित्री श्याम (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो बिल उपस्थित है उस पर काफी वादविवाद दूसरे हाउस में हो चुका है। अनेक सवालात इस पर उठाये गये हैं। मैं समझती हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि मन्त्रियों और सदस्यों को किसी प्रकार की सहायता दी जा सके या ऐसी सुविधायें दी जा सकें जिससे वे अपने पार्लियामेन्टरी वर्क को सुचारु रूप से कर सकें। हमारे संविधान में डेमोक्रेटिक पार्लियामेन्टरी रिपब्लिक के सिद्धांत को अपनाया गया है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने इस सिद्धांत को अपनाया हो और कामयाबी हासिल की हो। यह तो इस देश के नेताओं का एक अटूट विश्वास है कि उन्होंने इस प्रकार के पार्लियामेन्टरी फार्म आफ गवर्नमेंट को अपनाया है और इस पर अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आजकल मन्त्रियों को या सदस्यों को क्रिटिसाइज करना एक फैशन सा हो गया है, लेकिन इसके साथ ही हमको इसके परिणाम को भी देखना है कि जिस प्रकार की शासन पद्धति हमारे देश में चल रही है, उसमें से यदि जनता का विश्वास हटता जा रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। मैं तो समझती हूं कि उसका एक भयंकर परिणाम होगा। इस प्रश्न को हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना है, और विचार करना है कि हम अपने मन्त्रियों को क्या सुविधायें दें जिससे कि वह डिगनिटी के साथ अपने आफिस को चला सकें। वास्तव में जिस प्रकार से उनको पूरे समय काम करना पड़ता है, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिये। लेकिन यदि इस प्रकार से उनकी आलोचना की जाय, तो फिर किस प्रकार से काम ठीक तरह से चल सकता है। मुझे एक लेख A. G. Gardner का याद आता है, जिसमें उन्होंने पैदल चलने वालों की एक मिसाल दी है कि जब हम पैदल सड़क पर चलते हैं, तो मोटर वालों को कोसते हैं कि इन मोटर वालों ने रास्ता ब्लाक कर रखा है, लेकिन जब वही पैदल चलने वाला मोटर मिल जाने के बाद सड़क पर चलता है, तो पैदल चलने वालों को क्रिटिसाइज करता है और कोसता है कि मोटर का रास्ता इन पैदल चलने वालों ने ब्लाक कर रखा है। अतः हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को ठीक–ठीक समझ कर ही बात करनी चाहिये। मिनिस्टरों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिये और उनके कार्य की डिगनिटी को, उनकी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिये। मैं समझती हूं कि जिन मकानों में वह रहते हैं, उनके बिजली वगैरह के चार्जेज देने के बाद और अपनी पार्टी का चन्दा देने के पश्चात् एक हजार के करीब उनके पास बचते होंगे। हां, यह ठीक है कि हमारी आंखें, जनता की आंखे मिनिस्टरों की ओर और मेम्बरों की ओर रहती हैं और मैं चाहती हूं कि वह जनता के समक्ष ऊंचा से ऊंचा आदर्श रख सकें। इसके साथ ही हमें इतना क्रिटिक भी नहीं होना चाहिये, जैसा कि वातावरण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की सुविधा के बारे में जो कुछ कहना चाहती हूं, जैसा कि मैंने समाचार पत्र में अपने एक लेख के द्वारा विचार प्रकट किये हैं कि सदस्यों को दो सौ रुपये के बजाय तीन सौ का वेतन मिलना चाहिये।

श्री कुंवर गुरु नारायण——मैं तो चाहता हूं कि पेन्शन भी दी जानी चाहिये।

श्रीमती सावित्री श्याम——किन्तु जो इस विधेयक में उनको अनेक प्रकार की सुविधाय दी गयी हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं, उसमें कमियां हैं और इस बिल के पास हो जाने के बाद

[श्रीमती सावित्री श्याम]

हम रियलाइज करेंगे कि हमने इसको पास करके क्या गलतियां की है। एक तरफ हम श्रेणियां समाप्त करने का विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सदस्यों को ए क्लास की श्रेणी में ब्रैकेट करना चाहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में यह बात थी और उन्हीं के लिये इस प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत की गयी थीं क्योंकि उस समय अधिक से अधिक वही लोग इन जगहों में हुआ करते थे, इसलिये उनको तरह तरह की सुविधायें दी गयी थीं। फ्री मैडिकल ट्रीटमेंट उन्हीं के लिये बनाया गया था, परन्तु अब वही चीजें ज्यों कि त्यों चली आ रही हैं। मैं तो इस राय की हूं कि चाहे वह मिनिस्टर हों, चाहे वह सदस्य हों या चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, जिसको दो सौ रुपये से अधिक वेतन मिलता है, उसको किसी प्रकार का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी प्रकार की फ्री एजूकेशन या किसी प्रकार का और सहूलियतें नहीं दी जानी चाहिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह---हियर, हियर।

श्रीमती सावित्री श्याम---आज जिस प्रकार की हम क्लास बनाना चाह रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि जिस चीज को समाप्त करने का हमने व्रत ले रखा है कि हम गरीब को गरीब और अमीर को अमीर नहीं रहने देंगे, लेकिन पुनः गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट से तो किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे सदस्य हैं उनमें वर्षों में कोई दो-चार सदस्य बीमार होते होंगे, क्योंकि उनके पास काफी काम होता है और काफी काम होने की वजह से उनकी बीमारी वैसे ही समाप्त हो जाती है। उनके लिये सूबे के सारे अस्पतालों में प्राविजन कर देना मैं ठीक नहीं समझती हूं। उनकी आड़ में यह होगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर मेम्बरों के नाम पर दवाइयां आयेंगी, चाहे वह दवाइयां उनको मिलें या न मिलें, लेकिन कहा यही जायगा कि फलां दवाई एम० एल० ए० या एम० एल० सी० साहब की बीमारी में खत्म हो गयी है। इस तरह से गरीब जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी और उनको दवाई के स्थान पर पानी मिलेगा और उनकी हालत जो आजकल है उससे भी खराब हो जायगी।

दूसरे इसके अन्दर जो सुविधा दी गयी है वह फ्री अकमोडेशन की है। मैं तो समझती हूं कि फ्री अकमोडेशन देने में हमारी सरकार को काफी असुविधा होगी, क्योंकि सरकार के पास बहुत ही कम जगहें हैं और अगर वह दूसरी बिल्डिंग लेगी तो काफी खर्चा हो जायगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह---मन्त्री जी नहीं सुन रहे हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम---इसके साथ ही साथ इस बिल में यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो फ्री अकमोडेशन दी जायगी तो बिजली का खर्चा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। इस बिल के अन्दर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये। माननीय मन्त्रियों को फ्री अकमोडेशन मिलती है, लेकिन बिजली के चार्जेज देने पड़ते हैं। मैं समझती हूं कि अगर इसी प्रकार से सदस्यों के लिये है तो इससे कोई खास लाभ नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ इस बिल के अन्दर इस बात का भी प्राविजन नहीं है कि जब सरकार का हेड क्वार्टर नैनीताल चला जाता है, तो वहां पर सदस्यों को फ्री अकमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सदस्यों को एक चीज की और सुविधा प्रदान की गयी है और वह यह है कि अगर कोई सदस्य सेशन के दिनों में दस दिन तक गैरहाजिर रहता है, तो उसको भत्ता दिया जायेगा, तो उसके लिये मैं यह कहना चाहती हूं कि आज कल वैसे भी सदस्य बहुत कम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और जब उनको यह सुविधा मिल जायगी तो वे लोग और भी कम जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। जो लोग वकील हैं, वे वकालत में अपना समय देंगे, जो बिजनेस करते हैं वह उस ओर ज्यादा ध्यान देंगे और जो लोग डाक्टर हैं वह अपनी प्रेक्टिस की ओर ज्यादा ध्यान देंगे और जो उनकी एक सदस्य होने के नाते

ड्यूटी है उस की ओर वे लोग कम ध्यान देंगे। मैं तो समझती हूं कि केवल तनख्वाह ही बढ़ जाने से एक आदमी अपना सारा वक्त इस ओर लगा सकता है और इस काम को सुचारु रूप से कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसका नतीजा यह भी होगा कि मेम्बर के १० दिन तक गैरहाजिर रहने से और भी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी, इसलिये मैं इसको ठीक नहीं समझती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे और अधिक नहीं कहना है। मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि अपर हाउस होने के नाते यहां के सदस्यों का यह भी फर्ज हो जाता है कि वे सरकार को अच्छी सलाह दें और सरकार को भी उनकी सिफारिशों की ओर ध्यान देना चाहिये और उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये। जो सलाह ठीक हो उसकी ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय इस सदन के सामने पेश है, उस पर इस सदन में भी और दूसरे सदन में काफी विवाद हुआ है। जहां तक मैंने इस बिल को पढ़ा है, मुझे तो कोई ऐसी बात इसमें नजर नहीं आती है, जिस के ऊपर इतना विवाद किया जाय। इसमें एक बात तो यह है कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर, जो हमारे विधान मंडल के सदस्य हैं, उनको जो भत्ता दिया जाता है, उसके लिये हमारे संविधान के अनुसार कुछ आपत्ति महसूस की गयी, इसलिये यह बिल लेजिस्लेचर के सामने लाया गया है, ताकि उसको वैधानिक रूप दिया जाय। इसी लिये इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। जब यह बिल यहां पर लाया गया, तो कुछ ऐसे संशोधन भी इसमें कर दिये गये जिसके जरिये से जो अड़चनें थीं और जो सुविधायें बिल्कुल ही आवश्यकीय थीं, तो वे सुविधायें मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को मिले। यह जो बहुत कुछ वाद विवाद इसके सम्बन्ध में हुआ है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई इकोनामिक प्राब्लम उठेगी या स्टेट के एक्सचेकर का खर्चा बढ़ जायेगा। पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की तनख्वाह इसमें १०० रुपया बढ़ा दी गई है और उनके रहने के स्थान का प्राविजन कर दिया गया है और उनको अब तक जो यहां तकलीफ रहती थी, उसी को दूर करने के लिये मकान का प्राविजन किया गया है और यदि किसी तरह से उनको मकान उपलब्ध न हो सके, तो सौ रुपये महीने का भत्ता कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इस बात के लिये इतने बड़े वाद विवाद को उठाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई।

(इस समय १२ बजकर ७ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज का वेतन ५०० के बजाय ६०० रुपया कर दिया गया है और जिनको हाउस नहीं मिल सकेगा, उनको १०० रुपया कम्पेनसेटरी अलाउन्स मिलेगा। १०० रुपये कनवेयन्स अलाउन्स भी उनको मिलेगा। इसी तरह से मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज और मेम्बर्स के लिये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का इन्तजाम किया गया है और वह उनकी फैमिलीज को भी मिलेगा। लेकिन इससे कोई बड़ा भारी खर्चा यहां के बजट पर नहीं पड़ सकता है। यह कहा जा सकता है कि यहां की जनता को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो फिर इन लोगों के लिये ही क्यों किया जाय, तो मेरा कहना है कि इसके साथ इस बात को मिलाना ठीक नहीं है। इतने बड़े प्रदेश में, जहां कि करोड़ों आदमी रहते हैं, सभी को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना तो मुश्किल है, लेकिन आज यह देखा जाता है कि पहले कुछ वर्षों के मुकाबिले में हमने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काफी वृद्धि कर ली है और करोड़ों रुपया खर्च करके हमने नये अस्पताल और डिस्पेन्सरीज खोली हैं। जहां तक जनता के स्वास्थ्य का सवाल है, हमारा बजट इस सम्बन्ध में बराबर बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम नहीं

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

चाहते हैं कि यहां के रहने वालों को आसानी के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। भविष्य में जिस तरह की सुविधा सरकार जनता को देना चाहती है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल सुविधा के लिये अपने घर से ५ मील से अधिक नहीं जाना पड़ेगा। सरकार आज इस तरह से उनके लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, तो १, ७ या १० हजार रुपये की जो सुविधा इस तरह से मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स को दी जा रही है, उसमें एतराज की कोई बात नहीं है।

इस बिल में एक बात डबुल फेयर के सम्बन्ध में है। पहले फर्स्ट क्लास मिलता था, लेकिन वही फर्स्ट क्लास अब सेकेन्ड क्लास के बराबर हो गया है और भाड़े में जो कमी हो गई है, तो जो पहले थ्री टाइम्स मिलता था, अब उसका ड्योढ़ा कर दिया गया है, तो इस तरह से वह पहले वाले से कम हो रहेगा। इस सम्बन्ध में जो भी आक्षेप किये गये हैं, वे गलत हैं।

जहां तक मेम्बरों के फ्री रेजीडेन्स का सवाल है और किराये के लिये जो उनको माफ कर दिया गया है, तो मुझे कई मुल्कों के बारे में मालूम है कि जब भी लेजिस्लेचर्स को सेशन के लिये बुलाया जाता है, तो गवर्नमेंट उनको सदैव ही रहने की सुविधा देती है। हमारे यहां अब तक इस तरह की सुविधा नहीं थी, धन के अभाव से शायद न की गई हो, मगर इस तरह की सुविधा का होना आवश्यक है और इस विधेयक में वह कर दी गई है, इसमें कोई ज्यादा खर्च का सवाल भी नहीं है।

एक सवाल जो खास तौर से विरोधी दल के लोगों की तरफ से उठाया गया है और जिस कर काफी एतराज किया गया, वह यह है कि कोई भी मेम्बर १० दिन तक गैरहाजिर रहने के बाद भी भत्ते का मुस्तहक होगा। कुंवर गुरु नारायण साहब ने यह प्रश्न उठाया और कहा कि एक मेम्बर घर पर बैठा रहे और वह फिर भी भत्ते का अधिकारी रहेगा, तो मेरा कहना है कि उन्होंने ठीक तरह से उस धारा को पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है और तभी उन्होंने शायद यह आपत्ति उठाई है। कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं है। उनको १० दिन के भत्ते देने का प्राविजन इसलिये किया गया है कि यदि कोई सदस्य सदन के सेशन के समय में किसी अवश्यक काम से अपने निर्वाचन क्षेत्र में चला जाय और १० दिन तक न आ सके, तो उनको टी० ए० मिल जायेगा। उसमें प्रतिबन्ध यह रख दिया गया है कि वह टी० ए० सौ रुपये से ज्यादा नहीं होगा, जब कि २०० या ३०० रुपये तक भी किसी मेम्बर को खर्च करने पड़ जायें, तो भी उसको १०० से ज्यादा नहीं मिलेगा। वह यहां १० दिन उपस्थित न रह कर इस तरह से भत्ता पा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह कोई एतराज की बात नहीं है, किसी तरीके से यह उचित नहीं है। मेम्बरों को भत्ता न दिया जाय, यह कहना भी उचित नहीं है। छोटी २ बातों पर एतराज किया जाता है। एक तरफ तो हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता कहते हैं और यह मांग की जाती है कि मेम्बरों को वह भत्ता दिया जाय जितने जिलों का वे दौरा करते हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाय तो दोनों चीजें एक दूसरे के विरोधी हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--आपने समझा नहीं है।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--यह जो रखा गया है कि मेम्बरों को उतना भत्ता दिया जाय, जितना वे ट्रेवल करें अथवा अधिक से अधिक १० दिन का भत्ता उनको दिया जाय, तो यह बहुत ही आवश्यक है। कितने ही माननीय मेम्बरों को अपने कार्य के लिये कान्स्टीट्यूएंसी में जाना पड़ता है। वे उस चीज को अधिक महत्व देते हैं। यदि उनको खर्चा नहीं दिया जाता है, तो वे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह छोटा सा प्राविजन कर दिया गया है। यह डी० ए० नहीं है, बल्कि टी० ए० है जो उनको खर्च करना पड़ता है। ये चीजें गलतफहमी के आधार पर कही जाती हैं।

अब प्रभु नारायण जी ने भी सवाल उठाया और दूसरे सदन में भी बड़ा शोर किया गया। आजकल जो चीज कही जाती है उसको लोग सही २ तरीके से नहीं देखते हैं, बल्कि उसमें नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें इतना बवंडर किया जाय या उसको प्रोपेगेन्डा स्टंट बनाया जाय। मैं तो कोई भी ऐसी चीज इस बिल में नहीं पा सका।

एक बात यह कही गई कि गांव में अमृतधारा की २ बूंद नहीं मिली और वहां के लोग मर गये। यदि आज आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में बहुत दिनों से कोई प्लेग या हैजा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का स्वास्थ्य गिरा नहीं है। कितने ही वर्षों से कोई महामारी नहीं सुनाई दी। दो बूंद अमृतधारा के न मिलने से लोग मर गये, यह कहना कहां तक उचित है। माननीय सदस्य ने ऐलान किया कि हम भत्ता लेने को तैयार नहीं हैं। यह कहा कि सदस्यों को फर्स्ट क्लास का फेयर क्यों दिया जाता है, जब वे थर्ड क्लास में सफर करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने माननीय सदस्य विरोधी दल के ऐसे हैं जो थर्ड क्लास में ट्रैवल करके फर्स्ट क्लास का चार्ज नहीं करते हैं। किसी चीज को प्रोपेगेन्डा स्टंट बनाना कहां तक ठीक है। बिल बिल्कुल सीधा-सादा है। उसमें जैसा मैंने बतलाया कि एक चीज को रैगुलराईज कर दिया गया है। जो ऐक्सपैन्सेज होते थे, उनको रैगुलराईज और लोकलाईज कर दिया गया है। थोड़ा सा सवाल जो उठाया जाता है, वह यह कि मन्त्रियों, उप मन्त्रियों, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर को अधिक सहूलियतें दी जा रही हैं या उनको बड़ी तन्ख्वाह दी जा रही है और लोग भूखों मर रहे हैं, तो यह एक स्लोगन हो सकता है, जो किसी तरह से उचित नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि अभी जो नियुक्तियां डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज की हुई हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जितना वेतन उनको मिलता है, वह उनकी एक दिन की आमदनी है। जो मन्त्री जी हमारे सामने बैठे हुये हैं, उनको महीने भर में जो वेतन मिलता है, वह उनकी एक दिन की आमदनी हो सकती है। मेरे जिले के पास के एक डिप्टी मिनिस्टर नियुक्त हुये हैं, उनका वेतन यहां ५०० रुपया है, जबकि उनकी महीने भर की आमदनी ४ या ५ हजार होती है। तो इस बिल को स्टन्ट बनाना दूसरी चीज है और असलियत को देखना दूसरी चीज है। इन सब कारणों से बिल में किसी संशोधन की गुन्जायश नहीं है और न सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजने की कोई आवश्यकता ही है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और जो मूल बिल है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज हमारे सामने पेश है, वह बहुत सीधा-सादा बिल है। इस पर इस हाउस में हमारे भाईयों की तरफ से जो स्पीचेज हुई और जो टीका टिप्पणी की है, वह इस अन्दाज से नहीं की गई कि यह बिल किस व्यवस्था के लिये लाया गया है। आज जो एक गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज को तन्ख्वाह दी जाती थी, उसको एक कानून का रूप देने के लिये सरकार को यह विधेयक लाने की जरूरत पड़ी और उसमें बहुत सीधी साधी बातें हैं, जिनको लेकर आज पेपर्स और दूसरी जगहों पर नुक्ताचीनी की गई। जहां डिप्टी मिनिस्टर अपना सारा समय सरकार के काम के लिये देते हैं, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज भी सारा समय सरकार के काम के लिये देते हैं, तो उनके लिये जो सुविधायें और चीजें रखी गई हैं, वह इस लिहाज से देखते हुये बहुत ही उपयुक्त हैं और यदि उनका प्राविजन इस विधेयक में न रहता, तो बहुत ही खामी रह जाती। जहां विधान मंडल के सदस्यों की बात कही गई है, वह जरा चुभती है। आज तो हम लोगों की आवाज फ्री की जाय। आज हमारी आवाज के लिये ५० हजार खर्च देना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे यहां के जो दूसरे कर्मचारी हैं, उनको रहने का स्थान नहीं मिलता है। जो पुलिस के लोग हैं, उनको

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

रहने का स्थान नहीं मिलता है और हम लोग इन मकानों मे फ्री रहें, कुछ उचित नहीं मालूम होता है। एक तो पहले ही हम कितना देते हैं। एक तो हमको रहने के लिये किराया देना चाहिये और अगर न दें और फ्री रहें और खाने का भी इन्तजाम कर दिया जाय, तो फिर १० रुपया जो दिया जाता है, वह बन्द कर दिया जाय। जब हमारे रहने, खाने का इन्तजाम हो गया तो १० रुपयों को क्या जरूरत है, क्योंकि २०० रुपया तो हमको तन्ख्वाह मिलती है ही, लेकिन जब हमको १० रुपया दिया जाता है, तो फिर हमको किराये और खाने मे खर्च करना ही चाहिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मालूम होता है कि आप पार्टी मीटिंग में नहीं थे।

श्री पन्ना लाल गुप्त--पार्टी मीटिंग मे तो मैं था। आप बातचीत और बहस करना चाहते है, तो हम आप लौबी में निकल चलें, वहां बहस कर लें और या फिर मुझको ही यहां बात करने दीजिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज के लिये यह जो बिल लाया गया है, कहा जाता है कि इस बिल में में हम लोगों को यह सुविधायें इसलिये दी गई हैं कि हम लोग सरकार की मुखालिफत न करें। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरासर गलत है। शायद माननीय सदस्य जू की तरफ चले गये हैं और उनको वहीं उड़ती हुई हवा मिल गई होगी, इसलिये ऐसी बात कहते है। यह जो किया गया है, इसलिये नहीं किया गया है कि हम लोग विरोध में थे। रह गया, जो यह बात कही गई है कि मिनिस्टरों के परिवार की व्याख्या नहीं की गई है, मैं समझता हूं कि इस व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मिनिस्टर इतनी जिम्मेदारी की पोस्ट पर होते हुये कभी यह न करेगा कि अपने परिवार के अलावा दूसरों को, क्या बाहर के रिश्तेदारों और नातेदारों को लाकर दवादारू कराये।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या आप को परिवार की परिभाषा मालूम नहीं है ?

श्री पन्ना लाल गुप्त--मालूम है। मिनिस्टर इतने ऊंचे पद पर होते हुये ऐसा नहीं कर सकता। जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, हम देखते है कि वह भी अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरों का इलाज नहीं कराते।

श्री कुंवर गुरु नारायण--इल्लिजिटिमेट चाइल्ड का भी प्रबन्ध हो रहा है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--मगर मेरे ख्याल से मेडिकल फ्री होना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसा सावित्री श्याम बहन जी ने कहा, जो दो सौ रूपये से ऊपर तन्ख्वाह पाता हो, चाहे विधान मंडल का सदस्य हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, उसको फ्री शिप नहीं देना चाहिये। जहां हम लोगों को यह फ्री चीजें मिली वहीं अस्पताल वालों को, हमको और गवर्नमेंट को क्रिटिसाईज करने का मौका मिल जायेगा और जब उनके अस्पताल में दवायें नहीं होंगी, वह सारी दवाओं को अपने प्राईवेट मरीजों पर खर्च कर देंगे और जनता से कहेंगे कि हम क्या करें, जितनी दवायें हैं, वह एम० एल० ए०, मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स पर खर्च हो जाती हैं। इसका हमारे पास कौन सा जवाब होगा जिससे हम उनके मुंह को रोक सकेंगे। मैं कहता हूं कि इसका आमतौर से नाजायज फायदा उठाया जायेगा। हम लोगों के सर पर कलंक रखेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि कि यह चीजें अच्छी नहीं हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह को चीजों से न तो सरकार का फायदा होगा और न विधान मंडल के सदस्यों को ही कोई लाभ होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विधान मंडल के सदस्य इस बात को अच्छी तरह से सोचें और समझें। सरकार ने तो इसको कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। अब विधान मंडल के सदस्यों को चाहिये कि वह विचार करें कि यह बात उनको जेबा देती है या नहीं। कहां तक हम इससे फायदा उठा सकते हैं और कहां तक यह हमारे उज्जवल चरित्र पर कटाक्ष होगा। किस तरह से हम पर आक्षेप पब्लिक में होंगे।

हां, एक दस रोज वाली बात जो कही गई है, वह जरा खटकती है। आज भी हमारे विधान मंडल के सदस्यों में जो अमीर तबका है, बड़े आदमियों का तबका है, वह बहुत कम उपस्थित रहता है। दस रोज

का मौका देकर उनको और भी छूट दी जा रही है कि राम कहे तो लड्डू खायें और अल्लाह कहें तो लड्डू खायें।

श्री प्रभु नारायण सिंह—राम और अल्लाह एक ही बात है भाई।

श्री पन्ना लाल गुप्त—आज भी हम देखते हैं कि बड़े-बड़े आदमी जो हमारी गवर्नमेंट के नामिनेटेड आदमी हैं, वह कोई नहीं आते। मगर अब दस रोज का पैसा लेने का उनको मौका मिल जायेगा। चाहिये यह था कि इस बात की व्याख्या कर दी जाती कि फलां काम से जायेंगे तो मिलेगा और फलां काम से जायेंगे तो न मिलेगा। इस तरह से कह कर कि वह चाहे जहां रहें, उनको पैसा मिल जायेगा। उनको पैसा लेने का मौका देना, मेरी समझ में नहीं आता। मगर माननीय मन्त्री ने कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। मेरी तो छोटी अकल के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है। जहां तक मन्त्री, उप मन्त्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सवाल है, यह २४ घंटे काम करते हैं, उनके लिये यह रखा जाय। मगर जो सदस्य हैं, उनके लिये सरकार सोचे और मैं समझता हूं कि उसने सोचा ही होगा।

(इस समय १२ बजकर २८ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

मैं समझता हूं कि जहां तक डबल फर्स्ट क्लास का सवाल है, हमारे हाउस में पास हुआ है कि चाहे फर्स्ट क्लास में चलें चाहे थर्ड क्लास में चलें, मगर वह फर्स्ट क्लास के पाने के अधिकारी होंगे। आप पहले के फर्स्ट क्लास और आज के फर्स्ट क्लास के किराये में बहुत अधिक अन्तर पायेंगे। पहले का किराया अगर आप देखे तो उसके मुकाबिले में आज का किराया बहुत कम होगा। माननीय सदस्यों को जब एक दफा हाउस होता था, तब किराया मिलता था और जब खत्म होता था, तब किराया मिलता था। मगर वह कितनी ही दफा अपने घर जाते थे, अपने दोस्तों की कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों के काम से जाते थे और इस सब का पैसा वह अपनी जेब से देते थे, जोकि इससे ज्यादा हो जाता था। आज कोई भी विधान मंडल का सदस्य हो, उसकी नियत पर हमें शक नहीं करना चाहिये क्योंकि हर विधान मंडल का सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझता है। और हमारा हाउस तो इस बात के लिये विख्यात है कि हमारा हाउस अपनी डिगनिटी को मेन्टेन करने की जिम्मेदारी को समझता है और अपना असर और हैसियत रखता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री विश्व नाथ** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाई प्रभु नारायण जी ने जो चार्ज किया है और यह बताया है कि व्यवस्थापिका समाज के परिवर्तक हैं और समाज के पथ प्रदर्शक हैं, मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं कि यह वास्तव में सही कहा है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में सदन से और विशेष रूप से विरोधी पक्ष के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि कि वे इस दृष्टिकोण से इस विधेयक पर विचार करें। यदि व्यवस्थापिका समाज के पथप्रदर्शक और समाज में परिवर्तन करने वाले हैं और इस दृष्टिकोण से विचार किया गया, तो साथ ही यह भी सोचना पड़ेगा कि इनको किस रूप में रखना है। अगर इस प्रकार से इस पर विचार किया जाता, तो इतने विरोध की आवश्यकता महसूस न होती। ईमानदारी के साथ यदि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य विचार करें, अपने रहन-सहन के स्तर को देखें, खर्च को देखें, तो इसमें उनको कोई बात ऐसी नहीं मिलेगी जो खटकती हो। मैं किसान हूं, कभी कभी जब चारे की कमी पड़ जाती है, तो बैल जिसको नदुवा कहते हैं, उसकी पीठ पर चारा लाद कर, दूसरे गांव से लाया जाता है, तो उसको चारा भर पेट खिलाया जाता है, इसलिये कि उसके लाने से दूसरों का भला होता है। इसलिये मैंने माननीय प्रभु नारायण जी की बात का समर्थन किया, उनका ख्याल है कि यह व्यवस्थापिका मंडल वास्तव में पथ-प्रदर्शक और समाज परिवर्तन करने वाला है। इस तरह से जो विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से धारणा बदल सकती है। यह दूसरी बात

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री विश्व नाथ]

है कि दुराग्रह से आलोचना की जाय। अगर यह भावना रखी जाती, तो जितनी कटु आलोचना की गई है, वह न होती। एक बात और कही गई कि पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर का क्या अभिप्राय है। जहां तक कार्यभार का सवाल है, वह इतना अधिक है कि पूरा नहीं हो रहा है और जितने आज हैं, उससे भी अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात और कही गई कि गैर हाजरी में भी भत्ता दिया जा सकता है या आने-जाने का खर्चा दिया जा सकता है, जो कम हो। यह बात नहीं है, मैं तो सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बात सही है कि यह दुधारी तलवार हो सकती है जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, इसमें प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अपने क्षेत्र में सार्वजनिक कार्य के हेतु जो लोग जायं, उनको दिया जाय। तो सोचा जा सकता है कि इसमें कितनी गलती है। सार्वजनिक कार्य में न जाना भी उचित नहीं है। आर्थिक कठिनाई के कारण नहीं भी जाते थे, परन्तु मैं निवेदन यह करूंगा कि प्रतिबन्ध न भी हो, जिस तरह से आप माननीय सदस्यों पर विश्वास रखते हैं उसी प्रकार से विश्वास रखें और यह आशंका न करें कि गलत कामों के द्वारा भत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इतना बड़ा विश्वास उनके ऊपर न रखा गया, तो आपका पूर्व कथन गलत हो जाता है कि यह पथ प्रदर्शक है। जो यह मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज का और उनके परिवार का मुफ्त दवा दारू का प्रबन्ध किया गया है और सदस्यों के लिये खास तौर से इसमें गुन्जायश की गई है, वह मेरे ख्याल से बहुत ही उचित किया गया है, इसलिये कि मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज सोने के अलावा अपना पूरा समय सरकारी कामों में देते हैं और कोई उनके पास दूसरा रोजगार नहीं है और न किसी दूसरे साधनों से उनको धन पैदा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनकी तन्खवाह होती है, उससे कहीं अधिक उनकी दवा दारू के साधनों में खर्च हो जाता है। तो आप सोचे कि जिसके पास कोई दूसरा साधन पैसा आने का नहीं है, तो वह अपनी बसर कैसे कर सकते हैं। जब आप उनसे रात दिन काम लेंगे, तो आपको उनके बच्चों का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर उनके लिये सभी सुविधा न पहुंचाई गई, तो उनका काम नहीं चल सकता है और वे न पूरे तौर पर जनता की ही सेवा कर सकेंगे। इसलिये हमें इन चीजों को ध्यान में रख कर अपना काम करना चाहिये। आप सोचें कि जब आप उनको पथ प्रदर्शक कहते हैं, जब गरीबों की को गरीबी उनको मिटाना है, तो फिर मैं तो यह कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य का आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा प्रभु नारायण जी ने कहा है कि जब वे सबके लिये कर लें, तभी वह अपने लिये कर सकते हैं, तो यह बात गलत होगी। जब उनका स्वास्थ्य ठीक न रहेगा, तो आप उनसे काम कैसे ले पायेंगे। तो यह लोग जो प्रान्त की उन्नति करने वाले हैं, जो जनता की सेवा करके उनके स्तर को ऊंचा उठाने वाले हैं, तो जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक न रहेगा, उनको अपने परिवार की फिक्र रहेगी, तो जनता के लिये क्या कर सकेंगे? इसलिये हमें पहले उनको स्वस्थ और बलवान रखना चाहिये, तब हम उनसे कुछ आशा रख सकते हैं कि वह समाज को ऊंचा उठा सकेंगे और खुद स्वस्थ रह कर जनता को स्वस्थ रखने का प्रबन्ध कर सकेंगे।

सदस्यों के मुफ्त निवास की जो चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि यह बात सही नहीं है, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह सही है, परन्तु इसमें यह भी जोड़ दिया जाये कि बिजली और पानी का खर्चा भी न लिया जाना चाहिये। इससे सरकार को हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। इससे सही ढंग से काम हो सकेगा। यहां पर मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी जो एक-एक फ्लैट में दो-दो, तीन-तीन मेम्बर्स रख दये जाते हैं, वह सही बात नहीं है। इसको तो छात्रावास बना दिया जाता है। इसके लिये हर एक मेम्बर के लिये अलग-अलग होना चाहिये। उनके अलग-अलग मिलने वाले आते हैं। इसलिये अलग रहने की व्यवस्था होनी चाहिये, तभी वह अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं

और माननीय सदस्य कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव या संशोधन रक्खा है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने उपस्थित है, उसके विषय में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो यह बात कही गई है कि यहां के सदस्यों के लिये यह रक्खा गया है, मैं उसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि अपने लिये यह कहना कि हमारे लिये यह किया जाये, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। यह भी कहा गया है कि हमारे सदस्य कुछ भी न लें, तो मैं समझता हू कि यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे तो यही होगा कि जो सदस्य माननीय प्रभु नारायण जी की तरह हैं, वही लोग आ पायेंगे और जो निर्धन हैं, वह नहीं आ पायेंगे। निर्धन लोग विचारे कहां से पायेंगे कि वह अपने पास से खर्च करके यहां आयें। यदि ऐसा होता, तो केवल धनी ही लोग यहां पर आते।

दूसरी बात यह है कि जो यह कहा गया है कि जब तक सबके लिये मुफ्त औषधि का प्रबन्ध न हो जाये, तब तक मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टरों के लिये मुफ्त औषधि का प्रबन्ध न होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है। इसके लिये यह भी कहा जा सकता है, जब तक जनता के पास कुर्सी और मेज न होगी, तब तक हम भी कुर्सी और मेज न इस्तेमाल करेंगे या जब तक जनता के पास भी वैसे ही कपड़े न होंगे, जो हम अभी पहन रहे हैं, तब तक हम उनको न पहनेंगे। परन्तु यह नहीं है। मेम्बरों की तन्ख्वाहों के विषय में कहा गया कि उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके लिये मुफ्त चिकित्सा का प्रबन्ध क्यों किया जाये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब तक अंग्रेजों का राज्य था, तो गवर्नर को इतना वेतन दिया जाता था कि वह ५ वर्ष गवर्नरी करने के बाद हट जाता था और हटने के बाद उसको दूसरी जगह पर नौकरी न करनी पड़े, इसलिये उसको गवर्नरी काल में अधिक वेतन दिया जाता था। हटने के बाद उसका खर्च अपने पुराने वेतन के ऊपर ही चलता था। हमारे यहां इस तरह का नियम नहीं है कि मन्त्री लोग जीवन भर रहें। ये लोग जीवन भर मन्त्री तो नहीं रहेंगे; इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि जिससे उनको बाद में चिन्तित न होना पड़े। उनको यह चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि क्या पहिनेंगे और क्या खायेंगे। यदि ऐसी कोई बात उनके लिये की जाती तो अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—कुंवर साहब ने पेन्शन का प्राविजन रखा है।

श्री सभापति उपाध्याय—लेकिन उन्होंने मन्त्रियों के लिये ऐसा नहीं रखा है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर रहे और उसकी दशा अच्छी न रहे, तो यह ठीक नहीं है। हम यहां पर आ कर पक्के मकान पर रहते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि हमारे देश की पूरी जनता पक्के मकानों में नहीं रहती है। तो क्या इसके माने यह हैं कि हम भी झोपड़ियों में रहें। हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि सभी पक्के मकानों में रहें। मैं अपना ही एक मामला बतलाना चाहता हूं। मैं पिछली गर्मियों में नैनीताल गया, लेकिन जब वहां से आने लगा तो मेरे पास सेकेन्ड क्लास का टिकट था, परन्तु गाड़ी में स्थान नहीं मिला। फिर मैंने थर्ड क्लास में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी स्थान नहीं मिला। ऐसी हालत खराब हो गयी कि अगर डाक्टर सीता राम जी न होते, तो जगह मिलनी मुश्किल हो जाती। उन्होंने अपनी जगह मुझे दे दी। इसमें जो प्रथम श्रेणी का भत्ता रखा गया है, वह ठीक ही रखा गया है ताकि सदस्य ठीक तरह से यहां पहुंच सकें।

जो यह कहा गया है कि सदस्य १० दिन कहीं भी रहे, लेकिन उसको दैनिक भत्ता दिया जायेगा, इसमें कुछ प्रतिबन्ध जरूर करना चाहिये क्योंकि

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री सभापति उपाध्याय]
हम देखते हैं कि चाहे सदस्य इसको न कहे लेकिन कभी–कभी ऐसा हो जाता है कि इतने सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे कार्य आरम्भ किया जा सके। इससे कोरम पूरा करने में दिक्कत हो सकती है। अगर सरकार की ओर से सदस्यों को कोई कार्य बाहर करने का दिया जाय, तो उन्हें भत्ता जरूर दिया जाय और यह ठीक भी है, लेकिन बिना काम के कोई भत्ता देना ठीक नहीं है। कोई काम हम स्वयं बना लें, तो उसके लिये भत्ता नहीं मिलना चाहिये। इसलिये प्रतिबन्ध जरूर लगा दिया जाय। हम लोगों के यहां यह सिद्धांत है कि मन्त्रियों के यहां और सभा अध्यक्षों के यहां बहुत से लोग आते हैं, वहां ठहरते हैं और उनका सत्कार भी करना पड़ता है। उन लोगों के लिये भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करना पड़ता है। हमने तो यहां तक सुना है कि प्रत्येक मन्त्री महोदय को प्रति मास कुछ न कुछ ऋण लेना पड़ता है। ऐसी अवस्था में यदि उन्हें अधिक भत्ता दिया जाय या मुफ्त में रहने के लिये मकान दिया जाय, तो यह असंगत नहीं है। इस सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा है वह अपने विचारों के अनुसार ही कहा है। जो सरकार समझती है, वह ठीक समझती होगी और इसीलिये यह विधेयक लायी है।

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)––माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो विधेयक है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह ठीक है कि जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं और जितने डिप्टी मिनिस्टर्स तथा पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज हैं, उनको शासन का अधिक कार्य करना पड़ता है और इसलिये उनको सहूलियतें दी गई हैं, इसमें तो कुछ तथ्य मालूम पड़ता है, लेकिन इस विधेयक के अन्दर जो क्लाजेज हैं, वे ठीक नहीं मालूम पड़ते हैं। जिस उद्देश्य से इस सदन में हम लोग बैठे हुये हैं और अपने को जनता का प्रतिनिधि समझते हैं उसका ध्येय भी हमें अपने सामने रखना चाहिये। मुझ दो–तीन क्लाजेज को पढ़ कर कुछ चिन्ता हुई और विस्मय भी हुआ। क्लाज ६ की उपधारा २ (ए) में यह कहा गया है कि जिस समय कि सदन की बैठक हो रही हो, उस समय सदस्य यदि अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाना चाहें, तो जा सकता है तथा उन दिनों का अलाउन्स ले सकता है। इस तरह का जो नियम किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर आबनाक्सेस क्लाज, हाउस की भी हिस्ट्री में कभी देखने को मिला हो। मैं इस बात को कहने के लिये क्षमा चाहता हूं कि हम लोग जो यहां पर प्रतिनिधि होकर आये हैं, टैक्स पेयर की कास्ट पर यहां पर रहते हैं और उनके कल्याण की भावना से यहां पर आये हुये हैं और इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं और एक ओर दावा करते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, तब यह कहां तक उचित है कि विधान परिषद् में जिस समय कि विधेयक बन रहे हों, उस समय हम अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में घूमते फिरें। विधान परिषद् की बैठक मुश्किल से दस या बारह रोज के लिये एक सिलसिले में होती है और फिर कहीं दो या तीन महीने के बाद पुनः बैठक की संभावना होती है तब क्या ३६५ दिनों में हमको और कोई समय नहीं मिलता, जिसमें कि वह अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जा सके। मैं सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि जब, जिनके हितों की रक्षा करने के लिये आपको यहां पर प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है, उनके लिये यहां पर कोई विधेयक बन रहा हो, तभी क्या आपको अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाने का समय रह जाता है। यदि सभी सदस्य ऐसे समय में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चले जायं, तो क्या बैठक यहां पर इन बेंचों के लिये होगी या इन दीवालों के लिये होगी। यदि विधेयक बनाते समय हम लोग गैरहाजिर रहें, तो यह हम लोगों के लिये अफसोस और शर्म की बात है।

दूसरी बात यह है कि विधान मंडल के सदस्यों को जहां तक सहूलियत देने की बात है, वह कहां तक उचित और ठीक है। हमारा देश जब कि गरीब है, जहां का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग गिरा हुआ है, जहां की इन्कम को आनों में गिना जा सकता है, वहां के विधायकों को रहने के लिये बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनी हों, जबकि यहां के जो राज–कर्मचारी हैं, उनकी हालत बहुत गिरी हुई है। महात्मा जी का, जिन्होंने कि देश को स्वतन्त्रता दिलाई, क्या स्टैन्डर्ड था? आज जिन सदस्यों को दो सौ रुपया वेतन मिलता है, उनके बारे में यह कहा जाता है कि

उनको फ्री मेडिकल एड मिलनी चाहिये। लेकिन जो इस सदन के अन्दर चपरासी और अरदली हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता सब से अधिक है, उनके बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। आप लोग तो देखते होंगे कि जो बड़े-बड़े डाक्टर हैं, जिनको कि इस काम के लिये रखा गया है, वह बड़े-बड़े ओहदे वालों का ही ध्यान रखते हैं और जो बेचारा गरीब है, वह धक्के खाया करता है, तो यदि हम लोगों को, यानी विधान परिषद् के सदस्यों को, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सकती है, तो सबसे पहला फर्ज जो सरकार का होना चाहिये वह यह कि उन चपरासियों के लड़कों की फ्री शिप होनी चाहिये, उनको पहले मेडिकल सहायता मिलनी चाहिये।

श्री चेयरमैन—चपरासियों की ओर तो इस सदन में संकेत नहीं किया जाना चाहिये।

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेयी—जो कौंसिल के चपरासी और अरदली हैं, उनसे मेरा मतलब है। मैं तो समझता हूं कि यह तो बिल्कुल गलत बात है कि जिनको इसकी अधिक आवश्यकता है, उनको हम पहले न लें। यह कहावत सब लोग जानते हैं। 'No taxation without representation' जिस बात के लिये जनता टैक्स दे रही है, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिये। जो रुपया जनता दे रही है, उसका ठीक से उपयोग होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति में भेजा जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उसने इस विधेयक को लाकर कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि इसको यहां से बिल्कुल रूट ऐन्ड ब्रांच खत्म कर दिया जाय।

श्री चेयरमैन—कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक एक बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और २ बजे श्री डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

***श्री एम० जे० मुकर्जी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधक विधेयक हमारे सामने है, इस पर मैं भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैंने, जब से इस पर बहस शुरू हुई, हर प्रकार के ख्याल सुने और उस बिल पर जो कि अपने ही ऊपर असर करता है, बोलते हुये कुछ हिचकिचाहट भी मालूम पड़ती है। लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा और उस पर गौर किया, तो मालूम हुआ कि यह तो बहुत ही साधारण बिल है और उसमें दो बातें खास तौर से रखी गई हैं। जो पहली बात है, वह यह है कि अब तक जो सरकारी हुक्म के जरिये से किया जाता था, उसको जायज तरीके से यहां पास करने की जरूरत थी और हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को जो तनख्वाह मिलती थी और उनको जो भी साधन दिये जाते थे, उनके काम का भी ख्याल करते हुये, इस बिल के आने की मेरी समझ में तो जरूरत थी। इस बिल में जो कुछ भी सहूलियतें हमारे कौंसिल के मिनिस्टरों को मिली हैं, जिनमें कि पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज भी शामिल हैं, तो उसमें शायद किसी को उज्र नहीं होगा, क्योंकि जब उनको काम करना पड़ता है और यहीं रहना पड़ता है तथा हर कामों के अलावा उन्हें यहां भी अपना वक्त देना पड़ता है, तो उनके लिये इस बात की जरूरत हुई कि ऐसा इन्तजाम या प्रबन्ध किया जाय, जिससे कि उनकी हर जरूरतें पूरी हो सकें। इस सिलसिले में पार्लिया-मेंटरी सेक्रेटरीज को जो तनख्वाह की सहूलियत दी गई है, वह ठीक है। लेकिन जो उनको फर्निश्ड घर मिले हैं, तो उसके चारों ओर जो जमीन हैं, उसकी मेन्टेनेन्स का भी इन्तजाम होना चाहिये। अगर उनको घर मिल जायें और मेन्टेनेन्स आफ लैन्ड चारों

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री एन० जे० मुकर्जी]

तरफ नहीं होती है, तो इस तरह से उनका खर्चा ज्यादा हो जायगा। इसलिये सरकार रूल्स बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखे।

अब एलेवेन्स की बात रह गई। इसमें तीन बातें रखी गई हैं और उन तीन बातों पर जो मैंने सुना है, उनमें पहली बात जो है, वह फ्री अकोमोडेशन के बारे में है और सरकार ने बहुत सोच समझ कर ही यह बात रखी है, क्योंकि उसमें सरकार को फायदा होगा। इससे जनता का रुपया बचेगा। जैसे ३०० सदस्यों के लिये अब तक इन्तजाम है और करीब १० रुपया महीना हर सदस्य देता है, तो उसके हिसाब से तीन हजार रुपये महीने हुआ और इस तरह से ३६ हजार साल का नुकसान सरकार को हुआ। सरकार का बिजली का बिल ८५ हजार होता है और हम बिजली का रेन्ट देंगे तो इस तरह से बचत हो जायेगी और सरकार को फायदा होगा। जैसी बात इस वक्त हमारे सामने है, उससे शायद बिजली के दाम सदस्यों को खुद ही देने पड़ेंगे और इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार ने जनता का रुपया बचाया है।

फिर इसमें एक बात मेडिकल मदद के लिये कही गई है, तो उसके लिये भी हम देखते हैं कि सरकार ने इस बात की जरूरत महसूस की और इसको वह पहले बिल में नहीं रख सके। उसमें सिर्फ मिनिस्टर साहबों को ही सहूलियतें थीं, मगर अब ये सहूलियतें सदस्यों को भी दी गई हैं और इसके बारे में यह कहा जाता है कि जब तक जनता को इसका लाभ न हो, तब तक हमें कोई ऐसी चीज अपने लिये नहीं करनी चाहिये। अगर आप पंच वर्षीय योजना को देखें, तो आप को मालूम होगा कि सरकार ने जनता को मेडिकल एड पहुंचाने के लिये क्या क्या किया है। हां, यह बात जरूर है कि बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां पर कि दवायें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस बात के लिये कोशिश कर रही है कि हर गांव में एक डिस्पेन्सरी खुल जाये। इस तरह की बात जो सरकार ने सदस्यों के लिये रखी है, तो उससे सदस्यों को तो लाभ होगा ही, मगर मेरी समझ में इससे जनता को कोई हानि नहीं है और यह एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिये।

तीसरी बात जो हो रही है, जिसमें सरकार ने सदस्यों को यह मौका दिया है कि जब सेशन हो रहा हो और उस वक्त कोई सदस्य बाहर जाये, तो उसको दोनों तरफ का किराया मिलेगा यानी डबुल फर्स्ट क्लास मिलेगा। डबल दी फर्स्ट क्लास के माने ज्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का जो किराया कम हो गया है, तो यह पहले जो फर्स्ट क्लास का किराया था, उसके बराबर आता है। अगर उनको अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सीज में काम करना है और उसके लिये उनको यह मौका दिया गया है, तो यह नामुनासिब नहीं है। लेकिन जब कायदे और कानून बनाये जाते हैं, तो उनमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिये कि किसी को यह मौका न मिले कि वह उसका बेजा इस्तेमाल कर सके। यह मैं जरूर कहूंगा कि सदस्यों को भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि वे किसी कानून का बेजा इस्तेमाल न करें। वैसे तो कहा जा सकता है कि यह मौका अच्छा नहीं था। जनता पर बुरा असर पड़ता है। अगर हम जनता को समझायेंगे नहीं तो जनता ठीक से समझ नहीं सकती है। जो इलेक्शन स्टंट बनाना चाहते हैं, तो वे तो बनायेंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी इस बिल के लाने की, अगर इस चीज को समझाने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी, तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री कृष्ण चन्द्र जोशी** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल उपस्थित हुआ है, इसके बारे में मैंने अभी तक दोनों ओर से जो बातें सुनी, उनको सुन कर मेरा यह विचार हुआ कि जो कुछ बहस अपोजीशन की तरफ से इस बिल के बारे में हुई, उसको उन्होंने

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दूसरे नुक्तेनिगाह से नहीं देखा। इस बिल पर जब हम विचार करते है, तो एक चीज देखते हैं। आज आजादी की बात कही जाती है, हमें यह देखना है कि किस पालिसी पर हम चल रहे हैं, कौन सा जरिया अख्तियार कर रहे हैं और उसको अख्तियार करने के सिलसिले में कौन चीज पैदा हो रही है। कुंवर गुरु नारायण जी ने त्याग के बारे में कहा और दूसरी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि त्याग की डेफीनीशन ऐसी होती है कि कोई आदमी अपनी हद के अन्दर उसको कर सकता है। त्याग वहीं कहा जा सकता है, जो किसी लिमिट के अन्दर हो, जहां तक उसको करने की सामर्थ्य हो। जब हम इस पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि हम एक डिमोक्रेटिक इन्स्टी-ट्यूशन की तरफ चल रहे हैं। जब डिमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन की ओर चल रहे हैं, तब हमें यह देखना पड़ेगा कि एक सदस्य का क्या कार्य है, कितना समय उसको मिल सकता है? यह जो प्राविजन रखा है, जिसको सुविधायें कहा जाता है, यह आवश्यकता या नहीं, हमें यह देखना है। मैं तो इनको सुविधायें नहीं कहूंगा। मैं तो इनको आवश्यकताओं की हद तक ले जा सकता हूं। यह नजर मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्रों की इस बहस का अंदाज नहीं आया, यह माना कि जहां तक मन्त्री या उपाध्यक्ष का सवाल है, उनको वह सुविधायें दी गई हैं, क्योंकि वह हमारे माने हुये हैं। उनका यह कहना केवल बहस के लिये था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मन्त्रियों को तो यह मिल रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो यह दोनों चीजें एक दूसरे का विरोधाभास प्रकट करती हैं। मन्त्री महोदय वह शख्स हैं, जिनको हमारे सामने परिपाटी रखना है, एक तरफ तो यह कहा गया और दूसरी तरफ यह कहा गया कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो सुविधायें मिल रही हैं, उनसे हमें कोई एतराज नहीं है, वह रखा जाय तो यह विरोधी बातें क्यों हैं। ऐसा मालूम होता है कि चूंकि वह मन्त्री पद पर हैं और उनका विरोध करना ही है। किसी न किसी तरह से अपोजीशन करना ही है, इसलिये यह आरगूमेन्ट्स दिये गये। लेकिन यह एक मामूली बात है। अभी कुंवर साहब ने कहा कि उनका कार्य २४ घंटे का होता है, इसलिये उनको दिया जाना ठीक है; दूसरे अपोजीशन के मेम्बर यह कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिये। तो उसके लिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उनकी दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं और मानने योग्य नहीं हैं। कुछ सेन्टीमेन्टल विचार, यहां के सदन के सदस्यों को जो सुविधायें दी गई हैं, उनके बारे में प्रकट किये गये। हमें इस बात पर गौर करना है और हमें सोचना है कि जिस परिपाटी में हम चल रहे हैं, उसमें हमें अगर काम करना है, तब तो सदस्यों की सुविधा का ख्याल करना आवश्यक है और वह सुविधा, सुविधा नहीं है बल्कि किसी हद तक आवश्यकता है और उसकी तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये।

इस बिल पर हमारे एक मित्र ने बड़ी लम्बी-चौड़ी वक्तृता दी और यह कहा कि मेम्बर साहबान को यदि १० दिन की गैर हाजिरी रहती है, उस समय जब कि सेशन चल रहा है, तो उनको १० दिन का भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जरा ठन्डे दिल से इस पर विचार करें और दोनों तरफ की विचारधाराओं पर सोचें। हम आज डिमोक्रेटिक परिपाटी से चल रहे हैं। १० जगह मीटिंग्स होती है और उनमें कोई सदस्य जाता है, तो उसका कोई टी० ए० नहीं मिलता है वैसे तो अगर कोई किसी चीज का नाजायज इस्तेमाल करना चाहे, तो वह कर सकता है। यह चीज सदन के सदस्यों को विचार करना चाहिये कि वह वाजिब है कि नहीं कि जब कोई जाता है, तो उसको टी० ए० मिले। अगर कोई आने जाने में १०० रुपया खर्च करेगा, तो उसे कुछ कम्पेनसेट तो करना आवश्यक है ही। मान लीजिये कि कोई एक प्लानिंग कमेटी में जाता है, तो उसका ३०-४० तो खर्च होगा ही और अगर उसे १० दिन का भत्ता मिल जाता है तो यह कोई बेजा बात नहीं है। अगर कोई बेईमानी करता है, तो इस सदन की परिपाटी के वह खिलाफ है। वह खुद ही विचार करें।

[श्री कृष्ण चन्द्र जोशी]

लेकिन वाजिब तौर से सोचते हुये, इस बात पर भी विचार करना होगा कि इसका दूसरा पहलू भी है। उस पहलू में जो ईमानदार आदमी हैं, उनको तो नुक्सान होता ही है। ऐसा जो प्रावीजन हुआ है उसको स्ट्रांग वर्ड में होना चाहिये। भले ही इसमें कहा गया है कि इसमें कोई प्रावीजन रखा जाय, ऐसा कोई चाहे तो कह सकता है, मगर जिस स्ट्रांग वर्ड में इसको कहा गया है, उससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने ठंडे दिल से विचार नहीं किया, वह अपनी भावनाओं में बह गये हैं, और मैं यह भी कह दूं कि बाहर दिखलाने के लिये ऐसे स्ट्रांग वर्ड्स में कहा गया है, जिसे जनता की आवाज कहते हैं और जनता की आवाज समझ कर वाजिब बेवाजिब समझ कर हम छोड़ दें, तो सदन की मर्यादा नहीं रहती। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा।

दूसरी चीज जिसके ऊपर बड़ा भारी क्रिटिसिज्म यहां पर किया गया है, वह है मेडिकल एड जो मेम्बरों को दी गई है। उस पर एक ताज्जुब की बात मैंने अपोजीशन की तरफ से सुनी, मेम्बरों और कैबिनेट के सदस्यों को, जिनको आलरेडी मेडिकल एड मिलती है, उनमें क्यों फर्क किया गया। उन्होंने कहा कि इनको इसलिये मेडिकल एड नहीं मिलनी चाहिये कि यह तो होल टाइम वर्कर नहीं हैं और हम को अपना काम करने का मौका मिलता है। लेकिन अपोजीशन इस बात को भूल गया कि जब हम इस डेमोक्रेटिक परिपाटी में चलते हैं, तब इस सदन के सदस्यों को अपना ज्यादा समय इस लेजिस्लेचर में ही खर्च करना नहीं पड़ता, बल्कि बाहर कान्स्टीट्यूएन्सी को भी नर्स करने में समय बर्बाद करना पड़ता है। ऐसी हालत में यद्यपि इजाजत तो आपकी तरफ से है कि हम अपना काम करें, लेकिन आप विचार करें, कि जो सदस्य ईमादारी से अपना काम करना चाहते हैं, उनके पास इतना समय कहां कि लेजिस्लेचर में भी रहें, अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी को भी नर्स करें और फिर अपना काम भी करें। मैं समझता हूं कि जब आप बाहर चले जाते हैं, तो आपका काम चौपट हो जाता है। सदस्यों को अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का दौरा करके, वहां देखना पड़ता है कि किसको क्या तकलीफ है। अगर वह वहां दौरा न करें तो जनता की शिकायतें आपके पास नहीं पहुंचा सकते। भले ही आज हमको कोई कहे कि हमें त्याग करना चाहिये। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में ऐसा कोई नहीं कर सकता, जो यह सोचता हो कि घर वाले भूखों मरें और उनकी हम पर्वाह न करें, तो यह गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कान्स्टीट्यूएन्सी में दौड़ता फिरूं और मेरे बच्चे घर मे भूखों मर रहे हों। कोई दिखलाने के लिये ऐसा भले कह ले, मगर कर कोई नहीं सकता। अगर हमको अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी को नर्स करना है, तो अपना पूरा टाइम हमको देना होगा और अगर पूरा नहीं दे सकते तो अधिक से अधिक तो देना ही होगा। इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हमको यह चीजें दी जायें।

दूसरी बात, इस बिल में प्रावीजन है मेम्बर्स के फ्री क्वार्टर्स का। इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तक बिजली के चार्जेज सरकार देती थी और रेन्ट हम देते थे। अब बिजली के चार्जेज मेम्बर देगा, तो इस तरह से पब्लिक का फायदा होगा, नुकसान नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ८५ हजार रुपये का बिल सरकार के पास बिजली का आता था, जिसको सरकार देती थी और किराये से कुल ५० हजार मिलते थे, तो इस तरह से ३५ हजार की बचत हो जाती है। लोग कह सकते हैं कि मेम्बर अब बिजली कम खर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेम्बर्स की ओर से और छोटी-छोटी बातों पर उज्र नहीं होना चाहिये। आजकल के जमाने में आप जानते हैं कि कोई भी कार्य के लिये कोई आये, तो उसके लिये मकान का प्रावीजन होना चाहिये। अब २०० रुपये तनख्वाह लेकर अगर कोई मकान लेना चाहे, तो नहीं पा सकता है। उसको किराये में ५०,६० रुपये खर्च करना पड़ेगा तो ऐसी हालत में अगर काम लेना है और वाजिब ढंग से काम करवाना है, तो मैं यह नहीं कहता कि उनको ऐशोइशरत का मौका दीजिये, बल्कि जा जरूरी है, उसको दीजिये।

जहां तक मेडिकल एड का सवाल है, यह छोटी सी बात है, मेम्बरों को मेडिकल एड दी जा रही है। इसमें कौन सी बात है और न रोज मेम्बर्स ही बीमार पड़े रहेंगे। आप को कोई तकलीफ हो जाय, तो उसके लिये सुविधा देने की जरूरत है। इतना मैं अवश्य मेम्बरों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वह इस बात में न जायं कि लोग इसको बुरा कहते हैं। आप को समझाना चाहिये और समझाना आपका कर्तव्य है, अगर आप इसको ठीक समझते हैं। इसके लिये उस भावना में न बहना चाहिये कि लोग क्या कहते हैं। गलत और सही का निर्णय इस बात से नहीं होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं और दूसरे लोग क्या कहते हैं। परिस्थिति को देखते हुये विचार करना चाहिये, तब आपको मालूम होगा कि समय को देखते हुये यह आवश्यक चीज है। मेडिकल एड का जहां तक सवाल है, सभी को मिल रही है, तो यह भी उचित नहीं है कि एक को न मिले। इसलिये विरोध करने का कोई कारण होना चाहिये। जो बात कुंवर साहब ने कही उसको मैं उचित नहीं समझता। इसमें सबको होल टाईम वर्क करना पड़ता है। इसलिये यह प्राविजन अलग रखना गलत बात है और मैं तो यह समझता हूं कि इस बिल में यह डिफरेन्स क्यों रखा गया है कि मिनिस्टर्स की फेमिली के लिये तो मुफ्त इलाज हो और हमारी फेमिली के लिए नहीं। क्या हमारी फेमिली उससे अलग रहे? क्या हमारी फेमिली और मिनिस्टर्स की फैमिली में फर्क है?

श्री कुंवर गुरु नारायण——इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि इससे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी——कोई बड़ा फर्क होता, तब तो सेलेक्ट कमेटी में भेजना ठीक था। लेकिन मामूली-मामूली बातों के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजना उचित नहीं मालूम होता है और चूंकि हममें और आप में कोई अधिक मतभेद नहीं है, इसलिये मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आपको इस निगाह से देखना चाहिये। आप कहते हैं कि इन सब सुविधाओं की जरूरत नहीं है और मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको बीसियों मीटिंगों में तथा प्लानिंग वगैरह की मीटिंग्स में जाना पड़ता है, तो क्या आप समझते हैं कि दस रुपये जो मिल जाते हैं, उससे काम चल जाता है। मैं आशा करता हूं, कि कुंवर साहब अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे। अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं?

श्री अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नाम निर्देशित)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह, जो बिल इस समय उपस्थित है, वह हम लोगों को असमंजस में डालने वाला है। किसी ने

[illegible]

है वह तो है ही, लेकिन मेम्बरों का भी इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है। अब अगर मेम्बर इसका विरोध करते हैं, तो उनका स्वार्थ नष्ट होता है। अगर विरोध नहीं करते तो अपनी आत्मा को धोखा देते हैं और साथ ही सरकार के बुरे बनते हैं। इस तरह से हर दृष्टि से बड़ी कठिनाइयां दिखाई पड रही हैं। एक संस्कृत का श्लोक है:——

न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा
वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम्।
नासौ धर्मो यत्र न सत्य मस्ति।
न तत् सत्यं यच्छलेनानुविद्धम॥

अर्थ यह है कि वह सभा, सभा नहीं, जिसमें वृद्ध (बूढ़े) न हों और वे वृद्ध, वृद्ध नहीं जो धर्म (ठीक बात) न कहें और वह धर्म, धर्म नहीं, जिसमें सत्य न हो और सत्य, वह सत्य नहीं है, जिसमें छल मिला हो। ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनाई हो गई है कि क्या किया जाय। सरकार के शरीर का चमड़ा गैन्डे की तरह है, चाहे जितना वह काटा जाय, नोचा जाय, चाहे जितनी उसकी आलोचना या समालोचना की जाय, उसे कुछ पता नहीं चलता अर्थात् उस पर कुछ प्रभाव नहीं होता, परन्तु हम लोगों की खाल बहुत पतली है। अगर जरा आल-

[श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी]

पीन या सुई भी चुभ जाती है, तो हम परेशान होने लगते हैं। सरकार तो हर काम करके बच सकती है, मगर हम नहीं बच सकते। कहा जा सकता है कि आप तो सरकार के नामिनेटेड हैं, लेकिन मैं जनता का भी तो प्रतिनिधि हूं। मैं पत्रकारों का एक मात्र प्रतिनिधि हूं और पत्रकार जनता के प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार मेरा तो सम्बन्ध सारे प्रदेश से है। अगर मैं सरकार की हां में हां मिला दूं तो सारा प्रदेश मुझे लोभी और बुरा कहेगा।

ऐसी स्थिति में मेरे लिये बड़ा कठिन है कि इसका समर्थन करूं और अगर समर्थन नहीं किया जाता है तो भी सरकार को जो करना है, वह तो करेगी क्योंकि सरकार का बहुमत (मेजारिटी) है।

परन्तु कठिनाई इस बात की है कि हमको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं। सरकार का खर्चा बढ़ रहा है और सरकार को प्लान्स—योजनाओं के लिये भी रुपये की जरूरत पड़ेगी। उस समय सरकार टैक्स बढ़ायेगी। उस समय यह कहने से नहीं चलेगा कि सरकार टैक्स न लगाये। इधर प्लान्स के लिये टैक्स लगाये जायेंगे और इधर यह क्या खर्च बढ़ रहा है तो लोग यही कहेंगे कि वहां पर सब लोगों में तुम भी जा करके मिल गये। लोग कह सकते हैं कि तुमने भी उनको खर्च बढ़ाने में मदद दी है, मारो साले को। हम लोग इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते। हम तो यही कहेंगे कि यह बिल ठीक समय पर नहीं आया है, असामयिक है अनटाइमली है। लोग इस सम्बन्ध में असन्तुष्ट हैं। खर्च बढ़ रहा है, लोग यही कहेंगे कि तुम जा करके ऐसे बिलों का समर्थन करते हो। मिनिस्टरों का तो आराम बढ़ ही रहा है, तुम लोग भी उसमें शामिल हो जाते हो। ऐसी स्थिति में हम लोग इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसका विरोध ही कर सकते हैं, यह जानते हुये भी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप तो इसको पास ही कर लेंगे, इसको कोई पास करने से रोक नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में यह सोचने की बात है कि क्या किया जाये, कठिन परिस्थिति है।

मेम्बरों के लिये यह व्यवस्था है कि वह चाहे जिस क्लास में ट्रैवेल (यात्रा) करें, उनको फर्स्ट क्लास का किराया मिलेगा चाहे फर्स्ट में जायें, चाहे थर्ड में जायें। सरकारी कर्मचारियों के लिये है कि वह जिस क्लास में जायें, उस क्लास का सर्टीफिकेट दें। परन्तु मेम्बर चाहे जिस क्लास में जायें उनको फर्स्ट क्लास का किराया दिया जायेगा।

कहा जाता है कि उनको फर्स्ट क्लास का किराया दिया जाता है ताकि वह अपनी कान्स्टीट्यून्सी में जाकर अपनी कान्स्टीट्यून्सी को नर्स कर सकें उसकी सेवा कर सकें। नर्स तो क्या वह करते है, उसको नष्ट करते हैं। सच पूछा जाये तो कोई जाता नहीं है। अभी तक कोई भी अपना पैसा लगाकर वहां नहीं जाता है। पिछले एलेक्शन में, इंगलैन्ड में एटली जब अपनी कान्स्टीट्यून्सी में जाते थे, तो अपनी पुरानी कार में जाते थे। वह सरकारी गाड़ी में नहीं जाते थे। सरकारी खर्चे पर अपनी कान्स्टीट्यून्सी का दौरा नहीं करते थे। हम लोग डेमोक्रेसी लोकतन्त्र चलाने के लिये कहते हैं, परन्तु इसके लिये हमारे पास बहुत कम मसाला है। हमको ऐसी बातें करनी चाहिये जिसका आदर्श हम लोगों के सामने रख सकें। अब हमको फर्स्ट क्लास का किराया दिया जाता है, चाहे हम जिस क्लास में चलें। इससे करप्शन (भ्रष्टाचार) बढ़ेगा। हम करप्शन कैसे रोक सकते हैं। जब हम स्वयं करप्ट होंगे, तो दूसरों का करप्शन कैसे रोक सकेंगे।

ऐसी अवस्था में देखना चाहिये कि हम को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिये जिनसे अनैतिकता बढ़े। नैतिकता बढ़े, तो ठीक है, लेकिन अनैतिकता बढ़े, तो इससे देश की हानि ही होगी। गांधी जी की बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन गांधी जी तो चले गये, और सिर्फ कहने के लिये ही उनकी बातें कहते हैं, मगर उनकी बातों पर कितने लोग चलते हैं, यह भी देखने की चीज है। ऐसे बहुत ही कम हैं जो कि गांधी जी के सिद्धांतों का आज पालन कर रहे हैं। इसलिये यह बिल बहुत असामयिक है, अनटाइमली है। इसमें

बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिये, जिससे लोग गाली न दें। बस इतना ही मुझे कहना था।

*श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने और इस पर आये हुये प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है, उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्यों कि इस बिल के विरोध में जो कुछ कहा गया है, उसके लिये केवल यही सार निकलता है कि सरकारी रुपये का किसी तरह से दुरुपयोग न हो। मैंने केवल इतना ही समझा है। माननीय मन्त्रियों ने सरकारी रुपये का दुरुपयोग इस प्रकार से बचाया है, जो कि इन लोगों की समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है कि इस हाउस में जिस दिन कम सदस्य उपस्थित रहते हैं, उस दिन ५ घंटे के बजाय दो ढाई घंटे में ही कोई बिल पास हो जाता है। इस तरह से जो काम १० दिन में होता है, वह ६ दिन में ही पास हो जायेगा। माननीय सदस्यों को क्षेत्र में जाने से डबल किराया दिया जायेगा, यह बात नहीं है, बल्कि वह इससे कम ही पड़ेगा। अगर १० दिन बैठक होगी तो १० दिन का भत्ता १०० रुपये मिलेगा, लेकिन अगर ६ दिन ही बैठक होगी, तो उन्हें ६० रुपये मिलेंगे और इस तरह से हमारे सदन का रुपया बच जायेगा। जब हम यहां रहते हैं, तो व्यर्थ में वक्त बढ़ जाता है और जब यहां नहीं रहेंगे तो अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जैसा अभी बतलाया गया है कि जिलों में अनेक प्रकार की मीटिंग्स होती रहती है और इस तरह से, हम लोग वहां पर बहुत कम काम कर पाते हैं और यहां पर व्यर्थ बैठे रहते हैं। जो पैसा हम इस तरह से लेते हैं, उसका दूसरी जगह सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिये उस रुपये का सदुपयोग ही होगा।

जो मकान के बारे में कहा गया है कि यहां पर रहने के लिये मकान मुफ्त में दिया जायेगा, तो मैं कहता हूं कि मकानों की कमी के कारण मकान जरूर मिलने चाहिये। हम यहां पर लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से रहते हैं और १०, ५ आदमी हर एक सदस्य के यहां आते ही रहते हैं। इसलिये उन लोगों के भी काम ये कमरे आते हैं। हमारे क्षेत्र से जो लोग आयेंगे, उन्हें भी इन कमरों की वजह से आराम मिलता है, फिर इस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग होता है। जो हमारे साथ आते हैं या जो हमारे साथ काम करते है, उन्हें यहां रहने के लिये स्थान मिलता है। इस तरह से जो स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सुविधा मिलने वाली है, वह भी ठीक है। अगर हम रोगी रहते हैं, तो अच्छी तरह से अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। पैसों की कमी के कारण बहुत से सदस्य अपना ठीक इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन अब वह अपना इलाज ठीक करा पायेंगे और अपने क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरह से रोगी रह कर जो काम नहीं कर सकते हैं, वे स्वस्थ रह कर सेवा कर सकेंगे। इसका दुरुपयोग तो इस रूप में होगा, अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। लेकिन जो सुविधा दी गयी है, उससे हर एक से यह आशा की जानी चाहिये कि वह सही तरीके से काम करेंगे। हम लोगों को इस लिये यहां भेजा जाता है कि हम उनके लिये काम करेंगे।

माननीय मन्त्रियों और उप मन्त्रियों के सम्बन्ध में भी कहा गया है। लेकिन उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं कि जब माननीय मन्त्री दौरे पर रहते हैं, तब भी उनके पास फाइलें रहती हैं। अगर उनको और थोड़ी सी सुविधा दी गयी, तो इससे फायदा ही होगा।

जब मैंने यह सुना कि इस तरह का बिल आ रहा है, तो मैंने हिसाब लगाया और इस नतीजे पर पहुंचा, कि हर एक सदस्य को पहले से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। यदि माननीय मन्त्रियों को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो उससे उन्हें और कार्य करने में सुविधा मिलेगी। इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है, बल्कि सदुपयोग हुआ है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राम नन्दन सिंह]

तो इस तरीके से मैंने जहां तक हिसाब लगाकर देखा है, इस सम्बन्ध में इस बिल के आने से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है, बल्कि सदुपयोग हुआ है। यदि माननीय सदस्य इस तरह से इसका हिसाब लगावें, तो उन्हें इसका परिणाम मालूम हो सकता है और कुछ दिनों के बाद यदि हिसाब लगाकर देखा जाय, तो माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कितना इसका सदुपयोग हो रहा है, यह तो हिसाब लगाने से आंका जा सकता है। इस प्रकार से मैंने हिसाब लगाया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को लाकर के बड़ी बारीकी से सरकारी पैसे का सदुपयोग किया है। हां, एक बात अवश्य है कि जो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सकेंगे या समझने की कोशिश नहीं करेंगे और केवल प्रचार करने की भावना से किसी चीज को देखेंगे, तो प्रचार करने वालों के लिये यह बहुत ही सुन्दर मसाला है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--जिसके दिमाग नहीं होगा, वही इन बारीकियों को देख सकता है।

श्री राम नन्दन सिंह--अभी जैसा कि विरोधी पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया है कि सेशन काल में जो पैसा दिया जाता है, वह यदि हमेशा दिया जाता, तो सिद्धान्त का प्रतिपादन होता। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के सिद्धांत के प्रतिपादन से तो खर्चा और भी बढ़ेगा। तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रकार से जो सिद्धांत की दोहाई दी गई है, उनमें अपने कार्यों की दोहाई दी गई है। हर प्रकार के दृष्टिकोण से विचार करने पर, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्री जी ने इस बिल के द्वारा पैसे का दुरुपयोग बचाया है और इसको सदुपयोग पर लगाया है। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और जो इस सम्बन्ध में समय बढ़ाया गया है, उस प्रस्ताव के जरिये कि यह एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, उससे नाहक में समय बढ़ेगा, क्योंकि अन्त में तो हमें इसी नतीजे पर पहुंचना होगा, इसलिये यह प्रस्ताव इस समय अनावश्यक है। इसलिये हमें इस पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि सदन के लिये यही उचित है कि वह इस बिल को इसी तरीके से पास कर लें।

श्री प्रभु नारायण सिंह--"आन ए प्वाईन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन" मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने मेरा नाम भी रेफर किया था और अभी एक माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि विरोधी पक्ष की ओर से यह बात कही गयी कि सेशन काल में जितना समय मिलता है, सूबे के दौरे के लिये, यदि वह सिद्धान्त हमेशा के लिये होता, तो एक सिद्धांत की बात होती। मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही है, यह उनके समझने की गलती है। हमने तो यह कहा था कि यह सिद्धांत की बात नहीं है कि यदि कोई दौरे पर दूसरी जगह हो और सेशन में भाग न लें, तो उनको सेशन के लिये पैसे दिये जायं।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेयरमैन साहब, मैं तो अपने रास्ते में सिर्फ यही एक सूरत देखता हूं कि मैं अर्ज करूं कि मैं इस बिल का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं जरूर इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मातहत अपने ख्यालात के। जनाबवाला, यह बिल इस ऐवान में कई बार आ चुका है और अब को दफा नई तर्ज, नई अदा, और नयी तब्दीलियों के साथ आया है। मेम्बरान ने हद से ज्यादा अपने ख्यालात का इस पर इजहार किया। किसी ने इस की मुखालिफत की और किसी ने इसके मुआफिकत में आवाज उठाई। क्लाज ६ को अपनी नजरों के सामने रखकर, उस पर अर्ज करूं। जिस वक्त मैंने बिल पढ़ा और पढ़कर ख्याल किया तो मेरे सामने एक सूरत नजर

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

आई कि मैं अपने ख्याल को आपके सामने पेश करूं जिससे कि इस बिल की पूरी तस्वीर आपके सामने खिंच जायेगी ।

लेकिन मैं इस कील काल में न पड़कर व ज्यादा शोर न पैदा कर कहूंगा कि कांग्रेस ने जो कुरबानी की है, जिन्दगी का नमूना इन्सान के सामने पेश किया है कि जिन्दगी क्या चीज है, तो उसके लिये मैं कुछ बुजुर्गों के कौल आपके सामने पेश करूंगा। जौब सेन्टेनी ने कहा है :—

"Life is not a spectacle or a feast. It is a predicament."

जिन्दगी आसान नहीं है । शेक्सपियर कहता है :

"Life is, but a walking shadow. The poor player that struts, frets his hour on the stage and then is heard no more."

शैली कहता है—

"Life like a dome of many coloured glass strains the whole radiance of eternity."

अगर इन्सान अपनी जिन्दगी के नमूने को जिन्दगी की तरह से नहीं बनाता है, तो वह इन्सान क्या रहेगा। कासेस ने ब्रूट्स से सवाल किया था—

"Can you see your face ?

Brutus—Eye sees not it Sir, unless without....reflection."

आज हम अपनी जिन्दगी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज जमाने वाले हमारी जिन्दगी को क्या देख रहे हैं। इस पर नजर करनी चाहिये। अगर जमाने के साथ अपनी जिन्दगी नहीं बनाई जाती, तो हम जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज हमें जमाने की तरफ ख्याल करना चाहिये। जमाने वाले आज, हम लेजिस्लेचर्स को किस नजर से देखते हैं ? डेमोक्रेसी के जमाने में डेमोक्रेसी की हालत की तरफ हमें देखना पड़ेगा और उसकी तरफ नजर करनी पड़ेगी। जनाब वाला, जमाना बहुत नाजुक है। उसे दोनों ही हाथों से थामना होता है। आपको हमारा ख्याल करना चाहिये। फारेन कन्ट्रीज में लेजिस्लेचर्स को बेइंतहा सहूलियतें दी गई हैं । उनकी इन्कम हमारी इन्कम से कहीं ज्यादा है। मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मुझे एतराज जो है, वह यह है कि जिस तर्ज से यह लिखा गया है, उस तर्ज से मुझे एतराज है। जैसा कि वाजपेयी जी ने फरमाया, मैं उससे बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं। बजाय उनको यह सहूलियत दें कि उनको डबल फेयर दिया जाय, उनको पास देना चाहिये। आप कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप ४ या ५ साल का खाता अपना देखिये और मालूम कीजिये कि लेजिस्लेचर्स पर आप कितना खर्च करते हैं और उसका एवरेज निकाल लीजिये, उसके हिसाब से आप पास दीजिये। कोई भी शख्स इस पर एतराज नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी दरख्वास्त को मन्जूर कर लेगी। यह सही है कि लोग जाते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी मुश्तबा दिखाई देती है। कहने-सुनने में बुरी मालूम होती है। आप कोई हरकत ऐसी क्यों करें जो दूसरों की निगाह में खटके। मैं और कुछ अर्ज करता, लेकिन मेरा बोझ प्रभु नारायण जी ने हल्का कर दिया। वे इस बात को मानते हैं और ठीक मानते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर के जो आफिसर्स हैं, उनकी इज्जत माकूल होनी चाहिये और उनको पे भी काफी देनी चाहिये । कन्वेएंस काफी देना चाहिये और कम्पेन्सेशन रेजीडेन्स का अच्छा देना चाहिये। मैं इसको बहुत मुबारक समझता हूं और उसकी ताईद करता हूं। जब मैं उसकी ताईद करता हूं, तो मैं यह मानता हूं कि यह सही है कि लेजिस्लेचर के आफिसर्स की पोजीशन और डिप्टी मिनिस्टर की पोजीशन

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

एक है। जब एक है, तो कुछ कहने का मौका नहीं है। हां, एक ज्यादती जरूर है। पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी बेचारा एक है, दो भी नहीं हैं। उनका आपने कन्वेएंस अलाउन्स कम कर दिया है। मुझे मालूम होता है कि कहीं छपने की गलती तो नहीं है। अगर छपने की गलती है, तो ठीक हो सकती है। अगर नहीं है, तो उसको उस मुकाबिले में कर देना चाहिये।

श्री कुंवर गुरु नारायण--पार्लियामेंन्ट्री सेक्रेटरी की पोस्ट ही अबालिश कर देनी चाहिये।

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--वह एक तो है बेचारा, दूसरा है नहीं। यह चीज मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं यह सिफारिश करूंगा कि यह दुरुस्ती कर दी जाय। हमारे दोस्त ने कहा कि हमारी फेमिली कुछ और, और मिनिस्टर साहब की फेमिली कुछ और। आपकी वही और मिनिस्टर साहब की वही। लेकिन आप अपनी फेमिली लेकर आते नहीं, तो क्या वहां पर दिया जाय। अरे टेलीफोन से कह सकते हैं। मैं अपने ख्यालातों को दबा करके इस बिल की ताईद करता हूं।

श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से इस सदन में इस बिल के बारे में बहुत गौर से बहस सुन रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं। मेरी समझ में जो कुंवर साहब ने यह संशोधन रखा कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय, यह बहुत ही सुन्दर है, क्योंकि मैं इसमें बहुत खराबियां देखता हूं। मैं देखता हूं कि आज जब हमारे इस प्रदेश में हमारे भाइयों के लिये कोई दवा-दर्पण का इन्तजाम नहीं है, तो मैं तो इस बात को जलालत समझता हूं कि मैं उनकी तरफ से चुन कर आया हूं और मैं वह आराम लूं जो अपने गरीब भाइयों को नहीं दे सकता हूं। मैं ११ जिलों का प्रतिनिधि हूं और मैंने देखा है कि मेरे गरीब भाइयों की दवाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं अपने ही शहर के अस्पताल की एक मिसाल देता हूं, जो अखबारों में आपने पढ़ा होगा। उसमें एक गरीब भाई के लड़का पैदा हुआ। वह लड़की से बदल दिया गया, क्योंकि वह बड़े आदमी की लड़की थी। लेकिन उस गरीब आदमी ने जब शोर मचाया, तो फिर सिविल सर्जन वगैरह ने यह निश्चय किया कि लड़का उस गरीब आदमी का ही है। तब वह आदमी जिसकी लड़की थी, उसको छोड़कर चला गया। तो जब गरीबों के लिये कोई भी दवा करने का हमारी सरकार ने निश्चय नहीं किया है, तो हम लोगों का इस आराम को लेना अनुचित होगा और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य सब इस राय के होंगे कि हम लोग अपने भाइयों को जो सुविधा नहीं दे सकते, उसके लेने के लिये खुद न तैयार हों।

इसके अलावा, मैंने यह देखा कि उसमें दूसरी खराबी यह है कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज को अब जो वेतन मिलेगा, वह डिप्टी मिनिस्टर के मुकाबिले में मिलेगा और उनकी फेमिलीज को जो सुविधायें दी गई हैं, वही उनको भी मिलेंगी। तो क्यों नहीं मेम्बरों की फेमिली के लिये वह सुविधायें दी गई हैं। मेरे दोस्त ने ठीक ही कहा है कि मेम्बर्स की फेमिलीज को भी वही सुविधायें मिलनी चाहिये, जो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हैं। दारुलसफा का किराया नहीं लिया जायगा और बिजली का लिया जायेगा, तो मैं समझता हूं कि यदि किराया लिया जाता तो बहुत ही उचित था। एक तो किराया कोई ज्यादा नहीं था। कुल १२५ रु० एक-एक सदस्य को साल भर में देना पड़ता है और अब बिजली पंखा, व हीटर का लिया जायेगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको हटाकर अपने खिलाफ एक अपोजीशन पैदा कर लिया है और हम लोगों से जैसे किराया लिया जाता था, वैसे ही लिया जाता, तो बहुत सुविधाजनक था। मगर आज जब हमारी सरकार चिल्ला रही है कि बचत करो बचत करो, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक तरफ तो खर्चा बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ बचत की बात कही जाती है, तो इससे यह संभावना

होता है कि जनता के लिये बचत चाहते हैं और अपने लिये बचत नहीं चाहते हैं। जब वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने जा रहे हैं, तो आज जो बचत बचत चिल्ला रहे हैं, तो उससे क्या नहीं समझा जायगा कि यह गरीबों के लिये पैसा नहीं है, परन्तु अपने लेने के लिये उनके पास काफी सुविधायें हैं, काफी ताकत है, अपने लेने के लिये कानून बना सकते हैं, परन्तु गरीबों को देने के लिये तैयार नहीं हैं। आज अस्पतालों में आप देखते हैं कि गरीबों के लिये वहां पर कोई भी जगह नहीं रखी गई है और यदि मालूम हो जाय कि फलां मिनिस्टर का रिश्तेदार है, तो उसका जिस तरह से आदर होता है, वह खुद मैं अपने शहर में और लखनऊ तक में देखता हूं। जब हम यह सुविधायें अपनी जनता को देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो माननीय मन्त्रियों को यह सुविधायें नहीं लेनी चाहिये, चाहे यह बिल पास भी हो जाये।

(इस समय ३ बजकर २ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसके अलावा मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश में ५२ जिले हैं, उसमें २७ मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज हैं, यानी दो-दो जिले पर एक-एक हैं। दो कलेक्टरों के ऊपर एक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी है, बल्कि एवरेज में इससे ज्यादा ही पड़ जायेगा। तो जब इतने ज्यादा मिनिस्टर्स, पार्लिमेन्ट्री सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं और चिल्लाया जाता है कि बहुत अधिक काम है, तो मैं समझता हूं जितने पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज हैं, उनको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया जाय, जिससे उनको भी वही सुविधायें मिलने लगें और उनको भी वही एलाउन्सेज वगैरह का हक हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं श्री कुंवर गुरु नारायण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, जिससे वहां अच्छी तरह से इस पर विचार विनिमय होने के बाद यह बिल यहां आये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त, विद्युत्, बन तथा सहकारी मन्त्री)--मुझे जनाब के जरिये से यह गुजारिश करनी है कि इस मोशन के खत्म होने पर बाकी कार्यवाही कल के लिये रख ली जाय।

***श्रीमती तारा अग्रवाल** (नाम निर्देशित)--माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक सदन के समक्ष उपस्थित है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। आज सुबह से जो वादविवाद हो रहा है, मैं समझती हूं कि वाकई में राजनीतिक प्वाइन्ट आफ व्यू से उसमें बहुत ही लच्छेदार बातें मालूम पड़ती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाय, तो वह तथ्यहीन है। क्योंकि जो विधेयक में सुविधायें प्रदान की गई हैं, वह नहीं के बराबर हैं। ऐसी मामूली सुविधाओं से कोई ऐसा ज्यादा धन व्यय होगा यह मैं नहीं समझती हूं। इसमें पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज तथा उप-मन्त्री को वेतन के सम्बन्ध में जो सुविधायें दी गई हैं, वह केवल डेढ़ सौ रुपये तक रखी गई हैं, इसके साथ ही साथ १०० रुपये तक मकान का किराया देने का निश्चय किया गया है। यह १०० रुपया आज के समय में जबकि एक-एक शहर में एक-एक कमरे का किराया ५०, ५० रुपया है, तो ऐसी स्थिति में केवल १०० रुपया मासिक किराये की सुविधा देना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, जिसकी वजह से इतनी टीका-टिप्पणी हो रही है। इसके साथ ही साथ जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट होने के लिये कहा गया है, मैं समझती हूं कि आज हमारी दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं, उपचार करने में इतना अधिक व्यय होता है कि कोई भी मामूली रोग का निदान, जैसा कि होना चाहिये, वह नहीं हो सकता।

इसके साथ-साथ सदस्यों के रहने के लिये फ्री क्वार्टर्स की बात कही गई है। मैं समझती हूं कि वास्तव में यह उनको मिलना चाहिये। अगर हम उनको एक जिम्मेदारी के पद पर बिठालते हैं और जनता द्वारा सम्मान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम

---

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

उनको सम्मान के लिये सुविधा दें। एक तरफ हम उनको जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, दूसरी तरफ सुविधाओं से वंचित करना चाहते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूं कि जो सदस्य और पार्लियामेंन्ट्री सेक्रटरी जनता के जिम्मेदार हैं, उनका कर्तव्य अपने परिवार के लिये कुछ भी नहीं है, क्या उनका कर्तव्य अपने बाल बच्चों की देख–रेख करना नहीं है। वह भी समाज के अंग है, तो क्या वजह है कि वह सुविधा न पा सकें। आपने देखा होगा कि वे रात को २,२ बजे तक फाइल उलटते रहते हैं, जब कि सारे शहर के लोग आराम करते हैं, तब हमारी जनता मिनिस्टर्स के लिये कुछ नहीं कहती है और ज्यादातर अगर कहेगी तो यह कि उनका काम है, पैसे मिलते हैं। तो अगर हम उनको एक स्तर पर रखना चाहते हैं, जो जनता के अनुकरण के लिये आवश्यक है, तो उनके लिये साधन दें। इसमें कोई बड़ी रकम या सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसकी इतनी लम्बी–चौड़ी आलोचना की गई है। हां, मेम्बरों के रहन-सहन के लिये फ्री क्वार्टर्स लखनऊ में दिये गये हैं। अभी तक हम लोग किराया दिया करते थे। क्या उसे हम जनता के पैसे का दुरुपयोग समझते थे ? जो किराया हम देते थे, वह हमारे लिये ठीक था। क्या हमने उसका विरोध किया ? हमने कभी कहा कि यह नाममात्र का किराया है, उससे अधिक लिया जाना चाहिये ऐसी बात नहीं है। अब जो पानी–बिजली का खर्चा होगा, वह हमसे लिया जायेगा, केवल रहने के लिये फ्री क्वाटर मिलेगा। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि मेम्बर्स वहां परमानेन्टली नहीं रहते थे, वह थोड़े दिनों के लिये यहां आते थे। तो २०० रुपये में वह किस प्रकार से वहां का किराया देते और किस प्रकार से यहां का इन्तजाम करते, इस तरह से उन पर डबल भार किराये का हो जाता, अब इस प्रकार से उनको एक सुविधा दी जा रही है।

जहां तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कही गई है, मैं एक अस्पताल कमेटी की सदस्या हूं, मैं जानती हूं कि जितनी दवादारू की सुविधायें मिलती है वह मामूली सुविधायें होती हैं और जनता के पैसे का बड़ा उसमें भार नहीं पड़ता है। हां, अगर कोई माननीय सदस्य ऐसा न करना चाहे, तो उनके लिये दान तो हमेशा ही खुला रहता है। आज हमको इस बात को देखना चाहिये कि आज हमारी जनता की सरकार है और हम जनता द्वारा चुन कर आये हैं, तो उनका रहन–सहन क्या हो और जब उन पर जिम्मेदारी आती है, उस समय अगर सुविधा न दी जाय, तो यह भी भय है कि वह जिम्मेदारी के काम में कम समय देंगे। जितना उनको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिये और जितना उनको यहां आ कर विधेयकों का मनन करना चाहिये और जितना सरकार के कार्यों में हाथ बंटाना चाहिये, उतना वह नहीं कर पायेंगे। इसका मतलब यह है कि हाउस में बैठते हुये भी वह नहीं के बराबर होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिये जो इस विधेयक में सुविधा दी जा रही है, वह बहुत आवश्यक है और उसे अवश्य रखा जाय। इन शब्दों के साथ संशोधन का विरोध करते हुये, जो प्रस्तुत विधेयक है, उसका पूर्ण रूप से मैं समर्थन करती हूं।

*श्री हृदय नारायण सिंह (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय हमारे सामने है, उसपर निश्चित रूप से कुछ कहना बहुत कठिन जान पड़ता है। साथ ही चूंकि विधेयक अपने स्वार्थ में भी है और दूसरों के बारे में भी है, रुपये पैसे का लोभ अपने लिये भी है, ऐसी अवस्था में पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना कठिन मालूम होता है, क्योंकि हमारे ऊपर जनता का भार है, जनता का प्रतिनिधित्व भी हम करते हैं। जो हम दूसरों को उपदेश देते हैं, तो हमें यह देखना चाहिये कि उस पर कहां तक हम अमल कर रहे हैं। हमारे देश में सादा भोजन और सादा जीवन का लक्ष्य सदैव से रहा है। महात्मा गांधी ने भी हमें सादा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी है और उनका जो मान इस देश में और दूसरे देशों में हुआ है, वह उनके सादा जीवन होने की वजह से ही हुआ है और यह हम इसलिये कहते हैं कि हम में से सभी महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाले हैं। लेकिन जिसको ओर महात्मा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

गांधी जी ने ध्यान खींचा है, हमें उसकी ओर से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिये। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि हम सभी महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी बातों को इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिये। फिर अभी हमने अपने देश को सोशलिस्ट पैटर्न पर चलाना स्वीकार किया है और उस सिद्धांत को माना है, इसलिये हमको उस ओर भी देखना है। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस विधेयक को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जो यह विधेयक है या अन्य सुविधायें जो इसमें हम निश्चित कर रहे हैं, वह जनता की सुविधाओं के मुकाबिले में क्या हैसियत रखती हैं। हमको यह देखना चाहिये कि जो जनता की सुविधायें हैं, उनसे यह कहां तक मिलती जुलती हैं। यह सब बातें ऐसी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है और यह विचार दो चार घंटे की बैठक में नहीं हो सकता है। इसलिये कुंवर गुरु नारायण जी का जो विचार है कि एक सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द इसको किया जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित विचार है और इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना बहुत आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि हम लोग केवल जनता के कष्टों को सरकार तक पहुंचा देने के लिये ही प्रतिनिधि नहीं हैं, परन्तु हम जनता के प्रतिनिधि इस रूप में भी हैं कि जो जनता का पैसा है, उसका यदि अपव्यय होता है, तो हम इसके लिये भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जो कुछ व्यय होता है, उसको ठीक तौर से नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। जनता हमको उसी वक्त तक विश्वासपात्र मानेगी, जब तक हम उसके दिये हुये उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभाते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इधर कुछ दिनों में हमने, देश सेवा का जो ऊंचा आदर्श है, उसको भी कुछ नीचा कर दिया है। मैं समझता हूं कि देश-सेवा का और त्याग का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि हमने देश-सेवा की है, कुछ त्याग किया है, तो यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि किसको इसका अवसर मिलता है कि वह अपना सब कुछ त्याग करके, यहां तक कि अपना घर-बार भी छोड़ करके, देश-सेवा कर सके। लेकिन अगर हम अपनी इस देश-सेवा के लिये या त्याग के लिये कोई मूल्य निर्धारित करते हैं, उसके लिये कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या अन्य किसी प्रकार से सांपत्तिक लाभ पहुंचाते हैं, तो मैं समझता हूं कि देश-सेवा का जो ऊंचा स्थान है, उसको हम कुछ थोड़ा सा नीचा गिराते हैं। इस कारण जो आज हमारे सम्मुख बिल प्रस्तुत है, मैं उसको कुछ बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। आज हम चाहे सड़कों पर चलें, चाहे ट्रेन में चलें या और कहीं भी बैठे हों, जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह हमको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। वह कहते हैं कि यह तीसरी श्रेणी में यात्रा करते हैं और भत्ता लेते हैं प्रथम श्रेणी का। विधायक सदन बना तो है इनके रहने के लिये, लेकिन इनमें इनके मित्र लोग रहते हैं। जब वह यह सुनते हैं कि विधायक सदन के बिजली का खर्च हजारों रुपये का होता है, तो कहते हैं कि कैसे इतना अधिक खर्च करते हैं। इसलिये जनता का हृदय हमारे लिये आदरपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूं कि इस विधान के द्वारा हमारे प्रति जो आदर जनता के हृदय में है, वह और भी कम हो जायेगा। इन समस्याओं पर विचार करने के लिये मैं समझता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। वहां पर अगर हम इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और तब इसको सदन के सामने लाया जाये, तो उसके ऊपर हम फिर विचार करेंगे और अगर वह स्वीकार करने के योग्य होगा, तो उसको मान लेंगे। इस समय जल्दी में मैं समझता हूं कि इसको पास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि जो यह कहा जाता है कि देश गरीब है, तो वास्तव में वह गरीब नहीं है। यहां पर जो व्यय होता है योजनाओं में या दावतों में या और कहीं, उनके देखने स मालूम होता है कि हमारा देश गरीब नहीं है। इस बिल के देखने से भी मालूम होता है कि हमारा देश गरीब नहीं है। उनको देखने से यह नहीं मालूम होता है कि यहां पर लाखों व्यक्ति ऐसे हैं, जो एक समय भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

ऐसा प्रतीत हो नहीं होता है बल्कि कभी-कभी स्कीमें भी ऐसी निकलती है। अब सारनाथ में जो रुपया लगाया जा रहा है उसको ही देख लीजिये। यह ठीक है कि सारनाथ संसार में एक प्रसिद्ध स्थान है और दूसरों को आकृष्ट करने के लिये ही वहां पर रुपया व्यय किया जा रहा है। लेकिन जितना रुपया वहां पर व्यय किया जा रहा है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, तो थोड़े दिनों के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये। जहां पर सड़के नहीं है, वहां पर पहले बननी चाहिये। विश्वविद्यालयों के पास अपनी इमारतें नहीं है, उन्हें इमारतों के लिये धन की आवश्यकता है। इन सब बातों को देखते हुये ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा देश धनधान्य से पूर्ण है। उपदेश देने के लिये तो अध्यापकों से कहा जाता है कि उन्हें त्याग करना चाहिये, लेकिन उनसे पहले हमें स्वतः इस पर अमल करना चाहिये, तभी उन पर असर पड़ेगा। इस तरह से हमारी बातें दूसरों पर असर करेंगी, नहीं तो वैसे कुछ भी असर नहीं करती हैं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार होने की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहता कि इस विधेयक के पक्ष में कोई बात नहीं है। इस विधेयक के पक्ष में भी कुछ बातें है, और विपक्ष में भी है। लेकिन दोनों पर संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता है। इस विधेयक के पक्ष में भी विचार करना है। १८ वीं सदी में जो लेजिस्लेचर्स होते थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती थी और इतने पेचीदगी के काम भी नहीं होते थे, जितने आज हो गये है। १८ वीं सदी में बर्क इत्यादि ओरेटर्स थे, उन्होंने जो दो एक भाषण दिये हैं, उन्हीं की वजह से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। लेकिन आज इस स्टेट में ही नहीं बल्कि यूनियन में भी जो कानून बन रहे है, वे बड़े पेचीदगी के होते है। एक के बाद दूसरा अमेंडमेंट होता है और वे आवश्यकतानुसार आते ही रहते हैं। अब काफी लेजिस्लेशन का काम होता है, जिसके लिये काफी स्टडी की आवश्यकता है।

अभी कुछ दिन पहले मोलेसेज का एक छोटा सा बिल यहां पर आया था। जो व्यक्ति उस पर तैयार होकर बोलना चाहते थे, उन्हें थोड़ा सा तैयार होने की आवश्यकता थी कि किस तरह से दूसरे देशों में इस पर रिसर्च इत्यादि की जाती है। इसके लिये अध्ययन की आवश्यकता थी। काम पहले से बहुत कम्प्लेक्स्ड हो गये है। इसी तरह से लेजिस्लेटर्स को अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाकर लोगों की जो दिक्कतें और शिकायतें हैं, उनसे अपने को अवगत कराना पड़ता है। यह नहीं हो सकता है कि वह इस सदन में बैठ कर सभी जगहों की खबरें लेता रहे और उन्हें यहां वेन्टीलेट करता रहे और अगर कोई बात गवर्नमेंट अधिकारियों तक पहुंचानी है, तो वह नहीं पहुंचा सकता है। उन्हें स्वतः जाना पड़ता है और इस तरह से उनका यह एक होल टाइम काम हो गया। मैं देखता हूं कि बहुत लोग पहले एक प्रोफेसन को संभाले हुये थे, लेकिन अब मेम्बर बनने के बाद उन्हें वह छोड़ना पड़ा है। जो वकालत करते थे, उन्हें वह छोड़नी पड़ी। जो व्यक्ति असेम्बली में आ जाता है, उसे अपने घर तक के काम छोड़ने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने अर्थोपार्जन के साधन छोड़ देता है, उसके लिये थोड़ी सी सुविधा जरूर होनी चाहिये। हम यह भी देखते है कि लोग जन-सेवा की भावना से ही यहां आते हैं। चुनाव वगैरह में जो उनका मूल उद्देश्य होता है, वह यह होता है कि हम असेम्बली में जन-सेवा के लिये जा रहे हैं। लेकिन जो चुनाव में व्यय होता है, वह इतना अधिक होता है कि इस सारे सिस्टम में ही बड़ी खराबी मालूम होती है और चाहे कैसा भी त्यागपूर्ण भाव का व्यक्ति आये, लेकिन उसको भी व्यय करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि लोगों को इतना व्यय करना पड़ता है कि शायद जो दो सौ रुपये उनको महीने के मिलते हैं, उससे वह अपना पूरा व्यय नहीं संभाल सकते हैं। फिर जब कि सेशन वगैरह काफी लम्बे चलते हैं, तो उनको स्वतः नहीं रहना पड़ता है, उनको अपना नौकर भी लाना पड़ता है और कभी-कभी तो उनको अपना पूरा परिवार भी लाना पड़ता है और इस प्रकार सब के व्यय के भार को संभालना उनके लिये कभी-कभी बड़ा कठिन हो जाता है, व-

कि यहां पर सभी लोग धनी नहीं हैं, उनको आर्थिक कष्ट होता है और यदि इस तरह से वे इस तरफ से थोड़ा सा डिसिन्क्लिन्ड न हो पायें, तो जो लेजिस्लेशन का काम है, उसको वह अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। यह थोड़ी सी बातें हैं, जो कि इस विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन और भी बातें जो कि विपक्ष में हैं, उनके ऊपर विचार करने की काफी आवश्यकता है। जैसे रेल का किराया है उसमें अब काफी अन्तर हो गया है और पहले जो भत्ता मिलता था, वह अब नहीं रह गया है, जो कि करीब-करीब अब आधा हो गया है। जिसको पहले ८० रुपये भत्ते के मिलते थे उनको अब ४० या ४५ ही मिलते हैं इसलिये विधेयक में दुगना कर दिया है, इस वजह से कि रेल के किराये में अन्तर हो गया है। इस वजह से धन व्यय करने के लिये भी ऐसी सुविधा होना आवश्यक है। वैसे तो जहां तक पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टरों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उनका काम तो पूरे २४ घंटे का है और उनको एक वेतन सम्मानपूर्वक मिलना ही चाहिये। जो बातें उनके विषय में कही गयी हैं, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं और उसका किसी प्रकार विरोध भी नहीं किया जा सकता है और यदि उनकी समालोचना होती है, तो वह भी युक्तिसंगत नहीं है। एक तो वह विशिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनसे उनको व्यवहार करना पड़ता है, इसलिये उनके वेतन में थोड़ा वृद्धि होना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर एक सरकारी कर्मचारी को ६ या ७ सौ मिलते हैं और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री को ३ या ४ सौ ही मिले, तो मैं समझता हूं कि वह सरकारी कर्मचारी उनका विशेष ख्याल नहीं रखेंगे, उसका कारण यह है कि आजकल बहुत कुछ सम्मान तो वेतन पर ही निर्भर रहता है। आजकल हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का बना हुआ है कि उसमें किसी का सम्मान उसकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान करने से आंकी जाती है। इसलिये यदि उनको थोड़ा सा अधिक वेतन मिल जाता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बात तो वेतन की नहीं है, बल्कि बात कार्य करने की है और नेकनियती और कार्यक्षमता से काम करने की बात है और इस तरह से मैं समझता हूं कि इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस बिल के विपक्ष में जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि यह विधेयक अनुचित समय पर आया है। जब पहले पहल यह विधेयक आया था, यदि उसी समय यह सब बातें इस विधेयक में आ गयी होतीं, तो आज इस प्रकार से टीका-टिप्पणी और आलोचना जो हो रही है, वह न होती। लेकिन, फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस पर पक्ष और विपक्ष, दोनों ही बातें हो सकती हैं और हैं, इसलिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ऐसी हालत में इस बिल को जल्दी में पास करना ठीक नहीं होगा। इसलिये इस बिल पर बोलते हुये, श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री परमात्मा नन्द सिंह (सभा सचिव, समाज-कल्याण तथा श्रम मन्त्री)--माननीय सभापति महोदय, आज इस भवन में जिस विषय पर विवाद हो रहा है, मैं उसको बड़े चाव से सुनता रहा, परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। जो बिल इस समय हमारे सामने प्रस्तुत है, उसमें मिनिस्टर का वेतन वही है जो पहले था, डिप्टी मिनिस्टर का वेतन वही है, जो पहले था, डेढ़ सौ रुपया, जो उनको पहले कार का आलाउन्स दिया जाता था, वही अब भी दिया जायगा और १०० रुपया जो उनको पहले मकान का कम्पेनसेशन दिया जाता था, वही अब भी दिया जायगा। पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी को जो पहले ६०० रुपये दिये जाते थे, वही अब भी दिये जायेंगे और १०० रुपया जो पहले मकान के लिये दिया जाता था, वही अब भी दिया जायेगा। इसके अलावा इन लोगों के परिवार के लिये दवा इलाज का भी प्रबन्ध था। जिस समय सभा सचिव की ये व्यवस्थायें थीं उस समय हमारा नया संविधान लागू नहीं था। अब संविधान के अनुसार उसको एक वैधानिक रूप देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं तो समझता हूं कि इस बिल

[श्री परमात्मा नन्द सिंह]

से कोई भी खास अन्तर नहीं पड़ सकता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एतराज की बात नहीं है। इस समय जो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी मुकर्रर होता है, वह सरकार के आर्डर स होता है। लेकिन कान्स्टीट्यूशन मे यह बात साफ न होने की वजह से और इसको एक वैधानिक रूप देने के लिये इसको यहां पर एक विधेयक की शक्ल में लाया गया है। दवा व इलाज होता है, पहले से भी होता रहा है, परन्तु इससे किसी प्रकार के संदेह को मिटाने के लिये और कानूनन बनाने के लिये और लेजिस्लेचर की मन्जूरी के लिये, यहां पर पेश किया गया है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या अभी तक जो दवा व इलाज होता था, वह कानूनन नहीं था ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह--चूंकि वह व्यवहार में था, इसलिये अब यह जरूरी समझा गया कि यह विधेयक की शक्ल में लाया जाय। इस वक्त तक जितने भी सरकारी नौकर हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उन सब का इलाज और उनके बच्चों का इलाज जनता के रुपये से यानी सरकार की ओर से होता है। जो मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज हैं, वे भी दिन-रात जनता की ही सेवा करते हैं, तो अगर उनका भी इलाज मुफ्त किया जाय, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यह चीज व्यवहार में तो थी, लेकिन अब इसको वैधानिक रूप प्रदान किया जा रहा है। पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज को १०० रुपया मकान का दिया जायेगा या उनको मकान दिया जायगा, जिसमें उसके निश्चित मात्रा के मुताबिक फर्नीचर होगा। अगर उनको मकान नहीं दिया जायेगा, तो फिर १०० रुपये दिये जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। वह विधेयक जिनमें सौ, दो सौ धारायें हों, विवाद ग्रस्त प्रश्न हों, जिनका सदन के सदस्य बड़ी तादाद में जल्दी निपटारा न कर सकें, ऐसे विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है कि थोड़े से सदस्य उसको छांट-छूंट कर भवन के लिये तै करना सहज बना दें। मगर इस बिल में जिसके अन्दर केवल १०, १२ सेक्शन्स हैं और जिसमें कोई नई चीज नहीं की जाती है, बल्कि जो पुरानी चीज है, उसी में वैधानिकता प्राप्त की जा रही है, तो फिर उसे प्रवर समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है। थोड़े दिनों तक और टालने के अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेम्बरों के विषय में एक चीज इसमें की गई है कि उनको फ्री रहने के लिये जगह दी जा सके। जो यह उसूल का सवाल है, तो उसको श्री कुंवर गुरु नारायण तथा प्रभु नारायण जी ने और दूसरे सदस्यों ने उठाया था और इसमें उसूली आपत्ति की गई थी। उन्होंने कहा था कि सदस्यों में त्याग की भावना पैदा करनी चाहिये न कि इस तरह से केयरफ्री बनाना चाहिये। तो जहां तक त्याग की भावना का सवाल है, उसके लिये किसी को भी आपत्ति नहीं है और जितना त्याग जो कर सकता है, उसे करना चाहिये, लेकिन जब लम्बे समय के लिये गवर्नमेंट किसी को नियुक्त करती है, तो हमें उसको इस तरह से सहायता पहुंचानी चाहिये जिससे कि कार्य करते हुये, उसके साधारण जीवन में हर्ज न हो सके। उसके साधारण जीवन में किसी प्रकार का हर्ज न हो, इतनी ही सुविधा हम दे रहे हैं। यहां पर कई ऐसे योग्य और विद्वान भी हैं, जिनकी आमदनी कि हजार और दो हजार भी हो सकती है, परन्तु इस भवन के मेम्बर होने के नाते, हम उनको केवल २०० रुपया वेतन ही दे रहे हैं। यह उसूल की बात है, और मैं समझता हूं कि इस तरह से जो मेम्बरों के वेतन का सवाल है, वह एक अलग प्रश्न है।

जहां तक स्वास्थ्य की बात का सम्बन्ध है, तो इसके लिये भी हमने एक व्यवस्था की है रखी है कि जो भी हमारे मेम्बर्स हैं, उनको भी दवा और इलाज की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये और इसके लिये उनको साधन प्राप्त होने चाहिये। उनकी हम तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं और १०.१५ रुपये जो वह घर का किराया देते थे, वह हम उनसे नहीं ले रहे हैं। आप उसकी शब्दावली देखिये और मिनिस्टरों के सम्बन्ध में जो रेन्ट की पालिसी है, जो डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के सम्बन्ध में भी वही रेन्ट की पालिसी हम रखना चाहते हैं कि उनको रहने के लिये मकान तो फ्री मिलेगा, लेकिन बिजली इत्यादि के चार्जेज उनको देने होंगे। जो शब्दावली माननीय मिनिस्टरों के लिये प्रयोग की गई है, वही शब्दावली मेम्बरों के विषय में भी लागू होगी और उन्हें भी बिजली इत्यादि के चार्जेज देने पड़ेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं श्री कुंवर गुरु नारायण के प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इसे एक प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि उस पर विचार किया जाय, तो उस पर विचार किया जाय, मैं यही दुहराना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन——मैं पहले संशोधन को रखता हूं। प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप मन्त्रियों, और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) के विधेयक को विधान परिषद् की एक प्रवर समिति के अधीन किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ मार्च, १९५६ तक प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में ४

१——श्री कुंवर गुरु नारायण
२——श्री प्रभु नारायण सिंह
३——श्री शिव प्रसाद सिंह
४——श्री हृदय नारायण सिंह

विपक्ष में २६

१——श्री अब्दुल शकूर नजमी
२——श्री इन्द्र सिंह नयाल
३——श्री एम० जे० मुकर्जी
४——श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
५——श्री जगन्नाथ आचार्य
६——श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
७——श्रीमती तारा अग्रवाल
८——श्री तेलू राम
९——श्री निजामुद्दीन
१०——श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी
११——श्री प्रसिद्ध नारायण अनद
१२——श्री पन्ना लाल गुप्त
१३——श्री परमात्मा नन्द सिंह
१४——श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
१५——श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
१६——श्री बालक राम वैश्य
१७——श्री बंशीधर शुक्ल
१८——श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन
१९——श्री महमूद अस्लम खां
२०——श्री राम नन्दन सिंह
२१——श्री राम नारायण पान्डेय
२२——श्री लालता प्रसाद सोनकर
२३——श्री विश्व नाथ
२४——श्रीमती सावित्री श्याम
२५——श्री अजय कुमार बसु
२६——श्री सरदार सन्तोष सिंह

श्री चेयरमैन——प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) के विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्य-क्रम

श्री चेयरमैन--सदन ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब कौंसिल कल के लिये स्थगित हो जाय। माननीय नेता सदन का मेरे पास नोट आया है कि कल ३ बजे से सदन की बैठक आरम्भ की जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--कौंसिल ३ बजे से हो। यह मैं चाहता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि जो हीटर वगैरह का प्रिविलेज उधर के लोगों को मिला है, अपोजीशन की बेन्चेज को भी मिलना चाहिये। आइन्दा से इसका प्रबन्ध आप कर दीजिये।

श्री चेयरमैन--कौंसिल कल ३ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ३ बजकर ५० मिनट पर दूसरे दिन दिनांक २५ जनवरी, १९५६, को दिन के ३ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लखनऊ
२४ जनवरी, सन १९५६ ई०

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--१७ एल० सी०--१९५६--७९५ (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

२५ जनवरी, सन् १९५६ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ३ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (४४)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महफूज अहमद किदवई, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम नारायण पान्डेय, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिव कुमार लाल श्रीवास्तव, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सावित्री श्याम, श्रीमती
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

श्री सैयद अली जहीर (न्याय तथा स्वशासन मंत्री) भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

१-२—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र) [अनुपस्थित]—(स्थगित)।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षालयों के कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड में सरकारी अंशदान का प्रतिमाह जमा न होना

*३—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि प्रदेश में सेकेन्डरी स्कूलों की कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फन्ड स्कीम के अन्तर्गत सरकारी अंशदान प्रतिमाह शिक्षकों के अंशदान के साथ नहीं जमा होता है ?

(ख) क्या यह भी ठीक है कि कुछ दशाओं में एक शिक्षक को सरकारी अंशदान मिलने पर रिटायरमेंट के एक वर्ष से अधिक लग जाता है ?

3. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (Teachers Constituency) (*abscnt*) : (*a*) Is it a fact that under the Contributory Provident Fund Scheme in force in Secondary Schools in the State, the Government contribution is not deposited monthly along with the teachers' contribution.

(*b*) Is it also a fact that in some cases it takes more than a year for a teacher to get the Government share after he has retired ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

Sri Har Govind Singh : (Minister for Education and Harijan Sahayak) (*a*) Yes.

(*b*) Yes.

४—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार के पास शिक्षकों के पास से प्रति निवेदन आये हैं जिनमें यह मांग की गई है कि उनका अंशदान वार्षिक जमा किया जाय ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

4. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : (*a*) Has the Government received any representation from teachers demanding deposit of their shares annually ?

(*b*) If so, what decision have the Government taken in the matter ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) जी हां।

(ख) मांग अस्वीकृत की गई।

Sri Har Govind Singh : (a) Yes.

(*b*) It was rejected.

५—श्री कन्हैया लाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार सदन की मेज पर उन नियमों की प्रतिलिपि रखने की कृपा करेगी कि जिनके द्वारा कि प्राविडेन्ट फन्ड के अपने रुपये में से लाइफ एशोरेन्स पालिसी का प्रीमियम अदा किया जाता है ?

---

* प्रश्न संख्या ३—६ तक श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछे गये।

5. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : Will the Government lay on the table copies of the Rules regarding paymen on life assurance policies of the members of the F out of the money at their credit in the Provident F

सभा सचिवों के वेतन तथा भत्ते ।

श्री हर गोविन्द सिंह—मेज पर रखी है ।*

Sri Har Govind Singh : It is laid on the table.†

६—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि सेकेन्डरी शिक्षक को अपने प्राविडेन्ट फन्ड के रुपये को थोड़ी बचत योजना (स्माल सेविंग्स स्कीम) मे लगाने की आज्ञा है ?

यदि हां, तो इस प्रकार लगाये गये रुपये पर किस प्रकार सरकारी अंशदान जोड़ा जायगा ?

6. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** (*absent*) : Is it a fact that a Secondary Teacher is allowed to invest his provident fund amount in Small Savings Schemes ?

If so, how is the Government share to be calculated on the amount so invested ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां ।

इस प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

Sri Har Govind Singh : Yes.

The Question is being examined.

७—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)—(स्थगित) ।

८–१५—**श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी** (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—(स्थगित) ।

१६–१९—**श्री कन्हैया लाल गुप्त** (अनुपस्थित)—(स्थगित) ।

सरकार द्वारा सिग्रेट, बीड़ी और तम्बाकू के प्रयोग का रोका जाना

*२०—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—क्या सरकार सिग्रेट, बीड़ी और तम्बाकू पीने को रोकने या कम करने का इरादा रखती है ?

श्री परमात्मा नन्द सिंह (समाज-कल्याण तथा श्रम मन्त्री के सभा सचिव)—इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों का विधेयक

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर "विधान मंडल के अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष (Sp (Chairman), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप-स Chairman) से है ।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का भाग बना रहे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ २८० पर ।

†See नत्थी 'क' on page 280.

* प्रश्न २० श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) द्वारा पूछा गया ।

खंड ३

३--(१) प्रत्येक सभा सचिव (Parliamentary Secretary) को ६०० रु० मासिक वेतन दिया जायगा।

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास-स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :--

उपखंड (२) को पंक्ति ५ में शब्द "एक सौ रुपये मासिक" के स्थान पर शब्द "वेतन का १० प्रतिशत" रख दिये जायं।

यह जो सेक्शन ३ है उसमें कम्पेन्सेटरी अलाउन्स जो रखा गया है वह १०० रुपये रखा गया है। मैं चाहता हूं कि बजाय १०० रुपये के वह वेतन का १० प्रतिशत कर दिया जाय। यह पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज के सम्बन्ध में है और उसका कारण यह है कि प्राय: ज्यादातर जो आज एक टेन्डेन्सी हो रही है कि ए क्लास के आफिसर्स को जितनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं वही फैसिलिटीज इनको देने के लिये उत्सुक है। आप इस तरह की तमाम फैसिलिटीज कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के लोगों को और लेजिस्लेचर के सदस्यों को भी देना चाहते हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जब १० परसेंट आफ सेलरी क्लास ए आफिसर्स को मिलता है तो कोई कारण नहीं है कि उनको भी १० परसेंट से ज्यादा दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर (न्याय तथा स्वशासन मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को मुखालिफत करता हूं। पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज की तनख्वाह ६०० रुपये मासिक रखी गयी है और उस हिसाब से अगर कुंवर साहब की तरमीम को मन्जूर कर दिया जाय तो १०० रुपये से घटा कर उन्हें ६० रुपये ही मिलेगा। लखनऊ शहर में १०० रुपये से कम के मकान में कोई भी आदमी शराफत की जिन्दगी बसर नहीं कर सकता। इससे कम के मकान में पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज को वह फैसिलिटी नहीं मिल सकती हैं, जो कि उन्हें मिलनी चाहिये। यह भी देखने से मालूम होगा कि डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये जो मकान हैं उनके लिये भी उन्हें १०० रुपये माहवार मुआविजा के रूप में दिया जाता है। इन बातों को देखते हुये और यहां पर रहने के लिये काबिल मकान कितने में मिल सकता है, यही मुनासिब समझा गया है कि १०० रुपये कम से कम मिलने चाहिये ताकि जब तक उन्हें मकान न मिलें, तब तक उन्हें १०० रुपये दिये जायं। यह भी देखने की बात है कि सरकार की पालिसी यह है कि वह उनके लिये मकानात बना देगी और जब ऐसा इन्तजाम हो जायेगा तो १०० रुपये महीने का सवाल नहीं उठेगा। बहरहाल, सभी बातों पर गौर करके १०० रुपये माहवार रखा गया है, लिहाजा इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय मन्त्री जी के भाषण को सुना। उसमें उन्होंने बतलाया कि कोई शरीफ आदमी ६० रुपये माहवार के मकान में नहीं रह सकता है, लखनऊ जैसे शहर में। मैं यह जानना चाहूंगा कि जितने भी क्लार्क्स हैं या जो भी लोग हैं वे शरीफ हैं या और शराफत से रहते हैं या नहीं। मैं यह तो समझता हूं कि अगर कोई भी क्लर्क है तो वह शरीफ है और शराफत से रहता है।

यात्रिक भत्ता

अगर आप ऐसा समझें तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थ
उन्होंने शराफत का शब्द इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि हमारे ह
ग्रेड के रहने वाले हैं, जो कि ५० या ६० रुपये के किराये के मकानों में रह
हैं या नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो उनके लिये भी कोई शराफत की जगह रख दी जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, वह तो मैंने उसको तौर पर यह समझ कर रखा था कि आप ने एक उसूल बना रखा है कि किस कैटेगरी के लोगों को हाउस रेन्ट कितना देना पड़ता है और उस हिसाब से वह १० परसेंट से अधिक नहीं देना पड़ता है। चूंकि एक उसूल है और उसी उसूली बात के मातहत मैंने मुनासिब समझा था कि इसमें भी इस बात को रखना चाहिये। जहां तक ६० रुपये या १०० रुपये का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूं कि बहुत ही थोड़ा समय लगेगा और दो या चार महीने के अन्दर या उसके बाद जितने पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको इससे कहीं ज्यादा रेन्ट वाले मकान दे दिये जायेंगे। लेकिन जहां तक सिद्धांत की बात थी, तो जो सिद्धांत हमने अपने हाई आफिशियल्स और अपने कर्मचारियों के लिये अपनाया है, तो मैंने यही उचित समझा कि हम इस प्रकार के सिद्धांत से क्यों अलग हो जायं और एक यूनिफार्म पालिसी इस सम्बन्ध में रखें। इसलिये मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और माननीय मन्त्री जी को इसे स्वीकार करना चाहिये।

मन्त्रियों, विधान मंडल के अधिकारियों, उप मन्त्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों का चिकित्सकीय उपचार (medical treatment)

श्री सैयद अली जहीर--मालूम होता है कि कोई बात मैंने
माननीय सदस्य ने सही नहीं समझा। मेरा तो यह कहना हर्गिज
जो दूसरे मकान में रहता हो, शरीफ नहीं है और न मेरे कहने का यही
में जिसके पास मकान ५ रुपये महीने का भी हो और जिसके पास म
शरीफ होता है। सिर्फ सवाल इतना है कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी
को अपनी हैसियत से रहना चाहिये, जिसको मैंने कहा कि शराफत
माने यह है कि उसकी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखते हुये, उस
रुपये किराया का मकान काफी होगा या नहीं, यही मेरा मत
में इस ख्याल को रखते हुये ही यह समझा गया कि १०० रुपये कम से
सेक्रेटरी को मिलने चाहिये और तभी वह अपनी हैसियत को बना कर
रह सकता है और अपना फर्ज अच्छी तरह पर अन्जाम दे सकता है, वह
लफ्ज को इस्तेमाल किया।

जहां तक कायदे का सवाल है, जैसा कि दफा ७ से जाहिर होगा कि यह तो रूल्स पहले के बने हुये हैं और यह किराया उसी हिसाब से उनको मिल रहा है। अब तो मकान बनने लगे हैं और जैसे-जैसे पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी को देंगे वैसे-वैसे एलाउन्स का कोई सवाल नहीं रहता। इसलिये जो पुरानी प्रेक्टिस थी, उसको जस्टीफाइ करते हुये यह १०० रुपया किराये के लिये एलाउन्स की हैसियत से उनको दिया जायेगा। मेरे ख्याल में यह सही है और इसको ऐसे ही रहने देना चाहिये।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ में शब्द "एक सौ रुपये मासिक" के स्थान पर शब्द "वेतन का १० प्रतिशत" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--(१) प्रत्येक सभा सचिव को १०० रुपये मासिक परिवहन भत्ता (Conveyance allowance) दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (Conditions and Restrictions) के अधीन प्रत्येक सभासचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध से की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :--

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता (travelling allowance) जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता (daily allowance) जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का भाग बने रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--ऐसी शर्तों तथा निबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जांय, मन्त्री, अध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति, उपाध्यक्ष, उपमन्त्री, सभा सचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य सम्पादन से सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्य हों।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

"खंड ५ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द 'राज्य विधान मन्डल का प्रत्येक सदस्य" निकाल दिये जायं।"

मैंने यह संशोधन इस वजह से रखा है कि इस विधेयक में जो विधान मंडल के सदस्यों को मेडिकल फैसिलिटीज दी गई हैं वह न दी जायं। उनको सारी सहूलियतें जनता के रुपये से दी जायं, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। श्रीमान, मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी फिर उसको दोहराना चाहता हूं कि जहां तक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज का सम्बन्ध है, वे तो एक प्रकार से होल टाइम वर्कर होते हैं और जिस समय कोई व्यक्ति मिनिस्टर के पद पर पहुंचता है तो उसके अपने जितने भी प्राइवेट बिजनेस होते हैं, उन सब को खत्म कर देना पड़ता है, ऐसी हालत में अगर उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो ठीक है क्योंकि सारे परिवार का बोझ उन्हीं पर निर्भर होता है। लेकिन अगर कोई विधान मंडल का सदस्य है और वकालत करता है तो वह अपनी वकालत को जारी रख सकता है और यहां की सदस्यता भी कर सकता है। मान लीजिये

अगर मैं डाक्टर हूं तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता हूं और लेजिस्लेचर की मेम्बरी भी कर सकता हूं, ऐसी हालत में आमदनी में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सुविधायें किसी मिनिस्टर को दी जायं, वही सुविधायें किसी एक मेम्बर के लिये जरूरी नहीं हैं और न मैं इसको उचित ही समझता हूं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जरा यह एक सोचने की बात है कि विधान मंडल के सदस्यों को मेडिकल फैसि-लिटीज दी जाय। मैं तो समझता हूं कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर इस प्रकार की सुविधा मिलनी उचित नहीं है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिये हमको पहले उसकी सहू-लियत का ध्यान रखना चाहिये। हम उसकी हर बात के लिये जिम्मेवार हैं, जनता हमसे इस बात के लिये कह सकती है कि आप लोग तो वहां पर जाकर अपने लिये सहूलियतें पैदा कर लेते हैं और हमारे लिये क्या करते हैं? जनता की भी यह मांग हो सकती है कि हमको भी फ्री मेडिकल एड दी जाय और जो डाक्टरों वगैरह की फीस चार्ज की जाती है वह न की जाय। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस समय इस प्रकार का प्राविजन रख कर एक बहुत बड़ा उदाहरण जनता के सामने रख रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। यह भी सही है कि अगर थोड़े से २, ४ सौ आदमियों को कोई खास मेडिकल ट्रीटमेंट न मिले, तो वे पैसों से ट्रीटमेंट करा लेंगे और इससे कोई बड़ी भारी हानि नहीं हो जायेगी। मैं समझता हूं कि हर शख्स आसानी के साथ इस तरह की फैसिलिटी हासिल कर सकता है। ऐसी हालत को देखते हुये मैं इस क्लास को, जिसका प्राविजन इस विधेयक में किया गया है, किसी प्रकार से भी उचित नहीं समझता हूं जो कि इस तरह से आग्रह करके गवर्नमेंट उनको दे रही है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यह सही कदम नहीं है और वह अपने हित में यह ठीक नहीं कर रही है। मैं इस संशोधन को बहुत महत्व देता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी।

श्री नरोत्तम दास टन्डन——माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुंवर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट रखा है और मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं भी समझता हूं कि जब हम इलेक्ट होकर यहां आये हैं और जिन्होंने हमें इलेक्ट किया है, यदि उनको हम वह फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं, तो सदस्यों को कैसे इस तरह से सहूलियत दी जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी समझ में यह फैसिलिटीज यदि आप हमारी जनता को, हमारे इलेक्टोरेट को, जिनका वोट लेकर हम यहां आये हैं, प्रोवाइड करते और जब उनको इस तरह से प्रोवाइड कर देते, तभी हम अपने लिये यह मांग करते, तो यह अधिक स्वाभाविक बात होती। कोई भी इस तरह की बात को पसन्द नहीं कर सकता है, जबकि हमारी गरीब जनता को गांवों में अमृत धारा भी नहीं मिल पाता है। यह उचित भी नहीं है जब तक कि हम गरीब जनता के लिये गांवों में ५ मील के अन्दर दवाखाना खोलने का प्राविजन नहीं कर लेते हैं। उसी के बाद हमें चाहिये कि इस तरह की सुविधाएं दी जायें। जिनको २०० रुपये माहवार दिया जाता है, मैं उसको मुफ्त ही कहूंगा, उसको इस तरह की फैसिलिटीज हम देना चाहते हैं, जबकि हम अपने गरीब भाइयों को इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं, यह उचित नहीं है। हम इस विधेयक के द्वारा इस तरह की फैसिलिटी मांगने को तैयार हैं, यह उचित नहीं है, इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि मेम्बर्स के लिये तो कम से कम इसे निकाल ही दिया जाय।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर साहब ने इस सम्बन्ध में रखा है, उसको मैं जरूरी समझता हूं। मैंने कल ही इस सम्बन्ध में कहा था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम सब लोग जो यहां पर विधान परिषद् में बैठे हैं, वे अपनी-अपनी कान्स्टीट्युन्सी के इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव हैं और जो कुछ सहूलियतें हमें यहां पर सैलेरीज के शक्ल में मिलती हैं, उसका सारा भार जनता को बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि मिनिस्टर्स और

[श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी]
डिप्टी मिनिस्टर जो भी आदमी अपना सम्पूर्ण समय राज्य के कार्य करने में लगाता है, उनके लिये तो इस तरह की सहूलियतें देने के लिये कुछ जस्टीफिकेशन हो सकता है। मैं किसी भी सदस्य के विचारों के खिलाफ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके लिये कुछ जस्टी-फिकेशन होना चाहिये। मैं कह ही रहा था कि हमारे देश में मेडिकल कालेज और डाक्टर्स इतनी संख्या में नहीं हैं, जितने कि यहां प्राधिकारी मिलते हैं और जो डाक्टर्स हैं भी, उनका अधिकांश समय जहां-जहां से भी काल आता है, वहां जाने में व्यतीत हो जाता है। जितने हमारे यहां असेम्बली और विधान परिषद् के सदस्य हैं, उनके आदेश को पूरा करने के लिये कम से कम उनसे आधे डाक्टरों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, जिससे कि उनको सहूलियत मिल सकें। तो कहां तक इसका जस्टीफिकेशन किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उस बात की ओर ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात की मांग करता है कि जीवन की जो आवश्यक बातें हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिये। उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिये। तो क्या वजह है कि विधान परिषद् के सदस्य के ही नाते से यह सहूलियत मिलनी चाहिये। यह लाजिकल आर्गूमेंट नहीं मालूम पड़ता है। कुंवर साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी अच्छी है और वे पे कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्राविजन कर देंगे तो किस प्रकार का इलाज होगा और क्या खर्च पड़ेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने तो कल भी कहा था कि अगर विधान परिषद् के सदस्य मेडिकल सहूलियत मांग सकते हैं तो जो निम्न कर्मचारी हैं उनको तो पहले हक है। उनको पहले सुविधा मिलनी चाहिये।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--उनको तो मिलता है।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी--मैं कुंवर साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह क्लाज बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय।

***श्री सभापति उपाध्याय** (नाम निर्देशित)--कुंवर साहब ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा कि सदस्यों के लिये ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि बहुत से सदस्य काम कर रहे हैं। कोई व्यापारी है, कोई वकील है और कोई डाक्टर है। परन्तु यह भी सोचने की बात है कि जो वकील वकालत कर रहा है और यहां भी काम कर रहा है, अगर किसी को उससे मिलने की आवश्यकता पड़ी तो वह यहां कैसे मिल सकता है। ऐसी अवस्था में उसकी वकालत चलेगी, इसकी संभावना नहीं है। यही हाल वैद्यों का भी है। जो वैद्य यहां रहते हैं उनके पास रोगी नहीं जाते हैं। अध्यापकों की भी यही दशा है। मैं समझता हूं कि इसकी अवश्य आवश्यकता है। टंडन जी ने कहा कि दो सौ रुपये तनख्वाह मिलती है। सब सदस्यों के लिये यह व्यवस्था करना ठीक नहीं है। क्या इस व्यवस्था में बहुत अधिक खर्च हो रहा है? यहां जितने भी सदस्य हैं वे रोज तो बीमार पड़ते नहीं हैं। महीने, दो महीने में कोई बीमार पड़ गया तो उनके लिए बहुत से डाक्टर रखने पड़ेंगे, यह कहना भी असंगत है। असेम्बली में, कौंसिल में, सभी लोग तो बीमार नहीं पड़ जाते हैं। कभी कोई बीमार पड़ गया तो उसको सुविधा मिलनी चाहिये। दो सौ रुपये बहुत ज्यादा समझा जाता है, यह असंगत है। कहना तो नहीं चाहिये कि योग्यता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। योग्यता पर किसी को १ हजार मिलता है और किसी को केवल १०० या दो सौ, तो प्रतिष्ठा के लिये इस बात की आवश्यकता है। फिर सभी सदस्य कुंवर साहब या श्री प्रभु नारायण सिंह की तरह धनी नहीं हैं। ऐसी अवस्था में यदि गवर्नमेंट कोई प्रबन्ध करती है तो हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, इस बात पर एतराज किया गया है कि हमने स्टेट लेजिस्लेचर्स के माननीय सदस्यों के लिये मुफ्त इलाज का क्यों सुभीता किया ? जहां तक इलाज का ताल्लुक है मेरे ख्याल में माननीय सदस्य जानते होंगे कि आजकल दुनियां और खास कर ऐसे मुल्कों में जहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का तरीका अपनाया गया हो वहां यह कोशिश की जा रही है कि हर शख्स के लिये इलाज मुफ्त मुहैया किया जाय। चुनांचे कुछ वर्षों से जब से लेबर गवर्नमेंट इंगलैन्ड में आई, उसने चार करोड़ लोगों के मुफ्त इलाज के लिये इन्तजाम किया। हमारी भी पालिसी यही है कि तमाम जनता के लिये इस किस्म का इलाज मुहैया किया जाय। हमने मजदूरों के लिये इस पालिसी को लेकर हेल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम लागू की। पहले तो यह स्कीम सिर्फ कानपुर में ही लागू की गई थी, लेकिन उसको अब बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा मकसद तो यह है कि हर शख्स के लिये जितने आदमी इस देश में बसते हैं, जैसे ही हमारे पास पैसा हो जाय और हमारे पास इसका इन्तजाम हो जाय, हम अस्पताल ज्यादा से ज्यादा खोलें और फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करें। यह भी माननीय सदस्य जानते होंगे कि गुजिश्ता ४ वर्षों में कितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज में तरक्की हुई है और कितनी ज्यादा डिस्पेन्सरीज हमने गांवों में, कस्बों में और शहरों में कायम की हैं। खुली हुई बात है कि जो कुछ काम हो रहा है उसमें मेम्बरान की भी सहायता शामिल है। वह इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं और इस तरह से इन्तजाम बढ़ता चला जाता है। ऐसी सूरत में उन लोगों के लिये जो बहैसियत एक जनता के सेवक होने के नाते यहां आते हैं और यहां काम करते हैं, उनके लिये अगर मुफ्त इलाज का इन्तजाम किया गया तो कोई नामौजूं या गलत बात नहीं की गई। जहां लाखों आदमी और करोड़ों आदमी का इलाज किया जाता है, वहां ५०० आदमियों का और इन्तजाम होगा और उनको फ्री मेडिकल एड मिलेगी तो उससे कोई ज्यादा भार नहीं होगा। इससे फायदा यह होगा कि मेम्बरान का अपने इलाज के सिलसिले में ही इन अस्पतालों से सम्बन्ध हो जायगा और वह जान जायेंगे कि वहां किस तरह से काम होता है, किस तरह से बर्ताव किया जाता है, किस तरह से निगरानी की जाती है। इस तरह से उनके सम्बन्ध से अस्पतालों पर कुछ न कुछ असर होगा और बजाय इसके कि किसी किस्म का नुकसान हो फायदा ही होगा। अस्पतालों की देख-भाल भी रहेगी और उनको इन्फारमेशन भी रहेगी। वह उससे फायदा उठा कर असेम्बली और कौंसिल में उसको हमारी इत्तिला में ला सकते हैं। मेरा तो यह ख्याल है कि यह बहुत छोटी सुविधा है जो उनके लिये की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया हमारी नीति तो यह है कि जल्द से जल्द हम अपने देश के हर शख्स के लिये, जनता के हर फर्द के लिये यह चीजें मुहैया करें। यह कहना कि जब तक जनता के हर फर्द के लिये मुहैया न हो जाय उस वक्त तक हम कोई बात अपने लिये न करें, उचित नहीं मालूम पड़ता। हर शख्स के ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मेम्बरान असेम्बली हों या मेम्बरान कौंसिल हों उनको हम दो सौ रुपये देते हैं। जाहिर है कि मुल्क में हर शख्स की आमदनी दो सौ रुपये महीना नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि बहुत जल्द मुल्क के हर शख्स की आमदनी बढ़े। हमने मेम्बरान को कुछ सहूलियतें मुहैया की हैं, वह इसलिये कि हमारा असली मकसद पूरा होने में हमको सहूलियत हो। अगर मेम्बरों को यह सब सुविधायें न दी जायें तो मेरे ख्याल में ऐसे बहुत से लोग जो खिदमत करना चाहते करना हैं वह न कर सकेंगे और देश उनकी खिदमत से महरूम हो जायेगा। उनको हम मेडिकल इस फैसिलिटीज और यह सब सुविधायें इसीलिए दे रहे हैं कि वह अपनी कान्स्टीट्युएन्सी कीवरण जनता की सेवा ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। अगर कोई इलाज वगैरह की जरूरत हो तो, जो वह परेशानी में न पड़ जायें, बल्कि अपना इलाज करा सकें। मेरे ख्याल में यह ऐसी कहेंगे चीज नहीं है कि जिसे नामुनासिब समझा जाय। सदन को इसे मन्जूर करना चाहिये। हमने

श्री नरोत्तम दास टंडन--(बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री चेयरमैन——आप संशोधन पर एक ही बार बोल सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण——श्रीमन्, माननीय सभापति उपाध्याय जी ने जो अभी यह कहा कि जो वकील या डाक्टर विधान मंडल के सदस्य हो जाते हैं, उनकी आमदनी उतनी नहीं रह जाती जितनी कि सदस्य होने से पहले होती थी। उनका बहुत समय लग जाता है, इसलिये उनको यह सुविधायें देनी चाहिये। मगर मेरा अपना ख्याल तो यह है कि आमदनी बढ़ जाती है। जब कि किसी डाक्टर का स्टेटस बढ़ जाता है तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है, गिरती नहीं है। बहुत से मेडिकल कालेजेज के लेक्चरार और रीडर्स को देख लीजिये। अगर वह प्रैक्टिसिंग डाक्टर्स हैं, पब्लिक में डाक्टरी करते हैं, तो उनकी इतनी आमदनी नहीं रहती लेकिन जिस समय वह लेक्चरार या रीडर किसी मेडिकल कालेज के बन जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से लोग उनके तरफ ज्यादा जाते हैं। जहां उनका स्टेटस बढ़ा वहीं आमदनी भी बढ़ जाती है। मैं यह तो नहीं कहता कि आपको यह सुविधायें न देनी चाहिये। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिये कि क्या यह मौका ऐसी सुविधायें देने का है। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसा-इटी या वेलफेयर स्टेट जो होता है वह मेम्बरों को ही केवल नहीं फैसिलिटीज देती है, प्रायरिटी दी जाती है कि पहले किस को फैसिलिटीज मिलनी चाहिये। केवल यह कह देना कि कुछ अस्पताल खुल गये हैं कुछ सुविधायें लोगों को मिल गई हैं, काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ने काफी कदम उठाया है, काफी अस्पताल खुल गये हैं लोगों को सुविधायें मिल रही हैं लेकिन फिर भी आवश्यकता को देखते हुये जो कुछ किया गया है वह दरिया में कतरे के समान है। इसमें ४, ५ सौ मेम्बरों की सुविधा का सवाल नहीं है, सरकार को इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि इससे वातावरण कितना दूषित होता है। लोग क्या कहते हैं। आप मेम्बर हुये नहीं कि आपका स्टेटस बढ़ा और आपकी आमदनी बढ़ गई और आराम की चीजें मिलने लगीं। आज मेम्बरों के खिलाफ वातावरण हो जाता है, जब सरकार ही इस तरह से प्रोत्साहन देती है तो जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक है हमें इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिये कि जब तक त्याग का सिद्धांत हम अपने सामने नहीं रखेंगे, तब तक हमारे गांव का जो वातावरण है उसको हम ठीक नहीं रख सकते। मैं यह महसूस करता हूं कि जो कन्सेशन आज दिया जा रहा है उसका समय नहीं है। न देने से कोई मेम्बर्स की हानि भी नहीं होती है और मिलने से बजाय फायदे के नुकसान होगा। बहर-हाल, मैं तो अब भी इस बात को उचित समझता हूं कि इस मौके पर सरकार को ऐसा प्राविजन नहीं करना चाहिये।

श्री चेयरमैन——प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और राज्य विधान मन्डल का प्रत्येक सदस्य" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन——प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

——उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १ की——

(१) धारा २ में शब्द "ड्योढ़ा (१ १/२)" के स्थान पर शब्द "दूना" दिया जाय; और

(२) धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २-क तथा २-ख के रूप में रख दिया जाय :——

"अन्तराल की यात्राओं के लिये यात्रिक भत्ता । २--क--जब उत्तर प्रदेश विधान मंडल का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी जाने के कारण विधान मंडल के सदन के सत्रकाल में अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनकाल में दस दिन से कम के लिये अनुपस्थित हो तो ऐसे स्थान की यात्रा पर जाने के लिये एवं वहां से वापस आने के लिये प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी के दो किराये मिलेंगे, वह सदस्य चाहे जिस रीति से जाय अथवा चाहे जिस श्रेणी में यात्रा करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि यात्रा के उन भागों के लिये, जो ऐसे स्थानों के बीच की गई हों, जो रेलवे द्वारा संयोजित नहीं है, उसे माइलेज भत्ता उस दर से मिलेगा जो प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा यात्रिक भत्ता उस कुल दैनिक भत्ते से अधिक न होगा, जो उक्त सदस्य को धारा २ (२) के अधीन अनुपस्थिति के दिनों के लिये मिलता यदि वह अनुपस्थित न होता।

२--ख--राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के पूरे कार्य काल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुये, ऐसे भवन में आवास (accommodation) के प्रयोग का भी अधिकार होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ घोषित किया गया हो।"

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से खंड ६ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं:--

प्रस्तावित उपखंड २--क निकाल दिया जाय।

जहां तक इस क्लाज का सम्बन्ध है, सरकार ने यह प्राविजन किया है कि जो सेशन होता है या कमेटी होती है उस अवसर पर मेम्बर न भी रहें, उसको भत्ता दिया जायेगा मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर यह क्लाज एक ब्लैकेम्ट क्लाज है। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि सरकार ने इस चीज को कैसे मान लिया। अगर सरकार २०० के बजाय २५० कर देती या और कोई तरीका निकालती कि मेडिकल फैसिलिटी उनकी फैमलीज के लिये भी कर देती तो भी मैं उचित समझता लेकिन इस चीज का प्राविजन करना कि सेशन हो रहा है और मेम्बर साहब कहीं बैठे हुये हैं तो भी भत्ता बना रहे हैं तो बुनियादी तौर से यह गलत उसूल है इसका परिणाम यह होगा कि सरकार मेम्बर्स की सर्विस से वन्चित रहेगी और धीरे- धीरे एक इनडिफरेन्स सा होता जायेगा। ऐसी हालत में इस उसूल के खिलाफ इस क्लाज को बना दिया गया है। मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर किसी तरफ से ऐसी डिमान्ड भी होती तो भी सरकार को चाहिये था कि उसे सपरेस करती। चाहे कोई पाजिटिव प्रूफ हो या न हो वह अपना भत्ता बना सकते हैं। इसलिये इस क्लाज को इस बिल में रखना, मैं समझता हूं, किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं तो यह भी समझता हूं कि इसे किसी भी मेम्बर को स्वीकार न करना चाहिये था। अगर मैं उस हाउस के मेम्बरान से कुछ न कह सका तो मैं इस अपर हाउस के मेम्बरों से तो कह ही सकता हूं कि आप लोगों को किसी तरह भी इसे स्वीकार न करना चाहिये। सरकार से भी मुझे आशा है कि वह इस क्लाज को, जिससे बहुत बड़ा दोष इस विधेयक में आ गया है, हटा करके एक बदनामी से बचेगी वरना इससे कोई अच्छा वातावरण जनता में उपस्थित न होगा बल्कि लोगों के दिलों में एक प्रकार की ऐसी बातें पैदा होंगी, जो सरकार के लिये और हम लोगों के लिये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लोग कहेंगे कि सरकार ने और हम लोगों ने अपने लिये सारी आसाइश का प्रबन्ध कर लिया और मनमाने भत्ते अपने बढ़ा लिये। फिर आजकल आप लोग देखें कि देहातों में यह चीजें बहुत जल्द

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

पहुंच जाती है। आज आप पास कीजिये और कल तक सारे देहातों में इसकी चर्चा होने लगेगी। देहात के लोग अपनी चौपालों में बैठ कर बातें करने लगेंगे कि चाहे जायं या न यें अब तो घर बैठ कर ही भत्ते बना सकते हैं। इसलिये मेरी समझ से इस प्रकार का गलत काम या कानून सरकार को नहीं पास कराना चाहिये, जिसमें फायदा कम और बदनामी ज्यादा है। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस क्लाज को इस विधेयक से निकाल डालेगी और इस सम्बन्ध में मेरा जो संशोधन है, उसे स्वीकार कर लेगी।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर गुरु नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल जब इस बिल पर बातचीत चल रही थी, तो मैंने इस क्लाज को आबनाक्शस क्लाज कहा था। आप देखें यह क्लाज कितने सुन्दर शब्दों में रखा गया है। यह चीज कहीं भी नहीं देखी गई है कि सदस्य जब कि विधान सभा या विधान परिषद् की मीटिंग हो रही हो गायब रहेंगे। जनता में ढिंढोरा पीटा जाता है एक तरफ हम उसके नुमायन्दे होकर आये हैं और दूसरी तरफ जब उनके हित या अहित की बातों पर यह विचार हो रहा हो तब हम गायब रहें और साथ ही साथ उसका भत्ता भी बनायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है कि इसका क्या कोई जस्टीफिकेशन है या हो सकता है। मैं तो इस पर विचार करना ही पाप समझता हूं और इस पर जितना ही कम बोला जाय ठीक होगा।

By itself, the clause is below the dignity and high prestige of the members of the legislature as a whole. किसी प्रकार से भी इसका जस्टीफिकशन नहीं किया जा सकता है कि इस प्रकार के भी क्लाज लाने की आवश्यकता है। It is poisoning the dignity at the very root. इसलिये मैं अधिक न कहकर यही कहूंगा कि इस क्लाज के विषय में ज्यादा कुछ कहना मैं अपने लिये शर्म की बात समझता हूं। इसलिये मैं इसका होलहार्टेडली विरोध करता हूं और कुंवर साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--सभापति महोदय, माननीय कुंवर साहब का संशोधन और खासकर उनकी शब्दावली को देखकर मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ इस सम्बन्ध में निवेदन करूं। कुंवर साहब ने तो इसको ब्लैकेस्ट क्लाज कहा और माननीय बाजपेयी जी ने कुछ अपना जोश अंग्रेजी में यहां जाहिर किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो क्लाज है यह शायद इस बिल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और सबसे ज्यादा मुफीद है। असेम्बली की बैठक होती है और उसमें ४३१ मेम्बर हैं। यहां भी ७२ मेम्बर हैं। यह भी जाहिर है कि हर शख्स हर चीज में माहिर नहीं होता है। हर शख्स हर चीज में पूरी दिलचस्पी नहीं लेता है। प्रायः यह होता है कि किसी सदस्य को किसी चीज में विशेष दिलचस्पी होती है। किसी चीज में कुछ कम दिलचस्पी होती है और किसी चीज में बिल्कुल नहीं होती है। दो-दो महीने सेशन चलता रहता है और दो-दो महीने तक बेकार वह मेम्बर यहां बैठे हुये हैं। कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी उनको किसी-किसी चीजों से नहीं है, जो कि यहां विचाराधीन है। परन्तु फिर भी उनको यहां बैठे हुये रहना पड़ता है। अगर वह यहां पर मोजूद नहीं रहते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आप क्यों यहां से इतने रोज के लिये गैर हाजिर रहे और इतने दिन की तनख्वाह आपकी क्यों न काट ली जाय। उनका फर्ज कानून बनाना है लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि वह जनता से अपना सम्पर्क बनाये रखें। वह जनता की आवाज को सरकार के पास लाते हैं। यहां की बातें जनता के पास ले जाते हैं। उनको समझाते हैं। सरकार की बातें जनता को पहुंचाना और जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना भी उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। जनता की तकलीफों को वह सरकार तक पहुंचाते हैं और उनको रफा कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी दशा में और

यहां पर सेशन होते हुये और खासकर जबकि कोई ऐसा बिल पास हो रहा हो जिनकी बाबत उनको कोई दिलचस्पी नहीं है तब अगर वह यहां से चले जायें इसके लिये कि वह जनता से कुछ सम्पर्क स्थापित करें, तो उनको जाने की सुविधा होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य इस सदन के और उस सदन के भी ऊंचे दर्जे के लोग हैं। यह कोई भी नहीं समझता है कि यह लोग इसका दुरुपयोग करेंगे और अगर करना भी चाहें तो कर नहीं सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वह जो भत्ता उनको मिलेगा वह उस भत्ते से अधिक नहीं होगा जो कि अगर वह हाजिर होते तो मिलता। इसमें साफ यह लिख दिया गया तकर खर्च १० रोज के भत्ते से अधिक नहीं होगा। तब इसके दुरुपयोग की कोई गुन्जायश नहीं रह जाती है।

आखिर वे सदस्य १० दिन यहां मौजूद रहेंगे, तो उन्हें १०० रुपये मिलेंगे और अगर वाहर जायेंगे तो हो सकता है कि उनका बिल ६० रुपये का ही हो। इस तरह से उन्हें ४० रुपये कम मिलेंगे और जो यह समझा जाता है कि जनता का अधिक धन व्यय होगा वह भी नहीं होगा। जब कोई खास कार्य यहां न रहता हो तो उस समय जनता से सम्पर्क करके उसके दुखों को सदस्य दूर कर सकता है और उसके लिये अगर उसे थोड़ा सा किराया मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है और वह १० दिन के भत्ते से कम ही होगा। हमारे एक भाई ने कहा है कि दुनियां में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जब हमारे पार्लियामेन्ट के सदस्यों के लिये पास का नियम नहीं था तो उन्हें इजाजत थी कि पार्लियामेंट का सेशन रहते हुये भी वे बाहर जा सकते थे और उनको आने-जाने के लिये भत्ता दिया जाता था। इस मिसाल के लिये दूर जाने के बजाय यहां की पार्लियामेंट को मिसाल को ले लीजिये।

श्री नरोत्तम दास टंडन--लेकिन वहां पर मिनिस्टर्स को कार नहीं मिलती है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--वह दूसरी चीज है। जब उस पर बहस का मौका आयेगा, उस वक्त इसका उत्तर दिया जायेगा।

मैं आपके द्वारा सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें। इससे हम सदस्यों को कारामद करते हैं। इससे रुपया अधिक खर्च नहीं होता है बल्कि बचत ही होती है। इससे जनता की सेवा अधिक होगी और सदस्यों का जनता से अधिक सम्पर्क रहेगा।

***श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, यह धारा इस विधेयक के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण है। नेता सदन से मैंने व्यक्तिगत तौर से कई बार यह आग्रह किया था कि यह धारा इसमें संशोधित की जाय। मैं यह समझता हूं कि मेम्बरों का यह भी फर्ज है कि वह इस प्रदेश में सरकारी काम जहां भी हो रहे हैं उनको देखें और उनकी ठीक-ठीक आलोचना यहां पर करें। अगर वह देखेंगे नहीं कि कहां पर किसी फैक्टरी में क्या दोष है या नियोजन का कार्य कहां पर कैसा चल रहा है तो उसकी यहां पर ठीक-ठीक आलोचना नहीं कर पायेंगे। उनको अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में और उसके बाहर भी, अगर कहीं पर ओला गिर जाय या बाढ़ आ जाय, जाना पड़ता है और इसके अलावा अगर हमारे राष्ट्र के प्रेसीडेन्ट साहब आयें तो उनके सम्मान में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और उनमें सदस्यों की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। उनका यह फर्ज होता है कि वे वहां पर जायें। इसलिये सदन के सदस्यों को यह अधिकार होना मुनासिब ही है कि वे वहां पर जायें और उस आने-जाने का व्यय सरकारी तौर पर दिया जाय। हमारे कोष के ऊपर भार अधिक न हो, इसके लिये यह प्रतिबन्ध रख दिया है कि अगर उनका खर्च

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

उनके डेली एलाउन्स से ज्यादा होगा तो उनमें से जो भी कम होगा वह दिया जायेगा। पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये १५ दिन का प्राविजन रखा गया है। इसी तरह से पंजाब और दूसरे सूबे हैं, जहां पर इस प्रकार की धारा मौजूद है। यह कहना कि यह इसमें ब्लैंकेस्ट क्लाज है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर सदन के सदस्य जिम्मेदारी के साथ चाहते हैं कि सूबे के किसी भी हिस्से में एक्जीक्यूटिव द्वारा जो भी काम हो रहा है उसकी आलोचना कर सकें तो उनका फर्ज है कि वह प्रत्यक्ष रूप में पहले देखें, तभी आलोचना करें। इस प्रकार से सदस्यों का अनुभव भी बढ़ेगा और जो यहां भाषण देंगे वे अधिक महत्वपूर्ण होंगे और उनके पीछे उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि विरोधी दल के नेता साहब अपने इस संशोधन को वापस ले लें अन्यथा कम से कम अपने उस वाक्य को जिसमें उन्होंने कहा है कि यह ब्लैंकेस्ट क्लाज है, जरूर ही वापस ले लें।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो विधान मंडल के सदस्य हैं, उनका हमेशा यही काम नहीं है कि वह विधान मंडलों में आयें और जो हमारे सामने प्रश्न आयें उन पर अपने विचार प्रकट कर दें, बल्कि उनका यह भी काम है और उनसे इस प्रकार के काम करने की आशा की जाती है कि वह न केवल विधानों को ही स्वीकृति प्रदान करें, बल्कि उसके अनुकूल प्रदेश में वातावरण भी बनायें। जितने भी कानून बनते हैं, उनका प्रभाव केवल बन जाने से नहीं हो जाता, जब तक कि उसके अनुकूल जनता की भावनाओं को न बनाया जाय। इसलिये उनसे यह उचित ही आशा की जानी चाहिये कि वह अपने क्षेत्र में और यदि मुमकिन हो सके तो अपने क्षेत्र के बाहर और क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को वह उद्देश्य बतावें, जिसके लिये कि विधान बनाया गया और जो उनका अनुभव हो, उसके सम्बन्ध में जानकारी हासिल करके या जो लोगों के दुख-सुख हों, उनकी जानकारी प्राप्त करके सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि इस प्रकार का विधान बनावें जिससे कि उनकी दिक्कतें दूर हों। यदि हम यह चीज नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।

यह जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां कुछ काम नहीं करते हैं और न उनके ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें उन्हें अपने निर्वाचकों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता हो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जब लखनऊ में आते हैं तभी उनको कुछ आराम मिलता है, वरना न उनको रात को सोना नसीब होता है और न दिन में खाने का वक्त मिलता है। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि यहां आकर तो लोग पड़े रहते हैं और इस पर कुछ भाइयों ने एतराज किया लेकिन मैं कहता हूं कि वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो पड़े ही रहते हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको यहां पर आकर भी आराम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि हर जिले में इतनी प्लानिंग कमेटी हैं और उनकी अलग-अलग एडवाइजरी कमेटी हैं, उनमें भी जाना पड़ता है लेकिन उनके पास जाने के साधन नहीं हैं कोई उनको सुविधा नहीं है और अपने ही खर्चे पर उनको इधर-उधर जाना पड़ता है। बाज वक्त तो ऐसी मिसाल मिलती है कि उनको अपने जिले के विकास के कार्य में दिक्कतें आती हैं। इसलिये जनता से सम्पर्क कायम करने के लिये यह तो जरूरी है कि अगर कोई वहां जाय और उसको आने-जाने का किराया न मिले तो जरा बेजा सी बात है और यह कुछ अच्छा भी नहीं लगता है।

एक बात और है और वह मैं, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गौर करे और वह यह है कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपका कोरम पूरा नहीं होने के वजह से घंटी काफी देर तक बजानी पड़ती है और यह भी अक्सर देखा जाता है कि सवेरे के वक्त पर तो लोग आते हैं लेकिन शाम के वक्त में सो जाया करते हैं और यहां पर नहीं आते। काफी लोग तो ऐसे भी हैं कि वह सिर्फ आ ही जाते हैं

और चले जाते है, तो हमें कोई नियम ऐसा नहीं बनाना चाहिये, जिससे कि वह जो न यहां काम करते है और न अपने क्षेत्रों में ही काम करते हैं, उनको किसी प्रकार का इनकरेजमेंट मिले कि अगर आपको यहां नहीं भत्ता मिले तो घर बैठे ही मिल जाया करेगा। मैं तो समझता हूं कि इसको समझ करके ही सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है लेकिन इसके ... ... हमारी गवर्नमेंट के निमन्त्रण पर निमंत्रण आते है हमारे प्रधान मन्त्री जी बांध खोलेंगे लेकिन उनका नाम भी याद रखना मुश्किल है और देखना भी मुश्किल है। तो यह जरूरी है कि हम लोग जो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी है, वह वहां पर जाकर सब बातों को देखें। आजकल आप देखते है कि जगह-जगह पर बांध बनते है, कभी कानपुर, बनारस, देहरादून और कभी मेरठ में निर्माण कार्य होता है, तो हमको वहां पर जा करके देखना पड़ता है कि जनता के लिये क्या किया गया है और अब वहां पर जनता की क्या कठिनाइयां रह गयी है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह जरूर कहूंगा कि आप यह भी देखेंगे कि वकील साहब महीने में ५ दिन आये और २५ दिन तक गैर हाजिर रहे और उन २५ दिनों में अपनी वकालत जोरों के साथ करते रहे या अपना कोई कारखाना देखते रहे या कोई साहब डाक्टर है और वे अपनी डाक्टरी में मशगूल रहे तो ऐसी हालत में उनको भत्ता दिया जाना ठीक नहीं है। मैं इसके लिये एक अमेंडमेंट पेश करने वाला था, लेकिन चूंकि यहां पर अमेंडमेंट मन्जूर नहीं होता है, इसलिये मैंने उसको पेश करना जरूरी नहीं समझा। अब मैं मिनिस्टर साहब से आप के जरिये यह दरख्वास्त करूंगा कि इस मैदान में यह बात जरूर होनी चाहिये कि अगर कोई मेम्बर गैर हाजिर है तो उसको उसका मकसद भी जाहिर करना पड़ेगा कि किस वजह से वह इतने दिनों तक गैर हाजिर रहे इत ... ही उसको उन दिनों का भत्ता दिया जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

*श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजनीतिक जीवन सिर्फ इतना ही समझते है कि हम अपने कोई मकान में बैठे रहे और सिर्फ वोट मांगने के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र का ... आकर ख्वाह वह बात मौके की हो या बेमौके की हो हर बात से बोलना अपना फर्ज समझें और अपनी पूरी फर्ज अदायगी मान ले तो जरूर हमें इस हाउस में हमेशा मौजूद रहना चाहिये। पुराने जमाने को जाने दीजिये, आजकल के जमाने में सियासी जिन्दगी का अर्थ बहुत ही व्यापक है, केवल यहां पर आकर और इस हाउस में तकरीर कर लेने में ही नहीं हो जाता है। मैं आपसे एक बात यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हम यहां पर यह देखते है कि बहुत सी बातों का हमें ज्ञान नहीं होता है लेकिन महज दिलचस्पी के लिये बहस करते है। इसलिये श्रीमान्, मैं बहुत ही अदब के साथ आपके जरिये से अपने दोस्त साहबान से यह अर्ज करूंगा कि इस प्रकार से जनता के रुपये का उपयोग नहीं होगा बल्कि मैं तो समझता हूं कि दुरुपयोग होगा। जैसा कि मैं तीन साल से देखता चला आ रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत से विषयों पर जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बोल कर समय को खराब करेंगे। अगर किसी सदस्य को किसी विषय में दिलचस्पी नहीं है तो वह उस समय ऐसे क्षेत्र में जाय जहां पर अकाल पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है, वहां पर जा कर उनकी कठिनाइयों को देखे और सरकार के द्वारा उनको दूर करने की कोशिश करें। आजकल जो नौकरशाही के तरीके है उनको वहां पर जाकर देखें और उनको बदलने की कोशिश करें। प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सदन के अन्दर कोई ऐसा विषय चल रहा है, जिसमें

---

*सदस्य ने अपने भाषण शुद्ध नहीं किये।

[श्री बंशी धर शुक्ल]

उसको पूरी जानकारी नहीं है तो वह उस समय अपने क्षेत्र में जाये और जनता के हित का उपाय करे। जिन लोगों ने इस बिल की धारा को कंडम किया है, अगर वे ईमानदारी के साथ इस हाउस में काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ उनका यही फर्ज नहीं है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा कर वोट ही मांग लें, बल्कि उनका फर्ज यह भी है कि वे वहां पर जाकर जनता की तकलीफों को भी देखें। कितने ही प्रकार के पुल बनने चाहिये और कितने ही प्रकार के दूसरे कार्य होने चाहिये। अगर वे २४ घंटे यहीं पर मौजूद रहते हैं, चाहे वहां निर्माण का कार्य हो रहा हो, तो वे किसी तरह से भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। इस दृष्टि से यह धारा बड़ी आवश्यक है और उनको अपने यहां निर्माण कार्य को देखने के लिये तथा उसके देखरेख के सम्बन्ध में इस तरह का मौका मिलना चाहिये और सरकार ने उनको यह मौका दिया है।

श्री नरोत्तम दास टन्डन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से बंशी धर शुक्ल जी का भाषण सुन रहा था, यदि इस तरह से हर सदस्य को मौका देने की बात है, तो सदस्य यहां भी न आयें और अपने घर पर ही बैठे रहें तथा उनको एलाउन्स दे दिया जाय और वे निर्माण का कार्य करते रहें। निर्माण का कार्य करने के लिये जनता ने उनको यहां भेजा है और जब तक वे अपना कर्तव्य यहां पर रह कर सुचारू रूप से नहीं निभायेंगे, जब कि जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो यह उचित नहीं है और इसके लिये समय के बार की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी सरकार खुद इतनी समझदार है कि जब इस तरह की कोई बात होती है, तो वह हमें छुट्टी दे देती है कि हम अपने यहां जाकर उस बात को देखें और फिर यहां आकर उस सम्बन्ध में अपनी राय दें। तो शुक्ला जी ने जो बार की बात कही, वह मेरी समझ में नहीं आई। सन् ५२ में मैं यहां पर सदस्य होकर आया हूं, तो मैंने एक एडीटोरियल पढ़ा जिसमें लिखा था कि मेम्बर्स सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं, १२ बजे वे मालिश कराते हैं और उसके बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं और लेट लगाते हैं। मुझे सन् ५२ का पाईनियर का एडीटोरियल अच्छी तरह से याद है। इस तरह की बात जो सदस्यों के लिये कही गई है, मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित है कि उसी के लिये इस तरह का कानून यहां से बने क्योंकि जब इस तरह से आप १० दिन घर ही पर रहेंगे, तो यहां कई बिल पास हो जायेंगे। विधान परिषद् की ज्यादा से ज्यादा १५ दिन बैठक चलती है, तो उन दिनों में भी यहां पर कितने सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि पहली सिटिंग में अगर ४० सदस्य आ भी जाते हैं, तो दूसरी सिटिंग में १५ सदस्य से ज्यादा नहीं हो पाते हैं। अगर इस तरह से कर दिया जाय, तो यह कानून न जाने से तो कोई भी सदस्य इस सदन में नहीं आयेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा के सम्बंध में जो विवाद हुआ, मुझे दुख है कि उसमें कुछ थोड़ी सी कटुता आ गई है। हमारे मित्र विद्यालंकार जी ने विशेषकर इस धारा के सम्बन्ध में अपनी उत्सुकता दिखलाई, उन्होंने जो कुछ कहा तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ऐसी राय थी कि उनको भी कुछ शंका है कि इस धारा के रहने में। श्रीमान, मैं अब भी अपनी जगह पर कनविंस्ड हूं कि यह जो धारा है, यह हमें करेप्शन की तरफ ले जाती है। यह लेजिस्लेचर्स में इन्डोलेन्स और इन डिफरेन्स पैदा करेगी और इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे दुख होता है और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि विधान मंडल के सदस्य, प्रत्येक उन स्थानों पर जहां कि डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हों, जहां हमारे प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हों, वहां पर वे न जा सकें। मैं समझता हूं कि वहां के लिये उनको फ्री पासेज दिये जायं, उनको वहां जाना चाहिये और वहां की जानकारी उन्हें होनी चाहिये। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि सदस्य-गण अपने घरों पर डेवलपमेंट के कार्य के सिलसिले में न जायें और न इस संशोधन को रखने से मेरा यही तात्पर्य है। मैं आज भी यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को

उन स्थानों की जानकारी होनी चाहिये और उनको फ्री पासेज मिलने चाहिये और गवर्नमेंट के खर्चे पर ही वे उन स्थानों को देखें। लेकिन जहां तक इस धारा का ताल्लुक है, इसमें कोई भी माननीय सदस्य अपने घर में बैठकर टी० ए० बना सकता है और जो १० दिन के अन्दर वह टी० ए० बना सकता है उसके लिये कोई जांच-पड़ताल या रुकावट की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की धारा रखना किसी तरफ से भी उचित नहीं होगा।

दूसरी बात यह है विधान मंडल में आकर भी थोड़े से १० या २५ प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो कि बिलों को पढ़ कर यहां आते हैं और यहां पर डिसकशन में पार्टीसिपेट करते हैं

मैं तो समझता था कि गवर्नमेंट कम्पलसरी कर दे मेम्बर्स की अटेंडेंस। मेम्बर्स को आना चाहिये। मेम्बर्स को सीखना चाहिये। उनको पार्टिसिपेट करना चाहिये। तभी प्रजातन्त्र को अच्छी तरह चला सकते हैं। अगर हमारे सदस्यों का यहां आना मन्त्रियों को मुसीबत पैदा करना है तब तो दूसरी बात है। यह अच्छा तरीका माननीय मन्त्री जी ने निकाला है कि मेम्बर्स थोड़े से अलग रहेंगे तो रोजाना जो एक न एक शिकायत लाते हैं वे उससे बच जायेंगे। यह तो तरीका मन्त्रियों का हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस धारा को रख कर कम से कम जो जो शब्द रखे गये हैं उनको उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। इसको आपको हटाना चाहिये। अगर प्राविजन करना है तो गवर्नमेंट को हर सदस्य के लिये प्रबन्ध करना चाहिये कि वह जाय और जितनी डेवलपमेंट की स्कीम हैं जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखे और अच्छी जानकारी हासिल करके सदन के अन्दर उसके सम्बन्ध में कुछ कह सके। सीधा सादा रखने से इस प्रकार के रखने से काम ठीक न होगा। मेरा तो ख्याल है कि यह जो धारा रखी गई है जब बरती जायगी तो ऐसा ही होगा। लोग आसानी के साथ बैठकर अपने टी० ए० बिल्स बना सकते हैं। यह कहा जाय कि माननीय सदस्य का चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिये। यह तो हम भी जानते हैं। लेकिन गलती इन्सान से हो सकती है। इन्सान में कमी होती ही है। सरकार ने १० दिन का प्रावीजन इसीलिये रखा है। अगर १० दिन का प्राविजन नहीं रखते हैं तो ज्यादा टी० ए० बढ़ जायगा। इस प्रकार से इन्डायरेक्ट तरीके से यह काम करना ठीक नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य यह है कि लोग जायं और प्रोजेक्ट्स को देखें तो सदस्यों को उसके लिये भी पास मिलना चाहिये। भत्ता मिलना चाहिये और खर्च मिलना चाहिये। लेकिन यह जो रखा गया है मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। यह करप्शन पैदा करेगा।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस धारा के ऊपर चन्द विरोधी दल के मेम्बरान की तकरीर सुनी तो मुझे यह ख्याल आया कि शायद वह यह चाहते हैं कि जैसे स्कूलों में, यूनीवर्सिटी में नहीं, मास्टर बैठता है और रोलकाल करता है और जो हाजिर होता है वह कहता है हाजिर और उसके बाद अगर किसी को बाहर जाना होता है तो वह इजाजत लेता है, बैठना होता है तो इजाजत लेता है और मास्टर देखता रहता है कि कोई बिना उसकी इजाजत के बाहर तो नहीं जाता है, तो अगर कोई इस किस्म का इन्तजाम होता है तो शायद माननीय विरोधी दल के नेता को तस्कीन होती। जाहिर है कि अगर कोई मेम्बर यहां आये, जहां तक विधान परिषद का ताल्लुक है यहां तो कोई दस्तखत भी नहीं होते लेकिन हमारे वहां विधान सभा में तो दस्तखत होते हैं, और फिर चला जाय तो उसको १० रुपये मिलेंगे ही और उसकी हाजिरी भी हो जायगी। यहां आकर सूरत दिखाई और चला गया क्योंकि यहां तो दस्तखत होते ही नहीं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--एतबार ज्यादा है

श्री सैयद अली जहीर—एतबार तो ज्यादा है ही लेकिन आपकी मंशा तो यह है कि हर मेम्बर यहां मौजूद रहे तभी वह अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे सकता है। हम यह समझते हैं कि जितने मेम्बर विधान सभा और विधान परिषद् में आते हैं वह सब जिम्मेदार आदमी होते हैं और उनकी जिम्मेदारी महज यही नहीं होती है कि लखनऊ में आयें, अपने दस्तखत कर दिये और १० रुपया पूरा कर लिया। वह समझते हैं कि उनको कितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये, कितनी है और उनके क्या फरायज हैं। इसके साथ साथ विधान परिषद् के लिये तो मैं कह नहीं सकता लेकिन विधान सभा के लिये यह कह सकता हूं कि वहां के मेम्बरों की कान्स्टीट्यूयेन्सी में कभी कभी बहुत जरूरी और बड़े काम आ जाते हैं। तो सरकार ने यह सोचा कि किस तरह से यह दोनों बातें मिलाई जा सकती है कि हमारा विधान मंडल भी चलता रहे और जो जिम्मेदारी कान्स्टीट्यूयेन्सी में हो वह भी पूरी होती रहे। तो इस बात को सोच करके और महसूस करके कि जो मेम्बरान हैं वह खुद जिम्मेदार आदमी हैं सरकार ने यह कायदा बनाया। अगर मेम्बर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो वह इसका तभी फायदा उठायेंगे जब कि वह यह जानेंगे कि जिस काम के लिये वह जा रहे हैं वह मुल्क के लिये और प्रदेश के फायदे के लिये निहायत जरूरी है। यह समझ कर ही यह धारा बनाई गई है। अगर कोई शख्स इसको गलत इस्तेमाल करना चाहे तो वह कर सकता है। लेकिन अब जो कायदे बने हुये है उनका भी बेजा फायदा उठाया जा सकता है। यह तो इन्सान के समझने के ऊपर है कि उसकी जिम्मेदारी कितनी है और जो माननीय सदस्य होते हैं वह हमारे सूबे के चुने हुये जिम्मेदार लोग होते हैं जो बराबर मुल्क की खिदमत करते रहे हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभायेंगे। उनकी सहूलियत के लिये ही सरकार ने इस किस्म की दफा बना दी है। जब हम अपने देश को बिल्ड अप करने में मशगूल हैं और जब इस बात की जरूरत होती है कि मेम्बरान अपने कान्स्टीटुएन्सी में जाकर लोगों की मदद करें तो ऐसी सहूलियत देना कोई गैर मौजूं बात न होगी।

सिर्फ इतनी गलती है कि हमने अपने मेम्बरों के ऊपर पूरे तौर से एतमाद किया है। अगर वह फायदा समझते हैं तो वह खुशी से ६ दिन तक गैर हाजिर रह सकते हैं। मैं एक गलत फहमी दूर कर दूं। दस दिन नहीं दस दिन से कम वह गैर हाजिर रह सकते हैं। यानी ९ दिन तक वह गैर हाजिर रह सकते हैं।

श्री नरोत्तम दास टंडन—मैं यह जानना चाहता हूं कि ९ दिन के बाद एक दिन अटेन्ड कर लेने पर क्या फिर मेम्बर ऐबसेंट रह सकता है।

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, वह तो कायदा बना हुआ है, एकलख्त दस दिन ऐबसेंट नहीं रह सकता। जहां तक मकसद और कायदे की बात है, इसके लिये कायदा बनाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा क्योंकि अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो हम चाहें जो कायदे बना दें, हर शख्स उस कायदों को तोड़ सकता है और नाजायज फायदा उठा सकता है। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि इसको ब्लैकेस्ट क्लाज या ऐबनाक्सेश क्लाज जैसा कि कहा गया है कहना जायज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेम्बरान अपने देश की सेवा करने के लिये इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठायेंगे।

श्री चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित उपखंड २ (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं खंड संख्या ६ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं—

"प्रस्तावित उपखंड २ (ख) निकाल दिया जाय।"

यह जो प्राविजन इसमें है इसमें यह लिखा गया है कि प्रत्येक मेम्बर को फ्री रेजीडेन्स लखनऊ में रहने के लिये मिलेगा। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से इसे पढ़ देना चाहता हूं :—

Subject to any rules made by the State Government each member shall further be entitled without payment of rent to the use throughout the term of his office of accommodation at Lucknow in building declared in that behalf by the State Government.

मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं यह समझा कि एक रेजीडेन्सियल क्वार्टर हर शख्स ले ही सकता है जब तक भी, ४ वर्ष ५ वर्ष मेम्बरी की उसकी अवधि है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस धारा को क्यों इसमें रखा गया है। एक उसूली चीज है कि लोग बाहर से आते हैं, जितने समय के लिये वह यहां आते हैं उतने समय के लिये आप उनको मकान दे सकते हैं और इस समय के लिये अगर आप फ्री भी दें तो भी मैं इसके मानने के लिये तैयार हूं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन आप फ्री रेजीडेन्स बराबर रहने के लिये दें यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अव्वल तो यह फ्री रेजीडेन्स देना ही कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं। आज हमारे माननीय सदस्य ७,८ या १० रुपये जो भी वह देते हों दारुलसफा में या जो दूसरे मेम्बरों को रहने के लिये स्थान है, उनमें रहने के लिये तो, वह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। एक फ्री होना ही न चाहिये लेकिन अगर आप फ्री करें भी, तो भी मैं इस धारा का जहां तक तात्पर्य समझता हूं, वह यह है कि हर एक मेम्बर क्लेम कर सकता है फ्री रेजीडेन्स अपने पूरे टर्म आफ मेम्बरशिप के लिये कि हम को फ्री रेजीडेन्स मिले चाहे हम अटेन्ट करें या न करें।

एक कायदा तो यह है कि लोग बाहर से आते हैं उनको रहने के लिये जगह दी जाती है जब सेशन होता हो तो उस समय के लिये दिया जाय और रेन्ट न भी लिया जाय तो कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर जगह देना उसूल की बात नहीं है। हो सकता है कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई हो, माननीय मन्त्री जी समझा देंगे। इस प्राविजन का नतीजा यह होगा कि सबलेटिंग की भावना बढ़ेगी। ऐसा मुझे बताया गया है कि पहले जो क्वार्टर्स थे उनमें मेम्बर्स तो रहते नहीं थे लेकिन अपने बालबच्चों को रख दिया था और उनसे कहा कि यहां पढ़ो, उसके बाद सरकार ने उनसे खाली कराया और कहा कि सिर्फ मेम्बर्स ही रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह क्लाज गलत है।

श्री बल भद्र प्रसाद वाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस कानून के अन्दर सदैव गैरहाजिरी पर भत्ता दिया जा सकता है उसके अन्दर मकान की भी सहूलियत दी जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यही इसका सबसे बड़ा कन्डेमनेशन है। मैं तो कुंवर साहब से कहने वाला था कि जब सदन के अन्दर एक क्लाज इसी तरह का पास हो चुका है तो आप का यह संशोधन लाना कि दूसरा क्लाज निकाल दिया जाय, निरर्थक था और आपने बेकार में रखा। बड़े आश्चर्य की बात है।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—तो आप सपोर्ट क्यों करते हैं ?

श्री बल भद्र प्रसाद वाजपेयी—यही तो आश्चर्य पर आश्चर्य है। मैं यही कह कर अपना रिजेन्टमेंट दिखाना चाहता हूं कि जिस कानून में गैर हाजिरी पर भी भत्ता दिया जा सकता है उसमें अगर फ्री क्वार्टर की बात है तो आश्चर्य की बात नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय चेयरमैन साहब, रेन्ट फ्री क्यों किया जा रहा है। बैक ग्राउन्ड हमारे सामने है। इसलिये मैं इसकी जरूरत समझता हूं। कुंवर साहब ने जो बातें और दलीलें दी हैं वह मेरी समझ में नहीं आई। मैं कहता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है वह मेम्बर्स की फैसिलिटीज के नाम पर किया है। रेन्ट लेने से जो सहूलियत सरकार मेम्बर्स को देना चाहती है वह खत्म हो जाती है। इस वजह से कि आज तक मेम्बर्स की यह मांग रही है कि एक अलाहिदा रूम हर मेम्बर को दिया जाय जिसमें वह तन्हाई में पढ़ सकें लेकिन बाज रूम में २, २ और ३, ३ मेम्बर साथ साथ रखे गये थे। मैं अपना वाकया अर्ज कर दूं। मेरे साथ एक मौलवी साहब थे, उम्र भी काफी थी उनके पास जो लोग आते थे उनकी एज के मुताबिक ही आते थे। मैं उनके साथ अदब के साथ और उस एज के लिहाज से बात करने की कोशिश करता लेकिन नहीं कर पाता था और अपने मिजाज के मुताबिक बात करता था मगर वह कहा कहते थे कि लड़कपन है। बहरहाल, मैं कुछ पढ़ लिख नहीं पाता था। एक मांग थी कि एक एक रूम दिया जाय। टेलीफून दिया जाय ताकि मेम्बरों को सहूलियत हो जाय। लेकिन गवर्नमेंट ने इन तमाम बातों को नजर अन्दाज कर दिया इसी शिकायत को दूर करने के लिये जो रेन्ट था उसे मुफ्त कर दिया ताकि डबुल और ट्रिबल सोटेट रूम्स में मेम्बर साहबान पड़े रहें और कोई एतराज न कर सकें। गवर्नमेंट से हम लोगों ने ८, १० बार दस्तखती दरख्वास्तें देकर अपनी मांग पेश की मगर उसने कोई सहूलियत हम लोगों को नहीं दी। वैसे ९ रुपये महीने हम लोगों से उसका किराया पड़ता था जब कि ओल्ड और न्यू कौंसिलर्स रेजीडेन्स का माहवारी खर्च दो लाख रुपया का होता है और हम लोगों का रेन्ट मिलाकर साल भर का ५० हजार रुपया वसूल होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का काफी नुकसान पड़ता था। हालांकि वह उसके लिये ज्यादा घाटे की बात न थी। ऐसी हालत में मैं कुंवर गुरु नारायण साहब के संशोधन की जरूरत समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट को वाकई सहूलियत देने की मंशा है तो गवर्नमेंट को इस संशोधन को जरूर मान लेना चाहिये और टेलीफोन वगैरः की सहूलियतें दे देनी चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में धारा ६ की उपधारा (ब) में जो फ्री ऐकोमोडेशन दिया गया है तो फ्री कहना बहुत गलत मालूम होता है। क्योंकि उसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स में कहा गया है कि बिजली और पानी वगैरह का खर्चा ज्यादा हो रहा था, इसलिये फ्री ऐकोमोडेशन कर देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स को देखें तो पता चलता है कि सरकार का खर्च लगभग एक लाख के था और रेंट सिर्फ ५०-५५ हजार रुपया ही है। तो इस तरह से सरकार ने ५०, ५५ हजार रुपये का रैमुनरेशन देकर हम लोगों से बिजली, पानी वगैरह के नाम पर एक लाख रुपया जो उस पर खर्च होता था वह वसूल करने की उसकी मंशा है। मैं कहता हूं कि जो मेम्बरों को सहूलियतें दी जा रही है, हम विरोधी दल के लोगों से कहते हैं कि यह फ्री एकोमोडेशन नहीं दी जा रही है बल्कि बिजली और पानी के खर्च को बचाया जा रहा है इसलिये फ्री ऐकोमोडेशन तो कहने की बात है। किराया इससे कहीं कम था और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि किराये से करीब करीब अगर तीन गुना न सही तो दुगुना तो अवश्य ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि यह पब्लिक इन्टरेस्ट की बात थी इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। तब भी इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि फ्री एकोमोडेशन कह कर यह गलत पेश किया गया है क्योंकि मेम्बरों के हित में यह क्लाज नहीं है। इसलिये इस क्लाज को मेम्बरों के हित में जो लोग समझ रहे हैं वह गलती कर रहे हैं। उनको बिजली और पानी पर खर्च काफी करना पड़ेगा और वह दुगना तो जरूर होगा। इसलिये मैं तो यह चाहता हूं कि इसमें से लफ्ज फ्री हटा दिया जाय और ऐसा लिख दिया जाय कि चूंकि यह पब्लिक के हित में आवश्यक था कि मेम्बर्स को एकोमोडेशन दी जाय इसलिये बिजली और पानी का खर्च मेम्बर लोग ही बर्दाश्त करें।

[इस समय ४ बजकर ३६ मिनट पर श्री डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि इधर के मेरे एक दोस्त जो अभी बैठे थे, वह चले गये हैं। उनका ख्याल है कि असेम्बली और कौंसिल के मेम्बर साहबान क्रिमिनल हैं। उनका ख्याल कुछ मैंने अजीब नेस्ती पाया। नेटिव ब्रिटिश शार्क हम लोग हैं इसलिये कुछ पाबन्दियां जरूर होनी चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हमारे विरोधी दल के वह दोस्त हम लोगों को क्या समझते हैं और हम लोगों को ही नहीं वह अपने को क्या समझते हैं कि वह लोग जो जनता की नुमायन्दगी करते हैं वह ईमानदार नहीं हैं, जिम्मेदार नहीं हैं। आप शुरू से ही यह प्रिज्यूम करते आ रहे हैं कि यहां के मेम्बर बेईमान हैं और यह जरूर बेईमानी करते थे इसलिये इनको पाबन्द करना चाहिये क्योंकि हम बुनियादी ही बेई-मान हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस शीशे में आप अपने को देखते हैं उसी में हमको भी देखते हैं। जनता ने तो विश्वास के साथ हमको चुनकर भेजा है। मैं तो यह कहता हूं कि यह तकरीरें कि हम बेईमान हैं हमको मायूस करती हैं। मुझे यह सुनकर ताज्जुब होता है। मेरा तो यह ख्याल है कि हमको आपस में विश्वास करना चाहिये। हो सकता है कि हममें से कुछ ऐसे हों जो ज्यादा ईमानदारी न बर्तते हों लेकिन मैं जिस पार्टी में रहा हूं वहां हमेशा से ईमानदारी और विश्वास पर ही काम होता रहा है, जो हमारे साथ रहे हैं, अब चाहे वह कहीं चले भी गये हों लेकिन वह भी ईमानदार थे और हैं। लेकिन अगर कहीं कोई गिरता है तो उसकी गिरावट ही काफी है उसको कन्डेम करने के लिये उसका पिछला जीवन उज्जवल रहा है और अगर अब वह किसी कारण से कुछ गिर जाता है तो उसकी यह गिरावट ही उसके लिये काफी सजा है। यह मेरी समझ में नहीं आता है और मुझे ताज्जुब होता है कि जो उधर बैठे हुये हैं उनको कैसे यह ख्याल होता है कि हम लोग गलत टी० ए० लेंगे। मैं आपके सामने उन बुजुर्गों का हवाला नहीं देना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिये सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब क्या वह थोड़े से पैसों के लिये बेईमानी करेंगे। काश हमारे विरोधी दल के लोगों को यह समझ होती तो शायद ऐसी तकरीरें न होतीं, जैसी कि हुई हैं।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन कुंवर साहब ने पेश किया है मैं उसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कहा यह जाता है और लोग यह समझते हैं और सही समझते हैं कि कुंवर साहब की बहुत तेज समझ है लेकिन चाहे कितनी भी तेज समझ हो उनको यह तजुर्बा कभी नहीं हुआ है कि कभी जेलखाने में रहे हों या दारुलसफा में रहे हों।

श्री कुंवर गुरु नारायण—रहा हूं जेलखाने में १५ दिन।

श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन—हालत यह है कि जैसा हमारे एक दोस्त ने कहा है कि उनको शिकायत है कि उनको बुजुर्गों के साथ रहना पड़ता है। मुझे यह शिकायत है कि गांधीवादियों के साथ सोशलिस्ट कर दिये गये हैं। कुछ लोग बीड़ी पीते पीते बीड़ियों का अम्बार लगा देते हैं और कुछ लोगों को बीड़ी पीने से एतराज होता है। कोई रात को एक-एक बजे तक पढ़ना चाहता है तो दूसरे को उनकी वजह से नींद नहीं आती है। कोई कोई एक एक बजे सिनेमा देखकर आता है और दरवाजा खड़खड़ाते हैं। कोई साहब रात को चिलम भर कर गुड़गुड़ी पीते हैं। जो भाई जेलखानों में रहे हैं उनको तजुर्बा होगा कि जब वह ऐसी आदतों से मजबूर हो जाते थे तो बी क्लास से अपना ट्रांसफर करवा लेते थे और सी क्लास ज्यादा पसन्द करते थे। तो रहने के लिये यह दिक्कतें हैं। इसमें जब तक अपने ख्यालात और अपनी आदत के मुआफिक इन्सान नहीं मिलते हैं कदम कदम पर परेशानी उठानी पड़ती है। यही नहीं होता है बल्कि ताली तक केयर टेकर ले लेता है और उसके पीछे चीजें गायब हो जाती हैं और फिर यह कहा जाता है कि किराया नहीं दिया जाता है। किराया का यह तरीका है कि वहां पर न तो रसोई बनाने के लिये कोई कमरा है और न प्राइवेसी की

[श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन]

ही कोई सूरत वहां पर है। अगर कोई साहब आ जायं और उनके साथ लड़की भी हो तो एक ही कमरा होता है, वह कहां पर रहे। मैं कहूंगा कि यह किराया मुआफ करने का सवाल नहीं है। आप किराया दोगुना कर दीजिये तो किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन मकान तो रहने के काबिल होना चाहिये। वह ऐसा होना चाहिये कि अगर बाहर से मिलने वाले आते हों तो उनके लिये भी एक कमरा होना चाहिये। रसोई बनाने के लिये भी एक कमरा जरूरी है और औरतों के रहने के लिये भी एक कमरा होना चाहिये। यह कहा जाता है, हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है कि बिजली का चार्ज लिया जायेगा। अगर यह है तो जरूर लिया जाय। हम लोगों की आदत यह है कि पंखा खोल कर छोड़ देते हैं और अपने घर चल देते हैं। कितने ही आदमियों की आदत होती है कि वह रोशनी खोल कर चले जाते हैं और जब दूसरे दिन आते हैं तब उस को बुझाते हैं। अगर बिजली का कर लिया जायेगा तो इससे राष्ट्र की सम्पत्ति का बचाव ही होगा और हम लोगों की आदत भी दुरुस्त होगी। रहा यह कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हर एक कमरे में अलग अलग मीटर लगाना पड़ेगा और जब तक ऐसा इन्तजाम नहीं हो जायेगा तब तक बड़ी दिक्कत भी होगी। यहां की हालत तो यह है कि अच्छे कमरे को छोड़कर रायल होटल के जिन कमरों में गलीज और सील है उनमें सदस्य जाने के लिये तैयार हो गये हैं क्योंकि वहां पर प्राईवेसी है। लेकिन जब तक एक सदस्य के लिये एक रसोई नहीं होती और माकूल इन्तजाम न हो तब तक आप को बिजली का कर और किराया लेने का कोई हक नहीं है। इसलिये कुंवर साहब ने, जो यह कहा है मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से उनसे निवेदन करूंगा कि वे ३ दिन मेरे साथ रह लें तो आप को मालूम होगा कि वह मकान है या क्या है और तब आप की राय भी बदल जायेगी। मैं खुद चाहता हूं कि हम ऐसे मकानों में रखें जांय जो हमारे आराम के खातिर हों और चाहें हमें उनका किराया दोगुना ही क्यों न देना पड़े।

श्री नरोत्तम दास टन्डन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर साहब के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इसके ऊपर यदि गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें सरकार ने यह कहा है कि हर एक मेम्बर को बिना किराये का मकान दिया जायेगा। मगर मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि आज तक कोई सदस्य ऐसा नहीं है, जिसके पास एक कमरा हो, सिवाय उन सदस्यों के, जिन लोगों ने उन्नाव या पास के जो जिले हैं, उनसे जो मेम्बर आते हैं उन मेम्बरों के नाम को अपने साथ अटैच करके कमरा ले लिया हो। या तो सरकार आज इस बात को साफ करे कि हर एक सदस्य को एक कमरा दिया जायेगा तो ठीक है। अब सुना है कि बिजली का भी चार्ज लिया जायेगा और पानी का भी लिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक कमरे में दो और तीन सदस्य रहते हों तो किस के मत्थे वह बिल जायेगा। एक सदस्य के कई रिस्तेदार आते हैं और दूसरे का कोई नहीं आता है, तो क्या वह हर एक के मत्थे बैठाया जायेगा। यह किस तरह से होगा, यह पोजीशन आज क्लियर हो जानी चाहिये। इस सदन के सामने हम लोगों को कम से कम इतना मालूम हो जायेगा कि हमारे साथ जो सदस्य रहते हैं और उनके साथ मेहमान आकर के ठहरते हैं तो उसके लिये हम लोगों पर बिजली का चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा या हर एक सदस्य को अलग अलग कमरा दिया जायेगा। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि रायल होटल में हम लोगों को कमरे दिये जायं तो नेता सदन ने इस को स्वीकार नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी स्वयं उनके पास गया था इस प्रार्थना को लेकर कि साहब मुझको भी एक कमरा इसमें दिया जाय लेकिन वह कहने लगे कि साहब उसमें तो बहुत सीलन है और रहने के काबिल नहीं है तो मैंने कहा कि कुछ भी हो कम से कम उसमें

आजादी तो रहेगी, मगर हम लोगों को सरकार इस प्रकार की आजादी देना स्वीकार नहीं करती है। यह तो फ्री एकोमोडेशन का अभिप्राय है। हम लोगों की समझ में यह नहीं आता कि जब हम लोग अपनी कान्स्टीट्युयेन्सी में जायेंगे, तो वह कहेंगे कि साहब आपने तो अपने लिये सब कुछ किया लेकिन हम लोगों के लिये क्या किया, क्या प्रबन्ध किया है? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। यही बात हमारे और माननीय सदस्यों ने कही है और मैं उनकी राय से सहमत हूं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को कुंवर साहब के इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस दफा को तो देखा है मैंने भी कई बार इस दफा को देखा, न तो इसमें यह लिखा है कि मेम्बरों से बिजली या पानी का पैसा लिया जायेगा और न यह लिखा है कि दो आदमियों को एक कमरे में रखा जायेगा या कैसे क्या होगा इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और न इसकी यहां पर कोई बहस ही होनी चाहिये। यह तो एक छोटी सी बात है कि जिस तरह से इस वक्त माननीय सदस्य रह रहे हैं, उसमें उनको परेशानी होती है और उनके लिये बिल्डिंग का इन्तजाम होगा, उसकी कोई कीमत चार्ज नहीं की जायेगी, इतनी सी बात है और इस पर मेरे ख्याल में कोई बड़ी भारी बहस की जरूरत नहीं है और न लम्बी चौड़ी तकरीरों की ही जरूरत है। यह तो इस वजह से किया जा रहा है कि माननीय सदस्यों को यहां आकर जो रहना पड़ता है वह अपनी खुशी से नहीं रहते हैं और सिर्फ अपने फर्ज की वजह से रह जाते हैं और इस सिलसिले में उनको लखनऊ में आकर रहना पड़ता है और उनको किराया अदा करने की जहनियत होती है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि बाज बाज मेम्बर के ऊपर किराया बाकी रह जाता है और वह बाद में वसूल नहीं हो पाता है।

श्री नरोत्तम दास टन्डन—क्या ऐसा भी हुआ है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो आप भी जानते होंगे। तो इ
कर ही यह किया गया है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनको ए
मिला तो वह तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि कुंवर गुरु नारायण जं
चलता है कि मेम्बरों में एतबार की कमी है लिहाजा न मालूम कल कोई
है कि अकेला होने की वजह से उसका गलत इस्तेमाल कर ले तो इस
करके रखा हो। , जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है मैं तो र
मेम्बरों को जितनी भी सुविधायें हो सकें वह उनको मिल सकें और
मेम्बरों ने अपील भी की है लिहाजा गवर्नमेंट ने उसको मन्जूर किया
यह चीज इसमें रखी है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमन्, मैं तो समझता था कि म
ऐसी बात कहेंगे जो वाकई में अपना महत्व रखती हो और हमें भी फिर
करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो जो अमेंडमेंट है उसकी फ्रैजोलाजी
मैंने तो उसूल की यह बात कही थी कि जिस समय सेशन हो, उस स
जब सेशन न हो तब फिर कमरा मिलने की क्या जरूरत है। उस स
हो उनके यहां पर रहने की क्या आवश्यकता है, क्यों बराबर वह कमरा
और जब सेशन न हो तब भी उसके ही पास रहे।

खा

त्ये

चेम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेंट्स) रूल्स, १९४६ में किये गये संशोधनों का वैधीकरण।

सें
गद

श्री सैयद अली जहीर— मैंने इसका जवाब इसलिये नहीं दिया था क्यों कि आप का यह संशोधन था कि इस धारा को छोड़ दिया जाय, अगर आप इसमें कोई तरमीम लाये होते तो मैं उसका जवाब देता।

श्री कुंवर गुरु नारायण—आप पहली दफा प्राविजन कर चुके हैं कि ९ दिन तक हर मेम्बर बाहर रह सकता है तो इतने दिनों तक कमरा खाली पड़ा रहेगा। यह एक उसूली बात थी जिसको मैंने यहां पर पेश किया था। जो कुछ आपने इस धारा में रखा है उससे मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है बल्कि इससे जनता में एक गलत भावना फैलेगी जिससे लोगों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं इसको कोई उसूली बात नहीं समझता हूं, इसलिये इस संशोधन को मैंने पेश किया है।

श्री सैयद अली जहीर—जनाबवाला, जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, उसमें कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात यहां पर कह देना चाहता हूं जिसके मुताबिक शायद माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है और वह बात यह है कि माननीय सदस्यों को मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ काम के लिये लखनऊ में आना पड़ता है। अगर एक मेम्बर एक महीने के लिये यहां पर आया और दो महीने के बाद उसको फिर यहां पर आना पड़ा तो उसको अपना सारा सामान फिर से लाना पड़ेगा और अगर उसके पास कमरा होगा तो वह उसमें अपना सारा सामान बन्द कर जायगा और बारबार लाने और ले जाने की जो परेशानी है वह उसको नहीं उठानी पड़ेगी, इसलिये उसको अपने पूरे टर्म के लिये एक कमरा रिजर्व होना चाहिये, जहां पर बैठकर वह अपने कामों को अन्जाम दे सके। इस लिये मैं कुंवर साहब की किसी बात को मुनासिब नहीं समझता हूं कि इस तरह की सहूलियत पर किसी तरह का कोई एतराज किया जाय। इसी वजह से मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ६ के प्रस्तावित उपखंड २-ख को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ६ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—(१) यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेन्ट्स) ऐक्ट, १९३८ की धारा ५ द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (U. P. State Legislature) के सदस्यों को देय यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार राज्य सरकार ने विधायिका विभाग (Legislative Department) की विज्ञप्ति संख्या ३५२४/१७, दिनांक ९ फरवरी, १९५० ई० द्वारा यू० पी० लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेन्ट्स) रूल्स, १९४६ को संशोधित किया था, किन्तु भारत के संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् राज्य सरकार के उक्त अधिकार के बने रहने के सम्बन्ध में सन्देहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि पूर्वोक्त विज्ञप्ति में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे विधि की दृष्टि से ठीक और वैध थे तथा रहे हैं, मानो वे संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनी विधि से अधिनियमित किये गये थे।

(२) उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (२) के खंड (ख) के पश्चात् नये खंड (ग) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ग) विषय, जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा की जाने वाली हो और की जाय।"

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

[illegible] हो गया है और कल गणतन्त्र दिवस है और एसे मौके पर बहुत से माननीय सदस्यों को अपने जिलों में जाना है. इसलिये अब वे लोग जाना ही पसन्द करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं यह बात मुनासिब नहीं समझता हूं कि इन चन्द अमेंडमेंट के लिये फिर परसों यहां पर सेशन हो। लिहाजा मेरा यह प्रस्ताव है कि जब तक यह बिल आज पास न हो जाय, हाउस बैठा रहे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं आपके प्रस्ताव पर कुछ अमेंडमेंट करना चाहता हूं। ५ बजे के बाद हम लोगों को चाय पीने के लिये घंटे दो घंटे की छुट्टी मिल जाय तो ठीक हो। उसके बाद हम यहां पर आज ही इस विधेयक को पास कर लें।

श्री परमात्मा नन्द सिंह-- बहुत से लोगों को ६ बजे जाना है इसलिये इसको कन्टीन्यू रखा जाय।

श्री डिप्टी चेयरमैन--क्या हाउस की अनुमति है कि सदन की बैठक को जारी रखा जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं तो समझता हूं कि हाउस की अनुमति नहीं है, इसलिये आप इस पर वोट ले लें।

श्री डिप्टी चेयरमैन--मैं हाउस के सामने इसे फिर रख देना चाहता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपोजीशन की तरफ से आप से प्रार्थना करूंगा कि ५ बजे हाउस घंटे, २ घंटे के लिये स्थगित कर दिया जाय, उसके बाद हम आकर इस बिल को खत्म कर देंगे।

श्री डिप्टी चेयरमैन--मैं इसको हाउस के सामने फिर रखे देता हूं।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठक जारी रखी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं इस पर विभाजन चाहता हूं

श्री डिप्टी चेयरमैन--मैंने निर्णय किया है कि सदन की अनुमति यह है कि इस समय सदन की बैठक जारी रखी जाय और इसके बाद विभाजन का कोई सवाल नहीं है।

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक

खंड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम ६, १५५२ का संशोधन।

८--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १५५२ ई० की --

(१) धारा३ में शब्द "छः सौ रुपये' के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायं।

(२) धारा४ के पश्चात् धारा ४-क के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"उपाध्यक्ष और उप-सभापति के लिये किराया मुक्त सुसज्जित निवास स्थान (free furnished residences)

"४--क--उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उपसभापति (Deputy Chairman) में से प्रत्येक को उनकी पदावधि के पूरे कार्यकाल पर्यन्त लखनऊ में, बिना किराया दिये हुये, ऐसे निवास स्थान के प्रयोग का अधिकार स्थान होगा, जो ऐसे मापमान (scale) के अनुसार सुसज्जित (furnished) होगा, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायेगी, और जब तक उपर्युक्त प्रकार के निवास स्थान की व्यवस्था न हो सके तब तक उन्हें एक सौ रुपये मासिक, प्रतिकरात्मक भत्ता (Compensatory) (allowances) पाने का अधिकार होगा :"

तथा

(३) धारा ५ के पश्चात् नई धारा ५-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

उपाध्यक्ष और उप सभापति के लिये परिहवन भत्ता।

"५--क--उपाध्यक्ष तथा उपसभापति में से प्रत्येक को एक सौ पचास रुपया मासिक परिवहन भत्ता (Conveyance Allowance) दिया जायगा।"

श्री कुंवर गुरु नारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड संख्या ८ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :--

प्रस्तावित उपखंड (१) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर मूल धारा रख दी जाय ।

यह शायद डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की सैलरीज से ताल्लुक रखता है। इसमें डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की ७५० रुपया सैलरी की गई है। मुझे इसका विरोध नहीं है कि कितनी सैलरी उनकी बढ़ायी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से जब इस तरह की दलील दी जाती है कि डिगनिटी आफ डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन रहे, इसलिये सैलरी बढ़ायी जाती है, तो इसमें कौन सी ऊंचाई और बड़प्पन की बात हो जाती है। मेरी समझ में इस तरह की बात तो गलत है। मैंने पहले भी कहा था और फिर उसे दोहराना चाहता हूं कि जहां तक हो सके हमें इस बात को सोचना चाहिये और मैं समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे यहां पैनल बनते ही हैं, उसी को हमें ट्राई करना चाहिये। पैनल भी रहे और डिप्टी स्पीकर असेम्बली और

डिप्टी चेयरमैन कौंसिल भी रहे. यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जहां तक सलरीज का ताल्लुक है, मैं यह जानना चाहता हूं कि एट दि फेग ऐन्ड आफ दि सेशन में आपको सेलरीज बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी और इस वक्त सेलरी बढ़ाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह—मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर के स्थान यहां थे उस समय पर यहां डिप्टी मिनिस्टर का कोई ग्रेड नहीं था। मिनिस्टर का वेतन और चेयरमैन तथा स्पीकर का वेतन बराबर होता था और जो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी का वेतन होता था उसके समकक्ष डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन समझा जाता था। डिप्टी मिनिस्टर का जो स्थान पैदा हुआ है उसमें ऐसा समझा गया कि डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर के ग्रेड से उनका ग्रेड कम न हो। सभी सदस्य इस बात को मानेंगे कि डिप्टी चेयरमैन का स्थान एक बहुत ही आदरणीय स्थान होता है। उसकी महत्ता होती है। इस वजह से यह जो प्रस्ताव किया गया है, वह नामुनासिब है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस ग्रेड का ताल्लुक है किसी शख्स की पोजीशन या स्टेटस रुपये से नहीं तोला जाता है। अगर ढ़ाई सौ रुपया बढ़ा दिया तो डिप्टी स्पीकर की कोई महानता नहीं हो गई। आज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन रखी गई है वह डिप्टी मिनिस्टर के बराबर रखी गई है। डिप्टी स्पीकर की पोजीशन मिनिस्टर से भी ज्यादा हो सकती है। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत के बराबर हो यह मैं बिलकुल मानने के लिये तैयार नहीं हूं। डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन जिस वक्त आसन ग्रहण करता है वह चेयरमैन का स्थान लेता है। तो केवल रुपया बढ़ाकर आप उसके स्टेटस को बराबर कर दें यह गलत बात है। मैं अब भी समझता हूं कि रुपये से कहीं स्टेटस नहीं माना जाता। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर से भी बड़ा हो सकता है। जो संशोधन मैंने रखा उसका तात्पर्य यह था कि जब यह सेशन खत्म होने जा रहा है अगर आपको बढ़ाना था तो आपने साढ़े सात सौ क्यों रखा। आप एक हजार रुपया रखते। मैं तो समझता हूं कि इस दलील को लेकर स्टेटस को गिराया जाता है। इस वजह से मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड संख्या ८ में प्रस्तावित उपखंड (१) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर मूल धारा रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं खंड संख्या ८ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं :-

"उपखंड (२) की प्रस्तावित धारा ४-क की पंक्ति ९ के शब्द "एक सौ रुपये मासिक" निकाल दिये जायें और उनके स्थान पर शब्द "अपने अपने वेतन का १० प्रतिशत" रख दिये जायं।

यह सम्बन्ध रखता है डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन से और इसी प्रकार आगे है। मैंने जो पहले तर्क दिया था वही इसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। जो वजह मैंने पहले दी वही इसके लिये भी लागू होती है।

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ८ में उपखंड (२) की प्रस्तावित धारा ४-क की पंक्ति ६ के शब्द "एक सौ रुपये मासिक" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "अपने-अपने वेतन का १० प्रतिशत रख दिये जायं"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री डिप्टी चेयरमैन---प्रश्न यह है कि खंड संख्या ८ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उ० प्र० अधिनियम १०, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

९--उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमन्त्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(२) प्रत्येक उपमन्त्री अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास-स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास-स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, मैं खंड संख्या ९ में निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं:--

"प्रस्तावित उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'एक सौ रुपये मासिक' निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द 'वेतन का १० प्रतिशत' रख दिये जायं।"

यह भी उसी से सम्बन्ध रखता है जो पहले रखा है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--यह संशोधन मन्जूर नहीं है। इसकी वजह पहले दी जा चुकी

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड संख्या ९ में प्रस्तावित उपखंड (२) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "एक सौ रुपये मासिक" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर पर शब्द "वेतन का १० प्रतिशत" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ९ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ५ बजकर ६ मिनट पर श्री चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

नया खंड ९-क

श्री कुंवर गुरु नारायण--मेरा यह संशोधन है कि खंड ९ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ९-क के रूप में रख दिया जाय:

"९-क---उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमन्त्रियों के (वेतन तथा भत्तों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"यदि किसी मन्त्री के पास अपना किसी प्रकार का कोई वाहन न हो तो सरकार प्रत्येक ऐसे मन्त्री को किराये और खरीद की प्रणाली पर (आन दी बेसिस आफ हायर पर्चेज सिस्टम) एक उपयुक्त वाहन उन नियमों के अनुसार दे सकती है जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जायं।"

[illegible] मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो तरमीम है इस बिल का स्कोप बढ़ जाता है और इसकी [illegible] यहां [illegible] इजाज़त नहीं कि कोई ऐसी तरमीम जाय जिससे स्कोप आफ दी बिल बढ़ता हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मुझे ऐसा ख्याल है कि जो विधेयक हमारे सामने है वह कोई अमेंडिंग बिल नहीं है क्योंकि इस पर यह लिखा हुआ है मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पालियामेन्ट्री सेक्रेटरीज ऐन्ड मेम्बर्स सेलरीज ऐन्ड एलाउन्सेज प्राविजन्स बिल है। इस विधेयक के जरिये से हम तीन बिलों की धाराओं को चेन्ज कर रहे हैं। एक तो मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स सेलरीज बिल, दूसरे लेजिस्लेचर आफिसर्स बिल, तीसरे मेम्बर्स इमाल्यूमेन्ट्स बिल की कुछ धाराओं को चेन्ज कर रहे हैं और कुछ फर्मोलिटीज दे रहे हैं और कुछ में नहीं दे रहे हैं तो जब तीन बिल इसमें अमेन्ड हो रहे हैं तो मैं यह समझता हूं कि मेरा संशोधन आउट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चेयरमैन--जो बिल सदन के सामने मौजूद है उसका स्कोप किसी संशोधन द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर उस बिल में ३ की जगह ३० भी अमेन्डमेंट हों तो भी वह उस हद तक ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिससे कि बिल का स्कोप न बढ़ता हो। कुंवर गुरु नारायण का जो अमेन्डमेंट है वह मूल अधिनियम के उस धारा की सम्बन्ध में है जिसका इस मौजूदा बिल में कोई चर्चा नहीं है और इस तरह से यह संशोधन इस विधेयक का स्कोप बढ़ा देता है इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, यही एतराज मेरा दूसरे अमेन्डमेंट के लिये भी है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, मैं पहले मूव तो कर लूं।

श्री चेयरमैन--आप मूव कर लीजिये।

खंड १०--१२

कतिपय भुगतानों का विनियमन

१०--इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मन्त्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमन्त्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति और सभासचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के सम्बन्ध में या चिकित्सा के निमित्त किये गये या भुगतान किये गये सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा ६ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गये सभी भुगतान यथावत् किये गये (properly incurred), भुगतान किये गये और दिये गये समझे जायेंगे।

नियुक्ति इत्यादि से सम्बद्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी।

११--वह दिनांक जिस पर कोई व्यक्ति मंत्री, उपमन्त्री या सभा-सचिव होगा या न रहेगा, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और कोई ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उक्त व्यक्ति उस दिनांक पर मन्त्री, उपमन्त्री या सभा-सचिव हो गया या न रहा।

नियम बनाने का अधिकार

१२--इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं यह संशोधन रखता हूं कि खंड १० के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ११ के रूप में रख दिया जाय और वर्तमान खंड संख्या ११ व १२ को १२ व १३ में परिणत कर दिया जाय।

"राज विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य, सदस्यता के भार से मुक्त होने के पश्चात् वेतन का अर्ध भाग पेंशन के रूप में पाने का अधिकारी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी समय भी मन्त्री, उपमन्त्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अथवा सभा सचिव के पद पर न रहा हो।"

श्री सैयद अली जहीर--यह बिल्कुल आउट आफ आर्डर है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, मैं इक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि अगर इसको वोट किया जायेगा तो मैं स्वयं वोट न करूंगा। अगर मेम्बरों को कुछ फैसिलिटीज देने की नियत है और यह ऐक्ट जिसके लिये तरमीम किया जा रहा है तो मैं कुछ थोड़ी सी अधिक फसिलिटीज मम्बरों को देना चाहता हूं।

श्री चेयरमैन--यह संशोधन भी आउट आफ आर्डर है क्यों कि यह इस विधेयक के स्कोप को बढ़ाता है। इसलिये इसको इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १० से १२ तक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रस्तावना तथा खंड १

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों और उप मन्त्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मन्त्रियों और उप मन्त्रियों से सम्बद्ध आगे चलकर प्रतीत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

क्षिप्त शीर्ष-नाम और प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड एक विधेयक के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक

श्री सैयद अली जहीर--I beg to move that the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Bill, 1955, as passed by the U. P. Legislative Assembly, be passed.

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान्, जो विधेयक अब पास हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने अपनी बातें और अपने सुझाव विधेयक के सम्बन्ध में रक्खे, मेरा तात्पर्य केवल यह था कि मैं किसी प्रकार से ऐसी बात न होने दूं जिससे किसी प्रकार का भी भ्रम किसी जगह भी पैदा हो सके। मैं किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखता और न मुझे इस विधेयक की धाराओं को कहीं जाकर एक्सप्लॉयट ही करना है लेकिन मैं ...

... आज मेम्बरों को थोड़ा सा आराम भले ही मिल जाय लेकिन जो असली लाभ होना चाहिये वह नहीं होगा। बहरहाल, इस विधेयक को गवर्नमेंट लाई है। आज यह पास हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसमें जो कुछ प्राविजन ऐसे रक्खे गये हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है उनको दुरुपयोग होने से बचाया जायेगा और ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न होगी जिससे फिर इसको अमेंड किया जाये। मैं यह जरूर चाहता था कि इस विधेयक को अगर इस समय इस रूप में न लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता।

श्री चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेयरमैन--कौंसिल अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर अनिश्चित् काल के लिये स्थगित हो गई)

परमात्मा शरण पचौरी,
सचिव,
विधान परिषद्।
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२५ जनवरी, सन् १९५६

नियम
का अधि

नत्थी 'क

(देखिये प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पृष्ठ २५१ पर)

(Annexure of reply to Question No. 5)

"Paragraph XIV of Appendix IV of Educational Code	—Employees of the recognized aided Secondary Institutions of the State be permitted to pay their insurance premiums towards the policies taken on their Provident Fund Contribution. Such policies shall invariably be assigned to the District Inspector of Schools or the Regional Inspectress of Girls Schools concerned in case of boys and girls institutions respectively."

क्षिप्त शीर्ष
नाम औ
प्रारम्भ।

पी० एस० यू० पी०—२२ एल० सी०—१९५६—७९५ (प्रो०)

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाहियों

की

अनुक्रमणिका

खंड ४४

नियम
का अधि

क्षिप्त शीर्ष
नाम औ
प्रारम्भ।

नियम ।
का अधि

क्षिप्त शीर्
नाम औ
प्रारम्भ।

"प्रश्नोत्तर"

नियम
का अधि

क्षिप्त शीर्ष
नाम औ
प्रारम्भ।

नियम
का अधि

क्षिप्त श्री
नाम औ
प्रारम्भ।

नियम
का अर्थ

'स्थानीय प्रश्न'

क्षिप्त शी
नाम औ
प्रारम्भ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०——१४६ एल० सी०——१९६१——८५०।